Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वि०-२७३

विधि साहित्य
प्रकाशन

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 1985
[पृष्ठ 1—483]
(1)—(56) मुद्दे

प्रधान संपादक
जगत नारायण

संपादक
पूरन सिंह कर्नवाल

Recd
13/9/85

[1985] 2 उम० नि० प०

विधि साहित्य प्रकाशन
विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्णय-सूची

[1985] 2 उम० नि० प०

	पृष्ठ संख्या
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों (प्रकाशनीय और अप्रकाशनीय) के महत्वपूर्ण मुद्दे।	(1)—(56)
आर० श्रीहरि नायडू **बनाम** आन्ध्र प्रदेश सरकार और अन्य	349
इब्राहीम बचु बफन और एक अन्य **बनाम** गुजरात राज्य और अन्य	448
उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** राम सागर यादव और अन्य	121
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ **बनाम** नगर बोर्ड, मसूरी और अन्य	355
एस० सुन्दरम् पिल्लै **बनाम** वी० आर० पट्टाभिरमण	142
कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड और एक अन्य **बनाम** श्रीमती सन्ध्या मित्रा और अन्य	374
के० कमलतम्मन्निआवारु (मृत) (अपने विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत) **बनाम** विशेष भूमि अर्जन अधिकारी	458
के० नागराज और अन्य **बनाम** आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य	59
जे० आर० वोहरा **बनाम** मैसर्स इण्डिया एक्सपोर्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य	464
डी० आर० कोहली और अन्य **बनाम** अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	380
तोता सिंह (सरदार) **बनाम** मै० गोल्ड फील्ड लैदर वर्क्स, मुम्बई	37
धनजीभाई रामजीभाई **बनाम** गुजरात राज्य	114
पेरिया नचि मुत्तु गुंडर और अन्य **बनाम** राजू तेवर (मृत) और अन्य	367
बालकृष्ण गुप्त और अन्य **बनाम** स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और एक अन्य	402

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य 100

बैंक आफ बड़ौदा **बनाम** मोती भाई और अन्य 322

भरतू **बनाम** रणधीर सिंह और अन्य 136

योगेश्वर जायसवाल **बनाम** राज्य परिवहन अपील अधिकरण और अन्य 331

रमेश चन्द **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य 51

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य 1

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य 197

(मुसम्मात) सादिका बेगम और अन्य **बनाम** राजस्व बोर्ड मध्य प्रदेश और अन्य 344

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विषय-सूची

[1985] 2 उम० नि० प०

पृष्ठ संख्या

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

—धारा 80-ञ [सपठित आय-कर नियम, 1962 का नियम 19-क]—लाभों या अभिलाभों पर कर से छूट—नए औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के एक भाग को कर से छूट दिया जाना—इस उपबंध को लागू करने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा नियमों में नियम 19-क पुरःस्थापित किया जाना—विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस धारा के बारे में परस्पर विरोधी मत व्यक्त करना—धारा 80-ञ को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जाना—इस प्रकार का संशोधन मात्र स्पष्टीकारक स्वरूप का होने के कारण विधिमान्य है ।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 197

—धारा 80-ञ (1-क) सपठित आय-कर नियम, 1962 का नियम 19-क—भूतलक्षी प्रभाव से धारा 80-ञ में संशोधन किया जाना—संशोधन की विधिमान्यता को चुनौती दी जाना—विधिमान्यकरण अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव से नए सिरे से कर अधिरोपित करना नहीं है अपितु पूर्व अधिरोपित उद्ग्रहण को वैध करना है, अतः संशोधन ठीक और युक्तियुक्त आधारों पर होने के कारण विधिमान्य है ।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य; 197

आय-कर नियम, 1962

—नियम 19-क [सपठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ (1)]—'नियोजित पूंजी'—उक्त शब्दों में सात वर्षों से अन्यून अवधि के उधार को कर की छूट से अपवर्जित करना—नि'योजित पूंजी' में विधिक भाव या वाणिज्यिक भाषा या लेखा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पद्धति में सदैव लंबी अवधि के उधार सम्मिलित नहीं हैं तथा इसके विभिन्न संदर्भों तथा परिस्थितियों में कई निर्वचन किए जा सकते हैं और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ऐसा निर्वचन करने में सक्षम है।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 197

आन्ध्र प्रदेश पब्लिक एम्पलाएमेंट (रेगुलेशन आफ कंडीशन्स आफ सर्विस) अध्यादेश, 1983

—खंड 10(1) (सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 14 और 16)—संवैधानिकता—अध्यादेश के उक्त खंड के द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष किया जाना—उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को मनमाने और अयुक्तियुक्त होने के आधार पर चुनौती दिया जाना—यह कार्यवाही मनमानी और अयुक्तियुक्त नहीं है—अतः उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण नहीं करती—इसलिए उक्त अध्यादेश असंवैधानिक नहीं है।

के० नागराज और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य 59

—खंड 10(1) सपठित संविधान का अनुच्छेद 311(2)—सेवानिवृत्ति की आयु का नियतन—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी की सेवा समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अर्थान्तर्गत उसे सेवा से "हटाए जाने" की कोटि में नहीं आती।

के० नागराज और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य 59

—खण्ड 10(1) (सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 213)—अध्यादेश की विधिमान्यता—उक्त अध्यादेश "बिना भली-भाँति विचार के" पारित किए जाने के कारण अविधिमान्य नहीं है क्योंकि अध्यादेश एक विधायी कार्यवाही है, कार्यपालक कार्यवाही नहीं—केवल कार्यपालक कार्यवाही ही भली-भांति विचार न किए जाने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के कारण अविधिमान्य हो सकती है, किंतु अध्यादेश रूपी विधायी कार्यवाही को उक्त आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

के० नागराज और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य 59

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (1908 का 9)

—अनुच्छेद 134-ख—न्यास का प्रतिसंहरण—व्यवस्थापक द्वारा कुलदेवता के पक्ष में विन्यस्त सम्पत्ति के न्यास का प्रतिसंहरण करते हुए न्यास-विलेख का रद्द किया जाना—उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाना—व्यवस्थापक दोषपूर्ण रीति से रद्दकरण-विलेख निष्पादित करके व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण प्रभावी रूप से नहीं कर सकता—ऐसी स्थिति में यदि ऐसा व्यवस्थापक न्यासी है, तो वह व्यवस्थापन का न्यासी बना रहेगा—अतः जब व्यवस्थापक, सम्पत्ति से निर्निहित होने के पश्चात् विन्यस्त सम्पत्ति का कोई विक्रय या अन्यसंक्रामण करता है, तो वह अप्रभावी और दोषपूर्ण होगा—ऐसे मामले में सम्पत्ति वापस लेने सम्बन्धी वाद फाइल करने के लिए परिसीमा की अवधि वह तारीख है जिसको व्यवस्थापक की मृत्यु होती है।

पेरिया नचि मुत्तु गुंडर और अन्य बनाम राजू तेवर (मृत) और अन्य 367

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)

—धारा 13 और 14—उपदान—कुर्की से उन्मुक्ति—अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार विधायी आशय यह है कि उसके अधीन संदेय उपदान को न्यायालय की डिक्री की तुष्टि के लिए कुर्की से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड और एक अन्य बनाम श्रीमती संध्या मित्रा और अन्य 374

कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

—धारा 169 (सपठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क)— शेयर धारकों का शेयरों के प्रति हक—एक (काटन मिल्स) कम्पनी द्वारा दूसरी (पोलिटेक्स) कम्पनी के शेयर अर्जित करके दूसरी कम्पनी का सदस्य/शेयर धारक होना—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऐसे शेयरों के बारे में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के अधीन मात्र "रिसीवर" नियुक्त किया जाना—ऐसी नियुक्ति उस प्रथम कम्पनी को, जिसका नाम दूसरी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, दूसरी कम्पनी के अधिवेशनों में मताधिकार से अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

बालकृष्ण गुप्त बनाम स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और एक अन्य 402

कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) सैण्ट्रल रूल्स, 1971

—नियम 25(ii)(iv)—मजदूरी की दरें—प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त होगी कि मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, समझौते अथवा अधिनिर्णय द्वारा नियत की गई हों, वे इस प्रकार नियत दरों से न्यूनतर नहीं होंगी—अत: ठेका श्रमिकों को समरूप कार्य के लिए वही दरें प्राप्य होंगी जो कि प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों को उपलभ्य हैं।

बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** 100

कानूनों का निर्वचन

—किसी उपबंध विशेष का अर्थान्वयन—सम्बद्ध उपबन्ध के अर्थान्वयन में ऐतिहासिक विकास का प्रयोग किया जाना—किसी अधिनियमित उपबन्ध पर काफी वर्षों तक आक्षेप न किया जाना—कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा नियम को शून्य घोषित किया जाना—भूतलक्षी प्रभाव से उपधारा के रूप में नियम सम्मिलित करके धारा का संशोधन किया जाना—ऐतिहासिक विकास की उपबंध के अर्थान्वयन करने में उपेक्षा नहीं की जा सकती तथा उच्च न्यायालयों की मत-भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भूतलक्षी प्रभाव से धारा का संशोधन करना विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं है।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** 197

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

—प्रथम अनुसूची, मद 14-घ सपठित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 23 नवम्बर, 1961 वाली अधिसूचना—उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट—अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट का उपबन्ध केवल उसी स्थिति में किया जाना यदि ऐसे रंजक अन्य किसी रंजक से विनिर्मित किए गए हों, जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क का पहले ही संदाय किया जा चुका हो—ऐसे रंजकों पर उत्पाद-शुल्क का स्वैच्छिक संदाय, जो ऐसे संदाय के दायित्वाधीन नहीं थे, किसी छूट का हकदार नहीं बनाता ।

डी० आर० कोहली और अन्य बनाम अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 380

—नियम 10 और 10-क—परिसीमाकाल का लागू होना—नियम 10 केवल तभी लागू होता है जब अधिकारी की ओर से उसमें विहित कोई भूल हुई हों—चूंकि अधिकारी की ओर से उक्त कोई भूल नहीं हुई है, अतः नियम 10 के अधीन विहित परिसीमा-काल लागू नहीं होता—इस मामले में नियम 10-क, जो अवशिष्ट उपबंध है, लागू होता है ।

डी० आर० कोहली और अन्य बनाम अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 380

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 38)

—धारा 10—ठेका श्रम पद्धति की समाप्ति की याचना—लोक सैक्टर उपक्रम के अन्तर्गत ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले कर्मकार—उक्त कर्मकारों द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रधान नियोजक के अधीन कार्यरत व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के समरूप होना—ठेका श्रमिकों द्वारा न्यायालय से यह घोषणा किए जाने के लिए याचना की जाना कि ठेका श्रम पद्धति अवैध है और उसे समाप्त किया जाए—न्यायालय संविधान के अनुच्छेद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

32 के अधीन प्रार्थित उक्त अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे अनुतोष का प्रदान किया जाना विधायी कृत्य के प्रयोग के अन्तर्गत आता है।

बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 100

तमिलनाडु बिल्डिंग्ज (लीज एण्ड रेंण्ट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960

—धारा 10(2)(i)—किराए के संदाय में व्यतिक्रम किये जाने का प्रश्न—'जानबूझकर व्यतिक्रम' अभिव्यक्ति का विभिन्न न्यायालयों द्वारा भिन्न-भिन्न निर्वचन किया जाना—किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम से मकान-मालिक के किराए और बकाया के संदाय की मांग करते हुए दो माह की सूचना पर किराए का संदाय न किया जाना अभिप्रेत होगा, जब तक कि किराएदार यह दर्शित न कर दे कि उसके लिए मकान-मालिक के नोटिस को स्वीकार करके शोध्य होने पर संदाय करना पर्याप्त-हेतुक और परिस्थिति के कारण उसके नियंत्रण के बाहर था।

एस० सुन्दरम् पिल्लै बनाम वी० आर० पट्टाभिरमण 142

दिल्ली रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट, 1958 (1958 का 9)

—धारा 21—कब्जा वापस लेने के बारे में नोटिस दिए जाने का विस्तार—किराया नियंत्रक द्वारा निवासीय प्रयोजनों के लिए तीन वर्ष तक की किराएदारी की सृष्टि किए जाने की अनुज्ञा दी जानी—तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर कब्जा विषयक वारन्ट का जारी किया जाना—किन्तु किराएदार को इस सम्बन्ध में किसी भी सूचना का न दिया जाना—ऐसी स्थिति में, विधि के अधीन किराएदार की बेदखली करने के लिए उस पर पूर्व-सूचना की तामील अपेक्षित नहीं है—अतः यदि किराया नियंत्रक उक्त सूचना दिए बिना कब्जा विषयक वारन्ट जारी कर देता है, तो उसे अवैध अविधिमान्य या अनुचित नहीं माना जा सकता।

जे० आर० वोहरा बनाम मैसर्स इण्डिया एक्सपोर्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य 464

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

—धारा 12—मजदूरी की न्यूनतम दरों का संदाय—ठेकेदार के अधीन काम करने वाले ठेका श्रमिक—उक्त श्रमिकों के लिए नियत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मजदूरी में से ठेकेदारों द्वारा विभिन्न पदों के आधार पर विभिन्न कटौतियां की जाना—ठेका श्रमिकों को चाहिए कि वे संम्बद्ध प्राधिकारी से अनुतोष की मांग करें—इस बारे में सरकार तथा मुख्य श्रम आयुक्त को निदेश ज़ारी किए जाएंगे कि वे इन विवाद्यकों की परीक्षा करें।

बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 100

पद्धति और प्रक्रिया

—अन्तर्वलित प्रश्न के विषय में अभिलेख द्वारा अननुपातिक रूप धारण कर लिया जाना—न्यायालय का कर्त्तव्य—साक्ष्य की परीक्षा में बाल की खाल उतारने की उपेक्षा की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **राम सागर यादव और अन्य** 121

प्रशासनिक विधि

—कानूनी प्राधिकारी—मोटर-यान अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन यथासम्भव शीघ्र आदेश पारित करने का कानूनी उपबन्ध—ऐसा आदेश पारित करने में राज्य सरकार की ओर से अवांछनीय विलम्ब—ऐसे कानूनी कर्त्तव्य के पालन में हुए विलम्ब से लोक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ता है—अतः सरकार को धारा 68-घ के अधीन अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए।

योगेश्वर जायसवाल बनाम **राज्य परिवहन अपील अधिकरण और अन्य** 331

प्रशासनिक विधि

—[सपठित आय-कर नियम, 1962 का नियम 19-क]—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को "नियोजित पूंजी' की संगणना की पद्धति विहित करने के लिए शक्ति प्रदत्त की जाना—ऐसी शक्ति से सशक्त होकर राजस्व बोर्ड द्वारा नियमों में नियम 19-क जोड़ा जाना—इस नियम की विधिमान्यता को काफी वर्षों तक चुनौती न दी जाना—नियम को संसद् के समक्ष रखा जाना और उसमें कोई परिवर्तन न किया जाना—राजस्व बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करना शक्ति का अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं है—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भूतलक्षी प्रभाव से कराधान कानून के अधीन लाभ को वापस लेना मनमाना एवं अयुक्तियुक्त नहीं है ।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 197

पैप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1955

—धारा 7, 7-क और 8—व्याप्ति—अपीलार्थी के पक्ष में अभिधृति का सृजित किया जाना—अधिनियम के संशोधन के पश्चात् तीन वर्ष की कालावधि के भीतर अभिधृति को समाप्त किया जाना—अभिधृति या तो धारा 7 में वर्णित आधारों पर समाप्त की जा सकती है या अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

भरतू बनाम रणधीर सिंह और अन्य 136

बाम्बे रेंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कण्ट्रोल ऐक्ट, 1947

—धारा 15(1) और (2)—[सपठित बाम्बे रेंट्स, होटल एंड लाजिंग हाउस रेट्स कन्ट्रोल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1959 की धारा 15(1)]—उप-किराएदारी की विधिमान्यता—उप-किराएदारी करने पर लगाए गए प्रतिषेध का किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए प्रभावी होना एवं उप-धारा (2) द्वारा तारीख 21 मई, 1959 के पूर्व प्रभावी उप-किराएदारी से प्रतिषेध हटाया जाना—1959 के पूर्व की गई उप-किराएदारी उसी दशा में विधिमान्य होगी जब उप-किराएदार 1959 के संशोधन अधिनियम से पूर्व काबिज हो और संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को कब्जे में बना रहा हो। अतः उप-किराएदार द्वारा रखा गया उप-किराएदार भी बेदखल नहीं किया जा सकता बशर्ते कि वह उक्त संशोधन के पूर्व काबिज हो।

तोता सिंह (सरदार) बनाम मैसर्स गोल्ड फील्ड लैदर वर्क्स, मुम्बई 37

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)

—धारा 300—हत्या के मामले में साक्ष्य और सबूत—मिथ्या आरोप पर निर्दयतापूर्वक पिटाई करना और अभिलेख में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह दिखाना कि पुलिस अधिकारी वहां नहीं था—वास्तविक कारण पुलिस के सिपाही द्वारा रिश्वत की मांग होना—यह हत्या से भिन्न मामला नहीं है और सम्बद्ध पुलिस थाने का थानेदार और सम्बद्ध सिपाही दोषी हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव और अन्य 121

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

—धारा 176 (सपठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169)—शेयरों को गिरवी रखने का प्रभाव—एक (काटन मिल्स) कंपनी द्वारा दूसरी (पोलिटेक्स) कम्पनी में धारित शेयरों का "रिसीवर" द्वारा गिरवी रखा जाना—ऐसा होने पर भी प्रथम (काटन मिल्स) कम्पनी उक्त शेयरों के बारे में दूसरी (पोलिटेक्स) कम्पनी का सदस्य बनी रहती है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अधिकार के प्रयोग में कोई कमी नहीं होती ।

बालकृष्ण गुप्त और अन्य बनाम स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और एक अन्य 402

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

—धारा 3—(सपठित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 और 34 तथा संविधान, 1950 का अनुच्छेद 136) हत्या के मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन—हत्या के मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी न होना—ऐसी स्थिति में विशेष इजाजत अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाना—जहां दोषसिद्धि विधितः न्यायोचित प्रतीत न होती हो वहां उच्चतम न्यायालय साक्ष्य का पुनः विवेचन कर सकता है और इस विषय में उच्चतम न्यायालय को पूर्ण शक्ति प्राप्त है ।

रमेश चन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 51

—धारा 32(1)—मृत्युकालिक कथन के बारे में सबूत का भार—पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पुलिस थाने ले जाया जाना और उसकी निर्दयतापूर्वक मारपीट की जाना तथा गंभीर रूप से क्षति-ग्रस्त किए जाने से मृत्यु—उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रत्यक्ष-दर्शी साक्षी का साक्ष्य न होना—अन्य सिपाहियों द्वारा इस विषय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में मौन रहना अथवा तथ्यों के सम्बन्ध में कोई कथन न किया जाना—विधानमण्डल का यह कर्त्तव्य है कि वह सबूत के भार सम्बन्धी विधि की पुनः परीक्षा करे।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **राम सागर यादव और अन्य** 121

—धारा 32(1)—मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यिक महत्व—अभियुक्त को मिथ्या आरोप लगाकर पुलिस थाने में गम्भीर रूप से क्षति पहुंचाई जाना जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाना—कोई अन्य साक्ष्य उपलभ्य न होना—मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक कथन किया जाना—यदि मृत्युकालिक कथन परिस्थितियों के आधार पर असत्य नहीं है तो ऐसे कथन के आधार पर संपुष्टि के बिना कार्यवाही की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **राम सागर यादव और अन्य** 121

—धारा 115—वचन-विबन्ध के सिद्धांत का अवलम्ब लिया जाना—विनिर्माता ने विभाग की ओर से किसी व्यपदेशन का अवलम्ब लेकर अपने हितों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया था—विनिर्माता केवल छूट देने वाली अधिसूचना के आधार पर ही कार्यवाही कर सकता था—अतः विभाग के विरुद्ध वचन-विवंध का अभिवाक् नहीं दिया जा सकता।

डी० आर० कोहली और अन्य बनाम **अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड** 380

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1)

—(भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा यथा-संशोधित)—धारा 23(2) और 30(2)—तोषण—अधिनिर्णय से सम्बन्धित लम्बित कार्यवाहियां—30 अप्रैल, 1982 के बाद और 24 सितम्बर, 1984 के पूर्व दिए गए अधिनिर्णयों पर तोषण को बढ़ाकर प्रतिकर का 30 प्रतिशत कर दिया जाना—बढ़ाया गया तोषण, उक्त कालावधि के बीच किए गए अधिनिर्णयों को और उनसे उद्भूत होने वाली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलों को लागू होता है।

के० कमलजम्मन्निआवारू (मृत) (अपने विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत) बनाम **विशेष भूमि अर्जन अधिकारी** 458

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मध्य प्रदेश एबोलिशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स (एस्टेट्स, महाल्स, एलिनिएटेड लैंड्स) ऐक्ट, 1950

—धारा 6 [सपठित मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959—धारा 50]—उक्त अधिनियम के अधीन स्वत्वधारियों द्वारा 16 मार्च, 1950 के पश्चात् किए गए सभी अन्तरणों को विधिमान्य घोषित करने के लिए कलक्टर के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना और कलक्टर द्वारा विधिमान्य घोषित किया जाना—अन्तरितियों द्वारा कलक्टर के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए पुनरीक्षण आदेश को और राजस्व बोर्ड द्वारा आयुक्त के मत की पुष्टि करने वाले आदेश को चुनौती दिया जाना—यदि दो समविषयक अधिनियमों के अधीन अपील और पुनरीक्षण की शक्तियां एक ही प्राधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त की जाती हैं तो पुनरीक्षण या अपील की शक्ति का प्रयोग करने के बीच अन्तर कोरी औपचारिकता होगी और राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त संहिता की धारा 50 के अधीन और एबोलिशन ऐक्ट के अधीन भी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

मुसम्मात सादिका बेगम और अन्य बनाम **राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश और अन्य** .. 344

महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974

—धारा 3(1) और 4—(सपठित संविधान, 1950, सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18)—सांविधानिकता—उक्त धारा 3(1) और 4 बनाकर एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जनजातीय व्यक्तियों द्वारा गैर-जनजातीय व्यक्तियों को किए गए भूमियों के अन्तरण के लिए तथा ऐसी भूमि का कब्जा उन्हें वापस दिलाने के लिए उपबंध किया जाना—सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत कृषि भूमि के अंतरण और अन्य संक्रामणों की बाबत विधि बनाने की राज्य विधानमण्डल की शक्ति के साथ-साथ ऐसी विधि बनाने की ही शक्ति नहीं है जो उस पर प्रतिषेध सहित ऐसी भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामण पर निर्बन्धन लगाती हो, बल्कि ऐसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्तरणों और अन्य-संक्रामणों को, जो कर दिये गये हैं, फिर से तय करने की विधि बनाने की शक्ति भी है—ऐसी शक्ति स्पष्टतः राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अन्तर्गत है ।

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य 1

—धारा 9-क [सपठित अधिवक्ता अधिनियम, 1974 की धारा 30 और संविधान, 1950, अनुच्छेद 19(1)(छ) तथा अनुच्छेद 22(1)]—सांविधानिकता—अधिवक्ताओं को उक्त धारा 9-क द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने पर प्रतिषेध—उक्त धारा 30 का अभी तक प्रवृत्त न किया जाना—अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का संविधान द्वारा मान्य किसी व्यक्ति का मूल अधिकार केवल अनुच्छेद 22(1) में है—अंतः जब तक उक्त धारा 30 प्रवृत्त नहीं हो जाती है तब तक कोई अधिवक्ता साधिकार किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए अपने आप हकदार नहीं है ।

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य 1

मूल-नियम—नियम 2 का परन्तुक, सपठित संविधान, 1950

—अनुच्छेद 309 और 313—मूल नियम का संशोधन—उक्त अनुच्छेदों के अधीन मूल नियम 2 के परन्तुक का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जाना—ऐसे सेवा नियमों में अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 313 के अधीन प्रदत्त विधायी शक्ति के अधीन सरकार द्वारा किया गया संशोधन विधायी शक्ति का विधिमान्य प्रयोग है ।

के० नागराज और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य 59

मोटर-यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)

—धारा 68-ग और 68-घ—सपठित धारा 68-च(1-ग)—धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम पर 68-घ के अधीन लम्बे समय तक कार्यवाही न किया जाना—धारा 68-घ(1-ग) के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन प्राइवेट परिवहन आपरेटरों को अस्थायी परमिट दिया जाना—चूंकि उक्त अस्थायी परमिट लोक हित को ध्यान में रखकर जारी किए गये हैं, अतः उन्हें इसलिए अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त स्कीम पर कार्यवाही करने में अयुक्तियुक्त विलंब हुआ है।

योगेश्वर जायसवाल बनाम **राज्य परिवहन अपील अधिकरण और अन्य** 331

—धारा 134(2) सपठित धारा 57(2)—व्याप्ति—परमिट जारी करने का आधार—प्रथम प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी किया जाना—फलस्वरूप दो आवेदकों को परमिट जारी किया जाना—असफल आवेदकों द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि प्राधिकरण का गठन उचित नहीं है—तद्नुसार उचित रूप से गठित नए प्राधिकरण द्वारा नए आवेदन मांगने के बजाय पुराने आवेदनों के आधार पर परमिट जारी किया जाना—प्रश्नगत गलती या लोप को इस मामले में पारित अन्तिम आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

आर० श्रीहरि नायडू बनाम **आन्ध्र प्रदेश सरकार और अन्य** 349

राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1955 (1955 का 3)

—धारा 43—किसी कृषक के बंधकित हित के बारे में सिविल न्यायालय की अधिकारिता—वाणिज्यिक बैंक द्वारा, वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में बंधक के आधार पर प्रत्यर्थी को धन उधार दिया जाना—ऋण और उस पर ब्याज की वसूली के लिए अपीलार्थी बैंक द्वारा वाद का लाया जाना—यह आक्षेप कि ऐसे वाद का विचारण राजस्व न्यायालय ही, न कि सिविल न्यायालय, कर सकता है, अस्वीकार किए जाने योग्य है—बैंक द्वारा कृषक को दिया गया ऐसा ऋण, जो वाणिज्यिक प्रकृति का है, अधिनियम की परिधि से बाहर है और उसकी बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह अधिनियम के अधीन उद्भूत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होने वाले किसी मामले के बारे में है—अतः सिविल न्यायालय को, न कि राजस्व न्यायालय को, ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता है ।

बैंक आफ बड़ोदा बनाम **मोती भाई और अन्य** 322

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54)

—धारा 46(1) [सपठित धारा 79(ज)]—टैरिफ नियत करने के लिए विनियम—धारा 46 के अधीन टैरिफ नियत करने के लिए विनियम बनाए बिना टैरिफ नियत किया जाना—उक्त धारा 79(ज) के अधीन विनियम बनाना टैरिफ नियत करने के लिए कोई पुरोभाव्य शर्त नहीं है, अतः विनियम बनाए बिना भी टैरिफ नियत किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ बनाम **नगर बोर्ड मसूरी और अन्य** 355

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)

—धारा 11(2)—निरोध आदेश की विधिमान्यता—उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन धारा 11 के अधीन किए गए निरोध आदेश का अभिखंडित किया जाना—निरोध प्राधिकारी द्वारा उन्हीं आधारों पर धारा 11(2) के अधीन नया आदेश पारित किया जाना—जहां निरोध आदेश उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित कर दिया जाता है, तो वहां निरोध प्राधिकारी धारा 11(2) के अधीन नया निरोध आदेश पारित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता ।

इब्राहीम बचु बफन और एक अन्य बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** 448

शब्द और पद

—'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों का अर्थान्वयन—किराए के संदाय में व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम होने के लिए आशयित सौद्देश्य और उससे होने वाले विधिक परिणामों के पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकल्पित होना चाहिए ।

एस० सुन्दरम् पिल्लै बनाम **वी० आर० पट्टाभिरमण** 142

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

'प्रतिसंहरण करना' और 'प्रतिसंहरण' का अर्थ—उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन निरोध आदेश को अभिखंडित करते हुए 'प्रतिसंहरण करना'—'प्रतिसंहरण' जो कुछ किया गया उसके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है जबकि 'प्रतिसंहरण करना' शब्दों से अभिप्राय उसी शक्ति द्वारा रद्द किए जाने का विचार जिसने आरम्भतः कार्रवाई की और न कि शक्ति अथवा अधिकारिता रखने वाले किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा आरम्भिक अधिकारिता का अपास्त करना।

इब्राहीम बचु बफन और एक अन्य बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** 448

संविधान, 1950

—अनुच्छेद 14 [सपठित महाराष्ट्र रेस्टोरेशन ऑफ लैण्ड्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974 की धारा 3(1) और 4(1)]—उक्त अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 1957 को उस तारीख के रूप में मानना जिससे उक्त अधिनियम की धारा 3(1) और 4(1) के अधीन जनजाति के अंतरकों द्वारा गैर जनजातीय अन्तरितियों से किए गए भूमि के अन्तरणों को बातिल किया गया—सांविधानिकता—विधानमण्डल विधि प्रवर्तन के समय के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है—1 अप्रैल, 1957 की तारीख इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि वह बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों के लिए 'किसान दिवस' था—ऐसी तारीख नियत करने और अभीष्ट उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध था, अतः वह सांविधानिक है।

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** 1

—अनुच्छेद 46—सर्वसुलभ-न्याय—संकल्पना की व्याप्ति—विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वसुलभ-न्याय की संकल्पना से आर्थिक विषमताओं का निवारण और समान व्यक्तियों में परस्पर असमान व्यक्तियों के बीच व्यवहारों और संव्यवहारों से फलीभूत अन्याय को दूर करना भी शामिल है—ऐसी सब विधियां समाज के सदस्यों के भौतिक संसाधनों का निष्पक्ष विभाजन करने के साधन के रूप में धन के बलपूर्वक पुनः वितरण का रूप

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ले सकती हैं या अनुचित करारों पर विधायी नियन्त्रण हो सकता है।

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य 1

—अनुच्छेद 136—व्याप्ति—विहित परिवीक्षाकाल के बाद कर्मचारी की सेवा समाप्त—असद्भाव का अभिकथन—तथ्य के सम्बन्ध में निचले न्यायालयों के एक समान निष्कर्ष—असद्भाव का अभाव—उच्चतम न्यायालय तथ्य सम्बन्धी निष्कर्ष में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए बहुत ठोस कारण न हों।

धनजीभाई रामजीभाई बनाम गुजरात राज्य 114

—अनुच्छेद 213—अध्यादेश पारित करने की विधायी शक्ति—असद्भाव का आरोप—अध्यादेश पारित करना एक विधायी शक्ति है, कार्यपालक शक्ति नहीं, अतः अध्यादेश को अन्तरस्थ हेतु के कारण असद्भाविक घोषित नहीं किया जा सकता।

के० नागराज और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य 59

—अनुच्छेद 311(2)—सेवा के समाप्त किये जाने का औचित्य अपीलार्थी का दो वर्ष की परिवीक्षा-काल पर नियुक्त किया जाना—परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर भी अपीलार्थी का सेवा में बने रहना—अपीलार्थी की सेवा समाप्त की जानी—अपीलार्थी को परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि के बाद सेवा में बनें रहने के कारण सेवा में पुष्टि का अधिकार नहीं मिल जाता है और यदि सेवा समाप्ति के आदेश में कोई कलंक नहीं लगाया है तो अनुच्छेद 311(2) लागू नहीं होगा।

धनजीभाई रामजीभाई बनाम गुजरात राज्य 114

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

—धारा 60 और 64 तथा आदेश 21, नियम 43 व 46 (सपठित उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149) और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169—शेयर धारकों का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नोटिस जारी करने का अधिकार—एक (काटन मिल्स) कम्पनी द्वारा दूसरी (पोलिटेक्स) कम्पनी में धारित शेयरों के उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन "रिसीवर" द्वारा कुर्क किया जाना—उक्त धारा 149 के अधीन प्रथम कंपनी द्वारा दूसरी कम्पनी में धारित शेयरों की कुर्की से प्रथम कम्पनी अधिवेशनों में मताधिकार से और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन अधिवेशन बुलाने का नोटिस जारी करने के अधिकार से वंचित नहीं होती।

बालकृष्ण गुप्त और अन्य बनाम स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और एक अन्य 402

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

तुलनात्मक सारणी

अप्रैल, 1985

क्रम सं०	निर्णय तथा दिनांक	ए० आई० आर०	एस० सी० आर०	एस० सी० सी
1	2	3	4	5
1.	लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (4.12.84)	1985 मार्च, 389	—	(1985) 1 फरवरी, 479
2.	तोता सिंह (सरदार) **बनाम** मैसर्स गोल्ड फील्ड लैदर वर्क्स, मुम्बई (15.1.85)	—	—	(1985) 1 फरवरी, 414
3.	रमेश चंद **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (17.1.85)	—	—	(1985) 1 फरवरी, 464
4.	के० नागराज और अन्य **बनाम** आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य (18.1.85)	—	—	(1985) 1 फरवरी, 523

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1	2	3	4	5
5.	बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य (18.1.85)	1985 मार्च, 409	—	—
6.	धनजीभाई रामजीभाई **बनाम** गुजरात राज्य (22.1.85)	—	—	—
7.	उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** राम सागर यादव और अन्य (22.1.85)	1985 मार्च, 416	—	(1985) 1 फरवरी, 552
8.	भरतू **बनाम** रणधीर सिंह और अन्य (22.1.85)	1985 मार्च, 413	—	—
9.	एस० सुन्दरम् पिल्लै और अन्य **बनाम** वी० आर० पट्टाभिरमण (24.1.85)	—	—	—
10.	लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य (25.1.85)	—	—	—
11.	बैंक आफ बड़ौदा **बनाम** मोतीभाई और अन्य (29.1.85)	—	—	(1985) 1 फरवरी, 485

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1	2	3	4	5
12.	ए० योगेश्वर जायसवाल **बनाम** राज्य परिवहन अपील अधिकरण और अन्य (31.1.85)	—	—	—
13.	सादिका बेगम (मुसम्मात) और अन्य **बनाम** राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश और अन्य (1.2.85)	—	—	—
14.	आर० श्रीहरि नायडू **बनाम** आन्ध्र प्रदेश सरकार और अन्य (6.2.85)	—	—	—
15.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ **बनाम** नगर बोर्ड, मसूरी और अन्य (8.2.85)	—	—	—
16.	पेरिया नचि मुत्तु गुंडर और अन्य **बनाम** राजू तेवर (मृत) और अन्य (8.2.85)	—	—	—
17.	कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड और एक अन्य **बनाम** श्रीमती संध्या मित्रा और अन्य (11.2.85)	—	—	—
18.	डी० आर० कोहली और अन्य **बनाम** अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (12.2.85)	—	—	—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1	2	3	4	5
19.	बालकृष्ण गुप्त और अन्य **बनाम** स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और एक अन्य (12.2.85)	—	—	—
20.	इब्राहीम बचु बफन **बनाम** गुजरात राज्य और अन्य (12.2.85)	—	—	—
21.	के० कमलतम्मन्निआवारु (मृत) (अपने विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत) **बनाम** विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (14.2.85)	—	—	—
22.	जे० आर० वोहरा **बनाम** मैसर्स इंडिया एक्सपोर्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (14.2.85)	—	—	—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों (प्रकाशनीय और अप्रकाशनीय) के महत्वपूर्ण मुद्दे*

22 दिसम्बर, 1984 को समाप्त सप्ताह :

क्र० सं० अन्तर्वस्तु — मद

1. प्रशासनिक विधि :

महाराष्ट्र वेकेंट लैंड्स (प्रोहिबिशन ऑफ अनअथोराइज्ड आकुपेशन एण्ड समरी इविक्शन) ऐक्ट, 1975—सक्षम प्राधिकारी को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान—कोई मार्गदर्शन उपबंध न किया जाना—विधिमान्यता । 373

अधिनियम में न्यूनताएं—क्या इन्हें नियम बनाकर दूर किया जा सकता है । 374

2. सिविल सेवा :

पेंशन—क्या यह सरकार द्वारा संदत्त भेंट है—क्या सम्पत्ति है—शास्तिक ब्याज—क्या पेंशन के विलम्बित संदाय के लिए शास्तिक ब्याज दिया जाए—आवश्यक दस्तावेज देने में आपराधिक चूक द्वारा की गई हानि की कोषाधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति । 375

प्राइवेट प्रबन्ध-मण्डल के प्रबन्ध में सहायता प्राप्त स्कूल—सहायतार्थ अनुदान के रूप में खर्च का 95% प्राप्त करना—करार के अनुसार अध्यापक की सेवाओं का तात्पर्यित रूप से पर्यसकान—क्या पर्यवसन आदेश के खिलाफ रिट फाइल किया जा सकता है । 376

सहायता प्राप्त स्कूल में काम करने वाला अध्यापक—उस पर आरोप-पत्र तामील—आरोप-पत्र वापस लिया जाना—सेवा संविदा के अनुसार सेवा समाप्त—क्या सेवा का पर्यवसान न्यायोचित है । 377

---

*उच्चतम न्यायालय की अनुज्ञा से प्रकाशित ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3. संविधान, 1950 :

अनुच्छेद 19(1)(क)—समाचार-पत्र—क्या समाचार-पत्र कराधान से उन्मुक्ति का दावा कर सकते हैं। 378

अनुच्छेद 19(1)(क)—न्यूजप्रिंट पर सीमा-शुल्क उद्ग्रहण—उद्ग्रहण के लिए सुसंगत बातें क्या हैं। 379

अनुच्छेद 12—एक सहायता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध-समिति द्वारा अध्यापक पदच्युत किया जाना—स्कूल का सरकार से 95% अनुदान प्राप्त करना—राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा शासित होना—नियुक्ति और पदच्युति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना—क्या वह अनुच्छेद 12 के अर्थ में "अन्य प्राधिकारी" है—क्या पदच्युति को अभिखण्डित करने के लिए रिट जारी किया जा सकता है ? 380

अनुच्छेद 19(1)(क) और (ग)—विधि द्वारा यह उपबंध कि किसी कार्यवाही में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व केवल मान्यताप्राप्त संघ करेगा—क्या यह अनुच्छेद 19(1)(क) और (ग) के अधीन अमान्य संघ के सदस्यों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। 381

4. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 :

धारा 9—वास्तविक किराया मानक किराए से कम—रेट मूल्य—अवधारण। 382

अपने अधिभोगाधीन परिसर—रेट मूल्य—अवधारण ? 383

5. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 :

धारा 16(1)(ख)—समापन कार्यवाहियों में एक कपड़ा मिल का क्रय—नई पूंजी का विनिधान—कारखाने का नवीकरण—नई अनुज्ञप्ति लेने के बाद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रम सं०	अन्तर्वस्तु	मद
	काम फिर से शुरू—क्या वह "नव-स्थापित कारखाना" है जो अधिनियम के अधीन तीन वर्ष की छूट के लिए हकदार है।	384
6.	**आय-कर अधिनियम, 1961 :**	
	धारा 139(4) और (8)—आय-कर विवरणी फाइल करने में विलम्ब—ब्याज प्रभारित—समय के बाद विवरणी फाइल करने के कारण धारा 27(1)(क) के अधीन ब्याज प्रभारित—क्या ब्याज प्रभार से यह पता चलता है कि आय-कर अधिकारी का समाधान हो गया था कि विवरणी फाइल करने में विलब के लिए पर्याप्त कारण था।	385
7.	**निर्वचन :**	
	कानून द्वारा न्यूजप्रिन्ट पर कर—वैधता के अवधारण की कसौटी—क्या सामान्य कर कानूनों की वैधता अवधारित करने के लिए वही कसौटियां हो सकती हैं।	386
	कराधान—समाचार प्रतिष्ठानों पर कर उद्ग्रहण करने की शक्ति की मान्यता—क्या इससे प्रैस की स्वतन्त्रता को दबाया जा सकता है।	387
8.	**महाराष्ट्र वेकेंट लैंड्स (प्रोहिबिशन आफ अनअथोराइज्ड आकुपेशन एण्ड समरी इविक्शन) ऐक्ट, 1975 :**	
	सांविधानिकता।	388
9.	**महाराष्ट्र रिकोग्निशन आफ ट्रेड यूनियन्स एण्ड प्रिवेंशन आफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज ऐक्ट, 1971 :**	
	धारा 20(2) (ख)—क्या इससे मान्यताप्राप्त संघ और अमान्य संघ के सदस्यों में विभेद होता है।	389
	धारा 20(2)(ख)—व्याप्ति—औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कर्मकारों	

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रम सं०	अन्तर्वस्तु	मद
	का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस धारा में मान्यताप्राप्त संघ को ही अन्ततः अधिकार प्रदान—क्या यह धारा अमान्य संघ के सदस्यों को मान्यताप्राप्त संघ का सदस्य बनने के लिए बाध्य करती है—क्या यह धारा अमान्य संघ के सदस्यों के संघ बनाने के अधिकारों का उल्लंघन करती है।	390
	मान्यताप्राप्त संघ द्वारा कर्मकारों को संदेय सकल बकाया का 15% लेने के लिए नियोजक के साथ करार—अमान्य संघ का समझौते का पक्षकार न होना —क्या ऐसा संग्रहण अनिवार्य वसूली के समान है, जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948 के अधीन अनुज्ञात नहीं है।	391
10.	**किराया नियन्त्रण :**	
	दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958— धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14(2)—व्याप्ति।	392

निर्णय-सूची

1.	डा० बलबीर सिंह **बनाम** नई दिल्ली नगरपालिका	382, 383
2.	आय-कर आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश **बनाम** चन्द्रशेखर	385
3.	इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स (मुम्बई) **बनाम** भारत संघ	378,379, 386,387
4.	जगन्नाथ **बनाम** राम किशन दास	392
5.	मनमोहन सिंह जेतला **बनाम** आयुक्त, चण्डीगढ़	376, 377, 389
6.	सैयाजी मिल्स लिमिटेड **बनाम** प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त	384
7.	केरल राज्य **बनाम** पद्मनाभ नायर	375
8.	महाराष्ट्र राज्य **बनाम** कमल सुकुमार दुर्गले	373,374, 380, 388

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

9. कर्मकार संघ, मुम्बई **बनाम** बामर लारी 381, 389, 390, 391

प्रशासनिक विधि :

373. महाराष्ट्र वेकेंट लैंड्स (प्रोहिविशन ऑफ अनअथोराइज्ड आकुपेशन एण्ड समरी इविक्शन) ऐक्ट, 1975—सक्षम प्राधिकारी को व्यापक विवेकाधिकार—मार्गदर्शक सिद्धांतों का अभाव—विधिमान्यता ?

अभिनिर्धारित—अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को उस भूमि का चुनाव करने की स्वतन्त्रता है, जिस पर अप्राधिकृत संरचनाएं हैं और उन्हें खाली भूमि के रूप में घोषित करने और अन्य समान रूप से स्थित भूमि को अछूता छोड़ने की स्वतन्त्रता है। किसी भूमि को खाली भूमि घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध रक्षोपाय उपबंधित नहीं किया गया है। इसमें वह प्रक्रिया नहीं दी गई है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भूमि को खाली भूमि घोषित करने से पहले अपनाई जानी चाहिए। ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई हो।

महाराष्ट्र राज्य बनाम **कमल सुकुमार दुर्गले** : सिविल अपील सं० 386/80 जिसका विनिश्चय 28-11-1984 को किया गया।

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्या० फजल अली, तुलजापुरकर, चिन्नप्पा रेड्डी और वरदराजन।

374. अधिनियम में न्यूनताएं—क्या नियम बनाकर इन्हें दूर किया जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—किसी अधिनियम की असांविधानिकता अधिनियम पारित किए जाने के साढ़े तीन वर्ष बाद नियम बनाकर दूर नहीं की जा सकती। किन्तु फिर भी नियमों में सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोई मार्गदर्शन अधिकथित नहीं किया गया। सम्पूर्ण अधिनियम में उन्मुक्त विवेकाधिकार प्रदत्त किया गया है।

(मद सं० 373 देखिए)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिविल सेवा :

375. पेंशन—क्या यह सरकार द्वारा संदत्त भेंट है—क्या यह सम्पत्ति है—क्या पेंशन का देर से संदाय करने के कारण शास्तिक व्याज दिया जाना चाहिए—कोषाधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज देने में आपराधिक चूक द्वारा उठाई गई हानि की क्षतिपूर्ति ?

अभिनिर्धारित—सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन और उपदान अब भेंट नहीं रहा है। ये उनके हाथों में सम्पत्ति हैं। उनके निर्धारण और संवितरण में आपराधिक विलम्ब करने से वास्तविक संदाय करने तक वर्तमान बाजार दर पर व्याज देने की शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। सम्बन्धित प्राधिकारी को सेवानिवृत्ति से काफी पहले सरकारी सेवक से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करनी चाहिए, जिससे कि सभी देयों का संदाय सेवानिवृत्ति की तारीख को किया जा सके और अगला मास समाप्त होने तक पेंशन दी जा सके। इन रकमों पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्तिक व्याज का दायित्व सेवानिवृत्ति की तारीख से दो मास बीतने पर देय हो जाता है। प्रस्तुत मामले में कोषाधिकारी को, जिसने अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब किया था, अपनी आपराधिक चूक द्वारा सरकार को हुई हानि की क्षति पूर्ति करने का निदेश दिया जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई से सरकारी पदाधिकारियों में सरकार के प्रति कर्तव्य-भावना और जनसाधारण के सदस्यों के प्रति जवाबदेही की भावना उत्पन्न होगी।

केरल राज्य बनाम **पद्मनाभ नायर :** विशेष इजाजत पिटीशन सं० 9425/84 जिसका विनिश्चय 17-12-1984 को किया गया।

न्या० तुलजापुरकर और बालकृष्ण एराडी।

376. प्राइवेट प्रबन्ध-मण्डल के प्रबन्ध में सहायता प्राप्त स्कूल—सहायतार्थ अनुदान के रूप में 95% खर्च मिलना—अध्यापक की सेवाएं तात्पर्यित रूप से करार के अनुसार समाप्त—पर्यवसान आदेश—क्या पर्यवसान आदेश के विरुद्ध रिट पिटीशन फाइल किया जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—अजय हसिया वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय से यह स्थिर हो चुका है कि जहां राज्य की वित्तीय सहायता इतनी है कि किसी निकाय का प्रायः सम्पूर्ण खर्च (उदाहरणार्थ सरकारी खजाने से सहायताप्राप्त अनुदान के रूप में 95% खर्च प्राप्त करने वाले सहायता प्राप्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्कूल) पूरा हो जाता है वहां यह संकेत मिलता है कि उस निकाय से शासकीय कृत्य करने अपेक्षित हैं। दूसरे, गहन और व्यापक सरकारी नियन्त्रण की विद्यमानता से यह भी संकेत मिल सकता है कि वह निकाय राजकीय अभिकरण या परिकरण है और यदि उस निकाय के कर्मचारियों को सुसंगत शिक्षा अधिनियम के अधीन कानूनी संरक्षण प्राप्त हैं और वे शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन हैं तो उस निकाय पर उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता लागू होगी।

मनमोहन सिंह जेतला बनाम आयुक्त, चण्डीगढ़ : सिविल अपील सं० 2137/84 जिसका विनिश्चय 19-12-1984 को किया गया।

न्या० देसाई और खालिद।

377. सहायता प्राप्त स्कूल में अध्यापक—उसे आरोप-पत्र दिया जाना—आरोप-पत्र वापस लिया जाना—सेवा संविदा के अनुसार सेवा समाप्ति—क्या सेवा समाप्ति न्यायोचित है।

अभिनिर्धारित—यदि कोई करार कानून के आज्ञापक उपबंधों का अल्पीकरण करता है तो ऐसे करार को जो संरक्षण की अपेक्षा रखने वाले वर्ग के लिए कल्याणकारी कानूनी उपबंधों के अनुरूप नहीं है, प्रभावी रूप नहीं दिया जा सकता। यह तथ्य कि प्रबंध समिति ने पहले तो अध्यापक को आरोप-पत्र दे दिया और बाद में उसे वापिस ले लिया और फिर करार के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं, इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि वह आदेश दण्डात्मक स्वरूप का था और करार का सहारा लेकर शक्ति का आभासी प्रयोग किया गया था। शिक्षा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यह बाध्यताकारी है कि सहायता प्राप्त स्कूल के किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने से पहले अनुशासनिक जांच की जाए। किंतु इस उपबंध से बचने के लिए करार का सहारा लेकर सेवा समाप्त कर दी गई। इसमें असद्भाव की गंध आती है।

(मद संख्या 376 देखिए)।

संविधान 1950 :

378. अनुच्छेद 19(1)(क)—क्या समाचार-पत्र कराधान से उन्मुक्ति का दावा कर सकते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—संविधान में अभिव्यक्त शब्दों में समाचार-पत्रों को कराधानों से छूट प्रत्याभूत नहीं की गई है। समाचार-पत्र प्रकाशित करने का कारबार करने वाले व्यक्तियों पर कर उद्ग्रहण की शक्ति को मान्यता देनी होगी क्योंकि यह शासन की संकल्पना में ही अंतर्निहित है। सरकार और समाचार-पत्रों की सहायता के लिए कर उद्गृहीत करने होंगे क्योंकि समाचार-पत्रों को दूरभाष, दूरमुद्रक, सड़क, रेल, डाक सेवाएं आदि के प्रयोग जैसी प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें अधिकांश वित्त पोषण लोक खजाने से किया जाता है। इसलिए वे खजाने में एक उचित और युक्तियुक्त रकम का अंशदान करने के अपने दायित्व से मुकर नहीं सकते। समाचार-पत्र प्रकाशित करने के कारबार वाले व्यक्तियों पर भी कर उद्ग्रहण की शक्ति को मान्यता देनी होगी क्योंकि यह शासन की संकल्पना में ही अंतर्निहित है। किन्तु ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यायालयों द्वारा संवीक्षा करने के अधीन रहना चाहिए।

इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स, बाम्बे बनाम **भारत संघ** : रिट पिटीशन सं० 2656 आदि/84 जिसका विनिश्चय 6-12-84 को किया गया।

न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी, ए० पी० सेन और वेंकटरामय्या।

379. अनुच्छेद 19(1)(क)—समाचार-पत्रों पर सीमा शुल्क उद्ग्रहण—उद्ग्रहण के लिए सुसंगत बातें क्या हैं?

अभिनिर्धारित—समाचार-पत्र उद्योग द्वारा प्रयुक्त कागज पर सीमा शुल्क उद्ग्रहण वहां तक अनुज्ञेय है जहां तक समाचार-पत्रों के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु इस आधार पर शुल्क उद्ग्रहण स्पष्टतः अननुज्ञेय है कि आम तौर पर समाचार-पत्रों में अनर्गल बातें होती हैं, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो सांविधानिक सीमाओं से बाहर है। सरकार समाचार-पत्रों के मुद्रित होने से पहले ही उसकी प्रकृति और अन्तर्वस्तु का मूल्यांकन करके शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। इस प्रकार का निर्बंधन लगाना वस्तुतः सरकार को समाचार-पत्र पर प्री-सैंसर लगाने की शक्ति प्रदान करना है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 सीमा शुल्क उद्ग्रहण से छूट देने के लिए सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। छूट दी जाए या नहीं, इसके लिए सरकार को सभी सुसंगत बातों पर विचार करना चाहिए।

(मद संख्या 378 देखिए)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

380. अनुच्छेद 12—एक सहायताप्राप्त स्कूल के प्रबन्ध-मंडल द्वारा अध्यापक पदच्युत किया जाना—स्कूल का सरकार से 95% अनुदान प्राप्त करना—राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा शासित होना—नियुक्ति और पदच्युति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना—क्या वह अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'अन्य प्राधिकारी' है—क्या पदच्युति अभिखण्डित करते हुए रिट जारी किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित—जहां राज्य का गहन और विस्तृत नियंत्रण हो वहां यह संकेत मिल सकता है कि वह निकाय राज्य का एक परिकरण है। दूसरे, यद्यपि एक सहायता प्राप्त स्कूल का अध्यापक उस स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है फिर भी उसकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्ट की जाती है। स्कूल के कर्मचारी की पदच्युति आदि का कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होता जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाए। प्रस्तुत मामले में, पदच्युति का आक्षेपित आदेश उपायुक्त का आदेश था और आयुक्त द्वारा अनुमोदित था। ये दोनों प्राधिकारी सुसंगत शिक्षा अधिनियम के अधीन काम करने वाले कानूनी प्राधिकारी हैं जो उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन हैं। चूंकि ये दोनों न्यायिककल्प अधिकारी हैं इसलिए वे अनुच्छेद 227 में 'अधिकरण' के अर्थ के अन्तर्गत आते हैं।

मनमोहन सिंह जैतला बनाम **आयुक्त, चण्डीगढ़** : रिट पिटीशन सं० 2137/84 जिसका विनिश्चय 19-12-84 को किया गया।

न्यायाधिपति देसाई और ख़ालिद।

381. अनुच्छेद 19(1)(क) और (ग)—विधि द्वारा यह उपबंध किया जाना की मान्यताप्राप्त संघ ही किसी कार्यवाही में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व कर सकता है—क्या इससे अनुच्छेद 19(1)(क) और (ग) के अन्तर्गत अमान्य संघ के सदस्यों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है।

(मद संख्या 17 देखिए)।

(प्रश्न की सांविधानिकता का सूक्ष्म विवेचन अन्तिम रूप से अनिर्णीत छोड़ दिया गया क्योंकि पक्षकार मामले के गुणागुण पर राजी हो गये थे)

कर्मकार संघ बनाम **बामर लारी** : सिविल अपील सं० 3527/84 जिसका विनिश्चय 21-12-84 को किया गया।

न्यायाधिपति देसाई और खालिद।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 :

382. धारा 9—वास्तविक किराया मानक किराये से कम प्राप्त किया जाना—रेट मूल्य कैसे अवधारित किया जाए ।

अभिनिर्धारित—किसी भवन का रेट मूल्य मानक किराये के मापदण्ड से अधिक नहीं हो सकता चाहे वह किराया अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियंत्रक द्वारा तय किया जाए या किराया अधिनियम में अधिकथित सिद्धांतों को लागू करके कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निकाला जाए । किसी मामले-विशेष में यह विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानक किराये से भी कम हो सकता है । कसौटी यह नहीं है कि मानक किराया क्या है बल्कि यह है कि वह किराया क्या है जिसकी मकान-मालिक काल्पनिक किरायेदार से प्राप्त करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा कर सकता है । ऐसी युक्तियुक्त प्रत्याशा किसी भी दशा मे उस भवन के मानक किराये से अधिक नहीं हो सकती । वह मानक किराया किराया अधिनियम में दिये गये सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जायेगा ।

डा० बलबीर सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका : रिट पिटीशन सं० 483 आदि/82 जिसका विनिश्चय 12-12-1984 को किया गया ।

न्यायाधिपति पी० एन० भगवती, आर० एस० पाठक और अमरेन्द्र नाथ सेन ।

383. स्वाधिभोगाधीन परिसर—रेट मूल्य—अवधारण ?

अभिनिर्धारित—निर्धारण प्राधिकारी को स्वाधिभोगाधीन निवासीय या अनिवासीय परिसर का रेट मूल्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 6 में वर्णित सिद्धांतों पर अवधारणीय मानक किराया नियत करके तय करना होगा । ऐसी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी को वह किराया अवधारित करना चाहिए जो मकान-मालिक उसे काल्पनिक किराएदार को किराए पर उठाने की दशा में मिलने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा कर सकता है । ऐसे अवधारण के प्रयोजन के लिए उसे परिसर के आकार, उसकी स्थिति, उसमें मुहय्या की गई सुविधाएं आदि बातों को ध्यान में रखना होगा । उसे वह किराया भी ध्यान में रखना होगा जो पूर्वतर निर्मित और उसी या आसपास के परिक्षेत्र में स्थित वैसे ही परिसर का स्वामी काल्पनिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किराएदार से पाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा कर सकता है। अनेक कारणों से कुछ विषमता होनी अनिवार्य है किन्तु उसमें बहुत अधिक अन्तर की नहीं होना चाहिए। (न्यायालय ने सुझाव दिया कि 20% स्वाधिभोग छूट जो 1980 से पहले अनुज्ञात की गई थी किन्तु बाद में बन्द कर दी गई थी, अनुज्ञात कर दी जानी चाहिए और यह कहा कि स्वाधिभोगाधीन निवासीय परिसर सम्पत्ति कर निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए किराए पर उठाए गए परिसर की अपेक्षा अधिक अनुकूल आधार पर मानी जानी चाहिए)।

(मद सं० 382 देखिए)।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 :

384. धारा 16(1)(ख)—समापन कार्यवाहियों में कपड़ा मिल का क्रय—नई पूंजी का विनिधान—कारखाने का नवीकरण—नई अनुज्ञप्ति लेने के बाद काम फिर से शुरू—क्या वह नव-स्थापित कारखाना है जो अधिनियम के अधीन तीन वर्ष की छूट के लिए हकदार है?

अभिनिर्धारित—इस धारणा के अधीन छूट कारखाना स्थापित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक उपलब्ध होती है। इसमें उस तारीख का कोई उल्लेख नहीं, जिसको नियोजन ने उस कारखाने का हक प्राप्त किया हो। कारखाने में काम बन्द होना उदाहरणार्थ छुट्टियां, हड़ताल, तालाबन्दी, कामबंदी, कच्चे माल का अभाव और यहां तक कि न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप व्यवधान छूट की नई अवधि देने के कारण नहीं हो सकते। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के परिसमापन आदेश के फलस्वरूप काम बन्द हुआ था। यह तथ्य कि नए नियोजक ने उत्पादों को अलग-अलग कर दिया और अतिरिक्त पूंजी का विनिधान किया है, नए कारखाने के स्थापन के समान नहीं है, जो कि धारा के अधीन छूट के लिए हकदार हो।

सैयाजी मिल्स लिमिटेड बनाम **प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त :** सिविल अपील सं० 2139/70 जिसका विनिश्चय 21-12-1984 को किया गया।

न्या० वेंकटरामय्या और आर० बी० मिश्र।

आय-कर अधिनियम :

385. धारा 139(4) और (8)—आय-कर विवरणी फाइल करने में **विलम्ब—समय के बाद विवरणी फाइल करने के कारण**

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 27(1)(क) के अधीन ब्याज प्रभारित—क्या ब्याज का प्रभार यह संकेत करता है कि आय-कर अधिकारी का समाधान हो गया था कि विवरणी फाइल करने में विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण था ?

अभिनिर्धारित—-जब आय-कर अधिकारी विवरणी फाइल करने की तारीख बढ़ा देता है तो वह ऐसा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार करके प्रयोग का करता है। ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारिती को उपलभ्य अतिरिक्त समय उसी स्वरूप और प्रभाव का होता है, जैसे संसद द्वारा अधिनियमित कानून में दी गई विनिर्दिष्ट अवधि। विवरणी फाइल करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञात समय उसका अभिन्न अंग है। ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त अवधि धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "अनुज्ञात समय" पद के अन्तर्गत आती है। ऐसी स्थिति में शास्तिक उपबंध बिल्कुल भी लागू नहीं होता।

आय-कर आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश वनाम **चन्द्र शेखर** : सिविल अपील सं० 1299/73 जिसका विनिश्चय 4-12-1984 को किया गया।

न्या० तुलजापुरकर और पाठक।

निर्वचन :

386. कानून द्वारा न्यूजप्रिंट (अखबारी कागज) पर कर—वैधता अवधारित करने की कसौटी—क्या साधारण कराधान कानूनों की वैधता अवधारित करने की कसौटी भी वही हो सकती है ?

अभिनिर्धारित—-वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को उन सबका उदारतापूर्वक समर्थन मिलना चाहिए जो प्रशासन में जनता को भागीदार बनाने में विश्वास रखते हैं। इसी कारण सरकार का दृष्टिकोण उस समय अधिक सतर्कतापूर्ण होना चाहिए, जबकि वे अन्य विषयों पर कर उद्ग्रहण करने के बजाए समाचार-पत्र उद्योग से संबंधित विषयों पर कर उद्ग्रहण कर रहे हों। अखबारी कागज पर कर लगाने वाले कानून की वैधता अवधारित करने की कसौटी उन कसौटियों से भिन्न होगी जो अन्य कराधान कानून की वैधता को परखने के लिए प्रायः अपनाई जाती है। साधारण कराधान कानून की वैधता को प्रश्नगत किया जा सकता है यदि उद्ग्रहीत कर अधिहरणात्मक है या अधिहरण करने की आभासी युक्ति है किन्तु अखबारी कागज पर कर की दशा में एक सुभिन्न और ध्यान देने योग्य बोझ जो स्पष्टतः और प्रत्यक्षतः कर के कारण को दर्शित करना पर्याप्त हो सकता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इण्डियन एक्प्रैसस न्यूजपेपर्स (मुम्बई) बनाम **भारत संघ** : रिट पिटीशन सं० 2656 और अन्य/84 जिसका विनिश्चय 6-12-84 को किया गया।

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी, ए० पी० सेन और वेंकटरामय्या।

387. कराधान—समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों पर कर उद्ग्रहण करने की शक्ति की मान्यता—क्या वह प्रेस-स्वातंत्र्य का गला घोट देगी ?

अभिनिर्धारित—मात्र इसलिए कि सरकार को कर उद्ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेस-स्वातंत्र्य छीन लिया जाएगा। प्रेस को वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य प्राप्त है तथा किसी वृत्ति, व्यापार या उपजीविका में लगने की स्वतंत्रता है। जबकि पूर्ववर्ती अधिकार पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, पश्चात्कथित पर कर उद्ग्रहणीय है। किन्तु जब अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के क्षेत्र में अतिक्रमण कर जाता है और उस स्वतंत्रता को दबा देता है तो वह असांविधानिक हो जाता है। जब तक यह न्यायालय है, समाचार-पत्र के लोगों को इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनकी स्वतन्त्रता असांविधानिक साधनों से छीन ली जाएगी।

(मद सं० 386 देखिए)।

महाराष्ट्र वेकेंट लैंड्स (प्रोहिबिशन आफ अनअथोराइज्ड ओकुपेशन एण्ड समरी इविक्शन ऐक्ट, 1975 :

388. सांविधानिक विधिमान्यता ?

अभिनिर्धारित—यद्यपि अधिनियम पारित करने में विधानमण्डल का उद्देश्य संदिग्ध रूप से प्रशंसनीय है, फिर भी विधानमण्डल अधिनियम के उद्देश्य से बाहर चला गया है। अधिनियम मुख्यतः इसलिए असांविधानिक हो जाता है क्योंकि वह विभेदात्मक है। अधिनियम आपातकाल में पारित किया गया था और आपात प्रतिसंहरण के बाद उसमें संशोधन किया जाना चाहिए या नया विधान बनाया जाना चाहिए जिससे कि संविधान के उपबन्धों का अनुपालन हो जाता किन्तु यह अधिनियम अनुच्छेद 31(2) के उपबन्धों का अतिवर्तन नहीं करता। यह खाली भूमि पर कब्जे का अधिकार राज्य, उसके अभिकर्ताओं या उसके परिकरणों को अन्तरित नहीं करता।

महाराष्ट्र राज्य बनाम **कमल सुकुमार दुर्गुले** : सिविल अपील सं० 386/80 जिसका विनिश्चय 28-11-1984 को किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्या० फजल अली, तुलजापुरकर, चिनप्पा रेड्डी और वरदराजन ।

महाराष्ट्र रेकग्निशन आफ ट्रेड यूनियन्स एण्ड प्रिवेन्शन आफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज ऐक्ट, 1971 :

389. धारा 20(2)(ख)—क्या यह धारा मान्यताप्राप्त संघ और अमान्य संघ के सदस्यों में विभेद करती है ?

अभिनिर्धारित—मान्यताप्राप्त संघ और अमान्य संघ के सदस्यों का समान व्यवहार धारा 20(2)(ख) में विवक्षित है । जब कोई प्रतिनिधि संघ धारा 20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करता है, तो वह इस ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य है जिससे कि उसके सदस्यों और अन्य कर्मकारों के बीच, जो उसके सदस्य नहीं हैं, विभेद न हो । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन वाली कार्यवाही में किया गया समझौता, जिसमें प्रतिनिधि संघ हाजिर हुआ है, उपक्रम के सभी कर्मकारों पर आबद्धकर है । मान्यताप्राप्त संघ या नियोजक अपने सदस्यों और दूसरे लोगों में विभेद नहीं कर सकता, जो उनके सदस्य नहीं हैं ।

कर्मकार संघ, मुम्बई बनाम **बामर लारी एण्ड कम्पनी** : सिविल अपील सं० 3527/84 जिसका विनिश्चय 21-12-1984 को किया गया ।

न्या० देसाई और खालिद ।

390. धारा 20(2)(ख)—व्याप्ति—इस धारा के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने का अनन्य अधिकार मान्यताप्राप्त संघ को दिया जाना—क्या इस प्रकार यह धारा मान्यताप्राप्त संघ के सदस्यों को मान्यताप्राप्त संघ में शामिल होने के लिए विवश करती है—क्या यह धारा संघ बनाने के लिए अमान्य संघ के सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करती है ?

अभिनिर्धारित—किसी संघ को मान्यता प्रदान करना, जो विधि की पूर्व शर्तों की पूर्ति करती है और ऐसी मान्यता किसी दूसरे संघ को न देना क्योंकि वह विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती, कोई संगठन बनाने के अधिकार से अन्य संघ को वंचित नहीं करती । संगठन बनाने और उसकी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मान्यता एकदम भिन्न बातें हैं। संगठन बनाने के अधिकार में मान्यता विवक्षित नहीं है और न ही मान्यता न देने से अमान्य संघ की प्रास्थिति घटिया हो जाती है। अमान्य संघ को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे नियोजक से मुलाकात करना और कर्मकारों की व्यथाओं पर बातचीत करना आदि। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-क के फलस्वरूप एक व्यष्टिक कर्मकार, जिसका अपने नियोजक से विवाद है, अलाभप्रद स्थिति में नहीं होगा, यदि कोई मान्यताप्राप्त संघ उसके पक्षकथन की पैरवी नहीं करता है।

(देखिए मद सं० 389)।

391. कर्मकारों को संदेय सकल बकाया का 15% संगृहीत करने के लिए मान्यताप्राप्त संघ का नियोजक से सहमत होना—अमान्य संघ का समझौते का पक्षकार न होना—क्या संग्रहण अनिवार्य रूप से धन लेने के समान है जोकि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948 के अधीन अनुज्ञात नहीं है ?

अभिनिर्धारित—चूंकि सदस्य और गैर-सदस्य दोनों समझौते के अनुसार समान व्यवहार के लिए हकदार हैं, इसलिए दोनों संघों के सदस्य संघ के कार्यकलापों के फायदे के भाग का त्याग करने के लिए कहे जा सकते हैं। ऐसी कटौती न तो अनिवार्य रूप से धन लेना कही जा सकती है और न ही कर कही जा सकती हैं, चूंकि यह कटौती सम्मति से है और एक समझौते का भाग है, इसलिए यह न तो अनुचित होगी और न ही अननुज्ञेय या अवैध।

(मद सं० 389 देखिए)।

किराया नियंत्रण :

392. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958—धारा 14(2) सपठित धारा 15(1)—व्याप्ति।

जगन्नाथ बनाम **राम किशन दास** : सिविल अपील सं० 653/79 जिसका विनिश्चय 12-12-1984 को किया गया।

मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़ और न्या० पाठक।

———

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

19 जनवरी, 1985 को समाप्त सप्ताह :

क्र० सं० अन्तर्वस्तु मद

1. **प्रशासनिक विधि :**

अधिवर्षिता की आयु घटाना—नव-निर्वाचित राज्य सरकार द्वारा कार्य ग्रहण करने के तुरन्त बाद विनिश्चय—क्या इसे मनमाना और अयुक्तियुक्त माना जा सकता है। 1

—असद्भाव—क्या अध्यादेश प्रख्यापित करने में राज्य सरकार को असद्भाव कहा जा सकता है। 2

—युक्तियुक्तता—क्या अधिवर्षिता की आयु घटाना अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है। 3

2. **बिहार स्टेट मैनेजमैंट आफ एस्टेट्स एण्ड टेन्योर्स ऐक्ट, 1949 :**

धारा 31—सम्पदा के एक भाग का प्रबन्ध सरकार द्वारा ग्रहण—उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को असांविधानिक घोषित—सम्पदा स्वामित्व वापस—क्या सरकार अतिचार के लिए स्वामी को नुकसानी देने के लिए दायी होगी। 4

3. **सिविल सेवा :**

राज्य सरकार के सेवकों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष—क्या सरकार की कार्रवाई मनमानी कही जा सकती है। 5

—सेवानिवृत्ति की आयु संबंधी नियम—क्या यह सरकारी सेवक को उसके आजीविका के अधिकार से वंचित करता है। 6

—सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष नियत—क्या यह अनुच्छेद 311(2) के उल्लंघन में है—क्या यह सेवा से हटाए जाने के समान है। 7

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रम सं०	अन्तर्वस्तु	मद
4.	**संविधान, 1950 :**	
	अनुच्छेद 136—व्याप्ति—उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कब किया जा सकता है।	8
	अनुच्छेद 164(4) और 173(क)—व्याप्ति—ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाना जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है—क्या इससे अनुच्छेद 164(4) के सांविधानिक उपबंध का उल्लंघन होता है।	9
	अनुच्छेद 213—अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति—प्रकृति—क्या इसे बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण अवैध घोषित किया जा सकता है।	10
	अनुच्छेद 309—परन्तुक—क्या सरकारी सेवकों को प्रसुविधा प्रदान करने वाला नियम भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा सकता है।	11
5.	**ठका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 :**	
	धारा 10—पब्लिक सेक्टर उपक्रम में ठेकेदार द्वारा "ठेका श्रमिक" लगाए जाने—कर्मकारों का यह दावा कि उनके द्वारा किया गया काम वही है जो उपक्रम में नियोजित कर्मकार करते हैं—ठेका श्रमिकों को अपेक्षाकृत कम मजदूरी—क्या न्यायालय ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा कर सकता है।	12
6.	**साक्ष्य :**	
	पारिस्थितिक साक्ष्य—पारिस्थितिक साक्ष्य पर निष्कर्षों को आधारित करने के लिए किन अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए।	13
7.	**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 :**	
	अवचार—प्रमाणित स्थायी आदेश में परिभाषित न किया जाना—क्या नियोजक अवचार के संबंध में भूतलक्षी रूप से अवधारण किए जाने पर कर्मकार को दण्डित कर सकता है।	14

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रम सं० अन्तर्वस्तु मद

8. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 :**

पब्लिक उपक्रम में ठेकेदारों द्वारा "ठेका श्रमिक" लगाए जाने—कर्मकारों का दावा कि उनके द्वारा किया गया काम वही है जो उपक्रम के कर्मकारों द्वारा किया जाता है—ठेका श्रमिकों को उपक्रम के कर्मकारों से कम मजदूरी मिलना—क्या यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के उल्लंघन में है। 15

9. **भागीदारी अधिनियम :**

दो व्यक्तियों की भागीदारी—उसमें से एक व्यक्ति द्वारा अनुचित रूप से सारा काम दूसरे पर छोड़ना—लाभ का हिस्सा मांगना—क्या वह लाभ के हिस्से में हकदार है। 16

10. **वृत्तिक कालेज—प्रवेश :**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश—10+2+2 पाठ्यक्रमों के छात्रों को संबंधित वर्ष के लिए "ब्रिज कोर्स"—लेकिन 10+2+3 वाले छात्रों से "ब्रिज कोर्स" करने की अपेक्षा न किया जाना—क्या यह नियम मनमाना है? 17

11. **किराया नियंत्रण :**

बोम्बे रैंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947—धारा 15(2)—व्याप्ति। 18

निर्णय-सूची

1. बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार **बनाम** भारत संघ 12, 15
2. गट्टूलाल **बनाम** गुलाब सिंह 16
3. हरशरण वर्मा **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य 9
4. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ **बनाम** जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 17

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. के० नागराज **बनाम** आन्ध्र प्रदेश राज्य 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11

6. रमेश चन्द **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य 8, 13

7. श्री रसिक लाल वाघजीभाई पटेल **बनाम** अहमदाबाद नगर निगम 14

8. बिहार राज्य **बनाम** विष्णु चन्द लाल चौधरी 4

प्रशासनिक विधि :

1. अधिवर्षिता की आयु कम की जानी—नवनिर्वाचित राज्य सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद विनिश्चय—क्या इसे मनमाना और अयुक्तियुक्त माना जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—किसी भी अधिकारिता में विनिश्चय की युक्तियुक्तता उस विनिश्चय के किए जाने में लिए गए समय पर निर्भर नहीं करती। तत्परतापूर्वक किया गया विनिश्चय उसे मनमाना और अयुक्तियुक्त इसलिए नहीं बना देता है कि वह तत्परतापूर्वक किया गया है। कोई विधि इस कारण दोषपूर्ण नहीं कही जा सकती कि वह नवनिर्वाचित सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद पारित की गई थी। अधिवर्षिता की आयु घटाई जाए या नहीं, कोई पूर्वोदाहरणविहीन या अभिनव प्रश्न नहीं था क्योंकि सरकार के समक्ष इस विषय पर पहले से ही बहुत-सी सामग्री थी।

नागराज के० बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य : रिट पिटीशन सं० 1073, 1983 जिसका विनिश्चय 18-1-1985 को किया गया।

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्या० पाठक और सव्यसाची मुखर्जी।

2. असद्भाव—क्या अध्यादेश प्रख्यापित करने में राज्यपाल का असद्भाव कहा जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—असद्भाव सिद्ध करने का बोझ एक भारी बोझ होता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है, इसलिए असद्भाव का तर्क निराधार है। विधानमण्डल पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि उसने बाह्य प्रयोजनों के लिए विधि पारित की है। यदि यह मान लिया जाए कि कार्यपालिका का विधान पारित करने में अंतस्थ हेतु था तो भी वह हेतु उस विधि का पारित करना असद्भावपूर्ण नहीं बना सकता। विधान के क्षेत्र में इस प्रकार का अन्तस्थ विद्वेष अज्ञात है।

(मद सं० 1 देखिए)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3. युक्तियुक्तता—अधिवर्षिता की आयु घटना—क्या इसे अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—किसी विनिश्चय की युक्तियुक्तता परखने के लिए कोई निश्चित या नियत मुद्दा नहीं है। कोई प्रशासक या विधायक युक्तियुक्तता की सांविधानिक आज्ञा का उल्लंघन किए बिना व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में कार्य कर सकता है। ऐसा कोई अनम्य नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता कि 58 वर्ष सेवानिवृत्ति की युक्तियुक्त आयु है न कि 55 वर्ष। यदि सरकार या विधानमण्डल द्वारा अपनाई नई नीति के बारे में यह दर्शित कर दिया जाए कि यह नियोजन आयोजन के मान्य सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है तो यह कहा जा सकता है कि वह नीति तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका प्राप्तव्य उद्देश्य से युक्तियुक्त संबंध नहीं होगा किन्तु प्रस्तुत मामले में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी जिससे यह जाहिर होता है कि नवयुवकों के लिए नियोजन के नए अवसर उत्पन्न करना सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने से संबंधित नीति का अभिन्न अंग है। चूंकि वह नीति इस विचारणा से प्रेरित और प्रभावित थी, इसलिए इसे मनमाना और अतार्किक नहीं कहा जा सकता।

(देखिए मद सं० 1)।

बिहार स्टेट मैनेजमेंट आफ एस्टेट्स एण्ड टेंन्योर्स ऐक्ट, 1949 :

4. धारा 31—सम्पदा के एक भाग का प्रबन्ध सरकार द्वारा ग्रहण—अधिनियम को असांविधानिक घोषित—सम्पदा मालिक को वापस—क्या सरकार अतिचार के लिए स्वामी को नुकसानी देने के लिए दायी होगी ?

अभिनिर्धारित—अधिनियम की धारा 31 राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या घोर उपेक्षा से उत्पन्न हानि या दुरुपयोग के सिवाए सद्भाविक रूप से की गई किसी बात के लिए राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को उन्मुक्तता प्रदान करती है। बिहार और उड़ीसा साधारण खण्ड अधिनियम, 1917 की धारा 4(22) के अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई समझी जाएगी जहां वह ईमानदारी से की गई हो, चाहे वह उपेक्षापूर्वक की गई हो या नहीं। प्रस्तुत मामले में, भूल स्वयं प्रत्यर्थी के कारण की गई प्रतीत होती है चूंकि सरकार या उसके अधिकारियों की ओर से जानबूझकर किए गए किसी व्यतिक्रम या घोर उपेक्षा का कोई सबूत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं है अथवा कानूनी शक्ति का विमर्शित दुरुपयोग या शक्ति का जबरदस्ती हड़पना नहीं है, जिसके बारे में प्राधिकारी यह जानते थे कि वह शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं है, इसलिए धारा 31 अभिकथित उपेक्षा या लोप पर आधारित किसी दावे के विरुद्ध अच्छी प्रतिरक्षा प्रदान करती है।

बिहार राज्य बनाम **विष्णु चन्द लाल चौधरी** : सिविल अपील सं० 2296' 70 जिसका विनिश्चय 8-1-1985 को किया गया।

न्या० वेंकटरामय्या और आर० बी० मिश्र।

सिविल सेवा :

5. राज्य सरकार के सेवकों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष की जानी—क्या सरकार की कार्रवाई मनमानी कही जा सकती है?

अभिनिर्धारित—कर्मचारियों की यह दलील कि चूंकि अधिवर्षिता की आयु एकल वेतन आयोग की सिफारिश पर 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी, इसलिए इसे घटाकर 55 वर्ष करना अयुक्तियुक्त है, अमान्य है। इसके विपरीत राज्य सरकार ने यह दलील ठीक ही दी कि अधिवर्षिता की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार का विनिश्चय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित नहीं था क्योंकि वेतन आयोग को सौंपे गए काम में अधिवर्षिता की आयु बढ़ाने के प्रश्न से सम्बन्धित कोई निबंधन नहीं था। आयोग ने इस प्रश्न का निर्देश ग्रहण कर लिया था और इसीलिए उसकी सिफारिश पर विचार नहीं किया जा सकता।

नागराज के० बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य : रिट पिटीशन सं० 1073/84 जिनका विनिश्चय 18-1-1985 को किया गया।

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्या० पाठक और सव्यसाची मुखर्जी।

6. सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बन्धित नियम—क्या यह सरकारी सेवक को उसके आजीविका के अधिकार से वंचित करता है?

अभिनिर्धारित—सेवानिवृत्ति के नियम किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित नहीं करते। वे केवल कुछ निश्चित वर्षों तक पद धारण करने के उसके अधिकार को सीमित करते हैं। यदि सेवानिवृत्ति के नियम के बारे में यह समझा जा सकता है कि वह किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करता है तो सेवानिवृत्ति के लिए कोई आयु

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबन्धित करना अनुज्ञात नहीं होगा। ऐसा करना लोकहित के प्रतिकूल होगा।

(मद सं० 5 देखिए)।

7. सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष नियत—क्या यह अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन करती है—क्या यह सेवा से हटाए जाने के समान है?

अभिनिर्धारित—यह प्रश्न अब अनिर्णीत नहीं है। बी० एन० मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1965) 1 एस० सी० आर० 693] में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जब सरकारी सेवक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके तो उसकी सेवा समाप्ति अनुच्छेद 311(2) के अर्थ में सेवा से हटाए जाने के समान नहीं होगी।

(मद सं० 5 देखिए)।

संविधान, 1950 :

8. अनुच्छेद 136—व्याप्ति—उच्चतम न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन—कब किया जा सकता है?

अभिनिर्धारित—यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की शक्ति बहुत व्यापक है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए निर्बन्धन अपने आप अधिरोपित किए गए हैं। सामान्यतः यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता किन्तु जब किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि न्यायालय को विधि की दृष्टि से औचित्यहीन दिखाई पड़ती है तो यदि आवश्यक हो, तो साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए और दोषसिद्धि उलटने का निदेश देने के लिए इस न्यायालय के मार्ग में कोई अड़चन नहीं है।

रमेश चन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य : दाण्डिक अपील सं० 575/76 जिसका विनिश्चय 17-1-1985 को किया गया।
न्या० तुलजापुरकर, रंगनाथ मिश्र और खालिद।

9. अनुच्छेद 164(4) और 173(क)—व्याप्ति—ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाना जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है—क्या यह अनुच्छेद 164(4) के अधीन सांविधानिक उपबन्धों का उल्लंघन है?

अभिनिर्धारित—संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार किसी राज्य के मन्त्री के लिए यह अपेक्षित है कि संविधान की तृतीय अनुसूची में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विहित प्ररूप में अपने पद पर प्रवेश करने से पहले संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले और भारत की संप्रभुता और अखण्डता को कायम रखने के लिए वचनबंध करे। 16वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 173(क) के संशोधन के बाद विधिक स्थिति में कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं किया गया है। पिटीशनर के इस भय का कोई ठोस आधार नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है और भारत की संप्रभुता और अखण्डता को कायम रखने के लिए इच्छुक नहीं है, विधानमण्डल का सदस्य हुए बिना मन्त्री होने का अवसर प्राप्त करेगा।

हर शरण वर्मा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य :** रिट पिटीशन सं० 17135/84 जिसका विनिश्चय 10-1-1985 को किया गया।

न्या० वेंकटरामय्या और मदान।

10. अनुच्छेद 213—अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति —प्रकृति—क्या इसे बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण अवैध घोषित किया जा सकता है?

अभिनिर्धारित—अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालक शक्ति नहीं है बल्कि विधान बनाने की कार्यपालिका की शक्ति। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति राज्य विधानमण्डल की विधियां बनाने की शक्ति की भांति अपने क्षेत्र में परिपूर्ण है। इस शक्ति की भी सीमाएं वही हैं जो राज्य विधानमण्डल की विधायी शक्ति की सीमाएं हैं। कार्यपालक कृत्य बुद्धि का प्रयोग न करने के आधार पर अवैध घोषित किया जा सकता है किन्तु विधानमण्डल का कृत्य नहीं।

नागराज के० बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य :** रिट पिटीशन सं० 1073/83 जिसका विनिश्चय 18-1-1985 को किया गया।

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़ और न्या० सव्यसाची मुखर्जी।

11. अनुच्छेद 309—परन्तुक—सरकारी सेवकों को प्रसुविधा प्रदान करने वाला नियम—क्या भूतलक्षी रूप से संशोधित किया जा सकता है?

अभिनिर्धारित—यह सुस्थिर है कि सेवा नियम इस प्रकार संशोधित नहीं किए जा सकते जैसे वे अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन किए जा सकते हैं। इन नियमों को संशोधित करने की शक्ति के साथ-साथ उन्हें भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति भी है! अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विधायी स्वरूप की शक्ति है और इसे साधारण नियम बनाने की शक्ति से सुभिन्न करना होगा। विधान बनाने की शक्ति संविधान द्वारा सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत परिपूर्ण प्रकृति की होती है और भूतलक्षी रूप से विधियां बनाने की शक्ति भी इसके अन्तर्गत है। अत: अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल नियमों में किया गया संशोधन नियम बनाने की शक्ति का विधिमान्य प्रयोग है।

(मद सं० 10 देखिए)।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 :

12. धारा 10—एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम में ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को लगाया जाना—कर्मकारों का यह दावा कि उनके द्वारा किया गया काम भी वही है जो उपक्रम द्वारा नियोजित कर्मकार करते हैं—फिर भी ठेका श्रमिकों को कम मजदूरी मिलना क्या न्यायालय ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा कर सकता है?

अभिनिर्धारित—संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन में यह न्यायालय इस बात की छानबीन नहीं कर सकता कि पिटीशनरों के अभिकथन सही हैं या नहीं और उन्हें उपक्रम के सीधे रखे गए कर्मचारियों के रूप में माना जाए या नहीं। फिर भी अनुतोष प्राप्त करने के लिए सुसंगत कानूनों के अधीन अन्य न्याय मंच सुलभ हैं। यह न्यायालय रिट द्वारा राज्य या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा ठेका श्रमिकों का नियोजन समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना विधायी कार्य करना होगा जोकि संविधान द्वारा इस न्यायालय को नहीं सौंपा गया है। (केन्द्रीय सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए निदेश दिए गए कि क्या ठेका श्रमिकों का नियोजन बी० एच० ई० एल० की किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य कार्य में अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं। मुख्य श्रम आयुक्त को यह जांच करने का निदेश दिया जाता है कि क्या ठेका श्रमिकों द्वारा किया गया काम वैसा ही है, जैसा बी० एच० ई० एल० द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हैं)।

बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार बनाम भारत संघ : रिट पिटीशन सं० 7982/83 जिसका विनिश्चय 18-1-85 को किया गया।

न्या० ओ० चिन्नपप्पा रेड्डी और खालिद।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साक्ष्य :

13. पारिस्थितिक साक्ष्य—पारिस्थितिक साक्ष्य पर निष्कर्षों को आधारित करने के लिए अपेक्षाएं ?

अभिनिर्धारित—यह सुस्थिर है कि पारिस्थितिक साक्ष्य की दिशा में परिस्थितियों की शृंखला पूर्ण होनी चाहिए ओर उनसे अभियुक्त की दोषिता का स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए। वे इतनी पूर्ण हों कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि केवल अभियुक्त ही हमलावर हो सकता है। प्रस्तुत मामले में एक टैक्सी चालक, अपीलार्थी पर यात्री की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने दो साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करते थे किन्तु पारिस्थितिक साक्ष्य पर दोषसिद्धि का अनुमोदन कर दिया। मामले के तथ्य के आधार पर वे परिस्थितियां, जिन पर उच्च न्यायालय ने निर्भर किया था, ऐसी नहीं थीं कि यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाला जा सके कि अभियुक्त हमलावर था।

रमेश चन्द बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** : दाण्डिक अपील सं० 575/76 जिसका विनिश्चय 17-1-1985 को किया गया।

न्या० तुलजापुरकर, रंगनाथ मिश्र और खालिद।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 :

14. अवचार—प्रमाणित स्थायी आदेश में अवचार की परिभाषा न दी जानी—क्या नियोजक अवचार के भूतलक्षी रूप से किए गए अवधारण के आधार पर कर्मकार को दण्डित कर सकता है ?

अभिनिर्धारित—यह सुस्थिर है कि जब तक स्थायी आदेशों में या सेवा विनियमों में कोई कार्य या लोप अवचार के रूप में विहित न किया गया हो तब तक नियोजक किसी आचरण को अवचार नहीं कह सकता और कर्मकार को दण्ड नहीं दे सकता जबकि वह अधिकथित अवचार अवचार की प्रगणित मदों में से किसी में भी न आता हो। प्रस्तुत मामले में, यद्यपि नियोजन की प्रार्थना करते समय तात्विक तथ्य दबाना अवचार के कार्य के रूप में प्रगणित नहीं किया गया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अपने आप में अवचार है, जिस पर पदच्युति की जा सकती है।

रसिकलाल वाघजीभाई पटेल बनाम **अहमदाबाद नगर निगम** : विशेष इजाजत पिटीशन सं० 5523/84 जिसका विनिश्चय 14-1-85 को किया गया।

न्या० देसाई और रंगनाथ मिश्र।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 :

15. पब्लिक सेक्टर उपक्रम में ठेकेदारों द्वारा "ठेका श्रमिकों" को लगाना—कर्मकारों का यह दावा कि उनके द्वारा किया गया काम भी वैसा ही है जैसा उपक्रम के अन्य कर्मकार करते हैं—उपक्रम के कर्मकारों की अपेक्षा ठेकेदारों के श्रमिकों को कम मजदूरी मिलना—क्या यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का उल्लंघन है ?

अभिनिर्धारित—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियम, 1971 के नियम 25 (ii)(ख) के अधीन मजदूरी दर, छुट्टियां, कार्य घंटे और सेवा-शर्तें अवधारित करते समय मुख्य श्रम आयुक्त को कर्मकारों की मजदूरी नियत करने का काम सौंपा गया है। मजदूरी दर और अन्य सेवा शर्तें अवधारित करते समय मुख्य श्रम आयुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे नियोजन के कर्मकारों की सेवा-शर्तों को ध्यान में रखे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ठेका श्रमिकों के संबंध में वैसे ही लागू होता है जैसे उस स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों के बारे में। (श्रम आयुक्त को इस प्रश्न पर छानबीन करने का निदेश दिया गया कि क्या ठेका श्रमिकों द्वारा किया गया काम वैसा ही है, जैसा प्रधान नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकार करते हैं तथा ठेका श्रमिकों की मजदूरी नियत की जाए)।

(मद सं० 12 देखिए)।

भागीदारी अधिनियम :

16. दो व्यक्तियों की भागीदारी—एक व्यक्ति द्वारा सारा काम दूसरे पर छोड़ना—लाभांशों का दावा करना—क्या वह लाभांशों के लिए हकदार है ?

अभिनिर्धारित—जहां दो व्यक्तियों ने भागीदार बनने का करार किया हो और एक ने सारा काम दूसरे पर अनुचित रूप से छोड़ दिया हो और फिर लाभ होने पर वह आगे आए और लाभ के हिस्से का दावा करे तो वादी का आचरण इस टिप्पणी के लायक है कि यदि लाभ के बजाए उस संयुक्त समुत्थान में हानि होती तो वह सामने नहीं आता और न्यायालय ऐसे लोगों की सहायता नहीं करेगा जो इस आशा में चुपचाप बैठे दर्शित किये जा सकें कि वे अन्ततोगत्वा सफल होने की दशा में लाभ के हिस्से का दावा करेंगे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गट्टु लाल बनाम **गुलाब सिंह** : सिविल अपील सं० 499/71 जिसका विनिश्चय 18-1-1985 को किया गया। (अप्रकाशनीय)

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र।

प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी अपने एक पूर्ववर्ती भागीदार के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के लाभ का अपना हिस्सा वसूल करने के लिए वाद फाइल करने के लिए साहसिक था। उसने भागीदारी संविदा के अपने निवंधन का पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती भागीदारों में से एक के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए वाद में प्रत्यर्थी के पिता के आचरण को पूर्णत: अनदेखा कर दिया।

वृत्तिक कालेज—प्रवेश :

17. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश—10+2+2 के पाठ्यक्रम के छात्रों को एक वर्ष का "ब्रिज कोर्स" आवश्यक—10+2+3 वाले छात्रों से "ब्रिज कोर्स" करने की अपेक्षा न करना—क्या यह नियम मनमाना है ?

अभिनिर्धारित—विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति किसी भी तरह मनमानी नहीं है बल्कि इसका पूर्णत: तर्कसंगत आधार है क्योंकि यह शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर और कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है। इस नीति के लिए सुतर्क और पर्याप्त औचित्य है। यह न्यायालय शिक्षा के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता और शिक्षा नीति संबंधी विषयों में कोई बचकाना हस्तक्षेप करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ बनाम **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय** : रिट पिटीशन सं० 12805/84 जिसका विनिश्चय 18-1-85 को किया गया। (अप्रकाशनीय)

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र।

किराया नियंत्रण :

18. बाम्बे रैंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947—धारा 15(2)—व्याप्ति ?

अभिनिर्धारित—अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन जिस रूप में यह मूलतः समझी जाती थी, किराएदार द्वारा भवन को उप-किराए पर देना बेदखली का आधार था। 1959 में उपधारा (1) भूतलक्षी रूप से संशोधित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की गई और उप-किराए पर देने पर प्रतिषेध तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अधीन बना दिया गया। साथ ही उपधारा (2) जोड़ कर सब प्रकार की उप-किराएदारी से निषेध हटा लिया गया। यह भी उपबंध किया गया कि ऐसा कोई उप-पट्टा विधिमान्य होगा बशर्ते कि उपपट्टा संशोधन के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व कब्जे में ले लिया गया हो और ऐसी तारीख को कब्जाधीन हो। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उपधारा (2) उप-किराएदारी से संबंधित है जो कि मकान-मालिक और किराएदार में संविदा द्वारा अनुज्ञात नहीं है। मामले के तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की उप-किराएदारी 21 मई, 1959 से सृष्ट पहले की गई थी और उस तारीख से पहले उस परिसर पर उसका कब्जा था और उस तारीख से बराबर उसका कब्जा रहा। इस प्रकार, उप-किराएदारी धारा 15(2) की परिधि के अन्तर्गत आती है।

सरदार तोता सिंह बनाम **गोल्ड फील्ड लैदर वर्क्स, मुम्बई** : सिविल अपील सं० 682/81 जिसका विनिश्चय 15-1-1985 को किया गया। न्या० पाठक, वेंकटरामय्या और बालकृष्ण एराडी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

25 जनवरी, 1985 को समाप्त सप्ताह :

क्र० सं०	अन्तर्वस्तु	मद
1.	**सिविल सेवा :**	
	विहित अवधि के एक वर्ष बाद परिवीक्षाधीन सेवा की समाप्ति—परिवीक्षा बढ़ाने के नियमों का न होना—क्या इसमें परिवीक्षाकाल बढ़ाने की शक्ति का न होना विवक्षित है—प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होना और विभागीय परीक्षा पास करना—क्या पुष्टि के समान है—क्या परिवीक्षाकाल में जांच के बिना सेवा-समाप्ति से अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन होता है।	19
2.	**साक्ष्य :**	
	क्या हस्तलेख विशेषज्ञ की राय वैज्ञानिक कही जा सकती है।	20
	मृत्युकालिक कथन—क्या संपुष्टि सभी मामलों में आवश्यक है।	21
	अभिरक्षाधीन व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार—क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के पास प्रायः सबूत का साक्ष्य न रहना—विधि के पुनर्विवेचन की आवश्यकता।	22
3.	**जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट :**	
	पिटीशनर का कुछ समय तक अभिरक्षा में रहना—शपथ-पत्र में पिटीशनरों को गिरफ्तार किया गया स्वीकार करना—दो मास बाद निरोधादेश प्रतिसंहृत—निरोध का नया आदेश—क्या निरोध विधिमान्य है।	23
	पुलिस द्वारा प्रस्तुत डोजियर से निरोध आधारों का उल्लेख—क्या यह मस्तिष्क का प्रयोग न करने के समान है जिससे निरोध आदेश अविधिमान्य हो गया है।	24

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रम सं०	अन्तर्वस्तु	मद
4.	**असद्भाव :**	
	असद्भाव का अभिकथन—निचले न्यायालयों का एक समान निष्कर्ष—असद्भाव का अभाव—क्या उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।	25
5.	**नैसर्गिक न्याय :**	
	अभिकथित रूप से एक अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारी की पिछली सेवाओं का समपहरण—समपहरण से पूर्व सूचना जारी न की जानी—क्या उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।	26
6.	**पद्धति :**	
	अन्तर्वलित प्रश्न छोटा-सा और अभिलेख का बढ़ता विस्तार—ऐसे सभी मामलों में न्यायालय का कर्तव्य।	27
7.	**दण्ड संहिता :**	
	धारा 300—हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध-अन्तर।	28
8.	**पेप्सू टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1955 :**	
	धारा 7, 7-क और ख—व्याप्ति—धारा 8—क्या यह धारा 7 के उपबन्धों के अधीन है।	29

निर्णय-सूची

1.	अवतार सिंह **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	23
2.	भरतू **बनाम** रणधीर सिंह	29
3.	धनजीभाई रामजीभाई **बनाम** गुजरात राज्य	19, 25
4.	जय सिंह **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	24
5.	सत्यपाल गोपाल दास **बनाम** श्रीमती पंचुबाला दासी	20
6.	शिव शंकर **बनाम** भारत संघ	26
7.	उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** राम सागर यादव	21, 22, 27, 28

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिविल सेवा :

19. विहित काल के एक वर्ष बाद परिवीक्षाधीन सेवाओं की समाप्ति—परिवीक्षा बढ़ाने के लिए नियमों का न होना—क्या इसमें परिवीक्षाकाल बढ़ाने की शक्ति का न होना विवक्षित है—प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना और विभागीय परीक्षाओं में पास होना—क्या पुष्टि के समान है--परिवीक्षाकाल में जांच के बिना सेवाओं की समाप्ति—क्या इससे अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन होता है ?

अभिनिर्धारित—नियमों में विहित परिवीक्षाकाल अधिकतम अवधि दर्शित नहीं करता। उसमें केवल आरम्भिक अवधि दी गई है जिसमें अधिकारी को परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जा सकता है। परिवीक्षाकाल बढ़ाने के नियमों से नियोजक का परिवीक्षाकाल बढ़ाने की शक्ति को नहीं नकारा जा सकता। ऐसे मामलों में न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या उस संदर्भ में, जिसमें शक्ति दी गई थी, शक्ति का प्रयोग निष्पक्षता से, युक्तियुक्त रूप से किया गया है या नहीं। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा पास करने से कर्मचारी को पुष्टि का अधिकार नहीं मिल जाता है, पुष्टि स्थायी रूप से खपाए जाने के लिए सरकारी सेवक की सम्पूर्ण उपयुक्तता पर पुष्टि करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया जाना विवक्षित है। जो व्यक्ति आरम्भिक परिवीक्षाकाल के बाद बने रहने दिया जाता है, उसे पुष्टि का अधिकार नहीं मिल जाता है और यदि सेवाओं की समाप्ति के आदेश में कोई कलंक नहीं लगाया गया है तो अनुच्छेद 311(2) लागू नहीं होगा।

धनजीभाई रामजीभाई बनाम **गुजरात राज्य** : सिविल अपील सं० 2480/77 जिसका विनिश्चय 22-1-1985 को किया गया।

न्या० पाठक, वेंकटरामय्या और एराडी।

साक्ष्य :

20. हस्तलेख विशेषज्ञ की राय—क्या वैज्ञानिक कही जा सकती है ?

अभिनिर्धारित—हस्तलेखन मिलान का अभी तक कोई निश्चित विज्ञान नहीं है। ऐसा व्यक्ति, जिसने अभी हस्ताक्षर करने सीखे हैं और कुछ समय से हस्ताक्षर नहीं किए हैं और कुछ समय बाद हस्ताक्षर करना चाहता है, जैसे 4 या 5 वर्ष बाद तो उसके लेखन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सत्यपाल गोपाल दास बनाम **श्रीमती पंचुबाला दासी** : सिविल अपील सं० 852/71 जिसका विनिश्चय 18-1-85 को किया गया।
न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और खालिद।

21. मृत्युकालिक कथन--क्या संपुष्टि सभी मामलों में आवश्यक है ?

अभिनिर्धारित—प्रज्ञा का एक भी नियम नहीं है जो विधि के इस नियम में लागू होता हो कि मृत्युकालिक कथन पर संपुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। न्यायालय का प्रथम कार्य यह देखना है कि क्या मृत्युकालिक कथन सही है या नहीं। यदि सही है तो संपुष्टि का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। न्यायालय मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि की तभी अपेक्षा कर सकता है जब मृत्युकालिक कथन के आसपास की परिस्थितियां ऐसी हैं जो स्पष्ट या आश्वस्त करने वाली नहीं हैं। प्रस्तुत मामले में मृतक को दो सिपाही पुलिस थाने पैदल ले गए थे और उसके दो घण्टे बाद वह अत्यन्त घायल अवस्था में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले जाया गया था। उसने मजिस्ट्रेट को बताया कि अभिरक्षा में उसे पुलिस ने कितनी बुरी तरह पीटा है। किसी के द्वारा उसे सताए जाने की कोई संभावना नहीं थी। सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखने से इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि मृत्युकालिक कथन हर प्रकार से सही था और उस पर सुरक्षित रूप से कार्रवाई की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **राम सागर यादव** : दाण्डिक अपील सं० 69/75 जिसका विनिश्चय 22-1-1985 को किया गया।
मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़ और न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन।

22. पुलिस द्वारा अभिरक्षाधीन व्यक्तियों पर अत्याचार—क्षतिग्रस्तों के पास प्रायः सबूतों का साक्ष्य न छोड़ना—विधि के पुनर्विवेचन की आवश्यकता ?

अभिनिर्धारित--ऐसे मामलों में, जिनमें पुलिस के सिपाही द्वारा अपनी अभिरक्षाधीन व्यक्ति को अभिरक्षा में रहते हुए क्षतियां की गई हैं, क्षतिग्रस्त व्यक्ति कोई समाधानप्रद साक्ष्य नहीं दे सकता, जिसका तात्पर्य यह है कि उन व्यक्तियों के पास यह सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं रहता है कि अपराध किसने किया। ऐसे मामलों में सबूत के भार से संबंधित विधि का विधानमण्डल को पुनर्विवेचन करना चाहिए जिससे कि विधि और व्यवस्था के रक्षक निर्दोष नागरिकों को सताने के लिए, जो संरक्षण के लिए उन पर निर्भर करते हैं, अपने प्राधिकार और अवसर का उपयोग न करें।

(मद सं० 21 देखिए)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट :

23. पिटीशनर का कुछ समय तक अभिरक्षा में रहना—शपथ-पत्र में यह स्वीकार किया जाना कि पिटीशनर गिरफ्तार किए गए थे—दो मास बाद निरोधादेश प्रतिसंहृत—निरोध का नया आदेश—क्या ऐसा निरोध विधिमान्य है ?

अभिनिर्धारित—निरोध के आधारों को पढ़ने से पता चलता है कि निरोध प्राधिकारी को यह ज्ञात नहीं था कि बन्दी कुछ महीने पहले से ही निरोध में हैं। इससे यह भी पता नहीं चलता कि निरोध प्राधिकारी ने इस प्रश्न पर विचार किया था या नहीं कि आगे निरोध आवश्यक है या नहीं। इन मुद्दों पर स्पष्ट स्थिति न होने की दशा में निरोध प्राधिकारी ने निरोध आदेश मनोवियोग के बिना यांत्रिक ढंग से किया था।

जय सिंह बनाम **जम्मू कश्मीर राज्य** : रिट पिटीशन (दाण्डिक) सं० 1581/84 जिसका विनिश्चय 24-1-1985 को किया गया।
न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र।

24. पुलिस द्वारा प्रस्तुत डोजियर से निरोध के आधारों का हवाला—क्या यह मस्तिष्क का प्रयोग न करने के समान है, जिसके कारण निरोध का आदेश अविधिमान्य हो गया है ?

अभिनिर्धारित—निरोध के आधारों में पुलिस डोजियर की अन्तर्वस्तु के उद्धरण शब्द के लिए एक शब्द था। मस्तिष्क का प्रयोग न करने का इससे बड़ा सबूत पाना कठिन है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट को यह मालूम था कि पिटीशनर पहले से ही अभिरक्षा में है और यह कि उसने इस प्रश्न पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था कि निरोध आदेश आवश्यक है या नहीं। निरोधादेश अभिखण्डित किया गया।

जय सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** : रिट पिटीशन (दाण्डिक) सं० 1571-77/84 जिसका विनिश्चय 24-1-1985 को किया गया।
न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र।

असद्भाव :

25. असदभाव का अभिकथन—निचले न्यायालयों के एकसमान निष्कर्ष—असद्भाव का अभाव—क्या उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करेगा ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—जहां निचले न्यायालयों ने तथ्य संबंधी निष्कर्ष निकाले हों, वहां यह न्यायालय उन निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए बहुत सुदृढ़ कारण न हों।

धनजीभाई रामजीभाई बनाम **गुजरात राज्य** : सिविल अपील सं० 2480/77 जिसका विनिश्चय 22-1-1985 को किया गया।

न्या० पाठक, वेंकटरामय्या और एराडी।

नैसर्गिक न्याय :

26. कर्मचारी की पिछली सेवाओं का इस कारण समपहरण कि उसने अभिकथित रूप से अवैध हड़ताल में भाग लिया है—समपहरण से पहले सूचना न दी जानी—क्या उसे अवसर दिया जाना चाहिए था ?

अभिनिर्धारित—पिछली सेवाओं के समपहरण का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता। समपहरण का आदेश स्वीकृत रूप से पिटीशनर को कोई सूचना दिए बिना और अभिकथन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। आदेश अभिखण्डित किया गया।

शिव शंकर बनाम **भारत संघ** : रिट पिटीशन सं० 13705/84 जिसका विनिश्चय 23-1-1985 को किया गया।

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र।

पद्धति :

27. अन्तर्वलित मुद्दा छोटा-सा किन्तु अभिलेख बहुत भारी—ऐसे मामलों में न्यायालय का कर्तव्य ?

अभिनिर्धारित—जहां किसी मामले का अभिलेख उस मामले में अन्तर्वलित छोटे-से मुद्दे को देखते हुए बहुत भारी है, वहां न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक है कि उसके केन्द्र बिन्दु को ढूंढ़े और उस साक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करे जो उस मुद्दे से संबंधित है। छोटी-छोटी बातों से असली प्रश्न को स्पष्ट नहीं होने देती और साक्ष्य में छोटे-छोटे अन्तर्विरोधों के कारण न्यायतुला को एक ओर नहीं झुकने दिया जा सकता है। न्यायाधीश जितना निरर्थक विस्तार में जाता है, उतना ही उस साक्ष्य से भटकने की संभावना रहती है, जो विवाद्यक से सीधा संबंध रखता है। प्रस्तुत मामले में उच्च

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय ने मामले के प्रमुख तत्वों को भुला दिया या अनदेखा कर दिया और साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय रोमांचकारी विवेचन कर डाला।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **राम सागर यादव :** दाण्डिक अपील सं० 69/75 जिसका विनिश्चय 22-1-1985 को किया गया।

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़ और न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन।

दण्ड संहिता :

28. धारा 300--हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव-वध--अंतर ?

अभिनिर्धारित—हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध में जो अंतर होता है, प्रायः उसे अनदेखा कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अपराधियों के पक्ष में जरूरत से ज्यादा छूट मिल जाती है। दण्ड संहिता की धारा 300 में वर्णित पांच अपवादों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाए आपराधिक मानव-वध हत्या है यदि वह कार्य, जिसके द्वारा हत्या कारित की जाए, हत्या कारित करने के आशय से की जाती है अथवा वह कार्य धारा 300 के तीन खण्डों में से किसी के अन्तर्गत आता है, अर्थात् **दूसरे, तीसरे** और **चौथे**। इस मामले में मृतक को हुई क्षतियां धारा 300 के खण्ड **दूसरे** के अन्तर्गत आएंगीं क्योंकि वह कार्य, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित की गई है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की गई थी जो प्रत्यर्थी जानते थे कि उनसे उसकी मृत्यु कारित होनी संभाव्य है।

(मद सं० 21, 22, 27 देखिए)।

पेप्सू टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1955 :

29. धारा 7, 7-क और 8—व्याप्ति—क्या धारा 8 धारा 7 के उपबंधों के अधीन है ?

अभिनिर्धारित—धारा 7-क और 8 की स्कीम पर दृष्टिपात करने का उचित तरीका यह अभिनिर्धारित करना है कि जबकि धारा 7 में वे आधार दिए गए हैं, जिन पर कोई अभिधृति समाप्त की जा सकती है, धारा 7-क अतिरिक्त आधारों का उपबंध करती है, जिन पर पेप्सू टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स (सेकेंड अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1956 के आरम्भ के समय अस्तित्वयुक्त अभिधृतियां समाप्त की जा सकती हैं और धारा 8 धारा 7 में वर्णित आधारों के अतिरिक्त पेप्सू टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स (सेकेंड अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारम्भ के बाद आरम्भ होने वाली अभिधृति के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर्यवसान के लिए उपबंध करती है। इसीलिए धारा 7 में ये शब्द प्रयुक्त किए गए हैं "कोई अभिधृति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या के सिवाय या निम्नलिखित आधारों में से किसी के सिवाए समाप्त नहीं की जाएगी" यानी अभिधृति या तो धारा 7 में वर्णित आधारों पर समाप्त की जा सकती है या अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समाप्त की जा सकती है।

भरतू बनाम **रणधीर सिंह** : सिविल अपील सं० 803/71 जिसका विनिश्चय 22-1-1985 को किया गया।

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र।

————

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

9 फरवरी, 1985 को समाप्त सप्ताह :

क्र० सं०	अन्तर्वस्तु	मद
1.	**प्रशासनिक विधि :**	
	कानूनी प्राधिकारी—कानूनी कर्तव्य का पालन करने में विलम्ब—क्या यह विधि के दुरुपयोग के समान है—क्या उस प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी किया जा सकता है।	30
2.	**दण्ड प्रक्रिया संहिता :**	
	धारा 125—पत्नी और अवयस्क पुत्री द्वारा परित्याग के आधारों पर भरण-पोषण का दावा—पति का अभिकथन कि विवाह विधिमान्य रूप से सम्पन्न नहीं हुआ—मामला मजिस्ट्रेट को वापस भेजा गया।	31
3.	**विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 :**	
	धारा 3(1)—हशीश की तस्करी—अधिनियम के अधीन निरोध—क्या इसका अधिनियम द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य से सम्बन्ध है।	32
4.	**भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 :**	
	धारा 46—धारा 46 द्वारा किन्हीं विनियमों के अनुसार विद्युत बोर्ड द्वारा टैरिफ करना अनुध्यात—विनियम न बनाए जाने—टैरिफ नियत किया जाना—क्या मनमाना और दोषपूर्ण है।	33
5.	**कानूनों का निर्वचन :**	
	परन्तुक—निर्वचन में परन्तुक की भूमिका।	34
	—स्पष्टीकरण—निर्वचन में इसकी भूमिका।	35
	—धारा 46 द्वारा किन्हीं नियमों के अनुसार विद्युत् टैरिफ नियत करने के लिए उपबंध—अधिनियम के	

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्रम सं०	अन्तर्वस्तु	मद
	अधीन कोई विनियम न बनाए जाने—टैरिफ नियत किया जाना—क्या यह शक्ति के मनमाने प्रयोग के समान है।	36
6.	**मोटर यान अधिनियम, 1939 :**	
	अध्याय 4 और 4-क—धारा 68-ग और 68-घ—राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कुछ मार्गों पर अपनी मंजिली गाड़ी के अनन्य प्रचालन के प्रारूप स्कीम जारी—9 वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा कोई विनिश्चय न किया जाना—अधिक परिवहन सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता—प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी परमिट जारी—क्या वे अपास्त किए जाने के दायित्वाधीन हैं।	37
7.	**पद्धति और प्रक्रिया :**	
	न्यायालय और वकील की भूमिका—उन्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए गहरी रुचि लेनी चाहिए।	38
	विद्युत बोर्ड द्वारा अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत—अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से 6 वर्ष तक अतिरिक्त प्रभार प्रभारित—अतिरिक्त उद्ग्रहण को 6 वर्ष बाद आक्षेपित किया जाना—क्या अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन में अनुतोष दिया जा सकता है।	39
8.	**राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 :**	
	धारा 43—वाणिज्यिक बैंक द्वारा भूमि के बंधक पर किसानों को धन उधार—उधार धन की वसूली—क्या सिविल न्यायालय को अधिकारिता है।	40
9.	**किराया नियंत्रण :**	
	तमिलनाडु बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रैंट कंट्रोल) ऐक्ट, 1960—धारा 10(2)(i)—परन्तुक और स्पष्टीकरण—व्याप्ति—जानबूझकर व्यतिक्रम—क्या होता है।	41

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्णय-सूची

1. बैंक ऑफ बड़ौदा **बनाम** मोती भाई 40
2. सुमित्रा देवी **बनाम** भीकन चौधरी 31,38
3. सुन्दरम् पिल्लै **बनाम** पट्टाभिराम 34, 35, 41
4. तुषार गोविन्दजी शाह **बनाम** भारत संघ 32
5. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ **बनाम** नगर बोर्ड, मसूरी 33, 36, 39
6. योगेश्वर जायसवाल **बनाम** राज्य परिवहन अपील अधिकरण 30, 37

प्राशासनिक विधि :

30. कानूनी प्राधिकारी—कानूनी कर्तव्य पालन में विलंब—क्या यह विधि के दुरुपयोग के समान है—क्या उस प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी किया जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—कानूनी कर्तव्य पालन में विलम्ब विधि के दुरुपयोग के समान है और न्यायालय को इसका उपचार करना होगा, विशेषकर जब लोकहित प्रभावित हो। यदि राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने में अयुक्तियुक्त रूप से लम्बा और अनुचित विलम्ब हो तो न्यायालय उपयुक्त रिट जारी कर सकता है।

योगेश्वर जायसवाल बनाम **राज्य परिवहन अपील अधिकरण** : सिविल अपील सं० 53/82 जिसका विनिश्चय 31-1-1985 को किया गया ।

न्या० वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता :

31. धारा 125—पत्नी और अवयस्क पुत्री द्वारा परित्याग के आधार पर भरण-पोषण का दावा—पति द्वारा अभिकथन कि विवाह विधिमान्य रूप से सम्पन्न नहीं हुआ था—मामला मंजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया गया ।

अभिनिर्धारित—(मामला विवाह की विधिमान्यता अभिनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय के पास वापस भेजा गया) यद्यपि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार कर लिया था कि पक्षकार पति-पत्नी हैं और उनके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विवाह-संबंध से बच्चा उत्पन्न हुआ था, फिर भी उन्होंने यह अभिनिश्चित नहीं किया कि विवाह हिन्दू पारम्परिक अनुष्ठापन के अनुसार या रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न विधिमान्य विवाह था या नहीं। पक्षकार दस वर्ष तक पति-पत्नी के रूप में रहे और लोक अभिलेखों से पता चलता है कि वे पति-पत्नी थे। अपीलार्थी के मामले पर विचार करते समय इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए था।

सुमित्रा देवी बनाम **भीकन चौधरी** : दाण्डिक अपील सं० 471/84 जिसका विनिश्चय 28-1-1985 को किया गया। (अप्रकाशनीय) (मद सं० 38 भी देखिए)।
न्या० भगवती और रंगनाथ मिश्र।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 :

32. धारा 3(1)—हशीश की तस्करी—अधिनियम के अधीन निरोध—क्या इस निरोध द्वारा अधिनियम द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य से संबंध है ?

अभिनिर्धारित—तस्करी और विदेशी मुद्रा के प्रश्न हशीश की तस्करी के अधिनियम में बहुत अधिक अंतर्ग्रस्त होते हैं। हशीश की तस्करी के षड्यंत्र के अनुसरण में प्रस्तुत मामले में बंदी को प्रधान षड्यंत्रकारी अभिकथित किया गया। उनका अधिनियम के उपबंध द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य से सीधा संबंध है। पाकिस्तान से तस्करी की गई हशीश विदेशी मुद्रा के बदले भारत के बाहर तस्करी किए जाने के लिए आशयित थी। अतः जिस उद्देश्य से बंदी को निरुद्ध किया गया है, उसका अधिनियम द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य से सीधा संबंध है।

तुषार गोविन्दजी शाह बनाम **भारत संघ** : रिट पिटीशन (दाण्डिक) सं० 1639/84 जिसका विनिश्चय 25-1-1985 को किया गया। (अप्रकाशनीय)

न्या० मुर्तजा फजल अली और वरदराजन।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 :

33. धारा 46—यह धारा किन्हीं विनियमों के अनुसार विद्युत बोर्ड द्वारा टैरिफ नियत करना अनुध्यात करती है—विनियम न बनाए जाने—टैरिफ नियत किया जाना—क्या यह मनमाना और विधिसम्मत है ?

अभिनिर्धारित—धारा 46 में यह अनुध्यात नहीं है कि विद्युत बोर्ड ऐसे विनियम बनाए जाने तक टैरिफ नियत नहीं कर सकता। इसमें केवल यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबंध किया गया है कि टैरिफ इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अनुसार होगा। इसका अभिप्राय यह है कि यदि विनियम बनाए गए हैं तो टैरिफ ऐसे विनियमों के अनुसार होना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। विनियमों का बनाया जाना टैरिफ नियत करने के लिए पूर्व शर्त नहीं थी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ बनाम **सिटी बोर्ड, मसूरी :** सिविल अपील सं० 814/74 जिसका विनिश्चय 8-2-1985 को किया गया।

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी, वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी।

कानूनों का निर्वचन :

34. परन्तुक—निर्वचन में इसकी भूमिका ?

अभिनिर्धारित—परंतुक का आशय अधिनियमित उपबंध को परिसीमित करना होता है। यह कोई चीज अपवादित करता है जो अन्यथा उपबंध की परिधि के अंतर्गत होती है। कभी-कभी मुख्य उपबंध में ही परंतुक डाल दिया जाता है और उस दशा में वह मुख्य उपबंध का अभिन्न अंग बन जाता है, जिससे कि वह स्वयं एक अधिष्ठायी उपबंध के समान हो जाता है। अधिनियमिति को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से यह कुछ आज्ञापक शर्तों की पूर्ति का आग्रह करके अधिनियमिति के आशय की संकल्पना में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकता है।

सुन्दरम् पिल्लै बनाम **पट्टाभिराम :** सिविल अपील सं० 1178/84 जिसका विनिश्चय 24-1-1985 को किया गया।

न्या० एस० मुर्तजा फजल अली, वरदराजन और सव्यसाची मुखर्जी।

35. स्पष्टीकरण—निर्वचन में इसकी भूमिका ?

अभिनिर्धारित—स्पष्टीकरण अधिष्ठायी उपबंध नहीं होता। जैसा कि स्वयं इस शब्द के स्पष्ट अर्थ से जाहिर होता है। यह केवल उस प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप है जो उस उपबंध से सिद्ध करना होता है। उस उपबंध में कुछ संदिग्धार्थताओं की व्याख्या करने या उन्हें विशेषित करने के लिए अभिप्रेत होता है। यह अधिनियमिति में हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं कर सकता। यह किसी व्यक्ति को प्रदत्त कानूनी अधिकार नहीं छीन सकता।

(मद सं० 34 देखिए)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

36. इस धारा द्वारा किन्हीं विनियमों के अनुसार विद्युत टैरिफ नियत करने के लिए उपबंध—अधिनियम के अनुसार कोई विनियम न बनाए जाने—टैरिफ नियत किया जाना—क्या यह शक्ति के मनमाने प्रयोग के समान है ?

(मद सं० 33 देखिए) ।

मोटर यान अधिनियम, 1939 :

37. अध्याय 4 और 4-क—धारा 68-ग और 68-घ—राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कुछ मार्गों द्वारा अपनी एकमात्र मंजिली गाड़ियां चलाने के लिए प्रारूप स्कीम जारी—राज्य सरकार द्वारा 9 वर्ष तक कोई विनिश्चय न किया जाना—बढ़ती हुई परिवहन सुविधाओं की तत्काल मांग—प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी परमिट जारी—क्या वे अपास्त किए जाने चाहिएं ?

अभिनिर्धारित—अधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से और कृषिक दृष्टि से बहुत तेजी से विकसित हुआ है और इस प्रकार राज्य का एक बहुत घनी बस्ती वाला क्षेत्र बन गया है और इसीलिए अधिकाधिक परिवहन सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है । अधिकरण ने प्रतिकूल प्रभाव पर विचार नहीं किया जो यात्रा करने वाली जनता पर ऐसे विलम्ब के फलस्वरूप पड़ा है । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारण द्वारा जारी किए गए अस्थायी परमिटों को अपास्त करने के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किया । वस्तुतः ऐसे रद्दकरण से जनसाधारण पर गम्भीर रूप से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । धारा 68-घ के अधीन राज्य सरकार के समक्ष कार्यवाहियों के निपटान में असाधारण विलम्ब से ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है जो जनसाधारण के हित में शीघ्र ही समाप्त की जानी चाहिए ।

योगेश्वर जायसवाल बनाम **राज्य परिवहन अपील अधिकरण** : सिविल अपील सं० 53/82 जिसका विनिश्चय 31-1-1985 को किया गया ।

न्या० वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी ।

पद्धति और प्रक्रिया :

38. न्यायालय की भूमिका और वकील को सच्चाई का पता लगाने के लिए गहरी रुचि लेनी चाहिए ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—न्यायालय की भूमिका एक मौन दर्शक की या निष्क्रिय अभिकरण की भूमिका नहीं है। जब न्यायालय के समक्ष कोई विवाद लाया जाए विशेषकर ऐसा विवाद, जिसमें अपेक्षित पत्नी या अवयस्क बालक का भरण-पोषण विवाद्य हो तो न्यायालय को मामले की सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए गहरी रुचि लेनी चाहिए। पक्षकार की ओर से हाजिर होने वाले वकील का कर्तव्य था कि वह ठीक समय पर उचित रूप से अपनी भूमिका निभाता।

सुमित्रा देवी बनाम भीकन चौधरी : दाण्डिक अपील सं० 471/84 जिसका विनिश्चय 28-1-1985 को किया गया। (अप्रकाशनीय)

न्या० भगवती और रंगनाथ मिश्र।

39. विद्युत बोर्ड द्वारा अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत—अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से 6 वर्ष से अतिरिक्त प्रभार वसूल—अतिरिक्त उद्ग्रहण को 6 वर्ष बाद चुनौती—क्या अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन में अनुतोष दिया जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—जहां इसकी कोई भी संभावना न हो कि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं से आधिक्य संग्रहणों को वापस कर देगा, वहां अनुतोष देने से पिटीशनर अन्यायसंगत रूप से समृद्ध हो जाएगा। न्यायालय को साधारणतः संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में प्रतिप्रेषण का निदेश नहीं देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ बनाम सिटी बोर्ड, मसूरी : सिविल अपील सं० 814/74 जिसका विनिश्चय 8-2-1985 को किया गया।

न्या० चिन्नप्पा रेड्डी, वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी।

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 :

40. धारा 43—वाणिज्यिक बैंक द्वारा भूमि के बंधक पर एक किसान को धन उधार देना—उधार धन की वसूली—क्या सिविल न्यायालय की अधिकारिता है ?

अभिनिर्धारित—अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकारिता अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के वादों और आवेदन-पत्रों की बाबत वर्जित है। किसान को बैंक द्वारा दिया गया उधार जो एक वाणिज्यिक संव्यवहार की प्रकृति का होता है, अधिनियम के अनुध्यान के बाहर है और उसे ऐसे विषय की बाबत उधार नहीं कहा जा सकता जो अधिनियम के अधीन उत्पन्न हुआ हो। वाणिज्यिक बैंक का काम बंधक पर धन उधार देना नहीं है। प्रस्तुत मामले में बैंक ने अपने वाणिज्यिक कारबार के सामान्य अनुक्रम में धन उधार दिया था और सांपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा ही बैंक ने किसानों से आडमान बंध-पत्र और बंधक विलेख ले लिया था। बंधक अधिनियम की धारा 43 के अधीन निष्पादित नहीं किया गया था और न ही उस धारा के सापेक्ष में था, इसलिए अवशिष्ट प्रविष्टि 35 लागू नहीं हो सकती।

बैंक आफ बड़ौदा बनाम **मोती भाई** : सिविल अपील सं० 1321/80 जिसका विनिश्चय 29-1-1985 को किया गया।

मु० न्या० वाई० वी० चन्द्रचूड़ और न्या० बालकृष्ण एराडी।

किराया नियंत्रण :

41. तमिलनाडु बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रैंट कंट्रोल) ऐक्ट, 1960—धारा 10(2)(*i*)—परंतुक और स्पष्टीकरण—व्याप्ति—जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है?

अभिनिर्धारित—उपबंधों को एक साथ पढ़ने से जाहिर होता है कि जहां स्पष्टीकरण के अनुसार मकान-मालिक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है, वहां नियंत्रक इस बात की छानबीन कर सकता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया था या नहीं और यदि किसी शर्त की पूर्ति नहीं की गई है या व्यतिक्रम किसी अज्ञात परिस्थितिवश था तो वह किराएदार को अपराध से मुंह मोड़ने का अवसर (लोकस पेनीटैन्टियक) और किराया देने का समय दे सकता है। यदि उस समय के भीतर किराया संदत्त कर दिया जाता है तो बेदखली का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। (2) यदि किराएदार सूचना के दो मास के भीतर बकाया संदत्त नहीं करता है तो नियंत्रक के पास कोई विवेकाधिकार नहीं रहेगा बल्कि उसे जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम के प्रश्न का विनिश्चय करना होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्या० सव्यसाची मुखर्जी (विसम्मत निर्णय) :

"व्यतिक्रम" शब्द के निर्वचन में न्यायालयों द्वारा उत्पन्न असंगतियों का निवारण करने की दृष्टि से एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह उल्लेख किया गया कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया माना जाना चाहिए यदि व्यतिक्रम दो मास की सूचना जारी करने के बाद भी चलता रहता है वह व्यतिक्रम नहीं होगा चाहे किराया न देने के कोई भी कारण हों।

सुन्दरम् पिल्लै बनाम **पट्टाभिराम :** सिविल अपील सं० 1178/84 जिसका विनिश्चय 24-1-1985 को किया गया।

न्या० एस० मुर्तजा फजल अली, वरदराजन और सव्यसाची मुखर्जी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

16 फरवरी, 1985 को समाप्त सप्ताह :

क्र० सं० अन्तर्वस्तु — मद

1. **सिविल सेवा :**

पूर्ववर्ती मद्रास राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन दी जानी—सरकारी सेवक का ऐसे स्थान पर तैनात किया जाना जो राज्य पुनर्गठन पर केरल का अंग बन गया था—शासकीय आदेश को उपान्तरित करके यह प्रसुविधा उन सरकारी सेवकों के कुटुम्ब को दी जानी, जिन्होंने ऐसे स्थान पर अंतिम बार सेवा की थी जो उत्तरवर्ती तमिलनाडु राज्य के अन्तर्गत आता है—अधिसूचिना—क्या यह शून्य और असांविधानिक है। 42

कुछ विकास स्कीमों को एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरित किया जाना—अकेले प्रत्यर्थी को पूर्ववर्ती विभाग में भेजा जाना—नए विभाग में काम करने वाले कनिष्ठ सेवकों को एक के बाद एक प्रोन्नति—क्या अकेले प्रत्यर्थी को वापस भेजे जाने से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। 43

2. **विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 :**

धारा 11(2)—धारा 11 के अधीन किया गया निरोध आदेश रिट अधिकारिता के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित—क्या निरोध प्राधिकारी उन्हीं आधारों पर 11(2) के अधीन दूसरा आदेश पारित कर सकता है। 44

3. **संविधान, 1950 :**

अनुच्छेद 226—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निरोध आदेश अभिखंण्डित—क्या यह आदेश के प्रतिसंहरण के समान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्र० सं० अन्तर्वस्तु — मद

है निरोध प्राधिकारी—क्या वह अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन निरोध का नया आदेश पारित कर सकता है। — 45

4. आय-कर अधिनियम, 1961 :

धारा 80—नियम 19क—विधिमान्यता। — 46

धारा 80(1)—नियम 19-क—क्या "लगाई गई पूंजी" में दीर्घकालीन ऋण भी शामिल हैं—क्या राजस्व बोर्ड नियम बनाने के लिए सक्षम है—लगाई गई पूंजी की संगणना में दीर्घकालीन ऋण अपवर्जित हैं। — 47

"विहित रीति से संगणित"—संगणना का ढंग विहित किया जाना—क्या यह मनमाना है ? — 48

नियम 19-क—"लगाई गई पूंजी"—नियम के अनुसार संगणना अवधि के प्रथम दिन यथाविद्यमान लगाई गई पूंजी की संगणना के लिए उपबंध—क्या यह नियम धारा 80(1) के अधिकारातीत है—'पूर्व वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी, और 'पूर्व वर्ष की बावत लगाई गई पूंजी'—अंतर। — 49

5. कानूनों का निर्वचन :

किसी कानून का निर्वचन—ऐतिहासिक विकास—क्या निर्वचन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। — 50

भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन—विधिमान्यता। — 51

6. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 :

धारा 13 और 14—क्या उपदान न्यायालय की डिक्री की तुष्टि में कुर्क किया जा सकता है। — 52

7. किराया नियंत्रण :

किराएदार द्वारा मरम्मत में सारवान धनराशि खर्च वसूली के लिए दावा—परिसीमाकाल—परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 30 के साथ पठित अनुच्छेद 23—क्या लागू होता है ? — 53

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्र० सं०	अन्तर्वस्तु	मद
8.	शब्द और पद :	
	"प्रतिसंहृत करना" और "प्रतिसंहरण"—अर्थ।	54

निर्णय-सूची

1.	कलकत्ता डाक लेवर बोर्ड **बनाम** संध्या मित्रा	52
2.	इब्राहीम बच्चु बफन **बनाम** गुजरात राज्य	44, 45, 54
3.	इन्दुमति मार्कण्डेय त्रिवेदी **बनाम** झाला उमेदसिंहजी मेरुमभाई	53
4.	लोहिया मशीन्स लिमिटेड **बनाम** भारत संघ	46, 47, 48 49, 50, 51
5.	रुकमणि जे० एस० **बनाम** तमिलनाडु सरकार	42
6.	मैसूर राज्य **बनाम** काशी आर० एस०	43

सिविल सेवा :

42. पूर्ववर्ती मद्रास राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जानी—ऐसे स्थान पर तैनात सरकारी सेवक जो राज्यों के पुनर्गठन पर केरल का अंग बन गया—बाद में सरकारी आदेश को उपान्तरित करके प्रसुविधा उन सरकारी सेवकों के परिवारों तक सीमित की जानी जिन्होंने अंत में ऐसे स्थान पर सेवा की थी जो उत्तरवर्ती तमिलनाडु राज्य के अन्तर्गत आता है—अधिसूचना—क्या यह शून्य और असांविधानिक है ?

अभिनिर्धारित—अधिसूचना के उद्देश्य के अनुसार सरकारी सेवकों के एक वर्ग की तथा दूसरे वर्ग की विधवाओं में केवल स्थान के आधार पर अन्तर करना उचित नहीं है जहां सरकारी सेवक ने अधिवर्षिता के समय अंत में सेवा की थी। अतः केवल उन सरकारी सेवकों के कुटुम्ब द्वारा, जिन्होंने उत्तरवर्ती तमिलनाडु राज्य के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान पर अंत में सेवा की थी, अधिरोपित निर्बन्धित परिसीमा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, अतः असांविधानिक और शून्य है।

रुकमणि जे० एस० बनाम **तमिलनाडु सरकार** : रिट पिटीशन सं० 6756/82 जिसका विनिश्चय 17-10-1984 को किया गया। न्या० भगवती, अमरेन्द्र नाथ सेन और रंगनाथ मिश्र।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

43. कुछ विकास स्कीमों का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरण—अकेले प्रत्यर्थी को ही पूर्ववर्ती विभाग में वापस भेजा जाना—उस विभाग में काम करने वाले कनिष्ठ सेवकों को एक के बाद एक प्रोन्नतियां—क्या वापस भेजे जाने से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है ?

अभिनिर्धारित—प्रत्यर्थी को कृषि विभाग में वापस नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि जब कर्मचारियों के साथ-साथ सम्पूर्ण स्कीम उद्यान विभाग में अन्तरित कर दी गई तो वह उस विभाग का कर्मचारी हो गया और ऐसा कोई पद नहीं रहा, जिस पर उसे वापस भेजा जा सकता था क्योंकि जिस पद पर काम कर रहा था, वहा पद भी उसके साथ-साथ उद्यान विभाग में चला गया था। दूसरे, वापस भेजे जाने वाला आदेश इसलिए भी विभेदात्मक है क्योंकि उससे कनिष्ठ सेवाओं को उद्यान विभाग में रहने देने से उन्हें उत्तरोत्तर प्रोन्नतियां मिलती गईं और प्रत्यर्थी को कृषि विभाग में वापस जाने के लिए बाध्य किया गया। यदि प्रत्यर्थी को उद्यान विभाग में ही रहने दिया जाता तो उसे भी वे प्रोन्नतियां मिलतीं जो उसके कनिष्ठों को मिली थीं। एक-सी परिस्थितियों वाले दो अधिकारियों के साथ असमान व्यवहार किया गया। अतः इस आधार पर भी प्रत्यर्थी को वापस भेजे जाने वाले आदेश को चुनौती दी जा सकती थी।

मैसूर राज्य बनाम **कासी** आर० एस० : सिविल अपील सं० 1828/70 जिसका विनिश्चय 6-2-1985 को किया गया।

न्या० तुलजापुरकर और खालिद।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 :

44. धारा 11(2)—उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन धारा 11 के अधीन किया गया निरोध आदेश अभिखण्डित—क्या निरोध प्राधिकारी उन्हीं आधारों पर धारा 11(2) के अधीन आदेश पारित कर सकता है ?

अभिनिर्धारित—जहां निरोध आदेश उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखण्डित कर दिया जाए, वहां निरोध प्राधिकारी धारा 11(2) के अधीन नया आदेश करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इब्राहीम बच्चु बफन बनाम **गुजरात राज्य** : रिट पिटीशन (दाण्डिक) सं० 1541/84 जिसका विनिश्चय 12-2-1985 को किया गया। न्या० एस० मुर्तजा फज़ल अली, वरदराजन और रंगनाथ मिश्र।

संविधान, 1950 :

45. अनुच्छेद 226—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निरोध आदेश अभिखण्डित—क्या यह आदेश के प्रतिसंहरण के समान है—क्या निरोध प्राधिकारी अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन नया निरोध आदेश पारित कर सकता है ?

अभिनिर्धारित—जब उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो वह बन्दी प्रत्यक्षीकरण या सरशियोरेराई जैसे उच्च परमाधिकारात्मक रिट जारी करके प्रतिसंहरण का आदेश नहीं देता। आदेश को शून्य घोषित करके वह आदेश को अकृत्य करता है। प्रतिसंहरण द्वारा आदेश के रद्दकरण पर और उच्च परमाधिकारात्मक अधिकारिता के प्रयोग में उसे अभिखण्डित करने का अंतिम परिणाम एक ही हो सकता है किन्तु जिस ढंग से यह स्थिति पैदा हुई है, वह प्रत्यक्षतः भिन्न है जबकि एक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत आती है, दूसरी प्रक्रिया कानून में उल्लेख नहीं है और प्राधिकारी द्वारा इसका प्रयोग धारा 11(2) की परिधि के बाहर किया जाता है। यदि उच्च न्यायालय ने निरोध आदेश अभिखण्डित कर दिया है तो धारा 11(2) ऐसी स्थिति में लागू नहीं होती और निरोध प्राधिकारी उन्हीं आधारों पर अधिनियम की धारा 3 के अधीन दूसरा आदेश करने के लिए हकदार नहीं होता।

इब्राहीम बच्चु बफन बनाम **गुजरात राज्य** : रिट पिटीशन (दाण्डिक) सं० 1541/84 जिसका विनिश्चय 12-2-1985 को किया गया। न्या० एस० मुर्तजा फजल अली, वरदराजन और रंगनाथ मिश्र।

आय-कर अधिनियम, 1961 :

46. धारा 80-ञ—नियम 19-क—विधिमान्यता ?

अभिनिर्धारित—(बहुमत के अनुसार) जहां तक नियम 19-क लगाई गई पूंजी की संगणना में उधार धन और ऋण को अपवर्जित करता है और संगणना अवधि के प्रथम दिन उसकी संगणना के लिए उपबंध करता है, वहां

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तक यह अधिकारातीत नहीं है। नियम 19-क केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्रदत्त नियम बनाने के प्राधिकार के अन्तर्गत एक विधिमान्य है। धारा 80-ञ में नियम 19-क का समावेशन केवल स्पष्ट करने की दृष्टि से किया गया था और विधिमान्य है।

न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मति व्यक्त करते हुए) : धारा 80-ञ स्पष्ट और असंदिग्धार्थी है कि लगाई गई पूंजी वह पूंजी होती है जो अनुतोष की प्रसुविधा के लिए हकदार है। लगाई गई पूंजी की संगणना में नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा उधार ली गई पूंजी का अपवर्जन कानून के उपबंधों से असंगत और उनका अल्पीकारक है। यह नियम उक्त धारा के प्रयोजन को विफल करता है और कानून के उपबंधों के प्रतिकूल जाता है, इसलिए अविधिमान्य है।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ : रिट पिटीशन सं० 4509/83 जिनका विनिश्चय 25-1-1985 को किया गया।

मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्या० भगवती, मदान और ठक्कर (बहुमत के अनुसार) तथा न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मति व्यक्त करते हुए)

47. —धारा 80-ञ (1) और नियम 19-क—"लगाई गई पूंजी"—क्या इसमें दीर्घकालीन उधार शामिल हैं—क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड लगाई गई पूंजी की संगणना के बारे में नियम बनाने के लिए सक्षम है?

अभिनिर्धारित—(बहुमत के अनुसार) "लगाई गई पूंजी" पद के अन्तर्गत विधिक अर्थ में या व्यापार की भाषा में या लेखा कर्म के व्यवहार में दीर्घकालीन उधार आवश्यक रूप से और हमेशा शामिल नहीं होते। यह कोई कला का शब्द नहीं है और न ही इसका कोई निश्चित लक्षणार्थ है बल्कि इसके एक से अधिक निर्वचन किए जा सकते हैं, जो उसके आस-पास के सदर्भ और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस तर्क में कोई बल नहीं है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड नियम 19-क(3) बना कर, जिसके द्वारा लगाई गई पूंजी की संगणना में दीर्घकालीन उधारों को अपवर्जित कर दिया गया था, इस पद की पूरी व्याप्ति में कांट-छांट करने के लिए सक्षम नहीं था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मति व्यक्त करते हुए) :

धारा 80-ञ की भाषा स्पष्ट है कि लगाई गई पूंजी के अन्तर्गत अपनी स्वयं की पूंजी एवं उधार ली गई पूंजी शामिल है। यह अनिवार्यतः नीति का विषय है, जिसका विनिश्चय करना विधानमण्डल का काम है न कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए। यह नियम अविधिमान्य है।

(मद सं० 46 देखिए)।

48. विहित रीति से संगणित—संगणना का ढंग विहित किया जाना—क्या यह मनमाना है ?

अभिनिर्धारित—(बहुमत के अनुसार) कुल आय की संगणना की प्रक्रिया में आय की विभिन्न मदों का अपवर्जन और समावेशन दोनों किए जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग आय-कर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में और अन्य कर संबंधी कानूनों में एक ही अर्थ में किया गया है और धारा 80-ञ में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। विधानमण्डल ने वह रीति विहित करने का काम नियम बनाने वाले प्राधिकारी पर छोड़ दिया है कि लगाई गई पूंजी की संगणना किस ढंग से की जाएगी और ऐसा विहित करते समय केन्द्रीय राजस्व बोर्ड उन मदों को शामिल कर सकता है या छोड़ सकता है, जिन्हें लगाई गई पूंजी का भाग रूप माना जा सकता है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने तो केवल उन कर सम्बन्धी कानूनों में स्थापित पूर्वोदाहरण का अनुसरण किया और नियम में वैसा उपबंध कर दिया। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि नियम 19-क(3) को बनाने में मनमाने रूप से या सनकी तरीके से कार्य किया गया है।

न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मति व्यक्त करते हुए) :

संगणना के प्रयोजनों के लिए वर्ष का प्रथम दिन विहित करके सम्पूर्ण वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी को नियम द्वारा फायदे से वंचित करना ईप्सित है। यह उपबंध अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंध से असंगत है।

(मद सं० 46 देखिए)।

49. **—नियम 19-क —"लगाई गई पूंजी"—नियम द्वारा संगणना की अवधि के प्रथम दिन यथाविद्यमान "लगाई गई पूंजी" की संगणना के लिए उपबंध किया जाना—क्या यह धारा 80-ञ(1) के अधिकारातीत है—"पूर्व वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी" और "पूर्व वर्ष की बाबत लगाई गई पूंजी"—अंतर ?**

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—(बहुमत के अनुसार) "पूर्व वर्ष के दौरान" और "पूर्व वर्ष की बाबत" पदों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। उपधारा (1) में पूर्व वर्ष की बाबत विहित ढंग से लगाई गई पूंजी संगणित किए जाने का उल्लेख हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि संगणना पूर्व वर्ष की बाबत की जाएगी और हो सकता हैं कि पूर्व वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी की रकम को हिसाब में न लिया जाए। यह पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को वह समय विधिसम्मत रूप से माना जा सकता है जिस पर लगाई गई पूंजी की संगणना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि 'पूर्व वर्ष की बाबत' शब्द न होते तो भी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड संगणना अवधि के प्रथम दिन को यथाविद्यमान लगाई गई पूंजी की संगणना के लिए उपबंध कर सकता था। 'पूर्व वर्ष की बाबत' शब्द संगणना अवधि के प्रथम दिन लगाई गई पूंजी की संगणना का ढंग विहित किए जाने को सुकर बनाते हैं।

न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मति व्यक्त करते हुए) :

वर्ष के प्रथम दिन को लगाई गई पूंजी की संगणना की तारीख विहित करके सम्पूर्ण वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी नियम द्वारा उस प्रसुविधा से वंचित की जानी ईप्सित है, जिसके लिए वह इस धारा के अधीन हकदार है। यह उपबंध स्पष्टतः धारा 80-ञ से असंगत है।

(मद सं० 46 देखिए)।

कानूनों का निर्वचन :

50. उपबंध का निर्वचन—ऐतिहासिक विकास—क्या इसका उपयोग निर्वचन में किया जा सकता है ?

अभिनिर्धारित—(बहुमत के अनुसार) "इतिहास शिक्षक होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।" यह सुस्थिर विधि है कि नियम बनाने की शक्ति के पूर्वतर प्रयोग में मौनानुकूलता जो नियम बनाने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता से बाहर थी, बाद की तारीख को नियम बनाने की शक्ति के ऐसे प्रयोग को विधिमान्य नहीं बना सकती। किन्तु धारा 80-ञ के विधायी इतिहास से साफ पता चलता है कि संसद ने कुछ समय को छोड़कर सर्वथा अपने आशय के अनुरूप लगाई गई पूंजी की संगणना में उधार धनराशि के अपवर्जन का अनुमोदन किया है।

19 वर्ष से (1949 से 1968 तक) निर्धारिती द्वारा देय सब उधार धनराशि लगाई गई पूंजी की संगणना में अपवर्जित की गई थी और किसी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ने उसे चुनौती नहीं दी थी। निर्धारिती और राजस्व विभाग ने ही नहीं बल्कि संसद ने भी इस उपबंध का निर्वचन अनुमोदित कर दिया था और बाद के संशोधनों में किसी भी समय यह स्थिति नहीं बदली। जब 1961 के अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम संसद के समक्ष रखे गए तो उसने उनका अनुमोदन करने से इन्कार नहीं किया। नियमों का अननुमोदन न करके संसद ने "लगाई गई पूंजी" पद में अन्तर्निहित धारणा की विधिमान्यता स्वीकार कर ली।

न्या० अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मति व्यक्त करते हुए) :

जब किसी धारा में प्रयुक्त भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि शब्दों का स्वाभाविक और सामान्य अर्थ करे। मात्र इसलिए कि कोई लम्बे समय से अनपेक्षित अविधिमान्य नियम विद्यमान है, नियम की विधिमान्यता के प्रश्न पर प्रभाव नहीं पड़ता और अन्यथा अविधिमान्य नियम को केवल इस आधार पर विधिमान्य नहीं बना सकता कि वह नियम अनेक वर्षों से निरापद रूप से चल रहा है।

(देखिए मद सं० 46)।

51. —भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन—विधिमान्यता ?

अभिनिर्धारित—विधिमान्यकरण अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी रूप से नया कर अधिरोपित करने का नहीं होता। वह पहले से अधिरोपित उद्ग्रहण को वैधता प्रदान करता है। वर्तमान संशोधन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी थी कि धारा 80-ञ का कोई भाग अविधिमान्य घोषित हो गया था। यह संशोधन न्यायसंगत और विधिमान्य आधारों पर किया गया संशोधन नहीं कहा जा सकता। अतः युक्तियुक्त नहीं है।

न्या० ए० एन० सेन के अनुसार (विसम्मति व्यक्त करते हुए)

(मद सं० 43 देखिए)।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 :

52. धारा 14 और 14क—क्या उपदान न्यायालय की डिक्री की तुष्टि में कुर्क किया जा सकता है ?

अभिनिर्धारित--अधिनियम की उद्देशिका से प्राप्य विधानमण्डल के आशय से यह जाहिर होता है कि इसका आशय किन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उपदान के संदाय की स्कीम के लिए उपबंध करना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। कर्मकार डिक्री की तुष्टि में उपदान की कुर्की से उन्मुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 13 के अधीन हकदार हैं। (धारा 13 में उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई भी उपदान किसी, सिविल, राजस्व या वाणिज्यिक न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाएगा)।

कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड बनाम **श्रीमती संध्या मित्रा :** सिविल अपील सं० 345/85 जिसका विनिश्चय 11-2-85 को किया गया।

न्या० भगवती और रंगनाथ मिश्र।

किराया नियंत्रण :

53. किराएदार द्वारा मरम्मत पर सारवान् धनराशि खर्च--वसूली का दावा—परिसीमाकाल—परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 30 के साथ पठित अनुच्छेद 23—क्या यह लागू होता है ?

अभिनिर्धारित—परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 23 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 23 में "प्रतिवादी के लिए संदत्त धन के बदले वादी को संदेय धन के लिए ही" अभिव्यक्ति से यह पता चलता है कि प्रतिवादी किसी तीसरे पक्षकार को संदाय करने की किसी विधिक बाध्यता के अधीन रहा होगा। यहां एक किराएदार ने मरम्मत के लिए तीसरे व्यक्ति को रकम संदत्त की थी, मकान-मालिक को नहीं। इस प्रकार के मामले में परिसीमा अधिनियम की धारा 30 के साथ पठित अनुच्छेद 113 लागू होता है। मरम्मत पर खर्च धनराशि की वसूली का दावा छह वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था और यदि वह रकम देय किराए में समायोजित कर ली गई तो किराएदार पर इस समय छह मास से अधिक का किराया बाकी नहीं है।

इन्दुमती मार्कण्डेय त्रिवेदी बनाम **झाला उमेदसिंहजी मेरुभाई :** सिविल अपील सं० 115/71 जिसका विनिश्चय 1-2-1985 को किया गया। (अप्रकाशनीय)

न्या० एस० मुर्तजा फज़ल अली और आर० बी० मिश्र।

शब्द और पद :

54. "प्रतिसंहृत करना" और "प्रतिसंहरण"—-अर्थ ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—"प्रतिसंहृत करना" शब्द और "प्रतिसंहरण" संज्ञा के सही अर्थ से यह लक्षित होता है कि प्रतिसंहरण उसे वापस करने की एक प्रक्रिया है जो कि पहले किया जा चुका है। "प्रतिसंहृत करना" शब्द में उसी आदेश द्वारा रद्दकरण का विचार समाहित है, जिसने आरम्भ में कार्रवाई की थी, न कि शक्ति या अधिकारिता के उच्चतर न्यायालय द्वारा मूल आदेश को अपास्त करना। इसका अर्थ निराकरण नहीं है।

(मद सं० 45 देखिए)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

तथा

कालु गोपया बंजारी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

(4 दिसम्बर, 1984)

(न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी, ए० पी० सेन और ई० एस० वेंकटरामय्या)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 46—सर्वसुलभ-न्याय—संकल्पना की व्याप्ति—विधि-निर्माण के क्षेत्र में सर्वसुलभ-न्याय की संकल्पना से आर्थिक विषमताओं का निवारण और समान व्यक्तियों में परस्पर असमान व्यक्तियों के बीच व्यवहारों और संव्यवहारों से फलीभूत अन्याय को दूर करना भी शामिल है—ऐसी सब विधियां समाज के सदस्यों के भौतिक संसाधनों का निष्पक्ष विभाजन करने के साधन के रूप में धन के बलपूर्वक पुनःवितरण का रूप ले सकती हैं या अनुचित करारों पर विधायी नियंत्रण हो सकता है।

महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974—धारा 3(1) और 4—[सपठित संविधान, 1950, सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18]—सांविधानिकता—उक्त धारा 3(1) और 4 बनाकर एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जनजातीय व्यक्तियों द्वारा गैर-जनजातीय व्यक्तियों को किए गए भूमियों के अन्तरण के लिए तथा ऐसी भूमि का कब्जा उन्हें वापस दिलाने के लिए उपबंध किया जाना—सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत कृषि भूमि के अंतरण और अन्य-संक्रामणों की बाबत विधि बनाने की राज्य विधानमण्डल की शक्ति के साथ-साथ ऐसी विधि बनाने की ही शक्ति नहीं है जो उस पर प्रतिषेध सहित ऐसी भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामण पर निर्बन्धन लगाती हो, बल्कि ऐसे अन्तरणों और अन्य-संक्रामणों को, जो कर दिए गए हैं, फिर से तय करने की विधि बनाने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की शक्ति भी है—ऐसी शक्ति स्पष्टतः राज्य विधानमण्डल की विधायी क्षमता के अन्तर्गत है ।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 14 [सपठित महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974 की धारा 3(1) और 4(1)]—उक्त अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 1957 को उस तारीख के रूप में मानना जिससे उक्त अधिनियम की धारा 3(1) और 4(1) के अधीन जनजाति के अंतरकों द्वारा गैर-जनजातीय अन्तरितियों से किए गए भूमि के अंतरणों को बातिल किया गया—सांविधानिकता—विधानमण्डल विधि प्रवर्तन के समय के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है—1 अप्रैल, 1957 की तारीख इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि वह बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों के लिए किसान दिवस था—ऐसी तारीख नियत करने और अभीष्ट उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध था, अतः वह सांविधानिक है ।

महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974—धारा 9-क [सपठित अधिवक्ता अधिनियम, 1974 की धारा 30 और संविधान, 1950, अनुच्छेद 19(1)(छ) तथा अनुच्छेद 22(1)]—सांविधानिकता—अधिवक्ताओं को उक्त धारा 9-क द्वारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने पर प्रतिषेध—उक्त धारा 30 का अभी तक प्रवृत्त न किया जाना—अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का संविधान द्वारा मान्य किसी व्यक्ति का मूल अधिकार केवल अनुच्छेद 22(1) में है—अतः जब तक उक्त धारा 30 प्रवृत्त नहीं हो जाती है तब तक कोई अधिवक्ता साधिकार किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए अपने आप हकदार नहीं है ।

अपीलार्थी ने कृषि भूमि प्रत्यर्थी सं० 2 से खरीदी थी । प्रत्यर्थी 2 महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974 की धारा 2(1)(जे) के अर्थ में जनजातीय था । उक्त भूमि अपीलार्थी ने हैदराबाद टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1950 की धारा 47 की अपेक्षानुसार कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा से 1300.00 रुपए के प्रतिफल में खरीदी थी और अपीलार्थी को उक्त भूमि का कब्जा दे दिया गया था । जिला चन्द्रपुर में राजूरा के उपखण्ड अधिकारी ने प्रत्यर्थी सं० 2 को भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां आरम्भ कीं । उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने जांच आरम्भ की । समन तामील किए गए और कथन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिलिखित किए उए। उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि यह मामला धारा 3(1) के अन्तर्गत आता है और यह लेखबद्ध किया कि प्रत्यर्थी सं० 2, जनजातीय ने वचन दिया है कि उसे अपनी वैयक्तिक खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है और वह अपीलार्थी को संदाय के लिए नियत रकम जमा कराने के लिए रजामंद है। तद्नुसार, उन्होंने धारा 3(1)(ii) के अधीन यह निदेश दिया कि अपीलार्थी से भूमि का कब्जा ले लिया जाए और प्रत्यर्थी को धारा 3(4)(बी) की अपेक्षानुसार निर्धारित प्रतिफल के संदाय पर वह भूमि प्रत्यावर्तित की जाए। अपीलार्थी ने महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की किन्तु उसने उपखण्ड अधिकारी के आदेश को बहाल रखा। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू ट्रिब्युनल तथा उप-खंड अधिकारी के आदेशों को चुनौती देते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल किया। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश द्वारा रिट पिटीशन आरम्भ में ही खारिज कर दिया और खण्ड न्यायपीठ ने अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी की लैटर्स पेटेंट अपील भी खारिज कर दी। दूसरी अपील के तथ्य भी अधिकांशतः ऐसे ही हैं। मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं। अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—हमारा संविधान राज्य को सर्वसुलभ न्याय लागू करने के लिए अनुज्ञात करता है और निदेश भी देता है। विधि बनाने के क्षेत्र में सर्वसुलभ न्याय की धारणा अन्य बातों के साथ-साथ समाज में असमान व्यक्तियों के बीच संव्यवहारों के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक असमानताओं को दूर करने और अन्याय को दूर करने के अर्थ को सूचित करती है। विधि का प्रत्येक से उसकी हैसियत के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, सिद्धांत पर आधारित समाज के सदस्यों के बीच धन का निष्पक्ष वितरण करने के लिए सर्वसुलभ न्याय के साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। सर्वसुलभ न्याय विभेदात्मक कराधान द्वारा, असमानताओं को कम करके, ऋण में राहत देकर अथवा किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व की कृषि और शहरी दोनों ही प्रकार की जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपित करके, संपत्ति का ऐसे असंख्य लोगों से वितरण करके, जिनके पास कुछ भी न हो अथवा कतिपय संव्यवहारों को प्रतिषिद्ध करके संविदात्मक संव्यवहारों का सीधा विनियमन करके संभवतः अन्यों के लिए मांग करके इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इससे यह भी अभिप्रेत है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो अविवेकपूर्ण सौदों द्वारा उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिए गए हैं, उनकी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्पत्ति प्रत्यार्वातत कर दी जानी चाहिए। ऐसी सब विधियां समाज के सदस्यों के बीच भौतिक संसाधनों का निष्पक्ष विभाजन करने के साधन के रूप में धन के बलपूर्वक पुनः वितरण का रूप ले सकती हैं अथवा अनुचित करारों पर विधायी नियंत्रण हो सकता है। (पैरा 15)

महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टु शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974 अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों जो स्वीकृत रूप से समाज के कमजोर वर्ग हैं और उन व्यक्तियों के बीच जो अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, किए गए कृषि भूमि सम्बन्धी संव्यवहारों पर प्रहार करता है। विगत अनुभव से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का समाज के समृद्ध और शक्तिशाली वर्गों के सदस्यों ने नाममात्र के प्रतिफल के लिए या बिना कोई प्रतिफल दिए विक्रय, दान, बंधक आदि के द्वारा उनकी भूमि का अन्तरण प्राप्त करने के लिए उनकी अज्ञानता और निर्धनता के कारण शोषण किया गया है और उन्हें व्यावहारिक दृष्टि से भूमिहीन बना दिया गया है। यह भी महसूस किया गया कि बहुविध कर्तव्यों के कारण उपखण्ड अधिकारियों और कलक्टरों ने विद्यमान परिस्थितियों पर सोच-विचार किए बिना ऐसे अन्तरण को मंजूरी प्रदान कर दी। यह भी महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्य महाराष्ट्र कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए या अन्यथा उनकी भूमियों को बेचे जाने के कारण परिस्थितियों के शिकार हो गए हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों ने अधिकांश भूमि का अन्तरण अपने कर्जे के कारण विवश होकर किया है और उनकी भूमि उन लेनदारों के पास पहुंच गई, जिन्होंने असामान्य आधार पर ब्याज की अत्यन्त ऊंची दरों पर धन उधार दिया था और वे इस प्रकार उधार लेने वालों की इच्छा पर हावी रहने की स्थिति में हो गए थे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत किया था कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 1966 और सुसंगत अभिधृति विधियों के उपबंध अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने में कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि उस भूमि का कब्जा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वापस दिलाने के लिए उपबंध किया जाए, जो उन्होंने अन्य व्यक्तियों को सम्यकतः अंतरित कर दी है। जब जनजातियों और गैर-जनजातियों में कोई अंतरण होता है तो हमेशा यह उपधारणा की जाती है कि यह बराबर का सौदा नहीं है। जहां तक कर्जदार और असहाय का सम्बन्ध है, विधि विशेष संरक्षण की दृष्टि से उनकी रक्षा करती है। अतः विधानमण्डल आगे आया और उसने यह निदेश

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

देकर ऐसे संव्यवहार फिर से खोल दिए कि भूमियां जनजातीय अन्तरक को धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित रकम गैर-जनजातीय अंतरितियों को संदत्त करने पर, सभी विलंगमों से मुक्त, उन्हें वापस दिलाई जाएं। धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन कब्जा वापस दिलाकर इस अर्थ में सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाता कि प्रतिफल के बिना हक अस्थिर किया गया है। इसमें विस्तृत उपबंध करके उन शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिनके अधीन रहते हुए जनजातीय द्वारा गैर-जनजातीय को कृषि भूमि का अन्तरण बातिल किया जा सकता है और कब्जा वापस दिलाया जा सकता है। इसमें उन विधिक परिणामों के लिए भी उपबन्ध किया गया है, जो ऐसे कब्जे के वापस दिलाने पर पैदा होंगे, जैसे जनजातीय अन्तरक द्वारा गैर-जनजातीय अन्तरिती को प्रतिफल का प्रतिसंदाय और उसे की गई अनुवृद्धियों, यदि कोई हैं, के खर्चे के कारण संदाय करने का दायित्व भी निभाना होगा। साथ ही अन्तरक को यह वचन भी देना होगा कि उसे भूमि अपनी निजी खेती के लिए चाहिए। साथ ही इसमें इस प्रकार अवधारित रकम के संदाय करने का ढंग भी विहित किया गया है। सारांश यह है कि विधानमण्डल का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्पत्ति प्रत्यावर्तित करना है, जिनकी वह भूमि मूलतः थी। किन्तु यह पक्षकारों में साम्या के समायोजन के अधीन रहेगी। (पैरा 24)

अपनी वास्तविक प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से आक्षेपित अधिनियम राज्य में अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के लिए गैर-जनजातीय व्यक्तियों को कृषि भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामण विषयक विधि है। ऐसी विधि सूची 3 में प्रविष्टि 6 और 7 के अन्तर्गत नहीं आती बल्कि सूची 2 में प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत आती है। राज्य को विधि न बनाने की शक्ति से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के उपबन्ध संयोगवश वर्तमान विधि अर्थात् सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 और संविदा अधिनियम, 1872 या संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात् विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 का अतिक्रमण करते हैं। सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत कृषि भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामणों की बाबत विधि बनाने की राज्य विधानमण्डल की शक्ति के साथ ऐसी विधि बनाने की ही शक्ति नहीं है, जो उस पर प्रतिषेध सहित ऐसी भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामण पर निर्बन्धन लगाती है, बल्कि ऐसे अन्तरणों और अन्य-संक्रामणों को फिर से खोलने की विधि बनाने की शक्ति भी है। ऐसी शक्ति स्पष्टतः

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्य विधानमण्डल की विधायी क्षमता के अन्तर्गत है, जो कि सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 18 के सापेक्ष में है। (पैरा 25)

विधानमण्डल के लिए किसी विधि को प्रवर्तित करने के समय के आधार पर वर्गीकरण करना अनुज्ञेय है। आवश्यकता इस बात की है कि समय सम्बन्धी वर्गीकरण के आधार पर और प्राप्तव्य उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध होना चाहिए। अधिनियम में धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन जनजातीय द्वारा गैर-जनजातीय को किए गए अन्तरणों के वातिलकरण के लिए 1 अप्रैल, 1957 अपनाई गई है क्योंकि यह तारीख वाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों के लिए 'किसान दिवस" थी, जिसके आधार पर गैर-जनजातीय अन्तरिती इस आधार पर उनकी जोत खरीदने के लिए अभिधृति न्यायालयों में आवेदन फाइल कर सकते थे कि वे उन पर किसान के रूप में कब्जेदार हैं। अतः ऐसी तारीख नियत करने और प्राप्तव्य उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध था और आक्षेपित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। (पैरा 27)

निस्सन्देह ऐसा अधिकार अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदान किया गया है किन्तु विधिक वृत्ति का दुर्भाग्य है कि धारा 30 अभी तक प्रवृत्त नहीं की गई है। अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति स्वतः सभी न्यायालयों में सुने जाने के अधिकार के लिए हकदार नहीं है, जब तक कि इस अधिनियम की धारा 30 पहले प्रवृत्त न कर दी जाए। यह एक ऐसा विषय है जो अभी तक विभिन्न कानूनों द्वारा विनियमित होता है और वकालत करने के अधिकार की सीमा इन कानूनों के निबन्धनों पर निर्भर करनी चाहिए। अधिनियम की धारा 9-क अधिवक्ताओं पर अपनी वकालत करने पर असांविधानिक निर्बन्धन नहीं है। (पैरा 33 व 34)

अब यह सुस्थिर है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उपबन्धों के अतिरिक्त किसी भी मुकदमे के पक्षकार को किसी भी न्यायालय में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का मूल अधिकार नहीं है। अन्य सब मामलों में अर्थात् वादों या अन्य कार्यवाहियों में, जिनमें अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है और आपराधिक आरोप पर निरुद्ध नहीं किया गया है, मुकदमे के पक्षकार को विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का मूल अधिकार नहीं है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जनजातीय और गैर-जनजातीय व्यक्ति असमान स्थिति में हैं और गैर-जनजातीय अन्तरिती अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग के होने के कारण सभी प्रकार के अभिवाक् देकर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन कलक्टर के समक्ष अनावश्यक रूप से कार्यवाहियों को लम्बी खींचेंगे जिससे अपनी भूमि को वापस लेने के लिए जनजातियों के अधिकारों को विलम्बित या विफल किया जा सके। (पैरा 35)

निर्दिष्ट निर्णय		पैरा
[1984]	[1984] 3 एस० सी० सी० 301 : **मंचेगौड़ा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य;**	19
[1978]	[1978] 2 एस० सी० आर० 537 : **पथुम्मा** बनाम **केरल राज्य;**	21
[1977]	[19,7] 2 एस० सी० आर० 828 : **फतेह चन्द हिम्मतलाल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य;**	20, 21
[1976]	20 जून, 1976 को विनिश्चित 1976 का विशेष सिविल आवेदन सं० 1064 : **सदाशिव राघोकोलम्बे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**	2

सिविल अपीली अधिकारिता : 1984 की सिविल अपील सं० 4384 और 3288.

1977 के रिट पिटीशन सं० 1624 में 1984 की लेटर्स पेटेंट अपील सं० 147 में मुम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 27 जून, 1984 के और 1984 की लेटर्स पेटेंट अपील सं० 135 में तारीख 21 जून, 1984 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी० बी० जोशी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री वी० एस० देसाई और एम० एन० श्रॉफ

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिकारी ए० पी० सेन ने दिया।

न्यायाधिपति सेन :

विशेष इजाजत लेकर की गई ये दो अपीलें मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ की खण्ड न्यायपीठ के तारीख 21 जून और 27 जून, 1984 के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध की गई हैं और इनमें महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैंड्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974 की धारा 3 और 4

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की संवैधानिक विधिमान्यता से सम्बन्धित एक सामान्य प्रश्न उद्भूत हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित अधिनियम की धारा 3 और 4, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा किए गए अन्तरणों के बातिलकरण के लिए और कतिपय शर्तों पर उन्हें भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए उपबंध करती है, राज्य विधानमण्डल की अधिकारातीत थीं क्योंकि वे संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18 की परिधि से बाहर थीं अथवा वे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 की अन्यथा अतिक्रमणकारी थीं।

2. इन दो अपीलों के तथ्य अधिकांशत: एक समान हैं। 1984 की सिविल अपील सं० 4384 में अपीलार्थी लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर ने तारीख 30 नवम्बर, 1965 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा सर्वे० सं० 27 की कृषि भूमि, जिसका क्षेत्रफल 20 एकड़ 39 गुण्ठा है, प्रत्यर्थी सं० 2 सोनेराव राजू मेशराम से क्रय की थी जो गौंड होने से अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के अर्थ में जनजातीय था। उक्त भूमि अपीलार्थी ने हैदराबाद टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1950 की धारा 47 की अपेक्षा के अनुसार कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा से 1300 रुपये के प्रतिफल में क्रय की थी और अपीलार्थी को उक्त भूमि का कब्जा दे दिया गया था। अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन स्वप्रेरणा से जिला चन्द्रपुर में राजूरा के उप-खण्ड अधिकारी ने प्रत्यर्थी सं० 2 को भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ की थीं। उपखंड मजिस्ट्रेट ने जांच प्रारम्भ की थी, पक्षकारों पर समन तामील किए थे और उनके कथन अभिलिखित किए थे। उन्होंने तारीख 19 फरवरी, 1977 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उसका अंतरक राजू मेशराम गौंड है और इसलिए अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के अधीन जनजातीय है और उसके द्वारा भूमि पर कोई सुधार नहीं किया गया था और भूमि पर कोई विल्लंगम नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि मामला अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत आता है और यह लेखबद्ध किया कि प्रत्यर्थी सं० 2, सोनेराव राजू मेशराम, जनजातीय ने प्ररूप III में यह वचन दिया है कि उसे अपनी वैयक्तिक खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है और वह अपीलार्थी को संदाय के लिए उसके द्वारा नियत रकम जमा कराने के लिए रजामन्द है। तदनुसार, उन्होंने अधिनियम की धारा 3(1)(ii) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया कि अपीलार्थी से सर्वे-सं० 27 की 19 एकड़ 19 गुण्ठा क्षेत्रफल की भूमि का कब्जा लिया जाए और प्रत्यर्थी को निवासगृह के अन्तर्गत आने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाली 1 एकड़ 20 गुण्ठा जमीन के शेष भाग को अलग रखने के पश्चात् धारा 3(4)(बी) की अपेक्षा के अनुसार निर्धारण की 48 गुणा रकम के बराबर 461 रुपए 76 पैसे के प्रतिफल के संदाय पर प्रत्यावर्तित की जाए। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 6 के अधीन महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिकरण, नागपुर को अपील की किन्तु अधिकरण के एकल सदस्य ने तारीख 5 अगस्त, 1977 के अपने आदेश द्वारा उप-खण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश कायम रखा। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू ट्रिब्युनल तथा उप-खण्ड अधिकारी के आदेशों को चुनौती देते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ के समक्ष रिट पिटीशन फाइल किया। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने 31 मार्च, 1984 के अपने आदेश द्वारा रिट पिटीशन आरम्भ में ही खारिज कर दिया और खण्ड न्यायपीठ ने तारीख 27 जून, 1984 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा की गई लेटर्स पेटेंट अपील भी खारिज कर दी थी। 1984 की सिविल अपील सं० 3288 के तथ्य अधिकांशतः समान हैं। हमें यहां पर इस बात का अवश्य ही उल्लेख कर देना चाहिए कि **सदाशिव राघो कोलम्बे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] के मामले में उच्च न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक विधिमान्यता को कायम रखा था और 1976 की सिविल अपील सं० 982 इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

3. आक्षेपित अधिनियम महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1966 और सुसंगत अभिधृति विधियों अर्थात् राज्य के विदर्भ क्षेत्र के सम्बन्ध में बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स (विदर्भ रीजन) ऐक्ट, 1958 और राज्य के हैदराबाद क्षेत्र के सम्बन्ध में हैदराबाद टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1950 और शेष राज्य के सम्बन्ध में बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1948 का अनुपूरक या आनुषंगिक है। विभिन्न राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 46 में सम्मिलित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा भूमियों के अन्तरण पर निर्बन्धन लगाकर इस प्रकार के उपाय किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह उपबन्ध है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

4. यद्यपि विभिन्न राज्यों द्वारा समाज के दुर्बल वर्गों की दशा की रक्षा करने, बचाव करने और सुधार करने के लिए राज्य की घोषित नीति के

---

[1] 1976 का विशेष सिविल आवेदन सं० 1064 जिसका विनिश्चय तारीख 20 जून, 1976 को किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की संवैधानिक विधिमान्यता से सम्बन्धित एक सामान्य प्रश्न उद्भूत हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित अधिनियम की धारा 3 और 4, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा किए गए अन्तरणों के बातिलकरण के लिए और कतिपय शर्तों पर उन्हें भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए उपबंध करती है, राज्य विधानमण्डल की अधिकारातीत थीं क्योंकि वे संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18 की परिधि से बाहर थीं अथवा वे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 की अन्यथा अतिक्रमणकारी थीं।

2. इन दो अपीलों के तथ्य अधिकांशत: एक समान हैं। 1984 की सिविल अपील सं० 4384 में अपीलार्थी लिंगप्पा पोचन्ना अप्पलवर ने तारीख 30 नवम्बर, 1965 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा सर्वे० सं० 27 की कृषि भूमि, जिसका क्षेत्रफल 20 एकड़ 39 गुण्ठा है, प्रत्यर्थी सं० 2 सोनेराव राजू मेशराम से क्रय की थी जो गौंड होने से अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के अर्थ में जनजातीय था। उक्त भूमि अपीलार्थी ने हैदराबाद टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1950 की धारा 47 की अपेक्षा के अनुसार कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा से 1300 रुपये के प्रतिफल में क्रय की थी और अपीलार्थी को उक्त भूमि का कब्जा दे दिया गया था। अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन स्वप्रेरणा से जिला चन्द्रपुर में राजूरा के उप-खण्ड अधिकारी ने प्रत्यर्थी सं० 2 को भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ की थीं। उपखंड मजिस्ट्रेट ने जांच प्रारम्भ की थी, पक्षकारों पर समन तामील किए थे और उनके कथन अभिलिखित किए थे। उन्होंने तारीख 19 फरवरी, 1977 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उसका अंतरक राजू मेशराम गौंड है और इसलिए अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के अधीन जनजातीय है और उसके द्वारा भूमि पर कोई सुधार नहीं किया गया था और भूमि पर कोई विल्लंगम नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि मामला अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत आता है और यह लेखबद्ध किया कि प्रत्यर्थी सं० 2, सोनेराव राजू मेशराम, जनजातीय ने प्ररूप III में यह वचन दिया है कि उसे अपनी वैयक्तिक खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है और वह अपीलार्थी को संदाय के लिए उसके द्वारा नियत रकम जमा कराने के लिए रजामन्द है। तदनुसार, उन्होंने अधिनियम की धारा 3(1)(ii) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया कि अपीलार्थी से सर्वे-सं० 27 की 19 एकड़ 19 गुण्ठा क्षेत्रफल की भूमि का कब्जा लिया जाए और प्रत्यर्थी को निवासगृह के अन्तर्गत आने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाली 1 एकड़ 20 गुण्ठा जमीन के शेष भाग को अलग रखने के पश्चात् धारा 3(4)(बी) की अपेक्षा के अनुसार निर्धारण की 48 गुणा रकम के बराबर 461 रुपए 76 पैसे के प्रतिफल के संदाय पर प्रत्यावर्तित की जाए। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 6 के अधीन महाराष्ट्र भू-राजस्व अधिकरण, नागपुर को अपील की किन्तु अधिकरण के एकल सदस्य ने तारीख 5 अगस्त, 1977 के अपने आदेश द्वारा उप-खण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश कायम रखा। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू ट्रिब्युनल तथा उप-खण्ड अधिकारी के आदेशों को चुनौती देते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ के समक्ष रिट पिटीशन फाइल किया। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने 31 मार्च, 1984 के अपने आदेश द्वारा रिट पिटीशन आरम्भ में ही खारिज कर दिया और खण्ड न्यायपीठ ने तारीख 27 जून, 1984 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा की गई लेटर्स पेटेंट अपील भी खारिज कर दी थी। 1984 की सिविल अपील सं० 3288 के तथ्य अधिकांशतः समान हैं। हमें यहां पर इस बात का अवश्य ही उल्लेख कर देना चाहिए कि **सदाशिव राघो कोलम्बे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] के मामले में उच्च न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक विधिमान्यता को कायम रखा था और 1976 की सिविल अपील सं० 982 इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

3. आक्षेपित अधिनियम महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1966 और सुसंगत अभिधृति विधियों अर्थात् राज्य के विदर्भ क्षेत्र के सम्बन्ध में बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स (विदर्भ रीजन) ऐक्ट, 1958 और राज्य के हैदराबाद क्षेत्र के सम्बन्ध में हैदराबाद टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1950 और शेष राज्य के सम्बन्ध में बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1948 का अनुपूरक या आनुषंगिक है। विभिन्न राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 46 में सम्मिलित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा भूमियों के अन्तरण पर निर्बन्धन लगाकर इस प्रकार के उपाय किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह उपबन्ध है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

4. यद्यपि विभिन्न राज्यों द्वारा समाज के दुर्बल वर्गों की दशा की रक्षा करने, बचाव करने और सुधार करने के लिए राज्य की घोषित नीति के

---

[1] 1976 का विशेष सिविल आवेदन सं० 1064 जिसका विनिश्चय तारीख 20 जून, 1976 को किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुसरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भूमियों के अंतरण पर निर्बंधन लगाने वाला एक विधान बनाया गया है जिसमें यह उपबन्ध है कि विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों के निर्बंधनों के सिवाय ऐसा कोई भी अन्तरण अकृत और शून्य होगा, महाराष्ट्र राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा ऐसे अन्तरणों के बातिलीकरण के लिए और उन्हें भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए महाराष्ट्र रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐक्ट, 1974 अधिनियमित करके एक कदम और आगे बढ़ाया है। आक्षेपित अधिनियम संविधान की नवम् अनुसूची में रखा गया है और इसलिए उसे किसी भी प्रकार की चुनौती से अनुच्छेद 31(ख) के अधीन इस आधार पर छूट प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी अधिकार से असंगत है अथवा अधिकार छीनता है अथवा उसे न्यून करता है।

5. दी गई दलीलों पर विचार करने से पूर्व विधायी इतिहास पर विचार करना सुसगत होगा। राजस्व और वन विभाग के एक सरकारी संकल्प द्वारा राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों की जांच करने के लिए और राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी कि महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1966 के उपबन्ध और सुसंगत अभिधृति विधि के उपबन्ध अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए कहां तक प्रभावी हैं और समिति को अन्य बातों के बीच यदि विद्यमान उपबंधों में से कोई उपबन्ध अपर्याप्त पाया जाए तो उसमें उपयुक्त संशोधन करने के लिए एवं सुझाव देने के लिए भी कहा गया था। उक्त समिति ने तारीख 7 अप्रैल, 1972 को सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट द्वारा बाम्बे लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1897 (वैस्टर्न महाराष्ट्र) की धारा 73 में अंतर्विष्ट उपबन्ध को और मध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1954 (विदर्भ में) और हैदराबाद लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1317 (एफ) (मराठवाड़ा) के सदृश उपबन्धों को, जो अब महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1966 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं, लागू करने में हुई कठिनाइयों के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। धारा 36 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के जो सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी, व्यक्तियों, के अधिभोगों को सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य के भागों में कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अंतरित नहीं किया जा सकता। यह उपबन्ध करने में विधानमण्डल का आशय यह था कि समाज का दुर्बल वर्ग भूमिहीन न हो जाए तथा धनी और शक्तिशाली वर्गों के व्यक्तियों को इस स्थिति में असम्यक् लाभ उठाने के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, इस उपबन्ध और पूर्ववर्ती भू-राजस्व विधियों के उपबंधों के बावजूद ये उपबन्ध पर्याप्त नहीं पाए गए थे तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का उनकी गरीबी, शिक्षा की कमी और सामान्य पिछड़ेपन के कारण ऐसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जा रहा था जो उन्हें उनकी भूमि से वंचित करके इन गरीब व्यक्तियों के दुर्भाग्य से लाभ उठा सकते थे। तद्नुसार, उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऐसी भूमियां वापस दिलाने के लिए उपबन्ध बनाये जाएं जो अन्य व्यक्तियों को सम्यक् रूप से अंतरित कर दी गई थीं। उक्त समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय थी कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कतिपय भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए तुरत कदम उठाये जाने चाहिए।

6. मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे अवैध अन्तरण दो प्रवर्गों में आते हैं अर्थात् (1) कलक्टर या उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अधिभोग जोत ऐसे व्यक्तियों को, जो अनुसूचित जनजाति के न हों, इस आधार पर अन्तरित किए गये हों कि अधिभोग जोत ऐसे व्यक्तियों को अन्तरित किए जाने के लिए अनुज्ञात किये गये थे जो अनुसूचित जनजाति के नहीं थे। यह बात स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यु कोड की धारा 3(2) के उपबन्धों के अतिक्रमण में थी, (2) प्रथमतः भूमियां ऐसे व्यक्तियों को, जो कलक्टर या उप-खण्ड अधिकारी द्वारा भूमियां ऐसे व्यक्तियों को, जो अनुसूचित जनजाति के नहीं थे, पट्टे पर दिये जाने के लिए इस आधार पर अनुज्ञात की गई थी कि ऐसी भूमियों के धारक, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, बीमारी या अन्य कारण से वैयक्तिक रूप से उन भूमियों पर कृषि करने में असमर्थ थे। इसके पश्चात् बाम्बे टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1948 के उपबन्धों का लाभ उठाते हुए ऐसे अंतरितियों ने ऐसी जोतों को क्रय करने के लिए अभिधृति (टेनेन्सी) न्यायालयों को इस आधार पर आवेदन किया था कि उनका तारीख 1 अप्रैल, 1957 को अर्थात् किसान दिवस तक खेती करने का कब्जा था। तद्नुसार समिति ने यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जनजातियों को ऐसी भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक विधान बनाए जाएं जो विक्रय, दान, बन्धक या किसी अन्य व्ययन के रूप में अन्तरित की गई हों अथवा तारीख 1 अप्रैल, 1951 को या उसके पश्चात् किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों के कब्जे में आ गई हों। इसलिए रिपोर्ट से यह प्रतीत होगा कि सुसंगत भू-राजस्व विधि में अन्तर्विष्ट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबन्ध ऐसी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं पाये गये थे जिनकी अज्ञानता और निर्धनता का धनी और शक्तिशाली वर्ग के लोगों द्वारा शोषण किया गया था ताकि वे नाममात्र के प्रतिफल पर या बिना प्रतिफल के विक्रय या बन्धक प्राप्त कर सकें और वे परिस्थितियों के शिकार हो गए ।

7. विधेयक से संलग्न उद्देश्य और कारणों का कथन इस प्रकार है :—

"यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा पूर्व में धारित भूमियां अभिधृति (टेनेन्सी) विधियों के अधीन किए गए या किए गए माने गए क्रयों के परिणामस्वरूप या महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1966 या राज्य में प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबन्धों के अधीन 1 अप्रैल, 1957 के पश्चात् विधिमान्य रूप से प्रभावी अन्तरणों (विनिमय सहित) के परिणामस्वरूप गैर अनुसूचित जनजातियों को अन्तरित हो गई हैं। महाराष्ट्र लैण्ड रेवेन्यू कोड और राज्य में तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के कतिपय उपबन्धों को लागू करने में जनजाति के भू-धारकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों की परीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश करने के पश्चात् ऐसी भूमियों को, जो गैर अनुसूचित जनजातियों के हाथों में चली गई थीं, उनके मूल जनजाति के स्वामियों को प्रत्यावर्तन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया था। विधेयक इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है ।"

8. हमने उद्देश्यों और कारणों के कथन और समिति की रिपोर्ट को अर्थान्वयन की सहायता के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है बल्कि उस समय विद्यमान शर्तों को अभिनिश्चित करने के सीमित प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया है जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और उद्देश्य को पूरा करना अभीष्ट था ।

9. विभिन्न प्रकार की दलीलें दी गई थीं। किन्तु उन पर विचार करने से पूर्व अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का हवाला देना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2(1) परिभाषा खण्ड है। भूमि के सम्बन्ध में 'अन्तरण' शब्द धारा 2(1)(i) में परिभाषित किया गया है और उससे 1 अप्रैल, 1957 को प्रारम्भ होने वाली और तारीख 6 जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान गैर-जनजाति के पक्ष में किए गये जनजातियों की भूमि का (क) पक्षकारों के कार्य द्वारा, चाहे विक्रय, दान, विनिमय,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बन्धक या पट्टे द्वारा या जीवित दशा में किया गया कोई अन्य व्ययन या (ख) न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन या (ग) ऐसी जनजातियों के व्यक्ति की ओर से देय भू-राजस्व की कोई रकम वसूली के लिए या भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी ओर से देय किसी अन्य रकम की वसूली के लिए या अन्यथा महाराष्ट्र कोआपरेरिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अन्तरण अभिप्रेत है किन्तु उसमें कोड की धारा 36 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अधीन आने वाली भूमि का अन्तरण सम्मिलित नहीं है तथा 'जनजाति अन्तरक और गैर-जनजाति अन्तरिती' शब्दों का तद्नुसार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। 'जनजाति' शब्द धारा 2(1)(जे) में परिभाषित है और उससे कोड की धारा 36 के स्पष्टीकरण के अर्थ में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें उसका हित उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है। 'सुसंगत भूधृति विधि' पद धारा 2(1) में परिभाषित है और उससे (1) राज्य के विदर्भ क्षेत्र के सम्बन्ध में बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (विदर्भ रीजन) ऐक्ट, 1958 और (2) राज्य के हैदराबाद क्षेत्र के सम्बन्ध में हैदराबाद टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1950 और (3) राज्य के शेष भाग के सम्बन्ध में बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1948 अभिप्रेत है।

10. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निम्नलिखित उपबंध है :—

> *"3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर या तो किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर अनुसूचित जनजाति के अन्तरक द्वारा आवेदन पर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, निदेश देगा कि—

---

*अंग्रेजी में इस प्रकार है :—

> "3. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any Judgment, decree or order of any Court, Tribunal or authority, the Collector either suo motu at any time, or on the application of a Tribal-transferor made within three years from the commencement of this Act shall, after making such inquiry as he thinks fit, direct that—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(i) इस प्रकार विनिमय की गई अनुसूचित जनजाति के अन्तरक और गैर-अनुसूचित जनजाति के अन्तरिती की भूमियां एक दूसरे को प्रत्यावर्तित की जाएं और अनुसूचित जनजाति का अन्तरक या यथास्थिति गैर-अनुसूचित जनजातीय अन्तरिती उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन यथा अवधारित सुधारों के मूल्य के अन्तर का संदाय करेगा, या

(ii) विनिमय से अन्यथा अन्तरित भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के अन्तरिती के कब्जे से ले ली जाएगी और अनुसूचित जनजाति के अन्तरक को सब विल्लंगमों से मुक्त प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी और अनुसूचित जनजाति के अंतरक उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित रकम विल्लंगमों का दावा करने वाले ऐसे अंतरिती और अन्य व्यक्तियों को संदत्त करेगा :

परन्तु जहां भूमि तारीख 6 जुलाई, 1974 से पूर्व गैर-अनुसूचित जनजाति अन्तरिती के पक्ष में अनुसूचित जनजाति के अन्तरक द्वारा अन्तरित की गई हो और लोक प्रयोजन के लिए अपनी भूमि के अर्जन के कारण ऐसा अन्तरिती भूमिहीन हो

(i) the lands of the Tribal-transferor and non-Tribal-transferee so exchanged shall be restored to each other; and the Tribal-transferer, or as the case may be, the non-Tribal-transferee shall pay the difference in value of improvements as determined under cl. (a) of sub-s. (4), or

(ii) the land transferred otherwise than by exchange be taken from the possession of the non-Tribal-transferee, and restored to the tribal-transferor free from all encum brances, and the Tribal-transferor shall pay such transferee and other persons claiming encumbrances the amount determined under cl. (b) of sub-s. (4):

Provided that, where land is transferred by a Tribal-transferor in favour of a non-Tribal-transferee before the 6th day of July 1974, after such transferee was randered landless by reason of acquisition of his

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गया हो वहां इस प्रकार अन्तरित की गई भूमि की केवल आधी भूमि अनुसूचित जनजाति के अन्तरक को प्रत्यावर्तित की जायेगी।"

11. उपधारा (2) से (4) में ऐसे निबंधनों के लिए विस्तृत उपबंध अंतर्विष्ट है जिन पर कलक्टर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन अनुसूचित जनजातियों को उनके गैर-अनुसूचित जनजाति के अंतरितियों द्वारा भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए आदेश करेगा। यद्यपि ये उपबंध हमारे प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप से तात्त्विक नहीं हैं फिर भी हम संक्षेप में यह दर्शाने के लिए उन्हें निर्दिष्ट करेंगे कि आक्षेपित अधिनियम इस दृष्टि से विस्तृत उपबन्ध करता है ताकि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन अनुसूचित ज़नजातियों के सदस्यों को ऐसी भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए आदेश करने पर पक्षकारों के पारस्परिक अधिकारों एवं बाध्यताओं और उन शर्तों, जिन पर आदेश प्रभावी किया जा सकता है, के बीच संतुलन कायम रखा जा सके। उपधारा (2) में यह उपबन्ध है कि ज़हां उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन किसी अनुसूचित जनजाति को प्रत्यावर्तित कोई भूमि विल्लंगमों से भारित हो वहां ऐसे विल्लंगम उससे अंतरित हो जाएंगे और यथास्थिति गैर-अनुसूचित जनजाति या जनजाति के सदस्य को प्रत्यावर्तित भूमियों से संलग्न हो जाएंगे। उपधारा (3) में उपबन्ध है कि कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा के अधीन भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए केवल तभी हकदार होगा जब वह वैयक्तिक रूप से भूमि पर कृषि करने और गैर-अनुसूचित जनजाति को ऐसी रकम का संदाय करने का वचन देता है जो कलक्टर उपधारा (4) के अधीन अवधारित करे। उपधारा (4) कलक्टर पर सुधारों, यदि कोई हों, का मूल्य विहित रीति में, जहां भूमियां उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन प्रत्यावर्तित की गई हों और उसके संदाय की रीति अवधारित करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है। उसके खण्ड (ए) से (जी) तक में संदाय की रीति के बारे में विस्तृत उपबंध अंतर्विष्ट हैं। खण्ड (ए) द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि जहां भूमियां उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन प्रत्यावर्तित की जाती हैं अर्थात् जहां किसी अनुसूचित जनजाति की गैर-अनुसूचित जनजाति के साथ विनिमय की गई भूमि ऐसी जनजाति के व्यक्ति को प्रत्यावर्तित की जाती हैं

---

land for a public purpose, then only half the land so transferred shall be restored to thc Tribal-transferor."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और यदि किसी अनुसूचित जनजाति द्वारा किये गये सुधारों का मूल्य अधिक पाया जाता है वहां गैर-अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जनजाति द्वारा गैर-अनुसूचित जनजाति को अंतर का संदाय किया जायेगा। खण्ड (बी) द्वारा आगे यह उपबन्ध किया गया है कि जहां किसी अनुसूचित जनजाति की गैर-अनुसूचित जनजाति को अंतरित भूमि जनजाति को प्रत्यावर्तित की जाती है वहां अनुसूचित जनजाति द्वारा संदेय रकम भूमि के निर्धारण के 48 गुना रकम के बराबर रकम या भूमि के अर्जन के लिए गैर-जनजाति द्वारा संदत्त प्रतिफल की रकम, उसमें से जो भी कम हो और गैर-अनुसूचित जनजाति द्वारा किये गये सुधारों, यदि कोई हों, का कलक्टर द्वारा अवधारित मूल्य की रकम होगी। खण्ड (ए) और (बी) का स्पष्टीकरण यह अधिकथित करता है कि खण्ड (बी) के अधीन किन्हीं सुधारों के मूल्य का अवधारण करने में कलक्टर इन बातों पर ध्यान देगा (i) सुधारों पर किया गया श्रम या व्यय की गई पूंजी, (ii) सुधारों की वर्तमान दशा (iii) सीमा, जिस तक सुधार से उस वर्ष से, जिसमें ऐसा अवधारण किया गया है, ठीक अगले 10 वर्षों की कालावधि के दौरान भूमि को फायदा होने की संभावना है और (iv) ऐसे अन्य तथ्य जो विहित किये जाएं। खण्ड (सी) यह निदेश देता है कि खण्ड (ए) के अधीन कलक्टर द्वारा यथा अवधारित सुधारों के मूल्य में अन्तर दर्शाने वाली रकम या तो एकमुश्त राशि में या 12 से अनधिक ऐसी वार्षिक किस्तों में, (जो साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज सहित) जो कलक्टर अवधारित करे, संदेय होगी। खण्ड (डी) में यह उपबन्ध है कि जहां भूमि उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन किसी अनुसूचित जनजाति को प्रत्यावर्तित की जाती है अर्थात् विनिमय की गई भूमि के प्रत्यावर्तन के मामले में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति विल्लंगमों का दावा करने वाले गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को उपधारा (4) के अधीन अवधारित रकम या तो एकमुश्त राशि में या 12 अनधिक ऐसी वार्षिक किस्तों में (साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज सहित), जो कलकक्टर अवधारित करे संदाय करेगा। खण्ड (ई) उसमें उपबन्धित रीति में अंतरिती और विल्लंगमों का दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच खण्ड (बी) के अधीन अवधारित रकम के विभाजन के लिए उपबन्ध करता है। खण्ड (एफ) में यह उपबन्ध है कि किसी भी कालावधि के दौरान, जिसके लिए भाटक का संदाय सुसंगत भूधृति विधि के अधीन निलंबित या माफ कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति या गैर-अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एकमुश्त रकम अथवा उपधारा (4) के अधीन नियत किसी किस्त की रकम अथवा उस पर ब्याज, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं होगा। खण्ड (जी)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बलपूर्वक वसूली से सम्बन्धित खण्ड है। यदि यथास्थिति अनुसूचित जनजाति या गैर-अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एकमुश्त रकम का संदाय करने में सफल रहता है अथवा उस पर दो या उससे अधिक किस्तें बकाया रहती हैं तो इस प्रकार शेष असंदत्त रकम (साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित) कलक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकायों के रुप में वसूलनीय होगी। इस प्रकार वसूल की गई रकम कलक्टर द्वारा गैर-अनुसूचित जनजाति को और विल्लंगमों का दावा करने वाले व्यक्ति को, यदि कोई हों अथवा यथास्थिति अनुसूचित जनजाति को संदत्त की जायेगी।

12. अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है :—

*"4. जहां किसी जनजाति की कोई भूमि, 1 अप्रैल, 1957 को या उसके पश्चात् और तारीख 6 जुलाई, 1974 से पूर्व किसी गैर-जनजाति अंतरिती द्वारा सुसंगत अभिधृति विधि के उपबन्धों के अधीन या के अनुसार क्रय की गई हो या क्रय की गई मानी गई हो या अर्जित की गई हो या जहां कोई अर्जन ऐसी विधि के अधीन शास्ति के संदाय पर विनियमित किया गया हो और ऐसी भूमि गैर-जनजाति अंतरिती के कब्जे में हो और तारीख 6 जुलाई, 1974 को या इससे पूर्व किसी गैर कृषि उपयोग में न लाई गई हो, वहां कलक्टर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, या तो किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के भीतर किसी जनजाति द्वारा आवेदन किए जाने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, यह निदेश देगा कि भूमि,

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"4. Where any land of a Tribal is, at any time on or after the Ist day of April, 1957 and before the 6th day of July, 1974, purchased or deemed to have been purchased or acquired under or in accordance with the provisions of the relevant tenancy law by a non-Tribal-transferee or where any acquisition has been regularised on payment of penalty under such law and such land is in possession of a non-Tribal-transferee and has not been put to any non-agricultural use on or before the 6th day of July, 1974, then the Collector shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, either suo motu at any time or on an application by the

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 3 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन सब विल्लंगमों से रहित जनजाति को प्रत्यावर्तित कर दी जाए और सुसंगत अभिधृति विधि के अनुसार ऐसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे गैर-जनजाति अंतरिती द्वारा संदत्त क्रय कीमत, यदि कोई हो, के आनुपातिक भाग की रकम ऐसे गैर-जनजाति अंतरिती को, या तो एकमुश्त या ऐसी वार्षिक किश्तों में, जो बारह से अधिक न हो (साढ़े चार प्रतिशत साधारण ब्याज सहित) जो कलक्टर निदेश दे, प्रत्यावर्तित की जाएगी। धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (डी) (ई), (एफ) और (जी) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, जनजाति से रकम की वसूली और गैर जनजाति अंतरिती और विल्लंगमों का दावा करने वाले व्यक्तियों को, यदि कोई हों, उसके संदाय के सम्बन्ध में लागू होंगे।"

इसमें एक परन्तुक भी है जो धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के समान है और इसी प्रयोजन को पूरा करता है।

13. संविधान की स्कीम के अधीन अनुसूचित जनजाति को एक वर्ग के रूप में शोषण के विरुद्ध विशेष संरक्षण दिया गया है। सुभिन्न वर्ग के रूप में अनुसूचित जनजाति का अस्तित्व और उनकी संस्कृति तथा जीवन पद्धति का परिरक्षण, जो कृषि पर आधारित है एवं जो जटिल रूप से भूमि के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है, उनकी भूमियों पर किसी भी प्रकार के आक्रमण को निवारित करने की अपेक्षा करता है। आक्षेपित अधिनियम और अनुसूचित जनजातियों

Tribal made within three years from the commencement of this Act and after making such inquiry as he thinks fit, direct that the land shall, subject to the provisions of sub-s. (4) of s. 3 be restored to the Tribal free from all encumbrances and that the amount of purchase price of a proportionate part there of, if any, paid by such non-tribal-transferee in respect of such land in accordance with the relevant tenancy law shall be refunded to such non-Tribal-transfree either in lump sum or in such annual instalments not exceeding twelve (with simple interest at 4-1/2 % per annum) as the Collector may direct. The provisions of clauses (d), (e), (f) and (g) of sub-s. (4) of s. 3 shall, so far as may be, apply in relation to the recovery of the amount from the Tribal and payment there of to the non-Tribal-transferee and the persons claiming encumbrances, if any."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भूमियों के अंतरणों पर विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये गये निर्बंधनों द्वारा किये गये समान उपाय संविधान के अनुच्छेद 46 में सम्मिलित राज्य की नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 46 में यह उपबंध है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजातियों के विशेष संरक्षण के लिए आवश्यकता की तीव्रता को महसूस करने के लिए बाहर से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घुसने वाले ऐसे सूदखोर, छली, लालची भूमि हड़पने वाले शोषक के मुकाबले केवल अनुसूचित जनजातियों की सरलता और छल-कपट के पूर्ण अभाव, अज्ञानता, निर्दोषिता, असहायता और आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखना है यदि उन्हें जीवित रहना है और प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की प्रसुविधाओं का लाभ उठाना है जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार किए हैं। संविधान के निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संरक्षण और आगे बढ़ाने तथा शोषण से निवारित करने के लिए बहुत ही महत्व दिया गया है और इस महत्व को संविधान के कई उपबंधों से मालूम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14, जिसका सकारात्मक रूप से निर्वचन किया जाता है तो वह अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर और दबे हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने और संरक्षण देने के लिए विधान को अग्रसर करने के लिए होगा। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकारी पदों में और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण हेतु विशेष उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(घ) और (ङ) द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार अर्थात् भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए स्पष्ट रूप से युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन बनाये गये हैं। अनुच्छेद 275 का परन्तुक विशेष रूप से राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त करने के लिए उपबंध करता है जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए हाथ में लिया जाए। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोक सभा में आरक्षण के लिए उपबन्ध करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। अनुच्छेद 335 विशेष रूप से यह निदेश देता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की क्षमता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए। अनुच्छेद 343(2) राष्ट्रपति को किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है जो संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियां मानी जाएंगी। संविधान का अनुच्छेद 244 और 244(क) पांचवीं और छठवीं अनुसूची को लागू करके किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करता है। पांचवीं अनुसूची का पैरा 3 विशेष रूप से अधिसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को, प्रति वर्ष या जब कभी भी इस प्रकार अपेक्षा की जाए, रिपोर्ट देने का आदेश देता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति उस पैरा द्वारा उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने के लिए विस्तारित की गई है। पैरा 5(2) राज्यपाल को किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम (क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे, (ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों की भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे, (ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे। अनुच्छेद 46 राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है जो राज्य द्वारा सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण देने के लिए उपबंध करता है। ये सब उपबंध अनुसूचित जातियों के जीवित रहने, संरक्षण देने और उनकी अखण्डता और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए निश्चित और कड़े उपाय करने के लिए राज्य के सभी वर्गों से विशेष सावधानी बरतने और कर्तव्य करने पर बल देते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

14. संविदा विधि को कहां तक और किस सीमा तक सर्वसुलभ न्याय (डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस) के सिद्धांत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए इस समस्या की ओर न केवल विधानमण्डलों और न्यायालयों का ही नहीं किन्तु विद्वानों का भी ध्यान आकर्षित होता रहा है। क्रोनमैन ने अपने विचारपूर्ण लेख 'कॉन्ट्रेक्ट लॉ एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस'[1] में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :—

> "यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि राज्य को बलपूर्वक एक समूह से दूसरे समूह को धन का बलपूर्वक पुन: वितरण कराना नैतिक रूप से स्वीकार्य है तो एकमात्र प्रश्न विचारार्थ यह शेष रहता है कि किस सीमा तक पुन: वितरण किया जाना चाहिए।"

विद्वान् लेखक के अनुसार यह बात न केवल कराधान से ही पूरी की जा सकती है किन्तु प्राइवेट संव्यवहारों के विनियामक नियंत्रण द्वारा भी पूरी जा सकती हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सर्वसुलभ ऋजुता व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कुछ कमी करके कराधान या संविदात्मक विनियमन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं।

15. वर्तमान विधान सर्वसुलभ न्याय की धारणा का अनूठा उदाहरण है जैसा कि आधुनिक विधिशास्त्री उसे जानते हैं। विधायक, न्यायाधीश और प्रशासक अब सर्वसुलभ न्याय की धारणा से परिचित हैं। हमारा संविधान राज्य को सर्वसुलभ न्याय लागू करने के लिए अनुज्ञात करता है और निदेश भी देता है। विधि बनाने के क्षेत्र में सर्वसुलभ न्याय की धारणा अन्य बातों के साथ-साथ समाज में असमान व्यक्तियों के बीच संव्यवहारों के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक असमानताओं को दूर करने और अन्याय को दूर करने के अर्थ को सूचित करती है। विधि का 'प्रत्येक से उसकी हैसियत के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार' सिद्धांत पर आधारित समाज के सदस्यों के बीच धन का उचित वितरण करने के लिए सर्वसुलभ न्याय के साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। सर्वसुलभ न्याय विभेदात्मक कराधान द्वारा, असमानताओं को कम करके, ऋण में राहत देकर अथवा किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व की कृषि और शहरी दोनों ही प्रकार की जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपित करके, संपत्ति का ऐसे असंख्य लोगों में वितरण करके, जिनके पास कुछ भी न हो अथवा कतिपय संव्यवहारों को प्रतिषिद्ध करके संविदात्मक संव्यवहारों का सीधा विनियमन करके और संभवत: अन्यों के लिए मांग करके इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इससे यह भी अभिप्रेत है

[1] येले ला जनरल 1979-80 वाल्यूम 89 पृष्ठ 472.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि ऐसे व्यक्तियों को, जो अविवेकपूर्ण सौदों द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित कर दिये गये हैं, उनकी संपत्ति प्रत्यावर्तित कर दी जानी चाहिए। ऐसी सब विधियां समाज के सदस्यों के बीच भौतिक संसाधनों का निष्पक्ष विभाजन करने के साधन के रूप में धन के बलपूर्वक पुनः वितरण का रूप ले सकती हैं अथवा अनुचित करारों पर विधायी नियंत्रण हो सकता है।

16. पिछले 40 वर्षों में अधिकांश जनजातियों का आर्थिक रूप से अधिक उन्नत और राजनैतिक रूप से अधिक शक्तिशाली जातियों द्वारा प्रहार किया गया है जो भूमियों और नई आर्थिक संभावनाओं की खोज में जनजातीय क्षेत्रों में घूमते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने से भूमि के लिए एक लड़ाई खड़ी कर दी है जिसमें मूल जनजाति के लोगों ने सामान्यतः हानि उठाई है और वे अपने पूर्वजों की भूमियों से वंचित हुए हैं और गरीब भूमिहीन मजदूर बन गये हैं। इस स्थिति का सामना और अनुसूचित जनजातियों को उनकी भूमि से वंचित होने और उनकी प्रतिष्ठा कम होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के विधान बनाये गये हैं। **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों**[1] के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण काम किये गये हैं। अनुसूचित जनजातियों की दुर्दशा या उनके सामने आने वाली विकट समस्याओं और उनके सर्वनाश को रोकने के लिए अंगीकृत विभिन्न उपायों की गहराई पर विचार करना इस निर्णय की परिधि से बाहर है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक अपराधों की अतिदुष्टता को, जो गैर-अनुसूचित जनजातियों ने जनजातियों के विरुद्ध किये हैं, समझने के लिए 'प्रोफेसर क्रिस्टोफ वोन फ्यूरर हैनमैनडर्फ कृत' 'ट्राइब्स आफ इण्डिया—द स्ट्रगल फार सरवाईवल' नामक पुस्तक को पढ़ना चाहिए। विद्वान् लेखक ने ठीक ही कहा है :—

> "जनजाति अल्संख्यकों के संरक्षक और सहायता के लिए किसी भी योजना में यह अन्तर्निहित है कि जनजाति के व्यक्तियों के लिए जो भी प्रसुविधाएं अनुध्यात हैं वे जनसंख्या के कुछ अधिक उन्नत वर्गों के हितों को प्रतिकूल रूप से अवश्य प्रभावित करेंगी। जनजाति की भूमि का अन्य-संक्रामण गैर-अनुसूचित जनजाति के भूमि स्वामियों को उनकी जोतों का विस्तार करने के अवसर से वंचित किये बिना स्थानीय व्यापारियों के क्रियाकलापों में साहूकारों के हस्तक्षेप द्वारा शोषण पर रोक होती है तथा छोटे अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण का

---

[1] एल्विन, वेरियर—दि रिलीजियन आफ एन इण्डियन ट्राइब मुम्बई (1955)
रसेल, आर० वी०—दि ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आफ दि सेन्ट्रल प्राविसेन्स आफ इण्डिया (लंदन) 1916.
ग्रिगसन, सर बिलफ्रिड—दि मारिया गोण्डस आफ बस्तर (लंदन) 1949.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उन्मूलन करने का कोई भी प्रयत्न अज्ञान और अशिक्षित जनजातियों के संव्यवहारों से होने वाली आय को घटा देता है। इस प्रकार जनजातियों के पुनर्वास की किसी भी नीति से निहित स्वार्थी लोगों का विरोध भड़कता है।"

17. आक्षेपित अधिनियम समाज के इस कमजोर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने के लिए राज्य की नीति को ध्यान में रखते हुए एक उपचारी उपाय के सिवाय और कुछ नहीं है। उनकी भूमियां विभिन्न तरीकों से साधारण विधि के अधीन अंतरण के तौर पर ली गई हो सकती हैं। विधि की प्रक्रिया और पद्धति का प्रकटतः अनुसरण किया गया है। किन्तु परिणाम विनाशकारी रहा है। इस प्रकार के असमान संव्यवहारों, जो बहुत ही अयुक्तिसंगत और अन्यायोचित थे, के परिणामस्वरूप, जनजातियों ने गैर-जनजातियों को अपनी भूमियां दे दी थीं और वे भूमिहीन हो गये थे। इस प्रकार के विधान में यह विवक्षित है कि विधि ऐसे संव्यवहारों को अयुक्तिसंगत और अपकारी मानता है और अंतरण को अनअस्तित्वशील मानते हुए जनजाति अंतरक को संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए निदेश देती है। यह स्वयंसिद्ध है कि कोई संविदा सौदे की शक्ति की अपर्याप्तता के कारण अपास्त किये जाने योग्य होती है, यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र सलाह के बिना ऐसे निबंधनों पर संविदा करता है जो बहुत ही अऋजु हैं अथवा संपत्ति को ऐसे प्रतिफल के लिए अंतरित करता है जो बहुत ही अपर्याप्त है जब उसकी सौदा करने की शक्ति उसकी स्वयं की आवश्यकता या परिस्थितियों के कारण अथवा उसकी अपनी स्वयं की अज्ञानता या अशक्तता के कारण, जिसमें असम्यक प्रभाव या दबाव भी है, जो उस पर डाला गया है अथवा अन्य के फायदे के लिए किया गया है, बहुत ही असमर्थ हो गई है।

18. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी० बंदोपाध्याय और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के विशेष सहायक बी० एन० युगधर ने सन् 1975 में सरकार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में बहुत सी जनजातियों के लोगों द्वारा अनुभव की गई न्यायोचित शिकायतों के कारण निम्नलिखित शब्दों में दिये हैं :—

"गिरिजन केवल लड़ाई की दशा में ही प्रशासन के संपर्क में उस समय आते हैं जब उन पर किसी एक या अन्य विनियमन के उल्लंघन या अतिक्रमण के कारण कार्यवाही की जाती है जो वास्तव में उनके रुढ़िजन्य अधिकारों और विशेषाधिकारों को न्यून, बातिल या विरूपित करती हैं। इस प्रकार, पार्वतीपुरम एजेन्सी पट्टी के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गिरिजनों ने प्रशासनिक मशीनरी और नव स्थापित स्थानीय संयुक्त स्वशासी संस्थानों से स्वयं को पूर्ण रूप से अलग पाया और उन्हें लाभप्रद आर्थिक क्रियाकलापों के अवसरों से वंचित किया गया था। वे न केवल गरीबी से ही पीड़ित थे अपितु असुरक्षा की गहरी भावना से ही ग्रस्त थे। उन्होंने स्वयं को प्रत्येक प्रक्रम पर और प्रत्येक मोर्चे पर वंचित पाया था। स्थानीय प्रशासन की कई दशाब्दियों की उपेक्षा के कारण संपूर्ण जनजाति में व्यथा और अन्याय की बहुत गहरी भावना फैल चुकी थी।" (रेखांकन हमने किया)

19. यह विधान सर्व-सुलभ न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। आक्षेपित अधिनियम दमन को कम करने, सौदेबाजी के असंतुलन को दूर करने, अनुचित फायदों को समाप्त करने और ईमानदारी एवं उचित व्यवहार को साधारणतः सुनिश्चित कराने के साधन के रूप में आशयित और अभिप्रेत है। वह परिस्थितियों के दबाव के कारण किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हक के अंतरण के परिणामस्वरूप असमान सौदे की शक्ति रखने वाले पक्षकारों के बीच संव्यवहारों पर पुनर्विचार करने के लिए है और पक्षकारों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए आशयित हैं। हाल ही में इस न्यायालय ने **मंचेगौड़ा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य**[1] के मामले में कर्नाटक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स (प्रॉहिबिशन आफ ट्रांस्फ़र आफ सरटेन लैण्ड्स) ऐक्ट, 1973 की संवैधानिक विधिमान्यता को कायम रखा था। उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अंतरित भूमियों के प्रत्यावर्तन के लिए उपबंध किया गया था जहां भूमि की मंजूरी के साथ दी गई भूमियों के अंतरण के प्रतिषेध के संबंध में एक शर्त संलग्न थी। उसने यह शर्त नामंजूर कर दी थी कि अधिनियम की धारा 4 और 5, जो अंतरणों के टाले जाने के लिए उपबंध करती है, संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 की अतिक्रमणकारी थी। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अंतरिती पर लगाये गये प्रतिषेध के अतिक्रमण में ऐसी भूमियों का कोई अंतरण केवल रद्द करने योग्य हक (टाइटल) है और इसीलिए उपबंधों को मनमाना, अवैध और शून्य नहीं माना जा सकता।

20. सर्वसुलभ न्याय के लिए किये गये विधानों के उदाहरण अज्ञात नहीं हैं। **फतेहचंद हिम्मत लाल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] के मामले में महाराष्ट्र

[1] 1984 एस० सी० सी० 301.

[2] [1977] 2 एस० सी० आर० 828.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डेट रिलीफ ऐक्ट, 1976 के उपबंधों को चुनौती दी गई थी। वह अधिनियम साहूकारी के कारबार को प्रतिषिद्ध नहीं करता था किन्तु उसके द्वारा किसी निश्चित तारीख तक साहूकारों को देय सब ऋणों को समाप्त कर दिया गया था और उन्हें उनके ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई भूमि को ऋणियों को लौटाने के लिए बाध्य किया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि साहूकारा व्यापार या कारबार नहीं था किन्तु यदि वह है तो भी अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 304(ख) के अर्थ में साहूकारे के कारबार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित किये गये हैं। साहूकारी की बुराई केवल कुछ मामलों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि व्यापक रूप से थी, चूंकि वह बहुत से कृषि और ग्रामीण ऋणियों को प्रभावित करती है। उच्च न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री पेश की गई थी और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि इस प्रकार पेश की गई सामग्री यह दर्शाती है कि साहूकारी को बुरे क्रियाकलाप के रूप में नहीं देखा जा सकता। सामग्री से यह प्रकट होता है कि ऋणियों को सहायता देने के लिए पूर्व विधायी प्रयत्न असफल रहे हैं। विधि के प्रवर्तन के लिए गंभीर रूप से प्रयास नहीं किया गया था अथवा उधार लेने वालों की आवश्यकताओं और निरक्षरता और अज्ञानता के कारण अथवा साहूकारों की बेइमानी के कारण अथवा इन सब तथ्यों के संयुक्त प्रभाव के कारण विधायी प्रयास असफल रहे हैं। इसलिए न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या इस सब साक्ष्य को देखते हुए और ऋणियों को सहायता देने के लिए पूर्ववर्ती विधियों की असफलता के कारण विधानमण्डल किसी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किये बिना सभी ऋणों को समाप्त कर सकता है और उधार लेने वालों को ऋणों के लिए दी गई प्रतिभूति प्रत्यावर्तित कर सकता है।

21. **पथुम्मा** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में केरल एग्रीकल्चरिस्ट्स डैट रिलीफ ऐक्ट, 1970 की धारा 20 को पहले विधायी क्षमता के अभाव के आधार पर और दूसरे अनुच्छेद 19(1)(च) के उल्लंघन के कारण तथा तीसरे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण चुनौती दी गई थी। अपने दो पृथक् निर्णयों के द्वारा न्यायालय ने **फतेह चन्द हिम्मत लाल**[2] वाले मामले में व्यक्त किए गए मत को दोहराया था। अधिनियम की धारा 20 द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट रीति से क्रय मूल्य लौटाने पर डिक्री के निष्पादन में बेची गई किसानों की सम्पत्ति को वापस लौटाने के लिए उपबन्ध किया गया था। इसके द्वारा ऐसे डिक्रीधारक जो

---

[1] [1978] 2 एस० सी० आर० 537.

[2] [1977] 2 एस० सी० आर० 828.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बन्धक डिक्री के निष्पादन में बेची गई किसी किसान की सम्पत्ति का क्रेता बन गया है और ऐसे पर-व्यक्ति के बीच अन्तर किया गया है, जिसने न्यायालय द्वारा किए गए विक्रय में ऐसी सम्पत्ति खरीदी है। पुनः, धारा 20 पर-व्यक्ति नीलाम क्रेता और वास्तविक अन्य-संक्रामण के बीच प्रभेद करती है, जिसने अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से पूर्व नीलाम क्रेता से ऐसी सम्पत्ति खरीदी हो। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लेनदारों का वर्गीकरण बोधगम्य अन्तर पर आधारित है और यह कि वर्गीकरण के आधार तथा प्राप्तव्य उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध है। अतः अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता और न ही किसान देनदारों को सम्पत्ति वापस दिलाने के लिए धारा 20 का उपबन्ध अनुच्छेद 19(5) के अन्तर्गत अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है। जहां तक विधायी क्षमता का सम्बन्ध है, सम्मत निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम स्पष्टतः सूची II में प्रविष्टि 30 के स्पष्ट सापेक्ष में है अर्थात् धन उधार देने और धन उधार देने वाले कर्जे का अनुतोष। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 20 उस समय अनुतोष प्रदान करती है जब सम्पत्ति के विक्रय द्वारा ऋण समाप्त हो जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसका कोई कारण नहीं है कि कर्जे से अनुतोष अस्तित्वयुक्त कर्जे तक ही सीमित रखा जाए और इसके अन्तर्गत उन किसानों को अनुतोष देने की आवश्यकता न आए जिन्होंने अपने विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में न्यायालय के विक्रय द्वारा अपनी स्थावर सम्पत्ति गंवा दी है और जो अनाथ हो गए हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि **पाथुम्मा**[1] वाले मामले में कृषिक कर्जे से अनुतोष की दशा में विधायी इतिहास को तथा उन किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, जो अनाथ हो गए हैं, अधिनियम की धारा 20 की विधिमान्यता को स्वीकार किया गया था, जिसके अनुसार ऋण की वसूली के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में बेची गई अथवा रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार बेची गई अथवा बकाया लगान आदि की किसी डिक्री के निष्पादन में बेची गई उनकी स्थावर सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन (वापस लौटाने) के लिए उपबंध किया गया था। अधिनियम क्रेता को प्रतिकर के संदाय के बिना सम्पत्ति से वंचित नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत, इसका यह व्यादेश है कि क्रय धन उसे वापस दे दिया जाएगा। जिस मामले में डिक्रीधारक क्रेता को उसमें देनदार कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए न्यायालय को आवेदन के साथ-साथ आधा क्रय धन जमा करने के लिए तथा शेष रकम ब्याज सहित 6-6 मास की दस बराबर किस्तों में संदत्त करने के लिए अनुज्ञात है। जहां तक पर-व्यक्ति नीलाम क्रेता का

---

[1] [1978] 2 एस० सी० आर० 537.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्बन्ध है, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उसका भी वही स्थान है जो डिक्रीधारक का है और वह यह शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि उसने सम्पत्ति करस्थम् विक्रय पर खरीदी है और इसीलिए वह किसान देनदार को उसे वापस देने के लिए आबद्ध है। फिर भी विधि के अनुसार उसके साथ एक अन्तर किया गया क्योंकि डिक्री से उसका कोई सरोकार नहीं था और इसीलिए वह किसान कर्जदार की सम्पूर्ण रकम एकमुश्त में संदत्त करने पर लौटाने के लिए व्यादिष्ट था। इसके अतिरिक्त, यदि सम्पत्ति में अनुवृद्धियां कर दी गई हों तो कर्जदार से यह अपेक्षित किया गया कि वह क्रेता को संदत्त करने के लिए ऐसी अनुवृद्धियों की लागत जमा करे। निर्णय को अनेक प्रोद्धरणों से बोझिल करना आवश्यक नहीं है।

22. आक्षेपित अधिनियम की सांविधानिक विधिमान्यता को अनेक आधारों पर चुनौती दी गई है। वे हैं: (1) अधिनियम की धारा 3(1) और 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध जो उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किए गए जनजातीय लोगों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों को भूमियों के अन्तरणों के बातिलकरण के लिए तथा उन्हें कब्जा वापस दिलाने के लिए उपबन्ध करते हैं। सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत राज्य की विधायी क्षमता से बाहर हैं। (2) 1 अप्रैल, 1957 को उस तारीख के रूप में मानना जिससे धारा 3(1) और 4 के अधीन अंतरणों को बातिल किया गया है, मनमानी कार्रवाई है और अनुच्छेद 14 का अतिलंघन करने के कारण शून्य है क्योंकि ऐसी तारीख नियत करने और विधान द्वारा प्राप्तव्य उद्देश्य के बीच कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। (3) आक्षेपित अधिनियम अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है; क्योंकि इसके द्वारा समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया गया है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति के लोगों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातीय लोगों को अधिमानता दी गई है जबकि अनुसूचित जाति के लोग भी समाज के कमजोर वर्गों में आते हैं और इसका कोई युक्तियुक्त व तर्कसंगत आधार नहीं है। (4) धारा 3(1) और 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध अनुच्छेद 13(2) के अनुसार शून्य हैं क्योंकि वे समता के सिद्धांत का अतिवर्तन करते हैं, जो कि संविधान का बुनियादी ढांचा है, क्योंकि गैर-जनजातीय अन्तरिती, जिसने 1 अप्रैल, 1957 से 6 जुलाई, 1974 के बीच की अवधि के दौरान एक जनजातीय अन्तरण के अधीन प्राप्त भूमि का अपयोजन किया और ऐसी भूमि का इस्तेमाल गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए किया और ऐसे अन्य जनजातीय अन्तरितियों के बीच अन्तर किया गया है, जिन्होंने इसी अवधि के दौरान किए गए अन्तरण के अधीन जनजातीय लोगों की भूमि का कब्जा लिया था किन्तु

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जो उस भूमि का उपयोग कृषिक प्रयोजनों के लिए करते रहे और ऐसे विभेदात्मक व्यवहार के लिए कोई युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं है। अतः अनुच्छेद 14 के अतिवर्तन में है। (5) धारा 2(1)(i) में अन्तर्विष्ट गैर-जनजातीय अन्तरिती की परिभाषा में भी यही दोष है, क्योंकि यह 15 मार्च, 1971 से पहले किए गए अन्तरणों को धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन बातिलकरण के परिणाम से मुक्त रखती है, जिसके लिए कोई विधिपूर्ण औचित्य नहीं है और इस प्रकार यह अधिनियम अनुच्छेद 14 में अन्तर्विष्ट समता खण्ड का घोर उल्लंघन करता है तथा (6) अधिनियम की धारा 9-क अनुच्छेद 19(1)(च) में प्रत्याभूत सम्पत्ति के अर्जन धारण और व्ययन के अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन के समान है क्योंकि कलक्टर द्वारा स्वयंमेव या अधिनियम की धारा 3(1) या धारा 4 के अधीन जनजातीय द्वारा किए गए आवेदन पर आरम्भ की गई कार्यवाहियों में गैर-जनजातीय अन्तरितियों को अपनी पसन्द का वकील करने का अवसर नहीं दिया जाता। हमें खेद है कि इनमें से कोई भी दलील मान्य नहीं है।

23. पहली दलील यह है कि अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, जिनमें एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जनजातीय द्वारा गैर-जनजातीय को किए गए भूमियों के अन्तरण के बातिलकरण के लिए तथा ऐसी भूमि का कब्जा उन्हें वापस दिलाने के लिए उपबन्ध किया गया है, सातवीं अनुसूची में सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल की विधायी क्षमता के बाहर हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य को सूची 2 में प्रविष्टि 18 के अधीन विधि बनाने की क्षमता नहीं है, जिसका प्रभाव उन हकों को अस्थिर करना हो जो पारस्परिक अन्तरण द्वारा या न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा गैर-जनजातीय अन्तरितियों में इस समय निहित हैं। दलील दी गई कि इस प्रकार की विधि बनाने की राज्य विधानमण्डल को कोई विधायी क्षमता प्राप्त नहीं है, जिसका तात्पर्य मात्र इस कारण "ख" को भूमि का अन्तरण करने के लिए "क" को निदेश दिया जाए कि उसने वह भूमि "ख" से अन्तरण द्वारा प्राप्त की है और "ख" एक जनजातीय है। इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान में कहीं भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जिसके अनुसार ऐसी कोई विधि बनाई जा सके क्योंकि आक्षेपित अधिनियम का सम्बन्ध उतना भूमि से नहीं है जितना जनजातीय से है। निवेदन किया गया कि गैर-जनजातीय अन्तरितियों से राज्य द्वारा भूमि का अर्जन किए बिना भूमि अन्तरणों के बातिलकरण मात्र से जनजातीय को वापस नहीं दिलाई जा सकती। हम इस प्रकार के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

24. आक्षेपित अधिनियम बनाने की राज्य की विधायी क्षमता के अभाव के सम्बन्ध में किया गया निवेदन सूची 2 में प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत राज्य की विधायी शक्ति की प्रकृति और तत्त्व की भ्रामक धारणा पर आधारित है। यह प्रविष्टि इस प्रकार है—

> "18. भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और अभिधारियों का संबंध है और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्य-संक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार; उपनिवेशन।"

इस दलील में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि आपेक्षित अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों से जो स्वीकृत रूप से समाज के कमजोर वर्ग हैं और उन व्यक्तियों के बीच, जो अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, किए गए कृषि भूमि संबंधी संव्यवहारों पर प्रहार करता है। विगत अनुभव से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का समाज के समृद्ध और शक्तिशाली वर्गों के सदस्यों ने नाममात्र के प्रतिफल के लिए या बिना कोई प्रतिफल दिए विक्रय, दान, बंधक आदि के द्वारा उनकी भूमि का अन्तरण प्राप्त करने के लिए उनकी अज्ञानता और निर्धनता के कारण शोषण किया गया है और उन्हें व्यावहारिक दृष्टि से भूमिहीन बना दिया गया है। यह भी महसूस किया गया कि बहुविध कर्त्तव्यों के कारण उपखण्ड अधिकारियों और कलक्टरों ने विद्यमान परिस्थितियों पर सोच-विचार किए बिना ऐसे अन्तरण को मंजूरी प्रदान कर दी। यह भी महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्य महाराष्ट्र कोआपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट, 1960 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए या अन्यथा उनकी भूमियों को बेचे जाने के कारण परिस्थितियों के शिकार हो गए हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों ने अधिकांश भूमि का अन्तरण अपने कर्जे के कारण विवश होकर किया है और उनकी भूमि उन लेनदारों के पास पहुंच गई, जिन्होंने असामान्य आधार पर ब्याज की अत्यन्त ऊंची दरों पर धन उधार दिया है और वे इस प्रकार उधार लेने वालों की इच्छा पर हावी रहने की स्थिति में हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत किया था कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 1966 और सुसंगत अभिधृति विधियों के उपबंध अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने में कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि उस भमि का कब्जा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वापस दिलाने के लिए उपबंध किया जाए, जो उन्होंने अन्य व्यक्तियों को सम्यकत: अन्तरित कर दी है। जब जनजातियों और गैर-जनजातियों में कोई अन्तरण होता है तो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हमेशा यह उपधारणा की जाती है कि यह बराबर का सौदा नहीं है। जहां तक कर्जदार और असहाय का सम्बन्ध है, विधि विशेष संरक्षण की दृष्टि से उनकी रक्षा करती है। अतः विधानमण्डल आगे आया और उसने यह निदेश देकर ऐसे संव्यवहार फिर से खोल दिए कि भूमियां जनजातीय अन्तरक को धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित रकम गैर-जनजातीय अन्तरितियों को संदत्त करने पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त, उन्हें वापस दिलाई जाएं। धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन कब्जा वापस दिलाकर इस अर्थ में सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाता कि प्रतिफल के बिना हक अस्थिर किया गया है। इसमें विस्तृत उपबंध करके उन शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिनके अधीन रहते हुए जनजातीय द्वारा गैर-जनजातीय को कृषि भूमि का अन्तरण बातिल किया जा सकता है और कब्जा वापस दिलाया जा सकता है। इसमें उन विधिक परिणामों के लिए भी उपबंध किया गया है, जो ऐसे कब्जे के वापस दिलाने पर पैदा होंगे, जैसे जनजातीय अन्तरक द्वारा गैर-जनजातीय अन्तरिती को प्रतिफल का प्रतिसंदाय और उसे की गई अनुवृद्धियों, यदि कोई हैं, के खर्चे के कारण संदाय करने का दायित्व भी निभाना होगा। साथ ही अन्तरक को यह वचन देना होगा कि उसे भूमि अपनी निजी खेती के लिए चाहिए। साथ ही इसमें इस प्रकार अवधारित रकम के संदाय करने का ढंग भी विहित किया गया है। सारांश यह है कि विधानमण्डल का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्पत्ति प्रत्यावर्तित करना है, जिनकी वह भूमि मूलतः थी। किन्तु यह पक्षकारों में साम्या के समायोजन के अधीन रहेगी।

25. अपनी वास्तविक प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से आक्षेपित अधिनियम राज्य में अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के लिए गैर-जनजातीय व्यक्तियों को कृषि भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामण विषयक विधि है। ऐसी विधि सूची 3 में प्रविष्टि 6 और 7 के अन्तर्गत नहीं आती बल्कि सूची 2 में प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत आती है। हम यहां सूची 3 में प्रविष्टि 6 और 7 का उल्लेख करना चाहेंगे जो इस प्रकार है—

> "6. कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अन्तरण; विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण।"
>
> "7. संविदाएं, जिनके अन्तर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं हैं, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं हैं।"

सूची 3 की प्रविष्टि 6 में "कृषि भूमि से भिन्न" शब्द और सूची 3 की प्रविष्टि 7 में "कृषि भूमि सम्बन्धी संविदाएं नहीं हैं" शब्दों का प्रभाव कृषि भूमि के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्तरण और अन्य-संक्रामण की बाबत या उससे सम्बन्धी संविदाओं की बाबत विधि बनाने की संघ की विधायी शक्ति को परिसीमित करना होगा। राज्य को विधान बनाने की शक्ति से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के उपबंध संयोगवश वर्तमान विधि अर्थात् सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 और संविदा अधिनियम, 1872 या संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात् विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 का अतिक्रमण करते हैं। सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अन्तर्गत कृषि भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामणों की बाबत विधि बनाने की राज्य विधानमण्डल की शक्ति के साथ ऐसी विधि बनाने की ही शक्ति नहीं है, जो उस पर प्रतिषेध सहित ऐसी भूमि के अन्तरण और अन्य-संक्रामण पर निर्बन्धन लगाती है, बल्कि ऐसे अन्तरणों और अन्य-संक्रामणों को फिर से खोलने की विधि बनाने की शक्ति भी है। ऐसी शक्ति स्पष्टत: राज्य विधानमण्डल की विधायी क्षमता के अन्तर्गत है, जोकि सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 18 के सापेक्ष में है।

26. शेष दलीलें अपीलार्थी के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं हैं क्योंकि आक्षेपित अधिनियम संविधान की नवीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए यह निवेदन कि अधिनियम की धारा 3(1) और 4 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(च) या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उसे छीनते हैं या उसका अल्पीकरण करते हैं, आरम्भ में ही अस्वीकृत करनी होगी क्योंकि ये अनुच्छेद 31-ख के अधीन ऐसी किसी भी चुनौती से संरक्षित है।

27. अन्यथा भी, शेष दलीलें नहीं चल सकतीं। यह दलील कि 1 अप्रैल, 1957 को उस तारीख के रूप में मानेंगे जिससे धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन अन्तरणों का बातिलकरण किया गया है, अनुच्छेद 14 का अतिलंघन करने के कारण मनमानी और शून्य है, पूर्णत: भ्रामक प्रतीत होती है। धारा 2(1)(i) में "अन्तरण" शब्द की परिभाषा में 1 अप्रैल, 1957 तारीख को अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के उपबंधों को प्रवर्तित करने की तारीख के रूप में अपनाना बोधगम्य या तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित है। विधानमण्डल के लिए किसी विधि को प्रवर्तित करने के समय के आधार पर वर्गीकरण करना अनुज्ञेय है। आवश्यकता इस बात की है कि समय सम्बन्धी वर्गीकरण के आधार और प्राप्तव्य उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध होना चाहिए। अधिनियम में धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन जनजातीय और गैर-जनजातीय को किए गए अन्तरणों के बातिलकरण के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1 अप्रैल, 1957 अपनाई गई है क्योंकि यह तारीख बाम्बे टेनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों के लिए 'किसान दिवस' थी, जिसके आधार पर गैर-जनजातीय अन्तरिती इस आधार पर उनकी जोत खरीदने के लिए अभिधृति न्यायालयों में आवेदन फाइल कर सकते थे कि वे उन पर किसान के रूप कब्जेदार हैं। अतः ऐसी तारीख नियत करने और प्राप्तव्य उद्देश्य में युक्तियुक्त सम्बन्ध था और आक्षेपित अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता।

28. अगली दलील यह है कि आक्षेपित अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिवर्तन करता है क्योंकि इसके अनुसार असमान लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया गया है, जैसे (1) अनुसूचित जातियों के सदस्यों के साथ, जो कि समाज के कमजोर वर्ग हैं, विभेदपूर्ण व्यवहार किया गया है, और (2) गैर जनजातियों के अन्तरितियों को जिन्होंने खरीदी गई भूमि गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल कर ली है और अन्य गैर-जनजातीय अन्तरितियों को, जो उसका प्रयोग कृषिक प्रयोजनों के लिए ही कर रहे हैं, अधिमानता दी गई है जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। इन दोनों निवेदनों में कोई सार नहीं है। पहले तो जो अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अन्तरिती हैं, वे सम्भवतः अनुसूचित जातियों के सदस्यों की वकालत नहीं कर सकते, इसके विरुद्ध अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अर्थात् वे जनजातीय जो अत्यन्त आदिवासी हैं, एक सुभिन्न वर्ग में आते हैं, जिन्हें राज्य का विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसी विधियां कहां तक और किन प्रक्रमों तक कार्यान्वित की जाएं, यह प्रश्न एक नीति का प्रश्न है, अतः न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरे, यह अधिनियम निस्संदेह गैर-जनजातीय अन्तरिती, जिसने 1 अप्रैल, 1957 से 6 जुलाई, 1974 के बीच की अवधि के दौरान एक जनजातीय से अन्तरण के अधीन प्राप्त भूमि का प्रयोग बदलकर उसे गैर कृषि प्रयोजनों में ले लिया है और अन्य गैर जनजातीय अन्तरितियों के बीच, जिन्होंने इसी अवधि के दौरान जनजातियों से किए गए अंतरणों के अधीन कब्जा ले लिया है किन्तु जो उसका प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए ही कर रहे हैं, विभेद करता है। समान रूप से स्थित व्यक्तियों के सामाजिक वर्गों में भेदभावपूर्ण व्यवहार का कोई प्रश्न नहीं है जब भूमि का कोई भाग गैर-प्रयोजन के लिए अर्थात् मकान बनाने के लिए या उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयुक्त कर लिया जाए तो राज्य विधानमण्डल स्पष्टतः सूची 2 में प्रविष्टि 18 के अधीन जनजातीय द्वारा ऐसी भूमि के अंतरण के बातिलकरण के लिए विधि नहीं बना सकता था क्योंकि भूमि का प्रयोग गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किए जाने के कारण वह भूमि कृषि भूमि नहीं रही थी। ऐसी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गैर कृषि भूमि की दशा में यदि राज्य विधानमण्डल ऐसी विधि बनाता है, तो वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित न रखी जाए और उसे ऐसी अनुमति प्राप्त न हो जाए।

29. वैसे ही यह तर्क भी निरर्थक है कि धारा 2(1)(i) में अन्तर्विष्ट "गैर-जनजातीय अन्तरिती" की परिभाषा से अनुच्छेद 14 का अतिवर्तन होता है क्योंकि यह 15 मार्च, 1971 से पहले किए गए गैर-जनजातीय अन्तरिती की समनुदेशिती को अधिनियम की धारा 3(1) या धारा 4 के अधीन निराकरण के परिणाम से बच निकलने के लिए अनुज्ञात करती है। धारा 2(1)(i) में "गैर-जनजातीय अन्तरिती" की परिभाषा समावेशनकारी परिभाषा है। "गैर-जनजातीय अन्तरिती" पद की परिभाषा के अनुसार, इसके अन्तर्गत उसका हित उत्तराधिकारी भी आता है, और यदि उसने या उसके उत्तराधिकारी ने 15 मार्च, 1971 को या के बाद ऐसे किसी व्यक्ति के नाम भूमि का अन्तरण कर दिया है, चाहे वह जनजातीय को या गैर-जनजातीय, तो वह इस परिभाषा की परिधि के अन्तर्गत आता है। विधानमण्डल ने तारीख 15 मार्च, 1971 अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के उपबंधों को भूतलक्षी रूप से भाव देने की दृष्टि से नियत की थी क्योंकि यही वह तारीख थी जिसको सरकार ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 1966 और सुसंगत अभिधृति विधियों के उपबंधों को अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कहां तक प्रभावी किया गया है, इस सम्बन्ध में जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए समिति का गठन किया था। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि धारा 2(1)(i) में अन्तर्विष्ट गैर-जनजातीय अन्तरिती की परिभाषा 15 मार्च, 1971 से पहले किए गए गैर-जनजातीय अन्तरिती के समनुदेशिती को अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन बातिलकरण के परिणामों के बीच निकलने के लिए अनुज्ञात करती है। धारा 2(1)(i) के अधीन "गैर-जनजातीय अन्तरिती" पद की परिभाषा का ऐसा अर्थ करना अधिनियम की योजना के प्रतिकूल होगा।

30. जहां तक अधिनियम की धारा 3(1) के दो परन्तुकों और धारा 4 का सम्बन्ध है, जो एक ऐसे शब्दों में हैं, वे ऐसी स्थिति में प्रवर्तित होने के लिए अभिप्रेत हैं, जिसमें गैर-जनजातीय अन्तरिती ने अपनी भूमि लोक प्रयोजन के लिए अर्जित किये जाने के बाद प्रश्नगत अवधि के दौरान अन्तरण के अधीन जनजातीय से भूमि अर्जित की है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार अन्तरित भूमि में से केवल आधी भूमि जनजातीय अन्तरक को वापस दिलाई जाएगी, जबकि गैर-जनजातीय अन्तरिती अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर की रकम अपने पास रखने के लिए अनुज्ञात है। ये परन्तुक उस घटना को कुछ कम करने के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिप्रेत हैं, जो गैर-जनजातीय अन्तरिती को अन्यथा भुगतनी पड़ेगी, जिसे पुन: भूमिहीन बना दिया जाएगा यदि उससे यह अपेक्षा की गई कि अधिनियम की धारा 3(1) या धारा 4 के अधीन समस्त भूमि वापस दे दी जाए।

31. अगला और अन्तिम प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अधिनियम की धारा 9-क सांविधानिक दृष्टि से शून्य है क्योंकि इससे (i) महाराष्ट्र राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामांकित अधिवक्ता के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा प्रत्याभूत अपनी वृत्ति चलाने के मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ता है और (ii) उन अपीलार्थियों के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है जो गैर-जनजातीय हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसन्द के विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने से निवारित किया गया है।

32. हमारे समक्ष जो समस्या है, उसे दो पहलुओं से देखना होगा, पहला विधि-व्यवसायी के दृष्टिकोण से और मुकदमे के पक्षकार के दृष्टिकोण से। यद्यपि, अधिनियम की धारा 9-क अनुच्छेद 19(1)(छ) का अतिवर्तन करती है, इस बारे में विचारणीय प्रश्न मुकदमा लड़ने वाले जनसाधारण के लिए, विशिष्टत: विधिक वृत्ति के लिए, अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है, फिर भी यह अनिर्णीत नहीं रहा है क्योंकि उल्लिखित दोनों दृष्टिकोणों से, विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनेक विनिश्चयों द्वारा इसे व्यावहारिक दृष्टि से अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 9-क इस प्रकार है —

*"9-क. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तत्समय किसी बात के होते हुए भी कोई प्लीडर, कलक्टर, आयुक्त या महाराष्ट्र राजस्व अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से हाजिर होने के लिए हकदार नहीं होगा :

परन्तु जहां पक्षकार अवयस्क है या विकृत-चित्त है, वहां उसका संरक्षक ऐसी कार्यवाही में हाजिर हो सकेगा और नि:शक्तता वाले

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"9-A. Notwithstanding anything contained in this Act or any law for the time being in force, no pleader shall be entitled to appear on behalf of any party in any proceedings under this Act before the Collector, the Commissioner or the Maharashtra Revenue Tribunal :

Provided that, where a party is a minor or lunatic, his guardian may appear, and in the case of any other person

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसका प्राधिकृत अभिकर्ता हाजिर हो सकेगा।"

33. यह दलील कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन नामांकित अधिवक्ता को सभी न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष वकालत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, स्वीकार्य नहीं है। निस्संदेह ऐसे अधिकार अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदान किया गया है किन्तु विधिक वृत्ति का दुर्भाग्य है कि धारा 30 अभी तक प्रवृत्त नहीं की गई है, हालांकि यह अधिनियम पिछले 22 वर्षों से स्टेट्यूट बुक पर है। इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसे अन्यत्र उठाने का काम विधिज्ञ परिषद् का है। अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति स्वतः सभी न्यायालयों में सुने जाने के अधिकार के लिए हकदार नहीं है, जब तक कि इस अधिनियम की धारा 30 पहले प्रवृत्त न कर दी जाए। यह एक ऐसा विषय है जो अभी तक विभिन्न कानूनों द्वारा विनियमित होता है और वकालत करने के अधिकार की सीमा इन कानूनों के निबंधनों पर निर्भर करनी चाहिए। अतः नामांकित किए गए अधिवक्ता का वकालत करने का अधिकार ठीक वही है, जो उसे विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 की धारा 14(1)(क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त किया गया है।

34. इस विषय की निश्चित विधि को देखते हुए हमें केवल यही अभिनिर्धारित करना होगा कि अधिनियम की धारा 9-क अधिवक्ताओं पर अपनी वकालत करने पर असांविधानिक निर्बन्धन नहीं है।

35. अब हम विषय के दूसरे पहलू पर आते हैं और वह यह है कि अधिनियम की धारा 3(1) और 4 के अन्तर्गत न आने वाले विषयों में मुकदमे के पक्षकार का कलक्टर के समक्ष प्रतिनिधित्व किए जाने का तथाकथित अधिकार क्या है। अब यह सुस्थिर है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उपबंधों के अतिरिक्त किसी भी मुकदमे के पक्षकार को किसी भी न्यायालय में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का मूल अधिकार नहीं है। संविधान द्वारा मान्य एकमात्र मूल अधिकार अनुच्छेद 22(1) के अन्तर्गत है, जिसके अनुसार कोई अभियुक्त, जो गिरफ्तार किया जाए और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए अपनी पसन्द के विधि-व्यवसायी से सम्पर्क करने और प्रतिरक्षा किए जाने के लिए हकदार है। अन्य सब मामलों में अर्थात् वादों या अन्य कार्यवाहियों में, जिनमें अभियुक्त गिरफ्तार

---

under disability, his authorised agent may appear, in such proceedings."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं किया गया है और आपराधिक आरोप पर निरुद्ध नहीं किया गया है, मुकदमे के पक्षकार को विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का मूल अधिकार नहीं है। हम यह जानते हैं कि विधानमण्डल ने यह महसूस किया कि यदि वकीलों को गैर-जनजातीय अन्तरितियों की ओर से हाजिर होने, बहस करने या कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया तो विधान को कार्यरूप देने के लिए लोकहित की पूर्ति नहीं होगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जनजातीय और गैर-जनजातीय व्यक्ति असमान स्थिति में है और गैर-जनजातीय अन्तरिती अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग के होने के कारण सभी प्रकार के अभिवाक् देकर अधिनियम की धारा 3(1) और धारा 4 के अधीन कलक्टर के समक्ष अनावश्यक रूप से कार्यवाहियों को लम्बी खीचेंगे जिससे अपनी भूमि को वापस लेने के लिए जनजातियों के अधिकारों को विलम्बित या विफल किया जा सके। कलक्टर के समक्ष वाली कार्यवाहियां बहुत तत्परतापूर्वक पूरी करनी होंगी और अन्तरित भूमि, किसी भी विधि द्वारा किए गए विलम्ब के बिना, अधिनियम की धारा 3(1) और 4 के अधीन जनजातीय को वापस करनी होगी।

36. परिणामस्वरूप अपीलें असफल रहेंगी और खर्चे सहित खारिज की जाएंगी।

अपीलें खारिज की गईं।

जैन/क्ष०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तोता सिंह (सरदार)

बनाम

मैसर्स गोल्ड फील्ड लैंदर वर्क्स, मुम्बई

(तारीख 15 जनवरी, 1985)

(न्यायाधिपति आर० एस० पाठक, ई० एस० वेंकटरामय्या और वी० बाल कृष्ण ऐराडी)

बाम्बे रेंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947—धारा 15(1) और (2)—[सपठित बाम्बे रेंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1959 की धारा 15(1)] —उप-किरायेदारी की विधिमान्यता—उप-किरायेदारी करने पर लगाए गए प्रतिषेध का किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए प्रभावी होना एवं उपधारा (2) द्वारा तारीख 21 मई, 1959 के पूर्व प्रभावी उप-किरायेदारी से प्रतिषेध हटाया जाना—1959 के पूर्व की गई उप-किरायेदारी उसी दशा में विधिमान्य होगी जब उप-किरायेदार 1959 के संशोधन अधिनियम से पूर्व काबिज हो और संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कब्जे में बना रहा हो। अतः उप-किरायेदार द्वारा रखा गया उप-किरायेदार भी बेदखल नहीं किया जा सकता बशर्ते कि वह उक्त संशोधन के पूर्व काबिज हो।

एक भवन भागीदारी फर्म गोल्ड फील्ड लैंदर वर्क्स को किराये पर दिया गया था। गोल्ड फील्ड ने मानक चन्द भीखाभाई को दुकान का एक भाग उप-किराये पर दिया था। उप-किरायेदार मानक चन्द ने सन् 1952 में इस भाग को सरदार तोता सिंह को उप-किराये पर दिया था। गोल्ड फील्ड ने मानक चन्द के विरुद्ध परिसरों को अवैध रूप से उप-किराये पर देने और संरचना में अप्राधिकृत रूप से परिवर्तन करने के आधार पर परिसरों के कब्जे के लिए सन् 1962 में एक वाद फाइल किया था। मानक चन्द ने वाद का विरोध किया। अपीलार्थी ने वाद के लम्बित रहने के दौरान उसे भी प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया था किन्तु गोल्ड फील्ड द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था और आवेदन नामंजूर कर दिया गया था। अन्ततोगत्वा पक्षकारों के बीच समझौते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अनुसार कब्जे के लिए गोल्ड फील्ड के वाद को डिक्रीत कर दिया गया। इसके पश्चात् तोता सिंह ने इस घोषणा के लिए कि उसका परिसरों पर कब्जा है और वह वैध किराएदार है और गोल्ड फील्ड को डिक्री के, जो उस फर्म ने मानक चन्द के विरुद्ध प्राप्त की थी, निष्पादन से रोकने के लिए व्यादेश हेतु 1966 का वाद सं० 2454 फाइल किया। लघुवाद न्यायालय ने वाद का विचारण किया और 17 अप्रैल, 1973 को वाद की डिक्री कर दी। गोल्ड फील्ड ने अपील की। लघुवाद न्यायालय की अपील न्यायपीठ ने तारीख 30 अप्रैल, 1975 को अपील खारिज कर दी थी। अपील न्यायपीठ ने विचारण न्यायाधीश के निष्कर्ष की पुष्टि कर दी थी। गोल्ड फील्ड ने लघुवाद न्यायालय की अपील न्यायपीठ के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में विशेष सिविल आवेदन फाइल किया था और तारीख 21 जून, 1980 को उच्च न्यायालय ने अपील न्यायपीठ द्वारा पारित डिक्री अपास्त कर दी थी और तोता सिंह का वाद खारिज कर दिया था। विशेष इजाजत लेकर की गई यह अपील घोषणा और व्यादेश के लिए वाद से उद्भूत हुई है और इसमें बाम्बे रेंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947 के कतिपय उपबन्धों को लागू किए जाने से सम्बन्धित प्रश्न उद्भूत हुए हैं। न्यायालय के समक्ष सारवान प्रश्न यह है कि क्या तोता सिंह परिसरों में किराएदारी के अधिकारों का सही रूप से दावा कर सकता है और इसलिए गोल्ड फील्ड के वाद में उसके विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन को अकृत कर सकता है। अपील मन्जूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—बाम्बे रेंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (असेंडमेंट) आर्डिनेन्स, 1959 द्वारा धारा 15 की उप-धारा (1) का संशोधन किये जाने पर और उससे सम्बन्धित अधिनियम द्वारा उप-किरायेदारी के विरुद्ध प्रतिषेध उन मामलों में प्रवर्तित नहीं होता है जहां मकान-मालिक और किरायेदार के बीच संविदा द्वारा उप-किराये पर देना अनुज्ञात कर दिया गया था। ऐसे सब मामलों में यदि मकान-मालिक ने किरायेदार और उसके बीच संविदा के अधीन किरायेदार को परिसरों को उप-किराये पर देने के लिए अनुज्ञात कर दिया था तो उन उप-किरायेदारियों को विधिमान्य करने की आवश्यकता का प्रश्न उद्भूत नहीं होगा। धारा 15 की उप-धारा (1) में सुसंगत संशोधन को सदैव ही उप-धारा का भाग माना गया था। धारा 15 की उप-धारा (2) तारीख 21 मई, 1959 से अर्थात् अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व प्रभावी सभी उप-किरायेदारियों पर से रोक उठाती है, यदि उस उप-धारा के उपबन्धों की पूर्ति की जाती है। ऐसे किसी उप-पट्टे को विधिमान्य माना जाएगा यदि पट्टेदार ने अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पहले कब्जा कर लिया हो और वह ऐसी तारीख तक कब्जे में बना रहा हो। यह एक विशेष उपबन्ध है और साधारण विधि से विचलन दर्शाता है। वह ऐसी उप-किरायेदारियों को निर्दिष्ट नहीं करता है जो मकान-मालिक और किरायेदार के बीच संविदा द्वारा अनुज्ञात की गई है किन्तु वह ऐसी उप-किरायेदारियों से सम्बन्धित है जो इस प्रकार संरक्षित नहीं की गई है। धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रतिषेध का हटाया जाना केवल उन उप-किरायेदारियों तक सीमित है जो 21 मई, 1959 से पूर्व सृजित की गई थी। ऐसी परिसीमा उस संविदा द्वारा अनुज्ञात उप-किरायेदारियों के लिए अनुचित होगी जो इस बात को ध्यान में रखे बिना सृजित की जा सकती है कि क्या वे तारीख 21 मई, 1959 से पूर्व अथवा इस तारीख के पश्चात् अस्तित्व में लाई गई थी। धारा 15 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाली उप-किरायेदारियां तभी विधिमान्य रूप में मानी जाएंगी जब उप-किरायेदार ने तारीख 21 मई, 1959 से पूर्व कब्जा कर लिया हो और उस तारीख तक कब्जा चालू रखा हो। ऐसी अपेक्षा संविदा द्वारा अनुज्ञात उप-किरायेदारियों के मामले में पूर्णतः असंगत होंगी क्योंकि धारा 15 की उप-धारा (2) विनिर्दिष्ट रूप से यह शर्त लगाती है कि उप-किरायेदार का अध्यादेश के प्रारम्भ से पूर्व कब्जा होना चाहिए और उस तारीख तक उसका कब्जा बना रहना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि ऐसे उपबन्ध का संबध केवल अवैध उप-किरायेदार से ही हो सकता है अर्थात् ऐसे उप-किरायेदारों से हो सकता है जिन्हें मकान-मालिक द्वारा किरायेदार को ऐसा करने के लिए प्रदत्त किसी संविदात्मक अधिकार के बिना परिसर किराये पर दिये गये हों एवं कब्जा दे दिया गया हो। धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल ऐसी उप-किरायेदारी के लिए ही आवश्यक है और न कि ऐसी उप-किरायेदारी के लिए जो संविदा के निबंधनों द्वारा अनुज्ञात की गई है और इसलिए वह धारा 15 की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के बिल्कुल ही बाहर है। इसलिए परिणाम यह है कि धारा 15 की उप-धारा (2) ऐसी उप-किरायेदारियों से सम्बन्धित है जो मकान-मालिक और किरायेदार के बीच संविदा द्वारा अनुज्ञात नहीं की गई है और जो उक्त उप-धारा (2) के सिवाय धारा 15 की संशोधित उप-धारा (1) में अधिनियमित प्रतिषेध के अन्तर्गत आएंगी। (पैरा 12)

वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें गोल्ड फील्ड एक किरायेदार है। मानक भाई एक विधिपूर्ण उप-किरायेदार है और मानक भाई ने अपीलार्थी के पक्ष में और आगे उप-किरायेदारी सृजित की है। प्रश्न यह है कि क्या आगे की उप-किरायेदारी धारा 15 की उप-धारा (2) की परिधि के अन्तर्गत आ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकती है। अब धारा 5 की उप-धारा (11) के खण्ड (क) की ओर ध्यान दिया जाता है तो यह बात स्पष्ट है कि पश्चात्वर्ती उप-किरायेदारी के संबंध में मानक भाई को किरायेदार के रूप में और अपीलार्थी को उसके उप-किरायेदार के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यदि ऐसी स्थिति है तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे अपीलार्थी की उप-किरायेदारी को विधिमान्य उप-किरायेदारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वह तारीख 21 मई, 1959 से पूर्व सृजित की गई थी और उसने उस तारीख से पूर्व परिसर का कब्जा ले लिया था और उस तारीख को उसका कब्जा बना हुआ था। (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1973]	[1973] 1 उम० नि० प० 369=[1973] 2 एस० सी० आर० 603 : **जय सिंह मोरारजी और अन्य बनाम मै० सोवानी प्रा० लि० और अन्य**	7
[1969]	[1969] 4 एस० सी० आर० 892 : **आनन्द निवास प्रा० लि० बनाम आनन्द जी**	16
[1959]	[1959] सप्ली० 2 एस० सी० आर० 217 : **वामन श्रीनिवास किनी बनाम रतीलाल भगवान दास एण्ड कम्पनी**	13
[1953]	[1953] 56 बाम्बे लॉ रिपोर्टर 467 : **पी० डी० असवानी बनाम काव शाह दिनशाह मुल्ला**	13
	70 बाम्बे लॉ रिपोर्टर 224 : **जोसेफी सन्त विनसेंट बनाम एमबीको इण्डस्ट्रीज**	6

सिविल अपीली अधिकारिता : 1981 की सिविल अपील सं० 682.

1975 के विशेष सिविल आवेदन सं० 2039 में मुम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 21 जून, 1980 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री पी० एच० पारिख और आर० एन० करंजावाला

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री वी० डी० खन्ना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति आर० एस० पाठक ने दिया।

न्यायाधिपति पाठक—

विशेष इजाजत लेकर की गई यह अपील घोषणा और व्यादेश के लिए वाद से उद्भूत हुई है और इसमें बाम्बे रेंट्स, होटल एण्ड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947 के कतिपय उपबंधों को लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रश्न उद्भूत हुए हैं।

2. पीरभाई मैंनसन एक भवन है जो मुम्बई शहर में विठ्ठलभाई पटेल रोड पर स्थित है। वह भागीदारी फर्म गोल्ड फील्ड लैदर वर्क्स को किराये पर दिया गया था। गोल्ड फील्ड ने मानक चन्द भीखा भाई को तल मंजिल पर दुकान का एक भाग उप-किराये पर दिया था। उप-किरायेदार मानकचंद ने सन् 1952 में इस भाग को सरदार तोता सिंह को उप-किराये पर दिया था।

3. गोल्ड फील्ड ने मानक चन्द के विरुद्ध परिसरों को अवैध रूप से उप-किराये पर देने और संरचना में अप्राधिकृत रूप से परिवर्तन करने के आधार पर परिसरों के कब्जे के लिए सन् 1962 में एक वाद फाइल किया था। मानकचंद ने वाद का विरोध किया था और एक लिखित कथन फाइल किया था। तोता सिंह ने वाद के लम्बित रहने के दौरान उसे भी प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया था किन्तु गोल्ड फील्ड द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था और आवेदन नामंजूर कर दिया गया था। अंततोगत्वा पक्षकारों के बीच समझौते के अनुसार कब्जे के लिए गोल्ड फील्ड के वाद की डिक्री दे दी गई थी।

4. इसके पश्चात् तोता सिंह ने इस घोषणा के लिए कि वह परिसरों का कब्जा रखने वाला वैध किरायेदार है और गोल्ड फील्ड को डिक्री के, जो उस फर्म ने मानक चन्द के विरुद्ध प्राप्त की थी, निष्पादन से रोकने के लिए व्यादेश हेतु 1966 का वाद सं० 2454 फाइल किया था। यह अभिवचन किया गया था कि वह अधिभोगी है और उसका विधिपूर्ण उप-किरायेदार के रूप में 15 वर्ष से अधिक से अनन्य कब्जा है तथा यह बात गोल्ड फील्ड की जानकारी में थी, कि गोल्ड फील्ड के वाद में डिक्री दुरसन्धिपूर्ण डिक्री थी, चूंकि डिक्री मानक चन्द के विरुद्ध पारित की गई थी इसलिए वह तोता सिंह बाम्बे रेण्ट्स, होटल एंड लाजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाम्बे रेण्ट ऐक्ट कहा गया है) की धारा 14 के अधीन गोल्ड

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

फील्ड का सीधा किरायेदार हो गया था और इसलिए वह वाद में चाही गई घोषणा और व्यादेश के लिए हकदार था।

5. गोल्ड फील्ड ने वाद में लिखित कथन फाइल किया था और यह अभिवचन किया था कि वे सम्पूर्ण भवन के किरायेदार थे और उन्होंने परिसर मानक चन्द को उप-किराये पर दिये थे, कि मानक चन्द उप-किरायेदार के रूप में तोता सिंह को परिसर और आगे उप-किराये पर नहीं दे सकता था इसलिए तोता सिंह की उप-किरायेदारी अविधिमान्य थी।

6. लघुवाद न्यायालय ने वाद का विचारण किया था और 17 अप्रैल, 1973 को वाद की डिक्री कर दी थी। गोल्ड फील्ड ने अपील की थी। लघुवाद न्यायालय की अपील न्यायपीठ ने तारीख 30 अप्रैल, 1975 का अपील खारिज कर दी थी। अपील न्यायपीठ ने विचारण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी थी कि सन् 1952 में मानक चन्द ने तोता सिंह को परिसर उप-किराये पर दिये थे और तारीख 21 मई, 1959 को, जब बाम्बे रेण्ट्स, होटल एण्ड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (अमेण्डमेंट) आर्डिनेन्स, 1959 प्रख्यापित किया गया था और धारा 15 की उप-धारा (2) बाम्बे रेण्ट ऐक्ट में पुरःस्थापित की गई थी, मानक चन्द का कब्जा नहीं था। इस बात को साबित करने के प्रयत्न में कि वह विधिपूर्ण उप-किरायेदार था, तोता सिंह ने अपील न्यायपीठ के समक्ष यह दलील दी थी कि गोल्ड फील्ड ने मानक चन्द को उसे परिसर उप-किराये पर देने के लिए अनुज्ञात किया था किन्तु अपील न्यायपीठ द्वारा यह दलील स्वीकार नहीं की गई थी चूंकि न तो कोई अभिवाक् था और न ही उसके समर्थन में कोई साक्ष्य था। अपील न्यायपीठ ने तोता सिंह की ये दलीलें भी नामंजूर कर दी थीं कि उसने गोल्ड फील्ड को किराये का सीधे संदाय किया था और इसलिए वह उनके द्वारा किरायेदार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अपील न्यायपीठ का यह मत था कि मानक चन्द की कानूनी किरायेदारी के, जो सूचना की तामील द्वारा उसकी संविदाजन्य किरायेदारी की समाप्ति के पश्चात् अस्तित्व में आई थी, गोल्ड फील्ड के वाद में कब्जे के लिए डिक्री द्वारा स्वयं समाप्त हो जाने के पश्चात् तोता सिंह द्वारा गोल्ड फील्ड को कोई किराया संदत्त नहीं किया गया था। तोता सिंह के लिए अपनी किरायेदारी की विधिमान्यता को सिद्ध करने के लिए अभी भी एक मार्ग खुला था। अपील न्यायपीठ के समक्ष गोल्ड फील्ड के काउन्सेल द्वारा एक स्वीकृति की गई थी। गोल्ड फील्ड की ओर से यह स्वीकार किया गया था कि मानक चन्द उनका विधिपूर्ण उप-किरायेदार था। इस पर तोता सिंह ने यह दलील दी थी कि यदि मानक चन्द को, यद्यपि वह उप-किरायेदार था, बाम्बे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रेण्ट ऐक्ट की धारा 15 की उपधारा (11) के कारण 'किरायेदार' के रूप में माना गया था तो धारा 15 की उपधारा (2) का फायदा उस तक विस्तारित किया जाना चाहिए। तारीख 21 मई, 1959 को विधिपूर्ण किरायेदार के उप-किरायेदार के रूप में उसका कब्जा था और इसलिए तर्क के अनुसार उसकी उप-किरायेदारी विधिमान्य मानी जाएगी। इस दलील को अपील न्यायपीठ ने स्वीकार किया था। उसने यह अभिनिर्धारित किया था कि चूंकि तारीख 21 मई, 1959 को तोता सिंह का बिना किसी विवाद के कब्जा था इसलिए मानक चन्द द्वारा उसके पक्ष में की गई उप-किरायेदारी को विधिमान्य उप-किराएदारी माना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर यह तर्क दिया गया था कि क्या धारा 15 की उप-धारा (2) का फायदा किराएदार द्वारा सृजित उप-किराएदारी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए था अथवा फायदा उप-किरायेदार द्वारा सृजित उप-किरायेदारी तक विस्तारित किया जा सकता है। **जोसेफी सैण्ट विनसैंट बनाम एम बी को इण्स्ट्रीज**[1] के मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये मत का अनुसरण करते हुए अपील न्यायपीठ ने उस प्रश्न का उत्तर तोता सिंह के पक्ष में दिया था और गोल्ड फील्ड की अपील खारिज कर दी थी।

7. गोल्ड फील्ड ने लघुवाद न्यायालय की अपील न्यायपीठ के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में विशेष सिविल आवेदन फाइल किया था और तारीख 21 जून, 1980 को उच्च न्यायालय ने अपील न्यायपीठ द्वारा पारित डिक्री अपास्त कर दी थी और तोता सिंह का वाद खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि **जय सिंह मोराजी और अन्य बनाम मै० सोवानी प्रा० लि० और अन्य**[2] के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त कतिपय मतों को ध्यान में रखते हुए बाम्बे रेण्ट ऐक्ट की धारा 15 की उपधारा (2) का विस्तारित अर्थान्वयन, ताकि उप-किरायेदार द्वारा सृजित उप-किरायेदारी सम्मिलित की जा सके, न्यायानुमत नहीं था।

8. तोता सिंह की उच्च न्यायालय में अपील के लम्बित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी और तद्नुसार यह अपील उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा की गई है।

9. हमारे समक्ष सारवान प्रश्न यह है कि क्या तोता सिंह परिसरों में किरायेदारी के अधिकारों का सही रूप से दावा कर सकता है और इसलिए गोल्ड फील्ड के वाद में उसके विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन को अकृत कर सकता है।

---

[1] 70 बाम्बे ला रिपोर्टर 224.

[2] [1973] 1 उम० नि० प० 369=[1973] 2 एस० सी० आर० 603.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

10. यह प्रतीत होता है कि बाम्बे रेण्ट ऐक्ट की धारा 15 की उप-धारा (1) जैसी मूल रूप में अधिनियमित की गई थी, उस उप-धारा के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष मामलों के सिवाय किसी किरायेदार को उसे किराये पर दिये गये परिसरों को उप-किराये पर देने से प्रतिषिद्ध करती है। किसी किरायेदार द्वारा उप-किराये पर देना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन उसकी बेदखली के लिए आधार गठित करता है। इस उपबन्ध की कठोरता बाम्बे रेण्ट्स, होटल एण्ड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (अमैण्डमेंट) आर्डिनेन्स, 1959 द्वारा शिथिल कर दी गई थी। उक्त अध्यादेश तारीख 21 मई, 1959 को प्रवृत हुआ था। अध्यादेश बाम्बे रेण्ट्स, होटल एण्ड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (अमैण्डमेंट) ऐक्ट, 1959 द्वारा प्रस्थापित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) बाम्बे रेण्ट ऐक्ट के प्रारम्भ से ही संशोधित हो गई थी ताकि उसमें सम्मिलित उप-किरायेदारी के विरुद्ध प्रतिषेध "किसी प्रतिकूल संविदा के अध्यधीन" प्रवृत्त हुआ था। इसके साथ ही धारा 15 में उपधारा (2) अन्तःस्थापित हो गई थी। इसके पश्चात् वह उपबन्ध 1962 के महाराष्ट्र अधिनियम की सं० 38 के निम्नलिखित उपबन्ध द्वारा तारीख 21 मई, 1959 से प्रतिस्थापित किया गया था—

*"15(2). संपूर्ण परिसरों या उसके किसी भाग को, जो किसी किरायेदार को किराये पर दिया गया है, उप-किराये पर देने के विरुद्ध और उसमें किरायेदार के हित के किसी अन्य रीति में समनुदेशन या अंतरण के विरुद्ध उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध के बारे में यह माना जाएगा कि वह इस उपधारा के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें बाम्बे रेण्ट्स, होटल एण्ड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स, 1959 के प्रारम्भ से पूर्व यह अधिनियम प्रवृत्त था, उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ से पूर्व प्रभावी नहीं था और

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"15(2). The prohibition against the sub-letting of the whole or any part of the premises which have been let to any tenant, and against the assignment or transfer in any other manner of the interest of the tenant therein, contained in subsection (1), shall subject to the provisions of this sub-section, be deemed to have had no effect before the commecement of Bombay Rents, Hotal and Lodging House Rates Control (Amendment) Ordinance, 1959, in any area

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तद्नुसार किसी संविदा में या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने उपधारा (1) के प्रतिषेध के बावजूद और उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ पर तात्पर्यित उप-पट्टेदार, समनुदेशिती या अंतरिती के रूप में कब्जा कर लिया है और कब्जा बनाए रखा है, ऐसा कोई उप-पट्टा, समनुदेशन या अंतरण या ऐसा कोई तात्पर्यित उप-पट्टा, समनुदेशन या अंतरण सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझा जाएगा और कोई भी किरायेदार, जिसने किसी परिसर या उसके भाग को उप-किराये पर दिया है या उसमें के किसी हित को समनुदेशित या अन्तरित किया है, धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन बेदखली के लिए दायी नहीं होगा।"

11. अपीलार्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि चूंकि प्रत्यर्थी ने लघुवाद न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया था कि मानक चंद विधिपूर्ण उप-किरायेदार था इसलिए उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि ऐसे उप किरायेदार द्वारा सृजित उप-किरायेदारी बाम्बे रेण्ट ऐक्ट की धारा 15 की उप-धारा (2) के कारण विधिमान्य मानी जानी चाहिए। यह दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय ने **जय सिंह मोरारजी के मामले**[1] को प्रतिकूल बात अभिनिर्धारित करने वाला मानने में अर्थान्वयन करते समय गलती की थी। प्रत्यर्थी का पक्ष-कथन यह था कि धारा 15 की उप-धारा (2) केवल मूल किरायेदार द्वारा सृजित उप-किरायेदारी को ही फायदा पहुंचाती है और वह उप-किरायेदार द्वारा सृजित उप-किरायेदारी तक विस्तारित नहीं है।

in which this Act was in operation before such commencement; and accordingly, notwithstanding anything contained in any contract or in the judgment, decree or order of a Court, any such sub-lease, assignment or transfer or any such purported sub-lease, assignment or transfer in favour of any person who has entered into possession despite the prohibition in sub-section (1), as a purported sub-leasee, assignee or transferee and has continued in possession at the commencement of the said Ordinance, shall be deemed to be valid and effectual for all purposes, and any tenant who has sub-let any premises or part thereof, assigned or transferred any interest therein, shall not be liable to eviction under clause (e) of sub-section (1) of section 13".

[1] [1973] 2 एस० सी० आर० 603.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

12. इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि अध्यादेश द्वारा धारा 15 की उप-धारा (1) का संशोधन किये जाने पर और उससे सम्बन्धित अधिनियम द्वारा उप-किरायेदारी के विरुद्ध प्रतिषेध उन मामलों में प्रवर्तित नहीं होता है जहां मकान-मालिक और किरायेदार के बीच संविदा द्वारा उप-किराये पर देना अनुज्ञात कर दिया था। ऐसे सब मामलों में यदि मकान-मालिक ने किरायेदार और उसके बीच संविदा के अधीन किरायेदार को परिसरों को उप-किराये पर देने के लिए अनुज्ञात कर दिया था तो उन उप-किरायेदारियों को विधिमान्य करने की आवश्यकता का प्रश्न उद्भूत नहीं होगा। धारा 15 की उप-धारा (1) में सुसंगत संशोधन को सदैव ही इस उप-धारा का भाग माना गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें धारा 15 की उप-धारा (2) की परिधि को अवधारित करना चाहिए। धारा 15 की उप-धारा (2) तारीख 21 मई, 1959 से अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से पूर्व प्रभावी सभी उप-किरायेदारियों पर से रोक उठाती है, यदि उस उप-धारा के उपबंधों की पूर्ति की जाती है। ऐसे किसी उप-पट्टे को विधिमान्य माना जायेगा यदि पट्टेदार ने अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से पहले कब्जा कर लिया हो और वह ऐसी तारीख तक कब्जे में बना रहा हो। यह एक विशेष उपबंध है और साधारण विधि से विचलन दर्शाता है। वह ऐसी उप-किरायेदारियों को निर्दिष्ट नहीं करता है जो मकान-मालिक और किरायेदार के बीच संविदा द्वारा अनुज्ञात की गई है किन्तु वह ऐसी उप-किरायेदारियों से संबंधित है जो इस प्रकार संरक्षित नहीं की गई हैं। इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रतिषेध का हटाया जाना केवल उन उप-किरायेदारियों तक सीमित है जो 21 मई, 1959 से पूर्व सृजित की गई थी। ऐसी परिसीमा उस संविदा द्वारा अनुज्ञात उप-किरायेदारियों के लिए अनुचित होगी जो इस बात को ध्यान में रखे बिना सृजित की जा सकती है कि क्या वे तारीख 21 मई, 1959 से पूर्व अथवा इस तारीख के पश्चात् अस्तित्व में लाई गई थी। धारा 15 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाली उप-किरायेदारियां तभी विधिमान्य रूप में मानी जाएंगी जब उप-किरायेदार ने तारीख 21 मई, 1959 से पूर्व कब्जा कर लिया हो और उस तारीख तक कब्जा चालू रखा हो। ऐसी अपेक्षा संविदा द्वारा अनुज्ञात उप-किरायेदारियों के मामले में पूर्णत: असंगत होगी क्योंकि धारा 15 की उप-धारा (2) विनिर्दिष्ट रूप से यह शर्त लगाती है कि उप-किरायेदार का अध्यादेश के प्रारंभ से पूर्व कब्जा होना चाहिए और उस तारीख तक उसका कब्जा बना रहना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि ऐसे उपबंध का सम्बन्ध केवल अवैध उप-किरायेदारों से ही हो सकता है अर्थात् ऐसे उप-किरायेदारों से हो सकता है जिन्हें मकान-मालिक द्वारा किरायेदार को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऐसा करने के लिए प्रदत्त किसी संविदात्मक अधिकार के बिना किराये पर परिसर दिये गये हों एवं कब्जा दे दिया गया हो। धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल ऐसी उप-किरायेदारियों के लिए ही आवश्यक है और न कि ऐसी उप-किरायेदारी के लिए जो संविदा के निबंधनों द्वारा अनुज्ञात की गई है और इसलिए वह धारा 15 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध के बिल्कुल ही बाहर है। इसलिए परिणाम यह है कि धारा 15 की उप-धारा (2) ऐसी उप-किरायेदारियों से सम्बन्धित है जो मकान-मालिक और किरायेदार के बीच संविदा द्वारा अनुज्ञात नहीं की गई है और जो उक्त उप-धारा (2) के सिवाय धारा 15 की संशोधित उप-धारा (1) में अधिनियमित प्रतिषेध के अन्तर्गत आएंगी।

13. प्रस्तुत मामले में लघुवाद न्यायालय की न्यायपीठ के समक्ष गोल्ड फील्ड की ओर से यह स्वीकार किया गया था कि मानक चंद वैध उप-किरायेदार था। वह धारा 15 की उप-धारा (2) के आधार पर वैध उप-किरायेदार नहीं हो सकता था क्योंकि तारीख 21 मई, 1959 को उसके कब्जे में परिसर नहीं थे। वास्तव में परिसर बहुत पहले सन् 1952 में ही तोता सिंह के कब्जे में अंतरित हो गये थे। मानक चंद वैध उप-किरायेदार केवल इस उपधारणा पर ही हो सकता था कि गोल्ड फील्ड और उनके मालिक के बीच संविदा के अधीन उप-किरायेदारी अनुज्ञात की गई थी। चूंकि संविदा में ऐसी निबंधन का अस्तित्व तथ्य का प्रश्न होगा इसलिए गोल्ड फील्ड के काउन्सेल की स्वीकृति को इस मामले में गोल्ड फील्ड पर आबद्धकर रूप में माना जाना चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि गोल्ड फील्ड के काउन्सेल द्वारा की गई स्वीकृति किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं हो सकती क्योंकि उप-किरायेदारी सृजित करने वाले किसी किरायेदार द्वारा किया गया कोई भी करार मूल रूप में अधिनियमित धारा 15 की उप-धारा (1) के सीधे प्रतिकूल होने से शून्य होगा। हमें यह प्रतीत होता है कि इस दलील में कोई बल नहीं है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि धारा 15 की उप-धारा (1) भूतलक्षी रूप से सन् 1959 में "किसी प्रतिकूल संविदा के अध्धधीन" शब्द अंतःस्थापित करके संशोधित की गई थी। शब्द उस उप-धारा में सदैव अतः स्थापित किये गये समझे गये थे। हमें उसे प्रयुक्त इस विधिक कल्पना के कारण मानना चाहिए कि वे शब्द पहले से ही उस उप-धारा के भाग थे जब गोल्ड फील्ड मानक चंद को परिसर उप-किराये पर देने के लिए सहमत हुआ था। **पी० डी० असवानी** बनाम **कावशाह दिनशाह मुल्ला**[1] और **वामन श्रीनिवास**

[1] (1953) 56 बाम्बे लॉ रिपोर्टर 467.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किन्नी बनाम **रतीलाल भगवान दास एण्ड कम्पनी**[1] के मामलों में, जिनका प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल द्वारा अवलंब लिया गया है, विनिश्चय धारा 15 की उपधारा (1) का संशोधन किये जाने से पूर्व किया गया था इसलिए उसमें ऐसे संशोधन के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया है।

14. इसलिए वर्तमान मामला ऐसा मामला है जिसमें गोल्ड फील्ड एक किरायेदार है। मानक भाई एक विधिपूर्ण उप-किरायेदार है और मानक भाई ने तोता सिंह के पक्ष में और आगे उप-किरायेदारी सृजित की है। प्रश्न यह है कि क्या आगे की उप-किरायेदारी धारा 15 की उप-धारा (2) की परिधि के अंतर्गत आ सकती है। अब धारा 5 की उपधारा (11) के खण्ड (क) की ओर ध्यान दिया जाता है तो यह बात स्पष्ट है कि पश्चात्वर्ती उप-किरायेदारी के सम्बन्ध में मानक भाई को किरायेदार के रूप में और तोता सिंह को उसके उप-किरायेदार के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यदि ऐसी स्थिति है तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे तोता सिंह की उप-किरायेदारी को विधिमान्य उप-किरायेदारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वह तारीख 21 मई, 1959 से पूर्व सृजित की गई थी और उसने उस तारीख से पूर्व परिसर का कब्जा ले लिया था और उस तारीख को उसका कब्जा बना हुआ था।

15. किन्तु गोल्ड फील्ड की ओर से यह दलील दी गई है कि न्यायालय ने **जय सिंह मोरारजी**[2] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 15 की उपधारा (2) उप-किरायेदार द्वारा सृजित उप-किरायेदारी को विधिमान्य नहीं बनाती। वह एक ऐसा मामला था जिसमें मूल मकान-मालिक ने अन्य बातों के साथ ओछव लाल द्वारा अवैध रूप से उप-किराये पर देने के आधार पर कब्जे के लिए किरायेदार ओछव लाल के विरुद्ध वाद फाइल किया था। वाद की डिक्री दे दी गई थी और वादी ने कब्जा ले लिया था। ओछव लाल ने सोवनी नामक व्यक्ति को परिसर उप-किराये पर दिये थे और सोवनी ने उस परिसर को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को उप-किराये पर दिये थे। कम्पनी द्वारा निष्पादन कार्यवाहियों में बेदखली के विरुद्ध आवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय ने कम्पनी के दावे के कब्जे को कायम रखा था किन्तु इस न्यायालय ने अन्ततोगत्वा कम्पनी के दावे को नामंजूर कर दिया और कब्जे के लिए मूल मकान-मालिक के अधिकार को कायम रखा था। उस मामले के तथ्य यह प्रकट करते हैं कि उसमें दो प्रतिषिद्ध ,उप-किरायेदारियां थीं, प्रथम

---

[1] [1959] सप्ली० 2 एस० सी० आर० 217.

[2] [1973] 1 उम० नि० प० 369=[1973] 2 एस० सी० आर० 603.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ओछव लाल द्वारा सोवनी के पक्ष में सृजित की गई थी और पश्चात्वर्ती किरायेदारी सोवनी द्वारा कम्पनी के पक्ष में सृजित की गई थी। धारा 15 की उपधारा (2) का फायदा सोवनी तक केवल तभी विस्तारित किया जा सकता था जब उपधारा की शर्तें पूरी की गई हों। यदि शर्तें सोवनी के मामले में पूरी की गई थीं तो फायदा कम्पनी के पक्ष में पुनः विस्तारित नहीं किया जा सकता था। यह बात स्पष्ट रूप से इसलिए होगी क्योंकि तारीख 21 मई, 1959 को कब्जे के बारे में शर्त पश्चात्वर्ती उप-किरायेदार द्वारा संभवतः पूरी नहीं की जा सकती थी, यदि मूल उप-किरायेदार का उस तारीख को कब्जा था। तथापि यदि पश्चात्वर्ती उप-किरायेदार का तारीख 21 मई, 1959 को कब्जा था तब किसी भी उप-किरायेदारी को स्पष्ट रूप से विधिमान्य नहीं माना जा सकता। विधिमान्य होने के लिए प्रथम उप-किरायेदारी को तारीख 21 मई, 1959 को उस उप-किरायेदारी के कब्जे की शर्त को पूरा करना था जो किसी भी कल्पना से सम्भव नहीं था। और चूंकि मूल उप-किरायेदारी अविधिमान्य थी इसलिए पश्चात्वर्ती उप-किरायेदारी भी अविधिमान्य होगी। पश्चात्वर्ती उप-किरायेदारी केवल तभी विधिमान्य हो सकती थी जब मूल उप-किरायेदार का पश्चात्वर्ती उप-किरायेदार को अंतरण का विधिक हित था। इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए **जय सिंह मोरारजी**[1] के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय की और विशेषतः रिपोर्ट के पृष्ठ 607 की कंडिका की प्रशंसा करना आवश्यक है। उक्त पैराग्राफ इस प्रकार है—

> "इस प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या प्रत्यर्थी प्राइवेट कम्पनी 1959 के पूर्व उप-अभिधारी थी और 1959 के आर्डिनेंस के प्रारम्भ पर कब्जे में बनी रही थी। ओछव लाल ने आर्डिनेंस के पूर्व सोवानी को प्रस्तुत मामले में उप-पट्टा दिया था। प्रस्तुत मामले में यह विवादहीन बात है कि सोवानी 1959 में आर्डिनेंस के प्रारम्भ के समय कब्जे में नहीं था। सोवानी प्राइवेट कम्पनी का निदेशक हो गया था। यह वह प्राइवेट कम्पनी है, जो अप-अभिधारी होने का दावा करती है। प्रथमतः यह प्राइवेट कम्पनी अभिधारी का उप-पट्टेदार नहीं है, किन्तु उप-पट्टेदार का पश्चात्वर्ती समनुदेशिती है। दूसरी बात यह है कि सोवानी ऐसा उप-पट्टेदार है जो 21 मई, 1959 की तारीख को कब्जे में नहीं था। यह वह प्राइवेट कम्पनी है जिसका कब्जा था। इसलिए यह प्राइवेट कम्पनी ऐक्ट की धारा 15(2) के संरक्षण के अन्तर्गत नहीं आती।"

---

[1] [1973] 1 उम० नि० प० 369=[1973] 2 एस० सी० आर० 603.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विद्वान् न्यायाधीश धारा 5 की उपधारा (11) के शब्दों से अनभिज्ञ नहीं थे जैसा कि रिपोर्ट के पृष्ठ 608 के पैराग्राफ से स्पष्ट है।

16. इसके पश्चात् प्रत्यर्थी के विद्वान् काउन्सेल द्वारा यह दलील दी गई है कि बाम्बे रेण्ट ऐक्ट की धारा 5 की उपधारा (11) के खण्ड (क) का अपीलार्थी द्वारा अवलंब नहीं लिया जा सकता क्योंकि धारा 15 की उपधारा (1) केवल संविदात्मक किरायेदारों को ही लागू होती है। हमारे समक्ष **आनन्द निवास प्रा० लि०** बनाम **आनन्दजी**[1] का मामला भी निर्दिष्ट किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि बाम्बे रेण्ट ऐक्ट की धारा 15 की उपधारा (1) में 'किरायेदार' शब्द से संविदात्मक किरायेदार न कि कानूनी किरायेदार अभिप्रेत है। दलील प्रत्यर्थी के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती। निचले न्यायालय ने गोल्ड फील्ड के काउन्सेल द्वारा की गई इस स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए कि मानक चन्द वैध किरायेदार था और जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस स्थिति में गोल्ड फील्ड और मानक चन्द के बीच किरायेदारी की विधिमान्य संविदा अनिवार्य रूप से विवक्षित है। मानक चन्द को उस समय संविदात्मक किरायेदार माना जाना चाहिए जब उसने तोता सिंह को परिसर उप-किराये पर दिये थे। ऐसे कानूनी किरायेदार का कोई भी प्रश्न उद्भूत नहीं होता है जिसके द्वारा किसी उप-किरायेदार को अपना हित उप-किराये पर दिया जाना अभिप्रेत है।

17. उपर्युक्त बातों के आधार पर हमारे मत से अपील अवश्य ही सफल होनी चाहिए।

18. अपील खर्चे सहित मंजूर की जाती है।

अपील मंजूर की गई।

जैन/सरोहा

---

[1] [1969] 4 एस० सी० आर० 892.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रमेश चंद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(17 जनवरी, 1985)

(न्यायाधिपति बी० डी० तुलजापुरकर, रंगनाथ मिश्र और बी० खालिद)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)—धारा 3—(सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 34 तथा संविधान, 1950 का अनुच्छेद 136)—हत्या के मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन—हत्या के मामले में परिस्थितियों की शृंखला पूरी न होना—ऐसी स्थिति में विशेष इजाजत अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाना—जहां दोषसिद्धि विधित: न्यायोचित प्रतीत न होती हो वहां उच्चतम न्यायालय साक्ष्य का पुन: विवेचन कर सकता है और इस विषय में उच्चतम न्यायालय को पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

हिंडन पुल से थोड़ी दूर गाजियाबाद की ओर जी० टी० रोड पर अपीलार्थी और दो अन्य व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की चाकू से हमला करके हत्या कर दी। छह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की इस आरोप के संबंध में परीक्षा की गई, जिनमें से दो साक्षी हिंडन पुल पर गार्ड ड्यूटी पर थे। किसी राहगीर ने उन्हें सूचित किया था कि उस स्थान से जहां पर गारद-कक्ष था, लगभग दो फलाँग के फासले पर एक आदमी पर चाकू से हमला किया जा रहा था। तीन पुलिस-कार्मिक उस स्थान की ओर दौड़े। बैटरी की रोशनी की सहायता से उन्होंने फासले से देखा कि तीन व्यक्ति मृतक पर हमला करने में लगे हुए थे किन्तु जब बैटरी को संकेन्द्रित किया गया तो हमलावर भाग गए थे। उनका पीछा किया गया और उनमें से दो भागने में सफल हो गए किन्तु अपीलार्थी रक्त-रंजित चाकू के साथ पकड़ा गया। अपीलार्थी ने अभियोजन-पक्ष के इस वृत्तांत से इनकार किया और कहा कि अपीलार्थी मृतक को बचाने का प्रयत्न कर रहा था और उसने स्वयं उस पर आक्रमण नहीं किया था। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पक्षद्रोही साक्षी सच नहीं बोल रहे थे। उसने दो पुलिस साक्षियों पर विश्वास किया और अभियोजन-पक्ष के कथन को स्वीकार करके अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट कर दिया। अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार किया कि किसी ने भी अपीलार्थी द्वारा चाकू के वास्तविक प्रहार को नहीं देखा था। एक बार जब प्रहार के करने के संबंध में साक्ष्य छोड़ दिया गया तो उच्च न्यायालय ने इस बात को अभिनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की परीक्षा करनी शुरू कर दी कि क्या आरोप को सिद्ध समझा जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को उच्चतम न्यायालय ने मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—विधि सुनिश्चित है कि परिस्थितियों की शृंखला पूरी होनी चाहिए और उनसे अभियुक्त के दोष का स्पष्टतः पता चलना चाहिए। यहां पर उपदर्शित परिस्थितियां वास्तव में शृंखला को पूरी नहीं करती जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति हमलावर हो सकते थे। विस्तृत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। स्वीकृत रूप से अपीलार्थी एक टैक्सी का चालक था, जिसमें कि अन्य यात्री थे। की गई बरामदगियों से दो शराब की बोतलें कार से मिली थीं, एक पिछली सीट से जहां कि तीन यात्री बैठे थे और दूसरी सामने के भाग से। अभियोजन साक्षी-2, साइकिल सवार के साक्ष्य की अपेक्षा करने का औचित्य नहीं है जोकि अपीलार्थी की कार से क्षतिग्रस्त हुआ था। (पैरा 4)

स्वीकृत रूप से घटना ऐसे स्थान पर घटी जहां प्रकाश नहीं था। इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि क्या बैटरी की रोशनी के अतिरिक्त, जो पुलिस साक्षियों ने संकेन्द्रित की थी, क्या कोई अन्य प्रकाश उपलब्ध था। एक बार जब कार रुकी और कार की रोशनी उसके आसपास की चीजों को देखने में सहायक होने के लिए उपलभ्य नहीं थी, तो आक्रमण शुरू होने पर वहां की परिस्थिति में अस्तव्यस्तता छा गई होगी। यह ठीक है कि दो पुलिस साक्षी उस स्थान पर उनके द्वारा उपदर्शित तौर पर उपस्थित थे। जिन दिशाओं में तीन व्यक्ति भागे थे उसकी बाबत, साक्ष्य असंगत है। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वे विपरीत दिशा में दौड़े थे—दो एक दिशा में और एक अन्य दूसरी दिशा में। अपीलार्थी पास की दिशा में पकड़ा गया था। पीछा स्वयं में महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती, विशेष रूप से जब यह कहा गया है कि कुल फासला, जिसके लिए पीछा किया गया, लगभग 22-25 फीट था। यह बात बोधगम्य है कि अपीलार्थी हिला नहीं था किन्तु पुलिस साक्षी उसके पास पहुंचने के लिए दौड़े क्योंकि वे उस ग्रुप में से किसी एक को, जो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपलब्ध था, पकड़ने के लिए आतुर थे। यह एक पर्याप्त स्पष्टीकरण है कि अपीलार्थी मृतक को बचाने के लिए आगे आया और उस प्रक्रिया में उसके पहने हुए कपड़े मानव रक्त से सराबोर हो गए थे। यह बात कुछ अस्वाभाविक-सी लगती है कि अपीलार्थी उस समय चाकू पकड़े हुए हो और उस समय तक चाकू पकड़े रहे जब तक कि वह काफी फासले पर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। जब वह अंधेरी रात में गिरफ्तार किया जाने वाला था तो वह चाकू को फेंक सकता था, यदि वह उसे लिए हुए था या वह चाकू लेकर पुलिस स्टेशन जाने से इन्कार कर सकता था यदि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो वास्तव में उसके पास चाकू पाया गया था। अपीलार्थी के उस समय चाकू धारण करने के बारे में साक्ष्य प्रभावी नहीं है और मन में विश्वास पैदा नहीं करता, चूंकि यह मानव व्यवहार के विरुद्ध है और कोई भी व्यक्ति रक्त-रंजित चाकू जैसी अपराध में फंसाने वाली सामग्री धारण नहीं करता रहेगा। यह तथ्य कि उसे कोई क्षति नहीं हुई है, जबकि वह मृतक को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, स्वयं में आलिप्त करने वाली परिस्थिति नहीं है क्योंकि हमलावरों का उसे क्षति कारित करने का कोई कारण नहीं था अतः उन्होंने उस पर हमला न किया हो। मात्र संयोगवश भी अपीलार्थी क्षतियों से बच गया हो। कदाचित दो हमलावर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के लिए आगे टैक्सी में यात्रा करने की सोच रहे होंगे और यदि चालक क्षतिग्रस्त हो जाता तो यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये परिस्थितियां, जिन पर उच्च न्यायालय ने अवलम्ब लिया है, वास्तव में अभियोजन-पक्ष के लिए मंच सामग्री होने के लिए उपलब्ध नहीं है। (पैरा 5)

यह बात सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और इस प्रयोग में निर्बन्धन, यदि कोई हों, आत्माधिरोपित हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता किन्तु जहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय को दोषसिद्धि विधितः न्यायोचित नहीं प्रतीत होती तो दोषसिद्धि को उलटने का निदेश देने में कोई चीज आड़े नहीं आती। (पैरा 7)

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1976 की दाण्डिक अपील सं० 575.

1972 की दाण्डिक अपील सं० 686 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 25 अगस्त, 1976 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री ए० एन० मुल्ला और एस० के० गम्भीर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री दलवीर भण्डारी और एच० एम० सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति रंगनाथ मिश्र ने दिया ।

न्यायाधिपति मिश्र—

यह अपील विशेष इजाजत लेकर की गई है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय के विरुद्ध है, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस अपराध के लिए आजीवन कारावास के दण्डादेश की अभिपुष्टि की गई थी । अभियोजन पक्ष ने यह अभिकथन किया है कि 2 जनवरी, 1970 की रात को 10 और 10.15 अपराह्न के बीच हिंडन पुल से थोड़ी-सी दूर गाजियाबाद की ओर जी० टी० रोड पर अपीलार्थी और दो अन्य व्यक्तियों ने, ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति की, उस पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी थी । छह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की इस आरोप के समर्थन में परीक्षा की गई थी । उनमें से एक हवलदार मीर सिंह (अभियोजन साक्षी 4) था और दूसरा पुलिस सिपाही ज्ञान सिंह (अभियोजन साक्षी 6) था । ये दो साक्षी जगदीश सिंह के साथ हिंडन पुल पर पहरा (गार्ड) डयूटी पर थे । किसी राहगीर ने उन्हें सूचित किया कि उस स्थान से जहां पर गारद-कक्ष स्थित था लगभग दो फलांग के फासले पर एक आदमी पर छुरे से प्रहार किया जा रहा था । इस सूचना को प्राप्त करने पर तीन पुलिस कार्मिक उस स्थान की ओर दौड़े । बैटरी की रोशनी की सहायता से, जो उनमें से एक के पास थी, उन्होंने फासले से देखा कि तीन व्यक्ति मृतक पर छुरे से प्रहार करने में लगे हुए थे किन्तु जब बैटरी को संकेन्द्रित किया गया तो हमलावरों ने भागना शुरू कर दिया । उनका पीछा किया गया, उनमें से दो भागने में सफल हो गए किन्तु अपीलार्थी रक्त-रंजित छुरे के साथ पकड़ा गया । अन्य दो का पता नहीं चला । चार अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया ।

2. अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में यह कहा कि वह उस टैक्सी का चालक था, जिसमें तीन व्यक्ति यात्रियों के रूप में आए । पुल पार करने के तुरन्त बाद यात्रियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया । इससे अपीलार्थी का ध्यान बंट गया और परिणामस्वरूप एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी । जब कार रुक गई तो तीन व्यक्ति, जो आपस में लड़ रहे थे, नीचे उतरे और उनमें से दो ने सड़क से थोड़ी दूर जाने के पश्चात् मृतक पर छुरे से हमला करना शुरू कर दिया । अपीलार्थी, मृतक को बचाने के लिए वहां गया । उस प्रक्रिया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में उसके पहने हुए कपड़े रक्त में सराबोर हो गए। मृतक पर घातक रूप से हमला करने के पश्चात् हमलावर तब भाग गए, कुछ लोग वहां पर इकट्ठे होने शुरू हुए। उसने अपने पास से रक्त-रंजित छुरे (चाकू) की बरामदगी से इंकार किया। पक्षद्रोही साक्षियों में से चार ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस अभिवाक् का समर्थन किया कि अपीलार्थी मृतक को बचाने का प्रयत्न कर रहा था और उसने स्वयं उस पर आक्रमण नहीं किया था। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पक्षद्रोही साक्षी सच नहीं बोल रहे थे; उसने दो पुलिस साक्षियों पर विश्वास किया और अभियोजन पक्ष के कथन को स्वीकार किया कि रक्त-रंजित चाकू अपीलार्थी से बरामद किया गया था और पहने हुए रक्त-रंजित कपड़ों से आरोप का समर्थन देकर यह अभिनिर्धारित किया कि यही वह आदमी था, जिसने अन्य दो अनजाने व्यक्तियों के साथ छुरा घोंपकर मृतक की हत्या की थी। तदनुसार, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया गया।

3. अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। दो पुलिस साक्षियों में से एक ने अपीलार्थी को चाकू मारते हुए देखने से इनकार किया है जबकि दूसरे ने यह पक्का कथन किया कि उसने चाकू से प्रहार करने के कार्य को देखा था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार किया कि किसी ने भी अपीलार्थी द्वारा किए गए चाकू के वास्तविक प्रहार को देखा नहीं था। एक बार जब प्रहार करने के संबंध में साक्ष्य छोड़ दिया गया तो उच्च न्यायालय ने इस बात को अभिनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की परीक्षा करनी शुरू कर दी कि क्या यह कहा जा सकता है कि आरोप को सिद्ध कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा यथाकथित परिस्थितियां ये हैं : (i) अपीलार्थी द्वारा भागने का प्रयत्न और पीछा करने के पश्चात् उसकी गिरफ्तारी, (ii) रक्त-रंजित चाकू का उसके कब्जे में पाया जाना, (iii) उसके कपड़ों का रक्त-रंजित होना, (iv) यदि प्रतिरक्षा पक्ष का कथन सही था अर्थात कि यदि अपीलार्थी मृतक को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसे हाथापाई में क्षति पहुंचनी चाहिए थी और (v) यदि अपीलार्थी ने वास्तव में उसी तरह से हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया, जैसा कि उसने दावा किया है, तो वह एक तगड़ा आदमी होने के नाते मृतक के जीवन को बचा सकता था।

4. विधि सुनिश्चित है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और उनसे अभियुक्त के दोष का स्पष्टतः पता चलना चाहिए। यहां पर उपदर्शित परिस्थितियां हमारी राय में वास्तव में श्रृंखला को पूरा नहीं करतीं जिससे कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपीलार्थी ही हमलावर हो सकता था न कि कोई अन्य व्यक्ति। विस्तृत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। स्वीकृत रूप से अपीलार्थी उस टैक्सी का चालक था जिसमें अन्य यात्री थे। की गई बरामदगियों से ऐसा प्रतीत होता है कि दो शराब की बोतलें कार से मिली थीं, एक पिछली सीट से जहां कि तीन यात्री बैठे थे और दूसरी सामने के भाग से। अभियोजन साक्षी-2 साइकिल सवार के साक्ष्य की उपेक्षा करने का औचित्य नहीं है जो कि अपीलार्थी की कार से क्षतिग्रस्त हुआ था।

5. स्वीकृत रूप से घटना ऐसे स्थान पर घटी जहां प्रकाश नहीं था। इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि किया बैटरी की रोशनी के अतिरिक्त, जो पुलिस साक्षियों ने संकेन्द्रित की थी, क्या कोई अन्य प्रकाश उपलब्ध था। एक बार जब कार रुकी और कार की रोशनी उसके आसपास की चीजों को देखने में सहायक होने के लिए उपलभ्य नहीं थी तो आक्रमण शुरू होने पर वहां की परिस्थिति में अस्तव्यस्तता छा गई होगी। हम विचारण न्यायालय से तथा उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि दो पुलिस साक्षी उस स्थान पर और उनके द्वारा उपदर्शित तौर पर उपस्थित थे। जिन दिशाओं में तीन व्यक्ति भागे थे उसकी बाबत साक्ष्य असंगत है। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वे विपरीत दिशा में दौड़े थे—दो एक दिशा में और एक अन्य दूसरी दिशा में। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पास की दिशा में पकड़ा गया था। पीछा स्वयं में महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती, विशेष रूप से जब यह कहा गया है कि कुल फासला, जिसके लिए पीछा किया गया लगभग 22-25 फीट था। यह बात बोधगम्य है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से श्री मुल्ला ने दलील दी कि वह हिला नहीं था बल्कि पुलिस साक्षी उसके पास पहुंचने के लिए दौड़े क्योंकि वे उस ग्रुप में से किसी एक को, जो उपलब्ध था, पकड़ने के लिए आतुर थे। अपीलार्थी का पक्षकथन यह रहा है कि वह मृतक को बचाने के लिए आगे आया। उस प्रक्रिया में उसके पहने हुए कपड़े मानव रक्त से सराबोर हो गये थे। यह एक पर्याप्त स्पष्टीकरण है। इस अभिकथन की दृढ़ता से इन्कारी की गई है कि चाकू उससे अभिगृहीत किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य भी बहुत स्पष्ट नहीं है। यह बात कुछ अस्वाभाविक-सी लगती है कि अपीलार्थी उस समय चाकू पकड़े हुए हो और उस समय तक चाकू पकड़े रहे जब तक कि वह काफी फासले पर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। जब वह अंधेरी रात में गिरफ्तार किया जाने वाला था तो वह चाकू को फेंक सकता था, यदि वह उसे लिए हुए था या वह चाकू लेकर पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकता था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। वास्तव में उसके पास चाकू पाया गया था। अपीलार्थी के उस समय पर चाकू

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारण करने के बारे में साक्ष्य प्रभावी नहीं है, और हमारे मन में विश्वास पैदा नहीं करता, चूंकि यह मानव आचरण के विरुद्ध है और कोई भी व्यक्ति रक्त-रंजित चाकू जैसी अपराध में फंसाने वाली कोई सामग्री धारण नहीं करता रहेगा। अन्य दो परिस्थितियां, जो इस सन्दर्भ में वास्तव में नकारात्मक हैं, अनपकारी हैं। मात्र इसलिए कि अपीलार्थी, जो घटना के समय लगभग 23 वर्ष का एक युवक था, हृष्ट-पुष्ट बदन का है, ऐसी पर्याप्त परिस्थिति नहीं थी जिससे उसे यह विश्वास हो सके कि वह उन दो व्यक्तियों के बराबर है, जिनमें से एक के हाथ में खुला हुआ चाकू था। यह तथ्य कि जब वह मृतक को बचाने का प्रयत्न कर रहा था उसे कोई क्षति नहीं पहुंची है, स्वयं में आलिप्त करने वाली परिस्थिति नहीं है क्योंकि हमलावरों का उसे क्षति कारित करने का कोई कारण नहीं था अतः उन्होंने उस पर हमला न किया हो। मात्र संयोगवश भी अपीलार्थी क्षतियों से बच गया हो। कदाचित दो हमलावर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के लिए आगे टैक्सी में यात्रा करने की सोच रहे हों और यदि चालक क्षतिग्रस्त हो जाता तो यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये परिस्थितियां, जिनका उच्च न्यायालय ने अवलम्ब लिया है, वास्तव में अभियोजन-पक्ष का समर्थन नहीं करती हैं।

6. कुछ अन्य बातें भी हैं, जो इस अपील के समर्थन में श्री मुल्ला ने कही थीं, जिन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। उस स्थान से गारद-कक्ष का फासला 420 कदम बताया गया है जो आसानी से एक फर्लांग का फासला है। यदि पुलिस को सूचना देने वालों ने हमला होते हुए देखा था और तत्पश्चात् वे पुलिस को सूचना देने के लिए गए थे तो उनके हमले को देखने के और पुलिस वालों के उस स्थान पर पहुंचने के बीच का समय कम से कम 15 से 20 मिनट का रहा होगा। हमलावार अपराध करने के लिए और उस स्थान से भागने के लिए आतुर रहे होंगे। यह बात सही है कि 18 (न कि 16 जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है) क्षतियां (शव की) मरणोपरांत परीक्षा के दौरान पाई गई थीं। किन्तु दो हमलावरों द्वारा, जो चाकू से लैस थे, 18 क्षतियां पहुंचाने में इतना लम्बा समय नहीं लगा होगा। तत्पश्चात् जब पुलिस वाले हिण्डन-पुल की तरफ से आ रहे थे तो वे पहले से ही दूर से अपनी बैटरियां चमका रहे होंगे और जब हमलावरों ने उस अन्धकार में रोशनी देखी होगी तो वे पहले से ही सतर्क हो गए होंगे। यदि पुलिस वालों के उनके नजदीक आने से पूर्व उन्हें भागना होता तो वे अवश्य ही उस स्थान से चम्पत हो जाते जैसा कि श्री मुल्ला ने जोर दिया है। शराब की बोतलों के मिलने के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में कुछ महत्त्व हो सकता है। तथापि शराब की बोतलों पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तर्क-वितर्क करना हम आवश्यक नहीं समझते। हमारा यह दृष्टिकोण है कि अभियोजन-पक्ष आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा है।

7. निर्णय का उपसंहार करने से पूर्व प्रत्यर्थी की ओर से श्री दलबीर भंडारी द्वारा दी गई दलील पर ध्यान देना प्रसंगानुकूल है। उन्होंने यह दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में यह न्यायालय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं कर सकता और इसलिए जिन तथ्यों के बारे में निष्कर्ष दिया जा चुका है उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह बात सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और इस प्रयोग में निर्बन्धन, यदि कोई हों, आत्माधिरोपित है। हम श्री भंडारी से सहमत हैं कि सामान्यतः यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता किन्तु जहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और न्यायालय को दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में न्यायोचित नहीं प्रतीत होती तो दोषसिद्धि को उलटने का निदेश देने में कोई चीज आड़े नहीं आती।

8. हम अपील मंजूर करते हैं। अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसकी दोषमुक्ति का निदेश देते हैं। वह पहले ही जमानत पर है इसलिए हम उसके जमानत बन्धपत्रों को रद्द करने का निदेश देते हैं।

अपील मंजूर की गई।

सरोहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के० नागराज और अन्य
बनाम
आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य,
और
डी० शंकरण और अन्य
बनाम
आन्ध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य
और
डी० सुब्बा राजू और अन्य
बनाम
मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश

(18 जनवरी, 1985)

[मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्यायाधिपति आर० एम० पाठक और सब्यसाची मुखर्जी]

आन्ध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लाएमेंट (रेगुलेशन आफ कंडीशन्स आफ सर्विस) अध्यादेश, 1983—खण्ड 10(1) (सपठित सविधान, 1950—अनुच्छेद 14 और 16)—संवैधानिकता—अध्यादेश के उक्त खण्ड के द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष किया जाना—उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को मनमाने और अयुक्तियुक्त होने के आधार पर चुनौती दिया जाना—यह कार्यवाही मनमानी और अयुक्तियुक्त नहीं है—अतः उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण नहीं करती —इसलिए उक्त अध्यादेश असंवैधानिक नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लाएमेंट (रेगुलेशन आफ कंडीशन्स आफ सर्विस) अध्यादेश, 1983—खण्ड 10(1)[सपठित संविधान का अनुच्छेद 311(2)]—सेवानिवृत्ति की आयु का नियतन—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी की सेवा समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अर्थांतर्गत उसे सेवा से "हटाए जाने" की कोटि में नहीं आती ।

आन्ध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लाएमेंट (रेगुलेशन आफ कंडीशन्स आफ सर्विस) अध्यादेश, 1983—खण्ड 10(1)(सपठित संविधान, 1950—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुच्छेद 213)—अध्यादेश की विधिमान्यता—उक्त अध्यादेश "बिना भली-भांति विचार के" पारित किए जाने के कारण अविधिमान्य नहीं है क्योंकि अध्यादेश एक विधायी कार्यवाही है, कार्यपालक कार्यवाही नहीं—केवल कार्यपालक कार्यवाही ही भली-भांति विचार न किए जाने के कारण अविधिमान्य हो सकती है, किन्तु अध्यादेश रूपी विधायी कार्यवाही को उक्त आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 213—अध्यादेश पारित करने की विधायी शक्ति—असद्भाव का आरोप—अध्यादेश पारित करना एक विधायी शक्ति है, कार्यपालक शक्ति नहीं, अतः अध्यादेश को अन्तरस्थ हेतु के कारण असद्भाविक घोषित नहीं किया जा सकता।

मूल नियम—नियम 2 का परन्तुक (सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 309 और 313)—मूल नियम का संशोधन—उक्त अनुच्छेदों के अधीन मूल नियम 2 के परन्तुक का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जाना—ऐसे सेवा नियमों में अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 313 के अधीन प्रदत्त विधायी शक्ति के अधीन सरकार द्वारा किया गया संशोधन विधायी शक्ति का विधिमान्य प्रयोग है।

आन्ध्र प्रदेश में जनवरी, 1983 के विधान सभा निर्वाचनों के परिणामस्वरूप "तेलगु देशम्" नामक एक नई राजनीतिक पार्टी ने सत्ता संभाली। कार्यभार सम्भालने के केवल एक मास बाद ही फरवरी, 1983 में राज्य सेवा के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष कर देने का एक आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 313, सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी की गई दो अधिसूचनाएं उक्त आदेश के साथ संलग्न की गई थीं। सुसंगत मूल नियम प्रथम अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे जबकि हैदराबाद सिविल सर्विस रूल्स के तदनुरूपी नियम दूसरी अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे। इन अधिसूचनाओं द्वारा प्रत्येक ऐसे सरकारी सेवक को, चाहे वह अनुसचिवीय कर्मचारी था या अननुसचियीय था किन्तु सेवा के अन्तिम ग्रेड का नहीं था, जिसने 55 वर्ष की आयु पहले ही प्राप्त कर ली थी, 28 फरवरी, 1983 के दिन से सेवा से सेवानिवृत्त होना था।

ये रिट पिटीशन आन्ध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पूर्वोक्त आदेश और अधिसूचनाओं को इस आधार पर चुनौती देते हुए फाइल किए गए थे कि ये अधिसूचनाएं और आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 300-क का अतिक्रमण करते हैं। पिटीशनरों का पक्षकथन यह है कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के लिए बिल्कुल ही कोई आधार नहीं था; यह कि सेवानिवृत्ति की आयु आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 29 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना द्वारा ही 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की थी और तब से लेकर अब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर फिर से 55 वर्ष करने को न्यायोचित ठहरा सके; यह कि युवकों को रोजगार सम्बन्धी अवसर प्रदान करने की बात का सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है; यह कि सरकार ने उन कारणों पर ध्यान दिए बिना मनमाने तौर पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है जो कारण सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के लिए सुसंगत हैं; यह कि सरकार ने उन कर्मचारियों को कोई पूर्व नोटिस न देकर अयुक्तियुक्त कार्य किया है जो नोटिस उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की पूर्व सन्ध्या पर उन्हें अपनी व्यवस्था करने में समर्थ बना सकता था; यह कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 55 वर्ष करने से विबन्धित है क्योंकि कर्मचारियों ने सन् 1979 में उनके प्रति किए गए इस व्यादेशन के आधार पर कार्य किया था जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया गया था; यह कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष किए जाने के परिणामस्वरूप सन् 1979 में, कर्मचारियों को एक निहित अधिकार प्रोद्भूत हो गया था जिसे नहीं छीना जा सकता और यदि इसे छीना जा सकता है तो केवल सरकारी सेवा में भविष्य में प्रवेश करने वाले लोगों से ही छीना जा सकता है; यह कि सरकारी सेवा के अनुभवी और परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति राज्य की सेवाओं के लिए गम्भीरतः हानिकर होगी और यह कि सेवानिवृत्ति की आयु के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों, जैसी कि चिरायु में हुई वृद्धि को देखते हुए, पर भली-भांति विचार न करने के कारण सरकार का यह विनिश्चय गलत है। पिटीशनर यह प्रकथन करते हैं कि सरकार ने उस बहुत अधिक विलम्ब पर भी विचार नहीं किया था जो उन कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी फायदों का संदाय करने में होगी, जो कर्मचारी बिना किसी पूर्व विचार और नोटिस के सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश राज्य की ओर से फाइल किए गए शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक सदस्यीय वेतन आयोग की सिफारिश, जिस सिफारिश के पश्चात् सेवानिवृत्ति की आयु सन् 1979 में बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी, इस आयु को कम करने के बारे में राज्य के प्रस्तुत विनिश्चय से सुसंगत नहीं है; यह कि यह तथ्य कि जीवन की औसत प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आयु बढ़ाने के लिए कोई आधार नहीं है; यह कि केरल और कर्नाटक राज्य की सरकारों ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 55 वर्ष किया था यद्यपि यह पहले 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी; यह कि भारत के कुछ राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष ही है, 58 वर्ष नहीं; यह कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय अपने उस वचन को पूरा करने के लिए किया गया था कि सरकार साधारण व्यक्ति की दशा में सुधार करने के निर्माणकारी उपाय करेगी और विशेषकर उन बेरोजगार, अर्हित और प्रतिभावान युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, जिसकी सख्या शैक्षिक सुविधाओं में प्रसार के कारण तीव्र गति से बढ़ रही थी; यह कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर देने के कारण से निम्न पदों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के अवसर उत्पन्न करके एक अच्छा प्रभाव डालना था। शपथ-पत्र यह और कहता है कि सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बन्धित प्रश्न सरकारी नीति का ही एक शुद्ध प्रश्न है और यह पिटीशनरों को रिट पिटीशन फाइल करने का कोई वाद-हेतुक प्रदान नहीं करता। शपथ-पत्र में यह प्राख्यान किया गया है कि सरकार ने सन् 1979 में सेवानिवृत्ति की आयु को 55 से बढ़ाकर 58 करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और इससे यह प्रकट हुआ कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाने के कारण सरकारी सेवकों की पदोन्नति के अवसर कम हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप व्यापक हताशा और बेरोजगारी फैल रही है। पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी फायदों के संदाय से सम्बन्धित पिटीशनरों द्वारा अभिकथित असुविधा केवल काल्पनिक है क्योंकि सरकार ऐसे फायदों को शीघ्रता से वितरित करने के व्यापक प्रबन्ध कर रही है। इस प्रति-शपथपत्र द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस बात से इनकार किया कि संविधान के किसी भी उपबन्ध का सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के आक्षेपित विनिश्चय द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से एक और शपथ-पत्र फाइल किया गया था। इस प्रति-शपथपत्र में यह कहा गया है कि अधिवर्षिता की आयु का प्रश्न श्री ए० कृष्णास्वामी वाले एक सदस्यीय वेतन आयोग को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जो आयोग आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 3 नवम्बर, 1977 को गठित किया गया था; यह कि उस वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश मात्र नैमित्तिक थी और यह सुसंगत मापदण्डों पर आधारित नहीं थी; यह कि लगभग 12,04,008 शिक्षित युवक 30 नवम्बर, 1979 को, अधिवर्षिता की आयु को अवांछनीय रूप में 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के परिणामस्वरूप बिना रोजगार के रह गए थे; यह कि बेरोजगार युवकों की संख्या 31 जनवरी,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1982 तक बढ़कर 17,84,699 हो गई थी और यह कि सेवानिवृत्ति की आयु इसलिए घटाई गई है, क्योंकि आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी उपबन्ध करे।

रिट पिटीशनों पर इस न्यायालय द्वारा 25 फरवरी, 1983 को एक आरम्भिक आदेश जारी किया गया था। आंध्र प्रदेश की विधानसभा का 9 अप्रैल, 1983 को सत्रावसान कर दिया गया था। अगले ही दिन अर्थात् 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 1983 का अध्यादेश सं० 5 प्रख्यापित किया जिसे "दि आंध्र प्रदेश पब्लिक एम्पलाएमेंट (रेगूलेशन आफ कंडीसंस आफ सर्विस) आर्डिनेंस, 1983" (अर्थात अध्यादेश) कहा गया है। यह अध्यादेश आंध्र प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। अध्यादेश का खण्ड 10(1) यह उपबन्ध करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो कर्मकार नहीं है और सेवा के अंतिम ग्रेड का है, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगा जिस मास में वह 55 वर्ष की आयु पूरी करता है। खण्ड 15 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम अथवा संविधान के अनुच्छेद 313 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जारी रखे गए सभी नियम और विनियम, जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को लागू होते हैं, वहां तक प्रवृत्त बने रहेंगे जहां तक वे इस अध्यादेश के उपबन्धों से विसंगत नहीं हैं। अध्यादेश का खण्ड 16 यह उपबन्ध करता है कि मूल नियमों का कोई भी संशोधन मात्र इस तथ्य के कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक में यह अधिकथित है कि उक्त नियम पहले से ही सेवा में बने हुए किसी व्यक्ति के अलाभ के लिए उपान्तरित या अतिष्ठित नहीं किए जाएंगे। इसमें यह और उपबन्ध किया गया है कि मूल नियमों में किए गए सभी संशोधन, और विशेषकर 8 फरवरी, 1983 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन विधिमान्यतः बनाए जायेंगे और सदैव से ही विधिमान्यतः बनाए गए समझे जायेंगे; और मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इनका ऐसा प्रभाव होगा मानो कि अध्यादेश 8 फरवरी, 1983 को प्रवृत्त था। अध्यादेश का खण्ड 16 यह घोषणा करता है कि मूल नियमों तथा हैदराबाद सिविल सर्विसेज रूल्स में अध्यादेश के प्रारम्भ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होने से पूर्व या पश्चात किया गया प्रत्येक संशोधन सभी कर्मचारियों को लागू किया जाएगा और सदैव से ही लागू किए गए समझे जायेंगे, भले ही वे कर्मचारी संशोधन से पूर्व या पश्चात् नियुक्त किए गए हों। अध्यादेश का खण्ड 18, उपखण्ड (1) के द्वारा यह उपबन्ध करता है कि मूल नियमों के नियम 2 का लोप कर दिया जाएगा और सदैव से ही लोप कर दिया गया समझा जाएगा।

पिटीशनरों की ओर से श्री वेणुगोपाल ने अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह अध्यादेश अयुक्तियुक्त है। श्री तारकुण्डे ने इसे इस आधार पर चुनौती दी है कि सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर कर्मचारियों को सेवानिवृ्त किया जाना, इन परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थान्तर्गत कर्मचारियों को (सेवा से) "हटाए जाना" की कोटि में आता है। श्री सिद्धांत शंकर रे की चुनौती इस आधार पर आधारित है कि इस अध्यादेश को पारित करते समय "भली-भांति विचार नहीं किया गया" है। श्री पी० पी० राव यह दलील देते हैं कि यह अध्यादेश इसलिए दूषित है क्योंकि, जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में सुसगत नियमों के अधीन सरकार द्वारा 3 मास का नोटिस देना अपेक्षित है, उन कर्मचारियों की अधिवर्षिता के मामले में, जिन्होने 8 फरवरी, 1983 को जबकि प्रथम आदेश जारी किया गया था, 55 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर ली थी, आक्षेपित कर्मचारियों को केवल 20 दिन का ही नोटिस देती है, चूंकि ऐसे सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी, 1983 को सेवानिवृत्त होना था। श्री पी० पी० राव ने मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक को भूतलक्षी रूप से हटाए जाने को भी यह कह कर चुनौती दी है कि यह कार्यवाही मनमानी है। श्री गुरुराज राव अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती देते हैं कि यह अध्यादेश आंध्र प्रदेश के एक सदस्यीय वेतन पुनरीक्षण आयोग द्वारा सन् 1979 में की गई सिफारिश के प्रतिकूल है जिस सिफारिश के अनुसरण में सेवानिवृति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी। श्री ए० टी० एम० सम्पथ ने अध्यादेश को जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों में स्वीकार्य तत्व न होने की बात पर बल दिया है। कुछ अन्य विद्वान् काउन्सेलों की तरह ही उन्होंने भी अध्यादेश और आदेश जारी करने में राज्य सरकार की सद्भावना पर संदेह किया है।

इस प्रकार पिटीशनरों की मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं :—

(1) आक्षेपित अध्यादेश के उपबन्ध, जो सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करते हैं, मनमाने और अयुक्तियुक्त हैं और इस प्रकार से ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(2) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाने वाला उक्त अध्यादेश पारित करने की आंध्र प्रदेश सरकार या विधानमण्डल में विधायी क्षमता या विधायी शक्ति नहीं है।

(3) मनमाने रूप में सेवानिवृत्ति की आयु का नियतन सेवा से "हटाए जाने" की कोटि में आता है और इसलिए अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 311(2) का अतिक्रमण करता है।

(4) आक्षेपित अध्यादेश को "भली-भांति विचारोपरान्त पारित न किए जाने" के आधार पर अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है।

(5) अपेक्षित अध्यादेश असद्भाव के आधार पर अविधिमान्य है।

(6) मूल नियम के नियम 2 के परन्तुक में संविधान के अनुच्छेद 309 और 313 के अधीन सरकार द्वारा भूतलक्षी रूप से किया गया संशोधन विधायी शक्ति का अविधिमान्य प्रयोग है।

रिट पिटीशन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—इस विषय से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना बहुत कठिन है कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने में राज्य सरकार या विधानमण्डल ने मनमाने तौर पर या अतार्किक रूप से कार्य किया है। स्वयं हमारे देश में ही सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष नियत करने या इसे 58 वर्ष से 55 वर्ष करने के उदाहरण मिलते हैं। तत्कालीन सरकार की रोजगार सम्बन्धी नीति पर निर्भर करते हुए, आयु के इन दो प्रक्रमों में से कोई एक या दूसरा ही आमतौर पर स्वीकार्य माना गया है। ऐसा कोई अनमनीय नियम अधिकथित करना संभव नहीं है कि सेवानिवृत्ति की युक्तियुक्त आयु 58 वर्ष है और 55 वर्ष नहीं है। यदि इस समय सरकार या विधानमण्डल द्वारा बनाई गई नीति रोजगार सम्बन्धी योजना के मान्यताप्राप्त मानदण्डों का अतिक्रमण करने वाली दर्शित की जाती है तो यह कहना भी सम्भव हो जाएगा कि यह नीति इसलिए अतार्किक और अयुक्तियुक्त है क्योंकि उस दशा में, इस नीति के उस उद्देश्य से कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं होगा जो उद्देश्य यह नीति प्राप्त करना चाहती है। किन्तु यहां ऐसी बात नहीं है। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना सेवा-निवृत्ति की आयु नियत करने से सम्बन्धित नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। चूंकि आक्षेपित नीति इसी विचारणा से प्रेरित और मुख्यतः प्रभावित है इसलिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इसे मनमाना या अतार्किक अथवा अयुक्तियुक्त कह कर अभिखण्डित नहीं किया जा सकता। (पैरा 28)

सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से कम करके 55 वर्ष करना अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 16 के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह मनमाना या अयुक्तियुक्त नहीं है। किन्तु इस स्थिति के अलावा, इस बात को समझना कठिन है कि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधि या नियम के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, सेवा से उसको "हटाए जाने" की कोटि में कैसे आती है। यह भली-भांति सुस्थिर सिद्धांत है कि अनुच्छेद 311(2) केवल तब तक लागू होता है जबकि कोई सिविल सेवक शास्ति स्वरूप पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है, अर्थात् जबकि इस बारे में उसके विरुद्ध पारित किए गए आदेश का प्रभाव उसके लिए अहितकर परिणाम वाला होता है। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कारण किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति अनुच्छेद 311(2) के अर्थान्तर्गत उसे सेवा से हटाए जाने की कोटि में नहीं आती। (पैरा 29)

अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालक शक्ति नहीं है अपितु यह कार्यपालिका की विधान बनाने की शक्ति है। अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है जो अनुच्छेद संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में आता है। इस अध्याय का शीर्षक "राज्यपाल की विधायी शक्ति" है। विधि पारित करने में राज्य विधानमंडल की शक्ति के समान ही इस क्षेत्र में यह एक पूर्ण शक्ति है और इस शक्ति पर किसी प्रकार के निर्बंधन नहीं हैं, सिवाय उन निर्बंधनों के जिनके अधीन राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति होती है। अतः यद्यपि एक अध्यादेश उन संवैधानिक परिसीमाओं के उल्लंघन के लिए अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है, जो विधि पारित करने के बारे में राज्य विधानमंडल की शक्ति को लागू होते हैं किन्तु इसे 'भली-भांति विचार न करने' के कारण उसी प्रकार से अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई अन्य विधि भी अविधिमान्य घोषित नहीं की जा सकती है। कोई कार्यपालक कार्यवाही भली-भांति विचार न करने के आधार पर अभिखंडित की जा सकती है किन्तु विधानमण्डल की कार्यवाही नहीं। (पैरा 31)

असद्भावना को सिद्ध करने का भार निश्चय ही एक बड़ा भारी भार होता है। अस्पष्ट और प्रायिक अभिकथन जिनमें यह सुझाव दिया गया हो कि एक कार्य विशेष असद्भाविक आशय से किया गया था, उचित अभिवचन और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर्याप्त सबूत के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये दोनों ही इन रिट पिटीशनों में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि अध्यादेश बनाने की शक्ति एक विधायी शक्ति है अतः असद्भाव की दलील बिल्कुल ही भ्रामक है। एक निकाय के रूप में विधानमंडल पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने कोई विधि किसी असम्बद्ध प्रयोजन के लिए पारित की है। कोई विधि पारित करने के बारे में इसके कारण वे कारण होते हैं जो उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित किए जाते हैं। यह अनुमान लगाने पर भी कि किसी मामले विशेष में कोई विधान प्रस्तुत करने में विधायिका का अन्तरस्थ हेतु है तो वह हेतु किसी विधि के पारित करने को सद्भाविक नहीं बना सकता। इस प्रकार का "अंतरित विद्वेष" विधायन के क्षेत्र में एक अनजानी बात है। (पैरा 36)

मूल नियम में 17 फरवरी, 1983 को संशोधन आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 313 सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया था। यह भली-भांति सुस्थापित है कि सिविल नियमों में संशोधन उस प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से वे अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए जा सकते हैं और यह कि इन नियमों को संशोधित करने की शक्ति में इन्हें भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति एक विधायी शक्ति है और इसे नियम बनाने की सामान्य शक्ति से प्रभेदित करना है। विधान बनाने की शक्ति संविधान द्वारा सीमित क्षेत्र में एक पूर्ण शक्ति है और इसके अन्तर्गत भूतलक्षी रूप से विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। अतः मूल नियमों में अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया वह संशोधन जिसके द्वारा नियम 2 के परन्तुक को भूतलक्षी रूप से हटा दिया गया था, विधायी शक्ति का विधिमान्य प्रयोग था। अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाया गया नियम और किए गए संशोधन विधानमंडल द्वारा उपांतरित या निरसित किए जा सकते है किंतु जब तक ऐसा नहीं किया जाता, इस शक्ति को यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसमें प्राधिकार का अभाव है। (पैरा 37)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1982] (1982) 2 एस० सी० आर० 272 पृष्ठ 282, 291:
ए० के० राय वनाम **भारत संघ;** 32

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1982] (1982) 1 एस० सी० आर० 947 पृष्ठ 964, 967 :
आर० के० गर्ग० बनाम **भारत संघ** 32

[1979] (1979) 1 एस० सी० आर० 26 :
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम **वी० वी० एस० कृष्णामूर्ति;** 33

[1979] 1 उम० नि० प० 243=(1978) 2 एस० सी० आर० 621 :
मेनका गांधी बनाम **भारत संघ;** 35

[1975] (1975) 3 एस० सी० आर० 963, 965 :
राजकुमार बनाम **भारत संघ;** 37

[1968] (1968) 3 एस० सी० आर० 575, 582, 585 :
बी० एस० वडेरा बनाम **भारत संघ;** 37

[1964] (1964) 5 एस० सी० आर० 683 :
मोती राम डेका बनाम **महाप्रबन्धक, उत्तर सीमांत रेल;** 29

[1952] (1952) एस० सी० आर० 597 :
मद्रास राज्य बनाम **वी० जी० राव** 35

अवलम्बित निर्णय

[1965] (1965) 1 ए० सी० आर० 693 : 29
बिशन नारायण मिश्र बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य;**

[1958] (1958) एस० सी० आर० 828 :
पी० बालकाटया बनाम **भारत संघ;** 29

[1958] (1958) एस० सी० आर० 828 :
पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम **भारत संघ;** 29

[1958] (1958) एस० सी० आर० 571 :
बम्बई राज्य बनाम **सुभाष चन्द एम० दोषी;** 29

[1955] (1955) 1 एस० सी० आर० 26 :
श्याम लाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 29

[1953] (1953) एस० सी० आर० 655 :
सतीश चन्द्र बनाम **भारत संघ** 29

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आरम्भिक रिट अधिकारिता : 1983 का रिट पिटीशन सं० 1073-1100, 1117-19, 1229-95, 1427-1554, 1746-2140, 2155-2271, 2396-2459, 1190-1217, 1302-12, 1314-15, 1566-1641, 1140-70, 2360-95, 1643-1725, 2272-2329, 2152, 2332, 2339, 2491, 2486-89, 2498-2521, 2522, 2533-74, 2611-2638 और 2531.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन)

पिटीशनरों की ओर से — सर्वश्री के० के० वेणुगोपाल, एस० एस० रे, पी० पी० राव, वी० एम० तारकुण्डे, आर० के० गर्ग, वी० जे० शर्मा, एम० पी० राव, सुदर्श मेनन, टी० वी० ए० एन० चारी, जी० नरसिम्हुलु, ए० सुब्बा राव, एम० के० डी० नम्बूदरी, एच० एस० गुरु राज राव, एस० मारकण्डे, ए० टी० एम० सम्पथ, डी० के० गर्ग, निखिल चन्द्र और ए० के० पंडा

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री अनिल बी० दीवान, वी० पारथासार्थी आर० के० चौधरी, जी० एन० राव और कुमारी ए० सुभाषिणी

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चंद्रचूड़ ने दिया।

मुख्य न्यायाधिपति चंद्रचूड़—

जनवरी, 1983 में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए आयोजित निर्वाचनों में एक नया राजनैतिक दल जिसे "तेलुगू देशम्" कहा गया है, सत्ता में आया। इस दल ने 9 जनवरी, 1983 को कार्यभार संभाला। 8 फरवरी, 1983 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह उल्लेख करते हुए एक आदेश (जी० ओ० मिसलेनियस सं० 36) जारी किया गया कि सरकार ने सेवा के अंतिम ग्रेड से भिन्न सभी सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का निश्चय किया है। संविधान के अनुच्छेद 313, सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी की गई दो अधिसूचनाएं उक्त आदेश के साथ संलग्न

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की गई थीं। सुसंगत मूल नियम, प्रथम अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे जबकि हैदराबाद सिविल सर्विस रूल्स के तद्नुरूपी नियम दूसरी अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे। इन अधिसूचनाओं द्वारा प्रत्येक ऐसे सरकारी सेवक को, चाहे वह अनुसचिवीय कर्मचारी था या अननुसचिवीय था, किंतु सेवा के अंतिम ग्रेड का नहीं था, जिसने 55 वर्ष की आयु पहले ही प्राप्त कर थी। 29 फरवरी, 1985 के दिन से सेवा से सेवानिवृत होना था। सचिवालय के प्रांगण में अगले दिन सरकारी कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के निर्णय को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया कि युवकों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कराना आवश्यक हो गया था। इस आदेश के परिणामस्वरूप 18,000 सरकारी कर्मचारियों से अधिक और 10,000 पब्लिक सैक्टर कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी अधिवर्षिता को प्राप्त हो गए थे।

2. ये रिट पिटीशन आन्ध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पूर्वोक्त आदेश और अधिसूचनाओं को इस आधार पर चुनौती देते हुए फाइल किए गए थे कि ये अधिसूचनाएं और आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 300-क का अतिक्रमण करते हैं। पिटीशनरों का पक्षकथन, जैसा कि इन रिट पिटीशनों में उल्लिखित किया गया है, यह है कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के लिए बिल्कुल ही कोई आधार नहीं था; यह कि सेवानिवृत्ति की आयु आंध्र प्रदेश सरकार ने 29 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना द्वारा 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 की थी और तब से लेकर अब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर फिर से 55 वर्ष करने को न्यायोचित ठहरा सके; यह कि युवकों को रोजगार सम्बन्धी अवसर प्रदान करने की बात का सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है; यह कि सरकार ने उन कारणों पर ध्यान दिए बिना मनमाने तौर पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है जो कारण सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के लिए सुसंगत हैं; यह कि सरकार ने उन कर्मचारियों को कोई पूर्व नोटिस न देकर अयुक्तियुक्त कार्य किया है जो नोटिस उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की पूर्व सन्ध्या पर उन्हें अपनी व्यवस्था करने में समर्थ बना सकता था; यह कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 55 वर्ष करने से विबंधित है क्योंकि कर्मचारियों ने सन् 1979 में उनके प्रति किए गए इस व्यपदेशन के आधार पर कार्य किया था जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को 55 से बढ़ाकर 58 कर दिया गया था; यह कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष किए जाने के परिणामस्वरूप सन् 1979 में, कर्मचारियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को एक निहित अधिकार प्रोद्भूत हो गया था जिसे नहीं छीना जा सकता और यदि इसे छीना जा सकता है तो केवल सरकारी सेवा में भविष्य में प्रवेश करने वाले लोगों से ही छीना जा सकता है; यह कि सरकारी सेवा के अनुभवी और परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति राज्य की सेवाओं के लिए गम्भीरतः हानिकर होगी और यह कि सेवानिवृत्ति की आयु के प्रश्न पर प्रभार डालने वाले सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों, जैसे कि चिरायु में हुई वृद्धि को देखते हुए, पर भली-भांति विचार न करने के कारण सरकार का यह विनिश्चय गलत है। पिटीशनर यह प्रकथन करते हैं कि सरकार ने उस बहुत अधिक विलम्ब पर भी विचार नहीं किया था जो उन कर्मचारियों को पैंशन सम्बन्धी फायदों का संदाय करने में होगी जो कर्मचारी बिना किसी पूर्व विचार के सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

3. आन्ध्र प्रदेश राज्य की ओर से राज्य के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, श्री आर० पार्थासार्थी के द्वारा एक प्रतिशपथ-पत्र रिट पिटीशनों के ग्रहण किए जाने के प्रक्रम पर फाइल किया गया था। उस शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक सदस्यीय वेतन आयोग की सिफारिश, जिस सिफारिश के पश्चात् सेवानिवृत्ति की आयु सन् 1979 में बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी, सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के बारे में राज्य के प्रस्तुत विनिश्चय से सुसंगत नहीं है; यह कि यह तथ्य कि जीवन की औसत प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए कोई आधार नहीं है; यह कि केरल और कर्नाटक राज्य की सरकारों ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 55 वर्ष किया था यद्यपि यह पहले 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी; यह कि भारत के कुछ राज्यों में सेवानिवृति की आयु 55 वर्ष ही है, 58 वर्ष नहीं; यह कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय अपने उस वचन को पूरा करने के लिए किया गया था कि सरकार साधारण व्यक्ति की दशा में सुधार करने के निर्माणकारी उपाय करेगी और विशेषकर उन बेरोजगार, अर्हित और प्रतिभावान युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिनकी संख्या शैक्षणिक सुविधाओं के प्रसार के कारण तीव्र गति से बढ़ रही थी; यह कि सेवानिवृति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर देने के कारण से निम्न पदों पर सरकारी कर्मचारी स्थिर हो गए थे; और यह कि प्रस्तुत अध्योपाय का आशय योग्य कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के अवसर उत्पन्न करके एक अच्छा प्रभाव डालना था। शपथ-पत्र यह और कहता है कि सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बन्धित प्रश्न सरकारी नीति का ही एक शुद्ध प्रश्न है और यह पिटीशनरों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को रिट पिटीशन फाइल करने का कोई वाद-हेतुक प्रदान नहीं करता। शपथ-पत्र में यह प्राख्यान किया गया है कि सरकार ने सन् 1979 में सेवानिवृत्ति की आयु को 55 से बढ़ाकर 58 करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और इससे यह प्रकट हुआ कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाने के कारण सरकारी सेवकों की पदोन्नति के अवसर कम हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप व्यापक हताशा और बेरोजगारी फैल रही है। पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी फायदों के संदाय से सम्बन्धित पिटीशनरों द्वारा अभिकथित असुविधा केवल काल्पनिक है क्योंकि सरकार ऐसे फायदों को शीघ्रता से वितरित करने के व्यापक प्रबन्ध कर रही है। इस प्रतिशपथ-पत्र द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस बात से इनकार किया कि संविधान के किसी भी उपबन्ध का सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के आक्षेपित विनिश्चय द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

4. आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से, रिट पिटीशनों में आरम्भिक आदेश जारी किए जाने के पश्चात् एक और शपथ-पत्र फाइल किया गया था। यह शपथ-पत्र वित्त तथा नियोजन विभाग के आन्ध्र सरकार के उपसचिव, श्री ए० एन० शर्मा द्वारा शपथ-पत्र फाइल किया गया है। इस प्रतिशपथ-पत्र में यह कहा गया है कि अधिवर्षिता की आयु का प्रश्न श्री ए० कृष्णस्वामी वाले एक सदस्यीय वेतन आयोग को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जो आयोग आन्ध्र सरकार द्वारा 3 नवम्बर, 1977 को गठित किया गया था; यह कि उस वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश मात्र नैमित्तिक थी और यह सुसंगत मापदण्डों पर आधारित नहीं थी; यह कि लगभग 12,04,008 शिक्षित युवक 30 नवम्बर, 1979 को, अधिवर्षिता की आयु को अवांछनीय रूप में 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के परिणामस्वरूप बिना रोजगार के रह गये थे; यह कि बेरोजगार युवकों की संख्या 31 जनवरी, 1982 तक बढ़कर 17,84,699 हो गई थी और यह कि सेवानिवृत्ति की आयु इसलिए घटाई गई है क्योंकि आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी उपबंध करे। इस शपथ-पत्र के शेष प्रकथन वैसे ही हैं जो श्री आर० पार्थासार्थी के शपथ-पत्र में दिए गए हैं।

5. रिट पिटीशनों पर इस न्यायालय द्वारा 25 फरवरी, 1983 को एक आरम्भिक आदेश जारी किया गया था। आन्ध्र प्रदेश की विधानसभा का 9 अप्रैल, 1983 को सत्रावसान कर दिया गया था। अगले ही दिन अर्थात् 10 अप्रैल को आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 1983 का अध्यादेश सं० 5

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रख्यापित किया जिसे "दि आन्ध्र प्रदेश पब्लिक एम्पलायमेंट (रेगूलेशन आफ कंडीशंस आफ सर्विस) आर्डिनेंस" (अर्थात् अध्यादेश) कहा गया है। "यह अध्यादेश आंध्र प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था।" इन रिट पिटीशनों में अध्यादेश के खंड 3 से लेकर खंड 9 तक से हमारा संबंध नहीं है, जो मुख्यतः सेवा की शर्तों को विनियमित करते हैं। अध्यादेश का खंड 10(1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो कर्मकार नहीं है और सेवा के अन्तिम ग्रेड का नहीं है, उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस मास में वह 55 वर्ष की आयु पूरी करता है। खंड 10(2) यह उपबन्ध करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो कर्मकार नहीं है किंतु सेवा के अन्तिम ग्रेड का है, उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस मास में वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता है। खंड 10(3) यह उपबंध करता है कि सेवा के अन्तिम ग्रेड का प्रत्येक कर्मकार या जो यथा अधिसूचित किसी निम्नतर सेवा में मासिक वेतन की दर से नियोजित है, उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो जाएगा जिस मास में वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता है। अनुसचिवीय सेवा के कर्मकार या निम्नतर अधिसूचित सेवा के अंतिम ग्रेड से भिन्न किसी सेवा के कर्मकार को उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होना पड़ेगा जिस मास में वह 55 वर्ष की आयु पूरी करता है। खंड 15 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम अथवा संविधान के अनुच्छेद 313 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जारी रखे गए सभी नियम और विनियम, जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को लागू होते हैं; वहां तक प्रवृत्त बने रहेंगे जहां तक वे इस अध्यादेश के उपबंधों से विसंगत नहीं हैं। अध्यादेश का खंड 16 यह उपबंध करता है कि मूल नियमों का कोई भी संशोधन मात्र इस तथ्य के कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक में यह अधिकथित है कि उक्त नियम पहले से ही सेवा में बने हुए किसी व्यक्ति के अलाभ के लिए उपांतरित या अतिष्ठित नहीं किए जाएंगे। इसमें यह और उपबंध किया गया है कि मूल नियमों में किए गए सभी संशोधन, और विशेषकर 8 फरवरी, 1983 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन विधिमान्यतः बनाए जाएंगे और सदैव से ही विधिमान्यतः बनाए गए समझे जाएंगे; और मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बात के होते हुए भी इनका ऐसा प्रभाव होगा मानो कि अध्यादेश 8 फरवरी, 1983 को प्रवृत्त था। अध्यादेश का खंड 16 यह घोषणा करता है कि मूल नियमों तथा हैदराबाद सिविल सर्विसिज रूल्स में अध्यादेश के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् किया गया प्रत्येक सशोधन सभी कर्मचारियों को लागू किया जाएगा और सदैव से ही लागू किया गया समझा जाएगा, भले ही वे कर्मचारी संशोधन से पूर्व या पश्चात् नियुक्त किए गए हों अध्यादेश का खंड 18, उपखंड (1) के द्वारा यह उपबंध करता है कि मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा और सदैव से ही लोप कर दिया गया समझा जाएगा। मूल नियमों के नियम 56 का खंड 18(ii) द्वारा लोप कर दिया गया है जबकि हैदराबाद सिविल सर्विसिज रूल्स के नियम 231 का अध्यादेश के खंड 19 द्वारा लोप कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु इससे पूर्व इन दो नियमों द्वारा विनियमित होती थी।

6. हमारे समक्ष पेश की गयी दलीलें दो सुभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं और विद्वान् काउन्सेलों ने समान रूप से भार को वहन किया है। श्री वेणुगोपाल ने अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह अध्यादेश अयुक्तियुक्त है। श्री तारकुण्डे ने इसे इस आधार पर चुनौती दी है कि सेवा-निवृत्ति की आयु को घटाकर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाना, इन परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थान्तर्गत कर्मचारियों को (सेवा से) "हटाए जाना" की कोटि में आता है। श्री सिद्धांत शकर रे की चुनौती इस आधार पर आधारित है कि इस अध्यादेश को पारित करते समय भली-भांति विचार नहीं किया गया है। श्री आर० के० गर्ग, जो तीन अंतरित मामलों के ग्रुप की ओर से हाजिर हुए हैं, यह दलील देते हैं कि यह अध्यादेश इसलिए दूषित है क्योंकि यह सभी औद्योगिक न्याय निर्णयनों को अतिष्ठित करता है तथा प्रबंध मंडल और कर्मचारियों के बीच किए गए समझौतों को भी नामंजूर करता है। श्री पी० पी० राव यह दलील देते हैं कि यह अध्यादेश इसलिए दूषित है क्योंकि, जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में सुसंगत नियमों के अधीन सरकार द्वारा 3 मास का नोटिस देना अपेक्षित है, उन कर्मचारियों की अधिवर्षिता के मामले में, जिन्होंने 8 फरवरी, 1983 को जबकि प्रथम आदेश जारी किया गया था, 55 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर ली थी, आक्षेपित विधि कर्मचारियों को केवल 20 दिन का ही नोटिस देती है, चूंकि ऐसे सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी, 1983 को सेवानिवृत्त होना था। श्री पी० पी० राव ने मूल नियमों के नियम 2 के परन्तुक को भूतलक्षी रूप से हटाए जाने को भी यह कह कर चुनौती दी है कि यह कार्यवाही मनमानी है। श्री गुरूराज

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राव अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती देते हैं कि यह अध्यादेश आंध्र प्रदेश क एक सदस्यीय वेतन पुनरीक्षण आयोग द्वारा सन् 1979 में की गयी सिफारिश के प्रतिकूल है जिस सिफारिश के अनुसरण में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गयी थी। श्री ए० टी० एम० सम्पथ ने अध्यादेश को जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों में स्वीकार्यत तत्त्व न होने की बात पर बल दिया है। कुछ अन्य विद्वान् काउन्सेलों की तरह ही उन्होंने भी अध्यादेश जारी करने में राज्य सरकार की सद्भावना पर संदेह किया है। पिटीशनरों ने यह सुझाव दिया था यद्यपि यह सुझाव चलते-चलते ही दिया था कि सेवानिवृत्ति की आयु कम करने में राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवा के उन वरिष्ठ सदस्यों से छुटकारा पाना था जिनके बारे में यह समझा गया था कि उनकी निष्ठा संदेह से परे नहीं है।

7. पिटीशनरों के मामले का यही मोटा-मोटा स्वरूप है। अब हम हमारे समक्ष विनिर्दिष्ट रूप से दी गयी दलीलों का उल्लेख करेंगे, किन्तु ऐसा करने से पूर्व, उस दृष्टिकोण का संकेत करना आवश्यक होगा जो हमारी राय में, प्रस्तुत किस्म के प्रश्न की परीक्षा करने के लिए अपनाया जाना चाहिए अर्थात् सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के बारे में संसार के कुछ देशों में, कुछेक सेवाओं को छोड़कर उदाहरणार्थ अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की सेवा, प्रत्येक लोक सेवा के निबन्धन और शर्तें सेवानिवृत्ति की आयु का उपबन्ध करते हैं। निस्सन्देह, यह प्रस्थापना कि लोक सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु अवश्य होनी चाहिए, व्यापक रूप से युक्तियुक्त और तार्किक स्वीकार की गयी है। यह तथ्य कि सेवानिवृत्ति की आयु का अधिकथित किया जाना हमारी सभी लोक सेवाओं का एक सामान्य तत्त्व है, इसकी युक्तियुक्तता ही नहीं अपितु इसकी आवश्यकता को भी सिद्ध करता है। लोकहित यह मांग करता है कि लोक सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु अवश्य होनी चाहिए। कार्यकुशलता के ऊंचे स्तर से सम्बन्धित मुद्दा तो व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न होना आवश्यक है किन्तु सेवानिवृत्ति की आयु स्पष्टतः इसी कारण से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न नहीं हो सकती। अतः अधिवर्षिता को समान रूप से लागू होने वाली एक सामान्य स्कीम कर्मचारियों के कार्यपालन के स्तर से सम्बन्धित अनुभव को, समाज के युवा वर्ग को रोजगार सम्बन्धी अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को और अपने प्रारम्भिक कैरियर में ही निम्न स्तर पर कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विक्षित की जाती है। अनिवार्यतः लोक प्रशासक को अधिवर्षिता की आयु का अवधारण करते समय विभिन्न प्रकार वे दावों में सन्तुलन बनाना होता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एक ओर तो लोक सेवाओं को वरिष्ठ कर्मचारियों के परिपक्व अनुभाव के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता किन्तु दूसरी ओर सेवा के कनिष्ठ सदस्यों और समाज के युवा वर्ग के मन में निराशा की भावना को उत्पन्न नहीं होने दिया जा सकता। समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी इन दावों का संतुलन करने में नीति के बहुत सूक्ष्म प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं जिन्हें, यथासम्भव, कार्यपालिका और विधायिका के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इन दावों में विभिन्न प्रकार की शक्ति और उनके लाभों से सम्बन्धित विचारणाएं अन्तर्वलित होती हैं। प्राय: न्यायालय के पास यह विनिश्चित करने के लिए कोई संतोषजनक और प्रभावी माध्यम नहीं है कि अनेक प्रतिस्पर्धी विकल्पों में से कौन-सा विकल्प एक मामले विशेष की परिस्थितियों में उत्तम होता है। हम यह सुझाव नहीं देते कि नीति का प्रत्येक प्रश्न न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि से बाहर होता है या यह कि आवश्यक रूप से, नीति के किसी भी या प्रत्येक प्रश्न का पुनर्विलोकन करने के लिए कोई नियन्त्रक मानक नहीं हैं। यदि ऐसी बात होती तो इस न्यायालय ने मोटरकारों से लेकर सरसों के तेल जैसे व्यापक विषयों से सम्बन्धित मूल्य निर्धारण के विवादों को ग्रहण करने से इनकार कर दिया होता। यदि सेवानिवृत्ति की आयु ऐसे एक बहुत ही अयुक्तियुक्त स्तर पर नियत कर दी जाती है जो कि इस आयु को मनमाना और अतार्किक बना देता है तो न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, यद्यपि सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के लिए नहीं किन्तु मामले में बहुत ही सूक्ष्मत: विचार करने के लिए। "जहां कोई कार्य मनमाना है, तो इस कार्य में यह बात विवक्षित है कि यह राजनैतिक तर्क तथा संवैधानिक विधि दोनों के अनुसार ही असमान है" और इस प्रकार से यह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है (देखिए **ई० पी० रायप्पा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1])। किन्तु सेवानिवृत्ति की आयु जैसे नीति-विषयक विवाद्यकों की विधिमान्यता को निपटाने के लिए परस्पर विरोधी दावों को संवेदनात्मक न्यायिक तराज़ू में रखना तथा यह पता लगाकर विवाद्यक को निश्चित करना उचित नहीं है कि तराज़ू का पलड़ा किस ओर झुकता है। यह ऐसा कार्य है जो कि प्रशासक तथा विधानमंडल को करना होता है। जैसा कि 'दि सुप्रीम कोर्ट एण्ड दि ज्यूडिशियल फंक्शन', (सम्पादक फिलिप्स बी० कुरलैंड, प्रकाशक, एक्सफोर्ड एण्ड आई० वी० एच० पब्लिशिंग कम्पनी, पृष्ठ 13) नामक पुस्तक में कहा गया है, "न्यायिक आत्म-संयम अपने आपमें उन तत्त्वों में जोड़े जाने

[1] (1974) 2 एस० सी० आर० 348.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाला एक तत्त्व है जो संतुलन की प्रक्रिया में जोड़ा जाना होता है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित कुछ कम या अधिक वजन होता है।"

8. अतः हमें हमारे समक्ष इस समस्या पर यह अवधारण करने की दृटि से विचार करना चाहिए कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु अयुक्तियुक्त या मनमाने ढंग से 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष की गयी है? आयु का ऐसा नियतन उस दशा में अयुक्तियुक्त या मनमाना होगा यदि यह उन सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के लिए सुसंगत हैं और यदि यह किसी लोक हित में सहायक नहीं है। दूसरी ओर, अध्यादेश को विधिमान्य अभिनिर्धारित करना होगा, यदि वह मूल प्रतिपादना, जिस पर यह आधारित है, तुलनात्मक परिस्थितियों में उचित और युक्तियुक्त स्वीकार कर ली जाती है, यदि इसके उपबन्धों का लोकहित के साथ उचित सम्बन्ध है और यदि यह ऐसी विधियों को, जिनका मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, पारित करने के सम्बन्ध में विधायी सक्षमता या विधायी शक्ति की संवैधानिक परिसीमाओं के विरुद्ध नहीं है।

9. श्री वेणुगोपाल ने, जिन्होंने पिटीशनरों की ओर से बहस की है, यह दलील दी है कि अध्यादेश के वे उपबन्ध, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 की गयी है, मनमाने और अतार्किक हैं और इसलिए ये निम्नलिखित कारणों से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अतिक्रमणकारी हैं :—

(क) अधिवर्षिता की आयु एक सदस्यीय वेतन आयोग द्वारा व्यापक और वैज्ञानिक जांच के पश्चात् 29 अक्तूबर, 1979 से, 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गयी थी;

(ख) राज्य सरकार ने कार्यभार सम्भालने के पश्चात् एक मास के भीतर ही सेवानिवृत्ति की आयु घटाने का आदेश जारी किया है। तथ्यों को देखने से ही पता चलता है कि ऐसी दशा में कोई वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं किया जा सकता था, कोई सामग्री एकत्रित नहीं की गयी थी और उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में, जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे या जो व्यक्ति नए रोजगार प्राप्त करेंगे तथा सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के फायदों के संदाय में होने वाले विलंब से उन कर्मचारियों को क्या कठिनाई होगी, इस बारे में कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए थे। सरकार ने वस्तुतः उन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सामाजिक या आर्थिक कारणों पर भी विचार नहीं किया था जो इस गम्भीर विनिश्चय के परिणामस्वरूप हो सकते थे या वस्तुतः हुए थे।

(ग) सरकार के द्वारा दिया गया यह कारण वस्तुतः बहुत ही कल्पनातीत और अस्तित्वहीन है कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के कारण पदोन्नति के अवसरों में कमी हो गई थी। वस्तुतः यह सरकार की आक्षेपित कार्यवाही का परिणाम है। सन् 1979 में जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गयी थी तो कर्मचारियों को प्रदोन्नति के अवसरों से वंचित किया गया था क्योंकि वे कर्मचारी जो 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हो जाते, उन्हें और तीन वर्ष के लिए जीवनदान मिल गया था। किन्तु अब जबकि उनकी पदोन्नति का अवसर लगभग 55 वर्ष की आयु के आस-पास आया है तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

(घ) यह सिद्धांत भी भ्रामक है कि सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने से शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्न वेतन आयोगों में यह मत व्यक्त किया है कि उन व्यक्तियों को, जिन्हें छोटी आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, आवश्यकतः दूसरे रोजगार ढूंढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वैसे भी, शिक्षित बेरोजगार युवकों के अधिक से अधिक एक प्रतिशत युवकों को ही सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के परिणामस्वरूप रोजगार मिलने की सम्भावना है। ऐसा इसलिए कि सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने के परिणामस्वरूप 18,000 रिक्तियों से अधिक रिक्तियां उत्पन्न नहीं हुई हैं।

(ङ) सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने के कारण कर्मचारियों द्वारा अपने मकान बनाने, पुत्री का विवाह करने या सरकार से लिए गए ऋण को वापस करने जैसे जीवन के महत्त्वपूर्ण कार्यों की सावधानीपूर्वक की गयी योजना अचानक अस्त-व्यस्त हो गयी है।

(च) सेवानिवृत्ति की आयु के नियतन पर प्रभाव डालने वाली बहुत ही सुसंगत दो परिस्थितियों की राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की गयी है; मानव जीवन (की आयु) में होने वाली वृद्धि तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में प्रवृत्त सेवा-निवृत्ति की आयु; और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(छ) सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के शुद्ध और प्रत्यक्ष परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया है अर्थात् यह कि राज्य के खजाने को सेवानिवृत्ति के फायदों के रूप में एक ही दिन संदाय करने के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा, जिसके बारे मे बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

10. इस दलीलों से तथा अन्य विद्वान् काउन्सेलों द्वारा दी गयी दलीलों से भी यह प्रतीत होगा कि पिटीशनरों के मामले का मुख्य आधार यह है कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का विनिश्चय इसलिए असंवैधानिक है क्योंकि यह मनमाना है, अतार्किक है और उस उद्देश्य से असम्बद्ध है जिस उद्देश्य को यह प्राप्त करना चाहता है ।

11. इस बारे में सेवानिवृत्ति की आयु को घटाने से सम्बन्धित चुनौती का प्रथम आधार यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय वेतन पुनरीक्षण आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया जाना चाहिए; यह कि उक्त सिफारिश राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और परिणामतः सेवानिवृत्ति की आयु 19 अक्तूबर, 1979 से, 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई थी । यह दलील दी गयी है कि इस सुविचारित विनिश्चय का साढ़े तीन वर्ष से भी कम की अल्पावधि में उलटना स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक और मनमाना है, विशेषकर जबकि एक सदस्यीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश की विधिमान्यता की परीक्षा करने के लिए कोई और अन्वेषण नहीं किया गया था ।

12. इस दलील का तो आधार ही भ्रांतिपूर्ण है । 3 नवम्बर, 1977 के सरकारी आदेश सं० 745 के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त सदस्य श्री कृष्णास्वामी को राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त संस्थाओं, निर्धारित क्रम स्थापन के कर्मचारियों के विभिन्न वेतनमानों, महंगाई भत्ते तथा प्रतिकरात्मक भत्ते आदि के ढांचे का पुनर्विलोकन करने के लिए एक सदस्यीय वेतन आयोग के रूप में नियुक्त किया था । इस आयोग को सौंपे गए कार्य सरकार द्वारा जारी किए गए 28 जनवरी, 1978 के एक आदेश द्वारा इस प्रकार से बढ़ा दिए गए थे ताकि आयोग ऊपर निर्दिष्ट कर्मचारियों के सभी वर्गों को उपलब्ध विधिमान्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्विलोकन कर सके और निर्धारित क्रम स्थापन के कर्मचारियों को भी सेवा निवृत्ति के लाभ दिए जाने के प्रश्न की परीक्षा की जा सके । यह प्रश्न कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जानी चाहिए जो कि उस समय 55 वर्ष थी, आयोग को निर्दिष्ट ही नहीं किया गया था ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निसंदेह आयोग को सौंपे गए कार्यों से यह प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बन्धित कोई प्रश्न इस आयोग को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इस आयोग ने अपना कार्य 1 जनवरी, 1978 से प्रारम्भ किया और अपनी रिपोर्ट प्रशंसनीय शीघ्रता के साथ सरकार को 1979 में पेश कर दी। रिपोर्ट के पैरा 9.42 से लेकर पैरा 9.45 सेवानिवृत्ति के बारे में हैं। पैरा 9.42 इस वाक्य से प्रारम्भ होता है कि चूंकि आयोग को सौंपे गए कार्यों में विधिमान्य "सेवानिवृत्ति के फायदों" का पुनर्विलोचन आता है इसलिए सौंपे गए कार्यों में "स्वतः ही सेवा निवृत्ति की आयु भी शामिल होगी।" सौंपे गए कार्यों को इस प्रकार पढ़ना गलत और अवांछनीय था। सेवानिवृत्ति के फायदों के पुनर्विलोकन में निस्संदेह पैंशन, भविष्य निधि, उपदान, अवकाश के बदले में नकद राशि आदि से सम्बन्धित नियमों या स्कीमों की परीक्षा तो आती है किन्तु इसके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने से संबधित प्रश्न की परीक्षा की शक्ति नहीं आती। आयोग इसी पैरा में कहता है सम्भवतः सेवा-निवृत्ति की आयु के प्रश्न पर किए गए इसके विचार को न्यायोचित ठहराने के लिए, कि "सदन में यह उल्लेख किया गया था कि यह विवाद्यक आयोग को निर्दिष्ट किया गया है," इस बारे में हमारा ध्यान तत्कालीन वित्त मंत्री, जी० राजाराम द्वारा आंध्र प्रदेश विधानमण्डल में 20 सितम्बर, 1978 को किए गए इस कथन की ओर आकृष्ट किया गया है कि आयोग को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की विधिमान्य आयु का पुनर्विलोकन था। हमें बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि वित्त मन्त्री को उस समय उचित प्रकार से सूचना नहीं दी गई थी जबकि उन्होंने सदन में उक्त कथन किया। किसी भी दशा में, किसी प्रश्न की जांच करने के लिए किसी आयोग की शक्ति उसको सौंपे गए कार्यों पर निर्भर करनी चाहिए न कि सदन में किए गए कथन पर। यह तथ्य कि आयोग ने प्रसंगवश ही सेवानिवृत्ति की आयु जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श किया था, यह दर्शित करता है कि इसे इस प्रश्न की उचित पकड़ नहीं थी। सेवानिवृत्ति की आयु जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श उन चार संक्षिप्त पैराओं में किया गया है जो आयोग की रिपोर्ट के दो पृष्ठों से भी कम पृष्ठों में दिए गए हैं। हम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर जल्दी-जल्दी में और अपर्याप्त रूप से विचार किए जाने के बारे में आयोग को दोष नहीं देते। यह प्रश्न उसके पुनर्विलोकन के क्षेत्र में नहीं था। अतः राज्य सरकार का यह दलील देना न्यायोचित है कि सेवानिवृत्ति की आयु का प्रश्न आयोग को निर्दिष्ट नहीं किया गया था और यह कि वह विनिश्चय जो कि सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के बारे में बाद में किया था, आयोग की सिफारिश

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर आधारित नहीं था। अतः आयोग की रिपोर्ट को वहां तक विचार-विमर्श से बाहर रखना होगा जहां तक सेवानिवृत्ति की आयु के प्रश्न का सम्बन्ध है और इस तथ्य पर कोई दलील आधारित नहीं की जा सकती कि आयोग के दृष्टिकोण की अनदेखी कर दी गयी थी या यह कि रिपोर्ट दिए जाने की तारीख के पश्चात् इस रिपोर्ट से विचलन करने को न्यायोचित ठहराने वाली कोई घटना नहीं घटी थी।

13. जहां तक उपर्युक्त मद (ख) पर उल्लिखित श्री वेणुगोपाल की दलील का सम्बन्ध है यह तथ्य कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के एक मास के भीतर ही किया गया था, इस निष्कर्ष को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता कि यह विनिश्चय इसलिए मनमाना है क्योंकि यह इस दृष्टि से अवैज्ञानिक है कि इसका समर्थन सम्यक अन्वेषण द्वारा या इस विषय से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ों के एकत्रीकरण द्वारा नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो किसी भी नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के तुरन्त पश्चात् किए गए प्रत्येक विनिश्चय को मनमाना विनिश्चय मानना पड़ेगा। किसी भी अधिकारिता के अधीन किसी विनिश्चय की युक्तियुक्तता उस समय पर निर्भर नहीं करती जो समय यह विनिश्चय लेता है। कार्यपालिका का विलम्बित विनिश्चय भी संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध होने के कारण दूषित हो सकता है और उस संवैधानिकता के आरोप के बारे में यह कोई प्रतिरक्षा नहीं हो सकती कि उक्त विनिश्चय विशेष एक लम्बी अवधि के पश्चात् किया गया था। इसके विपरीत, वे विनिश्चय, जो शीघ्रता से किए जाते हैं, इसलिए दूषित नहीं माने जा सकते क्योंकि वे तुरंत किए गए थे। यह अवधारण करने के लिए कि कोई विनिश्चय मनमाना है या अयुक्तियुक्त है, प्रत्येक विनिश्चय की परीक्षा उसके गुणागुण के आधार पर की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, हमें सेवानिवृत्ति की आयु को विनियमित करने वाली विधि की विधिमान्यता पर विचार करना है। यह दलील देना सही नहीं है कि विधि इसलिए दूषित है क्योंकि वह विधि नई सरकार के तुरन्त कार्यभार सम्भालने के पश्चात पारित की गई थी। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह प्रश्न कि सेवानिवृत्ति की उचित आयु क्या होनी चाहिए, ऐसा नया और अभूतपूर्व प्रश्न नहीं है जिस पर विधानमण्डल को विचार करना पड़ा था। इस विषय के बारे में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और अनेक वेतन आयोगों ने समग्र रूप से इस पर विचार किया है। राज्य सरकार के पास सुसंगत तथ्य थे तथा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य वेतन आयोगों की रिपोर्टें भी इसके सामने थीं, जिनके आधार पर इसे युक्तियुक्त विनिश्चय लेना पड़ा था। सुप्रशिक्षित अधिकारियों की सहायता और सेवा, जो न केवल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नीतियों के कार्यान्वयन में ही नहीं अपितु नीतियों के बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राज्य सरकार को उपलब्ध थी। अतः जिस तीव्र गति से यह विनिश्चय किया गया था, किसी अन्य बात के अभाव में, इसे मनमानेपन के आधार पर अविधिमान्य नहीं कर सकती।

14. श्री वेणुगोपाल की अन्य दलीलें जो कि ऊपर पैरा (ग) से लेकर (छ) में उल्लिखित की गई हैं और जो भागतः स्वयं पैरा (ख) में भी हैं, मोटे तौर पर विधायी नीति के ऐसे मामले हैं जिसके विरचित करने में किसी भी सरकार को स्वतन्त्रता, यद्यपि उचित स्वतन्त्रता, अनुज्ञात की जानी चाहिए। निस्सन्देह, पिटीशनरों के विभिन्न काउन्सेलों द्वारा पेश की गई दलीलों के स्वीकार करने के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि सम्पूर्ण देश में सेवानिवृत्ति की आयु एक समान ही होनी चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करना इस आधार पर मनमाना माना जाता है कि यह विनिश्चय मानव की दीर्घ आयु में हुई वृद्धि की अनदेखी करता है तो सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष नियत किया जाना भी मनमानेपन के आरोप को कायम नहीं रख सकेगा। यह दलील भी दी जा सकती है कि जीवन की प्रत्याशा में हुआ सुधार यह अपेक्षा करता है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष या 62 वर्ष या 65 वर्ष भी नियत की जानी चाहिए। और फिर, यद्यपि मानव जीवन की बढ़ी हुई प्रत्याशा जैसी अटल विचारणाएं जो कि साधारणतः या सार्वजनीनतः सही हैं, उसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लिए विधिमान्य है जैसे तमिलनाडु के लिए, तो यह बात इस निष्कर्ष को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती कि जम्मू और कश्मीर में सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष नियत करना इसलिए अविधिमान्य है क्योंकि तमिलनाडु राज्य ने यह आयु 58 वर्ष नियत की है। ये दोनों बातें संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत आ सकती हैं और इनमें से न तो एक और न दूसरी ही मनमानी या अयुक्तियुक्त समझी जा सकती है। युक्तियुक्तता का कोई एक नियत या केन्द्र बिन्दु नहीं है। ऐसा बहुत ही बड़ा और विस्तृत क्षेत्र हो सकता है जिसके भीतर प्रशासक या विधायक, युक्तियुक्तता से संबंधित संवैधानिक आदेश का अतिक्रमण किए बिना कार्य कर सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफी गुंजाइश दी जानी चाहिए। निम्नलिखित सारणी उस सेवानिवृत्ति की आयु के अन्तर को दर्शित करेगी जो भारत के विभिन्न राज्यों में इस समय विद्यमान है—

राज्य	सेवानिवृत्ति की आयु
हरियाणा	58 वर्ष
जम्मू-कश्मीर	55 वर्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर्नाटक	1979—58 वर्ष
	1981—55 वर्ष
केरल	1967—55 वर्ष
	1968—58 वर्ष
	1969—55 वर्ष
	1984—58 वर्ष
मध्य प्रदेश	58 वर्ष (1967 में घटाकर 55 वर्ष और 1970 में बढ़ाकर 58 वर्ष की गई)
महाराष्ट्र	58 वर्ष
उड़ीसा	58 वर्ष (पहले 55 वर्ष थी जो बढ़ाकर 58 वर्ष की गई)
राजस्थान	55 वर्ष (लगभग 12 वर्ष पूर्व 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष की गई)
उत्तर प्रदेश	58 वर्ष (1962 में घटाकर 55 वर्ष की गई और फिर बढ़ाकर 58 वर्ष की गई)
तमिलनाडु	58 वर्ष (जिला न्यायाधीशों के लिए 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष)
पश्चिम बंगाल	58 वर्ष (1961 से)

इस सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि 55 से लेकर 58 वर्ष तक की आयु के बीच का यह क्षेत्र ही हमारे देश में सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के लिए एक अनुज्ञेय समयावधि है। सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के बारे में न तो अमेरिकी और न अंग्रेजी संकल्पनाएं या मानदण्ड ही इस आधार को अविधिमान्य कर सकते हैं, जो कि हमारे राज्य में इस प्रयोजन के लिए व्यापक रूप से युक्तियुक्त स्वीकार कर लिया गया है।

15. सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने से सम्बन्धित नीति के प्रश्न पर, विभिन्न वेतन आयोगों द्वारा समय-समय पर इस प्रश्न के सम्बन्ध में व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखना लाभकर होगा।

16. द्वितीय केन्द्रीय वेतन आयोग (1959) की रिपोर्ट का अध्याय 37 'अधिवर्षिता की आयु' के प्रश्न के बारे में है। इस अध्याय में अधिवर्षिता की आयु के नियत करने से सम्बन्धित इतिहास और पृष्ठभूमि एक लाभकर अध्ययन प्रस्तुत करता है। सन् 1917 से पहले अधिवर्षिता का नियम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जो अनुसचिवीय और अननुसचिवीय दोनों प्रकार के कर्मचारियों को अधिवर्षिता का जो नियम लागू था, वह यह था कि उस सरकारी सेवक को जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, सेवानिवृत्त किया जा सकता था, किन्तु इसलिए कि राज्य सरकार कुशल अधिकारियों के मूल्यवान अनुभव से वंचित न हो जाए और अग्रभावी भार में अनावश्यक वृद्धि न हो जाए, इसलिए इस नियम को विवेक के साथ लागू किया जाना चाहिए और जहां कहीं यह नियम लागू किया जाता है, कारण अभिलिखत किए जाने चाहिएं। अतः इसके सामान्य प्रभाव के अनुसार यह नियम उन अधिकारियों को सरकारी सेवा में बनाए रखने के पक्ष में थे जिन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शर्त के रूप में अकुशलता को सिद्ध किया जाना अपेक्षित था। यह बात लोक सेवा में कार्यकुशलता के प्रति हानिकर इस आधार पर समझी गयी थी कि अधिकतर अधिकारी 55 वर्ष की आयु में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और पहल करने की शक्ति को खो बैठते हैं। तदनुसार इस नियम को इस प्रकार से बदला गया कि 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति एक सामान्य नियम बना दी गयी और इस आयु से आगे सेवा में अधिकारी को बनाए रखना एक अपवाद बना दिया गया। तथापि, अनुसचिवीय तथा अननुसचिवीय अधिकारियों के बीच सम्भवतः इस कारण भेद रखा गया क्योंकि यह समझा गया था कि पूर्वकथित अधिकारियों के कार्य पर बढ़ी हुई आयु के कारण कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था जैसाकि अन्य अधिकारियों के कर्तव्यों पर पड़ता था और यह विनिश्चय किया गया था वस्तुतः निरन्तर बनी हुई कार्यकुशलता के अधीन रहते हुए अनुसचिवीय अधिकारी तब तक सेवा में बनाए रखे जाने चाहिएं जब तक वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। तथापि, इस भेद को 1937-38 में समाप्त कर दिया गया था, भागतः ऐसा बेरोजगारी को खत्म करने के अध्युपाय के रूप में जो कि उस समय बहुत गम्भीर थी किन्तु अधिकतर यह बात इस भेद की अविधिमान्यता को मानकर और इस विचार के कारण मानी गयी थी कि 55 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा के बारे में जो अनिश्चितता बनी रहती थी उसका उन अधिकारियों पर बड़ा बुरा प्रभाव था जो उक्त वरिष्ठ अधिकारियों का स्थान लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

17. आयोग की रिपोर्ट का पैरा 5 यह उल्लेख करता है कि वरदाचैरियर आयोग ने पहले यह सिफारिश की थी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पेंशन योग्य सेवा और पेंशन के अयोग्य सभी सेवाओं के लिए 58 वर्ष होनी चाहिए किंतु साथ में सरकार को कार्यकुशलता की कमी के आधार पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर्मचारी को 55 वर्ष में सेवानिवृत्त करने का विकल्प होना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार वर्ग चार के सरकारी सेवकों के मामले में अधिवर्षिता की आयु को घटाया जाना था और रेल विभाग से बाहर औद्योगिक तथा निर्धारित कार्य स्थापन के कर्मचारियों के मामले में अधिवर्षिता की आयु को घटाना था तथा अन्य अधिकारियों की आयु को बढ़ाना था। किंतु कुछ अन्य कारणों से केवल पश्चातवर्ती प्रश्न पर ही विचार किया गया था और सन् 1949 में यह विनिश्चय किया गया था कि इस विषय से संबंधित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस विनिश्चय के मुख्य आधार ये थे कि 55 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों की अधिकतर संख्या अधिक कार्यकुशल सेवा प्रदान करने में समर्थ नहीं थी; 55 वर्ष की आयु पर युवकों के द्वारा उनको प्रतिस्थापित किया जाना कार्यकुशलता के हित में अधिक होगा; और यह कि सेवानिवृत्ति की आयु ऐसी नियत की जानी चाहिए जो ऐसी आयु में लोगों को सेवा से मुक्त कर देगी जो अपनी इच्छा के अन्य क्षेत्रों में देश सेवा करने के लिए फिर भी योग्य हों—भले ही सरकारी कार्य की तीव्र गति के अनुरूप अथवा अन्य बाध्यकर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः समर्थ न हों। यह मत व्यक्त किया गया था कि सरकारी सेवा कर्मचारियों को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देती है और यह कि इस मामले में प्रश्न यह था कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के सरकार के लिए सीमित उपयोग में मोटे तौर पर राष्ट्र के सम्बन्ध में उनकी उचित उपयोगिता में संतुलन बनाया जाए।

18. आयोग की रिपोर्ट का पैरा 6 यह दर्शाता है कि इस प्रश्न पर सन् 1953 में उस समय विचार किया गया था जबकि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के विरुद्ध की गयी एक मात्र अतिरिक्त दलील यह थी कि आयु सीमा बढ़ने के कारण शिक्षित बेरोजगारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मान लिया गया था कि इसका वास्तविक प्रभाव तो बहुत ही कम होगा। किंतु लोक राय पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभाव को महत्त्व दिया गया था। अतः सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष पर बनाए रखने के पूर्ववर्ती विनिश्चय की पुनः पुष्टि कर दी गयी थी, किंतु प्रशिक्षित कार्मिकों के व्यापक काम को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया था कि इस आयु से आगे सेवा में विस्तार लोक हित के आधार पर उदारतापूर्वक दिया जाना चाहिए—विशेषकर वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के मामलों में प्रशिक्षित जन-शक्ति में बनी हुई निरंतर कमी के परिणामस्वरूप इस समस्या का सन् 1958 में फिर पुनर्विलोकन किया गया था। किंतु सेवा में विस्तार तथा पुनः नियोजन प्रदान करने का मानदण्ड अधिकथित करने और अधिवर्षिता की आयु से आगे भी तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को बनाए रखने की आवश्यकता पर पुनः बल दिए जाने के अतिरिक्त, पूर्वोक्त विनिश्चयों की तुलना में मात्र यह महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई थी कि पुनः नियोजन या सेवा में विस्तार एक समय में दो वर्ष तक दिया जा सकता था। अतः वरदाचैरियर आयोग की सिफारिश के बावजूद भी 40 वर्ष से अधिक पूर्व अननुसचिवीय कर्मचारियों के लिए अधिकथित अधिवर्षिता की आयु और 20 वर्ष से भी अधिक पूर्व, अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए अधिकथित अधिवर्षिता की आयु उस समय भी वही बनी रही थी जबकि द्वितीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस प्रश्न की परीक्षा प्रारम्भ की।

19. उन विभागाध्यक्षों, विख्यात सेवानिवृत्त लोक सेवकों, सार्वजनिक व्यक्तियों और अर्थ-शास्त्रियों की राय में, जिन्होंने वेतन आयोय के समक्ष साक्ष्य दिया था, इस बारे में एक "असाधारण सहमति" हो गयी थी कि अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाया जाना चाहिए। मात्र अन्तर यह था कि क्या इसे बढ़ाकर 58 वर्ष किया जाए या 60 वर्ष। कर्मचारियों के अधिकतर संगठन भी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के पक्ष में थे, एक मात्र अपवाद आल इंडिया रेलवे मैंस फैडरेशन था। इस फैडरेशन ने 55 वर्ष की आयु को विक्षिप्तता के कारण अकुशलता के प्रारभ की आयु नहीं समझा किंतु उसकी यह राय थी कि अधिवर्षिता की आयु उस समय व्यापक रूप से फैली बेरोजगारी को देखते हुए नहीं बढ़ायी जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के बारे में जिन कारणों पर सहमति थी उनमें से कुछेक कारण इस प्रकार थे : 55 वर्ष की आयु पर अधिकतर सरकारी सेवकों की मानसिक और शारीरिक कुशलता का बना रहना; सुधरी हुई लोक स्वास्थ्य परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मानव जीवन की प्रत्याशा में हुई वृद्धि; और उस समय स्त्री और पुरूषों को निकम्मेपन की स्थिति में भेजने के कारण अन्तर्वलित राष्ट्रीय हानि जबकि वे उस समय भी कुशल सेवा करने के योग्य थे। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोक स्वास्थ्य में पूर्णरूपेण सुधार था जैसा कि मृत्यु दर में हुई कमी और मानव जीवन की प्रत्याशा में हुई वृद्धि से दर्शित होता था। अधिक सुसंगत बात यह थी कि आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पांचवें दशक में अर्थात् 50 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के ग्रुप के लोगों में जीवन की प्रत्याशा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा आयोग को दिए गए आंकड़ों से यह दर्शित होता था कि कम से कम राजपत्रित तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता में पर्याप्त वृद्धि हुई थी जो अधिवर्षिता के पश्चात् 10 वर्ष या इससे अधिक जीवित रहते थे। इन आंकड़ों के आधार पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 11 में यह निष्कर्ष निकाला : "अतः

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहे 1917 में अपनाया गया मत कितना ही विधिमान्य क्यों न हो, और जिसे 1937-38 में पुनः पुष्ट कर दिया गया था, कि 55 वर्ष की आयु आम तौर पर, एक ओर स्वास्थ्य और कुशलता के बीच तथा दूसरी ओर शारीरिक गिरावट और कुशलता में गिरावट के बीच विभाजन रेखा थी, यह विचार करने का पर्याप्त कारण है कि यह बात अब ऐसी नहीं रही है, और यह कि इस विभाजन रेखा को कुछ वर्ष आगे की ओर बिना किसी खतरे के बढ़ाया जा सकता है।" तत्पश्चात् आयोग ने विदेशों में सेवानिवृत्ति की आयु के प्रति निर्देश किया और इस बात को दोहराया कि चाहे हम अपने महत्त्वपूर्ण आंकड़ों के अनुसार अथवा अन्य देशों में प्रवृत्त सेवानिवृत्ति की आयु के अनुसार कार्यवाही करें, अधिवर्षिता की आयु को "पर्याप्ततः" 55 वर्ष से ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए बड़ा साफ़ मामला बनता है।

20. रिपोर्ट के पैरा 15 में आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के विनिश्चय से रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षित बेरोजगारों पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की संभावित प्रतिक्रिया बहुत सारवान नहीं होगी। इस तथ्य सहित सभी सुसंगत विचारणाओं को ध्यान में रखने के पश्चात् कि अधिकतर सरकारी सेवक स्वयं ही तब तक सेवा में बना रहना नहीं चाहते जब तक कि वे बिल्कुल बूढ़े न हो जाएं और उनका एक पैर कब्र में न चला जाए, आयोग ने अपने निष्कर्षों को यह कह कर संक्षिप्त किया कि "अधिवर्षिता की आयु बढ़ाने के पक्ष में बहुत बातें हैं और इसके विरोध में बहुत कम कारण हैं।" आयोग ने यह सिफारिश की कि सभी सरकारी सेवकों के सभी वर्गों के लिए, उन सेवकों को भी शामिल करते हुए, जिनके लिए सेवानिवृत्ति की आयु उस समय 60 वर्ष थी, अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।

21. द्वितीय केन्द्रीय वेतन आयोग की यह सिफारिश कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी जानी चाहिए, प्रारंभ में सरकार द्वारा इसलिए स्वीकार नहीं की गयी थी क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से निकट भविष्य में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। तथापि, सरकार ने कुछ दिन पश्चात् स्थिति का पुनर्विलोकन किया और सेवानिवृत्ति की आयु 1 दिसम्बर, 1962 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी। वे मुख्य विचारणाएं, जिनका सरकार पर यह विनिश्चय लेने में भारी प्रभाव पड़ा था, इस प्रकार थीं : अनुभवी और प्रशिक्षित जन-शक्ति की कमी, जिसको भागतः सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर पूरा किया जा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकता है; सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के कारण जो बहुत मामूली प्रभाव रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा और जीवन की प्रत्याशा में हुआ सुधार।

22. तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग (1973) ने अधिवर्षिता की आयु के प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट के अध्याय 60 में विचार किया था। इस अध्याय का पैरा 3 यह यह दर्शित करता है कि यतः कुछ सेवा संगठनों ने यह मांग की थी कि अधिवर्षिता की आयु दीर्घ आयु में हुई वृद्धि के कारण तथा इस तथ्य के कारण 60 वर्ष बढ़ा दी जानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या विम्लब से होने वाले विवाहों के कारण अपने जीवन में बहुत देर के बाद तक ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से उऋण हो पाते हैं। कुछ संगठनों ने यह सुझाव भी दिया था कि सेवानिवृत्ति की आयु मुख्यतः इस दृष्टि से फिर घटाकर 55 वर्ष कर दी जानी चाहिए ताकि प्रोन्नति के अवसरों में सुधार हो सके और देश में ऐसे बेरोजगारों को रोजगार के बढ़े हुए अवसर प्राप्त हो सकें।

23. तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग के निष्कर्षों को इस प्रकार से संक्षेप में रखा जा सकता है :—(1) जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा में और अधिक सुधार हुआ था जैसा कि 1971 की जनसंख्या के अंतरिम आंकड़ों से प्रकट होता है; (2) 50 वर्ष और 55 वर्ष की आयु के बीच जीवन की प्रत्याशा में सुधार हुआ था और यह बात अधिवर्षिता की आयु नियत करने के प्रश्न के लिए सबसे अधिक सुसंगत है; (3) सन् 1959 के पश्चात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में सेवानिवृत्ति के पश्चात लगभग 10 वर्ष के दौरान जीवित रहने वालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी; (4) यद्यपि अधिवर्षिता की आयु को घटाकर 55 वर्ष करने के परिणामस्वरूप 96 हजार अतिरिक्त नौकरियां उपलब्ध हो सकेंगी, किंतु इस तथ्य का प्रतिसंतुलन इस परिस्थिति द्वारा हो जाता है कि सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की एक बड़ी संख्या को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई एक या दूसरा रोजगार जीवन-यापन के बढ़े हुए खर्चों के कारण और बढ़ते हुए पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण ग्रहण करना पड़ता है। अधिवर्षिता की आयु में कमी, इस प्रकार से अपने आप में, शिक्षित बेरोजगारों के लिए व्यापक रूप से रोजगार की स्थिति में सुधार नहीं करेगी; (5) 58 वर्ष की आयु से अधिक अधिवर्षिता की आयु में की गयी कोई भी वृद्धि, इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से परीक्षा पास करने वाले तकनीकी, इंजीनियरिंग और वृत्तिक विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के लिए बेरोजगारी के अवसर कम कर देगी; और (6) सेवानिवृत्ति

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की आयु में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध सेवानिवृत्ति के फायदों तथा उनके कैरीयर की संभावनाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है और चूंकि यह सरकारी सेवा के आकर्षण का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। इन कारणों से आयोग ने यह सिफारिश की कि अधिवर्षिता की आयु केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष ही बनी रहनी चाहिए किंतु इसमें यह उपान्तरण किया गया कि सेवा-निवृत्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से प्रभावी होनी चाहिए जिस मास में कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है।

24. तृतीय तमिलनाडु वेतन आयोग (1978) ने भी सेवानिवृत्ति की आयु के प्रश्न पर विचार किया था। आयोग ने इस बात पर ध्यान दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु ऐसे कुछ विकासशील देशों में 60 वर्ष से अधिक थी जिनके आर्थिक विकास की तुलना भारत से की जा सकती है। ब्राजील और पेरू में सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष है, चिल्ली में 65 वर्ष, फिलीपाइंस में 63 वर्ष और लेबनान में 64 वर्ष है। आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु में की जाने वाली वृद्धि तथा शिक्षित युवकों में बेरोजगारी के बीच संबंध की बड़ी गहरी चिंता से विवेचना की थी और यह मत व्यक्त किया था कि सेवा-निवृत्ति के कारण प्राप्त होने वाली नौकरियों की संख्या नौकरियां प्राप्त करने वालों की कुल संख्या की तुलना में बड़ी मामूली होगी और इसलिए बेरोजगारी की समस्या का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु पर अंतरित करना उचित नहीं था। अपने इस मत के समर्थन में आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (दि वर्ल्ड एम्पलायमेंट प्रोग्राम) का उद्धरण इस प्रकार दिया: "सम्पूर्ण रोजगार की नीति के तीन स्तम्भ हैं: ग्रामीण विकास, श्रमिकोन्मुख लोक निर्माण कार्यक्रम और उद्योग में पूंजी सघनता में कमी।" यह मत व्यक्त करते हुए कि बेरोजगारी की समस्या की व्यापकता से सरकार को अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को सुधारने से भयोपरत नहीं होनी चाहिए, आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष बढ़ाने के लिए उचित मामला बनाता है।

25. हमारा ध्यान छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में "रोजगार नीति" के बारे में व्यक्त किए गए मतों की ओर भी आकृष्ट किया गया था। वहां यह मत व्यक्त किया गया है कि बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान तीव्र गति वाले और रोजगार प्रधान आर्थिक विकास के ढांचे के अन्तर्गत ही पाए जाने हैं; यह कि अल्पावधि में ही समुचित अध्योपाय समन्वित रीति से विकसित किए जाने हैं, विशेषकर कमजोर वर्गों के फायदों के लिए;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और यह कि चूंकि शिक्षित बेरोजगारी का आयाम और गम्भीरता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए जिला रोजगार योजना के आधार पर विकेन्द्रीकरण की नीति अपनायी जानी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बेरोजगारी तब तक छठी योजना में समाप्त नहीं होगी जब तक कि वर्तमान बेरोजगारों को तुरन्त लघु अवधि के प्रशिक्षण और व्यावसायिक कार्यक्रमों के द्वारा अधिक रोजगार योग्य बनाने के प्रयास नहीं किए जाते और जब तक कि रोजगार के विशेष कार्यक्रम उनको आमेलित करने के लिए नहीं बनाए जाते।

26. कार्यभार सम्भालने के तुरन्त पश्चात् आंध्र प्रदेश की सरकार ने मार्च, 1983 में राज्य विधान सभाओं में "सरकारी कर्मचारियों की, पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक उन संस्थाओं के कर्मचारियों की, जिनके पैंशन संबंधी दायित्व सरकार उठाती है, अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने" के प्रश्न से सम्बन्धित एक श्वेत पत्र मार्च, 1983 में राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया। यह कहने के पश्चात् कि कृष्णास्वामी आयोग की नियुक्ति 3 नवम्बर, 1977 को केवल "सेवानिवृत्ति फायदों" के प्रश्न की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ही की गयी थी और यह कि सेवानिवृत्ति की आयु का प्रश्न आयोग को सौंपे गए कार्यों में आमेलित नहीं किया गया था, यह श्वेत पत्र यह कहता है कि यद्यपि सरकार ने आयोग की सिफारिशें लगभग सम्पूर्णतः स्वीकार कर ली थीं किंतु इसने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी जानी चाहिए। 17 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना के द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी आयोग की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली थीं किंतु सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर देने से सम्बधित सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। बाद में, अक्तूबर, 1979 में सरकार ने स्वतः ही सेवानिवृत्ति की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने का विनिश्चय किया था। राज्य सरकार का, सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने के प्रश्न से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट पक्षकथन इस प्रकार अधिकथित किया गया है :—

"अधिवर्षिता की आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप पदोन्नति के वे सामान्य रास्ते बन्द हो गए थे जो उस समय खुल जाते यदि सेवानिवृत्तियां सामान्य क्रम में हुई होतीं। परिणामतः सीधी भर्ती के स्तर पर वे प्रारम्भिक रिक्तियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में भी, जो उन नियुक्तियों की शृंखला में उद्भूत हो गयी होतीं जो नियुक्तियां प्रत्येक सेवानिवृत्ति के पश्चात् की जाती हैं, निरन्तर तीन वर्ष के लिए अवरोध हो गया था और इस प्रकार से सेवारत कर्मचारी पदोन्नति के अवसरों से तथा बेरोजगार युवक रोजगार के अवसरों से वंचित हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप चारों और व्यापक निराशा फैल गयी थी। यह अनुमान लगाया गया है कि औसतन सरकारी विभागों, पंचायत राज संस्थाओं तथा उन सहायता प्राप्त संस्थाओं में, जिनके पैंशन सम्बन्धी दायित्व सरकार उठाती है, प्रतिवर्ष लगभग 6,500 सेवानिवृत्तियां होंगी। अतः सरकार ने अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से पुनरीक्षित करके 55 वर्ष करने का विनिश्चय किया है ताकि बेरोजगार प्रतिभावान युवक, जो नियुक्ति के अवसरों के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, अनुभवी, योग्य, सेवारत कर्मकार भी, जिनके पदोन्नति के न्यायोचित अवसर निष्फल हो गए थे, अब चिप्रतीक्षित पदोन्नति की आशा कर सकेंगे। इस प्रकार से सरकार विभिन्न स्तरों पर सेवारत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर पैदा करने में समर्थ हो जाएगी और सरकार में, पंचायत राज में तथा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग, 18,000 पदों पर नियुक्तियों के अवसर पैदा करने में समर्थ हो जाएगी। इस सम्बन्ध में उन अवसरों की तो बात ही क्या जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित विभिन्न निगमों आदि में सृजित हो जाएंगे।"

27. श्वेत-पत्र यह स्पष्ट करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कर्मचारी, जो फरवरी, 1983 के अन्त में सेवानिवृत्त हो गए हैं, अपने पैंशन सम्बन्धी लाभ अविलम्ब प्राप्त कर लें, सरकार ने 16 फरवरी, 1983 की अधिसूचना द्वारा राज्य के वित्त विभाग में एक विशेष पैंशन एकक गठित कर दिया गया था। इस एकक का कार्य "पैंशन के मामलों को निपटाने की प्रगति नियन्त्रित करना था।" इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि सरकार ने 14 फरवरी, 1983 की अधिसूचना द्वारा ऐसे सभी मामलों में, जहां कि पैंशन की मंजूरी में विलंब हो, अंतिम प्राप्त वेतन के 3/10 की दर से "प्रत्याशित पैंशन" के संदाय के लिए अनुदेश जारी कर दिए थे।

28. इन आंकड़ों के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना बहुत कठिन है कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने में राज्य सरकार या विधानमण्डल ने मनमाने तौर पर या अतार्किक रूप से कार्य किया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। स्वयं हमारे देश में ही सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष नियत करने या इसे 58 वर्ष से 55 वर्ष करने के उदाहरण मिलते हैं। तत्कालीन सरकार की रोजगार सम्बन्धी नीति पर निर्भर करते हुए, आयु के इन दो प्रक्रमों में से कोई एक या दूसरा ही आमतौर पर स्वीकार्य माना गया हैं। ऐसा कोई अनमनीय नियम अधिकथित करना सम्भव नहीं है कि सेवानिवृत्ति की युक्ति-युक्त आयु 58 वर्ष है, और 55 वर्ष नहीं है। यदि इस समय सरकार या विधानमण्डल द्वारा बनाई गई नीति रोजगार सम्बन्धी योजना के मान्यता प्राप्त मानदण्डों का अतिक्रमण करने वाली दर्शित की जाती है तो यह कहना भी सम्भव हो जाएगा कि यह नीति इसलिए अतार्किक और अयुक्तियुक्त है क्योंकि उस दशा में इस नीति का उस उद्देश्य से कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं होगा जो उद्देश्य यह नीति प्राप्त करना चाहती है, किन्तु यहां ऐसी बात नहीं है। उन विभिन्न आयोगों की रिपोर्टें, जिनसे हमने सुसंगत अंश उद्धृत किए हैं, यह दर्शित करती हैं कि युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना सेवा-निवृत्ति की आयु नियत करने से सम्बन्धित नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। चूंकि आक्षेपित नीति इसी विचारणा से प्रेरित और मुख्यतः प्रभावित है इसलिए इसे मनमाना या अतार्किक अथवा अयुक्तियुक्त कहकर अभिखण्डित नहीं किया जा सकता। हम केवल यह कहना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति की आयु का प्रश्न की सदैव ही सरकार को सामान्य से भी अधिक सावधानी से प्रतीक्षा की जानी चाहिए—इतनी सावधानी से भी अधिक जो राज्य सरकार ने इस मामले के बारे में बरती है। सेवानिवृत्ति की आयु के निर्धारण में ऐसे सूक्ष्म और आयामी तत्त्व हैं जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अतः नागरिकों के कल्याण की दृष्टि से भी यह महत्त्वपूर्ण बात है कि इस प्रश्न पर अधिकतम निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिए और इसे वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा प्राप्त किए गए व्यावहारिक आंकड़ों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। आवश्यक रूप से, नागरिकों के कल्याण के लिए जो कुछ महत्त्वपूर्ण है वही राज्य के बने रहने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के बारे भी सावधानी बरती जानी चाहिए कि इसने अपेक्षित प्रयोजन को पूरा करने के लिए आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

29. श्री वी० एम० तारकुण्डे ने, जो पिटीशनरों की ओर से हाजिर हुए हैं, अपनी दलील को इस तक ही सीमित रखा है कि सेवानिवृत्ति की आयु का मनमाना नियतन सेवा से "हटाए जाने" की कोटि में आता है और इसलिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) का अतिक्रमणकारी है। इस दलील को इसलिए नामंजूर किया जाता है क्योंकि हमारा यह निष्कर्ष कि प्रस्तुत मामले में सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से कम करके 55 वर्ष करना अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 16 के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि यह मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मनमाना या अयुक्तियुक्त नहीं है। किन्तु इस स्थिति के अलावा. हम इस बात को समझना कठिन पाते हैं कि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधि या नियम के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति सेवा से उसको "हटाए जाने" की कोटि में कैसे आती है। यह भली-भांति सुस्थिर सिद्धांत है कि अनुच्छेद 311(2) केवल तब लागू होता है जबकि कोई सिविल सेवक शास्तिस्वरूप पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है, अर्थात् जबकि इस बारे में उसके विरुद्ध पारित किए गए आदेश का प्रभाव उसके लिए अहितकर परिणाम वाला होता है : देखिए **सतीशचन्द्र** बनाम **भारत संघ**[1], **श्याम लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2], **बम्बई राज्य** बनाम **सुभाग चन्द एम० दोषी**[3], **पुरुषोत्तम लाल ढींगरा** बनाम **भारत संघ**[4] और **पी० बालकोटैया** बनाम **भारत संघ**[5]। इसके अतिरिक्त, श्री तारकुण्डे द्वारा उठाया गया मुद्दा **बिशन नारायण मिश्र** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[6] के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय द्वारा विनिश्चित कर दिया गया है। उस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवर्षिता की आयु 27 नवम्बर, 1957 की अधिसूचना द्वारा 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी थी। किन्तु 25 मई, 1961 की अधिसूचना द्वारा इसे फिर से घटाकर 55 वर्ष कर दिया गया था। इस मामले का अपीलार्थी, जिसने 11 दिसम्बर, 1960 को 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी और जो उस समय से सेवा में बना हुआ था जबकि सेवनिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई थी, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी था जिन्हे सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष कर दिए जाने के परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर, 1961 को सेवानिवृत्ति होना था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कारण किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति अनुच्छेद 311(2) के अर्थान्तर्गत उस सेवा से हटाए जाने की कोटि में नहीं आती। विद्वान् काउन्सेल

---

[1] (1953) एस० सी० आर० 655.

[2] (1955) 1 एस० सी० आर० 26.

[3] (1958) एस० सी० आर० 571.

[4] (1958) एस० सी० आर० 828.

[5] (1958) एस० सी० आर० 1052.

[6] (1965) 1 एस० सी० आर० 693.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह दलील देते हैं कि यह विनिश्चय एक संदिग्ध नजीर है क्योंकि न्यायालय ने अपनी राय **मोती राम डेका** बनाम **महाप्रबन्धक, उत्तर सीमान्त रेल**[1] के बहुमत के निर्णय पर आधारित की थी जिस मामले में न्यायालय से अधिवर्षिता के नियम की विधिमान्यता पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की गई थी और न्यायालय ने विचार भी नहीं किया था। यह सही है कि मोती राम डेका के मामले में इस न्यायालय का सम्बन्ध रेलवे अस्टिब्लिशमेंट कोड के नियम 148(3) और 149(3) की विधिमान्यता का अवधारण करने से था, जिनमें मात्र एक नोटिस के द्वारा स्थायी सेवक की सेवाओं की समाप्ति का उपबन्ध किया गया था। किन्तु बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बिशन नारायण मिश्र के मामले में दिया गया निर्णय यह दर्शित करता है कि उस मामले के अपीलार्थी ने ही मोती राम डेका के मामले का अवलम्ब अपनी इस दलील के समर्थन में लिया था कि जिस नियम के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 55 वर्ष कर दी गई थी वह अनुच्छेद 311(2) के अर्थान्तर्गत सेवा से हटाए जाने की कोटि में आता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि मोती राम डेका का विनिश्चय न्यायालय के समक्ष उस मामले को लागू नहीं होता था क्योंकि "ऐसे मामले में सेवानिवृत्ति की आयु से सम्बन्धित किसी नियम पर विचार नहीं किया गया था।" (देखिए रिपोर्ट का पृष्ठ 696) इस अन्तर पर ध्यान देने के पश्चात् ही न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मोती राम डेका के मामले में ही, जिसका अपीलार्थी ने अवलम्ब लिया था, यह मत अन्तर्विष्ट था कि अधिवर्षिता द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का वह नियम जिसके परिणामस्वरूप किसी लोक सेवक की सेवा समाप्ति हो जाती है, सेवा से हटाए जाने की कोटि में नहीं आता। बिशन नारायण मिश्र के मामले में इस न्यायालय ने स्वतन्त्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि "चूंकि प्रश्नगत नियम केवल अधिवर्षिता की आयु के बारे में था और अपीलार्थी को अधिवर्षिता की आयु कम करने के कारण सेवानिवृत्ति होना था, इसलिए यह नहीं किया जा सकता कि उसकी सेवा की समाप्ति, जो इस प्रकार हुई थी, अनुच्छेद 311 के अर्थान्तर्गत सेवा से हटाया जाना था।

30. श्री सिद्धांत शंकर रे की दलील का सार "भली-भांति विचार न करना है।" उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी दलील का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह दलील आक्षेपित अध्यादेश जारी करने में राज्यपाल की शक्ति या अधिकारिता को एक चुनौती है और यह कि उनका

[1] (1964) 5 एस० सी० आर० 683.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एकमात्र यह प्रयास दर्शित करना था कि आक्षेपित अध्यादेश बहुत जल्दी में पारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उन विचारणाओं की अनदेखी कर दी गयी थी जो सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने के लिए सुसंगत हैं। "भली-भांति विचार न करने" के सम्बन्ध में विद्वान् काउन्सेल द्वारा ये तीन उदाहरण दिए गए हैं : संविधान के अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबन्धों के अतिक्रमण में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों का अध्यादेश की परिधि में सम्मिलित किया जाना; विधानमण्डल सचिवालय के कर्मचारियों का अध्यादेश के अन्तर्गत शामिल किया जाना; दैनिक मजदूरी कर्मकारों को भी अध्यादेश का लागू किया जाना; और अन्ततः यह तथ्य कि अध्यादेश जारी किए जाने से कुछ भी वास्तविक उपलब्धि होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह अध्यादेश केवल इस समय लगभग 19,500 कर्मचारियों के लिए ही रोजगार सृजित कर सकेगा किन्तु समय गुजरने के पश्चात् वैसी ही स्थिति बन जाएगी क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु केवल 58 वर्ष की बजाय 55 वर्ष हो जाएगी।

31. इस दलील को स्वीकार करना असम्भव है कि आक्षेपित अध्यादेश "भली-भांति विचार न किए जाने" के आधार पर अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालक शक्ति नहीं है अपितु यह कार्यपालिका की विधान बनाने की शक्ति है। अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है जो अनुच्छेद संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में आता है। इस अध्याय का शीर्षक "राज्यपाल की विधायी शक्ति" है। विधि पारित करने में राज्य विधानमण्डल की शक्ति के समान ही इस क्षेत्र में यह एक पूर्ण शक्ति है और इस शक्ति पर किसी प्रकार के निर्बन्धन नहीं हैं, सिवाय उन निर्बंधनों के जिनके अधीन राज्य विधानमण्डल की विधायी शक्ति होती है। अतः यद्यपि एक अध्यादेश उन संवैधानिक परिसीमाओं (निर्बंधनों) के उल्लंघन के लिए अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है, जो विधि पारित करने के बारे में राज्य विधानमण्डल की शक्ति को लागू होते हैं किन्तु इसे भली-भांति विचार न करने के कारण उसी प्रकार से अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता—जैसे कि कोई अन्य विधि भी अविधिमान्य घोषित नहीं की जा सकती है। कोई कार्यपालन कार्यवाही भली-भांति विचार न करने के आधार पर अभिखण्डित की जा सकती है किन्तु विधानमण्डल की कार्यवाही नहीं।

32. अध्यादेश बनाने की शक्ति की विधायी प्रकृति के प्रश्न पर हम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ए० के० राय बनाम भारत संघ[1] और आर० के० गर्ग बनाम भारत संघ[2] के मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों के प्रति निर्देश कर सकते हैं।

33. श्री रे ने **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम वी० एस० कृष्णास्वामी**[3] के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलम्ब लिया है, जिसमें यह मत अपनाया गया है कि उच्च न्यायालय के सेवकों और अधिकारियों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 229 में उनकी नियुक्ति, पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित शक्ति को, जिसमें उसकी सेवा की शर्तें विहित करने की शक्ति भी शामिल है, मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र अधिकार-क्षेत्र बनाता है और कोई भी बाहरी कार्यपालक प्राधिकारी इस शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह विनिश्चय पिटीशनरों की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि यह अनुच्छेद 229 के अधीन मुख्य न्यायाधीश की शक्ति में हस्तक्षेप करने के बारे में सरकार की कार्यपालन शक्ति की सीमाओं के बारे में है। कार्यपालिका इस शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मोती राम डेका के मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय भी, जिसे विद्वान् काउन्सेल द्वारा उद्धृत किया गया है, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को नहीं छूता।

34. यद्यपि श्री रे ने अपनी दलील "भली-भांति विचार न करने" के आधार पर अध्यादेश को दी गई चुनौती के रूप में पेश की है, किन्तु उनकी दलील का मुख्य जोर यह था कि जिस शीघ्रता से अध्यादेश पारित किया गया था, वह राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही में मनमानापन दर्शित करता है। हमने शीघ्रता और जल्दी की इस दलील को तथा इस तर्क को भी पहले ही नामंजूर कर दिया है कि अध्यादेश के उपबन्ध किसी भी प्रकार से मनमाने या अयुक्तियुक्त हैं और इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का अतिक्रमण करते हैं।

35. श्री आर० के० गर्ग, जो 1983 के अंतरित मामले सं० 70, 71, 72 में हाजिर हुए हैं, अध्यादेश की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती देते हैं कि सभी सुस्थापित मापदण्डों की अवहेलना करते हुए यह अध्यादेश सेवा-निवृत्ति की आयु औद्योगिक न्याय-निर्णयनों और कर्मचारियों तथा नियोजकों के बीच तय किए गए समझौतों के बावजूद भी, 55 वर्ष नियत करता है। **मेनका**

---

[1] (1982) 2 एस० सी० आर० 272 पृ० 282, 291.
[2] (1982) 1 एस० सी० आर० 947, पृ० 964, 967.
[3] (1979) 1 एस० सी० आर० 26.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गांधी बनाम भारत संघ[1] तथा मद्रास राज्य बनाम वी० जी० राव[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अपनी इस दलील के समर्थन में अवलंब लेते हुए कि मनमानापन विधियों को अविधिमान्य बना देता है, विद्वान् काउन्सेल यह दलील देते हैं कि जो विधि किसी औद्योगिक न्याय-निर्णयन या समझौते को नामंजूर करती है वह मूलतः अयुक्तियुक्त या मनमानी है और इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी माना जाना चाहिए। काउन्सेल ने यह भी दलील दी कि सेवानिवृत्ति की आयु कम करके 55 वर्ष करने से सरकारी कर्मचारी अपनी आजीविका के अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। इस पश्चात्वर्ती दलील में कोई सार नहीं है क्योंकि यदि सेवानिवृत्ति के किसी नियम के बारे में यह समझा जाता है कि वह किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करता है तो फिर सेवा-निवृत्ति की कोई भी आयु उपबन्धित करना ही अननुज्ञेय हो जाएगा। यह बात लोक हित के प्रतिकूल होगी क्योंकि राज्य उस स्थति के पश्चात् अपने कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने को बर्दास्त नहीं कर सकते जबकि कर्मचारियों ने कार्यकुशलता की उच्चतम सीमा को पार कर लिया है। सेवा-निवृत्ति के नियम किसी व्यक्ति की आजीविका कमाने के अधिकार को नहीं छीनते अपितु ये नियम केवल नियत/उल्लिखित वर्षों की संख्या तक ही कार्यभार संभाले रखने के अधिकार को सीमित करते हैं। विद्वान् न्यायाधीशों की इस दलील को अन्य कारणों से भी नामंजूर किया जा सकता है किन्तु हम इन अंतरित मामलों पर विचार करने का इरादा नहीं रखते क्योंकि अभिलेख में यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि औद्योगिक कर्मकारों के किसी वर्ग की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में उपबन्ध करने के सम्बन्ध में कर्मकारों और नियोजकों के बीच कोई औद्योगिक न्याय-निर्णयन या समझौते हैं। इन अंतरित मामलों को दूसरे रिट पिटीशनों से अलग कर दिया जाएगा और बाद में इनकी सुनवाई की जाएगी ताकि इन पर इन्हीं के तथ्यों के आधार पर विचार किया जा सके। यदि श्री गर्ग द्वारा उठाया गया प्रश्न मात्र एक सैद्धांतिक प्रश्न है तो इस पर विचार करना अनावश्यक होगा।

36. असद्भावना की दलील श्री ए० टी० सम्पत द्वारा दी गई है तथा बिना किसी आधार के इसे कुछ अन्य काउन्सेलों ने भी अंगीकार किया है। असद्भावना को सिद्ध करने का भार निश्चय ही एक बड़ा भारी भार होता है। अस्पष्ट और प्रायिक अभिकथन, जिनमें यह सुझाव दिया गया हो कि

---

[1] (1979) 1 उम० नि० प० 243=(1978) 2 एस० सी० आर० 621.

[2] (1952) एस० सी० आर० 597.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एक कार्य विशेष असद्भाविक आशय से किया गया था, उचित अभिवचन और पर्याप्त सबूत के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये दोनों ही इन रिट पिटीशनों में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि अध्यादेश बनाने की शक्ति एक विधायी शक्ति है, असद्भाव की दलील बिल्कुल भ्रामक है। एक निकाय के रूप में विधानमण्डल पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने कोई विधि किसी असम्बद्ध प्रयोजन के लिए पारित की है। कोई विधि पारित करने के बारे में इसके कारण वे कारण होते हैं जो उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित किए जाते हैं। यह अनुमान लगाने पर भी कि किसी मामले विशेष में कोई विधान प्रस्तुत करने में कार्यपालिक अन्तरस्थ हेतु है तो वह हेतु किसी विधि के पारित करने को असद्भाविक नहीं बना सकता। इस प्रकार का "अन्तरित विद्वेष" विधायन के क्षेत्र में एक अनजानी बात है।

37. अन्त में इस दलील में कोई सार नहीं है कि मूल नियमों का संशोधन, जिसके द्वारा नियम 2 का परन्तुक हटा दिया गया था, नियम बनाने वाले प्राधिकरण या विधानमण्डल की शक्ति से परे है। मूल नियम और इसके संशोधन राज्य सरकार द्वारा सिविल सर्विसेज (गवर्नर्स प्रोविसिज) डेलिगेसंज रूल्स, 1926, सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन जारी किए जाते हैं। मूल नियम जो 1 जनवरी, 1922 से प्रवृत्त हुए हैं, इससे पूर्व 20 अप्रैल, 1969 के जी० ओ० एम० सं० 128 द्वारा संशोधित किए गए थे। इस संशोधन के द्वारा नियम 2 में एक परन्तुक जोड़ दिया गया था, जो इस प्रकार है :—

> "परन्तु शर्त यह कि ये नियम सेवा में पहले से ही बने हुए किसी व्यक्ति के अलाभ के लिए उपांतरित या प्रतिस्थापित नहीं किये जायेंगे।"

17 फरवरी, 1983 के जी० ओ० एम० सं० 48 के द्वारा यह परन्तुक 23 फरवरी, 1979 से भूतलक्षी प्रभाव से हटा दिया गया था। पिटीशनरों की दलील यह है कि उक्त परन्तुक, जिसने सरकारी सेवकों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा करके लाभ प्रदान किया था, इस प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता जिससे कि सेवकों के प्रतिकूल उनकी सेवा की शर्तों को परिवर्तित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाया जा सके और, किसी भी दशा में, इनमें भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे कि वे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकार छिन जाएं जो उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इस दलील का एकमात्र उत्तर यह है कि मूल नियम में 17 फरवरी, 1983 का संशोधन आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 313 सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया था। यह भली-भांति सुस्थापित है कि सिविल नियमों में संशोधन उस प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से वे अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए जा सकते हैं और यह कि इन नियमों को संशोधित करने की शक्ति में इन्हें भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति एक विधायी शक्ति है और इसे नियम बनाने की सामान्य शक्ति से प्रभावित करना है। विधान बनाने की शक्ति संविधान द्वारा सीमित क्षेत्र में एक पूर्ण शक्ति है और इसके अन्तर्गत भूतलक्षी रूप से विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। अतः मूल नियमों में अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया वह संशोधन, जिसके द्वारा नियम 2 के परन्तुक को भूतलक्षी रूप से हटा दिया गया था, विधायी शक्ति का विधिमान्य प्रयोग था। अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाया गया नियम और किए गए संशोधन विधानमंडल द्वारा उपांतरित या निरसित किया जा सकता है किंतु जब तक ऐसा नहीं किया जाता, इस शक्ति को यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसमें प्राधिकार का अभाव है। (देखिए—**बी० एम० वडेरा** बनाम **भारत संघ**[1] और **राजकुमार** बनाम **भारत संघ**[2])

38. इस विवाद में ये ही मुख्य मुद्दे हैं जिनके बारे में काउन्सेल ने अपनी दलीलें दी हैं। उपर्युक्त कारणों से हम इन दलीलों को नामंजूर करते हैं और इन रिट पिटीशनों को खारिज करते हैं। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता।

रिट पिटीशन खारिज किए गए।

श०

---

[1] (1968) 3 एस० सी० आर० 575, 582, 585.

[2] (1975) 3 एस० सी० आर० 963, 965.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य,

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ (रजि०), रानीपुर, हरिद्वार

बनाम

भारत संघ और अन्य

तथा

लाल झंडा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मजदूर यूनियन के कर्मचारी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

(18 जनवरी, 1985)

(न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और वी० खालिद)

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 38)—धारा 10—ठेका श्रम पद्धति की समाप्ति की याचना—लोक सैक्टर उपक्रम के अन्तर्गत ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले कर्मकार—उक्त कर्मकारों द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रधान नियोजक के अधीन कार्यरत व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के समरूप होना—ठेका श्रमिकों द्वारा न्यायालय से यह घोषणा किए जाने के लिए याचना की जाना कि ठेका श्रम पद्धति अवैध है और उसे समाप्त किया जाए—न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन प्रार्थित उक्त अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे अनुतोष का प्रदान किया जाना विधायी कृत्य के प्रयोग के अन्तर्गत आता है ।

कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) सैण्ट्रल रूल्स, 1971—नियम 25(ii)(iv)—मजदूरी की दरें—प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त होगी कि मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, समझौते अथवा अधिनिर्णय द्वारा नियत की गई हों, वे इस प्रकार नियत दरों से न्यूनतर नहीं होंगी—अतः ठेका श्रमिकों को समरूप कार्य के लिए वही

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दरें प्राप्य होंगी जो कि प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों को उपलभ्य हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)—धारा 12—मजदूरी की न्यूनतम दरों का संदाय ठेकेदार के अधीन काम करने वाले ठेका श्रमिक—उक्त श्रमिकों के लिए नियत मजदूरी में से ठेकेदारों द्वारा विभिन्न पदों के आधार पर विभिन्न कटौतियां की जाना—ठेका श्रमिकों को चाहिए कि वे संबद्ध प्राधिकारी से अनुतोष की मांग करें—इस बारे में सरकार तथा मुख्य श्रम आयुक्त को निदेश जारी किए जाएंगे कि वे इन विवाद्यकों की परीक्षा करें।

इस मामले में पिटीशनर 'ठेका श्रमिक' थे जो कि बी० एच० ई० एल० के एक कारखाने में ठेकेदारों के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन अपने पिटीशन में उन्होंने यह अभिकथन किया कि अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19(1)(च) के अधीन उनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है क्योंकि यद्यपि वे वैसा ही कार्य कर रहे थे जैसा कि लगभग शेष 15,000 ऐसे कर्मकार कर रहे थे जो कि उस कारखाने में नियोजित थे और इस प्रकार वे ठेका श्रमिक निश्चित रूप से संगठन का भाग थे। उनकी मजदूरी का संदाय ठेकेदारों की मार्फत किया जाता था। ठेकेदार विभिन्न किस्मों की भारी कटौतियां करने के पश्चात् उन्हें मजदूरी का संदाय करते थे और इस प्रकार उनकी मजदूरी तथा बी० एच० ई० एल० द्वारा सीधे नियोजित किए गए कर्मकारों को संदत्त मजदूरी की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। ठेका श्रमिकों ने यह घोषणा किए जाने के लिए याचना की कि ठेका श्रम अवैध था और यह कि ठेका श्रमिकों को बी० एच० ई० एल० द्वारा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, प्रबंधतंत्र ने यह दलील दी कि पिटीशनरों को चाहिए था कि वे ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 इत्यादि के अधीन उपलभ्य अन्य फोरमों से अनुतोषों की मांग करें और यह कि चाहे जो भी हो, ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति कारखाने में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से भिन्न थी और यह सही नहीं था कि ठेकेदार मात्र श्रमिकों की व्यवस्था करता था और इन कारणों से पिटीशन खारिज कर दिए जाने चाहिएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा पिटीशन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन-पत्र में उच्चतम न्यायालय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह कोई ऐसी जांच प्रारंभ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करे कि क्या इन एक हजार के लगभग कर्मकारों को, जो कि विभिन्न हैसियतों में कार्यरत हैं और अनेक कार्यकलाप से संलग्न हैं, वे उस कार्य के समान कार्य करते हैं जो कि बी० एच० ई० एल० (भैल) द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा किया जाता है और क्या इस कारणवश उनसे ठेका श्रमिक रूप में व्यवहार न किया जाकर भैल के सीधे नियोजित कर्मचारियों के समरूप व्यवहार किया जाए। ऐसे और तत्समान प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए प्रकल्पित अन्य कानूनों के अधीन सृजित अन्य न्यायाधिकरण हैं। यह निदेश किया गया था कि संसद् के आशय को तथा राज्य नीति के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय को चाहिए कि वह राज्य द्वारा अथवा किसी ऐसे लोक सैक्टर उपक्रम द्वारा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य माना जाता है, ठेका श्रमिकों के नियोजन को अवैध घोषित कर दे। दूसरे शब्दों में यह इच्छा थी कि उच्चतम न्यायालय को चाहिए कि वह एक रिट जारी करके राज्य द्वारा एवं सभी लोक सैक्टर उपक्रमों द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन को उत्साहित कर दे। यह मात्र विधायी कार्यकलाप का प्रयोग होगा जो कृत्य न्यायालय को संविधान द्वारा नहीं सौंपा गया है। (पैरा 3)

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में ठेका श्रम के पूर्ण उत्पादन के लिए उपबंध नहीं किया गया है बल्कि ऐसा उत्सादन मात्र कतिपय परिस्थितियों में किए जाने के लिए तथा कतिपय स्थापनों में ठेका श्रम के नियोजन का उत्सादन करने के लिए उपबंध किया गया है। कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) सैण्ट्रल रूल्स, 1971 के नियम 25(ii)(i) के अधीन मजदूरी की दरें, छुट्टियां, काम के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तों का अवधारण करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त से यह अपेक्षित है कि वह समरूप नियोजनों में विद्यमान मजदूरी की दरों, छुट्टियों, काम के घण्टों और अन्य सेवा की शर्तों को ध्यान में रखे। (पैरा 5)

ठेका श्रमिकों के विरुद्ध कोई प्रभेद नहीं किया जा सकता। ठेका श्रमिक उसी मजदूरी, उन्हीं छुट्टियों, काम के घण्टों तथा सेवा को शर्तों का हकदार है जो कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा उसी अथवा समरूप किस्म के कार्य पर सीधे नियोजित किए गए कर्मकारों को लागू होते हैं। वे समुचित औद्योगिक तथा श्रम विधियों के अधीन प्रधान नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकारों की भांति अपनी मजदूरी तथा सेवा की शर्तें प्रत्युद्भूत करने के हकदार हैं। यदि काम के समरूप होने के बारे में कोई विवाद हो, तो उस विवाद का विनिश्चय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किया जाना होगा। यह स्पष्ट है कि संसद् ने ठेका श्रम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को यथावत् उत्सादित नहीं किया है किन्तु उसने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन समुचित मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके उत्सादित किए जाने के लिए उपबंध किया है। इस प्रश्न की जांच-पड़ताल करना और इस बात का विनिश्चय करना कि क्या किसी प्रक्रिया, संक्रिया अथवा अन्य कार्य में किसी अन्य स्थापन में सेवारत श्रमिकों को उत्सादित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, यह न्यायालय का कार्य नहीं है। यह तो अधिनियम की धारा 10 के अधीन विचारगत किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा विनिश्चयार्थ विषय है। इसी प्रकार यह प्रश्न कि क्या ठेका श्रमिक द्वारा किया गया कार्य वही अथवा समरूप कार्य है जो कि किसी स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार द्वारा किया जाता है, एक ऐसा विषय है जिसका विनिश्चय नियम 25(ii)(v)(क) के परन्तुक के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा किया जाना होता है। केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया गया कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या ठेका श्रमिकों का नियोजन 'भैल', हरिद्वार की किसी प्रक्रिया, संक्रिया अथवा अन्य कार्य में अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्य श्रम आयुक्त को यह निदेश भी दिया गया कि वह इस प्रश्न की जांच करे कि क्या भैल, हरिद्वार में प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी प्रकार का कार्य ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों द्वारा भी किया जाता है। (पैरा 6)

आरंभिक अधिकारिता : 1983 के रिट पिटीशन (सिविल) सं० 7982, 9874 और 9249.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन किए गए पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से — सर्वश्री आर० के० गर्ग, डी० के० गर्ग और ए० के० गोयल

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री जी० एल० सांघी, कपिल सिब्बल, वी० सी० महाजन, कुमारी मीरा माथुर, सर्वश्री एस० सुकुमारन्, ओ० सी० माथुर, डी० एस० मिश्र, अशोक ग्रोवर, सी० के० महाजन, आई० एस० गोयल, आर० एन० पोद्दार और सी० वी० सुब्बा राव।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने दिया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी :—

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इन तीन रिट पिटीशनों के बारे में हमें यह प्रतीत होता है कि वे सर्वथा भ्रामक हैं। रिट पिटीशन सं० 7982/83 तथा रिट पिटीशन सं० 9874/83 में उनके क्रमशः पिटीशनर बी० एच० ई० एल० वर्कर्स एसोसिएशन, हरिद्वार और अन्य तथा भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ, रानीपुर, हरिद्वार हैं। उन्होंने यह अभिकथन किया है कि 16,000 से किंचित् कर्मकारों में से, जो कि हरिद्वार स्थित बी० एच० ई० एल० (भैल) कारखाने के परिसर में कार्यरत हैं, एक हजार की बड़ी संख्या में कर्मकारों से 'ठेका श्रमिक' के रूप में व्यवहार किया जाता है और उन्हें ठेकेदारों के नियंत्रण तथा उनकी दया पर छोड़ दिया गया है। यद्यपि वे वही कार्य करते हैं जो कि भैल द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हैं, उन्हें न तो समान मजदूरी संदत्त की जाती है और न ही उनकी सेवा की शर्तें उनके समान हैं। उन्होंने यह अभिकथन किया है कि प्रबंधतंत्र उनके संबलम ठेकेदारों को दे देता है और ठेकेदार सारवान् कमीशन की कटौती करने के पश्चात् उनके संबलम का संदाय करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त मजदूरी की तुलना भैल द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों को संदत्त मजदूरी से सर्वथा नहीं की जा सकती। उनका यह कहना है कि वे भैल के चार्जमैन, फोरमैन तथा इंजीनियरों के सीधे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन भिन्न-भिन्न विभागों में भैल के परिसर के अन्तर्गत कार्य करते हैं। उनके काम के घण्टों को भैल द्वारा विहित किया जाता है। वे भैल की मशीनों पर काम करते हैं और वे निश्चित रूप से उस संगठन का भाग हैं जो कि भैल द्वारा किए गए नि [illegible] की उत्पाद प्रक्रिया में अन्तर्वलित है। वे भैल के नियमित कर्मचारी के रूप में घोषित किए जाने के हकदार हैं और इसके अतिरिक्त वे उसी वेतनमान को प्राप्त करने के हकदार हैं जो कि भैल के कर्मचारियों को दिया जाता है। उनका यह अभिकथन है कि अनुच्छेद 14 तथा 19(1)(च) के अधीन उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यह दावा किया गया है कि जब कभी उनके द्वारा कोई मांग की जाती है तो उन्हें नौकरी से निकाल बाहर कर दिया जाता है। वे इस न्यायालय से इस सम्बन्ध में घोषणा की वांछा करते हैं कि ठेका श्रम सम्बन्धी पद्धति अवैध है, कि वे 'भैल' के सीधे कर्मचारी हैं और यह कि वे तत्समान वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं जो कि भैल के कर्मकारों को मिलता है।

2. श्री पी० सी० राव, उप-महाप्रबन्धक द्वारा पिटीशन में लगाए गए अभिकथनों का प्रत्याख्यान करते हुए भैल की ओर से एक शपथ-पत्र फाइल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया है जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि यदि पिटीशनरों की कोई वास्तविक व्यथा थी, तो उन्हें चाहिए था कि वे संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय में आ धमकने की बजाय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम इत्यादि के अधीन उनके लिए उपलभ्य अधिकारों का लाभ अपनी व्यथाओं को मुखरित करने के लिए उठाते। प्रति-शपथपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कतिपय नौकरियां यद्यपि उनके बारे में यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें संयंत्र के क्षेत्र के भीतर कार्यान्वित किया जाए, उन्हें अधिक सुविधापूर्ण तथा दक्षतापूर्ण रूप से ठेकेदारों द्वारा उजरत संविदा के आधार पर किया जाना अधिक उचित है। यह विशिष्टतः विदेशी सहयोग से एल० एस० टी० जी० कार्यक्रम नामक उत्पाद कार्यक्रम के विस्तार के लिए नवीन तकनीकी के समाविष्ट किए जाने की बाबत है। इसमें स्वयं कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है और यह कहना सही नहीं है कि ठेकेदार वहां मात्र श्रम का प्रदाय करते हैं। उनसे संपूर्ण कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और मजदूरी का संदाय उसमें अन्तर्वलित कार्य की परिमात्रा के आधार पर किया जाता है, न कि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या के आधार पर। आगे इस बात का उल्लेख किया गया है कि उजरत संविदाओं के आधार पर ठेका श्रमिकों को प्रायः सन्निर्माण, समुत्थान तथा चालू करने सम्बन्धी कार्यकलाप में नियोजित किया जाता है, जो कि पूर्णतः अस्थायी प्रकृति के होते हैं, उन्हें परिवहन करने, जिसके अन्तर्गत वैगनों, ट्रकों, ट्रेलरों, ट्रैक्टरों इत्यादि में लादने और उनमें से उतारने एवं आंतरिक परिवहन, जंगलों को साफ करने, खर-पतवाड़ को हटाने तथा अन्य बागवानी कार्यकलाप भी हैं, के लिए नियोजित किया जाता है। संपर्क सड़कों तथा संयंत्र क्षेत्रों को साफ करने तथा उन्हें बनाए रखने के सम्बन्ध में कार्य एवं आधुनिकीकरण तथा समंजन, जैसे कि उपस्कर इत्यादि को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्य भी उजरत संविदा के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे कार्यकलाप में भिन्न-भिन्न समयों पर कर्मकारों की भिन्न-भिन्न संख्या अपेक्षित होती है और यह नीति सम्बन्धी विषय समझा जाता है कि स्वयं भैल द्वारा किए जाने की बजाय उजरत संविदाओं के जरिए इन कार्यों को करना बेहतर है क्योंकि भैल का सम्बन्ध मुख्यतः टरबाइनों के विनिर्माण इत्यादि से है।

3. अभिकथनों तथा प्रतीप-अभिकथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन-पत्र में इस न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह कोई ऐसी जांच प्रारंभ करे कि क्या इन एक हजार के लगभग कर्मकारों को, जो कि विभिन्न हैसियतों में कार्यरत हैं और अनेक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कार्यकलाप में संलग्न हैं, वे उस कार्य के समान कार्य करते हैं जो कि भैल द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा किया जाता है और क्या इस कारणवश उनसे ठेका श्रमिक के रूप में व्यवहार न किया जाकर भैल के सीधे नियोजित कर्मचारियों के समरूप व्यवहार किया जाए ? ऐसे और तत्समान प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए प्रकल्पित अन्य कानूनों के अधीन सृजित अन्य न्यायाधिकरण हैं। संभवतः उन कर्मचारियों द्वारा, जो कि भैल द्वारा सीधे नियोजित किए गए हैं, किए गए कार्य की प्रकृति की तुलना ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति की निरर्थकता को महसूस करते हुए, विद्वान् काउन्सेल ने यह आत्यंतिक दलील प्रस्तुत करना पसन्द किया कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लोक सैक्टर उपक्रमों द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन पर पूर्ण विवर्जन घोषित करे। यह दलील दी गई थी कि सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन की आलोचना की गई थी और स्वयं संसद् का यह विचार था कि ठेका श्रमिक अवांछित थे इसलिए संसद् ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया। यह निवेदन किया गया था कि संसद् के आशय को तथा राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय को चाहिए कि वह राज्य द्वारा अथवा किसी ऐसे लोक सैक्टर उपक्रम द्वारा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य माना जाता है, ठेका श्रमिकों के नियोजन को अवैध घोषित कर दे। दूसरे शब्दों में, काउन्सेल की यह इच्छा थी कि इस न्यायालय को चाहिए कि वह एक रिट जारी करके राज्य द्वारा एवं सभी लोक सैक्टर उपक्रमों द्वारा ठेका श्रमिकों के नियोजन को उत्सादित कर दे। हमें इस बारे में आशंका है कि यह मात्र विधायी कार्यकलाप का प्रयोग होगा जो कृत्य न्यायालय को संविधानद्वारा नहीं सौंपा गया है।

4. यह सही है कि बहुत समय तक ठेका श्रम सम्बन्धी पद्धति की अनुचित प्रकृति और उससे होने वाले विनाशक परिणामों का अवलोकन सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों द्वारा, जिनके अन्तर्गत योजना आयोग भी था, किया गया था और यह कि इन रिपोर्टों तथा विचार-विमर्शों इत्यादि के परिणामस्वरूप, जो कि किए गए थे, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 पारित किया गया था। उद्देश्यों तथा कारणों के कथन के अनुसार—

> "ठेका श्रमिकों के नियोजन सम्बन्धी पद्धति का विभिन्न प्रकार से दुष्प्रयोग किया गया है। इसके उत्सादन का प्रश्न बहुत समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आयोग ने कतिपय सिफारिशें की थीं, जैसा कि ठेका श्रमिकों की समस्या की विस्तीर्णता को अभिनिश्चित करने के लिए अध्ययन किए जाना, ठेका श्रम सम्बन्धी पद्धति का क्रमिक उत्सादन और उनकी सेवा-शर्तों की वहां अभिवृद्धि जहां कि उनका उत्सादन सम्भव न हो। इस मामले पर त्रिपक्षीय समितियों की विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था, जिनमें कि राज्य सरकारों द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया था और सामान्य मतैक्य यह था कि इस पद्धति को जहां कहीं संभव अथवा व्यवहार्य हो, उत्सादित कर दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, जिनमें कि इसे पूर्णतः उत्सादित नहीं किया जा सकता, ठेका श्रमिकों की कार्य की शर्तों को विनियमित कर दिया जाना चाहिए ताकि उनकी मजदूरी के संदाय को सुनिश्चित बनाया जा सके तथा आवश्यक प्रसुविधाओं के लिए उपबंध किया जा सके।

2. प्रस्थापित विधेयक का उद्देश्य ऐसी कोटियों की बाबत ठेका श्रम को उत्सादित करना है जिनके बारे में कतिपय कसौटियों के प्रकाश में, जो कि अधिकथित की गई हैं, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित हो और ठेका श्रमिकों की सेवा की शर्तों को वहां, जहां कि उन्हें उत्सादित करना संभव न हो, विनियमित किया जाना चाहिए। इस विधेयक में त्रिपक्षीय प्रकृति के सलाहकार बोर्डों की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है जिनमें कि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व किया गया है ताकि स्थापनों तथा ठेकेदारों सम्बन्धी विधान एवं उनके रजिस्ट्रीकरण को प्रशासित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सलाह दी जा सके। इस विधेयक की स्कीम के अधीन, ठेका श्रम के लिए कतिपय आधारभूत कल्याणकारी प्रसुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उन्हें बनाए रखने को आवश्यक बना दिया गया है जैसे कि पीने का पानी तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं और कतिपय अवस्थाओं में विश्राम-कक्षों तथा जलपान-गृहों की व्यवस्था तथा उनका बनाए रखा जाना भी आवश्यक बना दिया गया है। जहां तक मजदूरी के संदाय के विषय का सम्बन्ध है, उनके ब्यौरों की बाबत रक्षोपाय करने के लिए भी उपबंध किए गए हैं।"

5. अधिनियम के विस्तृत शीर्षक में इसका वर्णन "ऐसे अधिनियम के रूप में किया गया है जिसके द्वारा कतिपय स्थापनों में ठेका श्रम के नियोजन को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विनियमित करने के लिए तथा कतिपय परिस्थितियों में उसका उत्सादन करने के लिए एवं तत्संबद्ध विषयों के लिए उपबंध किया गया है।" जैसा कि विस्तृत शीर्षक स्वयं उपदर्शित करता है, अधिनियम में ठेका श्रम के पूर्ण उत्सादन के लिए उपबंध नहीं किया गया है बल्कि ऐसा उत्सादन मात्र कतिपय परिस्थितियों में किए जाने के लिए तथा कतिपय स्थापनों में ठेका श्रम के नियोजन का उत्सादन करने के लिए उपबंध किया गया है। धारा 1(4) ऐसे सभी स्थापनों को लागू होती है जिनमें कि 20 या 20 से अधिक कर्मकार नियोजित किए गए हों अथवा ठेका श्रमिकों के रूप में पूर्ववर्ती 12 मास के किसी दिन नियोजित रहे हों एवं यह धारा प्रत्येक ऐसे ठेकेदार को लागू होती है जो कि पूर्ववर्ती 12 मास के किसी भी दिन 20 या 20 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है अथवा उनका नियोजन किया गया है। यह अधिनियम ऐसे स्थापनों को लागू नहीं होता जिनमें कि मात्र समय-समय पर अथवा प्रायिक प्रकृति के कार्य का ही निष्पादन किया जाता है। धारा 2(ङ) में किसी 'स्थापन' की परिभाषा इस रूप में की गई है : (i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या विभाग; अथवा (ii) ऐसा कोई स्थान, जहां कोई विनिर्माण किया जाता है या कोई उद्योग, व्यापार, कारबार या उपजीविका चलाई जाती है। धारा 2(छ) में 'प्रधान नियोजक' की परिभाषा से यह अभिप्रेत है—

"(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में उस कार्यालय या विभाग का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

(ii) किसी कारखाने में, उस कारखाने का स्वामी या अधिष्ठाता और जहां कि कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन उस कारखाने का प्रबंधक नामित किया गया है, वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति,

(iii) किसी खान में, उस खान का स्वामी या अभिकर्ता और जहां कि कोई व्यक्ति उस खान का प्रबंधक नामित किया गया है वहां, इस प्रकार नामित व्यक्ति,

(iv) किसी अन्य स्थापन में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

'स्थापन' तथा 'प्रधान नियोजक' पदों की परिभाषाएं स्पष्टतः सरकार अथवा उसके किन्हीं विभागों को अपवर्जित नहीं करतीं बल्कि दूसरी ओर, वे अभिव्यक्त रूप से उन्हें अन्तर्विष्ट करती है और अधिनियम उन्हें भी लागू होता है। यह अधिनियम केवल प्राइवेट नियोजकों तक सीमित नहीं है। धारा 2(ग) में ठेकेदार की परिभाषा से, किसी स्थापन के संबंध में, 'ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन को केवल माल या विनिर्माण-वस्तुओं का प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम ठेका श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिए संपन्न कराने का जिम्मा लेता है या जो उस स्थापन के किसी काम के लिए ठेका श्रमिक उपलब्ध कराता है और इसके अन्तर्गत उप-ठेकेदार भी है।' धारा 3 और 4 केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार बोर्डों के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा 7 में किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध किया गया है। धारा 8 में रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध किया गया है और धारा 9 में अरजिस्ट्रीकरण के प्रभाव के लिए उपबंध किया गया है। धारा 10 में, जो कि एक महत्त्वपूर्ण धारा है, किसी स्थापन में किन्हीं प्रक्रियाओं, संक्रियाओं अथवा अन्य कार्य में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के लिए समर्थ बनाने के लिए उपबंध किया गया है। धारा 10 को उद्धृत करना उपयोगी होगा :—

> "(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करके किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम में ठेका श्रमिकों का नियोजन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध कर सकेगी।
>
> (2) किसी स्थापन के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व समुचित सरकार उस स्थापन में ठेका श्रमिकों के लिए काम की परिस्थितियों और प्रसुविधाओं का, जिनकी व्यवस्था की गई है, तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखेगी जैसे कि—
>
> (क) क्या वह प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम उस स्थान में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारबार, या उपजीविका के आनुषंगिक या उसके लिए आवश्यक है;
>
> (ख) क्या वह वर्षानुवर्षी प्रकार का है अर्थात् क्या वह उस स्थापन में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उद्योग, व्यापार, कारबार या उपजीविका का ध्यान रखते हुए पर्याप्त समय के लिए है;

(ग) क्या वह उस स्थापन में या उससे मिलते-जुलते स्थापन में नियमित कर्मकारों के माध्यम से मामूली तौर से किया जाता है;

(घ) क्या प्रचुर संख्या में पूर्णकालिक कर्मकारों को नियोजित करना पर्याप्त है।"

धारा 12 में ठेकेदारों के अनुज्ञापन के लिए उपबंध किया गया है। धारा 13, 14 और 15 में अनुज्ञप्तियों के प्रदान किए जाने के लिए, अनुज्ञप्तियों के प्रतिसंहरण, निलंबन और संशोधन तथा अपील के लिए उपबंध है। धारा 16 से 21 में ठेका श्रमिकों के कल्याण तथा स्वास्थ्य के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। विशिष्ट रूप से धारा 20 में यह उपबंध किया गया है कि यदि ठेकेदार किसी स्थापन में नियोजित ठेका श्रमिकों की प्रसुविधा के लिए सुख-सुविधा की व्यवस्था विहित समय के भीतर नहीं करता है, तो प्रधान नियोजक ऐसी सुख-सुविधा की व्यवस्था करेगा। धारा 21 ठेकेदार को ठेका श्रमिक के रूप में उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी बनाती है किन्तु उसमें आगे यह उपबंध किया गया है कि प्रधान नियोजक किसी प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करेगा जो उसके द्वारा ठेकेदार द्वारा मजदूरी के संवितरण के समय मौजूद रहने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाएगा। धारा 22 से 27 में शास्तियों तथा प्रक्रिया हेतु उपबंध किया गया है। धारा 28 में निरीक्षण कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए उपबंध किया गया है। धारा 30 अधिनियम के उपबंधों को, स्थापन को लागू किसी अन्य विधि में या किसी करार या सेवा की संविदा के निबंधनों या किन्हीं स्थायी आदेशों में, उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी बनाती है। किन्तु यह ठेका श्रम के संबंध में किन्हीं लाभप्रद फायदों को व्यावृत्त करती है जिन्हें करार के अधीन सेवा की संविदा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन ठेका श्रमिक प्राप्त करने का हकदार हो। धारा 35 समुचित सरकार में अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु शक्ति निहित करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों के बारे में यह अपेक्षित है कि उन्हें केवल 30 दिन की कालावधि के लिए संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए। ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 की रचना की है। इन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियमों का अध्याय 2 ऐसे विषयों से संबंधित है, जो कि केन्द्रीय सलाहकर ठेका श्रम बोर्ड की बाबत हैं जबकि नियमों के अध्याय 3 में स्थापनों तथा ठेकेदारों के अनुज्ञापन के रजिस्ट्रीकरण की चर्चा की गई है। नियम 25 अनुज्ञप्ति के प्ररूपों, निबंधनों तथा शर्तों को विहित करता है। नियम 25(ii)(iv) में यह विहित किया गया है कि प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त होगी कि मजदूरी की दरें उन दरों से कम नहीं होंगी जो कि, जहां कहीं भी लागू हों, ऐसे नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित की गई हैं और जहां दरों को करार, समझौते अथवा अधिनिर्णय द्वारा नियत किया गया है, वहां वे इस प्रकार नियत की गई दरों से कम नहीं होंगी। नियम 25(ii)(v)(क) में यह विहित किया गया है कि प्रत्येक अनुज्ञप्ति की शर्त होगी कि—

*"(v)(क) ऐसे मामलों में जहां कि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार वही या उसी किस्म के कार्य का निष्पादन करते हैं, जैसा कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हैं, मजदूरी की दरें, छुट्टियां, काम के घण्टे और ठेकेदार के कर्मकारों की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा उसी तथा समरूप किस्म के कार्य पर सीधे नियोजित कर्मकारों को लागू होती हैं :

परन्तु यह कि कार्य की किस्म की बाबत किसी विमति की दशा में उसका विनिश्चय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किया जाएगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"(v)(a) in cases where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work :

Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the Chief Labour Commissioner (Central) whose decision shall be final."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इसी प्रकार नियम 25(ii)(v)(ख) में यह यह उपबंध किया गया है कि अन्य मामलों में मजदूरी की दरें, छुट्टियां, काम के घण्टे और ठेकेदार के कर्मकारों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं। नियम 25(ii)(v)(ख) के अधीन मजदूरी की दरे, छुट्टियां, काम के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तों का अवधारण करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त से यह अपेक्षित है कि वह समरूप नियोजनों में विद्यमान मजदूरी की दरों, छुट्टियों, काम के घण्टों और अन्य सेवा की शर्तों को ध्यान में रखे। हमारे समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं है कि मजदूरी संदाय अधिनियम ठेका श्रम को उसी प्रकार लागू होता है जैसे कि वह उन श्रमिकों को लागू होता है जो कि स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियुक्त किए गए हों।

6. इस प्रकार हमने देखा है कि ठेका श्रमिकों के विरुद्ध कोई प्रभेद नहीं किया जा सकता। ठेका श्रमिक उसी मजदूरी, उन्हीं छुट्टियों, काम के घण्टों तथा सेवा की शर्तों का हकदार है जो स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा उसी अथवा समरूप किस्म के कार्य पर सीधे नियोजित किए गए कर्मकारों को लागू होते हैं। वे समुचित औद्योगिक तथा श्रम विधियों के अधीन प्रधान नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकारों की भांति अपनी मजदूरी तथा सेवा की शर्तें प्रत्युद्धृत करने के हकदार हैं। यदि काम के समरूप होने के बारे में कोई विवाद हो, तो उस विवाद का विनिश्चय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किया जाना होगा। यह स्पष्ट है कि संसद् ने ठेका श्रम को यथावत् उत्सादित नहीं किया है किन्तु उसने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन समुचित मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके उत्सादित किए जाने के लिए उपबंध किया है। इस प्रश्न की जांच पड़ताल करना और इस बात का विनिश्चय करना कि क्या किसी प्रक्रिया, संक्रिया अथवा अन्य कार्य में किसी अन्य स्थापन में सेवारत श्रमिकों को उत्सादित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, यह न्यायालय का कार्य नहीं है। यह तो अधिनियम की धारा 10 के अधीन विचारगत किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा विनिश्चयार्थ विषय है। इसी प्रकार यह प्रश्न कि क्या ठेका श्रमिक द्वारा किया गया कार्य वही अथवा समरूप कार्य है जो कि किसी स्थापन के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार द्वारा किया जाता है, एक ऐसा विषय है जिसका विनिश्चय नियम 25(ii)(v)(क) के परन्तुक के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा किया जाना होता है। इन परिस्थितियों में हमारे पास कोई अनुकल्प नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हम इन दोनों रिट पिटीशनों को खारिज कर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दें किन्तु इस संबंध में हमें केन्द्रीय सरकार को यह निदेश देना होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या ठेका श्रमिकों का नियोजन भैल, हरिद्वार की किसी प्रक्रिया, संक्रिया अथवा अन्य कार्य में अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्य श्रम आयुक्त को यह निदेश भी देना होगा कि वह इस प्रश्न की जांच करे कि क्या भैल, हरिद्वार में प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसी प्रकार का कार्य ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों द्वारा भी किया जाता है।

7. रिट पिटीशन सं० 9249/83 में पिटीशनर लाल झंडा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मजदूर यूनियन, पानीपत के कर्मचारी हैं। उन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पानीपत के संबंध में वैसे ही अनुतोषों की याचना की है जैसे कि भैल वाले मामले में की गई है। यह पिटीशन भी हरियाणा राज्य एवं हरियाणा राज्य में कृत्यशील समुचित प्राधिकारी को ऐसे निदेशों के अध्यधीन, जो कि भैल वाले मामले में जारी किए गए हैं, खारिज किया जाता है।

रिट पिटीशन खारिज किए गए।

भू०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धनजीभाई रामजीभाई

बनाम

गुजरात राज्य

(22 जनवरी, 1985)

[न्यायाधिपति आर० एस० पाठक, ई० एस० वेंकटरामय्या
और वी० बी० एराडी]

संविधान 1950—अनुच्छेद 136—व्याप्ति—विहित परिवीक्षाकाल के बाद कर्मचारी की सेवा समाप्त—असद्भाव का अभिकथन—तथ्य के सम्बन्ध में निचले न्यायालयों के एक समान निष्कर्ष—असद्भाव का अभाव—उच्चतम न्यायालय तथ्य सम्बन्धी निष्कर्ष में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए बहुत ठोस कारण न हों।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 311(2)—सेवा के समाप्त किए जाने का औचित्य—अपीलार्थी का दो वर्ष के परिवीक्षा-काल पर नियुक्त किया जाना—परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर भी अपीलार्थी का सेवा में बने रहना—अपीलार्थी की सेवा समाप्त की जानी—अपीलार्थी को परिवीक्षा की प्रारम्भिक अवधि के बाद सेवा में बने रहने के कारण सेवा में पुष्टि का अधिकार नहीं मिल जाता है और यदि सेवा समाप्ति के आदेश में कोई कलंक नहीं लगाया है तो अनुच्छेद 311(2) लागू नहीं होगा।

अपीलार्थी को एक आदेश के द्वारा विक्रय-कर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश में यह कथन किया गया था कि नियुक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर है। दो वर्षों की परिवीक्षा की अवधि समाप्त हो गई और अपीलार्थी सेवा में बना रहा किन्तु उसकी नियुक्ति को पुष्ट करने के लिए कोई आदेश नहीं किया गया। बाद में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अपीलार्थी ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल किया किन्तु उसे खारिज कर दिया गया। अपील न्यायपीठ अभिलेख पर सामग्री की परीक्षा करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि असद्भाव का अभिकथन निराधार है। इसके निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। अपील खारिज करते हुए,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—जहां कि तथ्यों का निष्कर्ष उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथमतः निकाला गया है, और उसके पश्चात् उच्च न्यायालय की अपील न्यायपीठ द्वारा अपील में उसे पुष्ट किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय को तब तक निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए बहुत ठोस कारण न हों। (पैरा 5)

जब कि नियुक्ति के आदेश में यह कथन किया गया है कि पिटीशनर दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा, यह भर्ती नियमों के नियम 5 के अनुरूप है जिसमें परिवीक्षा की ऐसी अवधि विहित है। नियम में विनिर्दिष्ट दो वर्षों की कालावधि मात्र एक प्रारम्भिक कालावधि है जिसके लिए किसी अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जा सकेगा। जैसा कि उसी नियम की शर्तें उपदर्शित करती हैं, परिवीक्षा की कालावधि बढ़ाई जा सकेगी। दो वर्षों की कालावधि परिवीक्षा की अधिकतम कालावधि को नहीं दर्शाती। (पैरा 6)

यह दलील भ्रामक है कि चूंकि कोई नियम परिवीक्षा की कालावधि का विस्तार करने के लिए किसी रीति को उपदर्शित करने हेतु विरचित नहीं किए गए हैं, परिवीक्षा की कालावधि को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। परिवीक्षाकाल बढ़ाने की शक्ति उस रीति से भ्रमित नहीं होनी चाहिए जिसमें विस्तार किया जा सकता है। एक शक्ति से सम्बन्धित है दूसरा मात्र प्रक्रिया से। मात्र इसलिए कि प्रक्रियात्मक नियम नहीं बनाए गए हैं, इससे शक्ति को नकारना विवक्षित नहीं है। ऐसे नियमों के न होने की दशा में यह पर्याप्त है कि शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और उचित रूप से किया जाए, जिसमें कि उस सन्दर्भ को ध्यान में रखा गया हो जिसमें कि शक्ति प्रदत्त की गई थी। (पैरा 7)

राज्य सरकार के लिए इस बात की छूट थी कि वह अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा के संपूर्ण अभिलेख पर विचार करे और इस बात का अवधारण करे कि क्या वह पुष्टि के लिए योग्य है या उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिएं। अपीलार्थी को केवल इसलिए पुष्ट होने का कोई अधिकार नहीं था कि उसने दो वर्षों की परिवीक्षा की कालावधि पूरी कर ली थी और अपेक्षित परीक्षाएं पास कर ली थीं और विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। (पैरा 8)

यह बात पूर्णतः सम्भव है कि परिवीक्षा की प्रारम्भिक कालावधि के दौरान पुष्टि प्राधिकारी इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हो कि क्या अभ्यर्थी को पुष्ट किया जाना चाहिए या उसकी सेवाएं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समाप्त की जानी चाहिएं। ऐसे अभ्यर्थी को पुष्टि प्राधिकारी को एक निश्चित राय में पहुंचने के लिए अनुज्ञात करने हेतु दो वर्षों की प्रारम्भिक कालावधि से परे बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अभ्यर्थी को पुष्टि का बृहत अधिकार प्राप्त है, यदि उसे परिवीक्षा की प्रारम्भिक कालावधि के बाद बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। (पैरा 11)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1977 की सिविल अपील सं० 2480.

1976 की लैटर्स पेटेंट अपील सं० 232 में गुजरात उच्च न्यायालय के तारीख 28 मार्च, 1977 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... सर्वश्री आर० एन० करंजावाला और पी० एच० पारेख

प्रत्यर्थियों की ओर से ... सर्वश्री एम० एन० फड़के, एस० सी० पटेल और आर० एन० पोद्दार

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने दिया।

न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी—

विशेष इजाजत लेकर की गई यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपनी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में फाइल किए गए रिट पिटीशन से उद्भूत हुई है।

2. अपीलार्थी तारीख 22 मार्च, 1972 वाले एक आदेश द्वारा विक्रय-कर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश में यह कथन किया गया था कि नियुक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर है। दो वर्षों की कालावधि समाप्त हो गई और अपीलार्थी सेवा में बना रहा और उसकी नियुक्ति को पुष्ट करने के लिए कोई आदेश नहीं किया गया। अपीलार्थी की सेवाएं 31 मार्च, 1975 को समाप्त कर दी गईं।

3. अपनी सेवाओं की समाप्ति से व्यथित अपीलार्थी ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल किया। किन्तु 21 अप्रैल, 1976 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट पिटीशन खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा एक अपील फाइल की गई और उच्च न्यायालय की अपील खण्ड न्यायपीठ ने अपने 28 मार्च, 1977 के निर्णय और आदेश के द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. इस अपील में हमारे समक्ष तीन मुद्दे उठाए गए हैं। प्रथम दलील यह है कि अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने वाला आदेश असद्भावपूर्वक पारित किया गया था और दूसरी यह है कि परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर अपीलार्थी को पुष्ट समझा जाना चाहिए था और चूंकि उसकी सेवाओं को अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) का अनुपालन किए बिना समाप्त किया गया है, इसलिए आदेश अविधिमान्य है। अन्तिम दलील यह है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अतिक्रमण किया गया था, क्योंकि प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर अपीलार्थी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में भी सेवाएं समाप्त किए जाने से पूर्व सुने जाने का हकदार था।

5. प्रथम दलील के सम्बन्ध में विद्वान् एकल न्यायाधीश तथा अपील न्यायपीठ ने अभिलेख पर की सामग्री की परीक्षा की और दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असद्भाव का अभिकथन निराधार है। अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने हमें अभिलेख दिखाए और यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि अपीलार्थी ने अपने कर्तव्यों का सक्षमता और सत्यनिष्ठा के साथ निर्वहन किया है और उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए कोई कारण नहीं था। बहुत-सी बातें विशेष इजाजत पिटीशन में, जो इस न्यायालय में फाइल किया गया, उस प्राख्यान के समर्थन में उपवर्णित की गईं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सारतः वे अभिकथन अपीलार्थी ने अपने रिट पिटीशन में भी उपवर्णित किए हैं किन्तु राज्य सरकार द्वारा उत्तर में फाइल किसी शपथ-पत्र में उन अभिकथनों से इनकार किया गया है। इसके प्रतिकूल यह प्राख्यान किया गया था कि अपीलार्थी की सेवाएं पूर्णतः उसके असन्तोषजनक अभिलेख के कारण समाप्त की गई थीं और कि आदेश किसी अवैधता या अनुचितता से दूषित नहीं था। असद्भाव के अभिवाक् के समर्थन में अपीलार्थी ने यह अभिकथन किया कि उसकी सेवाएं इसलिए समाप्त की गई हैं चूंकि उसने निर्धारिती मैसर्स श्रीराज एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाइयां की थीं जिसे, अपीलार्थी के अनुसार, राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ था और प्राधिकारियों पर उसका प्रभाव था। इस अभिकथन का प्रतिशपथ-पत्र में प्रत्याख्यान किया गया है। विशेष इजाजत पिटीशन की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई गोपनीय जांच के सम्बन्ध में रिट पिटीशन में अभिकथित तथ्यों से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट शपथ-पत्र फाइल करने का निदेश दिया। उत्तर में फाइल किया गया शपथ-पत्र इस बात को स्वीकार करता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त निर्धारिती की शिकायत पर एक जांच आरम्भ की गई थी किन्तु उसमें यह कहा गया है कि सम्बन्धित मन्त्रियों की ओर से कोई असद्भाव नहीं था और कि उस जांच के सम्बन्ध में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिलेख का परिशीलन करने पर ऐसा पता चलता है कि असद्भाव का अभिकथन पूर्णतः निराधार है। हमने ध्यानपूर्वक मामले पर विचार किया है और हमें उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से भिन्न होने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पता चलता कि असद्भाव का अभिकथन सिद्ध नहीं हुआ है। हम यह मत व्यक्त करना अपेक्षित समझते हैं कि जहां कि तथ्यों का निष्कर्ष उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथमतः निकाला गया है, और उसके पश्चात् उच्च न्यायालय की अपील न्यायपीठ द्वारा अपील में उसे पुष्ट किया गया है, इस न्यायालय को तब तक निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए बहुत पक्का कारण न हो।

6. अपीलार्थी की ओर से दूसरी दलील यह है कि अपीलार्थी को पुष्ट हुआ समझा जाना चाहिए क्योंकि उसे नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट दो वर्षों की परिवीक्षा की कालावधि के पश्चात् भी सेवा में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया गया था। हमारी राय है कि जबकि नियुक्ति के आदेश में यह कथन किया गया है कि पिटीशनर दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा, यह भर्ती नियमों के नियम 5 के अनुरूप है जिसमें परिवीक्षा की ऐसी अवधि विहित है। नियम में आगे यह कहा गया है कि यह परिवीक्षा की कालावधि नियमों के अनुसरण में बढ़ाई जा सकेगी। नियम में विनिर्दिष्ट दो वर्षों की कालावधि मात्र एक प्रारम्भिक कालावधि है जिसके लिए किसी अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जा सकेगा। जैसा कि उसी नियम की शर्तें उपदर्शित करती हैं, परिवीक्षा की कालावधि बढ़ाई जा सकेगी। दो वर्षों की कालावधि परिवीक्षा की अधिकतम कालावधि को नहीं दर्शाती।

7. आगे कहा गया है कि चूंकि कोई नियम परिवीक्षा की कालावधि का विस्तार करने के लिए किसी रीति को उपदर्शित करने हेतु विरचित नहीं किए गए हैं, परिवीक्षा की कालावधि को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। यह दलील भ्रामक है। परिवीक्षा की कालावधि को बढ़ाने की शक्ति उस रीति से भ्रमित नहीं होनी चाहिए जिसमें कि विस्तार किया जा सकता है। एक शक्ति से सम्बन्धित है दूसरा मात्र प्रक्रिया से। मात्र इसलिए कि प्रक्रियात्मक नियम नहीं बनाए गए हैं, इससे शक्ति को नकारना विवक्षित नहीं है। ऐसे नियमों के न होने की दशा में यह पर्याप्त है कि शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और उचित रूप से किया गया है जिसमें कि उस संदर्भ को ध्यान में रखा गया है जिसमें कि शक्ति प्रदत्त की गई थी।

8. इसके पश्चात् यह दलील दी गई कि अपीलार्थी को परिवीक्षा की दो वर्षों की समाप्ति पर और अर्हता मापदण्ड और उसके द्वारा लिए गए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, पुष्ट होने की विधिसम्मत प्रत्याशा थी। हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं। राज्य सरकार के लिए इस बात की छूट थी कि वह अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा के संपूर्ण अभिलेख पर विचार करे और इस बात का अवधारण करे कि क्या वह पुष्टि के योग्य है या उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिएं। अपीलार्थी में केवल इसलिए पुष्ट होने का कोई अधिकार नहीं था कि उसने दो वर्षों की परिवीक्षा की कालावधि पूरी कर ली थी और अपेक्षित परीक्षाएं पास कर ली थीं और विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। पुष्टि का कर्तव्य सेवा में स्थायी आमेलन के लिए कर्मचारी की कुल उपयुक्तता पर स्थायी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्णय के प्रयोग को विवक्षित करता है।

9. द्वितीय दलील भी नामंजूर की जानी चाहिए।

10. अन्तिम दलील यह है कि अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व उसकी सुनवाई की जानी चाहिए थी। सेवा समाप्ति के आदेश में कोई कलंक अन्तर्वलित नहीं है या अपीलार्थी पर अवचार का कोई आरोप नहीं है। यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपीलार्थी की सेवाएं इसलिए समाप्त कर दीं क्योंकि मैसर्स श्रीराज एण्ड कम्पनी द्वारा उसके विरुद्ध शिकायत की गई थी जिसके मामले पर उसने कार्यवाही की थी और यह कि अपीलार्थी को यह दर्शाने के लिए सुनवाई की जानी चाहिए थी कि शिकायत के लिए कोई आधार नहीं था। इस दलील में सार होता यदि अपीलार्थी की सेवाएं मैसर्स श्रीराज एण्ड कम्पनी के मामले के सम्बन्ध में किए गए कदाचार के आधार पर समाप्त की गई होतीं। इसके प्रतिकूल हमारे समक्ष अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की सेवाएं सेवा के उसके अभिलेख के संपूर्ण मूल्यांकन के कारण समाप्त की गई थीं जिसमें उसे सेवा में आमेलित किए जाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था।

11. एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं दो वर्षों की कालावधि की समाप्ति पर समाप्त की गई हैं, और एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसने दो वर्षों की सामान्य कालावधि पूरी कर ली है और जिसकी सेवाएं सेवा की और कालावधि में की गई सेवा के पश्चात् कुछ समय बाद समाप्त की गई थी, के बीच अन्तर किया गया। हम ऐसा कोई प्रभेद देखने में असमर्थ हैं। यह बात पूर्णतः संभव है कि परिवीक्षा की प्रारंभिक कालावधि के दौरान पुष्टि प्राधिकारी इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हो कि क्या अभ्यर्थी को पुष्ट किया जाना चाहिए या उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। ऐसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिलेख का परिशीलन करने पर ऐसा पता चलता है कि असद्भाव का अभिकथन पूर्णतः निराधार है। हमने ध्यानपूर्वक मामले पर विचार किया है और हमें उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से भिन्न होने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पता चलता कि असद्भाव का अभिकथन सिद्ध नहीं हुआ है। हम यह मत व्यक्त करना अपेक्षित समझते हैं कि जहां कि तथ्यों का निष्कर्ष उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथमतः निकाला गया है, और उसके पश्चात् उच्च न्यायालय की अपील न्यायपीठ द्वारा अपील में उसे पुष्ट किया गया है, इस न्यायालय को तब तक निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए बहुत पक्का कारण न हो।

6. अपीलार्थी की ओर से दूसरी दलील यह है कि अपीलार्थी को पुष्ट हुआ समझा जाना चाहिए क्योंकि उसे नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट दो वर्षों की परिवीक्षा की कालावधि के पश्चात् भी सेवा में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया गया था। हमारी राय है कि जबकि नियुक्ति के आदेश में यह कथन किया गया है कि पिटीशनर दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा, यह भर्ती नियमों के नियम 5 के अनुरूप है जिसमें परिवीक्षा की ऐसी अवधि विहित है। नियम में आगे यह कहा गया है कि यह परिवीक्षा की कालावधि नियमों के अनुसरण में बढ़ाई जा सकेगी। नियम में विनिर्दिष्ट दो वर्षों की कालावधि मात्र एक प्रारम्भिक कालावधि है जिसके लिए किसी अधिकारी को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जा सकेगा। जैसा कि उसी नियम की शर्तें उपदर्शित करती हैं, परिवीक्षा की कालावधि बढ़ाई जा सकेगी। दो वर्षों की कालावधि परिवीक्षा की अधिकतम कालावधि को नहीं दर्शाती।

7. आगे कहा गया है कि चूंकि कोई नियम परिवीक्षा की कालावधि का विस्तार करने के लिए किसी रीति को उपदर्शित करने हेतु विरचित नहीं किए गए हैं, परिवीक्षा की कालावधि को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। यह दलील भ्रामक है। परिवीक्षा की कालावधि को बढ़ाने की शक्ति उस रीति से भ्रमित नहीं होनी चाहिए जिसमें कि विस्तार किया जा सकता है। एक शक्ति से सम्बन्धित है दूसरा मात्र प्रक्रिया से। मात्र इसलिए कि प्रक्रियात्मक नियम नहीं बनाए गए हैं, इससे शक्ति को नकारना विवक्षित नहीं है। ऐसे नियमों के न होने की दशा में यह पर्याप्त है कि शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और उचित रूप से किया गया है जिसमें कि उस संदर्भ को ध्यान में रखा गया है जिसमें कि शक्ति प्रदत्त की गई थी।

8. इसके पश्चात् यह दलील दी गई कि अपीलार्थी को परिवीक्षा की दो वर्षों की समाप्ति पर और अर्हता मापदण्ड और उसके द्वारा लिए गए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, पुष्ट होने की विधिसम्मत प्रत्याशा थी। हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं। राज्य सरकार के लिए इस बात की छूट थी कि वह अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा के संपूर्ण अभिलेख पर विचार करे और इस बात का अवधारण करे कि क्या वह पुष्टि के योग्य है या उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिएं। अपीलार्थी में केवल इसलिए पुष्ट होने का कोई अधिकार नहीं था कि उसने दो वर्षों की परिवीक्षा की कालावधि पूरी कर ली थी और अपेक्षित परीक्षाएं पास कर ली थीं और विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। पुष्टि का कर्तव्य सेवा में स्थायी आमेलन के लिए कर्मचारी की कुल उपयुक्तता पर स्थायी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्णय के प्रयोग को विवक्षित करता है।

9. द्वितीय दलील भी नामंजूर की जानी चाहिए।

10. अन्तिम दलील यह है कि अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त करने से पूर्व उसकी सुनवाई की जानी चाहिए थी। सेवा समाप्ति के आदेश में कोई कलंक अन्तर्वलित नहीं है या अपीलार्थी पर अवचार का कोई आरोप नहीं है। यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपीलार्थी की सेवाएं इसलिए समाप्त कर दीं क्योंकि मैसर्स श्रीराज एण्ड कम्पनी द्वारा उसके विरुद्ध शिकायत की गई थी जिसके मामले पर उसने कार्यवाही की थी और यह कि अपीलार्थी की यह दर्शाने के लिए सुनवाई की जानी चाहिए थी कि शिकायत के लिए कोई आधार नहीं था। इस दलील में सार होता यदि अपीलार्थी की सेवाएं मैसर्स श्रीराज एण्ड कम्पनी के मामले के सम्बन्ध में किए गए कदाचार के आधार पर समाप्त की गई होतीं। इसके प्रतिकूल हमारे समक्ष अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की सेवाएं सेवा के उसके अभिलेख के संपूर्ण मूल्यांकन के कारण समाप्त की गई थीं जिसमें उसे सेवा में आमेलित किए जाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था।

11. एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं दो वर्षों की कालावधि की समाप्ति पर समाप्त की गई हैं, और एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसने दो वर्षों की सामान्य कालावधि पूरी कर ली है और जिसकी सेवाएं सेवा की और कालावधि में की गई सेवा के पश्चात् कुछ समय बाद समाप्त की गई थी, के बीच अन्तर किया गया। हम ऐसा कोई प्रभेद देखने में असमर्थ हैं। यह बात पूर्णतः संभव है कि परिवीक्षा की प्रारंभिक कालावधि के दौरान पुष्टि प्राधिकारी इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हो कि क्या अभ्यर्थी को पुष्ट किया जाना चाहिए या उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। ऐसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभ्यर्थी को पुष्टि प्राधिकारी को एक निश्चित राय पर पहुंचने के लिए अनुज्ञात करने हेतु दो वर्षों की प्रारंभिक कालावधि के बाद बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। हमें यह अभिनिर्धारित करना कठिन प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी को पुष्टि का बृहत्त अधिकार प्राप्त है यदि उसे परिवीक्षा की प्रारंभिक कालावधि के वाद सेवा में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

12. हमारे विचार से इस अपील में कोई बल नहीं है और यह खारिज की जाती है और इन परिस्थितियों में खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

सरोहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

राम सागर यादव और अन्य

(22 जनवरी, 1985)

(मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़ और
न्यायाधिपति अमरेन्द्र नाथ सेन)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)—धारा 32(1)—मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यिक महत्व—अभियुक्त को मिथ्या आरोप लगाकर पुलिस थाने में गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई जाना, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाना—कोई अन्य साक्ष्य उपलभ्य न होना—मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक कथन किया जाना—यदि मृत्युकालिक कथन परिस्थितियों के आधार पर असत्य नहीं है तो ऐसे कथन के आधार पर संपुष्टि के बिना कार्यवाही की जा सकती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)—धारा 32(1)—मृत्युकालिक कथन के बारे में सबूत का भार—पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पुलिस थाने ले जाया जाना और उसकी निर्दयतापूर्वक मारपीट की जाना तथा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किए जाने से मृत्यु—उक्त व्यक्ति के संबंध में किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य न होना—अन्य सिपाहियों द्वारा इस विषय में मौन रहना अथवा तथ्यों के संबंध में कोई कथन न किया जाना—विधानमंडल का यह कर्तव्य है कि वह सबूत के भार संबंधी विधि की पुनः परीक्षा करे।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)—धारा 300—हत्या के मामले में साक्ष्य और सबूत—मिथ्या आरोप पर निर्दयतापूर्वक पिटाई करना और अभिलेख में यह दिखाना कि पुलिस अधिकारी वहां नहीं था—वास्तविक कारण पुलिस के सिपाही द्वारा रिश्वत की मांग होना—यह हत्या से भिन्न मामला नहीं है और सम्बद्ध पुलिस थाने की थानेदार और सम्बद्ध सिपाही दोषी हैं।

पद्धति और प्रक्रिया—अन्तर्वलित प्रश्न के विषय में अभिलेख द्वारा अननुपातिक रूप धारण कर लिया जाना—न्यायालय का कर्तव्य—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साक्ष्य की परीक्षा में बाल की खाल उतारने की उपेक्षा की जानी चाहिए ।

इस मामले में प्रत्यर्थी एक पुलिस थाने का थानेदार तथा सिपाही थे । एक ग्रामीण व्यक्ति की शिकायत पर कि उसके खेतों में पशु द्वारा अतिचार किया गया था, एक सिपाही ने मृतक से कुछ रिश्वत ऐंठ ली और बाद में पुनः अतिरिक्त राशि की मांग की । मृतक ने उस राशि का संदाय करने से इनकार कर दिया और उस सिपाही के बारे में पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक परिवाद किया । मृतक के दुःसाहस से आग-बबूला होकर सिपाही उसे पैदल पुलिस थाने ले गया ताकि उसे सबक सिखाया जा सके । उसके दो घण्टे बाद मृतक को पुलिस गाड़ी में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिप्रेषित किए जाने के लिए क्षतिग्रस्त अवस्था में ले जाया गया और अन्ततः वह उन क्षतियों का शिकार हो गया । जबकि सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अधीन सिद्धदोष किया, उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया । इस पर राज्य ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—इस मामले में जो संकुचित प्रश्न अन्तर्वलित है, उसे देखते हुए इस मामले का अभिलेख अननुपातिक रूप से भारी-भरकम है । यह कोई अप्रायिक अनुभव नहीं है कि जब किसी न्यायाधीश को सुसंगत तथा विसंगत गढ़ी हुई अत्यधिक दत्त सामग्री का सामना करना पड़ता है, तो वह तथ्यों के वृक्षों को जंगल समझ बैठता है । ऐसे मामलों में यह आवश्यक हो जाता है कि मामले के केन्द्र-बिन्दु को ढूंढ निकाला जाए और उस साक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जो कि उस प्रश्न से सम्बन्धित है । जितना ही कोई न्यायाधीश निरर्थक ब्यौरों में उलझ जाता है, उतना ही अधिक इस बात की अधिसंभाव्यता हो जाती है कि वह उस साक्ष्य से भटक जाएगा जो कि विवाद्यक का सारांश प्रस्तुत कर सकता है । उच्च न्यायालय ने मामले के प्रमुख लक्षणों को नजरअन्दाज कर दिया था अथवा उन्हें गलत समझ लिया था, जिसके परिणामस्वरूप साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय वह बाल की खाल उतारने के रूप में चर्चा करने लगता है । (पैरा 5)

यह सुस्थिर है कि विधि की दृष्टि से किसी मृत्युकालिक कथन पर उसकी संपुष्टि किए बिना कार्यवाही की जा सकती है । ऐसा कोई प्रज्ञापूर्ण नियम भी नहीं है जो कि विधि के नियम का सुदृढ़ रूप धारण कर चुका हो कि किसी मृत्युकालिक कथन पर तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी संपुष्टि न कर दी जाए । न्यायालय की प्राथमिक कोशिश यह रहती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है कि वह इस बात का पता लगाए कि क्या मृत्युकालिक कथन सत्य था या नहीं। यदि सत्य है तो संपुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल तब जबकि मृत्युकालिक कथन की परिवेशी परिस्थितियां स्पष्ट न हों, अथवा वे आश्वासन प्रदान न करती हों कि न्यायालय अपना आश्वासन करने के लिए मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि के बारे में पता लगाने का प्रयत्न करता है। यह मामला मामले के उस वर्ग का एक विशिष्ट दृष्टांत है और न्यायालय को किसी असंपुष्ट मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। मृतक के सम्बन्ध में ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं था कि वह सिपाहियों को उसे मार-पीट करने के लिए मिथ्या फंसाया। इस बात की भी कोई सम्भाव्यता नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति ने उसे सिखाया हो और इसका सीधा-सा कारण यह है कि वह पुलिस थाने के सिपाहियों की अनन्य अभिरक्षा में रहा था। वास्तव में तो प्रत्यर्थी ऐसी स्थिति में थे कि वे उस पर प्रभाव डाल सकते थे।। कोई अन्य व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं सकता था और यह एक ऐसा तथ्य है जो न केवल उसके सिखाए जाने की संभाव्यता को अपवर्जित करता है बल्कि जो इस संभाव्यता को भी अपवर्जित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने मारा-पीटा था। इस मामले की परिस्थितियां इस विषय में कोई सन्देह नहीं छोड़तीं कि मृतक द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब उसे क्षतिग्रस्त अवस्था में प्रतिप्रेषण के लिए उनके समक्ष लाया गया, जो मृत्युकालिक कथन किया गया था, वह प्रत्येक पहलू से सही है। उस कथन को स्वीकार करना उचित है जो कि मृतक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष किया था अर्थात् यह कि उसे पुलिस थाने के 'दरोगा और सिपाहियों' द्वारा मारा-पीटा गया था। (पैरा 13)

इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि पुलिस के सिपाही दरोगा की मौनानुकूलता, सम्मति अथवा संपुष्टि के बिना पुलिस थाने में निर्मम रूप से किसी अभियुक्त की मार-पीट करेंगे। यहां पुलिस थाना भी इतना बड़ा थाना नहीं है कि दरोगा को इस बात का पता ही न चले कि उसकी उपस्थिति के दौरान वहां क्या हो रहा है। (पैरा 14)

यह खेदजनक है कि सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष किए जाने की बजाय उन्हें धारा 304 के अधीन सिद्धदोष किया है। हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध की प्रायः अवहेलना कर दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी-पुलिस अधिकारियों जैसे निर्योग्य अपराधियों के पक्ष में अनुचित स्वाधीनता आविर्भूत हो जाती है। दण्ड संहिता की धारा 300 में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वर्णित पांच अपवादों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, आपराधिक मानव-वध हत्या की कोटि में आता है यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है अथवा यदि वह कार्य धारा 300 के तीन खण्डों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आता है। इस मामले में मृतक को जो क्षतियां पहुंची थीं वे धारा 300 के दूसरे खण्ड के अधीन हैं क्योंकि वह कार्य, जिसके कारण उसकी मृत्यु कारित की गई थी, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया था जिसके बारे में प्रत्यर्थी यह जानते थे कि उससे उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। किन्तु इस विषय पर कोई विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य ने सेशन न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध ऐसी कोई मांग करते हुए अपील फाइल नहीं की थी कि प्रत्यर्थियों को दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष किया जाना चाहिए। (पैरा 19)

केवल पुलिस अधिकारी ही, न कि कोई अन्य व्यक्ति, उन परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य पेश कर सकता है जिसमें कि विद्यमान किसी व्यक्ति को उनकी अभिरक्षा में रहते हुए क्षतियां पहुंचती हैं। बंधुत्व जैसे बंधनों से आबद्ध, वे प्रायः ऐसी स्थितियों में मूक रहना बेहतर समझते हैं और जब कभी वे बोलना उचित समझते हैं तो वे तथ्यों पर अपना मलम्मा चढ़ा देते हैं और सच्चाई का दुरुपयोजन करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्ति जिन पर नृशंसताएं पुलिस थाने के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कारित की जाती हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन अपराधियों के किसी साक्ष्य को साबित करने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे मामलों में सबूत के भार से सम्बन्धित विधि की विधानमण्डल द्वारा पुनः जांच की जानी चाहिए जिससे कि विधि और व्यवस्था का पालन करने वाले अपने प्राधिकार और अवसरों का उपयोग निर्दोष नागरिकों को प्रपीड़न करने के लिए न कर सकें जो कि उनसे संरक्षा की अपेक्षा करते हैं। (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1972]	(1972) 3 एस० सी० सी० 268 : **गोपाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य;**	13
[1962]	(1962) सप्ली० 1 एस० सी० आर० 104 : **हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य;**	13

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1958] [1958] एस० सी० आर० 552 :
खुशाल राव बनाम मुम्बई राज्य 13

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1975 की दाण्डिक अपील सं० 69.

1973 की दाण्डिक अपील सं० 269 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 13 मई, 1974 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील।

अपीलार्थी की ओर से ... सर्वश्री एम० आर० शर्मा, दलबीर भंडारी, एच० एम० सिंह और कुमारी रचना जोशी

प्रत्यर्थियों की ओर से ... सर्वश्री आर० के० गर्ग, वी० जे० फ्रांसिस और एन० एम० पोपली

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़ ने दिया।

मुख्य न्यायाधिपति चन्द्रचूड़—

यह अपील उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसके द्वारा चार प्रत्यर्थियों के खिलाफ विद्वान् सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश संबंधी आदेश अपास्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी सं० 1 और 2-अर्थात् राम सागर यादव और शोभा नाथ उर्फ पुजारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा सिद्धदोष किया गया था और उन दोनों को सात वर्ष के कठिन कारावास द्वारा दण्डादिष्ट किया गया था। प्रत्यर्थी सं० 1 को व्याभिचारिक रूप से एक व्यक्ति को परिरुद्ध रखने के लिए दण्ड संहिता की धारा 220 के अधीन भी सिद्धदोष किया गया था और उसे पांच वर्ष के कठिन कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था। प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, भाग 2 के अधीन सिद्धदोष किया गया था और उन्हें तीन वर्ष के कठिन कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था।

2. प्रत्यर्थी सं० 1, राम सागर यादव हुसैनगंज पुलिस थाना, जिला फतेहपुर का थानेदार (एस० एच० ओ०) था, जबकि शेष तीन प्रत्यर्थी उस पुलिस थाने में सिपाही के रूप में कार्यरत थे। 29 अगस्त, 1969 की प्रातः प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 हैबतपुर नामक गांव में गए और उन्होंने मृतक बृज लाल को गिरफ्तार कर लिया और उसे लगभग 10.00 बजे प्रातः पुलिस थाने में ले आए। बृज लाल की मृत्यु उसी दिन लगभग 6.00 बजे सायं उन क्षतियों के परिणामस्वरूप हो गई, जो कि उसे पुलिस थाने में लाए जाने के समय से लेकर 29 अगस्त की पूर्वाह्न पर्यन्त पहुंची थीं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3. अभियोजन-पक्ष का मामला यह है कि प्रत्यर्थी एक ऐसे परिवाद के सम्बन्ध में जो कि बृज लाल के विरुद्ध फाहीमान फकीरिन नामक एक व्यक्ति द्वारा पशुओं के अतिचार के लिए फाइल किया गया था, बृज लाल से अवैध परितोषण ऐंठना चाहते थे। प्रत्यर्थी सं० 2, शोभा नाथ बृज लाल से इस आश्वासन सहित 10 रुपए की राशि अभिप्राप्त करने में सफल हो गया था कि उस परिवाद के सिलसिले में उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे। प्रत्यर्थी सं० 2 ने बृज लाल से उस मामले को दबाने के लिए 200 रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की, किन्तु बृज लाल ने उसके संदाय करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद 7 अगस्त, 1969 को उसने एक परिवाद (प्रदर्श क-2) पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के नाम भेजा, जिसमें यह परिवाद किया गया था कि प्रत्यर्थी सं० 2, जो कि हुसैनगंज पुलिस थाने का एक सिपाही था, द्वारा उससे रिश्वत की मांग की जा रही थी। वह परिवाद पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्यर्थी सं० 1 को जांच करने तथा रिपोर्ट भेजने के लिए अग्रेषित कर दिया गया। अपने भारसाधन के अधीन एक सिपाही के खिलाफ शिकायत करके बृज लाल ने जो दुःसाहस दिखया था, उससे भड़क कर प्रत्यर्थी सं० 1 ने प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 को बृज लाल को थाने में लाने के लिए भेजा जिससे कि उसे सबक सिखाया जा सके। यह बृज लाल की गिरफ्तारी का कारण है। फाहीमन फकीरिन के परिवाद के अलावा कि बृज लाल के बैल ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी, उसके विरुद्ध कोई परिवाद अथवा आरोप नहीं था।

4. हमने यह अपील युक्तियुक्त विस्तारपूर्वक सुनी है और श्री एम० आर० शर्मा, जो कि अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं तथा श्री आर० के० गर्ग, जो प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए हैं, दोनों ने हमें सुसंगत साक्ष्य का परायण कराया है एवं उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय के निर्णयों से अवगत कराया है। उस साक्ष्य पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखना असंभव है। इसमें उस तात्त्विक साक्ष्य को सर्वथा नजरअन्दाज कर दिया गया है, जो कि उसके मामले में अभियोजन-पक्ष द्वारा पेश किया गया था और निसंदिग्ध तथ्यों का अवास्तविक दृष्टिकोण अपनाते हुए, हमें यह सादर कहना है कि इसमें तो विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों तक के प्रति निर्देश नहीं किया गया जो कि उसके इस निष्कर्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए गए थे कि प्रत्यर्थी ऐसे अपराधों के दोषी थे जिनसे कि उन्हें सिद्धदोष किया गया था।

5. इस मामले में जो संकुचित प्रश्न अन्तर्वलित है उसे देखते हुए इस मामले का अभिलेख अननुपातिक रूप से भारी-भरकम है। यह कोई अप्रायिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुभव नहीं है कि जब किसी न्यायाधीश को सुसंगत तथा विसंगत गढ़ी हुई अत्यधिक दत्त सामग्री का सामना करना पड़ता है, तो तथ्यों के वृक्षों को जंगल समझ बैठता है। ऐसे मामलों में यह आवश्यक हो जाता है कि मामले के केन्द्र-बिन्दू को ढूंढ निकाला जाए और उस साक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जो कि उस प्रश्न से संबंधित है। छोटे-मोटे ब्यौरे जो कि वास्तविक विवाद्यक को धुंधला बना देते हैं और साक्ष्य में छोटी-मोटी विषमताएं जो कि ऐसी अवस्था में अनिवार्य हो जाती हैं, जबकि किसी कथन का वर्णन किसी गंभीर अपराध के दबाव के अधीन किया जाता है, तो इससे न्याय के तराजू को असंतुलित होने नहीं दिया जाना चाहिए। जितना ही कोई न्यायाधीश निरर्थक ब्यौरों में उलझ जाता है, उतना ही अधिक इस बात की अधिसंभाव्यता हो जाती है कि वह उस साक्ष्य से भटक जाएगा जो कि विवाद्यक का सारांश प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने मामले के प्रमुख लक्षणों को नजरअन्दाज कर दिया था अथवा उन्हें गलत समझ लिया था, जिसके परिणामस्वरूप साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय वह बाल की खाल उतारने के रूप में चर्चा करने लगता है।

6. हम यह प्रस्थापना नहीं करते कि जो यथार्थ रूप से आवश्यक है उससे हम अधिक विचार-विमर्श करें, क्योंकि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभियोजन-पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर केवल एक ही निष्कर्ष संभव है जो यह है कि प्रत्यर्थियों ने बृज लाल को उस समय क्षतियां पहुंचाई थीं जबकि वह उनकी अभिरक्षा में था और इससे उसकी मृत्यु हो गई थी।

7. 29 अगस्त, 1969 को प्रातः बृज लाल भला-चंगा था। जब प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 उसे गिरफ्तार करने के लिए हैबतपुर पहुंचे तो वह अपने खेत में हल चला रहा था। वे उसे हुसैनगंज पुलिस थाने पैदल ले गए जो कि हैबतपुर से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। वे प्रातः 10.00 बजे पुलिस थाने पहुंचे। उसके दो घण्टे पश्चात्, बृज लाल को एक पुलिस की गाड़ी में उसका प्रतिप्रेषण किए जाने के लिए विद्वान् अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले जाया गया। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० निगम ने प्रतिप्रेषण आवेदनों की विस्तृत सूची अभी समाप्त ही की थी और उसके अंत में न्यायालय के मुहर्रर ने उन्हें सूचित किया कि एक अभियुक्त के खिलाफ प्रतिप्रेषण आदेश पारित किया जाना शेष है जो कि हुसैनगंज पुलिस थाने से लाया गया है और यह कि अभियुक्त उस समय न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका था क्योंकि वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में बरामदे में पड़ा हुआ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

था। श्री निगम (अभि० सा० 5) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि चूंकि अभियुक्त न्यायालय के कक्ष में नहीं लाया जा सका था, इसलिए वह स्वयं बरामदे में गया जहां कि अभियुक्त पड़ा हुआ था और उसने उससे उसका नाम पूछा। अभियुक्त पहले तो उसका उत्तर देने में असमर्थ रहा क्योंकि उसकी हालत 'अत्यन्त गंभीर' थी किन्तु बार-बार पूछे जाने पर अभियुक्त ने श्री निगम को यह बताया कि मेरा नाम बृज लाल है। यह पूछे जाने पर कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार पहुंचीं, बृज लाल ने उत्तर दिया कि "हुसैनगंज के दरोगा तथा वहां के सिपाहियों ने उसे बुरी तरह से पीटा था।" श्री निगम ने प्रतिप्रेषण आवेदन (प्रदर्श-1) में उसके द्वारा किए गए कथन का उल्लेख किया। उस आवेदन-पत्र पर श्री निगम के हस्ताक्षर मौजूद हैं और बृज लाल का अंगूठे का निशान भी है।

8. श्री निगम का साक्ष्य तात्त्विक प्रकृति का है क्योंकि यह निःसंदिग्ध रूप से यह साबित करता है कि बृज लाल के शरीर पर विस्तृत क्षतियां विद्यमान थीं और यह कि सर्वप्रथम अवसर पर ही उसने हुसैनगंज पुलिस थाने के सिपाहियों को उन क्षतियों को कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में अन्तर्वलित किया था। यह इतना सुस्पष्ट है जितना कि कोई भी तथ्य हो सकता है, कि जो क्षतियां बृज लाल के शरीर पर पाई गई थीं, वे हुसैनगंज पुलिस थाने में उसे पहुंचाई गई थीं। इस निष्कर्ष की ओर ले जाने वाली तार्किक प्रक्रिया में इने-गिने और साधारण कदम ये हैं कि बृज लाल के शरीर पर उस समय कोई क्षतियां विद्यमान नहीं थीं जब उसे प्रातः हैवतपुर में गिरफ्तार किया गया था अथवा जब उसे लगभग 10.00 बजे प्रातः पुलिस थाने लाया गया था और यह कि जब उसे प्रतिप्रेषण के लिए भेजा गया तो उसके शरीर पर बड़ी संख्या में क्षतियां विद्यमान थीं जिनके परिणामस्वरूप उसे आघात पहुंचा था। हम इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि भला कौन-सा अन्य स्पष्टीकरण युक्तियुक्त रूप से तथ्यों की इस श्रृंखला के बारे में युक्तियुक्त रूप से दिया जा सकता है कि क्षतियां बृज लाल को हुसैनगंज पुलिस थाने में तैनात सिपाहियों द्वारा पहुंचाई गई थीं। इन दोनों में से कौन-सा एक अथवा क्या दोनों ही इन क्षतियों को पहुंचाने में उत्तरदायी है या हैं, निस्सन्देह, यह विचारणीय है। किन्तु इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि बृज लाल पर उस समय हमला किया गया था जबकि वह हुसैनगंज पुलिस थाने में प्रत्यर्थियों की अभिरक्षा में था।

9. अभि० सा० 17, लक्ष्मी नारायण, जो कि हुसैनगंज पुलिस थाने में तैनात सिपाहियों में से एक था, का साक्ष्य प्रत्यर्थियों के दोष से महत्त्वपूर्ण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रूप से संबंधित है जो कि एक ऐसा पहलू है जो उच्च न्यायालय के ध्यान से बच निकला है। लक्ष्मी नारायण ने यह कहा है कि जब वह 29 अगस्त, 1969 को लगभग 10.45 बजे प्रातः पुलिस थाने गया तो प्रत्यर्थी सं० 1 अर्थात् थानेदार तथा अन्य तीन प्रत्यर्थी पुलिस थाने में मौजूद थे, कि बृज लाल पुलिस थाने की हवालात में पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था; और यह कि जब बृज लाल को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए जाने के लिए उसे उसकी अभिरक्षा में सौंपा गया तो उसकी बाहों तथा टांगों पर अनेक क्षतियां दिखाई दे रही थीं। लक्ष्मी नारायण के कथनानुसार और यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी सं० 1 भी उसके साथ और बृज लाल के साथ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गया था। हमें यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं० 1 मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कहीं भी दृश्यमान नहीं था, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि बृज लाल का मामला एक अप्रायिक मामला था क्योंकि वह एक ऐसा बंदी था, जिसके लिए उसके द्वारा उसे पहुंची क्षतियों के कारण उसकी नाजुक हालत में उसका प्रतिप्रेषण अभिप्राप्त किया जाना था। प्रत्यर्थी सं० 1, जो कि थानेदार था, बृज लाल का अभिरक्षक था और बृज लाल उसकी देखरेख में था। यह स्पष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके उपलभ्य होने की बजाय कि बृज लाल कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, उसने लक्ष्मी नारायण को मजिस्ट्रेट का सामना करने के लिए प्रतिनियुक्त करने की समीचीनता का आश्रय लिया। लक्ष्मी नारायण ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि बृज लाल ने मजिस्ट्रेट से यह कहा था कि हुसैनगंज पुलिस थाने के दरोगा तथा सिपाहियों ने उसे मारा-पीटा था।

10. यह कुख्यात है कि प्रतिप्रेषण आदेश प्रायः मनःबुद्धि का समुचित रूप से उपयोग किए बिना यंत्रवत् पारित कर दिए जाते हैं। संभवतः इसमें मजिस्ट्रेटों को दोष देना उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार के आवेदनों के अंबार दिन के नियमित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व उनके द्वारा निपटाए जाने के लिए अपेक्षित होते हैं। श्री निगम की उनकी कर्तव्यपरायणता और मानविकता के लिए सराहना करनी होगी, जो कि उन्होंने उस समय दिखाई जब वे अपना स्थान त्याग करके स्वयं बरामदे में बृज लाल जैसे साधारण ग्रामीण को देखने गये। यह प्रत्यक्ष है कि उन्होंने एक प्रायिक कथन के आधार पर प्रतिप्रेषण सम्बन्धी आदेश पारित किया था कि जो आरोप अभियुक्त पर लगाया गया था वह अभी अन्वेषणाधीन था। यहां जो महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि बृज लाल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था जिसके लिए कि उस प्रतिप्रेषित किया जा सकता था और वह तो विस्तुतः परिवादी की स्थिति में था, न कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभियुक्त की स्थिति में। प्रत्यर्थी सं० 1 उसके प्रतिप्रेषण का रचयिता था और प्रतिप्रेषण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए हेतु यह था कि बृज लाल को अभिरक्षा में रखा जाए जिससे कि वह अपने व्यक्तियों के समक्ष यह प्रकट न कर सके कि उसे किन लोगों ने पीटा था और कहां।

11. प्रतिप्रेषण आदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् बृज लाल को लगभग 3.40 बजे सायं फतेहपुर जिला कारागार में भेज दिया गया। शिव शंकर शर्मा, अभि० सा० 8, जो कि फतेहपुर कारागार का सहायक जेलर था, ने यह कहा है कि जब मैंने लगभग 3.45 बजे सायं बृज लाल की उस समय जांच की जबकि उसे कारागार में मैंने प्रविष्ट किया था, तो मैंने यह देखा कि उसके हाथों, टांगों और घुटनों में सूजन थी। बृज लाल उठने में असमर्थ था और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने शर्मा को यह बताया कि पुलिस थाने के सिपाहियों ने उसे उसके खेत में से हिरासत में ले लिया था और वे उसे पुलिस थाने ले गए थे और उसे मारा-पीटा था जिसके परिणामस्वरूप वह खड़ा होने में भी असमर्थ था। यह जानकर कि बृज लाल की अवस्था गंभीर है, उसने कारागार के चिकित्सक को बुलाया।

12. डा० एस० सी० मिश्र (अभि० सा० 21) लगभग 5.20 बजे सायं जिला कारागार में गया। उसने यह देखा कि बृज लाल के शरीर के विभिन्न भागों पर 19 क्षतियां मौजूद थीं। पूछे जाने पर बृज लाल ने लड़खड़ाती आवाज में उसे बताया कि मुझे सिपाहियों ने मारा-पीटा है। डा० मिश्र ने यह कहा कि बृज लाल की अवस्था नाजुक थी किन्तु यह कि न तो उसे ज्वर था और न ही निमोनिया के कुछ लक्षण थे। डा० मिश्र के साक्ष्य से यह साबित होता है कि बृज लाल उसे पहुंची क्षतियों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था; जो सुझाव प्रतिरक्षा-पक्ष ने यह कहकर दिया था कि उसकी मृत्यु किसी किस्म के ज्वर के कारण अथवा उसके फेफड़ों में नियोनिया की अवस्था के कारण हुई थी, सर्वथा निराधार है। उसके फेफड़ों में रक्त-संकुलता उसे मारने-पीटने के परिणामस्वरूप हुई थी।

13. यह सुस्थिर है कि विधि के दृष्टि से किसी मृत्युकालिक कथन पर उसकी संपुष्टि किए बिना कार्यवाही की जा सकती है। (देखिए **खुशाल राव** बनाम **मुम्बई राज्य**[1], **हरबंस सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] **गोपाल सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश**

[1] [1958] एस० सी० आर० 552.

[2] [1962] सप्ली० 1 एस० सी० आर० 104.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्य[1])। ऐसा कोई प्रज्ञापूर्ण नियम तक नहीं है जो कि विधि के नियम का सुदृढ़ रूप धारण कर चुका हो कि किसी मृत्युकालिक कथन पर तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी संपुष्टि न कर दी जाए। न्यायालय की प्राथमिक कोशिश यह रहती है कि वह इस बात का पता लगाए कि क्या मृत्युकालिक कथन सही था या नहीं। यदि ऐसा है तो संपुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल तब जबकि मृत्युकालिक कथन की परिवेशी परिस्थितियां स्पष्ट न हों, अथवा वे आश्वासन प्रदान न करती हों कि न्यायालय अपना आश्वासन करने के लिए मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि के बारे में पता लगाने का प्रयत्न करता है। हमारे समक्ष जो मामला है वह मामले के उस वर्ग का एक विशिष्ट दृष्टांत है और न्यायालय को किसी असंपुष्ट मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। वृज लाल के संबंध में ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं था कि वह सिपाहियों को उसे मार-पीट करने के लिए उन्हें मिथ्या फंसाता। इस बात की भी कोई संभाव्यता नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति ने उसे सिखाया हो और इसका सीधा सा कारण यह है कि वह हुसैनगंज पुलिस थाने के सिपाहियों की अनन्य अभिरक्षा में रहा था। वास्तव में तो प्रत्यर्थी ऐसी स्थिति में थे कि वे उस पर प्रभाव (असर) डाल सकते थे। कोई अन्य व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं सकता था और यह एक ऐसा तथ्य है जो न केवल उसके सिखाए जाने की संभाव्यता को अपवर्जित करता है बल्कि जो इस संभाव्यता को भी अपवर्जित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने मारा-पीटा था। वास्तव में इस मामले की परिस्थितियां इस विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि वृज लाल द्वारा श्रीनिगम के समक्ष जो मृत्युकालिक कथन किया गया था वह प्रत्येक पहलू से सही है। हम उस कथन को स्वीकार करना उचित समझते हैं जो कि वृज लाल ने श्री निगम के समक्ष किया था, अर्थात् यह कि उसे हुसैनगंज पुलिस थाने के 'दरोगा और सिपाहियों' द्वारा मारा-पीटा गया था।

14. जो एकमात्र प्रश्न विचारार्थ शेष रह जाता है, वह यह है कि हुसैनगंज पुलिस थाने से संबंधित वे कौन-से व्यक्ति थे जिन्होंने कि वृज लाल पर मारपीट करने में भाग लिया था। प्रत्यर्थी सं० 1 तो मृत्युकालिक कथन में प्रत्यक्ष तथा विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। वह पुलिस थाने का दरोगा था लक्ष्मी नारायण ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि 10.45 बजे प्रातः जब वृज लाल को प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 द्वारा पुलिस थाने लाया गया

[1] (1972) 3 एस० सी० सी० 268.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तो प्रत्यर्थी सं० 1 मौजूद था। इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि पुलिस के सिपाही दरोगा की मौनानुकूलता, सम्मति अथवा संपुष्टि के बिना पुलिस थाने में निर्मम रूप से किसी अभियुक्त की मारपीट करेंगे। हुसैनगंज का पुलिस थाना इतना बड़ा थाना नहीं है कि दरोगा को इस बात का पता ही न चले कि उसकी उपस्थिति के दौरान वहां क्या हो रहा है। इस बात की संभाव्यता को पुलिम उप-निरीक्षक बजरंल बहादुर सिंह, अभि० सा० 19 के साक्ष्य द्वारा दूर कर दिया गया है कि कोई अन्य अधिकारी वहां का दरोगा था; उक्त पुलिस उप-निरीक्षक ने यह कहा है कि सुसंगत समय पर हुसैनगंज पुलिस थाने में उनके सिवाय कोई अन्य द्वितीय अधिकारी मौजूद नहीं था।

15. इस दुर्घटना में प्रत्यर्थी सं० 1 के अन्तर्वलित किए जाने के बारे में यदि कोई संदेह प्रच्छन्न रूप से भी हो तो वह स्वयं उसके अपने आचरण से ही दूर हो जाता है। यद्यपि यह अप्रश्नास्पद रूप से तात्त्विक समय पर पुलिस थाने में मौजूद था, उसने यह दर्शित करने के लिए एक मिथ्या अभिलेख तैयार किया कि वह किसी अन्य स्थान पर पहचान परेड के प्रयोजनार्थ गया हुआ था। हम विद्वान सेशन न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस प्रकार प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा तैयार किया गया अभिलेख मिथ्या रूप से तैयार किया गया था ताकि अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् (एलीबी) की प्रतिरक्षा का समर्थन लिया जा सके। वह वस्तुतः विचारण के समय उसकी प्रतिरक्षा थी। उसने एक मिथ्या अभिलेख यह दर्शित करने के लिए भी तैयार किया था कि बृज लाल एक डकैती संबंधी मामले से संबंधित था और उसे उस कारणवश पुलिस थाने में लाया गया था। बृज लाल के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं था तथापि प्रत्यर्थी सं० 1 ने थानेदार के रूप में, प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 को प्राधिकृत अथवा अनुज्ञात कर दिया कि वे बृज लाल को गिरफ्तार करने के लिए हैबतपुर जाएं। उसे गिरफ्तार करने से संबंधित सही कारण यह था कि प्रत्यर्थी उस शिकायत से आग-बबूला हो गए थे जो कि बृज लाल द्वारा प्रत्यर्थी सं० 2 के खिलाफ रिश्वत ऐंठने के सम्बन्ध में की गई थी।

16. जहां तक प्रत्यर्थी सं० 2 का सम्बन्ध है, वह वस्तुतः बृज लाल पर की गई मारपीट का कारण था। उसने ही बृज लाल से रिश्वत ऐंठी थी और वह इसबात का प्रयत्न कर रहा था कि उससे कुछ और रकम ली जा सके। बृज लाल ने 7 अगस्त, 1969 को फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक के नाम प्रत्यर्थी सं० 2 के खिलाफ शिकायत करते हुए एक परिवाद प्रेषित किया था। चूंकि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वह परिवाद जांच किए जाने के लिए और उसके बारे में रिपोर्ट दिए जाने के लिए हुसैनगंज पुलिस थाने भेज दिया गया था, इसलिए प्रत्यर्थियों ने एक षड़यंत्र रचा कि बृज लाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे पुलिस थाने में लाया जाए और उसकी मारपीट की जाए।

17. जहां तक प्रत्यर्थी सं० 3 और 4 का सम्बन्ध है, ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने कि बृज लाल को डकैती के मिथ्या आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया था और उसे 29 अगस्त को 10.00 बजे प्रातः पुलिस थाने लाए थे। तत्पश्चात् शीघ्र ही सिपाही लक्ष्मी नारायण ने यह देखा कि बृज लाल हवालात में पड़ा हुआ है और वह अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है और दर्द से कराह रहा है।

18. इन निष्कर्षों के प्रकाश में, अभियोजन साक्षी 6, 7 और 9 के साक्ष्य के प्रति निर्देश करना अनावश्यक है जो कि क्रमशः बृज लाल का भतीजा, पुत्री और पत्नी है। हम विद्वान् सेशन न्यायाधीश से सहमत हैं कि ये व्यक्ति बृज लाल के गिरफ्तार किए जाने पर उसके पुलिस थाने में ले जाए जाने के तुरन्त पश्चात् वहां पहुंच गया। किन्तु यह कहना युक्तियुक्त निश्चिततापूर्वक संभव नहीं है कि उन्होंने प्रत्यर्थियों को बृज लाल की मारपीट की जाते हुए देखा था। वे बृज लाल को पुलिस थाने में ले जाए जाने के किंचित समय पश्चात् वहां पहुंचे और इस बात की प्रस्थापना करना अत्यन्त आकस्मिकता होगी कि वे ठीक उस समय पुलिस थाने पहुंचे जबकि बृज लाल की मारपीट की जा रही थी। हो सकता है कि उन्होंने बृज लाल की चीख-पुकार सुनी हो जो कि दर्द से कराह रहा था किन्तु पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर, जैसे कि वे वहां थे, उनके लिए यह संभव नहीं था कि वे बृज लाल को मारे-पीटे जाते हुए देख सकते। उनके साक्ष्य की सीमित सुसंगति यह दर्शित करने के लिए है कि ऊपर कथित अन्य परिस्थितियों के अलावा बृज लाल पुलिस थाने में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था।

19. इन कारणों से हम इस अपील को मंजूर करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और सेशन न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं। यह खेदजनक है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष किए जाने की बजाय उन्हें धारा 304 के अधीन सिद्धदोष किया है। हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध की प्रायः अवहेलना कर दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी—पुलिस अधिकारियों जैसे निर्योग्य अपराधियों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के पक्ष में अनुचित स्वाधीनता आविर्भूत हो जाती है। दण्ड संहिता की धारा 300 में वर्णित पांच अपवादों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, आपराधिक मानव-वध हत्या की कोटि में आता है यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है अथवा यदि वह कार्य धारा 300 के तीन खण्डों अर्थात् दूसरे, तीसरे और चौथे खण्ड में से किसी के अन्तर्गत नहीं आता है। इस मामले में बृज लाल को जो क्षतियां पहुंची थीं उनके बारे में यह प्रतीत होता है कि वे धारा 300 के 'दूसरे' खण्ड के अधीन हैं क्योंकि वह कार्य, जिसके कारण उसकी मृत्यु कारित की गई थी, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया था जिसके बारे में प्रत्यर्थी यह जानते थे कि उससे उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। किन्तु हम इस विषय पर आगे कोई विचार नहीं करते क्योंकि राज्य ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ ऐसी कोई मांग करते हुए अपील दायर नहीं की थी कि प्रत्यर्थियों को दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष किया जाना चाहिए और चूंकि अभियोजन-पक्ष ने चिकित्सा अधिकारी के जरिए पर्याप्त साक्ष्य बृज लाल को पहुंची क्षतियों की सही प्रकृति को प्रस्फुटित करने के लिए पेश नहीं किया था।

20. इससे पूर्व कि इस निर्णय को समाप्त करें, हम सरकार पर इस बारे में जोर देना चाहेंगे कि वह विधि को समुचित रूप से संशोधित करे जिससे कि ऐसे सिपाही जो उन व्यक्तियों पर ऐसी नृशंसताएं कारित करें जो कि उनकी अभिरक्षा में हों, साक्ष्य के पर्याप्त न होने अथवा उसके अभाव के कारण बच निकले। केवल पुलिस अधिकारी ही, न कि कोई अन्य व्यक्ति, उन परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य पेश कर सकता है जिसमें कि विद्यमान किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रहते हुए क्षतियां पहुंचती हैं। बंधुत्व जैसे बंधनों से आबद्ध, वे प्रायः ऐसी स्थितियों में मूक रहना बेहतर समझते हैं और जब कभी वे बोलना उचित समझते हैं तो वे तथ्यों पर अपना मलम्मा चढ़ा देते हैं और सच्चाई को पर्यवस्त कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्ति, जिन पर नृशंसताएं पुलिस थाने के पुनीत स्थान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कारित की जाती हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन अपराधियों के किसी साक्ष्य को साबित करने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे मामलों में सबूत के भार से सम्बन्धित विधि की विधानमण्डल द्वारा पुनः जांच की जानी चाहिए जिससे कि विधि और व्यवस्था का पालन करने वाले व्यक्ति अपने प्राधिकार और अवसरों का उपयोग निर्दोष नागरिकों का प्रपीड़न

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के लिए न कर सकें जो कि उनसे संरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। यह एक दुःखद बात है कि प्रस्तुत मामले में एक ऐसा व्यक्ति जिनसे एक सिपाही के खिलाफ उसके द्वारा रिश्वत लिए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी, उसी सिपाही तथा उसके दो साथियों एवं उनके वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् 'दरोगा' द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया गया। जागरूक मजिस्ट्रेट श्री आर० सी० निगम आहत व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन को कर्त्तव्यपरायता से अभिलिखित करने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं और यह अभियोजन-पक्ष के मामले का आश्रय गठित करता है।

अपील मंजूर की गई।

भू०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भरतू

बनाम

रणधीर सिंह और अन्य

(22 जनवरी, 1985)

[न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और आर० बी० मिश्र]

पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1955—धारा 7, 7-क और 8—व्याप्ति—अपीलार्थी के पक्ष में अभिधृति का सृजित किया जाना—अधिनियम के संशोधन के पश्चात् तीन वर्ष की कालावधि के भीतर अभिधृति को समाप्त किया जाना—अभिधृति या तो धारा 7 में वर्णित आधारों पर समाप्त की जा सकती है या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1955 जो मूलत: सन् 1955 में पारित और 1955 में ही संशोधित किया गया था, उसे फिर 1956 में पुन: संशोधित किया गया। अधिनियम की धारा 3 अनुज्ञेय सीमा की विस्तृत परिभाषा करती है जिसमें ऐसी अनुज्ञेय सीमा 30 मानक एकड़ या उसे साधारण एकड़ में संपरिवर्तित होने पर 80 एकड़ के रूप में करती है। धारा 5 मानक एकड़ से अधिक भूमि धारण करने वाले प्रत्येक भूस्वामी को राज्य में उसके द्वारा पारित भूमि के अंश या अंशों में, जो अनुज्ञेय परिसीमा से अधिक न हो, व्यक्तिगत खेती करने का चुनाव करने के लिए समर्थ करती है। धारा 6 कलक्टर से इस बात की अपेक्षा करती है कि वह भू-स्वामी की व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित सभी भूमियों की विवरणियों को अधिसूचित करे। अभिधृति अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय समाप्त नहीं की जा सकेगी। 1956 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ में अस्तित्वशील अभिधृतियों के मामले में दो आधारों पर अभिधृति समाप्त नहीं की जा सकती थी, अर्थात् अभिधृति में अंतर्विष्ट भूमि को भू-स्वामी द्वारा व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित कर लिया गया है और भू-स्वामी 30 मानक एकड़ भूमि या कम भूमि धारित करता है। अधिनियम की धारा 8 में इस बात का उपबंध है कि अभिधृति की न्यूनतम अवधि धारा 7 के उपबंधों के अधीन तीन वर्षों की होगी। उच्च न्यायालय द्वारा तद्नुसार मत अपनाया गया और अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। अपील खारिज करते हुए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित—पैप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ में अस्तित्वशील अभिधृति के मामले में धारा 7-क में धारा 7 में विनिर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त अभिधृति की समाप्ति के लिए दो आधारों का उपबंध है, अर्थात् (i) कि अभिधृति में अंतर्विष्ट भूमि को भू-स्वामी द्वारा अध्याय दो के उपबंधों के अनुसरण में अपनी व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित कर लिया है और (ii) कि भूस्वामी 30 मानक एकड़ या कम भूमि धारित करता है और भूमि अनुज्ञेय सीमा के भीतर आती है। पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के पश्चात् प्रारंभ हुई अभिधृतियों के मामले में धारा 8 में इस बात का उपबंध है कि अभिधृति की न्यूनतम अवधि धारा 7 के उपबंधों के अधीन तीन वर्षों की होगी। धारा 8 का मात्र अनुकल्पी अर्थान्वयन यह अभिनिर्धारित करना है कि धारा 7 के उपबंधों से बिलकुल भिन्न अभिधृति उसके प्रारंभ के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर समाप्त नहीं हो सकती यदि अभिधृति पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ के पश्चात् शुरू हुई हो अर्थात् जबकि धारा 7 के उपबंध द्वितीय संशोधन अधिनियम के पश्चात् शुरू होने वाली अभिधृतियों के मामले में सदैव उपलब्ध होंगे, अभिधारी को अभिधृति की कालावधि की समाप्ति पर भी बेदखल किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों से कम नहीं होगी। इस प्रकार, धारा 7, 7-क और 8 की स्कीम को देखने का सही तरीका यह अभिनिर्धारित करना है कि जबकि धारा 7 उन आधारों को प्रगणित करती है जिन पर किसी अभिधृति को समाप्त किया जा सकेगा, धारा 7-क में अतिरिक्त आधार का उपबंध है जिन पर पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ में अस्तित्वशील अभिधृतियां समाप्त की जा सकेंगी और धारा 8 में पेप्सू टेनेंसी एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के पश्चात् शुरू होने वाली अभिधृति की समाप्ति की धारा 7 में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त उपबंध है। यही कारण है कि धारा 7 स्वयं में, 'अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय कोई अभिधृति समाप्त नहीं की जाएगी' शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात् कोई अभिधृति या तो धारा 7 में उल्लिखित आधारों पर या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त की जा सकेगी। (पैरा 1)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1971 की सिविल अपील सं० 803, 834 से 837.

1970 की लैटर्स पेटेंट अपील सं० 227 में चण्डीगढ़ स्थित पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 4 जनवरी, 1971 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपीलें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री टी० एस० कृष्णमूर्ति और ई० सी० अग्रवाल

प्रत्यर्थियों की ओर से — श्री वी० सी० महाजन, श्रीमती उर्मिला सिरूर और श्री संजीव पुरी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने दिया।

न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी—

यद्यपि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुनवाई के दौरान पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1955 की धारा 7, 7-क और 8 के उपबंधों के सही अर्थान्वयन के बारे में हम कुछ असमंजस में थे, पुन: विचार करने पर हम यह समझते हैं कि केवल एक ही निष्कर्ष अनुज्ञेय है। पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स ऐक्ट, 1955 जो मूलत: सन् 1955 में पारित और 1955 में संशोधित किया गया था, 1956 में पुन: संशोधित किया गया था। अधिनियम कृषि भूमि की अभिधृति से संबंधित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिए और भूमि सुधारों के कतिपय अध्युपायों का उपबंध करने के लिए तात्पर्यित है। धारा 3 विस्तृत रूप से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'अनुज्ञेय सीमा' की विस्तृत परिभाषा भूमि के 30 मानक एकड़ और जहां ऐसे 30 मानक एकड़ साधारण एकड़ में संपरिवर्तित होने पर 80 एकड़ से बढ़ जाते हैं, वहां 80 एकड़ के अर्थ में करती है। धारा 5, 30 मानक एकड़ से अधिक भूमि धारण करने वाले प्रत्येक भू-स्वामी को राज्य में उसके द्वारा धारित भूमि के अंश या अंशों में, जो कुल अनुज्ञेय परिसीमा से अधिक न हो, व्यक्तिगत खेती करने के लिए चुनने के लिए समर्थ करती है और कलक्टर को विहित रूप और प्रकार से अपने चयन की सूचना देकर व्यक्तिगत कृषि के लिए ऐसी भूमि को आरक्षित करती है। धारा 6 कलक्टर से इस बात की अपेक्षा करती है कि वह धारा 5 के अधीन भू-स्वामी की व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित सभी भूमियों की विशिष्टियों को अधिसूचित करे। अध्याय 4-क (धारा 32-क से 32-ढढ) भूमि पर अधिकतम सीमा और फालतू क्षेत्र के अर्जन और व्ययन के संबंध में है, विशेष रूप से धारा 32-क में इस बात का उपबंध है कि विधि, रूढ़ि, प्रथा या करार में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति भू-स्वामी या किराएदार के रूप में राज्य के भीतर व्यक्तिगत कृषि के अधीन ऐसी भूमि का स्वामी होने या रखने का हकदार नहीं होगा जो कुल अनुज्ञेय सीमा से अधिक है। पश्चात्वर्ती उपबंध में फालतू क्षेत्र के अवधारण का उपबंध है और धारा 32-ङ में फालतू क्षेत्र के राज्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकार में विनिधान का उपबंध है। यहां पर यह देखना है कि धारा 32-घघ में इस बात का उपबंध है कि सन् 1956 के संशोधन के प्रारंभ के पश्चात् किसी क्षेत्र में सृजित अभिधृतियां, जिन्हें फालतू घोषित किया जाना चाहिए था, किसी व्यक्ति के फालतू क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए घोषित करनी होंगी। धारा 32-च कलक्टर में फालतू क्षेत्र का कब्जा लेने की शक्ति निहित करती है और धारा 32-ञ फालतू क्षेत्र के व्ययन की पद्धति विहित करती है। वास्तव में, हमारा संबंध इन सभी उपबंधों से प्रस्तुत प्रयोजन के लिए नहीं है। अधिनियम का अध्याय 3 'अभिधृति के सामान्य अधिकार' के संबंध में है। धारा 7 में यह विहित है कि कोई अभिधृति अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय या निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार के सिवाय समाप्त नहीं की जाएगी। उल्लिखित आधार ये हैं— इसके शोध्य होने के पश्चात् छह माह की कालावधि के भीतर लगान का संदाय न करना, भू-स्वामी की लिखित में सहमति के बिना उप-पट्टे पर देना, अभिधृति का व्यक्तिगत खेती करने के प्रकार से और स्थानीय रूढ़िगत विस्तार तक समाप्त होना, भूमि या उसके किसी भाग का इस प्रकार से उपभोग जिससे यह उस प्रयोजन के लिए बेकार हो जाए जिसके लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी और लिखित रूप में मांग करने पर किराएदार द्वारा कबूलियत निष्पादित करने से मना करना जिसमें कानूनी उपबंधों के अनुसरण में किराया संदत्त करने की सहमति होती है। विशेष रूप से जो बात देखने की है वह यह है कि अभिधृति अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय या धारा 7 में उल्लिखित आधारों में से किसी के सिवाय समाप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, अभिधृति अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में या धारा 7 में उल्लिखित आधारों में से किसी पर समाप्त की जा सकेगी। इसलिए इससे यह अभिप्रेत है कि अभिधृति धारा 7 में उल्लिखित किन्हीं आधारों पर या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त की जा सकेगी बशर्ते कि वस्तुतः अधिनियम के अन्य उपबंध अभिधृति की समाप्ति का उपबंध करते हों। पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ में अस्तित्वशील अभिधृतियों के मामले में धारा 7-क में धारा 7 में विनिर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त अभिधृति की समाप्ति के लिए दो आधारों का उपबंध है अर्थात् (i) अभिधृति में अन्तर्विष्ट भूमि को भू-स्वामी द्वारा अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसरण में अपनी व्यक्तिगत खेती के लिए आरक्षित कर लिया है और (ii) भू-स्वामी 30 मानक एकड़ या कम भूमि धारित करता है और भूमि अनुज्ञेय सीमा के भीतर आती है। पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के पश्चात्

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रारंभ हुई अभिधृतियों के मामले में धारा 8 में इस बात का उपबंध है कि अभिधृति की न्यूनतम अवधि धारा 7 के उपबंधों के अधीन तीन वर्षों की होगी। प्रस्तुत मामले में विचार के लिए उद्भूत प्रश्न यह है कि क्या पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ के पश्चात् चालू हुई अभिधृतियों की दशा में धारा 8 अभिधृति को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त आधार का उपबंध करती है अर्थात् अभिधृति की कालावधि की समाप्ति बशर्ते कि यह तीन वर्षों से कम न हो। अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि धारा 8 अभिव्यक्त रूप से धारा 7 के उपबंधों के अधीन बनाई गई है और जब यह इस बात को विहित करती है कि अभिधृति की न्यूनतस अवधि तीन वर्ष होगी, तो संभवतः इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अभिधृति तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो सकेगी। विद्वान् काउन्सेल के अनुसार धारा 8 का अभिप्राय है कि अभिधृति तीन वर्षों तक इसी प्रकार के किसी आधार पर भी समाप्त नहीं हो सकेगी, किन्तु धारा 7 में उल्लिखित आधारों में से किसी पर भी तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् समाप्त हो सकेगी। हमारी राय में, ऐसे अर्थान्वयन से कुछ हास्यास्पद और असंगत परिणाम निकलेंगे। उदाहरण के तौर पर, धारा 7 में उल्लिखित आधारों में से एक आधार, जो अभिधृति की समाप्ति को समर्थ करता है, अभिधारी द्वारा भूमि का इस प्रकार उपयोग है जिससे भूमि उस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी जिसके लिए यह उसे पट्टे पर दी गई थी। यदि अपीलार्थी द्वारा किए गए धारा 8 के अर्थान्वयन को स्वीकार कर लिया जाए, तो संभव है दण्डाभाव के कारण जैसे ही भूमि अभिधारी को पट्टे पर दी जाए वह भूमि का इस प्रकार प्रयोग करे जिससे कि भूमि उस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जाए जिसके लिए यह उसे पट्टे पर दी गई थी। फिर भी, भू-स्वामी को अभिधृति समाप्त करने से पूर्व तीन वर्षों की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे हास्यास्पद परिणाम होंगे और हमारे लिए इस अर्थान्वयन को स्वीकार करना संभव नहीं है जिसके भीषण परिणाम हो सकते हैं। धारा 8 का एकमात्र अनुकल्पी अर्थान्वयन यह अभिनिर्धारित करना है कि धारा 7 के उपबंधों से बिलकुल भिन्न अभिधृति उसके प्रारंभ के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर समाप्त नहीं हो सकती यदि अभिधृति पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ के पश्चात् शुरू हुई हो अर्थात जबकि धारा 7 के उपबंध द्वितीय संशोधन अधिनियम के पश्चात् शुरू होने वाली अभिधृतियों के मामले में सदैव उपलब्ध होंगे, अभिधारी को अभिधृति की कालावधि की समाप्ति पर भी बेदखल किया जा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकेगा जो तीन वर्षों से कम नहीं होगी। इस प्रकार अर्थान्वयन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 'धारा 7 के उपबंधों के अधीन' शब्द हमारे द्वारा 'धारा 7 के उपबंधों के होते हुए भी' के रूप में पढ़े जा रहे हैं। किन्तु जो कुछ हमने कहा है, उस पर दृष्टिपात करने के लिए यह सही नहीं होगा। धारा 7, 7-क और 8 की स्कीम पर दृष्टिपात करने का सही तरीका यह अभिनिर्धारित करना है कि जबकि धारा 7 उन आधारों को प्रगणित करती है जिन पर किसी अभिधृति को समाप्त किया जा सकेगा, धारा 7-क में अतिरिक्त आधार का उपबंध है जिन पर पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के प्रारंभ में अस्तित्वशील अभिधृतियां समाप्त की जा सकेंगी और धारा 8 में पेप्सू टेनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्ड्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1956 के पश्चात् शुरू होने वाली अभिधृति की समाप्ति का धारा 7 में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त उपबंध है। यही कारण है कि धारा 7 स्वयं में 'अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय, या निम्नलिखित आधारों में से' किसी आधार के सिवाय कोई अभिधृति समाप्त नहीं की जाएगी' शब्दों का प्रयोग करती है अर्थात् कोई अभिधृति या तो धारा 7 में उल्लिखित आधारों पर या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त की जा सकेगी। हम यह समझते हैं कि यही एक युक्तियुक्त और अनुज्ञेय रास्ता धारा 8 के अर्थान्वयन का धारा 7, 7-क और 8 के परिवेश में है। हमारे द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पिछले 15 वर्षों में बराबर अपनाया जाता रहा है, जैसा कि हम राज्य अधिनियम का कर रहे हैं, हम यह नहीं समझते कि कोई ऐसे बाध्यकर कारण हैं जो पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा अब तक अपनाए गए दृष्टिकोण से विचलन को न्यायोचित ठहराते हों। इसलिए अपीलें खारिज की जाती हैं। खर्चे का कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें खारिज की गईं।

सरोहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एस० सुन्दरम् पिल्लै और अन्य

बनाम

वी० आर० पट्टाभिरमण,

कौशल्या देवी और अन्य

बनाम

पो० लक्ष्मीनारायणाचार्य और अन्य,

मुरुगेसा मुदलियार

बनाम

सेल्वाराज चेट्टियार,

एन० एस० धनलक्ष्मी अम्माल

बनाम

बी० एस० रामचारी,

ताहिरा बीवी

बनाम

आर० ए० मुथिया नाडार,

एम० बालकृष्णन्

बनाम

फातिमा बाई और अन्य

तथा

के० आर० कृष्णन्

बनाम

पी० भानुमती

(24 जनवरी, 1985)

[न्यायाधिपति एस० मुतंजा फजल अली, ए० वरदराजन और सव्यसाची मुखर्जी]

तमिलनाडु बिल्डिग्ज (लीज एण्ड रेण्ट कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 —धारा 10(2)(i)—किराये के संदाय में व्यतिक्रम किये जाने का प्रश्न 'जानबूझकर व्यतिक्रम' अभिव्यक्ति का विभिन्न न्यायालयों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा भिन्न-भिन्न निर्वचन किया जाना—किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम से मकान-मालिक के किराए और बकाया के संदाय की मांग करते हुए दो माह की सूचना पर किराये का संदाय न किया जाना अभिप्रेत होगा, जब तक कि किराएदार यह दर्शित न कर दे कि उसके लिए मकान-मालिक के नोटिस को स्वीकार करके शोध्य होने पर संदाय करना पर्याप्त-हेतुक और परिस्थिति के कारण उसके नियंत्रण के बाहर था।

शब्द और पद 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों का अर्थान्वयन—किराए के संदाय में व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम होने के लिए आशयित, सौद्देश्य और उससे होने वाले विधिक परिणामों के पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकल्पित होना चाहिए।

देश में कुछ राज्यों में भाटक नियंत्रण अधिनियम, किराएदार द्वारा किराए के संदाय में 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे किसी में सकारात्मक और किसी में नकारात्मक शब्दों में प्रयुक्त किया गया है। तथापि वे उस पद्धति और रीति के बारे में शांत हैं जिसमें कि न्यायालय इस बात का विनिश्चय कर सकता है कि जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है और क्या नहीं है। किंतु तमिलनाडु बिल्डिंग्ज (लीज एण्ड रेण्ट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 में धारा 10(2)(i) के परन्तुक में इस शब्द की परिभाषा की गई है कि जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है। इसमें यह कहा गया है कि धारा 10(2) के खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार का किराया संदत्त या निविदत्त करने में जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं था, तो वह धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी किराएदार को युक्तियुक्त समय, जो 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकेगा, उसके द्वारा शोध्य किराए को मकान-मालिक को संदत्त या निविदत्त करने का दे सकेगा। इस उपधारा के साथ जोड़े गए स्पष्टीकरण में यह अधिकथित किया गया है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जाएगा यदि किराएदार द्वारा किराए के संदाय या निविदान में भू-स्वामी द्वारा दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् भी जारी रहता है जिसमें मकान-मालिक ने किराए का दावा किया है। ऐसा स्पष्टीकरण किन्हीं और अन्य अधिनियमों में नहीं मिलता। किराएदारों द्वारा इस बात की दलील दी गई है कि स्पष्टीकरण को जोड़ने के बावजूद भी न्यायालय के लिए इस बात की स्वतंत्रता है कि वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का अधिमूल्यन करने के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पश्चात् इस बात का अवधारण करे कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया था अथवा नहीं और ऐसा करने में यह पूर्णतः स्पष्टीकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होगा जो मात्र स्पष्टीकारक स्वरूप का है। यह भी दलील दी गई थी कि दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् किराए की बकाया का संदाय न किया जाना, सभी परिस्थितियों में जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं माना जाएगा, यदि संदाय न करना जानबूझकर व्यतिक्रम की विभिन्न शर्तों को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर, मकान-मालिकों की ओर से काउन्सेल ने यह दलील दी कि स्पष्टीकरण को परन्तुक में पढ़ा जाना चाहिए। तद्नुसार उच्च न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में किरायेदारों के विरुद्ध डिक्री दे दी। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को प्रत्येक मामले में भिन्न प्रकार से निपटाते हुए,

अभिनिर्धारित—'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों के अर्थ का मतैक्य यह उपदर्शित करता है कि जानबूझकर किये जाने के लिए व्यतिक्रम आशयित, सोद्देश्य और प्रकल्पित और भान और उससे होने वाले विधिक परिणामों के पूर्ण ज्ञान के साथ होना चाहिए। ऐसे मामले का उदाहरण लेते हुए जहां कि किराएदार मौखिक मांगों और अनुस्मारकों के बावजूद व्यतिक्रम पर व्यतिक्रम करता है और किसी न्यायोचित या विधिपूर्ण हेतुक के बिना किराए का संदाय करने में असफल रहता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह जानबूझकर व्यतिक्रम का दोषी नहीं है क्योंकि आचरण का ऐसा क्रम स्पष्ट रूप से या तो अधिनियम द्वारा या अन्य अधिनियमों द्वारा यथा-अनुध्यात जानबूझकर व्यतिक्रम है। (पैरा 26)

किसी परन्तुक के निर्वचन का सुस्थापित नियम यह है कि परन्तुक के तीन पृथक् कार्य होते हैं। साधारणतः किसी परन्तुक से अभिप्रेत है मुख्य अधिनियमित के भीतर किसी चीज का अपवाद या उसमें अधिनियमित किसी को विशेषित करना होता है जो परन्तुक के बिना अधिनियमिति के विस्तार के भीतर होता है। परन्तुक को मुख्य अधिनियमिति से अलग नहीं रखा जा सकता और न ही इसे अक्ततता या मुख्य अधिनियमिति के वास्तविक उद्देश्य को निष्फल करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। (पैरा 27)

परन्तुक का निर्वचन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह सामान्य अधिनियमिति से विशेष मामलों को हटाने के लिए और उनका पृथक्तः उपबंध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः किसी परन्तुक का आशय अधिनियमित उपबंध को सीमित करना होता है जिससे कि ऐसी किसी बात को अपवादित किया जा सके जो अन्यथा इसके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भीतर होती या कुछ हद तक अधिनियमित किए गए खण्ड को उपांतरित करना है। कभी-कभी कोई परन्तुक मुख्य उपबंध में सन्निहित होता है और उसका अभिन्न अंग बन जाता है जिससे कि यह उसका प्रमुख उपबंध हो जाता है। (पैरा 36 और 37)

यद्यपि प्रत्येक राज्य का उसका अपना किराया अधिनियम है, न तो स्पष्टीकरण और न ही कोई कानूनी खण्ड 'जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम' शब्द के संबंध में उनमें उल्लिखित है। ये अधिनियम व्यतिक्रम जैसे सादे शब्द पर ही कार्यवाही करते हैं और शायद अपने इस आशय को पुष्ट करने के लिए उन्होंने बेदखली के आधारों को दर्शित करने के लिए कतिपय मार्गदर्शन अधिकथित किए हैं जहां कि व्यतिक्रम होता है। ऐसे अधिनियमों को सामान्यत: देखने से उनमें प्रथमत: कानूनी रूप से एक विशेष तारीख या समय दिया गया है, जबकि किरादएार को अभिधृति की संविदा के अधीन कब्जा देने पर किराए का संदाय करना होता है। ऐसा उपबंध अभिधृति की संविदा के विरुद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और यदि उस हद तक यह है, तो यह संविदा का अध्यारोहण करता है। इसलिए यह किराएदार को, जिसे किसी परिसर का कब्जा दिया गया है, इस बारे में पर्याप्त सूचना देता है कि उसे अधिनियम में उपवर्णित मापदण्ड के अनुसार किराए का संदाय करना चाहिए जो न करने पर उसे व्यतिक्रम के लिए बेदखली का खतरा उठाना पड़ेगा। तथापि कुछ अधिनियमों में किराया नियंत्रक या न्यायालय को इस बात का पता करने के लिए समर्थ करने हेतु कतिपय व्यतिक्रमों का उपबंध किया गया है कि क्या ऐसे व्यतिक्रम मकान-मालिक को बेदखली का आदेश प्राप्त करने के लिए हकदार बनाएंगे। कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, जिन्होंने कुछ सुकल्पित और युक्त उपबंध इस बात का उपबंध करके व्यतिक्रम के मामले में बेदखली की प्रक्रिया में शीघ्रता करने के लिए किए हैं कि जब कभी बेदखली का कोई वाद किराएदार के विरुद्ध व्यतिक्रम के आधार पर फाइल किया जाता है तो किराएदार को अपनी सदाशयता दिखाने के लिए पहले संपूर्ण किराया, बकाया और खर्चे, किराया नियंत्रक के न्यायालय में, जहां पर कार्यवाही की गई है, सुनवाई की पहली तारीख को जमा करने चाहिएं, ऐसा न होने पर सम्बद्ध न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिवाद को अभिखंडित करने में और बेदखली का आदेश तभी और वहीं पारित करने में पूर्णत: न्यायोचित होगा। ऐसी प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य किराएदार को स्वयं उसका प्रहरी बना देता है। यह बात सत्य है कि ऐसे उपबंध कुछ कठोर हैं किंतु यदि किराएदार व्यतिक्रम करता रहता है तब कोई अन्य उपचार नहीं होता कि उसे केवल समय पर किराए का संदाय करना होता है जब तक कि कुछ कठोर कदम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं उठा लिए जाते । इसलिए ये अधिनियम मकान-मालिक और किराएदार के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं । इन मामलों का विनिश्चय करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे उपबंध के सदाचार या दर्शन पर विचार किया जाए क्योंकि इस मामले का संबंध ऐसे कानूनों से है जिनमें विभिन्न प्रकार के उपबंध हैं । (पैरा 54)

तमिलनाडु बिल्डिंग्ज (लीज एण्ड रेंट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 की धारा 10(2)(i) यह अधिकथित करती है कि जहां नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार ने अभिधृति के करार में नियत समय की समाप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर या ऐसे करार के न होने की दशा में उस माह से अगले माह की अन्तिम तारीख, जिसके लिए किराया संदेय है, किराए का संदाय या निविदान नहीं किया है, तो यह निस्सन्देह व्यतिक्रम करता है । धारा 10(2)(i) में उल्लिखित दो कारण किराएदार को संदाय की पद्धति के बारे में और अन्तिम तारीख के बारे में, जिसको यह समझा जाता है कि वह विधिक रूप से किराए का संदाय करेगा, स्पष्ट नोटिस देते हैं । तथापि यह मामले को संविवाद से परे नहीं रखता क्योंकि परन्तुक के अधीन बेदखली का आदेश पारित करने से पूर्व यह भी साबित किया जाना चाहिए कि व्यतिक्रम जानबूझकर था और यदि नियंत्रक की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों और तथ्यों में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं किया गया था, तो उस भाव में इसमें जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम के गुण या विशेषण नहीं हैं, वह किराएदार को 15 दिनों से अनधिक का युक्तियुक्त समय संपूर्ण किराए का संदाय करने के लिए दे सकेगा और यदि इसका अनुपालन कर दिया जाता है तो बेदखली का आवेदन खारिज हो जाएगा । तथापि कठिनाई स्पष्टीकरण द्वारा उत्पन्न की गई है जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि एक बार जब मकान-मालिक अपने किराएदार को किराए के बकाया का संदाय करने के लिए दो माह का नोटिस दे देता है किन्तु किराएदार उसके पश्चात् भी व्यतिक्रम करता रहता है, तब वह बेदखली के दायित्वाधीन है । इस दलील में काफी बल है जिसके अपने लाभ हैं । प्रथमतः यह न्यायालय को इस प्रश्न की जटिलता पर विचार करने से बचाती है कि जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है और क्या जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम की शर्तें पूरी की गई हैं अथवा नहीं जो यदि अनुज्ञात कर दी जाती हैं तो एक मामले से दूसरे मामले और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भिन्न होंगी । किन्तु कठिनाई यह है कि यदि ऐसा सामान्य वर्जन न्यायालय पर जानबूझकर व्यतिक्रम के प्रश्न की परीक्षा न करने पर लगा दिया जाता है, तो एक बार यदि स्पष्टीकरण में अधिकथित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो निस्सन्देह ये किराएदार के प्रति गंभीर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्याय करेंगे। ऐसे निर्वचन का समनुषंगी परिणाम यह होगा कि चाहे किराएदार नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् किराए के बकाया का संदाय करना चाहता हो किन्तु ऐसा करने में मृत्यु, दुर्घटना, चोरी आदि अकल्पित परिस्थितियों के कारण असमर्थ हो जो उसे बकाया का संदाय करने से रोकती हैं, फिर भी स्पष्टीकरण के अधीन उसे बेदखल होना पड़ेगा। (पैरा 60)

एक अन्य दृष्टिकोण जो अधिक स्वीकार्य है और परन्तुक द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्दों से उद्भूत होता है, वह यह है कि जहां स्पष्टीकरण इस भाव में लागू नहीं होता कि मकान-मालिक ने दो माह का नोटिस जारी नहीं किया है, न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह अवधारण करना होगा कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है और उसके बारे में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मानदण्डों को ध्यान में रखना होगा और यदि न्यायालय का यह मत है कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है, तब बेदखली की डिक्री किसी कठिनाई के बिना पारित की जा सकती है। (पैरा 61)

स्पष्टीकरण बिल्कुल भी परन्तुक में इस बात का विनिश्चय करने की कि व्यतिक्रम जानबूझकर है अथवा नहीं, नियंत्रक को दिए गए आज्ञापक कर्तव्यों को नहीं हटाता। वास्तव में, यदि मकान-मालिक अपने किराएदार को दो माह को नोटिस देने का विकल्प अपनाता है और वह किराए का संदाय नहीं करता तब सारभूत और बाध्यकर कारणों के न होने पर नियंत्रक या न्यायालय निश्चित रूप से इस बात की उपधारणा कर सकता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है और सीधे उसकी बेदखली का आदेश कर सकता है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि क्या दो माह का नोटिस किराया संदाय करने के लिए दिया गया है अथवा नहीं, यह सदैव नियंत्रक के लिए परन्तुक के अधीन जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम के प्रश्न का अवधारण करने की स्वतंत्रता होगी क्योंकि यह स्पष्टीकरण के उद्देश्य को ही निरर्थक और निष्फल कर देगा। (पैरा 63)

न्यायाधिपति सव्यसाची मुखर्जी के मतानुसार (विसम्मत निर्णय)

अधिनियम की धारा 10 किराएदारों की बेदखली से संबंधित है और यह इस बात की उपधारणा करती है कि किराएदार या तो डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा धारा 10 या धारा 14 से 16 तक के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय बेदखल नहीं किया जाएगा। (पैरा 76)

धारा 10 की उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक इस बात का अनुबंध करता है कि उक्त धारा 14 से 16 ऐसे किराएदार को लागू नहीं होगी जिसका मकान-मालिक सरकार है। द्वितीय परन्तुक में भी इस बात का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबंध है कि यदि किराएदार मकान-मालिक के हक को मना करता है या स्थायी अभिधृति के अधिकार का दावा करता है तो नियंत्रक इस बात का विनिश्चय करेगा कि क्या मनाही या दावा सद्भावपूर्ण है और यदि इस बारे में वह कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है तो मकान-मालिक सिविल न्यायालय में किराएदार की बेदखली के लिए वाद लाने का हकदार होगा और न्यायालय इस बात के होते हुए भी उक्त धाराओं में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बेदखली की डिक्री पारित कर सकेगा कि न्यायालय का यह मत है कि ऐसी मनाही में पट्टे के समपहरण अन्तर्वलित नहीं हैं या कि दावे का कोई आधार नहीं है। अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका मकान-मालिक को अपने किराएदार को बेदखल करने के लिए अनुसरण करना चाहिए। इसमें इस बात का उपबंध है कि मकान-मालिक को बेदखली के लिए, यदि वह चाहता है, निदेश के लिए नियंत्रक को आवेदन करना चाहिए और यदि नियंत्रक का किराएदार को आवेदन के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उन विभिन्न शर्तों में से किसी के बारे में, जो खण्ड (i) से (vii) में अनुबंधित हैं, समाधान हो जाता है तब वह किराएदार को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वह मकान-मालिक को भवन का कब्जा दे दे और यदि नियंत्रक का समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश करेगा। (पैरा 77)

अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) का खण्ड (i) नियंत्रक से यह समाधान करने की अपेक्षा करता है कि किराएदार ने उसके द्वारा भवन के संबंध में शोध्य किराया अपने मकान-मालिक के साथ अभिधृति के बारे में करार में नियत समय की समाप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर संदत्त या निविदत्त नहीं किया है या ऐसे किसी करार के न होने पर उस माह से अगले माह के अन्तिम दिन तक जिसके लिए किराया संदेय है। इन अपीलों के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अन्य खण्डों में उल्लिखित बेदखली के आधारों पर विचार किया जाए। यदि नियंत्रक का धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (i) से (vii) में उल्लिखित आधारों में से किसी के बारे में समाधान हो जाता है, तब वह, जैसा कि धारा अनुबंधित करती है, किराएदार को भवन का मकान-मालिक को कब्जा देने का निदेश देते हुए आदेश करेगा और यदि उसका समाधान नहीं होता तो वह आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश करेगा। परन्तुक में इस बात का उपबंध है कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किराया संदत्त या निविदत्त करने में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था तो वह धारा 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किराएदार को 15 दिनों से अनधिक का युक्तियुक्त समय, उसके द्वारा शोध्य किराया ऐसे संदाय या निविदान की तारीख तक किराएदार को संदत्त या निविदत्त करने का दे सकेगा और ऐसे संदाय या निविदान पर आवेदन नामंजूर किया जाएगा। स्पष्टीकरण जो यहां पर निर्वचन की विषयवस्तु है और जिसे धारा 10 द्वारा 1973 के अधिनियम सं० 23 के द्वारा जोड़ा गया था, इस बात का अनुबंध करता है कि उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए अर्थात् धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किराए का संदाय या निविदान करने में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जाएगा यदि किराए के निविदान या संदाय में किराएदार द्वारा व्यतिक्रम किराए का दावा करते हुए भू-स्वामी द्वारा दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात्, जारी रहता है। इसलिए प्रश्न यह है—क्या व्यतिक्रम का किराए का दावा करते हुए मकान-मालिक द्वारा दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् जारी रहने वाले व्यतिक्रम से भिन्न अन्य परिस्थितियों के अधीन व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में इस धारा के प्रयोजन के लिए क्या जानबूझकर व्यतिक्रम केवल तभी होगा जब मकान-मालिक द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और दो माह समाप्त हो चुके हैं और किराएदार ने किराये का संदाय नहीं किया है। (पैरा 78)

यदि न्यायालय परिवर्ती परिस्थितियों से इस बात का विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र था कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर था अथवा नहीं, तब विनिश्चयों की भिन्नता होने की संभावना है, एक न्यायिक प्राधिकारी कतिपय परिस्थितियों से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर था और एक अन्य न्यायिक प्राधिकारी लगभग उन्हीं परिस्थितियों से एक प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इससे विषमता उत्पन्न होती है। ऐसी विषमताओं को दूर करने के लिए और समान मानक लाने के लिए स्पष्टीकरण, 'जानबूझकर' अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है और स्पष्टीकरण के अनुसार किराए के संदाय या निविदान का व्यतिक्रम, जो जोड़ा गया है, उसका अर्थान्वयन जानबूझकर किया जाएगा यदि किराएदार द्वारा किराए के संदाय में व्यतिक्रम मकान-मालिक द्वारा किराये का दावा करते हुए दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् बना रहता है। यदि स्थिति यह है, तो किसी मामले में जहां मकान-मालिक ने किराएदार को किराए का दावा करते हुए नोटिस दिया है, और किराएदार ने दो माह तक उसका संदाय नहीं किया है, तब उसका अर्थान्वयन जानबूझकर व्यतिक्रम के रूप में किया जाना चाहिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहे संदाय न करने का कारण कुछ भी रहा हो—कुटुम्ब में नजदीकी व्यक्तियों की संदाय की तारीख को शोकावस्था या गंभीर दिल का दौरा या किराएदार की अन्य बीमारी या किराएदार द्वारा किराया संदाय करने के लिए भेजे गए किसी व्यक्ति की बीमारी के बारे में माफी नहीं दी जा सकती और उसे जानबूझकर न होने के रूप में उस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि विधानमण्डल ने 'जानबूझकर समझा जाएगा' अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहा है, यदि दो माह के मकान-मालिक के नोटिस के पश्चात् किराएदार की ओर से किराए का संदाय या निविदान में असफलता बनी रहती है और यदि यह जानबूझकर है, तब स्पष्टीकरण द्वारा यथास्पष्ट परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन यह जानबूझकर है, तो नियंत्रक का समाधान अनिवार्यत: होना चाहिए और उसे बेदखली का आदेश करना चाहिए। (पैरा 81)

धारा 10 की संपूर्ण स्कीम यह है कि किराए के बकाया के आधार पर बेदखली का हकदार होने के लिए वे संघटक जिनके लिए नियंत्रक का समाधान होना चाहिए, ये हैं: (क) व्यतिक्रम, (ख) व्यतिक्रम जानबूझकर था। क्या किसी विशेष मामले में व्यतिक्रम जानबूझकर है अथवा नहीं, इस पर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण में उपबंधित परिभाषा के अनुसरण में विचार किया जाना चाहिए। यदि इसका आशय यह था कि न्यायालय को इस बात का निर्णय करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए कि क्या तथ्यों की किसी विशेष स्थिति में व्यतिक्रम जानबूझकर था अथवा नहीं, जहां कि नोटिस दिया गया है, तब ऐसे मामले में परन्तुक के साथ इस स्पष्टीकरण को जोड़ना आवश्यक नहीं था जो अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन निष्कर्ष को निकालने के लिए एक कदम था। यह बात सुनिश्चित है कि विधानमण्डल ने बिना प्रयोजन या व्यर्थ में कार्य नहीं किया। (पैरा 84)

अनुमोदित निर्णय पैरा

[1983] ए० आई० आर० 1983 मद्रास 97 :
राजेश्वरी बनाम वासुमल लालचन्द; 64

[1980] (1980) ला वीकली (जिल्द 93) पृष्ठ 577 :
एन० रामास्वामी रेड्डियार बनाम एस० एन० पेरियामुथु नाडार; 64

[1966] ए० आई० आर० 1966 मद्रास 67 :
खिवराज चोरडिया बनाम जी० मानिकलाल भट्टाद. 65

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्दिष्ट निर्णय

[1983] (1983) 2 वीकली लॉ रिपोर्ट्स 16 :
रेगीना बनाम बारनेट लन्दन बोरो कौंसिल एक्सपार्टे निलिश शाह; 89

[1983] (1983) 1 वीकली लॉ रिपोर्ट्स 138 :
कैरिंगटन और अन्य बनाम थर्मास्टोर लिमिटेड; 90

[1977] (1977) 2 एस० सी० आर० 790 :
दत्तात्रेय गोविन्दमहाजन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य; 52

[1975] (1975) 4 उम० नि० प० 1275=(1976) 1 एस० सी० सी० 128 :
द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ; 41

[1973] (1973) नि० सा० 33=(1973) 1 एस० सी० सी० 216 :
हीरालाल रतनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य; 42,51

[1968] (1968) 1 एस० सी० आर० 148 :
वाणिज्यिक-कर आयुक्त और अन्य बनाम आर० एस० झावर और अन्य; 40

[1967] (1967) 1 एस० सी० आर० 848 :
बीहटा कोआपरेटिव डेवेलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड और एक अन्य बनाम दि बैंक आफ बिहार और अन्य; 50

[1967] (1967) 1 एस० सी० आर० 831 :
विक्रय-कर अधिकारी, सर्किल-1, जबलपुर बनाम हनुमान प्रसाद; 39

[1966] (1966) 1 एस० सी० आर० 367 :
ईश्वर लाल ठाकुरलाल अलमौला बनाम मोतीभाई नागजीभाई; 32

[1965] (1965) 1 एस० सी० आर० 276 :
राजस्थान राज्य बनाम लीला जैन; 38

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1962] (1962) 2 एस० सी० आर० 159 :
शाह भोजराज कुंवरजी आयल मिल्स एण्ड गिन्निग फैक्टरी बनाम सुभाष चन्द्र योगराज सिन्हा; 33

[1961] (1961) 1 एस० सी० आर० 902 :
बर्माशैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड और एक अन्य बनाम वाणिज्यिक **कर अधिकारी और अन्य;** 49

[1959] (1959) 2 सप्ली० एस० सी० आर० 256 :
आयकर आयुक्त, मैसूर बनाम **इण्डो मर्कण्टाइल बैंक लिमिटेड;** 33

[1949] (1949) 2 आल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 155 :
सीफोर्डकोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम **अशर;** 87

[1944] ए० आई० आर० 1944 प्रिवी कौंसिल 71 :
मद्रास एण्ड सदर्न मराठा रेलवे कम्पनी लिमिटेड बनाम **बेजवाड़ा म्युनिसिपैलिटी;** 32

[1940] (1940) अपील केसेज 206 :
जेन्निग्स और एक अन्य बनाम **केल्ली;** 35

[1909] (1909) अपील केसेज 253 :
रोड्डा अर्बन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाम **टाफ वले रेलवे कम्पनी;** 35

[1909] (1909) अपील केसेज 57 :
लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनाम **साउथ स्टोनहम यूनियन;** 31

[1903-04] (1903-04) इण्डियन अपील्स जिल्द 31, पृष्ठ 195 :
फकीर चन्द्र दत्त और अन्य बनाम **राम कुमार चटर्जी;** 80

[1897] (1897) अपील केसेज 647 :
वेस्ट डर्बी बनाम **मैट्रोपालिटन लाइफ एश्योरेंस कम्पनी.** 34

सिविल अपीली अधिकारिता : 1984 की सिविल अपील सं० 1178.

1981 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 3396 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 15 जुलाई, 1982 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1983 की सिविलि अपील सं० 6211

1982 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 2477 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 5 नवम्बर, 1982 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

1982 की सिविल अपील सं० 1992

1981 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 152 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 17 दिसम्बर, 1981 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

1982 की सिविल अपील सं० 1659

1980 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 1630 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 14 दिसम्बर, 1981 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

1982 की सिविल अपील सं० 3668

1982 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 4087 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 20 अक्तूबर, 1982 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

1982 की सिविल अपील सं० 2246

1980 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 1397 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 5 नवम्बर, 1981 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

तथा

1982 की सिविल अपील सं० 4012

1981 के सिविल पुनरीक्षण पिटीशन सं० 3983 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 23 नवम्बर, 1982 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

अपीलार्थी की ओर से : (1984 की सि० अ० सं० 1178 में) — डा० वाई० एस० चितले और श्री पी० एन० रामलिंगम्

प्रत्यर्थियों की ओर से : (1984 की सि० अ० सं० 1178 में) — सर्वश्री पी० जी० नायर, के० के० मणि, वी० शेखर और पी० आर० सेथारमण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपीलार्थी की ओर से : (1983 की सि० अ० सं० 6211 में)	सर्वश्री ए० के० सेन०, ए० टी० एम० सम्पत
प्रत्यर्थी की ओर से : (1983 की सि० अ० सं० 6211 में)	श्री टी० वी० एस० नरसिम्हाचारी
अपीलार्थी की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 1992 में)	श्री के० रामकुमार
प्रत्यर्थी की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 1922 में)	श्री ए० टी० एम० सम्पत
अपीलार्थी की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 1659 में)	श्री ए० एस० नाम्बियार
अपीलार्थियों की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 3668 में)	सर्वश्री के० एस० राममूर्ति और ए० टी० एम० सम्पत
प्रत्यर्थियों की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 3668 में)	सर्वश्री सी० एस० वैद्यनाथन् और के० के० मणि
अपीलार्थी की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 2246 में)	सर्वश्री एम० जी० रामचन्द्रन और ए० वी० रंगम
प्रत्यर्थी की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 2246 में)	श्री टी० एस० कृष्णमूर्ति अय्यर
अपीलार्थी की ओर से : (1984 की सि० अ० सं० 4012 में)	सर्वश्री टी० एस० कृष्णमूर्ति अय्यर और एस० बालकृष्ण
प्रत्यर्थी की ओर से : (1982 की सि० अ० सं० 4012 में)	सर्वश्री पद्मनाभन और डी० एन० गुप्त

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस० मुर्तज़ा फज़ल अली ने दिया।

न्यायाधिपति फज़ल अली—

इन अपीलों में तमिलनाडु बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रेण्ट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 10(2) के परन्तुक में आने वाले 'जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम' शब्दों तथा उसके स्पष्टीकरण, जो परन्तुक के आशय को स्पष्ट करना चाहता है, के निर्वचन के संबंध में विधि के प्राय: समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं। हमने विस्तार में पक्षकारों के काउन्सेल की सुनवाई की और हमारे समक्ष बहुत-सी नजीरें दोनों पक्षकारों के समर्थन में दी गईं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

2. इन अपीलों में अन्तर्वलित विधि के प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में इन मामलों में से प्रत्येक के मात्र तथ्यों का हमारे समक्ष उठाए गए प्रश्नों की सत्यता की संपरीक्षा करने के लिए कथन करेंगे।

3. 1984 की सिविल अपील सं० 1178 में, प्रत्यर्थी मकान-मालिक ने वादगत परिसर सं० 3-बी, नई सं० 2-बी, डेविडसन स्ट्रीट, ब्राडवे, मद्रास, अपीलार्थी-किराएदार को अनिवासीय प्रयोग के लिए 600 रुपये मासिक किराए पर दिया था। अपीलार्थी ने बार-बार स्मरण कराने के बावजूद अक्तूबर, 1978 से अगस्त, 1979 तक की कालावधि का किराया संदत्त नहीं किया था। प्रत्यर्थी ने तारीख 2 दिसम्बर, 1979 को अपीलार्थी की दो आधारों पर बेदखली के लिए वाद फाइल किया : (1) किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम, और (2) भवन में की गई बर्बादी के तात्त्विक कार्य।

4. यहां पर इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलार्थी की बेदखली के लिए वाद फाइल करने से पूर्व प्रत्यर्थी ने तारीख 17 सितम्बर, 1979 को अपीलार्थी को दो महीने का नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से शोध्यों को देने के लिए भेजा। अपीलार्थी ने नोटिस प्राप्त करने पर बकाया की रकम का, जो 6,600 रुपये थी, 3-10-79 को अर्थात् दो माह की अनुबंधित कालावधि के भीतर संदाय कर दिया किन्तु प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि अपीलार्थी के पिछले आचरण को देखते हुए वह अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक के अर्थान्तर्गत जानबूझकर व्यतिक्रम करने का दोषी था।

5. जहां तक इस अपील का संबंध है, चूंकि संपूर्ण किराया तारीख 17 सितम्बर, 1979 के नोटिस के अनुसरण में वाद के फाइल करने से पूर्व ही संदत्त कर दिया गया था, यह बात स्पष्ट है कि वाद को फाइल करने की तारीख को चूंकि वर्तमान में कोई वाद-हेतुक उद्भूत नहीं हुआ था, इसलिए वाद को केवल न चलने योग्य होने के संक्षिप्त आधार पर ही खारिज हो जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, वाद के फाइल करने से पूर्व संपूर्ण बकाया रकम को प्राप्त करने के पश्चात् मकान-मालिक के पास किराएदार के पिछले आचरण के लिए वाद फाइल करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए यह अपील केवल इसी आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

6. 1983 की सिविल अपील सं० 6211 में प्रत्यर्थी-किराएदारों को वाद परिसर सं० 17/582, वार्ड-बी, जिनका पुराना तत्संबंधी सं० 2, नई सं० 5/8/582, आबिद रोड, हैदराबाद है, 225 रुपए मासिक किराए पर दिया गया था जो पारस्परिक सहमति से सन् 1964 में 275 रुपए प्रति माह तक बढ़ा दिया गया था। 1 जुलाई, 1966 से किराए को फिर बढ़ाकर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

300 रुपये प्रति माह करने के लिए सहमति की गई थी। अपीलार्थी मकान-मालिक ने आन्ध्र प्रदेश बिल्डिंग्स (लीज, रेंट एण्ड इविक्शन कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 की धारा 10 के अधीन तारीख 12 नवम्बर, 1971 को प्रत्यर्थियों के विरुद्ध तीन आधारों पर बेदखली का वाद फाइल किया : (1) किराएदारों द्वारा सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1971 के मासों के लिए किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम (कुल रकम 900 रुपए थी), (2) किराएदारों ने परिसर को हनुमंता को उप-पट्टे पर दे दिया था, और (3) कि परिसरों की उनके अपने वास्तविक प्रयोग के लिए आवश्यकता थी। तथापि मामले के लम्बित रहने के दौरान मूल मकान-मालिकों ने संपत्ति में अपने हित को हमारे समक्ष विद्यमान अपीलार्थियों को बेच दिया था और इसलिए वास्तविक आवश्यकता का प्रश्न यहां पर उपशमित हो गया है।

7. किराया नियंत्रक ने जानबूझकर व्यतिक्रम और उप-पट्टे के दोनों आधारों को पुष्ट कर दिया। उक्त विनिश्चय से व्यथित होकर प्रत्यर्थी-किराएदारों ने मुख्य न्यायाधीश, शहर लघुवाद न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष अपील फाइल कर दी और विद्वान् मुख्य न्यायाधीश ने अपने निर्णय द्वारा यह अभिनर्धारित किया कि सितम्बर, 1971 के माह के लिए किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम तथा उप-पट्टे पर देने का प्रश्न साबित हो गया था। शहर लघु वाद के मुख्य न्यायाधीश के इस विनिश्चय के विरुद्ध प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किया। इस बात पर विवाद नहीं है कि सितम्बर, 1971 से आगे का किराया संदत्त नहीं किया गया था और उस समय तक जब तक पिटीशन फाइल किया गया था, व्यतिक्रम केवल सितम्बर, 1971 माह के लिए ही था। उच्च न्यायालय ने सितम्बर, 1971 माह के लिए जानबूझकर व्यतिक्रम के संबंध में निचले न्यायालयों से सहमति व्यक्त की और उप-पट्टे पर देने के संबंध में निष्कर्ष को उलट दिया किन्तु जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर प्रत्यर्थियों की बेदखली का आदेश कर दिया।

8. 1982 की सिविल अपील सं० 1992 में प्रत्यर्थी मकान-मालिक ने जानबूझकर व्यतिक्रम और परिसरों को मरम्मत की आवश्यकता के आधारों पर अपीलार्थी-किराएदार के विरुद्ध बेदखली-पिटीशन फाइल किया। तथापि द्वितीय आधार पर जोर नहीं दिया गया और एकमात्र प्रश्न जो अवधारण के लिए, बचा वह यह था कि क्या अपीलार्थी की ओर से जानबूझकर व्यतिक्रम किया गया था। संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि अपीलार्थी सन् 1953 में प्रत्यर्थी के पिता के अधीन किराएदार बना था जो 15 रुपए मासिक किराए पर था जो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बाद में पारस्परिक सहमति के द्वारा बढ़ाकर 49 रुपए प्रति माह कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने अपने पिटीशन में यह दलील दी कि अपीलार्थी किराए के संदाय में व्यतिक्रमी बन गया था चूंकि उसने जून, 1977 से जनवरी, 1978 तक के महीनों का किराया संदत्त नहीं किया था। प्रत्यर्थी ने तारीख 16 जनवरी, 1978 को 392 रुपए की रकम के शोध्यों की मांग करते हुए एक नोटिस भी जारी कर दिया। अपीलार्थी ने तारीख 30 जनवरी, 1978 को 392 रुपए के बैंक ड्राफ्ट के साथ एक विस्तृत उत्तर भेज दिया तथापि इसे प्रत्यर्थी ने नहीं भुनाया और अपीलार्थी को बेदखली-पिटीशन फाइल करने के पश्चात्, जो कि 11 अगस्त, 1978 को फाइल किया गया था, वापस कर दिया।

9. किराया नियंत्रक ने किराएदार को जानबूझकर व्यतिक्रमी पाया और परिणामस्वरूप उसकी बेदखली का आदेश कर दिया। तथापि अपील प्राधिकारी ने अपील करने पर किराया नियंत्रक के निष्कर्ष को उलट दिया और किराएदार के अभिवाक् को स्वीकार कर लिया कि चूंकि वह बीमार था और किराया संदत्त करने के योग्य नहीं था। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय अपील प्राधिकारी के निष्कर्ष के साथ सहमत नहीं हुआ और किराया नियंत्रक के निष्कर्ष को बहाल कर दिया और अपीलार्थी की बेदखली का यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश कर दिया कि किराएदार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता, चूंकि उसके पुत्र उसी परिसर में कारबार चला रहे थे और उन्हें, यदि अपीलार्थी बीमार था तो, मकान-मालिक को किराया संदाय करने से कोई नहीं रोक रहा था।

10. 1982 की सिविल अपील सं० 1659 में प्रत्यर्थी मकान-मालिक ने अपीलार्थी-किराएदार के विरुद्ध दो आधारों पर गैर-आवासिक परिसर के संबंध में बेदखली-पिटीशन फाइल किया : (1) 1-5-1977 से 31-8-1977 तक के किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम, और (2) व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वास्तविक आवश्यकता। किराया नियंत्रक ने जांच के पश्चात् दोनों आधारों पर किराएदार की बेदखली का आदेश कर दिया और अपील प्राधिकारी ने किराया नियंत्रक के निष्कर्षों को पुष्ट कर दिया। मकान मालिक ने 1 सितम्बर, 1977 को किराएदार को शोध्यों का संदाय करने के लिए वकील का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् किराएदार ने केवल दो मासों का किराया संदत्त कर दिया और शेष दो मास के लिए किराएदार कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दे सका और इसलिए उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में किराए के बकाया के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम के संबंध में निचले दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों से सहमत हो गया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और केवल इस आधार पर किराएदार की बेदखली का आदेश कर दिया। तथापि उच्च न्यायालय मकान-मालिक की वास्तविक आवश्यकता के संबंध में निचले दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुआ और यह अभिनिर्धारित किया कि मकान-मालिक अनिवासीय भाग के लिए, जो उसने अनिवासीय प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दिया था, आवासीय प्रयोजनों के लिए मांग नहीं कर सकता।

11. 1982 की सिविल अपील सं० 3668 में अपीलार्थी ने 350 रुपए मासिक किराए पर अनिवासीय उपयोग के लिए प्रत्यर्थी से परिसर को किराए पर लिया। पक्षकारों के बीच किराए के संदाय के बारे में कुछ भ्रांति थी जिसके परिणामस्वरूप यह सहमति प्रकट की गई कि किराएदार बैंक में किराया जमा करेगा। प्रत्यर्थी मकान-मालिक ने तारीख 1 अप्रैल, 1980 को किराया नियंत्रक के न्यायालय में एक बेदखली पिटीशन फाइल किया जो उसने बैंक से इस बात का पता करने के पश्चात् किया कि किराएदार ने जनवरी और फरवरी, 1980 के मास के लिए किराया जमा नहीं किया था जिसके द्वारा उसने जानबूझकर व्यतिक्रम किया है। निचले प्राधिकारियों का मत बैंक में किराया जमा करने की व्यवस्था के विरुद्ध था और उसने जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर अपीलार्थी की बेदखली का आदेश कर दिया। उच्च न्यायालय ने निचले न्यायालयों के विनिश्चयों को कायम रखा और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने किराए के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम किया था और अपीलार्थी की बेदखली का आदेश कर दिया।

12. 1982 की सिविल अपील सं० 2246 में प्रत्यर्थी मकान-मालकिनों ने परिसरों को अपीलार्थी-किराएदार को 105 रुपए प्रति माह किराए पर अनिवासीय उपभोग के लिए दिया। प्रत्यर्थियों ने तारीख 2 नवम्बर, 1976 को किराएदार के विरुद्ध जनवरी, 1976 से सितम्बर, 1976 तक की कालावधि अर्थात् 9 मास की कालावधि के लिए किराए के संदाय न करने के लिए जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर बेदखली पिटीशन फाइल किया। किन्तु बेदखली पिटीशन फाइल करने से पूर्व प्रत्यर्थियों ने तारीख 6 जुलाई, 1976 को किराएदार को शोध्यों का संदाय करने के लिए नोटिस जारी किया और तारीख 17 जुलाई, 1976 को अपीलार्थी ने 630 रुपए की रकम का संदाय कर दिया जो मकान-मालकिनों ने बिना प्रतिकूल प्रभाव के स्वीकार कर ली। किराया नियंत्रक का यह मत था कि किराए के संदाय में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था और इसलिए मकान-मालकिनों के आवेदन को खारिज कर दिया। अपील करने पर अपील प्राधिकारी ने किराया नियंत्रक के निष्कर्ष को उलट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया था। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय अपीलार्थी की इस दलील से सहमत नहीं हुआ कि वह जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं था चूंकि बेदखली पिटीशन के फाइल करने के अव्यवहित पश्चात् उसने समनों की तामील से पूर्व ही संपूर्ण बकाया का संदाय कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किराएदार द्वारा जनवरी से जून, 1976 तक की कालावधि के लिए नोटिस जारी करने से पूर्व संदाय न करने के लिए कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं था। किराए का संदाय करने के पश्चात् भी किराएदार ने जब तक बेदखली पिटीशन तारीख 2 नवम्बर, 1976 को फाइल किया गया, और व्यतिक्रम किया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील प्राधिकारी के निष्कर्ष को कायम रखा और जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर किराएदार की बेदखली का आदेश कर दिया।

13. 1982 की सिविल अपील सं० 4012 में अपीलार्थी आवासीय परिसर का अधिभोगी है जिसकी सं० 17 (नई सं० 59) बुकिट रोड, टी० नगर, मद्रास है, जिसका मासिक किराया 325 रुपए था और अंग्रेजी कलैण्डर मास के अनुसार संदेय था। प्रत्यर्थी ने जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर और उसके अपने अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली पिटीशन फाइल किया। प्रत्यर्थी-मकान-मालकिन की ओर से यह कहा गया था कि अपीलार्थी ने जून, 1976 के आगे का किराया संदत्त करने में जानबूझकर व्यतिक्रम किया था और बार-बार मांग करने पर तारीख 1 अप्रैल, 1977 को उसके द्वारा 1,000 रुपए की रकम का संदाय किया गया था। उसने प्रत्यर्थी की ओर से आय-कर विभाग को पांच मास का किराया संदत्त किया था किन्तु उसने आय-कर विभाग को संदाय करने का साक्ष्य देने के लिए कोई रसीद पेश नहीं की थी। यह धारणा करते हुए कि अपीलार्थी ने उक्त संदाय कर दिया था, प्रत्यर्थी ने आगे यह दलील दी कि फरवरी, 1977 से जुलाई, 1978 तक अपीलार्थी की ओर बकाया था जिसके द्वारा उसने जानबूझकर व्यतिक्रम किया था। किराया नियंत्रक प्रत्यर्थी की इन दलीलों से सहमत नहीं था और उसने यह अभिनिर्धारित किया कि व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था और मकान-मालकिन के स्वयं अधिभोग के लिए आवश्यकता वास्तविक नहीं थी। अपील करने पर अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किराएदार ने मई, 1976 से आगे का तारीख 1 अप्रैल, 1977 को और दिसम्बर, 1976 से आगे का तारीख 10 अप्रैल, 1977 को किराया संदाय करने में जानबूझकर व्यतिक्रम किया था। तथापि अपील प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण था कि प्रत्यर्थी वास्तविक आवश्यकता के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपने मामले को साबित करने में समर्थ नहीं हो सकती थी । किन्तु, जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर अपीलार्थी की बेदखली का आदेश कर दिया गया था । पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय अपील न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हो गया और जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर अपीलार्थी की बेदखली को पुष्ट कर दिया ।

14. हमारे देश के राज्यों में और विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में अभिभावी विभिन्न किराया अधिनियमों के उपबंधों के विस्तृत सर्वेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि किराए के संदाय में व्यतिक्रम के लिए बेदखली के बारे में उपबंध एकरूप नहीं हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं । कुछ अधिनियमों में 'जानबूझकर व्यतिक्रम' का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है । कुछ में इसे नकारात्मक रूप में उल्लिखित किया गया है जबकि कुछ में इसे सकारात्मक रूप में दिया गया है । मामले को संक्षिप्त करते हुए विभिन्न किराया अधिनियमों के पुनर्विलोकन से स्थिति जो उभरती है, वह यह है कि बेदखली से संबंधित उपबंध व्यतिक्रम के तीन विभिन्न रूपों में व्यक्त हैं —

(1) अधिनियम जिनमें स्पष्टतः 'जानबूझकर व्यतिक्रम' का उसकी परिभाषा किए बिना उल्लेख किया गया है ।

(2) अधिनियम जिनमें बिल्कुल भी 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु मकान-मालिक पर कतिपय कालावधि के पश्चात् निरे और मात्र व्यतिक्रम पर किराएदार की बेदखली का अधिकार प्रदत्त करते हैं जबकि किराया शोध्य हो चुका हो, यह भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न है ।

(3) अधिनियम जिनमें 'जानबूझकर व्यतिक्रम' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है किन्तु सकारात्मक रूप की अपेक्षा नकारात्मक रूप में किया गया है ।

15. ये हैं आंध्र प्रदेश बिल्डिंग्स (लीज, रेंट एण्ड इविक्शन) कण्ट्रोल ऐक्ट, 1960, उड़ीसा हाउस रेंट कण्ट्रोल ऐक्ट, 1967 और पांडिचेरी बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रेंट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1969 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रमशः आन्ध्र प्रदेश अधिनियम, उड़ीसा अधिनियम और पांडिचेरी अधिनियम कहा गया है) अधिनियमों का अन्तिम वर्ग तमिलनाडु अधिनियम है, जो प्रश्नगत कानून है और जिसमें धारा 10(2) के परन्तुक में 'जानबूझकर व्यतिक्रम' की परिधि को विस्तृत करके काफी सुधार किया गया है, जिनमें आगे स्पष्टीकरण के द्वारा, जो 1973 के अधिनियम सं० 23 द्वारा उक्त परन्तुक में जोड़ा गया है,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और स्पष्ट किया गया है। अन्य किराया अधिनियम भी हैं, जिनमें न केवल 'जानबूझकर व्यतिक्रम' अभिव्यक्ति का ही प्रयोग किया गया है वरन् जो किराएदार को साधारण व्यतिक्रम के लिए भी ब्याज के साथ संपूर्ण किराए के संदाय की सुविधा देते हैं जिसके संदाय पर बेदखली का वाद खारिज हो जाता है या कुछ भी हो उनमें ऐसे उपबंध अन्तर्विष्ट हैं जिनके द्वारा चाहे बेदखली का कोई वाद फाइल किया जाए, किराएदार से किराए की संपूर्ण बकाया, खर्चे और ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा है जिसके न करने पर उसका प्रतिवाद रद्द कर दिया जाता है और बेदखली वाद स्वतः डिक्री हो जाता है।

16. इन परिस्थितियों में विद्यमान मामलों के प्रयोजन के लिए हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम अधिनियमों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए निरुद्देश्य जांच करें जो 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम लाभपूर्ण रूप से केवल उन अधिनियमों को निर्दिष्ट करेंगे जिनमें 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्द या तो नकारात्मक या सकारात्मक रूप में अन्तर्विष्ट हैं। जैसा कि पहले उपदर्शित किया गया है, ये अधिनियम आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और तमिलनाडु अधिनियम हैं। यद्यपि हमारा संबंध मुख्यतः तमिलनाडु अधिनियम से है, फिर भी 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों की प्रकरण संबंधी पृष्ठभूमि और उसके सही विन्यास को समझने के लिए हम संक्षिप्ततः उपरोक्त अधिनियमों के सुसंगत उपबंधों की परीक्षा करेंगे। आन्ध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 10(2) केवल ऐसा उपबंध है जो किराएदार को कतिपय शर्तों के अधीन बेदखली से संरक्षण देता है। उस उपधारा का परन्तुक इस प्रकार है :—

> *"परन्तु यह कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार का किराया संदाय करने या निविदत्त करने में व्यतिक्रम **जानबूझकर** नहीं था, तो धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी वह किराएदार को 15 दिनों से अनधिक का युक्तियुक्त समय उसके द्वारा शोध्य

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "Provided that in any case falling under clause (i), if the Controller is satisfied that the tenant's default to pay or tender rent was not **wilful**, he may notwithstanding anything in section 11, give the tenant a reasonable time, not exceednig fifteen **days**, to **pay**

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किराया मकान-मालिक को संदत्त या निविदत्त करने के लिए दे सकेगा, ऐसे संदाय या निविदान की तारीख तक और ऐसे संदाय या निविदान पर आवेदन नामंजूर हो जाएगा।"

17. यह बात ध्यान देने की है कि यद्यपि अधिनियम द्वारा अनुध्यात व्यतिक्रम जानबूझकर है, फिर भी इसे नकारात्मक रूप में रखा गया है जो निस्सन्देह किराएदार को कानूनी उपबंध के काठिन्य से निकलने के लिए पर्याप्त त्राण देता है। उड़ीसा अधिनियम की धारा 7(2) के परन्तुक के शब्द भी इस प्रकार से हैं, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है—

> **"परन्तु यह कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराया संदत्त या निविदत्त करने में किराएदार का व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था...।"

18. पांडिचेरी अधिनियम एक अन्य कानून है जिसमें भी नकारात्मक रूप में 'जानबूझकर' शब्द अन्तर्विष्ट है, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है—

> ***"परन्तु यह कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराया संदत्त या निविदत्त करने में किराएदार का व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था...।"

19. निस्सन्देह उपरोक्त अधिनियम इस बात को अनुध्यात करते हैं कि पूर्णरूपेण व्यतिक्रम किराएदार को बेदखल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा अपितु आगे यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था। तथापि अधिनियम उस पद्धति या रीति के बारे में शांत है, जिसमें न्यायालय इस बात का विनिश्चय कर सकेगा कि जानबूझकर क्या है और जानबूझकर क्या नहीं है। इस प्रकार से अधिनियम इस प्रश्न को विनिश्चित

---

or tender the rent due by him to the landlord upto the date of such payment or tender and such on payment or tender, the application shall be rejected."

**"Provided that in any case falling under clause (i) if the Controller is satisfied that the tenant's default to pay or tender rent was not wilful..."

***"Provided that in any case falling under clause (i) if the Controller is satisfied that the tenant's default to pay or tender rent was not wilful..."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के लिए न्यायालय पर छोड़ता है । जहां तक तमिलनाडु अधिनियम का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से इस बात की परिभाषा करता है कि जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है । अधिनियम की धारा 10(2) का परन्तुक इस प्रकार है—

> *"परन्तु यह कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार का किराया संदत्त या निविदत्त करने में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था, तो धारा 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह किराएदार को 15 दिनों से अनधिक युक्तियुक्त समय ऐसे संदाय या निविदान की तारीख तक किराएदार को उसके द्वारा शोध्य किराए के संदाय या निविदान के लिए दे सकेगा और ऐसे संदाय या निविदान पर आवेदन नामंजूर हो जाएगा ।"

20. इस परन्तुक को 1973 के अधिनियम सं० 23 द्वारा इसमें जोड़े गए स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था जिसमें इस बात का अवधारण करने के लिए स्पष्ट मापदण्ड का उपबंध है कि जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है और क्या नहीं है । इस संबंध में किराएदारों की ओर से काउन्सेल द्वारा यह दलील दी गई थी कि स्पष्टीकरण के बावजूद न्यायालय को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह इस बात का अवधारण कर सके कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर था अथवा नहीं और ऐसा करने में वह पूर्णत: और एकमात्र रूप से स्पष्टीकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होगा जो मात्र स्पष्टीकारक स्वरूप का है । यदि न्यायालय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में यह पाता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं है तब वह स्पष्टीकरण के बावजूद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है । दूसरी ओर, मकान-मालिकों की ओर से काउन्सेल की दलील यह है कि स्पष्टीकरण का प्रयोजन ही स्पष्टीकरण के रूप में निश्चायक मापदण्ड अधिकथित करके विनिश्चयों में

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "Provided that in any case falling under clause (i) if the Controller is satisfied that the tenant's default to pay or tender rent was not wilful, he may, notwithstanding anything contained in section 11, give the tenant a reasonable time, not exceeding fifteen days, to pay or tender the rent due by him to the landlord up to the date of such payment or tender and on such payment or tender, the application shall be rejected."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एकरूपता लाना है जो यह कथित करता है कि व्यतिक्रम केवल जानबूझकर होगा यदि मकान-मालिक किराएदार को दो माह का नोटिस देता है और किराएदार इस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किराए का संदाय नहीं करता। दूसरे शब्दों में, दलील ऐसी प्रतीत होती है कि स्पष्टीकरण को परन्तुक में पढ़ना होगा जिससे कि 'जानबूझकर' शब्द की परिभाषा और उसका निर्वचन उक्त स्पष्टीकरण द्वारा अधिकथित मापदण्ड के अनुसरण में अर्थात् 'दो माह के नोटिस को जारी करना' द्वारा करना होगा। दलील विचार के योग्य है किन्तु किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों के सही अर्थ की परीक्षा करें और परन्तुक और स्पष्टीकरण के विस्तार का निर्वचन करें। प्रथमदृष्ट्या, किराएदारों के काउन्सेल की इस दलील में कुछ बल दिखाई देता है कि जब तक स्पष्टीकरण की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, व्यतिक्रम का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, यह 'जानबूझकर व्यतिक्रम' नहीं हो सकता, जैसा कि परन्तुक द्वारा अनुध्यात है।

21. तथापि इस प्रश्न पर और विचार करने से पूर्व हम 'जानबूझकर' शब्द या 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों के वास्तविक अर्थ और अन्तर्वस्तु का पता करें। एल० बी० कर्जन द्वारा लिखित 'ए डिक्शनरी आफ लॉ' पुस्तक में पृष्ठ 361 पर 'जानबूझकर' और 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों की इस प्रकार परिभाषा की गई है—

> 'जानबूझकर'—किसी व्यक्ति का सोद्देश्य आचरण, जो एक स्वतंत्र अभिकर्ता है, जो यह जानता है कि वह क्या कर रहा है और उसका आशय वही है जो वह कर रहा है।
>
> 'जानबूझकर व्यतिक्रम'—या तो उपेक्षा या कर्तव्य-भंग की चेतना या कर्तव्य के करने में लापरवाही।

22. दूसरे शब्दों में, 'जानबूझकर व्यतिक्रम' का अर्थ सोद्देश्य और साशय व्यतिक्रम है जो पूर्ण रूप से यह जानते हुए किया जाता है कि उसके विधिक परिणाम क्या होंगे। 'शब्द और वाक्यांश', जिल्द 11-क, (स्थायी संस्करण) पृष्ठ 268 में 'व्यतिक्रम' शब्द की परिभाषा किसी कर्तव्य को न करने के रूप में, विधिक कार्य को करने में असफलता या अपेक्षित किसी बात को करने में लोप के अर्थ में की गई है। 'शब्द और वाक्यांश' की जिल्द 45 में 'जानबूझकर' शब्द की बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषा इस प्रकार की गई है—

> " 'जानबूझकर'—साशय; अनानुषंगिक या अनैच्छिक—साशय, जानते हुए और प्रयोजनवश किसी तर्कसंगत प्रतिहेतु के बिना किया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गया जो लापरवाही से, बेपरवाही से, असावधानी से या अविचारित रूप से किए गए कार्य से प्रभेदित है;

—सामान्य भाषा में 'जानबूझकर' शब्द का प्रयोग घटनावश या अनैच्छिक से यथा-प्रभेदित आशयित के भाव में किया गया है। पृष्ठ 296—'जानबूझकर' ऐसे कार्य को निर्दिष्ट करता है जो प्रबुद्ध रूप से और सोद्देश्य किया गया है और ऐसे आचरण के क्रम को द्योतित करता है जो ऐसे कार्य की अपेक्षा जो घटनावश, उपेक्षापूर्ण या अनैच्छिक से भिन्न संकल्प के प्रयोग द्वारा चिह्नित हो।"

23. वैबस्टर्स थर्ड न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी जिल्द 3 में पृष्ठ 2617 पर 'जानबूझकर' शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

"किसी कार्य के अधीन हुए बिना या किसी कारण के संबंध के बिना इच्छा द्वारा शासित; दुःसाध्य रूप से या विपर्यस्त रूप से स्वेच्छित।"

24. 'व्यतिक्रम' शब्द की परिभाषा वैबस्टर्स थर्ड न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी की जिल्द 1 में पृष्ठ 590 पर इस प्रकार की गई है—

"किसी संविदा या करार को पूरा करने में असफलता, किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में असफलता, वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में असफलता।"

25. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 'चौथा संस्करण', पृष्ठ 1773 में 'जानबूझकर' शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

" 'स्वेच्छाचारिता' ऐसे कार्य को विवक्षित करती है जो साशयित और संचिन्तित रूप से किया गया हो; ध्यान रखने में सचेत असफलता; जानते हुए, स्थिर प्रयोजन के साथ किन्तु विद्वेष के बिना किया गया।

'अचेत' शब्द जैसा कि उपेक्षा को लागू किया गया है, जानबूझकर या स्वतंत्र का विधिक पर्याय है।"

26. इस प्रकार से 'जानबूझकर व्यतिक्रम' शब्दों के अर्थ का मतैक्य यह उपदर्शित करता प्रतीत होता है कि जानबूझकर किए जाने के लिए व्यतिक्रम आशयित, सौद्देश्य और प्रकल्पित और भान और उससे होने वाले विधिक परिणामों के पूर्ण ज्ञान के साथ होना चाहिए। ऐसे मामले का उदाहरण लेते हुए जहां कि किराएदार मौखिक मांगों और अनुस्मारकों के बावजूद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यतिक्रम पर व्यतिक्रम करता है और किसी न्यायोचित या विधिपूर्ण हेतुक के बिना किराए का संदाय करने में असफल रहता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह जानबूझकर व्यतिक्रम का दोषी नहीं है क्योंकि आचरण का ऐसा क्रम स्पष्ट रूप से या तो अधिनियम द्वारा या ऊपर निर्दिष्ट अन्य अधिनियमों द्वारा यथा-अनुध्यात जानबूझकर व्यतिक्रम है ।

27. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, वह यह है कि परन्तुक का विस्तार क्षेत्र क्या है और स्पष्टीकरण की व्याप्ति या तो परन्तुक के प्रति या किसी अन्य कानूनी उपबंध के प्रति क्या है । हम पहले परन्तुक के स्वरूप, विस्तार और परिधि का प्रश्न लेंगे । किसी परन्तुक के निर्वचन का सुस्थापित नियम यह है कि परन्तुक के तीन पृथक् कार्य होते हैं । साधारणत: किसी परन्तुक से अभिप्रेत है मुख्य अधिनियमिति के भीतर किसी चीज का अपवाद या उसमें अधिनियमित किसी को विशेषित करना होता है जो परन्तुक के बिना अधिनियमिति के विस्तार के भीतर होता है । दूसरे शब्दों में, परन्तुक को मुख्य अधिनियमिति से अलग नहीं रखा जा सकता और न ही इसे अकृतता या मुख्य अधिनियमिति के वास्तविक उद्देश्य को निष्फल करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ।

28. क्रेज ने अपनी पुस्तक 'स्टेट्यूट लॉ' (सातवां संस्करण) में परन्तुक के प्रयोजन और आशय को स्पष्ट करते हुए पृष्ठ 218 पर इस प्रकार कहा था—

> "अर्थान्वयन के साधारण नियमों के अनुसार अपवादकारी या विशेषक परन्तुक का प्रभाव अधिनियमिति के पूर्व भाग में से अपवाद और उसमें अधिनियमित किसी चीज को विशेषित करना है जो परन्तुक के बिना उसके भीतर होगी···नैसर्गिक उपधारणा यह है कि परन्तुक के बिना अधिनियमन करने वाला धारा का भाग परन्तुक की विषयवस्तु को सम्मिलित कर लेता है ।"

29. ओजर्स ने 'कंस्ट्रक्शन आफ डीड्स एण्ड स्टेट्यूट्स' (पांचवां संस्करण) में परन्तुक के विस्तार क्षेत्र को निर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित संघटकों का उल्लेख किया—

> पृष्ठ 317. "**परन्तुक**—किसी अधिनियम में ये अपवाद या विशेषक खण्ड हैं जो अधिनियमिति में किसी चीज में से अपवाद या किसी को विशेषित करते हैं जो परन्तुक के बिना इसके भीतर होती ।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पृष्ठ 318. "यद्यपि इसे परन्तुक के रूप में विरचित किया गया है, ऐसे खण्ड का आपवादिक रूप से मुख्य अधिनियमिति का प्रभाव है ।"

30. सारथी ने 'इण्टरप्रटेशन आफ स्टेट्यूट्स' में पृष्ठ 294-295 पर परन्तुक के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को एकत्रित किया है—

"(क) जब कोई व्यक्ति किसी धारा में कोई परन्तुक पाता है, तो नैसर्गिक उपधारणा यह है कि परन्तुक के बिना धारा का अधिनियमन-भाग परन्तुक की विषयवस्तु को सम्मिलित कर लेता है ।

(ख) परन्तुक का अर्थान्वयन उस खण्ड के पूर्व भागों के निर्देश में किया जाना चाहिए, जिसके साथ यह संलग्न है ।

(ग) जहां कि परन्तुक प्रत्यक्षत: धारा के विरुद्ध है, तो परन्तुक रहेगा और धारा का निरसन माना जाना चाहिए क्योंकि परन्तुक बनाने वाले के बाद के आशय को बतलाता है ।

(घ) जहां कि धारा संदेहयुक्त है, परन्तुक को इसका निर्वचन करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है किन्तु जब यह स्पष्ट हो तो परन्तुक उन शब्दों के अस्तित्व को विवक्षित नहीं करता जिनका कि धारा में कोई पता नहीं है ।

(ङ) परन्तुक मुख्य धारा का अधीनस्थ है ।

(च) परन्तुक बाध्यकर कारणों के सिवाय अधिनियमिति को विस्तारित नहीं करता ।

(छ) कभी-कभी अनावश्यक परन्तुक काफी सतर्कता के साथ अन्त:स्थापित कर दिया जाता है ।

(ज) परन्तुक का किया गया अर्थान्वयन, जो धारा के शब्दों में सामान्य संगति लाता है, अभिभावी होना चाहिए ।

(झ) जबकि कोई परन्तुक अधिनियमन करने वाले भाग के विरुद्ध हो, तो परन्तुक पश्चात्वर्ती अधिनियम के आत्यंतिक शब्दों पर अभिभावी नहीं होगा जो पूर्व अधिनियम के अनुपूरक के रूप में पढ़े जाने के लिए निर्दिष्ट हों ।

(ञ) परन्तुक में कभी-कभी मुख्य उपबंध अन्तर्विष्ट होता है ।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

31. **लोकल गवर्नमेंट बोर्ड** बनाम **साउथ स्टोनहम यूनियन**[1] के मामले में लार्ड मैकनाटन ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया—

"मैं समझता हूं कि परन्तुक पूर्व अधिनियमिति का विशेषण है जो बिल्कुल सही होने के लिए अधिक सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है।"

32. **ईश्वरलाल ठाकुरलाल अलमौला** बनाम **मोतीभाई नागजीभाई**[2] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परन्तुक का मुख्य उद्देश्य मात्र मुख्य अधिनियमिति को विशेषित करना होता है। **मद्रास एण्ड सदर्न मराठा रेलवे कम्पनी लिमिटेड** बनाम **बेजवाडा म्युनिसिपैलिटी**[3] के मामले में लार्ड मैकमिल्लन ने इस प्रकार मत व्यक्त किया—

"परन्तुक का सही कार्य ऐसे मामले का अपवाद करना और उस पर चर्चा करना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियमिति की सामान्य भाषा के भीतर आता हो और इसका प्रभाव उस मामले तक परिरुद्ध है।"

33. उपरोक्त मामला इस न्यायालय द्वारा **आय-कर आयुक्त, मैसूर** बनाम **इण्डो मर्कण्टाइल बैंक लिमिटेड**[4] के मामले में अनुमोदित किया गया था जहां न्यायाधिपति कपूर ने यह अभिनिर्धारित किया कि परन्तुक का सही कार्य मात्र मुख्य अधिनियमिति की सामान्यता को अपवाद का उपबंध करके और मुख्य अधिनियमिति से, जैसी कि वे थीं, एक भाग को लेकर, जो परन्तुक के बिना मुख्य अधिनियमिति के भीतर आते, विशेषित करना है। **शाह भोजराज कुंवरजी आयल मिल्स एण्ड गिन्निग फैक्टरी** बनाम **सुभाष चन्द्र योगराज सिन्हा**[5] के मामले में न्यायाधिपति हिदायतुल्ला ने, जैसे कि वे तब थे, बहुत युक्ततः और संक्षिप्ततः परन्तुक की समष्टि को इस प्रकार उपदर्शित किया—

"सामान्य नियम के रूप में परन्तुक किसी अधिनियमिति को सृजित विशेषित करने या उस बात में अपवाद सृजित करने के लिए जो अधिनियमिति में जोड़ा जाता है और सामान्यतः परन्तुक का

---

[1] (1909) अपील केसेज 57.

[2] [1966] 1 एस० सी० आर० 367.

[3] ए० आई० आर० 1944 प्रिवी कौंसिल 71.

[4] [1959] 2 सप्ली० एस० सी० आर० 256.

[5] [1962] 2 एस० सी० आर० 159.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निर्वचन इस प्रकार से नहीं किया जाता जैसा कि सामान्य नियम के बारे में कहा जाता है।"

34. **वैस्ट डर्बी** बनाम **मैट्रोपालिटन लाइफ एंश्योरेंस कम्पनी**[1] के मामले में किसी परन्तुक के निर्वचन के खतरे के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हुए, लार्ड वाटसन ने इस प्रकार मत व्यक्त किया—

"कानून के आकार में संपूर्ण परन्तुक से विधान का अर्थ देना बहुत खतरनाक और निश्चित रूप से असाधारण क्रम है।"

35. **रोड्डा अर्बन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल** बनाम **टाफ वाले रेलवे कम्पनी**[2] के मामले में लार्ड ओरबर्न द्वारा परन्तुक की एक बहुत युक्त परिभाषा और उसका विस्तार किया गया था, जहां कि यह बतलाया गया था कि प्रारूपकार के द्वारा परन्तुक का निवेश सदैव उसके विधिमान्य प्रयोग के लिए नहीं किया जाता और कभी-कभी परन्तुक के रूप में लिखी गई धारा पूर्णतः या भागतः सारतः एक नई अधिनियमिति बन जाती है जिसमें कुछ जोड़ा जाता है और न कि मात्र कुछ का अपवाद किया जाता है या जो पहले हुआ है, वह उसको विशेषित करता है। उसी बारे में **जेन्निग्स और एक अन्य** बनाम **केल्ली**[3] के मामले में उसी न्यायालय का एक पश्चात्वर्ती विनिश्चय है, जहां कि इस प्रकार मत व्यक्त किया गया था—

"अब हमें परन्तुक की ओर आना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि धारा का अर्थान्वियन करने में उसके संपूर्ण भाग को पढ़ा जाना चाहिए और यदि संभव हो, एक संगत अर्थ उसके प्रत्येक भाग को दिया जाना चाहिए। शब्द इस प्रकार हैं "परन्तु यह और कि ऐसी अनुज्ञप्ति केवल ऐसे परिसरों के लिए अनुदत्त की जाएगी जो किसी वार्ड या जिला निर्वाचन खण्ड में स्थित हो, जिसमें जनसंख्या में ऐसी बढ़ोतरी हुई है।" इसमें कोई सन्देह प्रतीत नहीं होता कि शब्द "जनसंख्या में ऐसी बढ़ोतरी" धारा के प्रारम्भिक शब्दों में उल्लिखित आबादी के 25 प्रतिशत से अन्यून की बढ़ोतरी को निर्दिष्ट करता है।"

36. परन्तुक का निर्वचन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह सामान्य अधिनियमिति से विशेष मामलों को हटाने के लिए और उनका पृथक्तः उपबंध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

---

1 (1897) अपील केसेज 647.

2 (1909) अपील केसेज 253.

3 (1940) अपील केसेज 206.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

37. संक्षेप में, सामान्यतः किसी परन्तुक का आशय अधिनियमित उपबंध को सीमित करना होता है जिससे कि ऐसी किसी बात को अपवादित किया जा सके जो अन्यथा इसके भीतर होती या कुछ हद तक अधिनियमित किये गए खण्ड को उपांतरित करना है। कभी-कभी कोई परन्तुक मुख्य उपबंध में सन्निहित होता है और उसका अभिन्न अंग बन जाता है जिससे कि यह उसका प्रमुख उपबंध हो जाता है।

38. ऊपर निर्दिष्ट नजीरों के अतिरिक्त इस न्यायालय ने विनिश्चयों के लम्बे क्रम में परन्तुक के विभिन्न रूपों, पहलुओं और तत्वों को स्पष्ट और प्रतिबिंबित किया है। **राजस्थान राज्य** बनाम **लीला जैन**[1] के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किये गए थे—

> "जहां तक कि परन्तुक के अर्थान्वयन के सामान्य सिद्धांत का संबंध है, विस्तृत रूप से यह कहा गया है कि परन्तुक का कार्य धारा के मुख्य भाग को सीमित करना और ऐसी कोई चीज बनाना है जो बिना परन्तुक के उसके सक्रिय भाग के भीतर होती।"

39. **विक्रय-कर अधिकारी, सर्किल-1, जबलपुर** बनाम **हनुमान प्रसाद**[2] के मामले में न्यायाधिपति भार्गव ने इस प्रकार मत व्यक्त किए—

> "यह बात सुमान्य है कि परन्तुक प्रधान खण्ड के साथ जोड़ा जाता है, मुख्य रूप से उस मुख्य खण्ड की व्याप्ति को हटाने के उद्देश्य से जो इसमें सम्मिलित है, और जिसे विधानमण्डल यह चाहता है कि यह अपवर्जित होना चाहिए।"

40. **वाणिज्यिक-कर आयुक्त और अन्य** बनाम **आर० एस० झावर और अन्य**[3] के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किए थे—

> "सामान्यतः यह बात सही है कि परन्तुक धारा के मुख्य भाग का अपवाद है किन्तु यह बात मानी गई है कि अपवादित मामलों में परन्तुक स्वयं एक अधिष्ठायी उपबंध होगा।"

41. **द्वारका प्रसाद** बनाम **द्वारका दास सराफ**[4] के मामले में न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए यह मत व्यक्त किया—

---

[1] [1965] 1 एस० सी० आर० 276.
[2] [1967] 1 एस० सी० आर० 831.
[3] [1968] 1 एस० सी० आर० 148.
[4] [1975] 4 उम० नि० प० 1275=(1976) 1 एस० सी० सी० 128.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"इस दलील में कुछ विधिमान्यता है किंतु यदि उचित अर्थान्वयन करने पर मुख्य उपबंध स्पष्ट हो तो उसका परन्तुक न तो उसमें विस्तार कर सकता है और न उसे सीमित ही कर सकता है। कभी-कभी परन्तुक किसी शंकित प्रारूपकार द्वारा इसलिए अंतःस्थापित किया जाता है कि संभाव्य संदेहों को दूर किया जा सके, मामले को स्पष्ट किया जा सके और संदेहास्पद कोनों में प्रकाश डाला जा सके। यहां ऐसा ही मामला है।...

यदि निर्वचन का नियम यह हो कि प्रथमदृष्ट्या किसी परन्तुक को उसके प्रवर्तन के संबंध में अधिनियमन करने वाले खण्ड की विषयवस्तु तक सीमित रखा जाना चाहिए तो जो दृष्टिकोण हमने अपनाया है वह सही है। ऐसे अधिनियमन करने वाले खण्ड में विस्तार करना, जिसमें कि परन्तुक जोड़ा गया हो, अर्थान्वयन के इस मूल नियम के विरुद्ध होगा कि परन्तुक पर विचार उस मुख्य विषय के संबंध में ही किया जाना चाहिए जिसके साथ वह परन्तुक के रूप में संलग्न है। साधारण तौर पर परन्तुक तो केवल परन्तुक ही होता है हालांकि स्वर्णिम नियम यह है कि समस्त धारा का पठन, परन्तुक को अंतर्विष्ट करते हुए किया जाए, और वह ऐसी रीति में किया जाना चाहिए कि वे परस्पर एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और परिणाम-स्वरूप सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाए।"

42. **हीरालाल रतनलाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] के मामले में न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए यह मत व्यक्त किया—

"सामान्यतः किसी धारा के परन्तुक का आशय विशेष विवेचन करने के लिए मुख्य धारा के भाग को हटाना है। मुख्य धारा के विस्तार को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती। किंतु ऐसे मामले उद्भूत हुए हैं जिनमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य के होते हुए भी कि उपबंध को परन्तुक कहा जाता है। वास्तव में यह एक पृथक् उपबंध है और तथाकथित परन्तुक ने सारतः मुख्य धारा को बदल दिया है।"

43. हमें इस प्रश्न पर एक के बाद दूसरी नजीर देकर नजीरों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधिक स्थिति स्पष्टतः और प्रकट रूप से

[1] [1973] नि० सा० 33=(1973) 1 एस० सी० सी० 216.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सुस्थापित दिखाई देती है। संक्षेप में परन्तुक चार भिन्न-भिन्न प्रयोजनों को पूरा करता है—

(1) मुख्य अधिनियमिति से कतिपय उपबंधों को विशेषित करना या अपवादित करना;

(2) यह पूर्णत: अधिनियमिति के आशय की धारणा को ही कतिपय आज्ञापक शर्तों पर जोर देकर जो अधिनियमिति को व्यवहार्य बनाने के लिए पूरी करनी होती हैं, बदल सकता है;

(3) यह स्वयं अधिनियम में इस प्रकार सन्निहित हो सकता है जिससे कि यह अधिनियमिति का अनिवार्य भाग बन सके और इस प्रकार से स्वयं अधिष्ठायी अधिनियमिति की प्रवृत्ति और रंग अर्जित कर लेता है; और

(4) यह मात्र अधिनियमिति के वैकल्पिक अनुबंध के रूप में कानूनी उपबंध के वास्तविक आशय को स्पष्ट करने के मात्र उद्देश्य से कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

44. प्राय: परन्तुक के मुख्य तात्पर्य और समष्टि प्रतीत होते हैं।

45. जहां तक कि प्रश्नगत अधिनियम का संबंध है, मामला जानबूझकर व्यतिक्रम के प्रश्न पर ही आधारित नहीं है किंतु एक संशोधन (1973 का अधिनियम सं० 23) के द्वारा निम्नलिखित शब्दों में एक स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक में जोड़ा गया था—

*"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जाएगा यदि किराएदार द्वारा किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम किराए का दावा करने वाले मकान-मालिक द्वारा दो माह के नोटिस जारी करने के पश्चात् भी किया जाता है।"

46. अब हमें इस बात पर विचार करना है कि परन्तुक पर स्पष्टीकरण का क्या प्रभाव है जो जानबूझकर किये गए व्यतिक्रम के प्रश्न से संबंधित है।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"**Explanation**—For the purpose of this sub-section, default to pay or tender rent shall be construed as wilful, if the default by the tenant in the payment or tender of rent continues after the issue of two months' notice by the landlord claiming the rent."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तथापि इस कठिन और संवेदनशील प्रश्न पर जांच प्रारंभ करने से पूर्व हमें स्पष्टीकरण के आशय, प्रयोजन और विधिक प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए। यह बात अब सुनिश्चित है कि कानूनी उपबंध में जोड़ा गया स्पष्टीकरण शब्द के किसी भाव में अधिष्ठायी उपबंध नहीं है किंतु जैसा कि स्वयं शब्द के स्पष्ट अर्थ दर्शाते हैं, इसका मात्र अर्थ कतिपय संदिग्धताओं को समझाना या स्पष्ट करना है जो कानूनी उपबंध में आ जाते हैं। सारथी ने 'इण्टरप्रटेशन आफ स्टेट्यूट्स' में स्पष्टीकरण के विभिन्न पहलुओं का निरूपण करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किये थे—

"(क) स्पष्टीकरण का उद्देश्य स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से अधिनियम को समझना है।

(ख) यह साधारणतः उस मूल धारा के विस्तार क्षेत्र को नहीं बढ़ाता जिसको यह स्पष्ट करता है किंतु विवाद से परे अर्थ को स्पष्ट ही करता है।" (पृष्ठ 329)

47. स्वरूप ने 'लेजीस्लेशन एण्ड इण्टरप्रटेशन' में बहुत चतुरता से स्पष्टीकरण के विस्तार और प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार कहा—

"कभी-कभी कोई स्पष्टीकरण किसी विशेष बात पर जोर देने के लिए जोड़ा जाता है जो साधारणतः धारा के उपबंधों से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। स्पष्टीकरण का सही कार्य उस बात को स्पष्ट और विशदीकृत करना है जो अधिष्ठायी उपबंध में अधिनियमित की गई है न कि उसमें कुछ जोड़ना या उससे कुछ घटाना। इस प्रकार से स्पष्टीकरण न तो अधिनियमित किये गए भाग को निर्बन्धित करता है या उसे बढ़ाता है, यह उस मूल धारा के विस्तार को बढ़ाता नहीं है या कम नहीं करता है, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि यह उसे स्पष्ट करेगा।...स्पष्टीकरण का निर्वचन इसके अपने तात्पर्य के अनुसार किया जाना चाहिए कि इसका अर्थ स्पष्ट करना है विपर्ययेन नहीं।" (पृष्ठ 297-298)

48. बिन्द्रा ने 'इण्टरप्रटेशन आफ स्टेट्यूट्स' (पांचवां संस्करण) पृष्ठ 67 पर यह कहा—

"स्पष्टीकरण मूल धारा के विस्तार को नहीं बढ़ाता है जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वह उसे स्पष्ट करेगा। यह बात स्वयंसिद्ध है कि स्पष्टीकरण केवल स्पष्ट करता है और मूल धारा के विस्तार को नहीं बढ़ाता या उसमें कुछ नहीं जोड़ता...। तथापि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्पष्टीकरण का प्रयोजन मुख्य उपबंध के विस्तार को सीमित करना नहीं है।···स्पष्टीकरण का अर्थान्वयन इसके शब्दों पर निर्भर करना चाहिए और इसके प्रयोजन का कोई सिद्धांत तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें प्रयुक्त भाषा से इसका अनुमान न लगा लिया जाए। स्पष्टीकरण का अर्थान्वयन उसके अपने तात्पर्य के अनुसार किया जाना चाहिए।"

49. उपरोक्त लेखकों द्वारा अधिकथित सिद्धांत इस न्यायालय की बहुत-सी नजीरों द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं। कुछ का उल्लेख करते हुए **बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **वाणिज्यिक-कर अधिकारी और अन्य**[1] के मामले में एक संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय में न्यायाधिपति हिदायतुल्ला ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस प्रकार मत व्यक्त किया—

"अब स्पष्टीकरण का अर्थान्वयन उसके अपने तात्पर्य के अनुसार किया जाना चाहिए और इसका अभिप्राय अनुच्छेद के खण्ड (1) (क) को स्पष्ट करना है न कि विपर्ययेन। अनुच्छेद की सहायता से स्पष्टीकरण को स्पष्ट करना गलती है क्योंकि यह उनकी भूमिकाओं को बदल देता है।"

50. **बीहटा कोआपरेटिव डेवेलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **दि बैंक आफ बिहार और अन्य**[2] के मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया—

"स्पष्टीकरण को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि मुख्य धारा में किसी संदिग्धता को संगत किया जा सके और स्पष्ट किया जा सके। इसका अर्थान्वयन इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि यह धारा के क्षेत्र को बढ़ाए।"

51. **हीरालाल रतनलाल**[3] वाले उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया—

"स्पष्टीकरण की भाषा के आधार पर इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह खण्ड (ग) के विस्तार क्षेत्र को विस्तृत नहीं करता। किंतु मामले में जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात

---

[1] [1961] 1 एस० सी० आर० 902.

[2] [1967] 1 एस० सी० आर० 848.

[3] (1973) नि० सा० 33=(1973) 1 एस० सी० सी० 216.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्पष्ट है कि यदि स्पष्टीकरण को सही रूप से पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता हो कि इसने मुख्य धारा के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाया है तो इस तथ्य के होते हुए भी विधायी आशय को प्रभावी किया जाना चाहिए कि विधानमण्डल ने उस उपबंध को स्पष्टीकरण का नाम दिया है।"

52. **दत्तात्रेय गोविन्द महाजन और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] के सामले में न्यायाधिपति भगवती ने इस प्रकार मत व्यक्त किया—

"यह बात सच है कि स्पष्टीकरण का परम्परागत कृत्य उस मुख्य उपबंध के अर्थ और प्रभाव को स्पष्ट करना है जिसका कि यह स्पष्टीकरण है और उसमें सन्देह और संदिग्धता को स्पष्ट करना है।...इसलिए चाहे प्रश्नगत उपबंध को स्पष्टीकरण कहा गया है, हमें इसका अर्थान्वयन इसकी स्पष्ट भाषा के अनुसार करना चाहिए न कि कार्यकरण तर्क के विचार पर।"

53. इस प्रकार से ऊपर निर्दिष्ट नजीरों के दिग्दर्शन से यह बात स्पष्ट है कि कानूनी उपबंध के स्पष्टीकरण का उद्देश्य—

(क) स्वयं अधिनियम के अर्थ और आशय को स्पष्ट करना है;

(ख) जहां मुख्य अधिनियमिति में कोई दुर्बोधता या संदिग्धता हो तो उसे स्पष्ट करना है जिससे कि यह उस मुख्य उद्देश्य के साथ संगत हो सके जिसका यह साधन करता दिखाई देता है;

(ग) अधिनियम के मुख्य उद्देश्य को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अतिरिक्त समर्थन करना है;

(घ) स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से किसी अधिनियमिति में हस्तक्षेप या उसके किसी भाग को परिवर्तित नहीं कर सकता किंतु जहां कोई ऐसा अंतराल छोड़ दिया जाता है, जो स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए सुसंगत है, तो उसे रिष्टि को दबाने के लिए और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यह अधिनियमिति के अभिप्राय और आशय का सही अर्थान्वयन करने में न्यायालय की सहायता या सहयोग करता है; और

(ङ) तथापि यह उस कानूनी अधिकार को ही ले लेता है जिसके

---

[1] [1977] 2 एस० सी० आर० 790.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साथ कोई व्यक्ति कानून के अधीन सशक्त किया गया है या उसके अर्थान्वयन में बाधा बन कर अधिनियम के कार्यकरण को नगण्य नहीं कर देता।

54. इस प्रकार से परन्तुक और स्पष्टीकरण के मुख्य विस्तार और परिधि की पूर्णतः चर्चा करने के पश्चात् हम अब अधिनियम और अन्य अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालेंगे। हमने पहले ही इस बात पर चर्चा कर ली है कि यद्यपि प्रत्येक राज्य का उसका अपना किराया अधिनियम है, न तो स्पष्टीकरण और न ही कोई कानूनी खण्ड 'जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम' शब्द के संबंध में उनमें उल्लिखित है। ये अधिनियम, ऐसा प्रतीत होता है कि, व्यतिक्रम जैसे सादे शब्द पर ही कार्यवाही करते हैं और शायद अपने इस आशय को पुष्ट करने के लिए उन्होंने बेदखली के आधारों को दर्शित करने के लिए कतिपय मार्गदर्शन अधिकथित किये हैं जहां कि व्यतिक्रम होता है। ऐसे अधिनियमों को सामान्यतः देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें प्रथमतः कानूनी रूप से एक विशेष तारीख या समय दिया गया है, जबकि किराएदार को अभिधृति की संविदा के अधीन कब्जा देने पर किराए का संदाय करना होता है। ऐसा उपबंध अभिधृति की संविदा के विरुद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और यदि उस हद तक यह है, तो यह संविदा का अध्यारोहण करता है। इसलिए यह किराएदार को, जिसे किसी परिसर का कब्जा दिया गया है, इस बारे में पर्याप्त सूचना देता है कि उसे अधिनियम में उपवर्णित मापदण्ड के अनुसार किराए का संदाय करना चाहिए जो न करने पर उसे व्यतिक्रम के लिए बेदखली का खतरा उठाना पड़ेगा। तथापि कुछ अधिनियमों में किराया नियंत्रक या न्यायालय को इस बात का पता करने के लिए समर्थ करने हेतु कतिपय व्यतिक्रमों का उपबंध किया गया है कि क्या ऐसे व्यतिक्रम मकान-मालिक को बेदखली का आदेश प्राप्त करने के लिए हकदार बनाएंगे। कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, जिन्होंने कुछ सुकल्पित और यदि हम ऐसा कहें, तो युक्त उपबंध इस बात का उपबंध करके व्यतिक्रम के मामले में बेदखली की प्रक्रिया में शीघ्रता करने के लिए किए हैं कि जब कभी बेदखली का कोई वाद किराएदार के विरुद्ध व्यतिक्रम के आधार पर फाइल किया जाता है तो किराएदार को अपनी सदाशयता दिखाने के लिए पहले संपूर्ण किराया, बकाया और खर्चे, किराया नियंत्रक के न्यायालय में, जहां पर कार्यवाही की गई है, सुनवाई की पहली तारीख को जमा करने चाहिए, ऐसा न होने पर सम्बद्ध न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिवाद को अभिखंडित करने में और बेदखली का आदेश तभी और वहीं पारित करने में पूर्णतः न्यायोचित होगा। ऐसी प्रक्रिया का प्रमुख

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उद्देश्य किराएदार को स्वयं उसका प्रहरी बना देता है। यह बात सत्य है कि ऐसे उपबंध कुछ कठोर हैं किंतु यदि किराएदार व्यतिक्रम करता रहता है तब कोई अन्य उपचार नहीं होता कि उसे केवल समय पर किराए का संदाय करना होता है जब तक कि कुछ कठोर कदम नहीं उठा लिए जाते। इसलिए ये अधिनियम मकान-मालिक और किराएदार के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं। इन मामलों का विनिश्चय करने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम ऐसे उपबंध के सदाचार या दर्शन पर विचार करें क्योंकि हमारा संबंध ऐसे कानूनों से है जिनमें विभिन्न प्रकार के उपबंध हैं।

55. इस संक्षिप्त भूमिका के साथ अब हम अन्य तीन अधिनियमों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पांडिचेरी अधिनियमों में अंतर्विष्ट समान उपबंधों के साथ, जो कि अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक से तात्त्विक रूप से समान हैं, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के कार्यकरण की परीक्षा करेंगे। अधिनियम और अन्य अधिनियमों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जहां कि स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक में जोड़ा गया है, ऐसा कोई स्पष्टीकरण अन्य तीन अधिनियमों के उपबंधों के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसलिए हमें स्पष्टीकरण के सहयोजन में लेकर परन्तुक के संयुक्त प्रभाव पर विचार करना होगा।

56. इसलिए हम फिर यह पता करने के लिए स्पष्टीकरण को उद्धृत करेंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है और किस हद तक यह परन्तुक के उपबंधों को प्रभावित करता है—

> "स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जाएगा यदि किराएदार द्वारा किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम किराए का दावा करने वाले मकान-मालिक द्वारा दो माह के नोटिस जारी के पश्चात् भी किया जाता है।"

57. यदि हम इस स्पष्टीकरण की विभिन्न सहगामी वस्तुओं का विश्लेषण करें, तो स्थिति यह दिखाई देती है—

(क) किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम होना चाहिए;

(ख) व्यतिक्रम किराए की बकाया का दावा करने वाले दो माह के नोटिस के मकान-मालिक के जारी करने के पश्चात् भी चलता रहना चाहिए;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ग) यदि नोटिस के बावजूद बकाया का संदाय नहीं किया गया है तो किराएदार के बारे में यह कहा जाएगा कि उसने जानबूझकर व्यतिक्रम किया है और परिणामस्वरूप वह तुरंत बेदखली के दायित्वाधीन होगा ।

58. प्रश्न यह है कि क्या ये तीन शर्तें परन्तुक के प्रभाव को कम करती हैं या मात्र जानबूझकर व्यतिक्रम के आशय को स्पष्ट करना चाहती हैं ? एक दृष्टिकोण जो संभव हो सकता है और जो किराएदारों की ओर से काउन्सेल की दलील का आधार बनता है, यह है कि किराए के बकाया का दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् भी संदाय न करना सभी परिस्थितियों में स्वयं जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं होगा यदि संदाय न करना हमारे द्वारा 'जानबूझकर किये गए व्यतिक्रम' शब्दों की परिभाषा करते हुए बताए गए विभिन्न तत्त्वों को पूरा नहीं करते । दूसरा दृष्टिकोण, जिसकी हमारे समक्ष मकान-मालिकों के काउन्सेल द्वारा वकालत की गई है, वह यह है कि स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से एक बार जब यह साबित हो जाता है कि दो माह का नोटिस जारी करने के पश्चात् यदि किराएदार दो माह की अनुबंधित कालावधि के भीतर बकाया का संदाय नहीं करता, तो वह सीधा बेदखली के दायित्वाधीन है । एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि ऐसा निर्वचन अत्यन्त कठोर और दण्डात्मक स्वरूप का होगा क्योंकि यदि नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् किराएदार उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण, जिसके बारे में न्यायालय का समाधान हो जाता है, बकाया का संदाय करने में सक्षम नहीं है तो किराएदार के अधिकार पर यह गंभीर बट्टा या अक्षमता लगाना होगा । उसी परिणाम से यह दलील दी गई थी कि यदि ऐसा निर्वचन स्पष्टीकरण का किया जाता है तब परन्तुक के संपूर्ण उपबंध निरर्थक हो जाते हैं और उक्त परन्तुक को व्यर्थ कर देते हैं ।

59. एक अन्य पहलू, जिस पर इस प्रक्रम पर जोर दिया जाना चाहिए, यह है कि जहां कि किराएदार ने व्यतिक्रम पर व्यतिक्रम बिना किसी विधिपूर्ण या युक्तियुक्त कारण के किया है, और उक्त व्यतिक्रम में जानबूझकर किये गए व्यतिक्रम के सभी गुण हैं, अर्थात् सौद्देश्य, साशय, प्रकल्पित और सचेत रूप से, तो क्या उसे अपराध से विमुख होने का और अवसर दिया जाना चाहिए । विस्तार में पक्षकारों के काउन्सेल की सुनवाई करने के पश्चात् हम यह महसूस करते हैं कि यद्यपि प्रश्न कठिन है, फिर भी यह समाधान से परे नहीं है । यदि हम परन्तुक और स्पष्टीकरण के उद्देश्यों को पृथक् रखते हैं, तो इन मामलों को विनिश्चित करने में कठिनाई नहीं होगी ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

60. प्रारंभ में अधिनियम की धारा 10(2)(i) यह अधिकथित करती है कि जहां नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार ने अभिधृति के करार में नियत समय की समाप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर या ऐसे करार के न होने की दशा में उस माह से अगले माह की अंतिम तारीख, जिसके लिए किराया संदेय है, किराए का संदाय या निविदान नहीं किया है, तो वह (किराएदार) निस्संदेह व्यतिक्रम करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 10(2)(i) में उल्लिखित दो कारण किराएदार को संदाय की पद्धति के बारे में और अंतिम तारीख के बारे में जिसको यह समझा जाता है कि वह विधिक रूप से किराए का संदाय करेगा, स्पष्ट नोटिस देते हैं। तथापि यह मामले को संविवाद से परे नहीं रखता क्योंकि परन्तुक के अधीन बेदखली का आदेश पारित करने से पूर्व यह भी साबित किया जाना चाहिए कि व्यतिक्रम जानबूझकर था और यदि नियंत्रक की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों और तथ्यों में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं किया गया था, तो उस भाव में कि इसमें जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम के गुण या विशेषण नहीं हैं, जैसा कि हमने ऊपर उपदर्शित किया है, वह किराएदार को 15 दिनों से अनधिक का युक्तियुक्त समय संपूर्ण किराए का संदाय करने के लिए दे सकेगा और यदि इसका अनुपालन कर दिया जाता है तो बेदखली का आवेदन खारिज हो जाएगा। तथापि कठिनाई स्पष्टीकरण द्वारा उत्पन्न की गई है जिसमें यह कहा गया है कि एक बार जब मकान-मालिक अपने किराएदार को किराए के बकाया का संदाय करने के लिए दो माह का नोटिस दे देता है किंतु किराएदार उसके पश्चात् भी व्यतिक्रम करता रहता है, तब वह बेदखली के दायित्वाधीन है। इस दलील में काफी बल है जिसके अपने लाभ हैं। प्रथमतः यह न्यायालय को इस प्रश्न की जटिलता पर विचार करने से बचाती है कि जानबूझकर व्यतिक्रम क्या है और क्या जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम की शर्तें पूरी की गई हैं अथवा नहीं जो यदि अनुज्ञात कर दी जाती हैं तो एक मामले से दूसरे मामले और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भिन्न होंगी। किंतु कठिनाई यह है कि यदि ऐसा सामान्य वर्जन न्यायालय पर जानबूझकर व्यतिक्रम के प्रश्न की परीक्षा न करने पर लगा दिया जाता है, तो एक बार यदि स्पष्टीकरण में अधिकथित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो निस्संदेह ये किराएदार के प्रति गंभीर अन्याय करेंगे। ऐसे निर्वचन का समनुषंगी परिणाम यह होगा कि चाहे किराएदार नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् किराए के बकाया का संदाय करना चाहता हो किंतु ऐसा करने में मृत्यु, दुर्घटना, चोरी आदि अकल्पित परिस्थितियों के कारण असमर्थ हो जो उसे बकाया का संदाय करने से रोकती हैं, फिर भी स्पष्टीकरण के अधीन उसे बेदखल होना पड़ेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

61. एक अन्य दृष्टिकोण जो हमारी राय में अधिक स्वीकार्य है और परन्तुक द्वारा प्रयुक्त वास्तविक शब्दों से उद्भूत होता है वह यह है कि जहां स्पष्टीकरण इस भाव में लागू नहीं होता कि मकान-मालिक ने दो माह का नोटिस जारी नहीं किया है, न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह अवधारण करना होगा कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है और उसके बारे में हमारे द्वारा अधिकथित मानदण्डों को ध्यान में रखना होगा और यदि न्यायालय का यह मत है कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है, तब बेदखली की डिक्री किसी कठिनाई के बिना पारित की जा सकती है।

62. प्रथम दृष्टिकोण, अर्थात् यदि दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है, तो किरायेदार को जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं समझा जाना चाहिए, को स्वीकार करने में एक अन्य कठिनाई यह है कि ऐसे मामले में प्रत्येक मकान-मालिक को एक पृथक् कार्यालय बनाना होगा जिससे कि वह प्रत्येक व्यतिक्रम के पश्चात् दो माह का नोटिस दे सके और यदि कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो कोई कार्यवाही किराएदार के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी। हम दो माह का नोटिस प्रत्येक व्यतिक्रम के पश्चात् देने के लिए मकान-मालिक पर ऐसा अयुक्तियुक्त निर्बन्धन रखने में असमर्थ हैं जो प्रत्येक मामले में संभव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हमारी राय में सही निर्वचन यह होगा कि जहां—

(1) स्पष्टीकरण द्वारा यथापेक्षित कोई नोटिस किराएदार को नहीं दिया गया है, तो नियंत्रक या न्यायालय निश्चित रूप से इस प्रश्न की परीक्षा करेगा कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है और ऐसे मामले में स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा;

(2) जहां कि मकान-मालिक दो माह का नोटिस जारी करना चाहता है और किराया संदत्त नहीं किया जाता है तब यह जानबूझकर व्यतिक्रम का निश्चायक सबूत होगा जब तक कि किराएदार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किराए के संदाय में अपनी असमर्थता साबित नहीं कर देता।

63. मकान-मालिकों की ओर से काउन्सेल की दलील यह थी कि चाहे स्पष्टीकरण के अधीन नोटिस दिया जाता है, वह इस बात का अवधारण करने के लिए परन्तुक की अधिकारिता को नहीं हटा देता कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर था अथवा नहीं, यदि इसमें ऊपर निर्दिष्ट गुण और विशेषण हैं क्योंकि स्पष्टीकरण जो कुछ करता है वह मात्र जानबूझकर व्यतिक्रम का एक उदाहरण मिलाता है और इस प्रश्न पर यह विनिश्चायक नहीं है और उसका

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अर्थान्वयन न्यायालय द्वारा परन्तुक में उल्लिखित शर्तों के समायोजन में करना होगा । तथापि हम इस अत्यधिक विस्तार तक जाने में असमर्थ हैं क्योंकि वह स्पष्टीकरण के उद्देश्य को वास्तव में व्यर्थ कर देगा । जैसा कि हम स्पष्टीकरण को पढ़ते हैं, यह बिल्कुल भी परन्तुक में इस बात का विनिश्चय करने की कि व्यतिक्रम जानबूझकर है अथवा नहीं, नियंत्रक को दिए गए आज्ञापक कर्तव्यों को नहीं हटाता । वास्तव में, यदि मकान-मालिक अपने किराएदार को दो माह के नोटिस को देने का विकल्प अपनाता है और वह किराए का संदाय नहीं करता तब सारभूत और बाध्यकर कारणों के न होने पर नियंत्रक या न्यायालय निश्चित रूप से इस बात की उपधारणा कर सकता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर किया गया है और सीधे उसकी बेदखली का आदेश कर सकता है । न्यायालय इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ है कि क्या दो माह का नोटिस किराया संदाय करने के लिए दिया गया है अथवा नहीं, यह सदैव नियंत्रक के लिए परन्तुक के अधीन जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम के प्रश्न का अवधारण करने की स्वतंत्रता होगी क्योंकि यह स्पष्टीकरण के उद्देश्य को ही निरर्थक और निष्फल कर देगा । हम निम्नलिखित शब्दों में इस मामले में अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं —

(1) जहां भू-स्वामी द्वारा स्पष्टीकरण के निबन्धनों के अनुसार नोटिस नहीं दिया गया है, तो नियंत्रक को हमारे द्वारा व्यक्त चार शर्तों को ध्यान में रखते हुए निस्सन्देह इस प्रश्न का अवधारण करने का विवेकाधिकार होगा कि क्या किराएदार द्वारा किया गया व्यतिक्रम जानबूझकर है अथवा नहीं । यदि वह ऐसा महसूस करता है कि हमारे द्वारा उल्लिखित शर्तों में से किसी की कमी है या यह कि व्यतिक्रम कुछ अदृश्य परिस्थितियों के कारण था तो वह किराएदार को अपराध से विमुख होने का युक्तियुक्त समय देकर अवसर दे सकता है जो कानून 15 दिनों का रखता है, और यदि उस समय के भीतर किराएदार किराए का संदाय कर देता है तो बेदखली के लिए आवेदन नामंजूर करना होगा ।

(2) यदि मकान-मालिक किराएदार को शोध्यों को अदा करने के लिए दो माह का नोटिस देने का विकल्प अपनाता है और किराएदार नोटिस के अनुबंधित समय के भीतर शोध्यों का संदाय नहीं करता तब नियंत्रक को जानबूझकर व्यतिक्रम के प्रश्न का अवधारण करने का विवेकाधिकार नहीं होगा क्योंकि किरायेदार का ऐसा आचरण स्वयं जानबूझकर व्यतिक्रम समझा जाएगा जब तक कि वह यह नहीं दर्शा देता कि वह पर्याप्त-हेतुक या परिस्थितियों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा, जो उसके नियंत्रण से बाहर थी, मकान-मालिक द्वारा भेजे गए नोटिस का अनुपालन करने से रोका गया था।

64. तथापि हम जानबूझकर व्यतिक्रम के प्रश्न पर कुछ निर्णयज विधि को निर्दिष्ट करेंगे, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्वचन किया गया है क्योंकि उसमें मद्रास उच्च न्यायालय के तीन ऐसे विनिश्चय दिखाई देते हैं जिनका कुछ प्रतिकूल दृष्टिकोण है। **राजेश्वरी बनाम वासुमल लालचंद**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किराए का संदाय न करना ऐसी उत्तान और क्रूर उदासीनता किराएदार की ओर से है जो जानबूझकर व्यतिक्रम की कोटि में आता है। तथापि ऐसा लगता है कि विद्वान् न्यायाधीश ने 1973 में पुरःस्थापित धारा 10(2) के स्पष्टीकरण के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया। निस्सन्देह यह विनिश्चय उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि जानबूझकर व्यतिक्रम मात्र सादा और स्पष्ट व्यतिक्रम नहीं है किंतु ऐसा व्यतिक्रम है जो स्पष्टतः सोद्देश्य और साशयित है। **एन० रामास्वामी रेड्डियार** बनाम एस० एन० **पेरियामुथु नाडार**[2] के मामले में अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण पर स्पष्टतः विचार किया गया था और न्यायमूर्ति रत्नम् ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया था—

> "स्पष्टीकरण का पठन यह उपदर्शित करता है कि यह जानबूझकर व्यतिक्रम के सभी मामलों तक व्यापक नहीं है किंतु यह केवल एक उदाहरण विनिर्दिष्ट करता है जहां व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम के रूप में करना चाहिए। यदि किराएदार काफी समय तक बिल्कुल भी किराए का संदाय नहीं करता और मकान-मालिक इस आधार पर कि किराएदार ने जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, कोई नोटिस जारी किए बिना बेदखली के आदेश के लिए पिटीशन फाइल करता है, तो किराएदार द्वारा किसी अन्य स्पष्टीकरण के न होने पर व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर किया जाना चाहिए; इस तथ्य के होते हुए भी कि मकान-मालिक ने किराएदार को किराए का दावा करते हुए नोटिस जारी करना नहीं चाहा। इस दृष्टिकोण से मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि पिटीशनर की ओर से काउन्सेल उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता।"

65. हम स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए परन्तुक के निर्वचन पर विद्वान्

---

[1] ए० आई० आर० 1983 मद्रास 97.

[2] (1980) लॉ वीकली (जिल्द 93) पृष्ठ 577.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अपने आपको पूर्णतः सहमत पाते हैं। **खिवराज चोरडिया** बनाम **जी० मानिकलाल भट्टाद**[1] के मामले में न्यायमूर्ति राममूर्ति ने एक बहुत युक्त और स्पष्ट प्रभेद सादे व्यतिक्रम और जानबूझकर व्यतिक्रम के बीच किया है और यह बतलाया है कि 'जानबूझकर व्यतिक्रम' होने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि किराएदार का आचरण ऐसा था जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसका लोप किराए का संदाय करने में उसकी बाध्यता का सबोध अतिक्रमण था। इस संबंध में विद्वान् न्यायमूर्ति ने इस प्रकार मत व्यक्त किया—

> "इस न्यायालय के विनिश्चय बार-बार यह बतलाते रहे हैं कि व्यतिक्रम और जानबूझकर व्यतिक्रम के बीच विधि का स्पष्ट अंतर है और अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किराए का संदाय न करना यद्यपि व्यतिक्रम की कोटि में आएगा, वह स्वयं जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं हो सकता और यदि उसके पश्चात् थोड़े समय के भीतर अगले माह में समय की समाप्ति के पश्चात् किराए का संदाय कर दिया जाता है तो व्यतिक्रम को बेदखली के दण्ड के समर्थन में जानबूझकर नहीं कहा जा सकता।...
>
> अधिनियमिति के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अर्थात् किराएदारों की अयुक्तियुक्त बेदखली को रोकने के लिए, वह सिद्धांत जो बहुत से विनिश्चयों से उद्भूत होता है यह है, कि व्यतिक्रम को जानबूझकर व्यतिक्रम मानने के लिए किराएदार का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता हो कि उसका लोप किराए का संदाय करने की उसकी बाध्यता का सबोध अतिक्रमण था या अचेत उदासीनता थी। यदि व्यतिक्रम दुर्घटनावश या अविचार या गलत या मिथ्या सुरक्षा बोध पर था, यह स्वयं मकान-मालिक के आचरण पर आधारित है तो उस व्यतिक्रम को जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं कहा जा सकता।"

66. इसलिए जानबूझकर व्यतिक्रम के प्रश्न का विनिश्चय करने में न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न सिद्धांतों और मापदण्डों को प्रतिपादित करने के पश्चात् हम अपने समक्ष फाइल की गई विभिन्न अपीलों का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होते हैं। प्रत्येक अपील के संक्षिप्त तथ्यों को पहले ही अपने निर्णय के प्रारंभिक भाग में उल्लिखित कर दिया है और

---

[1] ए० आई० आर० 1966 मद्रास 67.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हम प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्यों से निकाले गए अपने निष्कर्षों को संक्षेप में कहना चाहेंगे।

67. 1984 की सिविल अपील सं० 1178 में यह प्रतीत होता है कि यद्यपि किराएदार ने व्यतिक्रम किया है, किंतु उसने मकान-मालिक द्वारा वाद फाइल करने से ठीक पहले संपूर्ण किराए का संदाय कर दिया था। वास्तव में बेदखली के लिए वाद मकान-मालिक द्वारा लम्बित बकाया के आधार पर नहीं किंतु किराएदार को भूतकाल में व्यतिक्रम करने के लिए दण्डित करने के उद्देश्य से फाइल किया गया था। ऐसे वाद को ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बार जब संपूर्ण शोध्यों का मकान-मालिक को संदाय कर दिया जाता है तो वाद फाइल करने के लिए वाद-हेतुक पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसलिए 1984 की सिविल अपील सं० 1178 से उद्भूत होने वाला वाद खारिज होना चाहिए क्योंकि वह चलने योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित बेदखली का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

68. 1983 की सिविल अपील सं० 6211 में हमारे द्वारा अधिकथित मानदण्डों और मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 900 रुपए के बकाया के संदाय में जानबूझकर व्यतिक्रम साबित हो चुका है और चूंकि यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि बकाया का संदाय नहीं किया गया था या किराएदार के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण उन्हें रोक लिया गया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित बेदखली का आदेश पुष्ट किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है।

69. 1982 की सिविल अपील सं० 1992 में कुछ विचित्र स्थिति उद्भूत हुई लगती है। यह बात सत्य है कि प्रारंभ में किराएदार ने जून, 1977 से जनवरी, 1978 तक के मासों का किराया संदत्त नहीं किया था जिससे मकान-मालिक ने तारीख 16 जनवरी, 1978 को 392 रुपए की रकम के बकाया का संदाय करने की मांग करते हुए नोटिस जारी कर दिया था। किराएदार ने नोटिस की प्राप्ति (30-1-78) के 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत उत्तर मकान-मालिक को भेज दिया और 392 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट उसके साथ संलग्न कर दिया तथापि जिसे मकान-मालिक ने भुनाया नहीं और किराएदार को बेदखली का पिटीशन फाइल करने के पश्चात् लौटा दिया जिसके कारण स्वयं वह ही जानता है। इसलिए चूंकि किराएदार ने अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण द्वारा अनुबंधित समय के भीतर नोटिस का पहले ही अनुपालन कर लिया था, किसी भी कल्पना के आधार पर उसे जानबूझकर व्यतिक्रम का दोषी नहीं कहा जा सकता। दूसरी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ओर, वाद फाइल करने में और बैंक ड्राफ्ट को न भुनाने में मकान-मालिक का आचरण बेदखली की डिक्री प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेरित था जो झूठे प्रतिहेतु पर था। ऐसी कार्य स्थिति को न्यायालय द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में, हमारी यह राय है कि चूंकि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बकाया का संदाय कर दिया गया था, किराएदार की बेदखली का प्रश्न नहीं उठता और न ही व्यतिक्रम का प्रश्न सामने आता है मात्र इसलिए कि मकान-मालिक उसे बेदखली पिटीशन फाइल करके तंग करना चाहता था। इसलिए उच्च न्यायालय किराएदार के विरुद्ध बेदखली की डिक्री पारित करने में गलती पर था। इसलिए हम अपील मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा किराएदार की बेदखली का आदेश अपास्त करते हैं।

70. 1982 की सिविल अपील सं० 1659 में, चूंकि यह किराएदार की ओर से जानबूझकर व्यतिक्रम का स्पष्ट मामला था, हम उच्च न्यायालय के आदेश को पुष्ट करते हैं जिसमें किराएदार को बेदखल किया गया था और अपील को खारिज करते हैं।

71. 1982 की सिविल अपील सं० 3668 में पक्षकारों के बीच इस बारे में कुछ विवाद उद्भूत हुआ था कि क्या किराया बैंक में जमा किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप तारीख 1 अप्रैल, 1980 को मकान-मालिक ने बैंक से यह पूछताछ करने के पश्चात् कि किराएदार ने जनवरी और फरवरी, 1980 के मास के लिए किराया जमा नहीं किया था, किराया नियंत्रक के न्यायालय में बेदखली के लिए प्रस्तुत वाद फाइल किया था। हमारी राय में, यह व्यतिक्रम निस्सन्देह सौद्देश्य, सचेत और बिना युक्तियुक्त और यथोचित आधार पर था और उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कि किराएदार जानबूझकर व्यतिक्रम का दोषी था और बेदखली के लिए डिक्री पारित करने में ठीक था। चूंकि मकान-मालिक द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तद्नुसार अपील खारिज की जाती है।

72. 1982 की सिविल अपील सं० 2246 में प्रत्यर्थी मकान-मालकिनों ने परिसर को किराएदार को 105 रुपए मासिक किराए पर दिया था। उनके द्वारा तारीख 2 नवम्बर, 1976 को जनवरी, 1976 से सितम्बर, 1976 तक की 9 मास की कालावधि के लिए किराएदार द्वारा किराए का संदाय न करने के लिए बेदखली के लिए पिटीशन फाइल किया गया था। किन्तु यहां पर हम यह कह सकते हैं कि बेदखली पिटीशन फाइल करने से पूर्व प्रत्यर्थियों ने तारीख 6 जुलाई, 1976 को किराएदार को शोध्यों का संदाय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने के लिए कहते हुए एक नोटिस जारी किया था, जिसे किराएदार ने तारीख 17 जुलाई, 1976 को अर्थात् नोटिस की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर संदाय कर दिया था जिसे मकान-मालकिनों द्वारा पक्षपातरहित स्वीकार कर लिया गया था। किराया नियंत्रक ने यह अभिनिर्धारित किया कि व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था क्योंकि नोटिस के अनुसरण में संदाय पहले ही किया जा चुका था। अपील प्राधिकारी ने किराया नियंत्रक के निष्कर्ष को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि व्यतिक्रम जानबूझकर था। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में इस आधार पर बेदखली के आदेश को कायम रखा कि जनवरी से जून, 1976 तक की कालावधि के लिए किराए का संदाय न करने के लिए कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उच्च न्यायालय स्पष्टतः गलती पर था क्योंकि किराएदार ने पहले ही जनवरी से जून तक के किराए सहित संपूर्ण शोध्यों को तारीख 17 जुलाई, 1976 को जमा कर दिया था। इस प्रकार से जानबूझकर व्यतिक्रम का प्रश्न उद्भूत नहीं हो सकता और न ही यह कहा जा सकता है कि व्यतिक्रम या तो सबोध या सोद्देश्य या आशयित था। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से चूंकि किराएदार ने नोटिस के समय के भीतर रकम का संदाय कर दिया था, इसलिए जानबूझकर व्यतिक्रम का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य की उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतः अनदेखी की गई है। इसलिए हम अपील को मंजूर करते हैं और किराएदार की बेदखली का निदेश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं।

73. 1982 की सिविल अपील सं० 4012 में किराएदार ने 325 रुपए के मासिक किराए पर परिसर का अधिभोग किया। ऐसा प्रतीत होता है कि किराएदार ने जून, 1976 के आगे के किराए का संदाय करने में व्यतिक्रम किया था, 1 अप्रैल, 1977 को उसके द्वारा 1,000 रुपए की रकम का ही संदाय किया गया था जिसमें कि बकाया के काफी अतिशेष को असंदत्त छोड़ दिया गया था। किराएदार का यह अभिवाक् कि उसने आय-कर विभाग को संदाय कर दिया था, साबित नहीं हुआ है और न ही किराएदार को संविदा के अधीन आय-कर विभाग को किसी रकम का संदाय करने का अधिकार था और यदि उसने अपनी ओर से ऐसा किया, तो उसे उसके आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। फिर भी मकान-मालिक ने यह दलील दी कि फरवरी, 1977 से जुलाई, 1978 तक अपीलार्थी की ओर बिना किसी विधिपूर्ण हेतुक के बकाया था। इसलिए यह जानबूझकर व्यतिक्रम का स्पष्ट मामला है जहां कि किराएदार ने सोद्देश्य, सबोध और आशयित रूप से किराए का संदाय नहीं किया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित करने में कि व्यतिक्रम जानबूझकर था और अपील न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को पुष्ट करने में पूर्णतः न्यायोचित था। तद्नुसार अपील खारिज की जाती है।

74. परिणाम यह है कि सभी अपीलें ऊपर उपदर्शित रूप से निपटाई जाती हैं किन्तु इन परिस्थितियों में अपीलों से किसी में भी खर्चों के कोई आदेश नहीं होंगे। 1983 की सिविल अपील सं० 5769 तारीख 12 सितम्बर, 1984 के हमारे आदेश के अनुसार पहले ही निपटा दी गई थी।

न्यायाधिपति सव्यसाची मुखर्जी के मतानुसार

75. अपने विद्वान् बंधुओं से पूर्ण सम्मान के साथ मुझे खेद है कि मैं तमिलनाडु बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रेंट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 की धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण में 'जानबूझकर व्यतिक्रम' अभिव्यक्ति के अर्थान्वयन से सहमत होने में असमर्थ हूं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तमिलनाडु बिल्डिंग्स (लीज एण्ड रेंट कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) निवासीय और अनिवासीय भवनों को किराए पर देने को नियमित करने से संबंधित विधि के संशोधन और समेकन के बारे में और ऐसे भवनों के किराए के नियंत्रण और तमिलनाडु राज्य में उससे किराएदारों की अयुक्तियुक्त बेदखली को रोकने के लिए एक अधिनियम था। अधिनियम समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा और इसे 1980 के अधिनियम सं० 1 द्वारा अंत में संशोधित किया गया था। 1973 के अधिनियम सं० 23 के द्वारा एक स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 10(2) के परन्तुक में जोड़ा गया था।

76. अधिनियम की धारा 10 किराएदारों की बेदखली से संबंधित है। धारा की स्कीम का अधिमूल्यन करने और धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक में स्पष्टीकरण द्वारा पुरःस्थापित 'जानबूझकर' अभिव्यक्ति के अर्थ का अधिमूल्यन करने के लिए हमें धारा 10 के और धारा की विभिन्न उपधाराओं के उपबंधों की परीक्षा करनी होगी। जैसा कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित किया गया है, धारा 10 किराएदारों की बेदखली से संबंधित है और यह इस बात की उपधारणा करती है कि किराएदार या तो डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा धारा 10 या धारा 14 से 16 तक के उपबंधों के अनुसरण के सिवाय बेदखल नहीं किया जाएगा। इन अपीलों के लिए धारा 14 से 16 के उपबंधों से हमारा संबंध नहीं है।

77. धारा 10 की उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक इस बात का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुबंध करता है कि उक्त धारा 14 से 16 ऐसे किराएदार को लागू नहीं होगी जिसका मकान-मालिक सरकार है। द्वितीय परन्तुक में भी इस बात का उपबंध है कि यदि किराएदार मकान-मालिक के हक को मना करता है या स्थायी अभिधृति के अधिकार का दावा करता है तो नियंत्रक इस बात का विनिश्चय करेगा कि क्या मनाही या दावा सदभावपूर्ण है और यदि इस बारे में वह कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है तो मकान-मालिक सिविल न्यायालय में किराएदार की बेदखली के लिए वाद लाने का हकदार होगा और न्यायालय इस बात के होते हुए भी उक्त धाराओं में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बेदखली की डिक्री पारित कर सकेगा कि न्यायालय का यह मत है कि ऐसी मनाही में पट्टे के समपहरण अन्तर्वलित नहीं हैं या कि दावे का कोई आधार नहीं है। अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका मकान-मालिक को अपने किराएदार को बेदखल करने के लिए अनुसरण करना चाहिए। इसमें इस बात का उपबंध है कि मकान-मालिक को बेदखली के लिए, यदि वह चाहता है, निदेश के लिए नियंत्रक को आवेदन करना चाहिए और यदि नियंत्रक का किराएदार को आवेदन के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उन विभिन्न शर्तों में से किसी के बारे में जो खण्ड (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) में अनुबंधित हैं, समाधान हो जाता है तब वह किराएदार को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वह मकान-मालिक को भवन का कब्जा दे दे और यदि नियंत्रक का समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश करेगा। धारा 10 की उपधारा (2) का परन्तुक निम्न प्रकार है—

*"परन्तु यह कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार का किराया संदाय करने या निविदत्त करने में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था, तो धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी वह किराएदार को 15 दिनों से अनधिक का युक्तियुक्त समय उसके द्वारा शोध्य किराया

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"Provided that in any case falling under clause (i) if the Controller is satisfied that the tenant's default to pay or tender rent was not wilful, he may, notwithstanding anything contained in section 11, give the tenant a reasonable time, not exceeding fifteen days, to pay or tender the rent due by him to

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मकान-मालिक को संदत्त या निविदत्त करने के लिए, दे सकेगा, ऐसे संदाय या निविदान की तारीख तक और ऐसे संदाय या निविदान पर आवेदन नामंजूर हो जाएगा ।"

78. स्पष्टीकरण, जो उक्त परन्तुक में 1973 के अधिनियम सं० 23 द्वारा जोड़ा गया था, इस बात का अनुबंध करता है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किराए का संदाय करने या निविदान करने में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जाएगा यदि किराएदार द्वारा किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम मकान-मालिक द्वारा किराए का दावा करते हुए दो माह के नोटिस को जारी करने के पश्चात् होता रहता है । यह स्पष्टीकरण ही है जिस पर इन अपीलों में विचार करना है । अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) का खण्ड (i) नियंत्रक से यह समाधान करने की अपेक्षा करता है कि किराएदार ने उसके द्वारा भवन के संबंध में शोध्य किराया अपने मकान-मालिक के साथ अभिधृति के बारे में करार में नियत समय की समाप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर संदत्त या निविदत्त नहीं किया है या ऐसे किसी करार के न होने पर उस माह से अगले माह के अन्तिम दिन तक जिसके लिए किराया संदेय है । इन अपीलों के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अन्य खण्डों में उल्लिखित बेदखली के आधारों पर विचार किया जाए । यदि नियंत्रक का धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (i) से (vii) में उल्लिखित आधारों में से किसी के बारे में समाधान हो जाता है, तब वह, जैसा कि धारा अनुबंधित करती है, किराएदार का भवन को मकान-मालिक को कब्जा देने का निदेश देते हुए आदेश करेगा और यदि उसका समाधान नहीं होता तो वह आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश करेगा । परन्तुक में इस बात का उपबंध है कि खण्ड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में, जिनको हमने इसमें इसके पूर्व उल्लिखित किया है, यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किराएदार का किराया संदत्त या निविदत्त करने में व्यतिक्रम जानबूझकर नहीं था तो वह धारा 11 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किराएदार को 15 दिनों से अनधिक का युक्तियुक्त समय, उसके द्वारा शोध्य किराया ऐसे संदाय या निविदान की तारीख तक किराएदार को संदत्त या निविदत्त करने का दे सकेगा और ऐसे संदाय या निविदान पर

---

the landlord up to the date of such payment or tender and on such payment or tender, the application shall be rejected."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आवेदन नामंजूर किया जाएगा। स्पष्टीकरण जो यहां पर निर्वचन की विषयवस्तु है और जिसे धारा 10 द्वारा 1973 के अधिनियम सं० 23 के द्वारा जोड़ा गया था, इस बात का अनुबंध करता है कि उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए अर्थात् धारा 10 की उपधारा (2) के लिए किराए का संदाय या निविदान करने में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जाएगा यदि किराए के निविदान या संदाय में किराएदार द्वारा व्यतिक्रम किराए का दावा करते हुए मकान-मालिक द्वारा दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात्, जारी रहता है। इसलिए प्रश्न यह है—क्या व्यतिक्रम का किराए का दावा करते हुए मकान-मालिक द्वारा दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् जारी रहने वाले व्यतिक्रम से भिन्न अन्य परिस्थितियों के अधीन व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में इस धारा के प्रयोजन के लिए क्या जानबूझकर व्यतिक्रम केवल तभी होगा जब मकान-मालिक द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और दो माह समाप्त हो चुके हैं और किराएदार ने किराए का संदाय नहीं किया है। मेरे विद्वान् बंधु कहते हैं कि जानबूझकर व्यतिक्रम गठित करने वाली अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं। ससम्मान मेरा भिन्न मत है। मैं संक्षेप में उन कारणों को उल्लिखित करूंगा।

79. जैसा कि मैं उपबंध को पढ़ता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नियंत्रक का इस बारे में समाधान होना चाहिए कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर था और यदि व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में किया गया है, तो मेरी राय में केवल जहां मकान-मालिक ने नोटिस दिया है और दो माह ऐसे किराए का संदाय किए बिना समाप्त हो गए हैं। 'व्यतिक्रम' का अर्थान्वयन विभिन्न तरीकों से किया गया है जो उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यतिक्रम में किसी की संविदा या सौदे के किसी भाग को करने में प्रत्येक असफलता समाविष्ट है। यह एक उपेक्षा के समान निरा सापेक्ष शब्द है। (इस संबंध में देखिए स्ट्राउड द्वारा लिखित ज्युडिशियल डिक्शनरी, जिल्द 1, तृतीय संस्करण, पृष्ठ 757)। इसका अर्थ संव्यवहार को ध्यान में रखते हुए जो कुछ करना चाहिए उसे करना और परिस्थितियों के अधीन जो कुछ युक्तियुक्त है, उसे न करने की अपेक्षा न कुछ ज्यादा और न कुछ कम है। इसी प्रकार से संदाय में व्यतिक्रम कुछ सदोष ऐसे किसी कार्य को करने में लोप, जो पक्षकारों के बीच उनमें से एक द्वारा किया जाना चाहिए था, को द्योतित करना है। इसका मात्र अर्थ असंदाय, संदाय में असफलता या लोप है। (देखिए प्रेम द्वारा लिखित ज्युडिशियल डिक्शनरी, जिल्द 1, 1964, पृष्ठ 483)। अर्ल जोविट ने 'व्यतिक्रम' की परिभाषा उस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बात के लोप के रूप में की है जिसे किसी व्यक्ति को करना चाहिए। (देखिए दि डिक्शनरी आफ इंग्लिश लॉ, पृष्ठ 597)।

80. प्रिवी कौंसिल ने **फकीर चन्द्र दत्त और अन्य बनाम राम कुमार चटर्जी**[1] के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि व्यतिक्रम का आवश्यक रूप से अर्थ संविदात्मक बाध्यता का भंग नहीं है किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसा करके अपनी भू-धृत्ति का संरक्षण करने में सक्षम है, किराए का संदाय न करना मात्र है।

81. संदाय में व्यतिक्रम विभिन्न आकस्मिकताओं और स्थितियों के अधीन होता है। व्यतिक्रम ऐसा तथ्य है जिसे साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। क्या व्यतिक्रम जानबूझकर है अथवा नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है और कतिपय आचरण से अनुमान लगाकर इसे साबित किया जा सकता है। यदि न्यायालय परिवर्ती परिस्थितियों से इस बात का विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र था कि क्या व्यतिक्रम जानबूझकर था अथवा नहीं, तब विनिश्चयों की भिन्नता होने की संभावना है, एक न्यायिक प्राधिकारी कतिपय परिस्थितियों से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर था और एक अन्य न्यायिक प्राधिकारी लगभग उन्हीं परिस्थितियों से एक प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इससे विषमता उत्पन्न होती है। ऐसी विषमताओं को दूर करने के लिए और समान मानक लाने के लिए स्पष्टीकरण, जैसा कि मैं पढ़ता हूं, 'जानबूझकर' अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है और स्पष्टीकरण के अनुसार किराए के संदाय या निविदान का व्यतिक्रम, जो जोड़ा गया है, उसका अर्थान्वयन जानबूझकर किया जाएगा यदि किराएदार द्वारा किराए के संदाय में व्यतिक्रम मकान-मालिक द्वारा किराए का दावा करते हुए दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् बना रहता है। यदि स्थिति यह है, तो किसी ऐसे मामले में जहां मकान-मालिक ने किराएदार को किराए का दावा करते हुए नोटिस दिया है, और किराएदार ने दो माह तक उसका संदाय नहीं किया है, तब उसका अर्थान्वयन जानबूझकर व्यतिक्रम के रूप में किया जाना चाहिए चाहे संदाय न करने का कारण कुछ भी रहा हो—कुटुम्ब में नजदीकी व्यक्तियों की संदाय की तारीख को शोकावस्था या गम्भीर दिल का दौरा या किराएदार की अन्य बीमारी या किराएदार द्वारा किराया संदाय करने के लिए भेजे गए किसी व्यक्ति की बीमारी के बारे में माफी नहीं दी जा सकती और उसे जानबूझकर न होने के रूप में उस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि विधानमण्डल ने "जानबूझकर समझा जाएगा" अभिव्यक्ति

[1] (1903-04) इण्डियन अपील्स, जिल्द 31, पृष्ठ 195.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का प्रयोग करना चाहा है, यदि दो माह के मकान-मालिक के नोटिस के पश्चात् किराएदार की ओर से किराए का संदाय या निविदान में असफलता बनी रहती है और यदि यह जानबूझकर है, तब स्पष्टीकरण द्वारा यथा स्पष्ट परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन यह जानबूझकर है, तो नियंत्रक का समाधान अनिवार्यत: होना चाहिए और उसे बेदखली का आदेश करना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या दूसरे मामलों में अर्थात् ऐसे मामले में जहां कि स्वीकृत रूप से या अन्य तथ्यों से या बाहरी स्रोतों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि व्यतिक्रम जानबूझकर है, उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां कि दीर्घकालीन व्यतिक्रम है, नियमित व्यतिक्रम है या आभ्यासिक व्यतिक्रम है, दो माह का नोटिस आवश्यक है या नहीं। प्रत्यर्थियों की ओर से यह दलील दी गई थी कि इन परिस्थितियों में ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं था और यह दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसे मेरे विद्वान् बन्धुओं ने स्वीकार किया है। मैं ससम्मान सहमत होने में असमर्थ हूं। ऐसे मामले में जहां कि वास्तविक और सद्भावपूर्ण किराए के संदाय न करने में असफलता के लिए कारण है, जिन्हें किराया संदाय करने के लिए दो माह की सूचना के पश्चात् माफ नहीं किया जा सकता, तब अन्य कारण, जिनसे जानबूझकर व्यतिक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है, स्पष्टीकरण के संदर्भ में 'जानबूझकर व्यतिक्रम' के रूप में अर्थान्वयित नहीं किया जा सकता। विधानमण्डल द्वारा 'जानबूझकर व्यतिक्रम' की आत्यंतिक और स्पष्ट परिभाषा की गई है। अन्य परिस्थितियों को जानबूझकर व्यतिक्रम होने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

82. मेरी राय में 'अर्थान्वयन किया जाएगा' अभिव्यक्ति का धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक में जानबूझकर व्यतिक्रम की परिभाषा देने का प्रभाव रहा होगा।

83. यदि किसी अभिव्यक्ति की परिभाषा दी गई है तो न्यायालय तब तक उस अभिव्यक्ति से अन्यथा अर्थान्वयन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है जब तक कि "अन्यथा उपबंधित के सिवाय या यदि संदर्भ अन्यथा उपदर्शित करता है, के सिवाय" जैसी अभिव्यक्ति के प्रयोग द्वारा इस प्रकार प्रमाणित न कर दिया जाए। प्रस्तुत मामले में, ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। कतिपय परिस्थितियों में अन्यथा उपदर्शित करते हुए वास्तविक साक्ष्य हो सकता है। यहां पर कोई नहीं है।

84. धारा 10 की संपूर्ण स्कीम यह है कि किराए के बकाया के आधार पर बेदखली का हकदार होने के लिए वे संघटक जिनके लिए नियंत्रक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का समाधान होना चाहिए, ये हैं : (क) व्यतिक्रम, (ख) व्यतिक्रम जानबूझकर था। क्या किसी विशेष मामले में व्यतिक्रम जानबूझकर है अथवा नहीं, इस पर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण में उपबंधित परिभाषा के अनुसरण में विचार किया जाना चाहिए। यदि इसका आशय यह था कि न्यायालय को इस बात का निर्णय करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए कि क्या तथ्यों की किसी विशेष स्थिति में व्यतिक्रम जानबूझकर था अथवा नहीं, जहां कि नोटिस दिया गया है, तब ऐसे मामले में परन्तुक के साथ इस स्पष्टीकरण को जोड़ना आवश्यक नहीं था जो अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन निष्कर्ष को निकालने के लिए एक कदम था। यह बात सुनिश्चित है कि विधानमण्डल ने बिना प्रयोजन या व्यर्थ में कार्य नहीं किया।

85. मकान-मालिकों की ओर से यह दलील दी गई थी कि विधानमण्डल ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है कि किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम का अर्थान्वयन जानबूझकर के रूप में केवल तब किया जाएगा यदि किराए का संदाय या निविदान में किराएदार द्वारा व्यतिक्रम मकान-मालिक द्वारा किराए का दावा करते हुए दो माह के नोटिस के जारी करने के पश्चात् बना रहता है। यह बात सत्य है कि विधानमण्डल ने इस बात को उपदर्शित करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहा कि अन्य मामलों में व्यतिक्रम को ऐसे मामले के सिवाय जानबूझकर नहीं समझा जाएगा जिसे स्पष्टीकरण में उपदर्शित किया गया है।

86. जैसा कि मैं स्पष्टीकरण को पढ़ता हूं, यह इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि विधानमण्डल ने 'जानबूझकर व्यतिक्रम' की परिभाषा इस अभिव्यक्ति के द्वारा की है कि किराए के संदाय या निविदान में व्यतिक्रम माना जाएगा, जिसका यह अर्थ है कि इससे केवल यह अभिप्रेत होगा और कोई अन्य बात नहीं। मेरे विद्वान् बंधु ने कठिनाइयों और कष्टों के उदाहरण दिए हैं, यदि अन्य व्यतिक्रम अर्थात् किराएदार द्वारा भू-स्वामी द्वारा नोटिस की समाप्ति के पश्चात् संदाय न किए जाने के अतिरिक्त व्यतिक्रम जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं माने जाएंगे। यह बात सत्य है कि कठिनाइयां हो सकती हैं और बहुत-सी समस्याएं उद्भूत हो सकती हैं। मैं इन समस्याओं और कठिनाइयों की आशंका को समझता हूं किन्तु मुझे यह पढ़ने में कोई औचित्य नहीं मिलता कि ये कठिनाइयां, जिनके बारे में विधानमण्डल अवगत होगा, स्पष्टीकरण में सम्मिलित होने के लिए भी आशयित थीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण के अन्तःस्थापन के प्रयोजन के बारे में अर्थ स्पष्ट है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अर्थात् न्यायिक मतों की कठिनाइयां और विभिन्नताओं को दूर करने के लिए, जो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, विधानमण्डल ने 'जानबूझकर व्यतिक्रम' की संकल्पना की एकरूप परिभाषा की है। यह बात सत्य है कि जहां दो अर्थान्वयन संभव हों, ऐसा अर्थान्वयन जो विषमता को दूर करता हो और युक्तियुक्त परिणाम सृजित करता हो, उसे ही मानना चाहिए किन्तु जहां भाषा स्पष्ट हो और जहां कोई ऐसा प्रयोजन हो जिसका किसी विशेष प्रकार से अर्थान्वयन करने के लिए समझा और मूल्यांकन किया जा सकता है अर्थात् जानबूझकर व्यतिक्रम का अर्थान्वयन करने में न्यायिक मतों की विभिन्नता को परिवर्जन के लिए और तद्द्वारा विभिन्न किराएदारों के लिए विषमताओं से बचने के लिए एक न्यायाधीश एक प्रकार के तथ्यों पर विशेष दृष्टिकोण अपनाता है और अन्य न्यायाधीश उन्हीं तथ्यों पर भिन्न मत अपनाता है, मेरी राय में, ऐसी स्थिति में यह कहना समुचित नहीं होगा कि जानबूझकर व्यतिक्रम की यह परिभाषा केवल दृष्टांत स्वरूप है और व्यापक नहीं है। मैं धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन दृष्टांत स्वरूप नहीं कर सकता जबकि विधानमण्डल ने 'अर्थान्वयन किया जाएगा' अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहा है।

87. यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि संभव हो तो कानूनी उपबंधों का इस प्रकार से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि बेतुकापन और रिष्टि से बचा जा सके। जहां किसी कानूनी उपबंध का स्पष्ट और अक्षरशः निर्वचन स्पष्टतः कोई बेतुका और अनुचित परिणाम उत्पन्न करता है, तो न्यायालय विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त भाषा को उपांतरित कर सकेगा या उसमें से कुछ हटा सकेगा जिससे कि विधानमण्डल के स्पष्ट आशय को प्राप्त किया जा सके और युक्तिसंगत अर्थान्वयन और न्यायोचित परिणाम उत्पन्न किया जा सके। [इस संबंध में देखिए भाग मल बनाम चौधरी प्रभु राम और अन्य, 1984 की सिविल अपील सं० 145 (एन० सी० ई०)]। लार्ड डेन्निग ने **सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड** बनाम **अशर**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया था—

> "यदि अधिनियम के बनाने वालों को स्वयं उसके विन्यास में ऐसी शिकन का पता चलता है, तो वे इसे किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे ? उसे तब ऐसा करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया होता। न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे यह बुना गया है, किन्तु यह सिकुड़न को साफ कर सकता है या करना चाहिए।"

---

[1] (1949) 2 आल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 155-164 (सी० ए०).

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

88. सिकुड़न को साफ करना संभव है किन्तु न्यायाधीशों द्वारा अभिनिर्धारित लोक नीति के अभिप्राय को पूरा करने के लिए भाषा को पुनः लिखना नहीं है। विधानमण्डल ने 1973 के अधिनियम सं० 23 के द्वारा किसी प्रयोजन के लिए विधायन किया होगा और स्पष्टीकरण में 'अर्थान्वयन किया जाएगा' अभिव्यक्ति का प्रयोग उस प्रकार से किया होगा, जैसा उसने किया है।

89. ये तथ्य कि कानूनी भाषा का निर्वचन करने में न्यायाधीशों को नीति से बचना चाहिए, जैसा कि दृष्टिकोण लार्ड स्कारमेन द्वारा रेगीना बनाम बारनेट लन्दन बोरो कौंसिल एक्सपार्ट निलिश शाह[1] के मामले में हाउस आफ लार्ड्स के विनिश्चय में जोर दिया था। कानूनी भाषा के निर्वचन में नीति के उपयोक्ता लार्ड स्कारमेन ने यह मत व्यक्त किया कि यह कानूनी भाषा का निर्वचन करने के लिए अननुज्ञेय दृष्टिकोण था। न्यायाधीशों को नीति के रूप में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को देखते हुए कानूनों का निर्वचन नहीं करना चाहिए। वस्तुतः वे एक सोद्देश्य निर्वचन को अपना सकते हैं यदि वे कानून में इसे पाते हों जैसा कि यह पूर्णतः पठित है या सामग्री में, जिसको कि वे विधि के द्वारा संसद् के प्रयोजन या नीति की अभिव्यक्ति के निर्वचन के सहायक के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए अनुज्ञेय हो।

90. कैरिंगटन और अन्य बनाम थर्मास्टोर लिमिटेड[2] के मामले में मास्टर आफ रोल्स ने यह मत व्यक्त किया कि "यदि स्पष्ट रिष्टि और उपचार की आवश्यकता का ही ध्यान रखा जाना है तो किसी न्यायाधीश के लिए अपने आपको इस बारे में मनाना काफी आसान होगा कि संसद् का आशय इस उपचार का उपबंध करना होना चाहिए जिसे वह स्वयं डिक्री कर देता यदि उसे विधायी शक्ति प्राप्त होती। वास्तव में, संसद् ने वही दृष्टिकोण नहीं अपनाया होगा जो रिष्टि है। विधिक उपचार का विधायन बनाने के लिए या इस बात को महसूस करने में असफल रहने के लिए कि कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, नीति के रूप में उसे विनिश्चित किया होगा। इसका अभिप्राय यह कहना न होगा कि कानूनों का अर्थान्वयन आंख बन्द करके या संकीर्णता और विधि के शब्दों का अक्षरशः अर्थान्वयन किया जाए किन्तु उसका प्रभाव स्पष्टता की किसी कमी या असंदिग्धता को हल करने के लिए अर्थान्वयन के सामान्य सिद्धान्तों को लागू करके संसद् के उस आशय को देना चाहिए, जो कि कानून में अभिव्यक्त है।

[1] (1983) 2 वीकली लॉ रिपोर्ट्स 16-30.
[2] (1983) 1 वीकली लॉ रिपोर्ट्स 138-142.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

91. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से मैं अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के स्पष्टीकरण में 'जानबूझकर व्यतिक्रम' अभिव्यक्ति का अर्थान्वियन इस रीति में करूंगा जैसी मैंने उपदर्शित की है। मामले के इस दृष्टिकोण से मैं अपीलों को तद्नुसार विनिश्चित करूंगा अर्थात्, मैं अपने विद्वान् बंधुओं से उन मामलों में पारित आदेशों से सहमत हूं जहां कि बेदखली के आदेश दो माह के नोटिस के देने के पश्चात् पारित किए गए हैं और जहां किराएदार द्वारा व्यतिक्रम होता रहा है। वे अपीलें, जिनका निपटान मेरे उपरोक्त मतों में उपदर्शित रीति से समझे गए जानबूझकर व्यतिक्रम के आधार पर किया गया है, मैं ससम्मान सहमत हूं। वे अपीलें, जिनका उस रीति से भिन्न जो मैंने इसमें इससे पूर्व उपदर्शित की हैं, जानबूझकर व्यतिक्रम पर निपटान किया गया है, मैं ससम्मान भिन्न मत रखता हूं। अलग-अलग अपीलें तद्नुसार निपटाई जाती हैं। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपीलों का तद्नुसार निपटान किया गया।

सरोहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोहिया मशीन्स लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य

वनाम

भारत संघ और अन्य

(25 जनवरी, 1985)

(मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्यायाधिपति पी० एन० भगवती, अमरेन्द्र नाथ सेन, डी० पी० मदान और एम० पी० ठक्कर)

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 80-ञ (सपठित आय-कर नियम, 1962 का नियम 19-क]—लाभों या अभिलाभों पर कर से छूट—नए औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के एक भाग को कर से छूट दिया जाना—इस उपबंध को लागू करने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा नियमों में नियम 19-क पुर:स्थापित किया जाना—विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस धारा के बारे में परस्पर-विरोधी मत व्यक्त करना—धारा 80-ञ को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जाना—इस प्रकार का संशोधन मात्र स्पष्टीकारक स्वरूप का होने के कारण विधिमान्य है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 80-ञ(1-क) (सपठित आय-कर नियम, 1962 का नियम 19-क)—भूतलक्षी प्रभाव से धारा 80-ञ में संशोधन किया जाना—संशोधन की विधिमान्यता को चुनौती दी जाना—विधिमान्यकरण अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव से नए सिरे से कर अधिरोपित करना नहीं है अपितु पूर्व अधिरोपित उद्‌ग्रहण को वैध करना है, अतः संशोधन ठीक और युक्तियुक्त आधारों पर होने के कारण विधिमान्य है।

आय-कर नियम, 1962—नियम 19-क [सपठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ (1)]—'नियोजित पूंजी'—उक्त शब्दों में सात वर्षों से अन्यून अवधि के उधार को कर की छूट से अपवर्जित करना—'नियोजित पूंजी' में विधिक भाव या वाणिज्यिक भाषा या लेखा पद्धति में सदैव लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित नहीं हैं तथा इसके विभिन्न संदर्भों तथा परिस्थितियों में कई निर्वचन किए जा सकते हैं और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ऐसा निर्वचन करने में सक्षम है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशासनिक विधि—[सपठित आय-कर नियम, 1962 का नियम 19-क]—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को 'नियोजित पूंजी' की संगणना की पद्धति विहित करने के लिए शक्ति प्रदत्त की जाना—ऐसी शक्ति से सशक्त होकर राजस्व बोर्ड द्वारा नियमों में नियम 19-क जोड़ा जाना—इस नियम की विधिमान्यता को काफी वर्षों तक चुनौती न दी जाना—नियम को संसद् के समक्ष रखा जाना और उसमें कोई परिवर्तन न किया जाना—राजस्व बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करना शक्ति का अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं है—भूतलक्षी प्रभाव से कराधान कानून के अधीन लाभ को वापस लेना मनमाना एवं अयुक्तियुक्त नहीं है।

कानूनों का निर्वचन—किसी उपबंध विशेष का अर्थान्वयन—सम्बद्ध उपबंध के अर्थान्वयन में ऐतिहासिक विकास का प्रयोग किया जाना—किसी अधिनियमित उपबंध पर काफी वर्षों तक आक्षेप न किया जाना—कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा नियम को शून्य घोषित किया जाना—भूतलक्षी प्रभाव से उपधारा के रूप में नियम सम्मिलित करके धारा का संशोधन किया जाना—ऐतिहासिक विकास की उपबंध के अर्थान्वयन करने में उपेक्षा नहीं की जा सकती तथा उच्च न्यायालयों की मत-भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भूतलक्षी प्रभाव से धारा का संशोधन करना विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं है।

इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 15-ग, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ के समान उपबंध था, को पहली बार सन् 1949 में पुरःस्थापित किया गया। इस धारा की उपधारा (1) ने नए औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के एक भाग को कर से छूट दी। जैसा कि धारा 15(1) में प्रकल्पित है, औद्योगिक उपक्रम में 'नियोजित पूंजी' की संगणना के लिए नियम बनाए गए। उधार ली गई रकमों और ऋण "उपक्रम में नियोजित पूंजी" की संगणना में अपवर्जित किए गए थे। सन् 1949 में धारा 15-ग को पुनः अधिनियमित किया गया किन्तु इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यद्यपि समय-समय धारा में परिवर्तन किए गए, धारा का मूल ढांचा और नियम वही रहे। परिणाम यह था कि 31 मार्च, 1949 से धारा 15-ग के पुरःस्थापन के समय से जब तक यह प्रवृत्त रही, निर्धारिती से उधार ली गई रकमें और शोध्य ऋण धारा 15-ग के अधीन पात्र छूट की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में अपवर्जित किए जाते रहे। जब 1961 का अधिनियम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियमित किया गया, धारा 15-ग को धारा 84 के रूप में फिर से लिखा गया। 1961 वाले अधिनियम के अधीन भी वही स्थिति बनी रही जैसा कि किसी उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में उधार ली गई रकमें और ऋणों के अपवर्जन के सम्बन्ध में पहले थी। यह उस समय तक चलता रहा जब धारा 84 को सन् 1968 में धारा 80-ञ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। धारा 80-ञ की उपधारा (1) में पुरःस्थापित नए शब्द ये थे 'निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में विहित प्रकार से संगणित'। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने नियम 19-क बनाया जिसमें वह प्रक्रिया विहित की जिसमें कि औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी को धारा 80-ञ के प्रयोजन के लिए संगणित किया जाना चाहिए। नियम 19-क ने नियम 19 के पाठ में काफी परिवर्तन किए। उसने पूर्व स्थिति से इस नियम के अधीन विचलन किया और संगणना कालावधि के प्रारम्भ को या के पश्चात् अर्जित आस्तियों को लेखे से छोड़ दिया गया और संगणना कालावधि के प्रथम दिन को आस्ति के मूल्य को व्यपदिष्ट करने वाली रकमों को औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में लिखा जाना था। परिणाम यह हुआ कि 1 अप्रैल, 1968 के पश्चात् और से जबकि नियम 19-क प्रवृत्त हुआ था, अनुमोदित स्रोत से उधार ली गई रकमें जो तीन वर्षों से अन्यून समय में पुनर्संदेय थीं, पहली बार औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना के लेखे में ली जाने लगीं। यद्यपि उधार ली गई रकमें और निर्धारिती से शोध्य ऋणों की अन्य श्रेणियां संगणना से अपवर्जित रहती रहीं। सन् 1971 में उप-नियम (3) को संशोधित किया गया। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि वह स्थिति, जो नियम 19-क के अधिनियम से पूर्व अभिभावी थी, फिर से वहाल कर दी गई और निर्धारिती द्वारा संगणना कालावधि के प्रथम दिन को शोध्य ऋण और उधार ली गई रकमें धारा 80-ञ के प्रयोजन के लिए औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में कटौती योग्य हो गए। यह संशोधन 1 अप्रैल, 1972 से प्रवृत्त हुआ। लम्बी अवधि के उधारों के अपवर्जन के सम्बन्ध में संविवाद से विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मत-भिन्नता हुई। कुछ उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 19-क धारा 80-ञ का अधिकारातीत था, जहां तक कि इसमें लम्बी अवधि के ऋणों का संगणना कालावधि के प्रथम दिन को की जाने वाली नियोजित पूंजी की संगणना के अपवर्जन के लिए उपबंध था, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया कि नियम विधिमान्य था। विधि में भ्रांति को दूर करने के लिए धारा 80-ञ को संशोधित किया गया और 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से उसमें उपधारा (1-क) पुरःस्थापित कर दी गई। यह उपधारा उन्हीं शब्दों में थी, जैसा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि नियम 19-क। धारा 80-ञ(1) में 'विहित प्रकार से संगणित' शब्द 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से 'उपधारा (1-क) में विहित प्रकार से संगणित' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। पिटीशनरों की ओर से यह दलील दी गई है कि (1) 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति को उसके विधिक और प्रचलित भाव में लम्बी अवधि के उधारों और कामकाज पूंजी सम्मिलित करनी चाहिए; (2) कि नियमों का नियम 19-क इस हद तक धारा 80-ञ(1) का अधिकारातीत था कि इसमें उन शब्दों में 'नियोजित पूंजी' की संगणना की पद्धति विहित की थी जो सभी नियोजित पूंजी को अपवर्जित करते हैं और केवल संगणना कालावधि के प्रथम दिन को ही नियोजित पूंजी की संगणना का उपबन्ध करते हैं और शेष संगणना कालावधि के दौरान नियोजित अतिरिक्त पूंजी की उपेक्षा करते हैं; (3) कि धारा 80-ञ में 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से 1980 में पुरःस्थापित उपधारा (1-क) का संशोधन असांविधानिक था क्योंकि अभिव्यक्ति के अनुसार 'नियोजित पूंजी' शब्द वाणिज्यिक रूढ़ि अर्जित कर चुके हैं जिसमें आवश्यक रूप से लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित हैं और यह नियम इसको अपवर्जित नहीं कर सकता। पिटीशनों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—केवल इस कारण कि 'लगाई गई पूंजी' अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं, क्योंकि विधानमण्डल ने उसे अधिनियमित किया है, आय-कर अधिनियम की धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय अनुतोष की गणना करने के प्रयोजनार्थ कानूनी प्रतिशत लगाई गई पूंजी को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए मानो कि उसकी संगणना विहित रीति से की गई हो। यह बात कि 'लगाई गई पूंजी' की संगणना कैसे की जाएगी, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के अधीन नियम बनाकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विहित किए जाने के लिए छोड़ दी गई है। संगणना की प्रक्रिया में ऐसी मदों को, जिनकी बावत कदाचित यह माना जा सकता है कि वे 'लगाई गई पूंजी' अभिव्यक्ति की परिधि के भीतर आती हैं, शामिल करने और अपवर्जित करने की बात अन्तर्ग्रस्त होगी। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने की रीति विहित करते हुए कुछ मदें सम्मिलित कर सकता है और कुछ अन्य मदें अपवर्जित कर सकता है। इसी अर्थ में 'संगणित' शब्द का उपयोग इस प्रकार का विधान अधिनियमित करते हुए किया है। पूर्वतम विधान पर विचार करते हुए, जिसमें 'संगणित' शब्द का उपयोग 'लगाई गई पूंजी' के सम्बन्ध में किया गया है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानक लाभ का अवधारण करने के लिए एक्सैस प्रोफिट्स

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

टैक्स ऐक्ट, 1940 में, कानूनी प्रतिशत की बावत यह अपेक्षित था कि वह पूंजी की ऐसी औसत रकम को लागू की जाए जो कि द्वितीय अनुसूची के अनुसार संगणित हो, और द्वितीय अनुसूची में कतिपय मदों को शामिल किए जाने के लिए और कतिपय ऐसी अन्य मदों को अपवर्जित किए जाने के लिए, जिनमें उधार लिए गए धन और ऋण शामिल हैं, उपबंध किया गया है। इस कानून में विधानमण्डल ने स्पष्टतः उधार लिए गए धन और ऋण के अपवर्जन को 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने की प्रक्रिया में सन्निहित माना है या यदि इसी बात को दूसरे ढंग से कहा जाए तो विधायी प्रथा के अनुसार लगाई गई पूंजी की संगणना में प्रक्रिया के भाग के रूप में उधार लिए गए धन और ऋणों जैसी मदों के अपवर्जन की बात वैध रूप से अन्तर्ग्रस्त हो सकती है। उसी प्रकार से बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 194 तथा सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 में भी 'संगणित' शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि 'लगाई गई पूंजी' की संगणना की प्रक्रिया में उधार लिए गए धन और ऋण के अपवर्जन की बावत अन्तर्ग्रस्त है। उसी प्रकार से कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में भी "संगणित" शब्द का उपयोग उसी अर्थ में किया गया है। निश्चित रूप से यह बात बताई जा सकती है कि इस कानून में 'संगणित' शब्द का उपयोग 'कम्पनी की पूंजी' के सम्बन्ध में न कि 'लगाई गई पूंजी' के संबंध में किया गया है, किन्तु उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जिस बात से सम्बन्ध हैं, वह वह अर्थ है, जिसमें 'संगणित' शब्द का उपयोग किया गया है और यह कि क्या उसमें अपवर्जन तथा सम्मिलित किए जाने की क्रिया अन्तर्ग्रस्त है, और क्या उस मुद्दे के सम्बन्ध में उस अधिनियम से, सदृश रूप से, पर्याप्त रोशनी पड़ती है। ऐसी कानूनी कटौती की परिभाषा, जो कि इस कानून के अधीन अतिकर के प्रभार का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ प्रभार्य लाभों में से अवश्य ही की जानी चाहिए, ऐसे की गई है कि उससे "ऐसी रकम अभिप्रेत है जो कि द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के अनुसार यथा संगणित कम्पनी की पूंजी के दस प्रतिशत के समतुल्य हो" और 1976 के वित्त अधिनियम 66 द्वारा संशोधन के पश्चात् द्वितीय अनुसूची में कम्पनी की पूंजी की संगणना में उधार लिए गए और ऋण को शामिल करने के लिए उपबंध नहीं किया गया है, यद्यपि उसमें समादत्त शेयर-पूंजी और आरक्षितियों को शामिल करने के लिए उपबंध किया गया है। इस प्रकार से यह बात देखी जाएगी कि 'लगाई गई पूंजी' के संबंध में 'संगणित' शब्द के उपयोग के पीछे एक विधायी इतिहास है और विधायी रूप से यह बात मान ली गई है कि उसमें संगणना की प्रक्रिया के भाग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के रूप में ऐसी मदों को शामिल करने या उन्हें अपवर्जित करने की बात अन्तर्ग्रस्त है, जिनकी बाबत अन्यथा यह माना जा सकता है कि वे 'लगाई गई पूंजी' के भाग हैं। इसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही, न कि अछूती कोशिश के तौर पर विधानमण्डल ने 'संगणित' शब्द का उपयोग धारा 80-ञ की उपधारा (1) में लगाई गई पूंजी के सम्बन्ध में किया है। (पैरा 18)

आय-कर अधिनियम, 1961 में भी 'संगणित' शब्द का लगातार उपयोग 'आय' के सम्बन्ध में इस अर्थ में किया जाता रहा है कि उसमें आय की मदों का सम्मिलित किया जाना और अपवर्जित किया जाना, दोनों ही अन्तर्ग्रस्त हैं। धारा 2 के खण्ड (45) में 'कुल आय' की परिभाषा की गई है जिससे धारा 5 में निर्दिष्ट आय की कुल रकम अभिप्रेत है "जिसकी संगणना इस अधिनियम में अधिनियमित रीति से की गई है।" यदि आय-कर अधिनियम, 1961 में दिए गए उपबंध को देखा जाए, जिसमें कुल आय की संगणना की रीति अधिकथित की गई है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 'कुल आय' संगणना की प्रक्रिया में आय की विभिन्न मदों को सम्मिलित और अपवर्जित करने की दोनों ही बातें अन्तर्ग्रस्त हैं। धारा 10 में यह उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना करने में उस धारा के खण्डों में से किसी भी खण्ड के भीतर आने वाली कोई आय कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यद्यपि ऐसी आय, जिसकी बाबत अपवर्जित किया जाना अपेक्षित है, निस्सन्देह आय है और इसी कारण से वह उस अभिव्यक्ति की स्पष्ट स्वाभावित अर्थव्याप्ति के अनुसार, कुल आय का भाग है किन्तु उसकी बाबत कर के प्रभार का अवधारण करने में अपवर्जित किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि 'कुल आय' की परिभाषा ऐसी आय की कुल आय रकम के रूप में की गई है, जिसकी संगणना अधिनियम में अधिकथित रीति से की गई है। वही स्थिति धारा 11 के सम्बन्ध में भी है और वह कुल आय की संगणना करने में आय के कतिपय प्रवर्गों को अपवर्जित करती है। उसके बाद धारा 29 में यह उपबंध किया गया है कि कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से नई आय की संगणना धारा 30 से 43-क तक के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इन धाराओं में कुल आय की संगणना करने में विभिन्न मदों को सम्मिलित किए जाने और अपवर्जित किए जाने के लिए उपबंध किया गया है। धारा 80-क से धारा 80-फफ तक में भी उन कटौतियों के लिए उपबंध किया गया है जो कुल आय की संगणना करने में की जानी होती हैं और धारा 80-जज, 80-ञञ और 80-ण जैसी धाराओं के अधीन ऐसी मद, जो कि निर्विवाद रूप से किसी निर्धारिती की आय का भाग है, की बाबत भी यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपेक्षित होता है कि वह कर के लिए प्रभार्य कुल आय की संगणना करने में अपवर्जित की जाए। धारा 80-ञ की उपधाराओं में भी 'संगणित' शब्द का उपयोग उसी अर्थ में किया गया है कि उसमें सम्मिलित करना और अपवर्जित करना दोनों ही अन्तर्ग्रस्त हैं। धारा 80-ञ की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक में यह उपबंध किया गया है कि जहां कोई भवन या उसका भाग, जिसका उपयोग पहले किसी प्रयोजन के लिए किया गया है, औद्योगिक उपक्रम के कारबार को अन्तरित किया जाता है, वहां इस प्रकार अंतरित भवन या उसके भाग का मूल्य औद्योगिक उपक्रम में 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार से उपधारा के स्पष्टीकरण-2 में इन शब्दों में यह अधिनियमित किया गया है कि उसकी परिधि और प्रविषय के भीतर आने वाले मामले में इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भी भाग के कुल मूल्य को औद्योगिक उपक्रम में 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद पुनः धारा 80-ञ की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में होटल के कारबार की दशा में 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने में इस अंतरित भवन, मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग के कुल मूल्य के अपवर्जन के लिए उसी प्रकार का उपबंध किया गया है। इस बार यह बात देखी जाएगी कि धारा 80-ञ में इन उपबंधों के अनुसार भी 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने की प्रक्रिया ऐसी मद या मदों को वैध रूप से अपवर्जित कर सकती है जो कि स्पष्टतः और असंदिग्ध रूप से लगाई गई पूंजी के भाग हैं। निस्सन्देह, विधानमण्डल न कि नियम बनाने वाला कोई प्राधिकारी, इन उपबंधों को अपवर्जित करने की बाबत अधिनियमित करता है। किन्तु मुद्दा यह नहीं है कि क्या विधानमण्डल ने या नियम बनाने वाले किसी प्राधिकारी ने अपवर्जित किया है, बल्कि मुद्दा यह है कि क्या ऐसा अपवर्जन संगणना की प्रक्रिया में इस प्रकार सन्निहित है जिससे कि उसे उसमें समाविष्ट किया जा सके और इस मुद्दे के सम्बन्ध में न केवल एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940, बिजनेस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947, सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के उपबंध, बल्कि आय-कर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित किया गया है कि विधानमण्डल ने धारा 80-ञ की उपधारा (1) में "संगणित" शब्द का उपयोग इस प्रकार किया है कि उसमें उन मुद्दों का न केवल सम्मिलित किया जाना अन्तर्ग्रस्त है, बल्कि अपवर्जन भी अन्तर्ग्रस्त हो जाता है, जिसकी बाबत अन्यथा यह माना जा सकता है कि वह 'लगाई गई पूंजी' की परिधि के भीतर आता है। विधानमण्डल ने यह बात केन्द्रीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राजस्व बोर्ड पर नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में छोड़ दी है कि वह उस रीति को विहित करे जिससे 'लगाई गई पूंजी' की संगणना की जाएगी और इस प्रकार विहित करने में, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड उन मदों को सम्मिलित या, अपवर्जित कर सकेगा जिन्हें 'लगाई गई पूंजी' के भाग के रूप में माना जा सकता है। (पैरा 19)

जब अनुमोदित स्रोतों से डिबेंचरों और दीर्घावधिक उधार की रकमें कंपनी की पूंजी की संगणना में शामिल की गई थीं, तब ऐसे डिबेंचरों और दीर्घावधिक उधारों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा संदेय ब्याज की रकम की बाबत यह अपेक्षित था कि उन्हें अतिकर के दायित्वाधीन प्रभार्य लाभों का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए कुल आय में पुनः जोड़ दिया जाए। किन्तु 1976 के वित्त अधिनियम 66 की धारा 29 द्वारा द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (iv) और (v) को लुप्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा पूर्वोद्धृत डिबेंचरों, यदि कोई हों तथा अनियमित स्रोतों से दीर्घावधिक उधार रकमें अब आगे शामिल किए जाने योग्य नहीं रह गई और इसी कारण उन्हें कम्पनी की पूंजी की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया गया। जब डिबेंचरों और अनुमोदित स्रोतों से ली गई दीर्घावधिक उधार रकमें इस प्रकार अपवर्जित कर दी गईं, तो प्रथम अनुसूची के नियम 3 को भी साथ-साथ 1976 के वित्त अधिनियम 66 की धारा 29 द्वारा संशोधित कर दिया गया और डिबेंचरों तथा अनुमोदित स्रोतों से ली गई दीर्घावधिक उधार रकमों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा संदेय ब्याज की रकम को पुनः जोड़ने विषयक उपबन्ध को लुप्त कर दिया गया। कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 के संशोधन से तथा पहले वाले तीनों कानूनों के उपबन्धों से यह स्पष्ट है कि वर्षों तक विधानमण्डल द्वारा लगातार अपनाई गई इस परिपाटी और इस परिपाटी में विधानमण्डल के आशय की प्रबल इच्छा की झलक मिलती है —यह रही है कि जब कभी उधार ली गई धनराशियों पर संदेय ब्याज की या तो कटौती नहीं की जाती या यदि कटौती की जाती है तो कुल आय की संगणना करने में उसे पुनः जोड़ दिया जाता है, तब उधार ली गई ऐसी धनराशियां 'लगाई गई पूंजी' या कम्पनी की पूंजी की संगणना करने में शामिल की जाती हैं और उसी प्रकार, जबकि उधार ली गई धनराशियों पर संदेय ब्याज कुल आय की संगणना करने में काटा जाता है और पुनः नहीं जोड़ दिया जाता है, तब उधार ली गई ऐसी धनराशियां लगाई गई पूंजी या कम्पनी की पूंज़ी की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जाती हैं। यहां पर, जहां तक कि धारा 80-ञ की उपधारा 1 का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्बन्ध है, उधार ली गई धनराशियों पर ब्याज निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में कटौती किए जाने के लायक है और उसकी बाबत यह अपेक्षित नहीं होता है कि उसे पुनः जोड़ दिया जाए और इसी कारण से वह इन विभिन्न कानूनों में विधानमण्डल द्वारा अपनाई गई और मान्य परिपाटी से बिल्कुल ही संगत है कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुतोष अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने में दीर्घावधिक उधारों को अपवर्जित कर दिया जाए। (पैरा 22)

निस्सन्देह यह सच है कि एक्सैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940, बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947, सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का उद्देश्य धारा 80-ञ की उपधारा (1) के उद्देश्य से भिन्न है, क्योंकि पूर्वकथित समूह से सम्बन्धित चारों कानूनों में अभिलाभ और अतिलाभ पर कर लगाने की ईप्सा की गई है, जबकि पश्चात्कथित समूह में जो कानूनी उपबंध है, उसमें लाभों के कतिपय प्रभाग को छूट देकर कर सम्बन्धी प्रोत्साहन देने की ईप्सा की गई है। किन्तु जहां तक कि 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने के प्रश्न का संबंध है; ऊपर उल्लिखित उसके कानूनों के और दूसरी ओर, धारा 80-ञ की उपधारा (1) के बीच कोई प्रभेद करना कठिन है। पूर्वकथित की दशा में जिन पर कर लगाने की ईप्सा की गई है, वे उन पर के अभिलाभ हैं, जिन्हें 'लगाई गई पूंजी' पर उचित प्रत्यागम के रूप में माना जा सकता है और पश्चात्कथित की दशा में भी, 'लगाई गई पूंजी' पर उचित प्रत्यागम को ही कर से छूट देने की ईप्सा की गई है। यद्यपि दोनों प्रकार के उपबन्धों का उद्देश्य भिन्न है, तथापि लगाई गई पूंजी पर उचित प्रत्यागम की संकल्पना इन दोनों उपबन्धों का आधार है। यदि पूर्वोक्त चारों कानूनों में से किसी के अधीन अतिरिक्त कर के प्रभार के दायित्वाधीन अधिलाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, उचित प्रत्यागम की गणना उधार ली गई धनराशियों को अपवर्जित करते हुए उपक्रम में लगाई गई स्वामी की पूंजी के आधार पर की जाती है, तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा यह उपबन्ध किए जाने में कोई भी बात युक्तिहीन या अप्रायिक नहीं है कि लगाई गई ऐसी पूंजी पर उचित प्रत्यागम की, जिसको धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन कर से छूट दी जानी है, संगणना करने के लिए स्वामी की पूंजी को हिसाब में लिया जाना चाहिए और उधार ली गई धनराशियों को अपवर्जित कर देना चाहिए। ऊपर उल्लिखित किए गए चारों कानूनों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह दलील दी जा सकती है कि उधार ली गई धनराशियां उपक्रम में लगाई गई पूंजी का उतना ही भाग हैं जितना कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वामी की पूंजी, और जब धनराशियां भाड़ा प्रभार के तौर पर ब्याज के संदाय के आधार पर उधार ली जाती हैं, तो वे स्वामी की उस पूंजी का ऐसा भाग हो जाती हैं जो उसी स्वरूप की होती हैं जो कि स्वामी द्वारा मूलतः लगाई गई पूंजी होती है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके आधार पर उचित प्रत्यागम क्यों न अनुज्ञात किया जाए। निर्धारितियों की ओर से उनकी इस दलील के समर्थन में निश्चित रूप से यह दलील दी गई है कि 'लगाई गई पूंजी' के अन्तर्गत धारा 80-ञ की उपधारा (1) में उधार ली गई धनराशियां हैं। किन्तु विधानमण्डल ऊपर उल्लिखित चारों कानूनों में से किसी को अधिनियमित करने में उस दलील से प्रभावित नहीं हुआ, और इस दलील के बावजूद विधानमण्डल ने इसका अवधारण करने के लिए कि उचित प्रत्यागम किसे मानना चाहिए, जिससे कि ऐसे उचित प्रत्यागम से अधिलाभों पर अतिरिक्त कर लगाया जा सके, लगाई गई पूंजी या कम्पनी की पूंजी की संगणना करने में उधार ली गई धनराशियों को अपवर्जित कर दिया है। अतः केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसका यह उपबन्ध करना युक्तिहीन या सनकपूर्ण है कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के योग्य 'लगाई गई पूंजी' पर उचित प्रत्यागम की गणना, स्वामी की पूंजी के अर्थात् समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षितियों के कानूनी प्रतिशत को लागू करके, दीर्घावधिक उधारों को या, उस कारण उधार ली गई किन्हीं धनराशियों और ऋणों को हिसाब में लिए बिना, की जानी चाहिए। अतः यह बात समझ में नहीं आ सकती कि जब विधानमण्डल कर सम्बन्धी प्रोत्साहन दे रहा था, तो उसका यह आशय नहीं हो सकता था कि कर सम्बन्धी प्रोत्साहन का अनुमान स्वामी की पूंजी के प्रति निर्देश करके ही लगाया जाना चाहिए और यह कि उधार ली गई पूंजी को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके परिणामस्वरूप उन सम्पन्न निर्धारितियों के साथ, जो कि अपनी स्वयं की पूंजी लगाने में समर्थ हैं, पक्षपात होगा और उन निर्धनों के विरुद्ध, जिन्हें कि अपने उपक्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की दृष्टि से धन उधार लेना पड़ता है, विभेद होता है। यहां निर्दिष्ट विधायी परिपाटी और प्रथा का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि विधानमण्डल का यह आशय होता कि 'लगाई गई पूंजी' के अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आना चाहिए, तो विधानमण्डल ने 'लगाई गई पूंजी' अभिव्यक्ति का, जो कि नम्य अभिव्यक्ति, उपयोग न किया होता, बल्कि यह उपबंध करके असंदिग्ध शब्दों में अपनी बात व्यक्त की होती कि 'लगाई गई पूंजी' के अंतर्गत दीर्घावधिक उधार हैं। उस धारा में जिस भाषा का उपयोग किया गया है,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उससे यह स्पष्ट है कि विधानमण्डल ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि 'लगाई गई पूंजी' अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भी नियम, परिभाषा और अर्थ नहीं है, जिसके अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आते हों या अपवर्जित किए जाते हों और उसने जानबूझकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर यह बात छोड़ दी कि वह यह विहित करे कि नियोजित पूंजी की संगणना किस प्रकार की जाए, या अन्य शब्दों में कौन-सी मदें सम्मिलित की जानी चाहिएं और कौन-सी मदें छोड़ दी जानी चाहिएं और धारा 80-ञ में वित्त अधिनियम, 1980 (सं० 2) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से नियम 19-क को समाविष्ट करते हुए विधानमण्डल ने नियम 19-क का उपनियम (3) बनाकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विहित 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने की रीति के प्रति अपना अनुमोदन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया था। उस निर्वचन का परिणाम, निःसन्देह, यह होगा कि निर्धारिती अपनी ही पूंजी के प्रति, न कि किन्हीं ऐसी धनराशियों के प्रति निर्देश करते हुए जो कि उपक्रम में लगाए जाने के लिए उन्होंने उधार ली हों, अनुतोष प्राप्त करेंगे, किन्तु यह तो नीति का विषय है जो कि कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्पष्ट रूप से आता है और न्यायालयों का उसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का आशय यह था— और 1980 के वित्त अधिनियम (सं० 2) के द्वारा धारा 80-ञ को भूतलक्षी प्रभाव से किए गए संशोधन का ध्यान रखते हुए उसकी बाबत यह अवश्य माना जाना चाहिए कि वही विधानमण्डल का आशय था—कि निर्धारितियों को अपनी ही पूंजी के प्रति निर्देश करते हुए ही, न कि उधार ली गई किन्हीं धनराशियों के प्रति निर्देश करते हुए, कदाचित इसलिए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अनुतोष देने का उद्देश्य निर्धारितियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसके लिए वे नवीन औद्योगिक उपक्रम आरम्भ करने के लिए अपनी ही धनराशियों को लगाएं और उनका आशय यह नहीं था कि निर्धारितियों को उन धनराशियों के प्रति निर्देश करके अनुतोष दिया जाना चाहिए, जो कि उनकी नहीं थीं, बल्कि वित्तीय संस्थाओं और अन्य पक्षों से उधार ली गई थीं और जिनका प्रतिसंदाय करना होगा। (पैरा 24)

प्रस्तुत मामले में विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन का कोई प्रश्न ही नहीं है और जो निर्वचन इस न्यायालय द्वारा किया गया है, उसके आधार पर भी धारा 80-ञ की उपधारा (1) पर इस आधार पर असांविधानिक कह कर आक्षेप नहीं किया जा सकता कि विधायी शक्ति का आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन किया गया है। जहां तक कि नियम 19-क की उपधारा (3) में 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने में उधार ली गई धनराशियों और ऋणों,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विशिष्टतया दीर्घावधिक उधार को अपवर्जित करने के लिए उपबंध किया गया है, वहां तक उसकी बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्रदत्त नियम बनाने के प्राधिकार की परिधि के बाहर है, और वह पूरी तरह से विधिमान्य गौण विधान है। (पैरा 26)

जहां तक कि नियम 19-क 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने में उधार ली गई धनराशियों और ऋणों को अपवर्जित करता है और उसमें 'लगाई गई पूंजी' की जैसी कि वह संगणना कालावधि के प्रथम दिन थी, संगणना के लिए उपबंध किया गया है, वहां तक वह धारा 80-ञ के अधिकारातीत नहीं था और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्रदत्त नियम बनाने के प्राधिकार के भीतर पूरी तरह से विधिमान्य नियम था। इसी प्रकार उन्हीं कारणों से, जहां तथा कि नियम 19-क में यह उपबंध किया गया था कि किसी पोत में 'लगाई गई पूंजी' की बाबत यह माना जाएगा कि वह उस पोत का ऐसा अपलिखित मूल्य है, जो उस पोत को अर्जित करने में उधार ली गई धनराशियां या उपगत ऋणों के कारण संगणना की तारीख को निर्धारिती द्वारा उधार के रूप में ली गई रकमों का योग घटा दिए जाने के बाद आता है, वहां तक यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के नियम बनाने के प्राधिकार के भीतर होने के कारण विधिमान्य हैं। चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत के आधार पर नियम 19-क में कोई भी कमजोरी मौजूद नहीं है और वह पूरी तरह से विधिमान्य है, इसलिए जहां तक कि 1980 के वित्त अधिनियम (सं० 2) के द्वारा 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से उस धारा में नियम 19-क को समाविष्ट करके धारा 80-ञ का संशोधन किया गया था, वहां तक उसकी प्रकृति केवल स्पष्टीकरण करने वाली थी और तद्नुसार उसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह विधिमान्य है। (पैरा 28)

न्यायाधिपति अमरेन्द्र नाथ सेन (विसम्मत निर्णय) :

किसी कानून अथवा किसी कानूनी उपबंध के अर्थान्वयन के सिद्धान्त सुस्थिर हैं। किसी भी कानून के निर्वचन का प्रयोजन विधानमण्डल के सही आशय को समझना है। यह सुस्थिर है कि यदि किसी कानून के शब्द स्पष्ट तथा निसंदिग्ध हैं तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात को उपदर्शित करें कि संसद् का आशय किस रूप में समझा जाना चाहिए और उनके आशय अथवा अर्थ के सम्बन्ध में पता चलाने के लिए अन्यत्र दृष्टिपात करने की कोई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आवश्यकता नहीं है। जब किसी कानून के शब्द स्पष्ट, साधारण अथवा निसंदिग्ध हों तो न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उन शब्दों का प्रतिपादन उनके नैसर्गिक साधारण अर्थों में करे क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वोत्तम रूप से विधानमण्डल के आशय को घोषित करते हैं। यदि किसी धारा के उचित परिशीलन पर प्रयुक्त शब्दों के बारे में यह प्रतीत होता है कि वे साधारण तथा निसंदिग्ध हैं और युक्तियुक्त रूप से उनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, तो न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे उसी अर्थ को प्रभावशील बनाएं जब तक कि ऐसा अर्थ धारा का अनर्थ कर देता है अथवा वह निरर्थकता में परिणत होता है। न्यायालय का सम्बन्ध न तो अन्तर्वलित नीति से अथवा परिणामों से, चाहे वे हानिकारक हों, या अन्यथा जो कि प्रयुक्त भाषा को प्रभावोन्वित करने से उद्‌भूत होते हैं, नहीं है। किन्तु यदि किसी कानून के शब्द स्पष्ट न हों और वे संदिग्ध हों, तो विधि के निर्माता के सही आशय का पता चलाने के लिए संबद्ध उपबंधों का निर्वचन करने में भिन्न-भिन्न विचार्य-विषय लागू होंगे। (पैरा 40)

धारा 80-ञ की उपधारा (4) में उन शर्तों को अधिकथित किया गया है जिन्हें किसी उपक्रम द्वारा इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुतोष के लिए अर्हित होने हेतु पूरा करना होगा। इस उपधारा में भी किसी प्रकार यह उपदर्शित नहीं किया गया है कि उधार ली गई पूंजी से अथवा ऐसी पूंजी से, जिसका किंचित भाग उधार लिया गया हो, स्थापित कोई उपक्रम इस धारा के फायदों के लिए हकदार नहीं होगा। कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो उपधारा (4) में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करता है, निस्सन्देह धारा 80-ञ के फायदों का हकदार होगा। कोई ऐसा उपक्रम जो उधार ली गई पूंजी से कार्य करता है, वह भी भली-भांति उपधारा (4) की शर्तों को पूरा कर सकता है और अनुतोष के लिए अर्हित हो सकता है क्योंकि इस उपधारा में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी ऐसे उपक्रम को, जो पूर्णतः अथवा भागतः उधार ली गई पूंजी से स्थापित किया गया हो, उपधारा (4) में अधिकथित शर्तों को पूरा करने से निवारित करती हो। किन्तु कोई ऐसा उपक्रम जो उपधारा (4) में विद्यमान सभी शर्तों को पूरा करता है और तद्द्वारा अनुतोष के लिए अर्हित है, यदि वह उधार ली गई पूंजी से स्थापित किया गया हो तो उसे ऐसा अनुतोष प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रत्याख्यान किया जाएगा जिसके लिए कि वह उपक्रम संबद्ध धारा के स्पष्ट उपबंधों के निबंधनानुसार न्यायोचित रूप से मात्र इस आधार पर हकदार है कि अनुतोष की गणना करने के लिए विहित नियम इस धारा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ नियोजित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूंजी की संगणना करने में उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो उक्त धारा में किए गए स्पष्ट तथा निसंदिग्ध उपबंधों के आधार से धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष के लिए अर्हता-प्राप्त करता है, उसे संसक्त नियम के कारण अनुतोष प्रदान किए जाने से प्रत्याख्यान किया जाएगा क्योंकि उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करने वाले नियम के आधार पर संगणना किए जाने पर कोई अनुतोष उपलभ्य नहीं होगा। चूंकि यह उपधारा सुस्पष्ट शब्दों में यह उपबंध करती है कि धारा 80-ञ ऐसे उपक्रम को लागू होती तो इस धारा के अधीन उपक्रम को दिए जाने वाले आशयित फायदे को ऐसे उपक्रम को प्रदान किए जाने से किसी भी ऐसे नियम द्वारा प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है जो कि स्पष्टत: स्पष्ट तथा निस्संदिग्ध कानूनी उपबंधों को नकारात्मक बनाने का प्रभाव रखता है। (पैरा 44)

धारा 80-ञ असंदिग्ध रूप से तथा स्पष्ट निबंधनों के अनुसार यह उपबंध करता है कि उपक्रम के लाभों को उपार्जित करने के लिए नियोजित पूंजी ऐसा पूंजी है जो कि अनुतोष के फायदे की हकदार है। धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष की संगणना के लिए विहित नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा इन नियमों में उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित रखा गया है जो कि कानून के उपबंधों से विसंगत तथा उसके अल्पीकरण में है। उक्त नियम न केवल उक्त धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने में असफल रहता है बल्कि वह वस्तुतः उसे निष्फल बनाने की प्रवृत्ति रखता है और यह नियम स्पष्टत: कानून के उपबंधों के प्रतिकूल है। अतः, उधार ली गई पूंजी के बारे में निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाना होगा कि उसे अपवर्जित करने वाला नियम विधिविरुद्ध तथा अविधिमान्य है। (पैरा 51)

यह प्रस्थापना कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी को कानून में किसी अधिष्ठायी उपबंध का अधिक्रमण करने सम्बन्धी कोई शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है, निर्विवाद प्रतीत होती है। आय कर अधिनियम की धारा 295(1) के आधार से नियम बनाने वाले प्राधिकारी को इस बारे में संशक्त किया गया है कि वह अधिनियम तथा उपधारा (2) के प्रयोजनों को कार्यरूप देने के लिए जो कि विनिर्दिष्ट रूप से यह विनिर्देश करती है कि ऐसे नियमों में उक्त उपधारा में वर्णित सभी विषयों अथवा उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकता है, धारा 80-ञ के प्रति कोई निर्देश नहीं करती है। नियोजित पूंजी की संगणना सम्बन्धी रीति विहित करते समय नियम बनाने वाला प्राधिकारी स्वयं धारा में किसी ऐसे विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में अथवा किसी कानूनी उपबंध के अभाव में, संगणना सम्बन्धी रीति को विहित करने की प्रक्रिया के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिवेश के अधीन अपने विवेकाधिकार पर उपक्रम में नियोजित समस्त पूंजी या उसके किसी भाग को अपवर्जित नहीं कर सकता है (पैरा 54)

किसी उपक्रम द्वारा, चाहे वह धारा 80-ञ के अन्तर्गत उपक्रम हो या न हो, उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज को कारबार के खर्च के रूप में गणना में लिया जाता है, जब किसी उपक्रम के लाभों और अभिलाभों की संगणना की जाती है। यह प्रत्येक उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों की संगणना करने सम्बन्धी विहित पद्धति है और यह किसी उपक्रम के लिए कोई विशेष फायदे का स्वरूप नहीं है और निस्सन्देह यह किसी ऐसे नवीन उपक्रम को कोई प्रोत्साहन अथवा विशेष अनुतोष प्रदत्त नहीं करता है जिसे निश्चित रूप से धारा 80-ञ की परिधि के अन्तर्गत आने वाले किसी उपक्रम को अनुदत्त किए जाने के लिए आशयित अनुतोष का हकदार बनने के लिए धारा 80-ञ में अधिकथित अपेक्षित शर्तों को पूरा करना होता है। चाहे जो भी हो, ऐसा अन्तर्वेशन अथवा अपवर्जन किसी भी विचार्य विषय के आधार पर नीति संबंधी ऐसा विषय होगा जिसका अवधारण विधानमण्डल द्वारा किया जाएगा, न कि यह कोई ऐसा विषय होगा जो नियम बनाने वाले प्राधिकारी के लिए संगणना की पद्धति विहित करते समय अधिकथित करना होगा। (पैरा 55)

भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानूनी उपबंध को संशोधित करने संबंधी संसद् की शक्ति तथा सक्षमता के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। किन्तु विधिमान्य समझे जाने के लिए कोई भी भूतलक्षी संशोधन निश्चित रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए, न कि मनमाना और वह आवश्यक रूप से संविधान के अधीन गारंटीकृत मूल अधिकारों में से किसी अधिकार का अतिक्रमण करने वाला नहीं होना चाहिए। यह तथ्य मात्र कि कोई कानूनी उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है, अपने आप में संशोधन को अयुक्तियुक्त नहीं बना देता है। भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे किसी संशोधन की अयुक्तियुक्तता अथवा मनमानेपन सम्बन्धी निर्णय उन तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके अधीन ऐसा संशोधन किया गया है। इस प्रश्न पर विचार करने हेतु कि क्या भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी उपबंध को संशोधन करने सम्बन्धी विधायी शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया गया है अथवा नहीं, यह सुसंगत हो जाता है कि इस बात की जांच की जाए कि संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव किस रूप में प्रवर्तित होता है। (पैरा .76)

यह सर्वथा स्पष्ट है कि यदि अनुदत्त अनुतोष 1972 से लेकर भूतलक्षी प्रभाव से प्रत्याहृत कर लिया जाता है तो ऐसे निर्धारिती जिन्होंने उन सभी वर्षों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में अनुतोष का उपभोग किया था, उन्हें अत्यन्त गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भूतलक्षी प्रवर्तन सहित अनुतोष के प्रत्याहरण का प्रभाव यह होगा कि निर्धारिती पर उसकी किसी गलती के बिना ही भारी समेकित वित्तीय भार अधिरोपित किया जाएगा और इससे यह आबद्धकर हो जाता है कि निर्धारिती के लिए एक गंभीर वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे भारी वित्तीय भार के अलावा, जिसके बारे में यह अधिसम्भाव्य है कि उससे उपक्रम की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है, निर्धारिती को अन्य गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस आधार पर कि अनुतोष विधिसम्मत और वैध रूप से निर्धारिती को उपलब्ध था, निर्धारिती ने अपने कार्यकलाप के बारे में कार्यवाही करना और उनका प्रबन्ध करना प्रारम्भ किया। यदि अनुदत्त अनुतोष को अब भूतलक्षी प्रवर्तन से प्रत्याहृत करने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है तो हो सकता है कि निर्धारिती अन्य कानूनों के उपबंधों के अतिक्रमण का दोषी पाया जाए और उसे दाण्डिक परिणाम भुगतने पड़ें। इस स्थिति के बारे में न तो विवाद किया जा सकता है और न किया ही गया है किन्तु विचित्र तथ्यों तथा परिस्थितियों को विचारगत करने के पश्चात् यह दलील दी गई कि इस बारे में दाण्डिक उपबंध लागू न किए जाएं। चाहे जो भी हो, निर्धारिती को जोखिम उठाना पड़ेगा और यद्यपि उसकी कोई त्रुटि नहीं है, उसे अपने आपको ऐसे कानूनी उपबन्धों के अतिक्रमण के परिणामों का सामना करने के लिए प्राधिकारियों की सहानुभूति पर निर्भर करना होगा जो कि यदि भूतलक्षी संशोधन अन्तःस्थापित न किया गया होता, तो निर्धारिती द्वारा उसका उल्लंघन न किया गया होता। (पैरा 78)

मनमानेपन अथवा अयुक्तियुक्तता को स्थापित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि निर्धारिती का उपक्रम पूर्णतः पंगु बना दिया जाएगा और उसे भूतलक्षी प्रभाव से अनुतोष के प्रत्याहृत किए जाने के परिणामस्वरूप बन्द करना पड़ेगा। निर्धारिती की ओर से किसी गलती के न किए जाने पर भी उसे कारित किए जाने वाले अत्यन्त गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव की वास्तविक सम्भाव्यता के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है। किसी न्यायोचित आधार तथा राजस्व के हित के प्रति किसी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव के अभाव में भूतलक्षी प्रभाव से अनुतोष के प्रत्याहृत किए जाने के द्वारा निर्धारिती पर अत्यन्त गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जो कि भूतलक्षी संशोधन के सम्बन्ध में अयुक्तियुक्तता तथा मनमानापन स्थापित करती है। भूतलक्षी संशोधन के प्रवर्तन के बारे में यह आवश्यक है कि उसका निर्धारिती पर अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और इस विषय में कारबार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के सम्बन्ध में युक्तियुक्त सम्भाव्यता है कि निर्धारिती पर विरोधी प्रभाव तथा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भूतलक्षी प्रभाव से किया गया संशोधन भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का अतिक्रमणकारी है। (पैरा 79)

अनुसरित निर्णय

पैरा

[1973] [1973] उम० नि० प० नि० सा० 33=[1973] 2 एस० सी० आर० 502 :
हीरा लाल रतन लाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 25, 75

[1972] [1972] 1 उम० नि० प० 722=[1972] 2 एस० सी० आर० 141 :
सीताराम विशंभर दयाल और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 25

[1959] [1959] एस० सी० आर० 427 :
पंडित बनारसी दास भानोट बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 25

निर्दिष्ट निर्णय

[1983] [1983] 2 उम० नि० प० 1186=[1983] 2 एस० सी० सी० 33 :
गुजरात राज्य बनाम **रमन लाल केशव लाल सोनी** 76

[1983] [1983] 140 आई० टी० आर० 725 :
रामपुर डिस्ट्रिलरी एण्ड कैमिकल लिमिटेड बनाम **आय-कर आयुक्त** 10

[1982] [1982] 134 आई० टी० आर० 651 :
आय-कर आयुक्त बनाम **के० एन० आयल इण्डस्ट्रीज** 10

[1982] [1982] 134 आई० टी० आर० 158 :
वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड बनाम **आय-कर अधिकारी** 10,56,60

[1982] [1982] 133 आई० टी० आर० 365 :
आय-कर आयुक्त बनाम **आनन्द बिहारी स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स** 10, 56

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1980] (1980) 126 आई० टी० आर० 258 :
गणेश स्टील इण्डस्ट्रीज बनाम आय-कर अधिकारी 10, 56

[1980] (1980) 123 आई० टी० आर० 638 :
कोटा बाक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बनाम आय-कर अधिकारी 10, 56

[1980] (1980) 123 आई० टी० आर० 626 :
आय-कर आयुक्त बनाम यू० पी० होटल एण्ड रेस्टोरेंट लिमिटेड 10

[1979] [1979] 4 उम० नि० प० 247=(1978) 115 आई० टी० आर० 777 :
राजपालयम मिल्स लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त, मद्रास 49

[1978] [1978] 1 उम० नि० प० 1039=(1977) 107 आई० टी० आर० 195 :
टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन बनाम आय-कर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल 48

[1977] (1977) 110 आई० टी० आर० 256 :
मद्रास इण्डस्ट्रियल लाईनिंग्ज लिमिटेड बनाम आय-कर अधिकारी 10

[1977] (1977) 107 आई० टी० आर० 123 :
सेंचुरी एनका लिमिटेड बनाम आय-कर अधिकारी 10,56,60

[1976] [1976] 1 उम० नि० प० 1331=[1976] 1 एस० सी० आर० 552 :
केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी 58

[1973] [1973] 1 उम० नि० प० 17=[1973] 2 एस० सी० आर० 54 :
मैसर्स कृष्णमूर्ति एण्ड कंपनी और अन्य बनाम मद्रास राज्य और एक अन्य 74

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1970]	[1970] 2 उम० नि० प० 141=[1970] 1 एस० सी० आर० 268 : **नगर भूमि-कर सहायक आयुक्त, मद्रास और अन्य** बनाम **बकिंघम एण्ड कर्नाटक कम्पनी लिमिटेड और अन्य**	73
[1967]	[1967] 3 एस० सी० आर० 518 : **विक्रय-कर अधिकारी** बनाम **के० आई० अब्राहम**	20, 53
[1966]	[1966] 1 एस० सी० आर० 890 : **जवाहरलाल** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**	72
[1965]	(1965) 3 आल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 650 : **उताह कंस्ट्रक्शन** बनाम **पैटकी**	20, 53
[1964]	[1964] 7 एस० सी० आर० 185 : **एपारी चिन्ना कृष्णमूर्ति, प्रोप्राइटर एपारी चिन्नामूर्ति एण्ड सन्स, बराहमपुर, उड़ीसा** बनाम **उड़ीसा राज्य**	70
[1964]	[1964] 1 एस० सी० आर० 897 : **राय राम कृष्ण और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**	71
[1964]	(1964) 1 डब्ल्यू० एल० आर० 912 : **कैंपबेल कालेज बैलफास्ट (गवनर्स)** बनाम **कमिश्नर आफ वैल्युएशन फार नर्दर्न आयरलैंड**	58
[1959]	[1959] सप्ली० 1 एस० सी० आर० 792 : **डी० एस० ग्रेवाल** बनाम **पंजाब राज्य**	26
[1957]	ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 907 : **कांतिलाल सूर** बनाम **परमनिधि साधू खां**	40
[1957]	(1957) 95 सी० एल० आर० 529 : **ए० जी० फार आस्ट्रेलिया** बनाम **क्वीन**	13
[1945]	ए० आई० आर० 1945 प्रिवी कौंसिल 48 : **एम्परर** बनाम **बनवारी लाल शर्मा**	40
[1931]	(1931) अपील केसेज 310 : **प्रोप्राइटरी आर्टिकल्स ट्रेड एसोसिएशन** बनाम **ए० जी० आफ कनाडा**	13, 58

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1885] (1885) 10 अपील केसेज 282 :
पोवैल बनाम अपोलो कैंडल कम्पनी लिमिटेड 26

असाधारण आरम्भिक अधिकारिता : 1979 के रिट पिटीशन सं० 4509, 4542-43, 4540-41, 4544-45, 4546-47, 4548-49, 5002, 5326, 5358-59, 5366, 5392-5400, 5401-08, 5413, 5494, 5594, 5537-43, 5595, 5607, 5614, 5654, 5656, 5658, 5671, 5698-99, 5700-01, 5727-32, 5746, 5765-71, 5772-78, 4944-48, 6360, 6527-28, 5860, 5865-71, 5884-98, 5905-07, 5923-24, 6360, 6358, 6188-90, 6202-03, 6312-16, 6?41-42, 6353, 6517-18 और 641, 1980 के रिट पिटीशन सं० 6434, 6445, 6497, 6506-07 और 5386-91, (1983 के सिविल प्रकीर्ण पिटीशन सं० 34440-45 के साथ) 1981 के रिट पिटीशन सं० 4-5, 31, 41, 141-48, 194-95, 196-203, 250-53, 266-67, ?61-63, 364-67, 393-94, 424-57, 538, 650-54, 670, 672-79, 723-24, 820, 894, 1000, 1234-39, 1240, 1248-52, 1253, 1298, 1297, 1396-97, 1399, 1429, 1450-51, 1499, 1504-08, 1513, 1587, 1603-06, 1623, 1713-17, 1778-87, 1836, 1893-98, 1965-69, 2004, 2082-83,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

2101-02, 2190, 2529-41, 2574-95, 3349-51, 2929-30, 3609-13, 3897, 4265-66, 7411-14, 5386-91, 5463, 1980 के रिट पिटीशन सं० 5899-5903, 1981 के रिट पिटीशन सं० 7222, 3897, 4330, 4444, 7470-74, 7475, 7650, 8049, 8218, 8921, 7222, 7701-10, 8943, 9065, 9232-39, 9434, 285, 1817, 1628 और 2579-95, 1982 के रिट पिटीशन सं० 1529, 1572, 1576, 222-36, 1626, 1760-62, 1927-32, 2165-66, 3539-44, 4020-22, 4098, 4112, 5710-16, 7085-86, 10124-137, 9603, 1506, 1918-23, 9297-61, 3767-72, 5688-91 और 2579, 1983 के रिट पिटीशन सं० 6-10, 927, 159-63, 8771-73; और 9318, 3883, 3884, 6076-80, 7578-82, 9056-59, 11360, 9318, 3582-85, 159-63, 3392-98, 3768-72, 5688-91, 902, 13491-13495, 1982 के रिट पिटीशन सं० 1298, 1576, 1506, 1983 के रिट पिटीशन सं० 164-66, 6076-6080, 7756-60, 13054 और 13070, 1982 के रिट पिटीशन सं० 274-78 1328-35, 3382-85 तथा 1983 के रिट पिटीशन सं० 13218-19.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन

पिटीशनरों की ओर से : सर्वश्री एन० ए० पालखीवाला, बी० के० मोहन्ती, राम पंचवानी, टी० ए० रामचन्द्रन्, डी० पाल, ए० के० सेन०, एम० एम० अब्दुल कादर, जी० सी० शर्मा, दिनेश व्यास, टी० एम० मुनीम, एस० पी० मेहता, रमेश दिवान, श्रीनिवास मूर्ति, हरीश एन० साल्वे, होमी रैना, जे० बी० दादाचनजी, रविन्दर नारायण, ओ० सी० माथुर, श्रीमती ए० के० वर्मा, श्री टी० एम० अंसारी, कुमारी रैनु वालिया, सर्वश्री डी० एन० मिश्र, एस० सुकुमारन्, पी० के० राम, ए० एम० दितिया, आदित्य नारायण, अशोक सागर, विजय पंजवानी, राज पंजवानी, एस० के० बग्गा, एच० के० पुरी, सी० एस० एस० राव, ललित कुमार गुप्त, सुभाष दत्ता, विमल दवे, श्रीमती जानकी रामचन्द्रन्, सर्वश्री पी० एस० पारेख, अशोक के० गुप्त, ए० वी० संगम, एम० के० गर्ग, दलवीर भंडारी, वी० पार्थसारथी, परवीन कुमार, अनिल कुमार शर्मा, अशोक माथुर, आर० पी० गर्ग, एस० के० बंसल, पी० के० मुखर्जी, डा० वी० गौरी शंकर, के० एल० हाथी, मनोज अरोड़ा, डी० के० छाया, श्रीमती हेमंतिका वाही, सर्वश्री एन० सुधाकरण, के० एन० भट्ट, वी० के० वर्मा, एम० एल० लहोटी, ऋषिकेश राय, नसीम अहमद, एस० के० जैन, एम० एम० क्षत्रिय, एम० सील, डी० एन० गुप्त, एच० पी० रानीयन, के० बी० रोहतगी, सी० एस० अग्रवाल, बी० वी० देसाई, एम० एल० वर्मा, एम० आर० के० पिल्लै, वी० डी० शर्मा, कैलाश वासदेव, ओ० पी० वैश, संतोष कुमार अग्रवाल, पी० के० भिन्द्रिया, ए० के० सांघी, रविन्दर बाना, कुमारी मीरा भाटिया, सर्वश्री एस० के० ढोलकिया, वी० एन० गणपुले, एस० के० गंम्भीर, एस० सी० पटेल, सर्व मित्तर, के० एच०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

काजी, एम० एन० श्राफ, एम० सी० ढींगरा, टी० पी० सुन्दराजन, बी० बी० टाकले, के० के० जैन, एस० के० गुप्त, पी० दयाल, ए० डी० संगर, अनूप शर्मा, आर० एस० शर्मा, ललित भसीन, राकेश साहनी, विनीत कुमार, कुमारी अर्शी सिंह, सर्वश्री ए० सुब्बा राव, बी० आर० अग्रवाल, आर० सी० पांडे, कुमारी वी० मेनन, सर्वश्री संतोष चटर्जी, अल्ताफ अहमद और ए० के० पंडा।

प्रत्यर्थियों की ओर से : श्री के० पाराशरन, महा अटर्नी और कुमारी ए० सुभाषिणी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति पी० एन० भगवती ने दिया।

न्यायाधिपति भगवती—

ये रिट पिटीशन आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ के निर्वचन के सम्बन्ध में एक रोचक प्रश्न उद्भूत करते हैं और कतिपय निर्वचन के आधार पर वे आय-कर नियम, 1962 के नियम 19-क की विधिमान्यता पर आक्षेप करते हैं और वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा धारा 80-ञ में भूतलक्षी संशोधन की सांविधानिकता को प्रश्नगत करते हैं। इन रिट पिटीशनों में उद्भूत प्रश्न काफी महत्त्व के हैं क्योंकि उनमें करोड़ों रुपए का राजस्व अन्तर्वलित है और दोनों ओर से उन पर काफी विस्तार से बहस हुई है।

2. पक्षकारों के बीच मुख्य संविवाद आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ के सही निर्वचन के बारे में है और इसलिए हम इन रिट पिटीशनों में उद्भूत विवाद्यक की अपनी चर्चा उस धारा की भाषा की परीक्षा करके शुरू करते हैं। किन्तु हम ऐसा करने से पूर्व लाभपूर्ण रूप से धारा 80-ञ में अधिनियमित उपबंध की उत्पत्ति और उस रूपांतरण के प्रति जो गत वर्षों में समय-समय पर इसमें हुआ है, निर्दिष्ट करेंगे। इसके सही निर्वचन पर पहुंचने के लिए इस उपबंध के ऐतिहासिक उत्कर्ष का पता लगाना वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि **डुपरक्युएट हाट** बनाम **इवान्स**[1] के मामले में न्यायाधिपति कार्डोजो ने मत व्यक्त किया था, अर्थान्वयन से संबंधित प्रश्नों में "इतिहास सिखलाने वाला होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।" पहली बार इस प्रकार के उपबंध को इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 में पुरःस्थापित

[1] 297 यू० एस० 216.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया था जो कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1949 के द्वारा किया गया था, जबकि 31 मार्च, 1949 से उस अधिनियम में धारा 15-ग जोड़ी गई थी। धारा 15-ग की उपधारा (1) ने नए औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के एक भाग को कर से छूट दे दी थी और यह उपबंध, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, निम्नलिखित रूप में था—

*"15-ग(1). उसी प्रकार से जैसा कि अन्यथा यहां पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, कर किसी निर्धारिती द्वारा किसी औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त इतने लाभों या अभिलाभों पर संदेय नहीं होगा, जिसको कि यह धारा लागू होती है, जो ऐसे नियमों के अनुसरण में प्रगणित, जैसा कि केन्द्रीय राजस्व वोर्ड द्वारा इस बारे में बनाए गए हों, उपक्रम में नियोजित पूंजी पर प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अनधिक नहीं होता।"

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में 15 अक्तूबर, 1949 की एक अधिसूचना जारी की, जिसमें भारतीय आय-कर (औद्योगिक उपक्रमों की पूंजी की संगणना) नियम, 1949 को धारा 15-ग की उपधारा (1) में यथा-प्रकल्पित औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणन के लिए बनाया। इन नियमों के नियम 3 में, जहां तक कि यह तात्विक है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न प्रकार उपबंध किया गया है—

**"नियम 3(1). अधिनियम की धारा 15-ग के प्रयोजन के लिए किसी उपक्रम में नियोजित पूंजी, जिसको कि उक्त धारा लागू होती है, इस प्रकार समझी जाएगी—

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"15-C(1). Same as otherwise hereinafter provided the tax shall not be payable by an assessee on so much of the profits or gains derived from any industrial undertaking to which this section applies as do not exceed six per cent per annum on the capital employed in the undertaking, computed in accordance with such rules as may be made in this behalf by the Central Board of Revenue."

**"Rule 3(1). For the purpose of Section 15-C of the Act, the capital employed in an undertaking to which the said section applies shall be taken to be—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(क) क्रय के द्वारा अर्जित और अवक्षयण के लिए हकदार आस्तियों के मामले में—

(i) यदि वे संगणना कालावधि से पूर्व अर्जित की गई है, उक्त कालावधि की तारीख के प्रारम्भ पर अवलिखित मूल्य;

(ii) यदि वे संगणन कालावधि की शुरू होने वाली तारीख से या उसके पश्चात् अर्जित की गई है, तो उक्त कालावधि के दौरान उनकी औसत कीमत;

(ख) क्रय द्वारा अर्जित किन्तु अवक्षयण के हकदार नहीं, आस्तियों के मामले में—

(i) यदि वे संगणन कालावधि से पूर्व अर्जित की गई हैं, तो निर्धारिती को उनकी वास्तविक कीमत;

(ii) यदि वे संगणन कालावधि की शुरू होने वाली तारीख को या उस के पश्चात् अर्जित की गई हैं, तो उक्त कालावधि के दौरान उनकी औसत कीमत;

(ग) ऐसी आस्तियों के मामले में जो कारबार चलाने वाले व्यक्ति को शोध्य ऋण हैं, उन ऋणों की अभिहित रकम;

(a) in the case of assets acquired by purchase and entitled to depreciation—

(i) if they have been acquired before the computation period, the written-down value on the commencing date of the said period;

(ii) if they have been acquired on or after the commencing date of the computation period, their average cost during the said period;

(b) In the case of assets acquired by purchase and not entitled to depreciation—

(i) if they have been acquired before the computation period, their actual cost to the assessee;

(ii) if they have been acquired on or after the commencing date of the computation period, their average cost during the said period;

(c) in the case of assets being debts due to the person carrying on the business, the nominal amounts of those debts;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(घ) किन्हीं अन्य आस्तियों के मामले में उन आस्तियों का मूल्य जबकि वे कारबार की आस्तियां बनती हैं बशर्ते कि यदि ऐसी किसी शास्ति को संगणन कालावधि के भीतर अर्जित किया गया है, केवल ऐसे मूल्य का औसत उसी रीति से लिया जाएगा जिस प्रकार औसत कीमत संगणित की जाए ।

(2) जहां कि किसी आस्ति के मूल्य की नकद में से अन्यथा तुष्टि कर दी गई है, तो आस्ति के लिए वास्तविक रूप से दिए गए प्रतिफल का उस समय का मूल्य, वह मूल्य समझा जाएगा जिस पर कि आस्ति अर्जित की गई थी ।

(3) कारबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा उधार लिए गए किसी धन और देय ऋण की कटौती की जाएगी और विशेष रूप से आय-कर के लिए और अधिकार के लिए या कारबार लाभ-कर के लिए या इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 के किसी उपबंध के अधीन शोध्य अग्रिम संदायों के लिए या कारबार अभिलाभ कर अधिनियम, 1947 (1947 का 21) की धारा 13 के अधीन कारबार अभिलाभ-कर के संबंध में संदेय किसी रकम के लिए कारबार के संबंध में उपगत किन्हीं ऋणों की कटौती की जाएगी ।"

(d) in the case of any other assets the value of the assets when they became assets of the business provided that if any such asset has been acquired within the compu tation period, only the average of such value shall be taken in the same manner as average cost is to be computed.

(2) Where the price of any assets has been satisfied otherwise than in cash, the then value of the consideration actually given for the asset shall be treated as the price at which the asset was acquired.

(3) Any borrowed money any debt due by the person carrying [on the business shall be deducted and in particular there shall be deducted any debts incurred in respect of the business for] income-tax and super-tax or business porfits tax or for abvance payments due under any provision of the Indian Income Tax Act, 1922, or for any sum payable in relation to business profits tax under section 13 of the Business profits Tax Act, 1947 (XXI of 1947)."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस नियम के अनुसार "उपक्रम में नियोजित पूंजी" की संगणना की प्रक्रिया में दो चरण अन्तर्वलित हैं; एक आस्तियों के क्रय की तारीख और स्वरूप के अनुसार विभिन्न सूत्र के आधार पर निकाली गई औद्योगिक उपक्रम की आस्तियों के मूल्य का परिवर्धन और दूसरा "कारबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा उधार लिए गए किसी धन और शोध्य ऋण" की कटौती। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उधार लिया गया धन और निर्धारिती से शोध्य ऋण इस नियम के उपनियम (3) के कारण "उपक्रम में नियोजित पूंजी" की संगणना में अपवर्जित हैं।

3. कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1949 को कराधान विधि (विलीन राज्यों पर विस्तारण और संशोधन) अधिनियम, 1949 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 31 दिसम्बर, 1949 को प्रवृत्त हुई और इस अधिनियम की धारा 13 के द्वारा धारा 15-ग को बनाए रखा गया था और यद्यपि किंचित उपांतरण किए गए थे, उपधारा (1) जिसमें कुछ छूट दी गई थी, अपरिवर्तित रही। उपधारा (2), (4) और (6) में किंचित परिवर्तन किए गए और जैसे कि पुनः अधिनियमित की गईं, ये उपधाराएं निम्न प्रकार हैं—

*"(2) यह धारा किसी औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है, जो—

(i) पहले से अस्तित्व में किसी कारबार को विभाजित करके या पुनर्गठित करके या किसी कारबार में प्रयुक्त भवन, मशीन या संयंत्र को, जो कि 1 अप्रैल, 1948 से पूर्व चलाया जा रहा था, नए कारबार में अन्तरण द्वारा नहीं बनाया गया है;

(ii) 1 अप्रैल, 1948 से या ऐसी अगली कालावधि से,

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

"(2) This section applies to any industrial undertaking which—

(i) is not formed by the splitting up, or the reconstruction of, business already in existence or by the transfer to a new business of building, machinery or plant used in a business which was being carried on before the lst day of April, 1948;

(ii) has begun or begins to manufacture or

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जैसा कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विशेष औद्योगिक उपक्रम के निर्देश में विनिर्दिष्ट करे, तीन वर्षों की कालावधि के भीतर किसी समय भारत में किसी प्रान्त में वस्तुएं बनाना या उत्पादित करना शुरू कर दिया है या शुरू करता है;

(iii) पचास व्यक्तियों से से अधिक नियोजित करता है; और

(iv) औद्योगिक ऊर्जा या ऊर्जा के किसी अन्य रूप का प्रयोग अन्तर्वलित है जो यांत्रिक रूप से पारेषित की जाती है और मानव अभिकरण द्वारा प्रत्यक्षतः उत्पादित नहीं होता :

(4) कर किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उसे संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए समझे गए किसी इतने लाभांश के सम्बन्ध में किसी अंशधारी द्वारा संदेय नहीं होगा जो कि ऐसे लाभ या अभिलाभों के भाग के लिए किया गया है, जिस पर कि कर इस धारा के अधीन संदेय नहीं है।

(6) इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 1949 को प्रारम्भ होने

---

produce articles in any Province in India at any time within a period of three years from the 1st day of April, 1948, or such further period as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify with reference to any particular industrial undertaking;

(iii) employs more than fifty persons; and

(iv) involves the use of electrioal energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not directly generated by human agency.

(4) The tax shall not be payable by a shareholder in respect of so much of any dividend paid or deemed to be paid to him by an industrial undertaking as is attributable to that part of the profits or gains on which the tax is not payable under this section.

(6) The provisions of this section shall apply to the

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाले और 31 मार्च, 1954 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए निर्धारणों को लागू होंगे।''

इस बात पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्स) रूल्स, 1949 में उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में निर्धारिती से शोध्य ऋणों और उधार लिए गए धन के लिए अपवर्जन का उपबन्ध है, विधानमण्डल ने कराधान विधि (विलीन राज्यों पर विस्तारण और संशोधन) अधिनियम, 1949 की धारा 13 द्वारा धारा 15-ग को पुन: अधिनियमित करते समय इस स्थिति में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहा किन्तु कराधान विधि (विलीन राज्यों पर विस्तारण और संशोधन) अधिनियम, 1949 की धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन उन्हीं नियमों को बनाए रखा। इस प्रकार विधानमण्डल ने उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में उधार ली गई रकम और ऋणों के अपवर्जन को अपना अनुमोदन दे दिया तथा यह भी स्पष्ट किया कि 'संगणित' शब्द का प्रयोग उसके द्वारा इस संदर्भ में सम्मिलित करने तथा उसकी मदों के अपवर्जन के अर्थों में किया है, जिन्हें उपक्रम में नियोजित पूंजी का एक भाग समझा जाए।

4. इसके पश्चात् समय-समय पर विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा धारा 15-ग में परिवर्तन किए गए किन्तु ये परिवर्तन सारभूत नहीं थे और उन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (ii) में उपयुक्त संशोधनों के द्वारा आरम्भिक तीन वर्षों से 18 वर्षों की पात्रता के लिए उत्पादन की कालावधि तक बढ़ा दिया और होटल के कारबार को भी छूट के कार्यक्षेत्र के भीतर ला दिया और ऐसी छूट के अनुदान के लिए शर्तें अधिकथित कर दीं। जहां तक विद्यमान रिट पिटीशनों का सम्बन्ध है, हम इन परिवर्तनों से सम्बन्धित नहीं हैं और इसलिए विस्तार में इनको निर्दिष्ट करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा 15-ग का मूल ढांचा वही रहा और ऐसा ही इंडियन इन्कम टैक्स (कम्प्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 ने भी किया। परिणाम यह था कि 31 मार्च, 1949 में जबकि इण्डियन इन्कम टैक्स, 1922 में धारा 15-ग पुरःस्थापित की गई थी, और जब तक इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 प्रवृत्त रहा, निर्धारिती से उधार ली गई रकमों और ऋणों को धारा 15-ग के अधीन पात्र छूट की मात्रा का अवधारण करने के

---

assessments for the years commencing on the lst day of April, 1949, and ending on the 3lst day of March, 1954."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रयोजन के लिए उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में से अपवर्जित किया गया था ।

5. इसके पश्चात् भारतीय आय-कर अधिनियम, 1961 आया जिसने इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 को निरसित कर दिया । इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 15-ग को भारतीय आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 84 के तौर पर नया रूप दिया गया । धारा 84 की उपधारा (1) ने वही छूट औद्योगिक उपक्रम या होटल से प्राप्त लाभों और अभिलाभों के भाग के सम्बन्ध में अनुदत्त की जिसको कि यह धारा लागू होती थी, जैसा कि धारा 15-ग की उपधारा (1) में किया गया था, किन्तु एक थोडा-सा परिवर्तन किया गया था अर्थात् यह कि छूट के लिए पात्र लाभ या अभिलाभ जिन्हें अब "विहित प्रकार से संगणित उपक्रम या होटल में नियोजित पूंजी पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष" पर संगणित किया जाना था (रेखांकन हमारे द्वारा किया गया है) । धारा 2 की उपधारा 33 में 'विहित' शब्द से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और धारा 295 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा आय-कर नियम, 1962 बनाए गए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नियम 19 अन्तर्विष्ट है, जिसमें यह विहित किया गया है कि किस प्रकार से किसी उपक्रम या होटल में नियोजित पूंजी धारा 64 के प्रयोजनों के लिए संगणित की जाएगी । नियम 19 के उप-नियम (1), (3) और (6) अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार हैं—

> "19(1). धारा 84 के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे उपक्रम या होटल में, जिसको उक्त धारा लागू होती है, नियोजित पूंजी निम्नलिखित मानी जाएगी—
>
> (क) ऐसी आस्तियों की दशा में जो क्रय द्वारा अर्जित की गई हैं और अवक्षयण की हकदार हैं—
>
> (i) यदि वे संगणना-अवधि से पूर्व अर्जित की गई हैं, तो उक्त अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को उनका अवलिखित मूल्य;
>
> (ii) यदि वे संगणना अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् अर्जित की गई हैं, तो उक्त अवधि के दौरान उनकी औसत लागत;
>
> (ख) ऐसी आस्तियों की दशा में जो क्रय द्वारा अर्जित की गई हैं और अवक्षयण की हकदार नहीं हैं—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(i) यदि वे संगणना अवधि से पूर्व अर्जित की गई हैं, तो निर्धारिती को उनकी वास्तविक लागत;

(ii) यदि वे संगणना अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् अर्जित की गई हैं, तो उक्त अवधि के दौरान उनकी औसत लागत;

(ग) ऐसी आस्तियों की दशा में जो कारबार चलाने वाले व्यक्ति को शोध्य ऋण हैं, उन ऋणों की अभिहित रकम;

(घ) किन्ही अन्य आस्तियों की दशा में उन आस्तियों का उस समय का मूल्य जब वे कारबार की आस्तितां वनी थीं :

परन्तु यदि कोई ऐसी आस्ति संगणना अवधि के भीतर अर्जित की गई है, तो ऐसे मूल्यों का, केवल औसत मूल्य ही, उसी रीति में लिया जाएगा जैसे औसत लागत संगणित की जाती है।

(3) कारबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा उधार लिए गए धन और उसके द्वारा देय ऋण की कटौती की जाएगी और विशिष्टतया कारबार की बावत ऐसे कर के लिए (जिसके अन्तर्गत अग्रिम कर भी है) जो अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय है, उपगत ऋण की कटौती की जाएगी।

(6) इस नियम में—

(i) किसी आस्ति के सम्बन्ध में "औसत लागत" से उसकी वास्तविक लागत का वह अनुपात अभिप्रेत है जो उस संगणना अवधि के उन दिनों का, जिनके दौरान ऐसी आस्ति कारबार में प्रयुक्त की गई है, उक्त अवधि में समाविष्ट दिनों की कुल संख्या के साथ है;

(ii) "संगणना अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए उपक्रम या होटल के लाभ और अभिलाभ धारा 28 से धारा 43-क तक के अधीन संगणित किए जाते हैं;

(iii) "अवक्षयण" से धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) से खण्ड (iv) के अधीन अनुज्ञेय मोक अभिप्रेत है;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(iv) "अवलिखित मूल्य" से धारा 43 की उपधारा (6) के अधीन इस प्रकार संगणितं अवलिखित मूल्य अभिप्रेत है, मानो कि "पूर्व वर्ष" शब्दों के स्थान पर "संगणना अवधि" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ।"

इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 15-ग में कई अन्य परिवर्तन भी किए गए थे जबकि उसे धारा 84 के रूप में नया रूप दिया गया था किन्तु यह परिवर्तन विद्यमान रिट पिटीशनों के प्रयोजन के लिए तात्त्विक नहीं है और इसलिए वे हमें नहीं रोक सकते ।

6. इस प्रकार से यह पता चलेगा कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 84 के अधीन भी उस धारा के अधीन लाभों की छूट की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उपक्रम या होटल में नियोजित पूंजी की संगणना में उधार ली गई रकमें और ऋणों के अपवर्जन के सम्बन्ध में वही स्थिति अभिभूत हुई, जैसी कि पहले थी । यह स्थिति तब तक निर्विघ्न चलती रही जब तक कि धारा 84 को 1 अप्रैल, 1968 से 1967 के वित्त (सं० 2) अधिनियम के द्वारा धारा 80-ञ के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । धारा 80-ञ की उपधारा (1) उपबंध में, जैसा कि यह धारा 84 की उपधारा (1) में था, तात्त्विक परिवर्तन लाई । अब हम इस परिवर्तन की विवक्षाओं की परीक्षा करेंगे, जबकि हम पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों पर चर्चा करेंगे किन्तु तत्समय यह पर्याप्त होगा यदि हम इस परिवर्तन को निम्न प्रकार धारा 80-ञ की उपधारा (1) को उद्धृत करके उपदर्शित करें—

"80(ञ) (1). जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार से, जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में, ऐसे लाभों और अभिलाभों में से (जैसे वे धारा 80-ञ और धारा 80-ञ के अधीन निर्धारिती को अनुज्ञेय कटौतियों के, यदि कोई हों, योग को घटाकर आएं) इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अध्यधीन उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की बाबत विहित रीति से संगणित, यथास्थिति उस औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार में लगाई गई पूंजी पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से परिकलित रकम से अधिक नहीं होती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(पूर्वोक्त प्रकार से परिकलित रकम, इसके पश्चात् इस धारा में पूर्व वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी की सुसंगत रकम के रूप में निर्दिष्ट की गई है) ।"

यह बात ध्यान देने योग्य है कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन छूट के लाभ को पोत से प्राप्त अतिरिक्त लाभों तक विस्तारित कर दिया गया था और जहां तक छूट की मात्रा का सम्बन्ध है, इसकी संगणना करने के लिए अपनाया गया फार्मूला "औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार, जैसा भी मामला हो, में नियोजित पूंजी पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में विहित प्रकार में संगणित" था । पुरःस्थापित नए शब्द "निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में" थे । धारा 80-ञ की उपधारा (2) में वह कालावधि अधिकथित की गई थी, जिसके लिए छूट अनुज्ञेय होगी और उपधारा (3) में इस बात का उपबंध था कि लाभों और अभिलाभों के कारण उद्भूत छूट की सुविधा में कमी जो पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी की सुसंगत रकम से कम नहीं थी, अग्रनीत की जाएगी और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय को संगणित करने में इस परन्तुक के अधीन सीधे कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी कि किसी भी मामले में कमी या उसका कोई भाग सातवें निर्धारण वर्ष से परे अग्रनीत नहीं किया जाए, जैसा कि आरम्भिक निर्धारण वर्ष के अन्त में गिना गया है । उपधारा (4) में कतिपय शर्तें अधिनियमित की गई हैं, जिन्हें छूट के लाभ के लिए विशेषित होने से पूर्व किसी औद्योगिक उपक्रम को पूरा करना चाहिए और शर्तों में से एक शर्त यह थी कि औद्योगिक उपक्रम "किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त भवन, मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अन्तरण करके" नहीं बना होना चाहिए । किन्तु उपधारा (6) में अपवाद के रूप में इस बात का उपबन्ध है कि जहां कि औद्योगिक उपक्रम के मामले में किसी भवन, मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग को, जो किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किया गया है, नए कारबार में अन्तरित किया जाता है और इस प्रकार अन्तरित भवन, मशीनरी या संयंत्र या किसी भाग का कुल मूल्य कारबार में प्रयुक्त भवन, मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य से 20% से अधिक नहीं होता, तब उपधारा (4) में उपवर्णित शर्त पूरी समझी जाएगी और इस प्रकार अन्तरित भवन, मशीनरी एवं संयंत्र के कुल मूल्य को औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना में खाते में नहीं लिया जाएगा । जहां तक किसी पोत से प्राप्त लाभों को धारा 80-ञ को लागू होने का सम्बन्ध था, उपधारा (5) में कई शर्तें अधिकथित की गई हैं, जिन्हें पोत से प्राप्त लाभों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मामले में छूट का लाभ उपलब्ध कराए जाने से पूर्व पूरा किया जाना अपेक्षित है।

7. चूंकि किसी औद्योगिक उपक्रम, या पोत या किसी होटल के कारबार से प्राप्त लाभ किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी के निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में विहित प्रकार में संगणित 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक ही छूट के पात्र थे, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने नियम 19-क बनाया, जिसमें वह रीति विहित की जिसमें कि औद्योगिक उपक्रम, पोत या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी धारा 80-ञ के प्रयोजन के लिए संगणित की जानी चाहिए। नियम 19-क ने नियम 19 के पाठ में तात्त्विक परिवर्तन किए और चूंकि पक्षकारों के बीच संविवाद का एक बहुत बड़ा भाग इस नियम की विधिमान्यता के बारे में, इसके सुसंगत भागों को विस्तारपूर्वक उपवर्णित करना वांछनीय है—

"19-क. धारा 80-ञ के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक उपक्रम में या पोत में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना—(1) धारा 80-ञ के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी उपनियम (2) से उपनियम (4) तक के अनुसार संगणित की जाएगी और किसी पोत में नियोजित पूंजी उपनियम (5) के अनुसार संगणित की जाएगी।

(2) ऐसे उपक्रम या होटल के कारबार की, जिसे उक्त धारा 80-ञ लागू होती है, संगणना की अवधि के पहले दिन यथा-विद्यमान आस्तियों के मूल्यों के बराबर रकमों का योग पहले निम्न-लिखित रीति से अभिनिश्चित किया जाएगा—

(i) अवक्षयण की हक़दार आस्तियों की दशा में, उनका अवलिखित मूल्य;

(ii) क्रय द्वारा अर्जित आस्तियों की दशा में, जो अवक्षयण की हकदार नहीं हैं, निर्धारिती को उनकी वास्तविक लागत;

(iii) ऐसी आस्तियों की दशा में, जो क्रय द्वारा अर्जित नहीं है और जो अवक्षयण की हकदार नहीं हैं, उन आस्तियों का उस समय का मूल्य जब वे कारबार की आस्तियां बनी थीं;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(iv) उन आस्तियों की दशा में, जो कारबार चलाने वाले व्यक्तियों को शोध्य ऋण है, उन ऋणों की अभिहित रकम;

(v) ऐसी आस्तियों की दशा में, जो हाथ में या बैंक में रोकड़ के रूप में है, उनकी रकम।

*(3) उपनियम (2) के अधीन अभिनिश्चित रकमों के योग में से निर्धारिती द्वारा, जो नीचे लिखे नहीं हैं, उधार लिए गए धन और शोध्य ऋणों को (जिनके अन्तर्गत कर की बाबत किसी दायित्व के लिए शोध्य रकमें भी हैं) जैसे कि वे संगणना की अवधि के पहले दिन हैं, रकमों के योग को घटा दिया जाएगा—

(क) निर्धारिती के कम्पनी होने की दशा में इसके डिबेंचरों की रकम, यदि कोई हो, और

(ख) किसी निर्धारिती की दशा में (कम्पनी सहित) भारत में पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुमोदित स्रोत से उधार ली गई कोई रकमें, यदि उस करार में, जिसके अधीन ऐसी रकमें उधार ली गई हैं, सात वर्षों से अन्यून कालावधि के दौरान उसके पुन:संदाय का उपबंध है।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए—

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :

(3) From the aggregate of the amounts as ascertained under sub-rule (2) shall be deducted the aggregate of the amounts, as on the first day of the computation period, of borrowed moneys and debts due by the assessee (including amounts due towards any liability in respect of tax), not being—

(a) in the case of an assessee being a company, the amount of its debentures, if any, and

(b) in the case of any assessee (including a company) any moneys borrowed from an approved source for the creation of a capital asset in India, if the agreement under which such moneys are borrowed provided for repayment thereof during a period of not less than seven years.

Explanation—For the purpose of this sub-rule—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(i) 'अनुमोदित स्रोत' से अभिप्रेत है—सरकार या भारत का औद्योगिक वित्त निगम या इण्डस्ट्रियल क्रेडिट खण्ड इन्वैस्टमैंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड या कोई बैंककारी संस्थान या भारत से बाहर किसी देश में कोई व्यक्ति या निम्नलिखित वित्त संस्थानों में से कोई, अर्थात्—

(क) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन स्थापित राज्य वित्त निगम;

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 19) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ;

(ग) मद्रास इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वैस्टमैंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड;

(घ) री-फाइनेंस कारपोरेशन आफ इण्डस्ट्री लिमिटेड;

(i) 'approved source' means the Government or the Industrial Finance Corporation of India or the Industrial Credit and Invest ment Corporation of India Ltd. or any bank-institution or any person in a country outside India or any of the following financial institutions, namely—

(a) a State Financial Corporation established under the State Financial Corporations Act, 1951 (LXIII of 1951);

(b) the Industrial Development Bank of India, established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (XIX of 1964);

(c) The Madras Industrial and Investment Corporation of India Limited;

(d) the Re-finance Corporation of Industry Ltd;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ङ) जीवन बीमा निगम अधिनियम (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम;

× × ×

(4) उपनियम (3) के अधीन अवधारित पारिणामिक राशि में से उपनियम (2) के अधीन अभिनिश्चित किन्हीं ऐसे विनिधानों का मूल्य कम कर दिया जाएगा जिनमें कि प्राप्त होने वाली आय कारबार के लाभों की संगणना में हिसाब में नहीं ली जाती है और वे धन घटा दिए जाएंगे, जो कारबार के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित नहीं हैं, वहां तक जहां तक कि ऐसे विनिधानों या धनों का योग उन उधार लिए गए धनों की रकम से अधिक है जो उपनियम (3) के अधीन पूंजी की संगणना में कटौती के लिए अपेक्षित है।

(5) पोत में नियोजित पूंजी उस पोत का अवलिखित मूल्य समझा जाएगा।"

8. दो परिवर्तन तुरन्त दिखाई देते हैं। एक यह है कि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 और नियम 19 के अधीन संगणन कालावधि प्रारम्भ होने की तारीख को या के पश्चात् क्रय द्वारा अर्जित आस्तियों का औसत मूल्य औद्योगिक उपक्रम, होटल में नियोजित पूंजी की संगणना करते समय लेखे में लिया जाना अपेक्षित था, इस सूत्र से जानबूझकर विचलन किया गया था और नियम 19-क के अधीन संगणना कालावधि के प्रारम्भ को या उसके पश्चात् अर्जित आस्तियां लेखे में से छोड़ दी गई थीं और संगणना कालावधि के प्रथम दिन की आस्तियों के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली रकमों को औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में प्रविष्ट करना था। किया गया अन्य परिवर्तन यह था कि यद्यपि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 और नियम 19 के अधीन निर्धारिती से उधार ली गई सभी रकमें और शोध्य रकमें औद्योगिक उपक्रम या होटल में नियोजित पूंजी की संगणना में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित थीं, नियम 19-क के अधीन काफी उदारता बरती गई थी जिसमें इस बात का उपबंध था कि "भारत में पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुमोदित स्रोत से

(e) the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, (XXXI of 1956);

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उधार ली गई रकमें, यदि उस करार में जिसके अधीन ऐसी रकमें उधार ली गई हैं, सात वर्षों से अन्यून कालावधि के दौरान उनके पुनर्संदाय का उपबन्ध है" कटौती के दायित्वाधीन नहीं होंगी, किन्तु औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में धारा 80-ञ के प्रयोजन के लिए लेखे में ली जाएगी। परिणाम यह था कि 1 अप्रैल, 1968 से और उसके पश्चात् जबकि नियम 19-क प्रवृत्त हुआ, सात वर्षों से अन्यून समय में पुनःसंदेय अनुमोदित स्रोत से उधार औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में निर्धारिती से उधार ली गई रकमें शोध्य ऋणों के अन्य प्रवर्गों के माध्यम से लेखे में लिए जाने से ऐसी संगणना से अपवर्जित रहीं। ये दो परिवर्तन, ऐसा प्रतीत होता है, श्री एस० भूतालिंगम् द्वारा प्रत्यक्ष कराधान विधियों पर युक्तिकरण और सरलीकरण की अन्तरिम रिपोर्ट के दृष्टिकोण से किए गए जहां कि यह सिफारिश की गई थी कि फार्मूले के स्थान पर, जो 31 मार्च, 1968 तक अनुसरित किया जाता रहा, पूंजी की संगणना के लिए प्रक्रिया का "उसे धारित पूंजी पर और वर्ष के प्रारंभ में लम्बी अवधि के उधारों पर आधारित करके वर्ष के दौरान पूंजी के नए सिरे से पुरःस्थापित किए जाने की उपेक्षा करके" सरलीकरण किया जाना उपेक्षित होगा।

9. यह कार्य-स्थिति 1 अप्रैल, 1971 तक जारी रही जबकि वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 प्रवृत्त हुआ। विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए, जो अन्ततः वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 बना, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित रूप में सदन के पटल पर नीति का कथन किया—

> "हाल ही में नए औद्योगिक उपक्रमों, पोतों और अनुमोदित होटलों के मामले में नियोजित पूंजी का 6 प्रतिशत लाभ पांच वर्षों की कालावधि के लिए कर-छूट का हकदार है। चूंकि डिबेंचर और लम्बी अवधि के उधार किसी प्रकार से खतरा उत्पन्न नहीं करते, पूंजी और उन पर ब्याज में किसी भी मामले में कटौती नहीं की जाती, सरकार की ओर से पूंजी के ऐसे संघटकों पर भी कर-छूट उपबन्ध को लागू करके उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। अब मैं इस बात का प्रस्ताव करता हूं कि कर-छूट के प्रयोजनों के लिए पूंजी के 6 प्रतिशत की सीमा की संगणना में डिबेंचर और लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित किए जाएं। यह इकहरा अभ्युपाय चालू वर्ष के दौरान सरकार हेतु 10 करोड़ रुपए का उपबन्ध करेगा। पूर्ण वर्ष के लिए लाभ 14 करोड़ रुपये होगा।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस नीति कथन को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा नियम 19-क के उपनियम (3) का संशोधन करके लागू किया गया था, जिससे कि संशोधन के पश्चात् उपनियम (3) निम्न प्रकार पठित है—

> "(3) उपनियम (2) के अधीन अभिनिश्चित रकमों के योग में से निर्धारिती द्वारा उधार लिए गए धन और शोध्य ऋणों को (जिनके अन्तर्गत कर की बाबत किसी दायित्व के लिए शोध्य रकमें भी हैं) जैसे कि वे संगणना की अवधि के पहले दिन हैं, रकमों के योग को घटा दिया जाएगा।"

इस संशोधन का परिणाम यह था कि स्थिति, जैसी कि नियम 19-क के अधिनियमन से पूर्व अभिभावी थी, फिर से प्रत्यावर्तित हो गई और सभी उधार ली गई रकमें और निर्धारिती द्वारा शोध्य ऋण, जो संगणना कालावधि के प्रथम दिन को थे, औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में धारा 80-ञ के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी की संगणना में कटौती किए जाने योग्य हो गए। यह सशोधन 1 अप्रैल, 1972 से प्रवृत्त हुआ।

10. किन्तु नियम 19-क के इस संशोधन से एक गंभीर संविवाद खड़ा हो गया। यद्यपि 1 अप्रैल, 1949 से 31 मार्च, 1968 तक लगभग 19 वर्षों की कालावधि के लिए सभी उधार ली गई रकमें और निर्धारिती द्वारा देय ऋण औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में अपवर्जित कर दिए गए थे, इण्डियन इन्कम टैक्स (कम्प्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 और नियम 19 की विधिमान्यता के विरुद्ध कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जिसमें ऐसे अपवर्जन का उपबन्ध था और किसी निर्धारिती ने औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना को ऐसे अपवर्जन के आधार पर किए जाने पर विवाद नहीं किया था। केवल उस समय जबकि नियोजित पूंजी की संगणना में लम्बी अवधि के उधारों (सात वर्षों से अन्यून में संदेय) के अपवर्जन द्वारा नियम 19-क के अधीन उदारीकरण किया गया—जिस उदारीकरण को 1 अप्रैल, 1968 से पुरःस्थापित किया गया था—1 अप्रैल, 1972 से वापस ले लिया गया तब कुछ निर्धारितियों ने पहली बार यह दलील दी कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के सही अर्थान्वयन पर औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी में लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित होंगे चूंकि प्रयुक्त किए गए शब्दों के स्पष्ट नैसर्गिक अर्थान्वयन के अनुसार वे 'नियोजित पूंजी' के भाग थे और नियम 19-क, उपनियम (3),

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जहां तक कि यह लम्बी अवधि के उधारों को नियोजित पूंजी की संगणना से अपवर्जित करता है, इसलिए धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधिकारातीत था और नियम 19-क के उपनियम (3) के बावजूद लम्बी अवधि के उधार किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में 'नियोजित पूंजी' की संगणना में लेखे में लिए जाने के दायित्वाधीन थे। यह दलील पहली बार आय-कर अपील अधिकरण की मुम्बई न्यायपीठ के समक्ष **मैसर्स अलीम चन्द टोपन दास** बनाम **आय-कर अधिकारी**[1] के मामले में दी गई थी और अधिकरण की मुम्बई न्यायपीठ ने 24 जुलाई, 1973 के आदेश के द्वारा इस दलील को स्वीकार किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि नियम 19-क का उपनियम (3) धारा 80-ञ की उपधारा (1) के प्रतिकूल था और इसलिए इसकी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की सगणना में उपेक्षा की जानी चाहिए। तथापि इस विनिश्चय पर अधिकरण की विशेष न्यायपीठ द्वारा **मैसर्स एमको ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड** बनाम **आय-कर अधिकारी** के मामले में पुनर्विचार किया गया था और विशेष न्यायपीठ ने 26 सितम्बर, 1974 के आदेश द्वारा इस विनिश्चय को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 19-क के उपनियम (3) और धारा 80-ञ की उपधारा (1) के बीच बिल्कुल भी विरोध नहीं था और सभी उधार, जिसमें निर्धारिती द्वारा देय लम्बी अवधि के उधार भी सम्मिलित थे, औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में अपवर्जित किए जाने के दायित्वाधीन थे। तथापि इसके पश्चात् तुरन्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **सेंचुरी एनका लिमिटेड** बनाम **आयकर अधिकारी**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 19-क का उपनियम (3), जहां तक कि यह अनुमोदित स्रोत के अलावा उधार ली गई पूंजी के अपवर्जन का निदेश देता है (स्पष्टतः यह मामला असंशोधित नियम 19-क द्वारा शासित था) धारा 80-ञ की उपधारा (1) का अधिकारातीत था और किसी भी स्रोत से लम्बी अवधि के उधार नियोजित पूंजी के भाग होने के कारण औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में लेखे में लिए जाने के दायित्वाधीन थे। वही दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **मद्रास इण्डस्ट्रियल लाइनिंग्ज लिमिटेड** बनाम **आय-कर अधिकारी**[2] और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी तीन विनिश्चयों अर्थात् **आय-कर आयुक्त** बनाम **यू० पी० होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट लिमिटेड**[3], **कोटा**

---

[1] 107 आई० टी० आर० 123.

[2] 110 आई० टी० आर० 256.

[3] 123 आई० टी० आर० 626.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बाक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बनाम **आयकर अधिकारी**[1] और **रामपुर डिस्टिलरी एण्ड कैमिकल लिमिटेड** बनाम **आय-कर आयुक्त**[2] में अपनाया गया था। यही दृष्टिकोण पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में भी **गणेश स्टील इण्डस्ट्रीज** बनाम **आय-कर अधिकारी**[3] और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में **वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड** बनाम **आय-कर अधिकारी**[4] के मामले में भी अभिभावी था। तथापि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया और यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 19-क का उपनियम (3) धारा 80-ञ की उपधारा (1) के प्रतिकूल नहीं था और लम्बी अवधि के उधार सहित सभी उधार औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना में अपवर्जित किए जाने के दायित्वाधीन थे। देखिए **आय-कर अधिकारी** बनाम **आनन्द बिहारी स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स**[5] और **आय-कर आयुक्त** बनाम **के० एन० आयल इण्डस्ट्रीज**[6]। इस प्रकार से लम्बी अवधि के उधार के अपवर्जन के सम्बन्ध में संविवाद से विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता हुई। नियम 19-क में एक अन्य उपबन्ध भी था जिसके बारे में कुछ उच्च न्यायालयों ने गलती पाई और वह ऐसा उपबंध था जिसमें इस बात की अपेक्षा थी कि 'नियोजित पूंजी' को संगणना कालावधि के प्रथम दिन को संगणित किया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **सेंचुरी एनका लिमिटेड** बनाम **आयकर अधिकारी**[7] के मामले में यह दृष्टिकोण अपनाया कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) में जिस बात की अपेक्षा थी, वह पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में पूंजी की संगणना थी, न कि पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को और इसलिए नियम 19-क, जहां तक कि इसमें इस बात का उपबंध था कि पूंजी की संगणना, संगणना कालावधि के प्रथम दिन को की जानी चाहिए, धारा 80-ञ की उपधारा (1) का अधिकारातीत था। इस दृष्टिकोण को भी एक या दो अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया था चूंकि कुछ उच्च न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि नियम 19-क धारा 80-ञ की उपधारा (1) का अधिकारातीत था। जहां तक कि इसमें लम्बी अवधि के उधारों को अपवर्जित करने और 'नियोजित पूंजी' की संगणना को संगणना कालावधि के प्रथम दिन को किए जाने का

---

[1] 123 आई० टी० आर० 638.
[2] 140 आई० टी० आर० 725.
[3] 126 आई० टी० आर० 258.
[4] 134 आई० टी० आर० 158.
[5] 133 आई० टी० आर० 365.
[6] 134 आई० टी० आर० 651.
[7] 107 आई० टी० आर० 123.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबन्ध था और सरकार की राय में यह दृष्टिकोण गलत था और सही रूप से संसद् के आशय का प्रतिक्षेप नहीं करता था, जैसा कि इस उपबन्ध के विधायी इतिहास से स्पष्ट है। संसद ने भ्रांति और अनिश्चितता को, जो विधि की स्थिति में अभिभावी हो सकती थी, दूर करने के दृष्टिकोण से, जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इन दो विवाद्यकों पर अन्तिम उद्घोषणा न कर दी जाए, वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा धारा 80-ञ में एक संशोधन पुरःस्थापित कर दिया। वित्त (सं० 2) विधेयक, 1980 का प्रस्ताव करते हुए वित्त मंत्री ने 24 जुलाई, 1980 को राज्य सभा में अपने भाषण के क्रम में यह कहा—

> "मुझे 1 अप्रैल, 1972 से आयकर अधिनियम की धारा 80-ञ में किए जाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों संबंधी बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए...। इस प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी आय-कर नियमों में किए गए उपबंधों के अनुसरण में संगणित है और उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करती है। कुछ उच्च न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि नियम में उपबन्ध धारा 80-ञ में उपबन्ध का अधिकारातीत है और कि उधार ली गई पूंजी को भी कर-छूट सम्बन्धी लाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी आधार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। विधेयक नियम के उपबन्ध को 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी रूप से धारा 80-ञ में अन्तरिम करना चाहता है। कई अभ्यावेदनों में यह कहा गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन भूतलक्षी रूप से नहीं किया जाना चाहिए। बजट पर आम बहस के मेरे उत्तर में मैंने यह बात स्पष्ट की है कि विधेयक में उपबन्ध संसद के स्पष्ट आशय को मात्र प्रभावी करना चाहता है। मैंने फिर इस प्रश्न पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया और मेरा यह विश्वास है कि विधि और साम्या दोनों पर विचार करने पर आत्यन्तिक विधेयक में उपबन्धों के उपान्तरण के लिए कोई मामला नहीं बनता है। धारा 80-ञ विनिर्दिष्ट रूप से इस बात का उपबंध करती है कि नियोजित पूंजी कर-छूट संबंधी लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए नियमों के अनुसरण में संगणित की जाएगी और नियम स्पष्ट रूप से यह अधिकथित करते हैं कि उधार ली गई पूंजी इस प्रयोजन के लिए पूंजी आधार से अपवर्जित होगी। कर-छूट सम्बन्धी उपबन्ध सन् 1949 से किसी न किसी रूप में कानून की किताब में रहे हैं। सन् 1968 तक औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना के लिए आधार नियमों में उपवर्णित किया गया था,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिनमें इस प्रयोजन के लिए उधार ली गई पूंजी के अपवर्जन का उपबन्ध था और इस स्थिति पर कभी भी सन्देह नहीं किया गया। यद्यपि सन् 1968 में नियमों की कतिपय विनिर्दिष्ट लम्बी अवधि के उधारों को पूंजी आधार में सम्मिलित करने के लिए उपबंध करने हेतु संशोधित किया गया था और यथापूर्व स्थिति को 1-4-1972 से प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। जैसा कि मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं, उस समय वित्त मन्त्री श्री वाई० वी० चह्वाण ने 1971-72 के लिए अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उधार ली गई पूंजी को कर-छूट सम्बन्धी लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पूंजी आधार से उपवर्जित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि आशय सदैव यह रहा कि उधार ली गई पूंजी कर-छूट सम्बन्धी लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी का भाग नहीं बननी चाहिए। इसलिए मेरा समाधान हो गया है कि इस सम्बन्ध में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।"

वित्त विधेयक (सं० 2), 1980 अन्ततः वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 हो गया और इस अधिनियम के द्वारा धारा 80-ञ को संशोधित किया गया और उपधारा (1-क) को 1 अप्रैल, 1972 को भूतलक्षी प्रभाव से पुरःस्थापित किया गया। नई पुरःस्थापित उपधारा (1-क) उन्हीं शब्दों में थी, जिससे कि नियम 19-क, जिससे कि औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना का प्रकार वही रहा किन्तु अब नियम 19-क के स्थान पर उपधारा (1-क) में उपवर्णित कर दिया गया। धारा 80-ञ की उपधारा (1) में आने वाले शब्द "विहित प्रकार में संगणित" भी "उपधारा (1-क) में विनिर्दिष्ट प्रकार में सगणित" शब्दों द्वारा उसी तारीख से अर्थात् 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित कर दिए गए।

11. पिटीशनरों की ओर से कुछ रिट रिटीशनों में हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री पालखीवाला ने यह बतलाया कि "पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में ···नियोजित पूंजी" अभिव्यक्ति के दो आयाम हैं अर्थात् मात्रा का आयाम और समय का आयाम। जहां तक मात्रा के आयाम का संबंध है, श्री पालखी वाला ने यह दलील दी कि "नियोजित पूंजी" अभिव्यक्ति में इसके विधिक तथा प्रमुख और वाणिज्यिक आशय के मामले के दृष्टिकोण से लम्बी अवधि के उधार और कामकाजी पूंजी सम्मिलित होनी चाहिए और सही और उदार दृष्टिकोण से इसमें लघु अवधि के उधार भी सम्मिलित होंगे किन्तु वह इस दलील को देकर संतुष्ट थे कि किसी भी दशा में लम्बी अवधि के उधारों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को "नियोजित पूंजी" में सम्मिलित माना जाना चाहिए। उन्होंने यह बतलाया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष या अधिक के पश्चात् पुनर्संदेय ऋण लम्बी अवधि के ऋण होंगे और इसे 'नियोजित पूंजी' का भाग माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि यह मानते हुए भी 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति में संदिग्धता है। आवश्यक रूप से इसमें धारा 80-ञ के संदर्भ में लम्बी अवधि के ऋण सम्मिलित होंगे क्योंकि संसद् का संभव रूप से ऐसे धनाढ्य निर्धारितियों का पक्ष करने का आशय नहीं था जो अपनी स्वयं की पूंजी नियोजित करने में समर्थ हैं और ऐसे निर्धन निर्धारितियों के विरुद्ध विभेद करना नहीं था जिन्हें अपने उपक्रमों में पैसा लगाने के लिए निधि को उधार लेना पड़ता। श्री पालकीवाला ने समय के आयाम सम्बन्ध में यह भी दलील दी कि पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में या दौरान 'नियोजित पूंजी' की धारणा एक ऐसी धारणा है जिसके बारे में संपूर्ण वर्ष के दौरान प्रयुक्त निधियों की वास्तविकता की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य होना चाहिए न कि मात्र किसी एक दिन, जैसे कि संगणना कालावधि के प्रथम दिन। श्री पालकीवाला की दलील इस आधार-वाक्य पर आधारित थी कि नियम 19-क उस हद तक धारा 80-ञ की उपधारा (1) का अधिकारातीत था कि इसमें इन शब्दों में 'नियोजित पूंजी' की संगणना की पद्धति विहित की गई थी जिसमें सभी उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित कर दिया था और 'नियोजित पूंजी' की संगणना के लिए संगणना कालावधि के प्रथम दिन का ही उपबंध किया था और संगणना कालावधि की शेष अवधि के दौरान नियोजित अतिरिक्त पूंजी की उपेक्षा कर दी थी। श्री पालकीवाला ने दलील दी कि नियम 19-क दो सम्बन्ध में अविधिमान्य है चूंकि इसने धारा 80-ञ के परन्तुक के पूर्ण प्रवृत्त प्रभाव का अल्पीकरण किया था और मनमानेपन से उस धारा के अधीन उस बात को अपवर्जित करके छूट के विस्तार-क्षेत्र को लघुकृत किया था जो स्पष्ट रूप से नियोजित पूंजी का भाग था और नियोजित पूंजी की प्रथम दिन को छोड़कर संपूर्ण संगणना कालावधि के दौरान उपेक्षा की थी। इस दलील के आधार पर श्री पालकीवाला द्वारा दिया गया निष्कर्ष यह था कि लम्बी अवधि के उधार किसी भी दशा में नियोजित पूंजी की संगणना में लेखे में लिए जाने के दायित्वाधीन थे और ऐसी संगणना को संगणना कालावधि के प्रथम दिन को नहीं किया जा सकता किन्तु अतिरिक्त पूंजी को लेखे में लिया जाना अपेक्षित था जो संगणना कालावधि के दौरान नियोजित की जानी थी। जहां तक संशोधित उपधारा (1-क) का संबंध था, जो धारा 80-ञ के द्वारा पुरःस्थापित की गई थी, श्री पालकीवाला ने दलील दी कि यह संशोधन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1 अप्रैल, 1972 के भूतलक्षी प्रभाव से किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) का अतिक्रामी होने के कारण असांविधानिक था। हमें यहां पर उन विनिर्दिष्ट आधारों को उपवर्णित करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर संशोधित उपधारा (1-क) को श्री पालकीवाला ने अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) का उल्लंघनकारी होने के रूप में चुनौती दी थी चूंकि इस दृष्टिकोण से हम नियम 19-क की विधिमान्यता को ध्यान में ले रहे होंगे, हमारे लिए श्री पालकीवाला द्वारा बतलाए गए इन आधारों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। पिटीशनरों की ओर से अन्य रिट पिटीशनों में हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने केवल इस अन्तर के साथ उन्हीं आधारों को पुनः दोहराया कि रिट पिटीशनों में से एक रिट पिटीशन में पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेल डा० देवी पाल के अनुसार 'नियोजित पूंजी' में न केवल लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित होंगे जैसा कि श्री पालकीवाला ने दलील दी थी किन्तु अल्प अवधि के आधार भी सम्मिलित होंगे जिससे कि सभी उधार ली गई रकमें न कि लम्बी अवधि के उधार ही 'नियोजित पूंजी' की संगणना में लेखे में लिए जाने के दायित्वाधीन थे। 1980 का रिट पिटीशन सं० 6188 में पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले डा० गौरी शंकर ने भी उन्हीं लाइनों पर लिखित दलीलें प्रथकृत: दीं और श्री पालकीवाला के मुख्य दावे का समर्थन किया।

12. पिटीशनरों की ओर से दी गई ये दलीलें प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अटर्नी जनरल द्वारा खंडित की जानी अपेक्षित थीं। विद्वान् अटर्नी जनरल ने यह दलील दी कि 'नियोजित पूंजी' न तो एक कला शब्द है और न ही एक निश्चित नियत परिवर्णन की अभिव्यक्ति और इसका अर्थ भिन्न संदर्भों में भिन्न था। इसमें आवश्यक रूप से लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित नहीं थे और नियम 19-क का उपनियम (3) 'नियोजित पूंजी' की संगणना से लम्बी अवधि के उधारों को अपवर्जित करता है इसलिए इसे धारा 80-ञ की उपधारा (1) के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। अनुकल्पतः विद्वान् अटर्नी जनरल द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि किसी भी दशा में धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुतोष की संगणना करने के लिए प्रतिशत की अनुबंधित दर न केवल नियोजित पूंजी को किसी और विशेषण के लागू होनी थी किन्तु 'विहित प्रकार में संगणित··नियोजित पूंजी' को लागू होनी थी। संगणना के प्रकार को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा बनाए जाने के लिए विहित करने लिए छोड़ दिया गया था और विद्वान् अटर्नी जनरल के अनुसार संगणना में मदों को अपवर्जित करना और सम्मिलित करना अन्तर्वलित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

था जो 'नियोजित पूंजी' के भाग के रूप में माने जाते थे और उपनियम (3) जो संगणना की प्रक्रिया का अभिन्न भाग था, में नियम 19-क में अधिकथित किए गए हैं, इसलिए यह धारा 30-ज की उपधारा (1) के परन्तुक से अल्पीकृत नहीं है और उस धारा के आदेश के भीतर था। विद्वान् अटर्नी जनरल ने श्री पालकीवाला की दलील का खण्डन किया कि यदि धारा 80-ञ की उपधारा (1) को इस रूप में पढ़ा जाता है कि यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को नियोजित पूंजी की संगणना से किसी मद या मदों को, जैसा कि वह उचित समझती हो, उस बारे में कानून के द्वारा कोई मार्गदर्शन उपबंधित किए बिना अपवर्जित करने की शक्ति प्रदत्त करती है, तो ऐसी शक्ति निरंकुश और अनियंत्रित होगी और उसमें अत्यधिक प्रत्यायोजन का दोष होगा। विद्वान् अटर्नी जनरल ने यह बतलाया कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) कराधान कानून का उपबंध होने के कारण इसे आवश्यक रूप से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसका विनिश्चय करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय अनुतोष की संगणना करने के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी को समय-समय पर क्या माना जाएगा और इस पर भी उस बारे में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम उसके अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने अपेक्षित थे और इसलिए धारा 80-ञ की उपधारा (1) में कोई अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं था जिसमें केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर इस बात को विहित करने की बात छोड़ दी गई थी कि किस प्रकार से नियोजित पूंजी को संगणित किया जाना चाहिए और किन मदों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और किन मदों को अपवर्जित किया जाना चाहिए। विद्वान् अटर्नी जनरल द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "नियोजित पूंजी' की संगणना के सम्बन्ध में "पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी" नहीं थी, किन्तु 'पूर्ववर्ष के सम्बन्ध में···नियोजित पूंजी' थी। "पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में" शब्द जानबूझकर धारा 80-ञ की उपधारा (1) में पुरस्थापित किए गए थे जबकि वह धारा अधिनियमित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 'नियोजित पूंजी', जो धारा 80-ञ के प्रयोजन के लिए संगणित की जानी अपेक्षित थी, 'पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी' थी। इसलिए नियम 19-क विद्वान् अटर्नी जनरल के अनुसार धारा 80-ञ की उपधारा (1) के विरुद्ध नहीं था जबकि इसमें इस बात का उपबंध था कि 'पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी' पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को संगणित नहीं की जाएगी। विद्वान् अटर्नी जनरल ने यह बतलाया कि यदि नियम 19-क

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इसकी पूर्णता में, जैसा कि उनके द्वारा दलील दी गई; अविधिमान्य था, तो नए रूप से पुरःस्थापित उपधारा (1-क) की सांविधानिक विधिमान्यता का कोई प्रश्न सम्भव रूप से नहीं उठ सकता था क्योंकि उपधारा (1-क) ने जो कुछ किया मात्र नियम 19-क को 1 अप्रैल, 1972 से संयत शब्दावली में प्रस्तुत करना था और यह स्पष्टीकारक स्वरूप की थी। विद्वान् अटर्नी जनरल ने अनुकल्पतः यह भी दलील दी कि चाहे नियम 19-क जैसा कि श्री पालकीवाला द्वारा और पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले अन्य विद्वान् काउन्सेल द्वारा दलील दी गई है, दोनों सम्बन्धों में अविधिमान्य था, 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से धारा 80-ञ में पुरःस्थापित नई उपधारा (1-क) अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) के अधीन किसी भी मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं करती और असांविधानिक या शून्य नहीं थी।

13. ये विरोधी दलीलें धारा 80-ञ की उपधारा (1) के निर्वचन के संबंध में और नियम 19-क की विधिमान्यता के सम्बन्ध में विधि के रोचक प्रश्न पैदा करती हैं। अब इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यदि नियम 19-क की विधिमान्यता के विरुद्ध आक्षेप कायम नहीं रह सकता और नियम 19-क को इसकी सम्पूर्णता में विधिमान्य माना जाता है, तो नए सिरे से अधिनियमित उपधारा (1-क) की सांविधानिक विधिमान्यता के विरुद्ध पिटीशनरों की ओर से दी गई चुनौती के आधारों की परीक्षा करना अनावश्यक होगा, क्योंकि उस दशा में उपधारा (1-क) कानूनी रूप में 'नियोजित पूंजी' की संगणना के सम्बन्ध में उपबंध अधिनियमित करेगी जो तब तक नियम 19-क के रूप में प्रवृत्त थे और संशोधन के द्वारा उपधारा (1-क) का अधिनियम मात्र स्पष्टीकारक स्वरूप का होगा। इसलिए, मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या नियम 19-क को धारा 80-ञ की उपधारा (1) के आदेश के अनुरूप कहा जा सकता है जहां तक कि इसमें 'नियोजित पूंजी' की संगणना से लम्बी अवधि के उधारों सहित सभी उधार ली गई रकमों के अपवर्जन के लिए उपबंध किया गया है और यह अधिनियमन किया गया है कि 'नियोजित पूंजी' का संगणन संगणना कालावधि के प्रथम दिन को किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर धारा 80-ञ की उपधारा (1) में नियोजित भाषा के सही निर्वचन पर निर्भर करता है, किन्तु निर्वचन के इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह बतलाना आवश्यक होगा कि कम से कम जहां तक 'नियोजित पूंजी' की संगणना से लम्बी अवधि के उधारों सहित उधार ली गई सभी रकमों के अपवर्जन का सम्बन्ध है, वह स्थिति जो 1 अप्रैल, 1949 से 31 मार्च, 1968 तक की 19 वर्षों की कालावधि के लिए प्रवृत्त थी, यह थी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि निर्धारिती से शोध्य सभी उधार ली गई रकमें 'नियोजित पूंजी' की संगणना में अपवर्जित की गई थीं और किसी ने भी ऐसे अपवर्जन को या तो धारा 15-ग या धारा 84 के विरोध के रूप में होने के कारण उसे चुनौती दी थी। निस्सन्देह यह बात सत्य है कि मात्र इसलिए क्योंकि 19 वर्षों की लम्बी कालावधि के लिए 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों के अपवर्जन की विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी गई थी, वह ऐसी चुनौती को नकारने के लिए आधार नहीं हो सकता यदि यह अन्यथा सुआधारित है। यह एक निश्चित विधि है कि नियम बनाने की शक्ति के पूर्व प्रयोग में उपमति जो नियम बनाने के प्राधिकार की अधिकारिता से परे थी, नियम बनाने की ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती या पश्चात्‌वर्ती तारीख को नियम बनाने की शक्ति का इसी प्रकार का प्रयोग विधिमान्य नहीं है। यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाया गया नियम उसकी शक्ति के विस्तार-क्षेत्र से बाहर है, तो यह शून्य है और यह बात सुसंगत नहीं है कि इसकी विधिमान्यता को लम्बी कालावधि से प्रश्नगत नहीं किया गया है। यदि नियम शून्य है तो यह शून्य रहेगा चाहे उपमति रही हो या नहीं। देखिए **प्रोप्राइटरी आर्टिकल्स ट्रेड एसोसिएशन** बनाम ए० जी० ऑफ **कनाडा**[1] और **ए० जी० फार आस्ट्रेलिया** बनाम **वदीन**[2]। किन्तु जब हम यह बतलाते हैं कि 19 वर्षों की कालावधि के लिए 'नियोजित पूंजी' की संगणना से उधार ली गई रकमों के अपवर्जन को निर्धारिती द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 और नियम 19 की विधिमान्यता को किसी समय इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई थी कि वे धारा 15-ग या धारा 84 के उपबंधों से अल्पीकृत हैं, यह उपमति के किसी अभिवाक् का समर्थन करने के प्रयोजन के लिए नहीं था किन्तु यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए है कि निर्धारिती तथा राजस्व दोनों ने इस आधार पर कार्य किया कि धारा 15-ग और धारा 84 की भाषा के सही निर्वचन पर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की क्षमता के भीतर 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों को अपवर्जित करना था, न केवल निर्धारिती और राजस्व अपितु संसद् ने भी धारा 15-ग और 84 के इस निर्वचन को अनुमोदित किया और तथ्य रूप से इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 और नियम 19 की विधिमान्यता को माना जिसमें इन धाराओं के अधीन अनुतोष देने के प्रयोजन के लिए 'नियोजित पूंजी'

---

1 (1931) अपील केसेज 310.

2 95 सी० एल० आर० 529.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की संगणना में उधार ली गई रकमों के अपवर्जन का उपबंध है। यद्यपि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 में काफी शब्दों में इस बात का उपबंध है कि उधार ली गई रकमें धारा 15-ग के प्रयोजन के लिए, जैसा कि इण्डियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 में मूल रूप से पुरःस्थापित किया गया था, 'नियोजित पूंजी' की संगणना में कटौती की जाएगी, संसद् ने जबकि उसने कराधान विधि (विलीन राज्यों पर विस्तारण और संशोधन) अधिनियम, 1949 के द्वारा धारा 15-ग को पुनः अधिनियमित किया था, इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहा था, किन्तु उन्हीं नियमों को जारी रखा था जिनमें उधार ली गई रकमों के अपवर्जन का उपबंध था। संसद ने स्पष्ट रूप से इस कल्पना पर कार्य किया कि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949, जहां तक कि उनमें उधार ली गई रकमों के 'नियोजित पूंजी' की संगणना में अपवर्जन के लिए उपबंध था, वे धारा 15-ग के आदेश के भीतर थे और धारा 15-ग के प्रयोजन के लिए 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों के ऐसे अपवर्जन पर अपने अनुमोदन की छाप लगा दी। इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 उसके पश्चात् 1 अप्रैल, 1962 तक प्रवृत्त रहे जब तक कि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1961 अधिनियमित हुआ और आय-कर नियम, 1962 बनाए गए। इस कालावधि के दौरान धारा 15-ग को कई बार संशोधित किया गया किन्तु यद्यपि संसद् को पूर्णतः यह पता था कि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949 में 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों के अपवर्जन के लिए उपबंध था, संसद् ने इस बात को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया कि उधार ली गई रकमें अपवर्जित किए जाने के लिए आशयित नहीं थीं। उस समय भी जबकि आय-कर अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया था, संसद् धारा 84 में उसी भाषा का प्रयोग करती रही, जैसी कि वह धारा 15-ग में करती थी और इस बात को उपदर्शित करने के दृष्टिकोण से भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया कि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949, जिन्हें धारा 15-ग के अधीन बनाया गया था, सही रूप से संसद् के आशय को प्रतिबिंबित नहीं करते। यदि संसद् यह सोचती कि इण्डियन इन्कम टैक्स (कंप्यूटेशन आफ कैपिटल आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज) रूल्स, 1949,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जहां तक कि उनमें उधार ली गई रकमों के अपवर्जन का सम्बन्ध है, उसके आशय के अनुरूप नहीं थे, तो संसद् आसानी से स्पष्ट शब्दों में अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध बना सकती थी जबकि उसने आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 84 अधिनियमित की गई थी। धारा 84 के अधिनियमन के पश्चात् भी जब नियम 19 धारा 84 को प्रभावी करने के दृष्टिकोण से बनाया गया था, उस नियम ने भी उधार ली गई रकमों को 'नियोजित पूंजी' के संगणन से अपवर्जित कर दिया। इस बात पर ध्यान देना बड़ा रोचक है कि यद्यपि आय-कर नियम 1962, जिसमें नियम 19 सम्मिलित है, को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 द्वारा यथापेक्षित उनके बनाए जाने के तुरन्त पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया था। संसद् के किसी भी सदन ने नियम 19 के प्रति अपना अननुमोदन अभिव्यक्त नहीं किया और न ही उसमें कोई उपांतरण किया और संसद् के दोनों सदनों ने इस प्रकार से पूर्ण रूप से इस बात को जानते हुए नियम 19 को अपना अनुमोदन दे दिया—और यह धारणा सदन के प्रत्येक सदस्य के पक्ष में की जाती है—कि उस नियम में 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों के अपवर्जन का उपबंध है। हम यह बात स्पष्ट कर दें कि जब हम यह टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे बारे में यह नहीं समझा जाए कि हम यह कहते हैं कि चाहे कानून के अधीन बनाए जाने के लिए तात्पर्यित नियम कानून द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के बाहर है, यह अभी भी विधिमान्य होगा और उसे विधि का बल प्राप्त होगा यदि यह संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है और किसी भी सदन द्वारा इसे अननुमोदित नहीं किया जाता है। किन्तु जो बात हम बतलाना चाहते हैं, यह है कि नियम 19 के अननुमोदन न करने के द्वारा संसद् ने इस धारणा की विधिमान्यता को स्वीकार कर लिया कि 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों का अपवर्जन धारा 84 के शब्दों के अधीन अनुज्ञेय था और स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित किया कि उधार ली गई रकमों का ऐसे अपवर्जन को उनका अनुमोदन प्राप्त था। धारा 84 के अधिनियमन के पश्चात् भी नियम 19 बनाया गया था, धारा 84 में समय-समय पर कई संशोधन किए गए थे किन्तु किन्हीं भी अवसरों पर संसद् ने ऐसा अवसर प्राप्त नहीं किया था जबकि वह इस बात का तिरस्कार करती जो उसने इस बात को समझते हुए उधार ली गई रकमों के अपवर्जन के द्वारा नियम 19 का किया हो कि संसद् ने उसे अनुमोदित नहीं किया है। परिणाम यह था कि 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों का अपवर्जन जारी रहा और स्पष्टतः और असंदिग्ध रूप से संसद् के आशय के अनुरूप रहा। किन्तु जब धारा 80-ञ ने धारा 84 को प्रतिस्थापित कर दिया और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियम 19-क धारा 80-ञ को प्रभावी करने के दृष्टिकोण से बनाया गया, जानबूझकर एक परिवर्तन लाया गया और अनुमोदित स्रोतों से लम्बी अवधि के उधार 'नियोजित पूंजी' की संगणना में लाए गए। तथापि यह परिवर्तन काफी दिन तक नहीं चला और 1 अप्रैल, 1972 से मूल स्थिति प्रत्यावर्तित हो गई। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भूमिका के दौरान यह बात स्पष्ट कर दी कि उनका डिबेंचरों और लम्बी अवधि के उधारों को नियोजित पूंजी की संगणना में अपवर्जित करने का प्रस्ताव है और इस कथन के अनुसार नियम 19-क संशोधित किया गया जिससे कि सभी उधार ली गई रकमों को अपवर्जित किया गया। संशोधनकारी नियम को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया और वहां कोई विसम्मति और अननुमोदन नहीं था। इस बात पर विश्वास करना संभव नहीं है कि सदन के पटल पर वित्त मंत्री के कथन के बावजूद और संशोधित नियम को प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के बावजूद संसद् को इस बात का पता नहीं था कि संशोधित नियम 19-क में क्या उपबंध किया गया था। संसद् के इस बारे में यह धारणा की जानी चाहिए कि उसे इस बात का पता था कि नियम 19-क वित्त मंत्री के कथन के अनुसार संशोधित किया गया था और संशोधित नियम 19-क में 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों के अपवर्जन का उपबंध था और फिर भी संसद् यदि वह सोचती है कि ऐसा अपवर्जन उसके सही आशय के प्रतिकूल थी, उस स्थिति को परिशोधित करने का उसने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद फिर वित्त (सं० 2) विधेयक, 1980 प्रस्तावित करते समय वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर यह कहा कि संसद् का आशय सदैव 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों को अपवर्जित करना है और इसलिए धारा 80-ञ को भूतलक्षी प्रभाव से नियम 19-क निगमित करके संशोधित किया जा रहा है। हमारे द्वारा पता किया गया यह विधायी इतिहास स्पष्ट रूप से सन्देह से परे यह दर्शाता है कि प्रारम्भ से अन्त तक संसद् ने 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1972 की कालावधि को छोड़कर, 'नियोजित पूंजी' की संगणना में उधार ली गई रकमों के अपवर्जन को उसके आशय के अनुरूप होने के रूप में अनुमोदित किया और ऐसे अपवर्जन को धारा 15-ग या धारा 84 या धारा 80-ञ के शब्दों के भीतर, जैसा भी मामला हो, अपवर्जन माना।

14. अब हम धारा 80-ञ की उपधारा (1) की भाषा पर विचार करेंगे और ऐसा करते समय हम यह बतला दें कि जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) की भाषा और इसकी पूर्ववर्ती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धाराओं अर्थात् धारा 15-ग, उपधारा(1) और धारा 84, उपधारा (1) की भाषा के बीच कोई तात्विक भेद नहीं है। धारा 80-ञ की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "विहित प्रकार से संगणित···नियोजित पूंजी" हैं। धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय अनुतोष प्रगणित करने के प्रयोजन के लिए प्रतिशत की कानूनी दर 'नियोजित पूंजी' को ही लागू नहीं होगी किन्तु "विहित रीति में संगणित···नियोजित पूंजी" को भी लागू होगी। हम हाल में विहित प्रकार में संगणित" विशेषित शब्दों के प्रभाव पर विचार करेंगे किन्तु ऐसा करने से पूर्व हमें पहले 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति के सही अर्थ और आशय की परीक्षा करनी चाहिए क्योंकि धारा में प्रयुक्त इसी अभिव्यक्ति का श्री पालकीवाला ने काफी अवलम्ब लिया है और इसी पर उसके द्वारा संपूर्ण दलील आधारित है। श्री पालकीवाला और उसका अनुसरण करने वाले अन्य विद्वान् काउन्सेल ने मुस्तैदी से यह दलील दी कि 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति उसके सामान्य रूप से स्वीकृत अर्थ के अनुसार तथा उसके अर्थबोधन के अनुसार भी वाणिज्यिक प्रथा और लेखा कर्म पद्धति अर्जित कर चुकी है और आवश्यक रूप से उसमें कम से कम लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित हैं और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड 'नियोजित पूंजी' की संगणना के लिए नियम बनाने के वेश के अधीन लम्बी अवधि के उधारों को अपवर्जित नहीं कर सकते जो 'नियोजित पूंजी' का अनिवार्य भाग बनाते हैं। यह बात स्पष्ट रूप से धारा 80-ञ की उपधारा (1) के उपबंधों से लघूकृत होगी और पूर्ण रूप से अननुज्ञेय होगी। अब इस दलील में कुछ बल हो सकता है यदि वह आधार-वाक्य, जिस पर यह आधारित है, सुआधारित हो। किन्तु हम श्री पालकीवाला और उसका समर्थन करने वाले अन्य विद्वान् काउन्सेल से सहमत होने में असमर्थ हैं कि 'नियोजित पूंजी' में या तो इसके विधिक भाव या वाणिज्यिक भाषा में या लेखा-कर्म पद्धति में आवश्यक रूप से और सदैव लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित हैं।

15. श्री पालकीवाला ने कारबार, प्रबंधतंत्र और लेखा-कर्म के बारे में अपने इस अभिवाक् के समर्थन में विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से अंशों का अवलम्ब लिया कि 'नियोजित पूंजी' में आवश्यक रूप से लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित होने चाहिएं। पाठ्य पुस्तकों में से एक पुस्तक, जिसका श्री पालकीवाला ने अवलम्ब लिया था, टी० जी० रोज द्वारा लिखित "दि इण्टर्नल फायनेंस आफ इण्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्ज" थी जहां कि यह कहा गया है कि "किसी क्षण कारबार में कुल रकम या नियोजित कुल पूंजी तुलन-पत्र में आस्तियों के कालम के पाद में अभिलिखित अंकों में पाई जाती है, जिसमें से काल्पनिक आस्तियां घटा दी जाती हैं।" यह अंश किसी समय में कारबार में कुल पूंजी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के साथ 'कुल नियोजित पूंजी' के समान है। इस बात पर ध्यान देना महत्त्व-पूर्ण है कि यहां पर निर्देश 'नियोजित पूंजी' का ही नहीं है अपितु 'कुल नियोजित पूंजी' का है। इस पर भी इस अभिव्यक्ति का प्रयोग लाभ स्रोत के औसत के माध्यम से मूल्यांकन अनुष्ठान के संदर्भ में प्रयोग किया गया है और एक अंश के द्वारा यह बात काफी स्पष्ट कर दी गई है जो बाद में उसी पाठ्य पुस्तक में आई है जहां कि यह मत व्यक्त किया गया है कि "यह प्रश्न कि क्या टी० सी० ई० धारित है या उधार ली गई है, इस नियंत्रित अंक के लिए महत्वहीन है। कंपनी अपने व्यापार में इतनी पूंजी नियोजित कर रही है और इसलिए वह पूंजी उस पूंजी पर सही वापसी देने के लिए पर्याप्त हद तक विक्रयों के माध्यम से आवर्त होनी चाहिए।" श्री पालकीवाला ने "टर्मिनोलाजी आफ कास्ट अकाउटेंसी" से भी उद्धरण उद्धृत किया जो कि इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाउटेंट्स, यू० के० (अक्तूबर, 1967) द्वारा प्रकाशित की गई है, जहां कि 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया गया है, किन्तु हमें ऐसा नहीं लगता कि किस प्रकार से यह स्पष्टीकरण श्री पालकीवाला की दलील की सहायता करता है, क्योंकि इस स्पष्टीकरण के अनुसार 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित तीन बातों में से एक हो सकती है: 'कुल नियोजित पूंजी' जिसमें ऋण सम्मिलित होंगे, या 'कुल अंशधारियों की नियोजित पूंजी' या 'नियोजित कुल साम्या पूंजी'। इसके पश्चात् एम० जी० राइट द्वारा लिखित "दि डायरेक्टर्स गाइड टू अकाउंटिंग एण्ड फायनेंस" से कतिपय उद्धरणों का अवलम्ब लिया जाए जो लाभ के औसत से सम्बन्धित है। लेखक ने इस उद्धरण में यह बतलाया है कि "मुख्य औसत जो लाभ का माप है, 'नियोजित पूंजी' का आवर्त है। यह एक ऐसा औसत है जो उत्पादन को स्रोत-प्रयोग के उत्पादन को मापता है—इस मामले में उस लाभ को अर्जित करने के लिए अपेक्षित "पूंजी से अर्जित लाभ" और फिर इस संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि 'नियोजित पूंजी' सामान्यतः नियोजित सभी लम्बी अवधि की निधियों के जोड़ के रूप में स्वीकार किया गया है जिसमें लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित हैं। लम्बी अवधि के उधारों को 'नियोजित पूंजी' का भाग बनने के रूप में माना गया है क्योंकि उद्देश्य उपक्रम में विनिहित कुल निधियों के उद्देश्य में लाभदायिकता को मापना है। हमारी राय में यह उद्धरण यह अधिकथित नहीं करता कि 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति आवश्यक रूप से और सभी संदर्भों में लम्बी अवधि के उधार सम्मिलित करना चाहिए। श्री पालकी-वाला ने आर० एस० वेल्ड्रान और ई० एच० डी० सेम्ब्रिज द्वारा लिखित "माडर्न पब्लिश्ड अकाउंट्स" में दिए गए कतिपय तुलनपत्रों का भी अवलम्ब लिया जो निस्सन्देह लम्बी अवधि के उधारों को 'नियोजित पूंजी' का भाग समझते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हैं किन्तु यह बात ध्यान देने की है कि ऐसा प्रवृत्त नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में लाभ मापकर लाभदायिकता के औसत का अवधारण करने के लिए किया गया है औरआश्चर्यजनक रूप से इन तुलनपत्रों के अनुसार 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति में अल्प कालावधि के उधार भी सम्मिलित हैं। श्री पालकीवाला ने बाम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित "इण्टर-फर्म कंपैरिजन आफ फायनेंशियल परफार्मेंस" और के० सी० पारेख द्वारा लिखित "डिक्शनरी आफ बिजनैस एण्ड मैनेजमेंट" का भी अवलम्ब लिया जहां पर 'नियोजित पूंजी' की परिभाषा कुल अंश पूंजी, आरक्षित और लम्बी अवधि के उधारों के अर्थ में की गई है। किन्तु फिर यह बात ध्यान देने की है कि यह परिभाषा वित्तीय अनुष्ठान के प्रयोजन और प्रबंधतंत्र की दक्षता के लिए है जिसका सही अभ्युपाय कारबार में नियोजित कुल निधियों से अर्जित लाभ के औसत को लेकर अभिनिश्चित किया जा सकता है। इसके पश्चात् जे० एल० ब्राउन द्वारा लिखित "प्रिंसिपल्स एण्ड प्रैक्टिस आफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी" एलिजावैथ मार्टिग एण्ड राबर्ट ई० फिनले द्वारा लिखित "फाइनेंशियल मैनेजर्स जाब" और इंस्टीटूयूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटिंग आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित "ग्लासरी आफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म्स" का अवलम्ब लिया गया, जहां पर 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति को अंश पूंजी, प्रतिधारित लाभों और लम्बी अवधि के उधारों के अर्थ में समझा गया है। किन्तु यह बतलाया जा सकता है कि इन पाठ्य पुस्तकों में भी 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति का प्रयोग कारबार की दक्षता के सम्बन्ध में किया गया है जो स्वाभाविक रूप से इस बात पर विचार करके मापा जा सकता है कि कारबार में कुल निधियों के फैलाव से प्राप्त लाभ क्या है और चूंकि लम्बी अवधि के उधार भी कारबार में लगाए जाते हैं, उपक्रम की लाभदायिकता का मूल्यांकन ऐसी लम्बी अवधि के उधारों को लेकर नहीं किया जा सकता जो लाभ अर्जित करने में लगाए गए हैं। इस बात पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि जे० एल० ब्राउन द्वारा लिखित 'प्रिंसीपल्स एण्ड प्रैक्टिस आफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी" में भी महत्त्वपूर्ण रूप से यह दर्शाने वाला कथन है कि 'नियोजित पूंजी' के संबंध में "लेखा-कर्मियों के बीच काफी संविवाद है जिस पर मदें सम्मिलित की जानी चाहिएं।" इसके पश्चात् हम श्री पालकीवाल द्वारा अवलंबित एक अन्य पाठ्य पुस्तक को निर्दिष्ट करेंगे अर्थात् एल० ई० राकले द्वारा लिखित "फायनेंस फार दि नान अकाउंटेंट"। श्री पालकीवाला द्वारा उद्धृत इस पाठ्य पुस्तक से उद्धरण उसकी दलील की सहायता करने के स्थान पर उसके प्रतिकूल है क्योंकि काफी शब्दों में इसमें यह माना गया है कि "नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति के कई संभव निर्वचन हो सकते हैं" और आगे यह कहा गया है कि 'नियोजित पूंजी' को बार-बार समुत्थान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा धारित कुल आस्तियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और उसे उसके तुलनपत्रों में दर्शाया गया है क्योंकि किन्हीं दायित्वों के लिए कोई कटौती नहीं की गई है किन्तु "सभी संभव समुच्चय ऐसे नहीं हैं जो किसी कंपनी द्वारा 'नियोजित पूंजी' के निर्धारण की ओर ले जाते हों।" निस्सन्देह यह बात सत्य है कि ई० एफ० एल० ब्रैंच द्वारा लिखित "प्रिंसिपल्स एण्ड प्रैक्टिस आफ मैनेजमेंट" तथा आल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई "नियोजित पूंजी पर विवरणी" पर सूचना टिप्पण सं० 10 से संलग्न तालिका 2 में भी ऐसे मत हैं जो श्री पालकीवाला के इस अभिवाक् का समर्थन करते हैं कि 'नियोजित पूंजी' में ऋण लेनदारों से प्राप्त निधियां सम्मिलित हैं किन्तु फिर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह अर्थ 'नियोजित पूंजी' अभिव्यक्ति को इस बात का अवधारण करके लाभदायिकता और अनुष्ठान का मूल्यांकन करने के संदर्भ में दिया गया है कि क्या समुत्थान ने पर्याप्त वार्षिक लाभ कारबार में नियोजित कुल निधियों पर अपेक्षित वापसी को ध्यान में रखते हुए अर्जित किया है। श्री पालकीवाला ने कुछ कम्पनियों के तुलन-पत्रों को यह दर्शित करने की दृष्टि से हमारे समक्ष पेश किया है कि लेखा कर्म-पद्धति के अनुसार भी, दीर्घावधिक उधारें "लगाई गई पूंजी" के अन्तर्गत हैं, किन्तु हम यह नहीं समझते हैं कि इन तुलन-पत्रों से श्री पालकीवाला की दलील को कोई सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि ये सभी तुलन-पत्र प्रस्तुत संविवाद के उत्पन्न होने के वर्षों बाद के हैं और इन तुलन-पत्रों में से अधिकांश में इन शब्दों का उपयोग भिन्न-भिन्न प्रकार से ऐसे किया गया है, "लगाई गई कुल निधियां", "निधियों का स्रोत", "लगाई गई निधियां" और "लगाई गई शुद्ध आस्तियां" और इसी कारण से वे हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रश्न पर कोई विशिष्ट रोशनी नहीं डालते हैं। वास्तव में 30 जून, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सोमानी पिलकिंग्टंस लिमिटेड के तुलन-पत्र में, जिसे राजस्व विभाग की ओर से विद्वान् अटर्नी जनरल ने पेश किया था, दिया गया शीर्ष इस प्रकार है "लगाई गई पूंजी और उधार" जिससे यह दर्शित होता है कि दीर्घावधिक उधारों को लेखा-कर्म पद्धति में "लगाई गई पूंजी" के भाग के रूप में मानने की समान परिपाटी कोई नहीं है। श्री पालकीवाला ने कार्टर के "एडवान्स्ड अकाउन्ट्स" और स्पाइसर और पिग्लर के "बुककीपिंग एण्ड अकाउन्ट्स" में से कतिपय उद्धरणों का अवलम्ब भी लिया, किन्तु ये उद्धरण इससे अधिक कोई बात दर्शित नहीं होती कि कतिपय सन्दर्भों में "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

16. राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान् अटर्नी जनरल ने इस प्रतिपादन के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठाया कि विशिष्ट संदर्भ "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आ सकते हैं। किन्तु उसकी दलील यह थी कि इस अभिव्यक्ति की कोई भी निश्चित अर्थव्याप्ति नहीं है, जिसके अन्तर्गत आवश्यक रूप से दीर्घावधिक उधार आएंगे और यह कि किसी विशिष्ट स्थिति में, उसके अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। विद्वान् अटर्नी जनरल ने यह दलील दी कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति का अर्थ और उसकी अन्तर्वस्तु उस सन्दर्भ और उन परिस्थितियों पर निर्भर होगी, जिनमें उसका उपयोग किया जाता है। विद्वान् अटर्नी जनरल ने यह मत व्यक्त किया, और हमारी राय में ठीक तौर से ही किया कि श्री पालकीवाला ने अपनी दलील के समर्थन में जिन विभिन्न लेखांशों का अवलम्ब लिया है, उनमें अधिकांश रूप से कारबार सम्बन्धी प्रबंध और उसकी लाभदायिकता के बारे में बताया गया है और उन लेखांशों में "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति का उपयोग कारबार विषयक दक्षता और कौशल के मूल्यांकन के सन्दर्भ में इस दृष्टि से किया गया था जिससे कि पूंजी उत्पाद अनुपात का अवधारण करके लाभदायिकता के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सके और यही कारण है कि उन लेखांशों में यह कहा गया था कि "लगाई गई पूंजी के अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आएंगे। हम विद्वान् अटर्नी जनरल से इस बारे में सहमत हैं कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं जो कि उस सन्दर्भ पर, जिसमें वह आती है और उस प्रयोजन पर, जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, निर्भर है। ऐसे अनेक प्रामाणिक पाठ्य-ग्रन्थ हैं जो "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति और विस्तार के सम्बन्ध में इस मत का समर्थन करते हैं। जे० बैटी ने भी अपने ग्रंथ "मैनेजमेंट अकाउन्टेन्सी" में, जो ऐसा ग्रंथ है, जिसका अवलम्ब श्री पालकीवाला ने बहुत जोरदार ढंग से लिया है, यह मत व्यक्त किया है कि "इन दो पदों की (1) लगाई गई पूंजी और (2) लाभ" की कोई भी सारवान् रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इसके बाद उसने यह मत व्यक्त किया है कि "लगाई गई पूंजी" का उपयोग किसी कारबार में किए गए विनिधान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि पहले देखा जा चुका है कि इस पद की साधारण रूप से स्वीकृत कोई भी परिभाषा नहीं है। कुछ लेखापाल एक बात सोचते हैं, जबकि दूसरे लेखापाल कोई दूसरी बात सोचते हैं। एक परिभाषा के अन्तर्गत कतिपय आस्तियां आ सकती हैं, और दूसरी उन्हें पूरी तरह से अपवर्जित कर सकती हैं। एक दूसरी परिभाषा के मामूली शेयर-पूंजी के बारे में विचार किया जा सकता है और इस प्रकार इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि शेयरधारकों ने वर्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में कितना विनिधान किया है।" उसने "लगाई गई पूंजी" की तीन सम्भावित परिभाषाओं के बारे में बताया, अर्थात् (1) लगाई गई सकल पूंजी, (2) लगाई गई शुद्ध पूंजी; और (3) स्वत्वधारियों की लगाई गई शुद्ध पूंजी। उसी प्रकार से इंग्लैंड और वेल्स में "मैम्बर्स हैंडबुक आफ दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टैंट्स" में भी इस बात की अभिपुष्टि की गई है कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति से उस प्रयोजन के अनुसार, जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, भिन्न-भिन्न बातें अभिप्रेत हैं और उसमें यह बताया गया है कि "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने के भिन्न-भिन्न ढंग होते हैं और उसमें 'लगाई गई पूंजी" का वर्णन तीन प्रवर्गों में किया गया है अर्थात् (1) शेयर कैपिटल और आरक्षितियां; (2) साम्या पूंजी और आरक्षितियां; तथा (3) लगाई गई कुल पूंजी, जिसके अन्तर्गत डिबेंचर और अन्य दीर्घावधिक दायित्व आएंगे। उसी प्रभाव का मत हमें सी० सी० मागी लिखित "फ्रेमवर्क आफ अकाउन्टेंसी" में मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि "लगाई गई पूंजी" पद की अनेक सम्भावित परिभाषाएं हैं। "कारबार के शुद्ध मूल्य में···प्रतिधारित लाभ के साथ-साथ, मूल पूंजी अभिदान भी समाविष्ट है···। स्वामित्व की दृष्टि से, शुद्ध मूल्य, कारबार में लगाई गई पूंजी है, और इसी आंकड़े के आधार पर ही स्वामित्व वाले व्यक्ति, प्रबन्ध की सफलता और असफलता के सम्बन्ध में निर्णय करेंगे।" यह कथन करते हुए ग्रंथकार ने निश्चित रूप से यह स्वीकार किया है कि "कुछ लोगों का यह मत है कि 'लगाई गई पूंजी' की परिभाषा दीर्घावधिक ऋणों सहित, शुद्ध मूल्य के रूप में की जानी चाहिए" किन्तु उस ग्रन्थकार का कहना यह है कि "प्रभावी पूंजी या कारबार में लगाई गई पूंजी या शुद्ध मूल्य"···प्रतिधारित लाभ में मूल पूंजी को जोड़ने तथा उस रकम में से उपगत किसी भी हानि को घटा दिए जाने के बाद जो रकम आती है, वह सदैव उसके बराबर होती है। उसी प्रकार से बी० ई० इलियट लिखित 'बिजनिस एकाउंटिंग-1' में भी "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति का उपयोग एक से अधिक अर्थों में किया गया है और यह बताया गया है कि वापस करने की दर की गणना करने के लिए उपयोग में लाई गई आय, उस आय को उत्पन्न करने के लिए लगाई गई पूंजी के लिए समुचित होनी चाहिए। कार्टर ने अपने ग्रंथ "अडवान्स्ड अकाउन्ट्स" (5वां संस्करण, जिसे डगलस गारबट ने संशोधित किया था) में उधार लेने की बात को, चाहे वह दीर्घावधिक हो या अल्पावधिक, पूंजी के रूप में वर्णित करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। उसका कहना यह है कि मामूली ऋणों, बन्धकों, डिबेंचरों, बन्धक-पत्रों आदि के जरिए उधार लिए गए धन के बारे में प्रायः यह कहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाता है कि वह ऋण-पूंजी (लोन कैंपिटल) है। तथापि, अधिकांश लेखापाल ऐसे दायित्व को पूंजी के रूप में वर्णित करना निश्चतार्थता से परे समझते हैं। हमारा निष्कर्ष यह है कि पामर ने भी अपनी 'कम्पनी लॉ' में ऋण पूंजी (लोन कैंपिटल) पद्धति को अननुमोदित किया है और बहुत जोर देकर यह कहा है कि यद्यपि इस वाक्यांश का प्रयोग कारबार क्षेत्र में प्रायः किया जाता है, तथापि वह वकीलों की दृष्टि में, परस्पर विरोधी पद है, क्योंकि यह समझना कठिन है कि किसी ऋण को पूंजी के रूप में कभी किस प्रकार माना जा सकता है। वास्तव में, गावर ने अपने ग्रंथ "प्रिंसिपल्स आफ माडर्न कम्पनी लॉ" में "पूंजी" अभिव्यक्ति की अस्पष्टता पर जोर दिया है, जिसमें उसका कथन यह है कि "दुर्भाग्यवश पूंजी ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है और विधिक, आर्थिक तथा लेखा सम्बन्धी अर्थों में भी, जिससे कि हमारा यहां पर सम्बन्ध है, उसका उपयोग अस्पष्ट रूप से तथा भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न संकल्पनाओं को वर्णित किया गया है, यद्यपि उसका उपयोग करने में इस तथ्य को सदैव मान्यता नहीं दी जाती है।" इस प्रकार यह बात देखी जाएगी कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या "लगाई गई पूंजी" के अन्तर्गत निश्चित रूप से दीर्घावधिक उधार आते हैं, लेखापालों और वकीलों के बीच मतैक्य नहीं है। इस ओर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालयों का भी "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के वास्तविक अर्थ और अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में भिन्न मत रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मत अपनाया है और अन्य उच्च न्यायालयों का मत दूसरा था। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि 'लगाई गई पूंजी' अभिव्यक्ति के एक से अधिक निर्वचन हो सकते हैं और उसके अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, जो कि सन्दर्भ और उन परिस्थितियों पर निर्भर होता है, जिनमें कि उसका उपयोग किया जाता है। वकीलों और लेखापालों के बीच इस सम्बन्ध में सन्देह है कि क्या अल्पावधिक उधारों के बारे में यह माना जा सकता है कि "लगाई गई पूंजी" के भाग हैं। कुछ तुलन-पत्रों में अल्पावधिक उधारों के सम्बन्ध में यह दर्शित किया गया है कि वे "लगाई गई पूंजी" के भाग हैं, जबकि अन्य तुलन-पत्रों में ऐसा दर्शित नहीं किया गया है, और हमारे समक्ष उपसंजात होने वाले काउन्सेलों के बीच भी, यद्यपि श्री पालकीवाला ने यह स्वीकार किया है कि अल्पावधिक उधार "लगाई गई पूंजी" के भाग नहीं हैं, तथापि डाक्टर देवी पाल ने इसके प्रतिकूल, बहुत जोर देकर दलील दी है। यह स्पष्ट है कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति कला का पद नहीं है और न ही वह ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसकी कोई निश्चित अर्थव्याप्ति हो या अर्थ हो, किन्तु उसके भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं, जिसके अन्तर्गत सभी प्रवर्गों के या किसी विशिष्ट प्रवर्ग के या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उसके परिप्रेक्ष्य सम्बन्धी सन्दर्भ पर निर्भर करने वाले प्रवर्गों के अल्पावधिक उधार या दीर्घावधिक उधार आते हैं या नहीं आते। इसलिए श्री पालकीवाला और उसका समर्थन करने वाले काउन्सेल की इस दलील को स्वीकार करना सम्भव नहीं है कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति की ऐसी नियत और निश्चित अर्थव्याप्ति है, जिसके अन्तर्गत निश्चित रूप से और सभी मामलों में दीर्घावधिक उधार आते हैं और इसलिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के लिए यह सक्षम नहीं था कि वह "लगाई गई पूंजी" की संगणना में दीर्घावधिक उधारों को अपवर्जित करते हुए नियम 19-क का उपनियम (3) बनाकर "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के विस्तार और प्रविषय में कांट-छांट करता।

17. इस ओर ध्यान देना दिलचस्प है कि 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1972 तक की कालावधि के दौरान भी उस समय जबकि नियम 19-क के उपनियम (3) में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, अनुमोदित स्रोत से प्राप्त होने वाले उधार ही जो कि 7 वर्ष से अन्यून अवधि के भीतर पुनः संदेय थे और "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में, न कि सभी दीर्घावधिक उधारों की संगणना करने में शामिल किए जाने के योग्य थे। यदि श्री पालकीवाला की यह दलील सही होती कि सभी दीर्घावधिक उधार किसी परिवर्तन के बिना और सभी मामलों में 'लगाई गई पूंजी' के भाग हैं और संगणना में शामिल किए जाने के लायक हैं, तो जहां तक कि नियम 19-क का असंशोधित उपनियम (3), जो कि अनुमोदित स्रोत से प्राप्त उधारों से भिन्न है और 7 वर्ष से अन्यून कालावधि के भीतर पुनः संदेय उधारों से भिन्न है, दीर्घावधिक उधारों को अपवर्जित करता है, वहां तक वे विधिमान्य होंगे, क्योंकि उनसे धारा 80-ज की उपधारा (1) के उपबन्धों का अल्पीकरण होता है। किन्तु नियम 19-क के असंशोधित उपनियम (3) की विधिमान्यता को निर्धारितियों की ओर से कभी कोई चुनौती नहीं दी गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री पालकीवाला और उनका समर्थन करने वाले विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील नहीं दी कि नियम 19-क का असंशोधित उपनियम (3) अविधिमान्य है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का दीर्घावधिक उधारों के कतिपय प्रवर्गों को शामिल करना और "लगाई गई पूंजी" की संगणना में कतिपय अन्य प्रवर्गों को अपवर्जित करना उसके प्राधिकार के भीतर था, तो इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड उस पर प्रदत्त किए गए प्राधिकार की परिधि से बाहर गए बिना ऐसे सभी दीर्घावधिक उधारों को, जिस किसी भी प्रवर्ग के वे हों, समान रूप से अपवर्जित कर सकता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

18. केवल इस कारण कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं, क्योंकि विधानमण्डल ने उसे अधिनियमित किया है, धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय अनुतोष की गणना करने के प्रयोजनार्थ कानूनी प्रतिशत लगाई गई पूंजी को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए मानो कि उसकी संगणना विहित रीति से की गई हो। यह बात कि 'लगाई गई पूंजी' की संगणना कैसे की जाएगी, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के अधीन नियम बनाकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विहित किए जाने के लिए छोड़ दी गई है। संगणना की प्रक्रिया में ऐसी मदों को, जिनकी बावत कदाचित यह माना जा सकता है कि वे 'लगाई गई पूंजी' अभिव्यक्ति की परिधि के भीतर आती हैं, शामिल करने और अपवर्जित करने की बात अन्तर्ग्रस्त होगी। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने की रीति विहित करते हुए कुछ मदें सम्मिलित कर सकता है और कुछ अन्य मदें अपवर्जित कर सकता है। इसी अर्थ में 'संगणित' शब्द का उपयोग इस प्रकार का विधान अधिनियमित करते हुए किया है। पूर्वतम विधान पर विचार करते हुए जिसमें 'संगणित' शब्द का उपयोग "लगाई गई पूंजी' के सम्बन्ध में किया गया है, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मानक लाभ का अवधारण करने के लिए एक्सैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940 में, कानूनी प्रतिशत की बावत यह अपेक्षित था कि वह पूंजी की ऐसी औसत रकम को लागू की जाए जो कि द्वितीय अनुसूची के अनुसार संगणित हो, और द्वितीय अनुसूची में कतिपय पदों को शामिल किए जाने के लिए और कतिपय ऐसी अन्य मदों को अपवर्जित किए जाने के लिए, जिनमें उधार लिए गए धन और ऋण शामिल हैं, उपबन्ध किया गया है। इस कानून में विधानमण्डल ने स्पष्टतः उधार लिए गए धन और ऋण के अपवर्जन को 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने की प्रक्रिया में सन्निहित माना है या यदि इसी बात को दूसरे ढंग से कहा जाए तो, विधायी प्रथा के अनुसार लगाई गई पूंजी की संगणना में प्रक्रिया के भाग के रूप में उधार लिए गए धन और ऋणों जैसी मदों के अपवर्जन की बात वैध रूप से अन्तर्ग्रस्त हो सकती है। उसी प्रकार से बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1941 तथा सुपर टैक्स प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1953 में भी 'संगणित' शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि 'लगाई गई पूंजी' की संगणना की प्रक्रिया में उधार लिए गए धन और ऋण के अपवर्जन की बात अन्तर्ग्रस्त है। उसी प्रकार से कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में भी संगणित शब्द का उपयोग उसी अर्थ में किया गया है। निश्चित रूप से यह बात बताई जा सकती है कि इस कानून में संगणित शब्द का उपयोग "कम्पनी की पूंजी" के सम्बन्ध में, न कि "लगाई गई पूंजी" के सम्बन्ध में, किया गया है, किन्तु

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारा सम्बन्ध जिस बात से है, वह वह अर्थ है जिसमें 'संगणित' शब्द का उपयोग किया गया है और यह कि क्या उसमें अपवर्जन तथा सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त है, और क्या उस मुद्दे के सम्बन्ध में उस अधिनियम से, सदृश रूप से, पर्याप्त रोशनी पड़ती है। ऐसी कानूनी कटौती की परिभाषा, जोकि इस कानून के अधीन अतिकर के प्रभार का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ प्रभार्य लाभों में से अवश्य ही की जानी चाहिए, ऐसे की गई है कि उससे "ऐसी रकम अभिप्रेत है जो कि द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार यथा-संगणित कम्पनी की पूंजी के दस प्रतिशत के समतुल्य हो" और 1976 के वित्त अधिनियम 66 द्वारा संशोधन के पश्चात् द्वितीय अनुसूची में कम्पनी की पूंजी की संगणना में उधार लिए गए और ऋण को शामिल करने के लिए उपबन्ध नहीं किया गया है, यद्यपि उसमें समादत्त शेयर-पूंजी और आरक्षितियों को शामिल करने के लिए उपबंध किया गया है। इस प्रकार से यह बात देखी जाएगी कि "लगाई गई पूंजी" के सम्बन्ध में 'संगणित' शब्द के उपयोग के पीछे एक विधायी इतिहास है और विधायी रूप से यह बात मान ली गई है कि उसमें संगणना की प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐसी मदों को शामिल करने या उन्हें अपवर्जित करने की बात अन्तर्ग्रस्त है, जिनकी बाबत अन्यथा यह माना जा सकता है कि वे "लगाई गई पूंजी" के भाग हैं। इसी पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में ही, न कि अछूती कोशिश के तौर पर, विधानमण्डल ने "संगणित" शब्द का उपयोग धारा 80-ञ की उपधारा (1) में लगाई गई पूंजी के सम्बन्ध में किया है।

19. इस बात की ओर ध्यान दिया जा सकता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 में भी "संगणित" शब्द का लगातार उपयोग "आय" के सम्बन्ध में इस अर्थ में किया जाता रहा है कि उसमें आय की मदों का सम्मिलित किया जाना और अपवर्जित किया जाना, दोनों ही अन्तर्ग्रस्त हैं। धारा 2 के खण्ड (45) में "कुल आय" की परिभाषा की गई है जिससे धारा 5 में निर्दिष्ट आय की कुल रकम अभिप्रेत है "जिसकी संगणना इस अधिनियम में अधिनियमित रीति से की गई है।" यदि हम आय-कर अधिनियम, 1961 में दिए गए उपबंधों को देखें जिनमें कुल आय की संगणना की रीति अधिकथित की गई है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि "कुल आय" की संगणना की प्रक्रिया में आय की विभिन्न मदों को सम्मिलित और अपवर्जित करने की दोनों ही बातें अन्तर्ग्रस्त हैं। धारा 10 में यह उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना करने में उस धारा के खण्डों में से किसी भी खण्ड के भीतर आने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाली कोई आय कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यद्यपि ऐसी आय जिसकी बाबत अपवर्जित किया जाना अपेक्षित है, निस्संदेह आय है और इसी कारण से वह उस अभिव्यक्ति की स्पष्ट स्वाभाविक अर्थ-व्याप्ति के अनुसार, कुल आय का भाग है किन्तु उसकी बाबत कर के प्रभार का अवधारण करने में अपवर्जित किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि "कुल आय" की परिभाषा ऐसी आय की कुल रकम के रूप में की गई है, जिसकी संगणना अधिनियम में अधिकथित रीति से की गई है। वही स्थिति धारा 11 के सम्बन्ध में भी है और वह कुल आय की संगणना करने में आय के कतिपय प्रवर्गों को अपवर्जित करती है। उसके बाद हम धारा 29 के प्रति निर्देश कर सकते हैं, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से नई आय की संगणना धारा 30 से 43-क तक के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इन धाराओं में कुल आय की संगणना करने में विभिन्न मदों को सम्मिलित किए जाने और अपवर्जित किए जाने के लिए उपबंध किया गया है। धारा 80-क से धारा 80-फफ तक में भी उन कटौतियों के लिए उपबंध किया गया है जो कुल आय की संगणना करने में करनी होती हैं और धारा 80-जज और 80-ञञ और 80-ण जैसी धाराओं के अधीन ऐसी मद, की बाबत भी निर्विवाद रूप से किसी निर्धारिती की आय का भाग है, जोकि यह अपेक्षित होता है कि वह कर के लिए प्रभार्य कुल आय की संगणना करने में अपवर्जित की जाए। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी यह दलील नहीं दी है और वास्तव में ऐसी दलील देने की कल्पना करना भी असम्भव है जबकि धारा 2 के खण्ड (45) में "कुल आय" की परिभाषा उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित आय की कुल रकम के रूप में की गयी है, तो जो भी आय का निर्विवाद रूप से भाग है, उसे संगणना करने में अपवर्जित नहीं किया जा सकता। तथापि, श्री पालकीवाला की दलील यह थी कि "कुल आय" की परिभाषा की दशा में संगणना की प्रक्रिया में आय की मदों के अपवर्जन के लिए स्वयं विधानमण्डल ने उपबंध किया है और उसकी बाबत यह तात्पयित नहीं है कि उसे नियम बनाने वाला कोई प्राधिकारी करेगा। श्री पालकीवाला ने यह कथन किया कि विधानमण्डल; अभिव्यक्त रूप से यह उपबंध करके कि विशिष्ट मद में या मदों को आय की कुल रकम की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा, "आय की कुल रकम" अभिव्यक्ति के विस्तार और परिधि में कांट-छांट कर सकता है, किन्तु नियम बनाने वाला प्राधिकारी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से, वह कानून के उपबंधों का अल्पीकरण करेगा। हमने पहले ही यह मत व्यक्त कर दिया है कि चूंकि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं जोकि किसी विशिष्ट मामले में उधार लिए गए धन को सम्मिलित कर सकती है या नहीं भी कर सकती, इसलिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, नियम बनाने वाली अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में उधार लिए गए धन को अपवर्जित कर सकेगा और ऐसा करने में वह कानून की आज्ञा के प्रतिकूल किसी भी रीति से नहीं होगा। किन्तु हम जिस मुद्दे पर यहां पर धारा 2 के खण्ड (45) में आई हुई "कुल आय" की परिभाषा के प्रति निर्देश करते हुए जोर देना चाहते हैं, वह यह है कि विधानमण्डल ने "संगणित" शब्द का उपयोग इस प्रकार किया है कि उसकी परिधि के भीतर आय की कतिपय ऐसी मदों का, जो कि स्वीकृतत: और किसी सन्देह के बिना निर्धारिती की आय का भाग हैं, न केवल सम्मिलित करना, बल्कि अपवर्जित करना भी उसकी परिधि के भीतर है। हमारा निष्कर्ष यह है कि धारा 80-ञ की उपधाराओं में भी "संगणित" शब्द का उपयोग इसी अर्थ में किया गया है कि उसमें सम्मिलित करना और अपवर्जित करना दोनों ही अन्तर्ग्रस्त हैं। धारा 80-ञ की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक में यह उपबंध किया गया है कि जहां कोई ऐसा भवन या उसका भाग, जिसका उपयोग पहले किसी प्रयोजन के लिए किया गया है, औद्योगिक उपक्रम के कारबार को अन्तरित किया जाता है, वहां इस प्रकार अन्तरित भवन या उसके भाग का मूल्य औद्योगिक उपक्रम में "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार से उसी उपधारा के स्पष्टीकरण-2 में इन शब्दों में यह अधिनियमित किया गया है कि उसकी परिधि और प्रविषय के भीतर आने वाले मामले में इस प्रकार अन्तरित मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भी भाग के कुल मूल्य को औद्योगिक उपक्रम में "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद पुनः धारा 80-ञ की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण में होटल के कारबार की दशा में "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में इस प्रकार अन्तरित भवन, मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग के कुल मूल्य के अपवर्जन के लिए उसी प्रकार का उपबंध किया गया है। इस प्रकार यह बात देखी जाएगी कि धारा 80-ञ में इन उपबंधों के अनुसार भी "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने की प्रक्रिया ऐसी मद या मदों को वैध रूप से अपवर्जित कर सकती है जोकि स्पष्टत: और असंदिग्ध रूप से "लगाई गई पूंजी" के भाग हैं। निस्सन्देह विधानमण्डल, न कि नियम बनाने वाला कोई प्राधिकारी, इन उपबंधों को अपवर्जित करने की बाबत अधिनियमित करता है। किन्तु पुनः यदि हम जोर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दे सकें, तो मुद्दा यह नहीं है कि क्या विधानमण्डल ने या नियम बनाने वाले किसी प्राधिकारी ने अपवर्जित किया है, बल्कि मुद्दा यह है कि क्या ऐसा अपवर्जन संगणना की प्रक्रिया में इस प्रकार सन्निहित है जिससे कि उसे उसमें समाविष्ट किया जा सके और इस मुद्दे के सम्बन्ध में न केवल एक्सैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940, बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947, सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 कौर कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के उपबंध, बल्कि हमारे द्वारा निर्दिष्ट आय-कर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित किया गया है कि विधानमण्डल ने धारा 80-ञ की उपधारा (1) में "संगणित" शब्द का उपयोग इस प्रकार किया है कि उसमें उन मुद्दों का न केवल सम्मिलित किया जाना अन्तर्ग्रस्त है, बल्कि अपवर्जन भी अन्तर्ग्रस्त हो जाता है, जिसकी वावत अन्यथा यह माना जा सकता है कि वह "लगाई गई पूंजी" की परिधि के भीतर आता है। विधान-मण्डल ने यह बात केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में छोड़ दी है कि वह उस रीति को विहित करे जिससे "लगाई गई पूंजी" की संगणना की जाएगी और इस प्रकार विहित करने में, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड उन मदों को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगा जिन्हें "लगाई गई पूंजी" के भाग के रूप में माना जा सकता है।

20. तथापि, श्री पालकीवाला ने "विहित रीति से संगणित" अभिव्यक्ति का अवलम्ब लेते हुए यह दलील दी कि विधानमण्डल केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर जो बात छोड़ता है, वह केवल उस रीति को विहित करना है जिससे "लगाई गई पूंजी" की संगणना की जाएगी और "रीति" से केवल ऐसा ढंग अभिप्रेत हो सकता है जिससे सगणना करनी होती है और संगणना करने के ढंग को विहित करने के आवरण में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, यदि हम श्री पालकीवाला के शब्दों का ही उपयोग करें तो, "कानूनी विषय-वस्तु के सार का अधिक्रमण नहीं कर सकता" या "लगाई गई पूंजी" के सार को दूसरा आकार नहीं दे सकता। श्री पालकीवाला ने इस दलील के समर्थन में विभिन्न शब्दकोशों में दिए गए "मैनर" (रीति) शब्द के अर्थों का अवलम्ब लिया और **उताह कंस्ट्रक्शन** बनाम **पैटकी**[1] वाले मामले में किए गए प्रिवी कौंसिल के विनिश्चय और **विक्रय कर अधिकारी** बनाम **के० आई० अब्राहम**[2] वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के विनिश्चय सहित, विभिन्न विनिश्चयों के प्रति भी निर्देश किया। हम यह नहीं समझते कि श्री पालकीवाला की इस दलील

1. (1965) 3 ग्राल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 650.
2. [1967] 3 एस० सी० ग्रार० 518.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में कोई सार है जबकि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, नियम या नियमों को बनाकर यह विहित करता है कि कौन-सी मदें "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में शामिल की जाएंगी और कौन-सी मदें अपवर्जित की जाएंगी, तो इस सम्बन्ध में कोई भी संदेह नहीं हो सकता है कि पूर्वोक्त शब्दों के साधारण व्याकरणिक अर्थ के अनुसार जो बात केन्द्रीय राजस्व बोर्ड करता है, वह इस सम्बन्ध में अधिकथित करेगा कि "लगाई गई पूंजी" की संगणना किस प्रकार की जाएगी, "लगाई गई पूंजी" की संगणना की रीति या ढंग विहित करता है और वह स्पष्टतः केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्रदत्त नियम बनाने के प्राधिकार के भीतर होगा। श्री पालकीवाला की दलील का समस्त प्रतिपादन यह था कि लगाई गई पूंजी की संगणना से दीर्घावधिक उधारों को अपवर्जित करके केन्द्रीय राजस्व बोर्ड "लगाई गई पूंजी" के सार का अधिक्रमण करेगा या उसे दूसरा आकार देगा, किन्तु जैसा कि हमने पहले ही इंगित कर दिया है, "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के अनेक अर्थ हैं, जिनमें दीर्घावधिक उधार शामिल किए जा सकते हैं और शामिल नहीं भी किए जा सकते और यदि इस कारण से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में दीर्घावधिक उधारों को सम्मिलित किए जाने के लिए उपबंध करते हुए नियम बनाता है, तो "लगाई गई पूंजी" के सार का अधिक्रमण करने या उसे दूसरा आकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। वह स्पष्टतः "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने की रीति या ढंग को विहित करने सम्बन्धी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के प्राधिकार के भीतर होगा। अतः निश्चित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यदि दीर्घावधिक उधारों के बारे में यह कहा जा सकता है, कि वे "लगाई गई पूंजी" के भाग हैं—और वास्तव में जैसा हमने बतलाया है, वे निश्चित सन्दर्भ में "लगाई गई पूंजी" के भाग हो सकते हैं—तो भी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड नियम बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह विहित करने के लिए समक्ष था कि "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में उधार लिए गए धन और ऋण अपवर्जित कर दिए जाएंगे।

21. यह बात बताई जा सकती है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास नियम 19-क का उपनियम (3) बनाने में उसके लिए पहले नजीरें थीं और उसने नए सिरे से कोई बात नहीं की थी। पूर्वतम नजीर एक्सैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940 थी, जिसमें, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मानक लाभ का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए लगाई गई पूंजी की औसत रकम की संगणना करने में उधार लिए गए धन और ऋण के अपवर्जन के लिए उपबंध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करते हुए द्वितीय अनुसूची में अभिव्यक्त अधिनियमिति की गई थी। वही स्कीम बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947 में दोहराई गई थी, जिसमें पुन: उस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में यह अभिव्यक्त उपबंध किया गया था कि कंपनी की पूंजी उसकी समादत्त पूंजी और उसकी आरक्षितियों से मिलकर बनेगी तथा इस प्रकार, उधार लिए गए धन और ऋण अपवर्जित कर दिए गए थे। उसी प्रकार से सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 के अधीन भी उस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में यह विनिर्दिष्ट उपबंध अधिनियमित किया गया था कि कंपनी की पूंजी की संगणना उसकी आरक्षितियों और समादत्त पूंजी के जोड़ के आधार पर की जाएगी, जिससे कि उसके परिणामस्वरूप उधार लिए गए धन और ऋण, कंपनी की पूंजी की संगणना करने में अपवर्जित हो जाएंगे। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने नियम 19-क का उपनियम (3) अधिनियमित करने में जो बात की थी, वह इन तीनों कानूनों में दी गई नजीरों का अनुसरण करना था और लगाई गई पूंजी की संगणना करने में उधार लिए गए धन और ऋणों को अपवर्जित करते हुए समरूप उपबंध किया था। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि, जैसा कि श्री पालकीवाला ने अभिकथन किया था, उसने नियम 19-क का उपनियम (3) अधिनियमित करने में मनमाने ढंग से या सनक के साथ या अतर्कसंगत अथवा अप्रायिक रीति से कार्य किया है।

22. इस ओर ध्यान दिया जा सकता है कि तीनों कानूनों अर्थात् एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940, बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947 और सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 के अधीन, उधार ली गई धनराशियों और ऋणों पर ब्याज कारबार से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती किए जाने योग्य था और ऐसा प्रतीत होता है कि कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में ब्याज की कटौती के लिए इस उपबंध के परिणामस्वरूप ही उधार ली गई धनराशियां और ऋण यथास्थिति "लगाई गई पूंजी" या कंपनी की पूंजी की संगणना करने में अपवर्जित किए गए थे। यह बात बिलकुल ही तब स्पष्ट हो जाती है, यदि हम विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित एक दूसरे कानून अर्थात् कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के उपबंधों पर विचार करें। इस अधिनियम में समय-समय पर अनेक संशोधन किए गए हैं और वह इस समय भी प्रवृत्त है। वह कतिपय कंपनियों के लाभों पर विशेष, कर अधिरोपित करता है और उसकी धारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि पहली अप्रैल, 1964 को या उससे प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के कंपनी के प्रभार्य लाभों के उतने के संबंध में जितना कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर या दरों से कानूनी कटौती अधिक होती है, अतिकर नाम से ज्ञात कर प्रत्येक कंपनी पर प्रभारित किया जाएगा । "प्रभार्य लाभों" अभिव्यक्ति की परिभाषा धारा 2 की उपधारा (5) में की गई है जिससे किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन संगणित और प्रथम अनुसूची के उपबंधों के अनुसार समायोजित किसी निर्धारिती की कुल आय अभिप्रेत है। "कानूनी कटौती" की परिभाषा धारा 2 की उपधारा (8) में मिलती है, जिसमें इसकी परिभाषा "कंपनी की पूंजी" के दस प्रतिशत के बराबर की उस रकम के जोकि द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई हो या दो लाख रुपए की रकम के, इनमें से जो भी अधिक हो, रूप में की गई है। प्रथम अनुसूची में प्रभार्य लाभों की संगणना करने के लिए नियम अधिकथित किए गए हैं और 1976 के वित्त अधिनियम 66 द्वारा उस अधिनियम में संशोधन किए जाने के पूर्व प्रथम अनुसूची के नियम 3 में यह उपबंध किया गया था कि नियम 2 के अनुसार गणना की गई आय की शुद्ध रकम में अन्य बातों के साथ-साथ, "किसी ब्याज की उस रकम के बराबर वृद्धि कर दी जाएगी जो कि द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (iv) में निर्दिष्ट डिबेंचरों या खण्ड (v) में निर्दिष्ट धनराशियों के बारे में निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संदेय हो जो कि उसकी कुल आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात हो।" द्वितीय अनुसूची में कंपनी की पूंजी की संगणना करने के लिए नियम उपवर्णित किए गए हैं और जैसा कि नियम 1 संशोधन से पूर्व था, उसमें यह उपबंध किया गया था कि कंपनी की पूंजी खण्ड (i) से लेकर (iii) में यथा-उपवर्णित समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षितियों की ओर निम्नलिखित की उन रकमों का, जैसी कि वे निर्धारण वर्ष से सुसगत पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम दिन थीं, योग होगी—

> "(iv) उसके द्वारा जनता को पुरोधृत डिबेंचर, यदि कोई हों :
>
> परन्तु यह तब जबकि ऐसे डिबेंचर उनकी पुरोधरण की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार उनके पुरोधरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पहले मोचनीय नहीं है; और
>
> (v) उसके द्वारा सरकार से या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनिधाननिगम से या किसी अन्य वित्तीय संस्था से, जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे या किसी बैंककारी संस्था से (जो यथा-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूर्वोक्त अधिसूचित वित्तीय संस्था न हो) या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो भारत के बाहर के किसी देश में है, उधार ली गई किन्हीं धनराशियां :

> परन्तु यह तब जबकि ऐसे धन किसी पूंजी आस्ति का भारत में सृजन करने के लिए उधार लिए गए हों और जिस करार के अधीन ऐसे धन उधार लिए गए हैं, उसमें सात वर्ष से अन्यून कालावधि के दौरान उनके प्रतिसंदाय किए जाने का उपबंध हो ।"

इस प्रकार यह बात देखी जाएगी कि जब अनुमोदित स्रोतों से डिबेंचरों और दीर्घावधिक उधार की रकमें कंपनी की पूंजी की संगणना में शामिल की गई थीं, तब ऐसे डिबेंचरों और दीर्घावधिक उधारों के संबंध में कंपनी द्वारा संदेय ब्याज की रकम की बाबत यह अपेक्षित था कि उन्हें अतिकर के दायित्वाधीन प्रभार्य लाभों का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए कुल आय में पुनः जोड़ दिया जाए। किन्तु 1976 के वित्त अधिनियम, 66 की धारा 29 द्वारा द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (iv) और (v) को लुप्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा पूर्वोधृत डिबेंचरों, यदि कोई हों, तथा अनियमित स्रोतों से दीर्घावधिक उधार रकमें अब आगे शामिल किए जाने योग्य नहीं रह गईं और इसी कारण उन्हें कंपनी की पूंजी की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया गया । इस ओर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि जब डिबेंचरों और अनुमोदित स्रोतों से ली गई दीर्घावधिक उधार रकमें इस प्रकार अपवर्जित कर दी गयीं, तो प्रथम अनुसूची के नियम 3 को भी साथ-साथ 1976 के वित्त अधिनियम 66 की धारा 29 द्वारा संशोधित कर दिया गया और डिबेंचरों तथा अनुमोदित स्रोतों से ली गई दीर्घावधिक उधार रकमों के संबंध में कंपनी द्वारा संदेय ब्याज की रकम को पुनः जोड़ने विषयक उपबंध को लुप्त कर दिया गया। कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के संशोधन से तथा पहले वाले तीनों कानूनों के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि वर्षों तक विधानमण्डल द्वारा लगातार अपनाई गई इस परिपाटी—और इस परिपाटी में विधानमण्डल के आशय की प्रबल इच्छा की झलक मिलती है—यह रही है कि जब कभी उधार ली गई धनराशियों पर संदेय ब्याज की या तो कटौती नहीं की जाती या, यदि कटौती की जाती है, तो कुल आय की संगणना करने में उसे पुनः जोड़ दिया जाता है, तब उधार ली गई ऐसी धनराशियां "लगाई गई पूंजी" या कंपनी की पूंजी की संगणना करने में शामिल की जाती हैं और उसी प्रकार, जबकि उधार ली गई धनराशियों पर संदेय ब्याज कुल आय की संगणना करने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में काटा जाता है और पुनः नहीं जोड़ दिया जाता है, तब उधार ली गई ऐसी धनराशियां "लगाई गई पूंजी" या कंपनी की पूंजी की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जाती हैं। यहां पर प्रस्तुत मामले में, जहां तक कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) का संबंध है, उधार ली गई धनराशियों पर ब्याज निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में कटौती किए जाने के लायक है और उसकी बाबत यह अपेक्षित नहीं होता है कि उसे पुनः जोड़ दिया जाए और इसी कारण से वह इन विभिन्न कानूनों में विधानमण्डल द्वारा अपनाई गई और मान्य परिपाटी से यह बिलकुल ही संगत है कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन अनुतोष अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में दीर्घावधिक उधारों को अपवर्जित कर दिया जाए।

23. तथापि, श्री पालकीवाला ने यह दलील दी कि एक ओर एक्सैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940, बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947, सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के और दूसरी ओर धारा 80-ञ की उपधारा (1) के बीच महत्त्वपूर्ण प्रभेद था, क्योंकि ऊपर निर्दिष्ट किए गए चारों कानूनों में से प्रत्येक का उद्देश्य धारा 80-ञ की उपधारा (1) के उद्देश्य से बिल्कुल ही विपरीत था। श्री पालकीवाला ने इस बात पर जोर दिया कि इन चारों कानूनों का उद्देश्य कंपनी को हुए आधिक्यपूर्ण लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में आय-कर के अलावा अतिरिक्त कर उद्ग्रहण करना है और चूंकि अभिलाभ या अभिलाभ कारबार में लगाई गई स्वामी की पूंजी पर हुए उचित प्रत्यागम से अधिक हैं, इसलिए चारों कानूनों में से प्रत्येक में, अभिलाभों या अभिलाभों का अवधारण करने के लिए विशेष रूप से यह उपबन्ध किया गया था कि लाभों की कमी की गणना उधार ली गई किन्हीं धनराशियों और ऋणों को हिसाब में लिए बिना निर्धारिती की अपनी पूंजी के प्रति निर्देश करके ही की जाएगी। श्री पालकीवाला ने यह दलील दी कि चकि विधानमण्डल का आशय निर्धारिती की अपनी पूंजी के प्रति निर्देश करके ही लाभों में से कमी करना था, इसलिए कमी की गणना समादत्त पूंजी और आरक्षितियों के प्रति निर्देश करके ही ठीक तौर से ही की गई। यद्यपि, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की दशा में, जैसा कि वह 1976 के वित्त अधिनियम सं० 66 द्वारा संशोधित किए जाने से पूर्व था, विधानमण्डल ने अधिक उदार रुख अपनाया और कम्पनी की पूंजी की संगणना करने में हिसाव में लिए जाने वाले कतिपय अनुमोदित स्रोतों से डिबेंचरों और दीर्घावधिक उधार को भी अनुज्ञात कर दिया। किन्तु श्री पालकीवाला ने यह मत व्यक्त किया कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि इस कानूनी उपबंध का मुख्य उद्देश्य कर सम्बन्धी प्रोत्साहन देना है और विधानमंडल का आशय यह नहीं हो सकता था कि कर सम्बन्धी प्रोत्साहन निर्धारिती की अपनी ही पूंजी के कानूनी प्रतिशत तक ही सीमित रहना चाहिए और उधार ली गई पूंजी को हिसाब में नहीं लेना चाहिए। यद्यपि, श्री पालकीवाला की यह दलील तर्कसंगत प्रतीत हो सकती है, तथापि, वह पूरी तरह निराधार है। हमारी राय में, श्री पालकीवाला ऐसा प्रभेद करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अस्तित्व में है ही नहीं और हमें ऐसे कल्पित प्रभेद पर आधारित उसकी दलील को अवश्य ही अस्वीकृत करना होगा।

24. निस्सन्देह यह सच है कि एक्सैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1940, बिजनैस प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1947, सुपर प्रोफिट्स टैक्स ऐक्ट, 1963 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का उद्देश्य धारा 80-ञ की उपधारा (1) के उद्देश्य से भिन्न है, क्योंकि पूर्वकथित समूह से सम्बन्धित चारों कानूनों में अभिलाभ और अतिलाभ पर कर लगाने की ईप्सा की गई है, जबकि पश्चात्कथित समूह में जो कानूनी उपबन्ध है, उसमें लाभों के कतिपय प्रभाग को छूट देकर कर सम्बन्धी प्रोत्साहन देने की ईप्सा की गई है। किन्तु जहां तक कि "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम एक ओर ऊपर उल्लिखित उसके कानूनों के और दूसरी ओर, धारा 80-ञ की उपधारा (1) के बीच कोई प्रभेद करने में असमर्थ हैं। पूर्वकथित की दशा में जिन पर कर लगाने की ईप्सा की गई है, वे उन पर के अधिलाभ हैं, जिन्हें "लगाई गई पूंजी" पर उचित प्रत्यागम के रूप में माना जा सकता है और पश्चात्कथित की दशा में भी "लगाई गई पूंजी" पर उचित प्रत्यागम को ही कर से छूट देने की ईप्सा की गई है। यद्यपि, दोनों प्रकार के उपबन्धों का उद्देश्य भिन्न है, तथापि लगाई गई पूंजी पर उचित प्रत्यागम की संकल्पना इन दोनों उपबन्धों का आधार है। यदि पूर्वोक्त चारों कानूनों में से किसी के अधीन अतिरिक्त कर के प्रभार के दायित्वाधीन अधिलाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, उचित प्रत्यागम की गणना उधार ली गई धनराशियों को अपवर्जित करते हुए उपक्रम में लगाई गई स्वामी की पूंजी के आधार पर की जाती है, तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा यह उपबन्ध किए जाने में कोई भी बात युक्तिहीन या अप्रायिक नहीं है कि लगाई गई ऐसी पूंजी पर उचित प्रत्यागम की, जिसको धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन कर से छूट दी जानी है, संगणना करने के लिए स्वामी की पूंजी को हिसाब में लिया जाना चाहिए और उधार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ली गई धनराशियों को अपवर्जित कर देना चाहिए। ऊपर उल्लिखित किए गए चारों कानूनों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह दलील दी जा सकती है कि उधार ली गई धनराशियां उपक्रम में लगाई गई पूंजी का उतना ही भाग हैं जितना कि स्वामी की पूंजी, और जब धनराशियां भाड़ा प्रभार के तौर पर ब्याज के संदाय के आधार पर उधार ली जाती हैं, तो वे स्वामी की उस पूंजी का ऐसा भाग हो जाती हैं जो उसी स्वरूप की होती हैं जो कि स्वामी द्वारा मूलतः लगाई गई पूंजी होती है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके आधार पर उचित प्रत्यागम क्यों न अनुज्ञात किया जाए। निर्धारितियों की ओर से उनकी इस दलील के समर्थन में निश्चित रूप से यह दलील दी गई है कि "लगाई गई पूंजी" के अन्तर्गत धारा 80-ञ की उपधारा (1) में उधार ली गई धनराशियां हैं। किन्तु विधानमण्डल ऊपर उल्लिखित चारों कानूनों में से किसी को अधिनियमित करने में उस दलील से प्रभावित नहीं हुआ, और इस दलील के बावजूद विधानमण्डल ने इसका अवधारण करने के लिए कि उचित प्रत्यागम किसे मानना चाहिए, जिससे कि ऐसे उचित प्रत्यागम से अधिलाभों पर अतिरिक्त कर लगाया जा सके, लगाई गई पूंजी या कम्पनी की पूंजी की संगणना करने में उधार ली गई धनराशियों को अपवर्जित कर दिया है। अतः केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसका यह उपबन्ध करना युक्तिहीन या सनकपूर्ण है कि धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के योग्य "लगाई गई पूंजी" पर उचित प्रत्यागम की गणना, स्वामी की पूंजी के अर्थात् समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षितियों के कानूनी प्रतिशत को लागू करके, दीर्घावधिक उधारों को या, उस कारण, उधार ली गई किन्हीं धनराशियों और ऋणों को हिसाब में लिए बिना, की जानी चाहिए। अतः श्री पालकीवाला की यह दलील हमारी समझ में नहीं आ सकती कि जब विधानमण्डल कर सम्बन्धी प्रोत्साहन दे रहा था, तो उसका यह आशय नहीं हो सकता था कि कर संबंधी प्रोत्साहन का अनुमान स्वामी की पूंजी के प्रति निर्देश करके ही लगाया जाना चाहिए और यह कि उधार ली गई पूंजी को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री पालकीवाला की दलील है, उसके परिणामस्वरूप उन सम्पन्न निर्धारितियों के साथ, जो कि अपनी स्वयं की पूंजी लगाने में समर्थ हैं; पक्षपात होगा और उन निर्धनों के विरुद्ध, जिन्हे कि अपने उपक्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की दृष्टि से धन उधार लेना पड़ता है, विभेद होता है। हमारे द्वारा निर्दिष्ट विधायी परिपाटी और प्रथा का ध्यान रखते हुए यह स्पष्ट है कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यदि विधानमण्डल का यह आशय होता कि "लगाई गई पूंजी" के अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आना चाहिए, तो विधानमण्डल ने "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति का, जो कि नम्य अभिव्यक्ति है, उपयोग न किया होता, बल्कि यह उपबन्ध करके असंदिग्ध शब्दों में अपनी बात व्यक्त की होती कि "लगाई गई पूंजी" के अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार हैं। उस धारा में जिस भाषा का उपयोग किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि विधानमण्डल ने इस आभार पर कार्यवाही की थी कि "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भी नियत परिभाषा और अर्थ नहीं है, जिसके अन्तर्गत दीर्घावधिक उधार आते हों या अपवर्जित किए जाते हों और उसने जानबूझकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर यह बात छोड़ दी कि वह यह विहित करे कि नियोजित पूंजी की संगणना किस प्रकार की जाए, या अन्य शब्दों में कौन-सी मदें सम्मिलित की जानी चाहिएं और कौन-सी मदें छोड़ दी जानी चाहिएं और धारा 80-ञ में वित्त अधिनियम, 1980 (सं० 2) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से नियम 19-क को समाविष्ट करते हुए विधानमण्डल ने नियम 19-क का उपनियम (3) बनाकर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विहित "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने की रीति के प्रति अपना अनुमोदन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया था। उस निर्वचन का परिणाम, निस्सन्देह, यह होगा कि निर्धारिती अपनी ही पूंजी के प्रति, न कि किन्हीं ऐसी धनराशियों के प्रति निर्देश करते हुए जो कि उपक्रम में लगाए जाने के लिए उन्होंने उधार ली हों, अनुतोष प्राप्त करेंगे, किन्तु यह तो नीति का विषय है जो कि कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्पष्ट रूप से आता है और न्यायालयों का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का आशय यह था—और 1980 के वित्त अधिनियम (सं० 2) के द्वारा धारा 80-ञ को भूतलक्षी प्रभाव से किए गए संशोधन का ध्यान रखते हुए उसकी बाबत यह अवश्य माना जाना चाहिए कि वही विधानमण्डल का आशय था—कि निर्धारितियों को अपनी ही पूंजी के प्रति निर्देश करते हुए ही, न कि उधार ली गई किन्हीं धनराशियों के प्रति निर्देश करते हुए, कदाचित इसलिए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अनुतोष देने का उद्देश्य निर्धारितियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसके लिए वे नवीन औद्योगिक उपक्रम आरम्भ करने के लिए अपनी ही धनराशियों को लगाएं और उसका आशय यह नहीं था कि निर्धारितियों को उन धनराशियों के प्रति निर्देश करके अनुतोष दिया जाना चाहिए, जो कि उनकी नहीं थी, बल्कि वित्तीय संस्थाओं और अन्य पक्षों से उधार ली गई थीं और जिनका प्रतिसंदाय करना होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

25. उसके बाद श्री पालकीवाला ने यह दलील दी कि यदि धारा 80-ञ की उपधारा (1) का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाता कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर यह विहित करने की बात छोड़ दी जाए कि कौन-सी मदें "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में शामिल की जानी चाहिएं और कौन-सी मदें अपवर्जित कर दी जानी चाहिएं, तो विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन के आधार पर किया गया आक्षेप कमजोर होता और इसी कारण से वह शून्य होता। हम ऐसा नहीं समझते हैं कि इस दलील में कोई भी सार है, क्योंकि प्रस्तुत मामले में विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन का कोई भी प्रश्न ही नहीं है। किसी ऐसे निर्धारिती को, जो कि नवीन औद्योगिक उपक्रम या होटल का कोई कारबार आरंभ करता है, अनुतोष अनुज्ञात करने की और वह कालावधि घोषित करने की, जिसके लिए ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया जाएगा, आवश्यक विधायी नीति स्वयं विधानमण्डल ने धारा 80 की विभिन्न उपधाराओं में अधिकथित की हैं और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विहित किए जाने के लिए जो बात छोड़ दी गई है, वह "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने की वह रीति है जिसके प्रति निर्देश करके अनुतोष की मात्रा की गणना करनी होती है। धारा 80-ञ में अंतर्विष्ट छूट देने वाले उपबंध के विषय में कार्रवाई करने से संबंधित ब्यौरे ही केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। विधायी शक्ति की आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन के विरुद्ध किसी भी निषेध पर आक्षेप किए बिना यह बात स्पष्ट रूप से अनुज्ञेय है। यह बात अवश्य ही याद रखनी चाहिए कि धारा 80-ञ में कराधान संबंधी कानून में छूट देने की बात अधिनियमित की गई है और कराधान संबंधी ऐसे कानून में छूट के ब्यौरे का हिसाब लगाने में कार्यपालिका को सदैव उस सीमा तक मत-स्वातंत्र्य अनुज्ञात किया जाता है। इस न्यायालय ने **पंडित बनारसी दास भानोट** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में 1959 में ही यह अधिकथित कर दिया था कि—

> "अब, प्राधिकारियों को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि कराधान विधियों के कार्यकरण से संबंधित ब्यौरों को, जैसे कि उन व्यक्तियों का चयन जिन पर कर लगाया जाना है, उन दरों को जिनसे विभिन्न वर्ग के माल के संबंध में प्रभारित किया जाना है, और तत्प्रकार की अन्य बातों को अवधारित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ना विधानमण्डल के लिए असांविधानिक नहीं है।"

उसी प्रकार से इस न्यायालय ने **सीताराम विशंभर दयाल और अन्य**

---

[1] [1959] एस० सी० आर० 427.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[1] वाले मामले में उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1948 की धारा 3-घ(1) की विधिमान्यता को कायम रखा था, जिसके अधीन किसी व्यवहारी द्वारा या क्रय करने वाले अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यवहारी की मार्फत, ऐसे माल या माल के ऐसे वर्ग के संबंध में और ऐसी दर से और अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए ऐसी दरों से, जैसी कि समय-समय पर राज्य सरकार अधिसूचित करे, किए गए प्रथम क्रयों के व्यापारावर्त पर क्रय के उद्ग्रहण को प्राधिकृत किया गया था, और न्यायाधिपति हेगड़े ने न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए मत व्यक्त किया था—

"यह सच है कि कर की दर नियत करने की शक्ति विधायी शक्ति होती है, किंतु यदि विधानमण्डल विधायी नीति अधिकथित करता है और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत उपबंधित करता है, तो वह शक्ति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित की जा सकती है। यद्यपि कर का उद्ग्रहण मुख्य रूप से राजस्व का संग्रहण करने के प्रयोजन से किया जाता है, तथापि ऐसी वस्तुओं का चयन करने में जिन पर कर लगाया जाता है, कर की दर का अवधारण करने में, विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर, जैसे कि माल की उपलभ्यता, प्रशासनिक सुविधा, (कर के) अपवंचन की सीमा, समाज के विभिन्न वर्गों पर उद्गृहीत कर के प्रभाव आदि पर, विचार करना होता है। आधुनिक समाज में कराधान योजना का साधन होता है। उसका उपयोग राज्य के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। उस कारण से कर लगाने की शक्ति को ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसमें कि लचीलापन हो। उसे किसी स्थिति की अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए घटाए-बढ़ाए जाने के योग्य होना चाहिए। मंडलीय स्वरूप की सरकार में, कार्यपालिका से यह आशा की जाती है कि वह विधानमण्डल के विचारों को प्रतिबिंबित करेगी। कार्यपालिका की "नव-निरंकुशता" के संबंध में कितना ही अधिक अफसोस क्यों न किया जाए, आधुनिक समाज की विषमता से और उस मांग से जो समाज अपनी सरकार के समक्ष रखता है, ऐसी ताकतें संचालित होती हैं जिन्होंने विधानमण्डलों के लिए पूर्ण रूप से यह आवश्यक बना दिया है कि वे कार्यपालिका को अधिक से अधिक शक्तियां सौंपे। 19वीं शताब्दी में पाठ्य-पुस्तकों के प्रतिपादित सिद्धांत

---

[1] [1972] 1 उम० नि० प० 722=[1972] 2 एस० सी० ग्रार० 141.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पुराने पड़ गए हैं। विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी जो वर्तमान स्थिति है, वह आदर्श भले ही न हो, किंतु किसी और अच्छे अनुकल्प के अभाव में इससे छुटकारा भी नहीं है। विधानमण्डलों के पास न तो समय होता है, न ही उनके पास अपेक्षित विस्तृत जानकारी होती है और न ही समय-समय पर उत्पन्न होने वाली अगणित समस्याओं पर सविस्तार विचार करने की गतिशीलता होती है। किन्हीं मामलों में, वे उतनी स्पष्ट रीति में, जितनी कि संभव हो, नीति और मार्गदर्शक सिद्धांत मात्र अधिकथित कर सकते हैं।"

उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1948 की धारा 3-डी की विधिमान्यता को इस न्यायालय के समक्ष **हीरा लाल रतन लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस आधार पर पुनः चुनौती दी गई थी कि उसमें विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन का दोष मौजूद है और पुनः इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए उस चुनौती को अस्वीकृत कर दिया था—

"एकमात्र बची हुई जो दलील है, वह यह है कि धारा 3-डी के अधीन कार्यपालिका को किया गया प्रत्यायोजन आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन है। यह सच है कि विधानमण्डल किसी अन्य निकाय को अपने विधायी कृत्यों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। किंतु उस विशेषज्ञ के अध्यधीन रहते हुए विधानमण्डल के लिए यह अनुज्ञात है कि वह उन व्यक्तियों के चयन करने की शक्ति प्रत्यायोजित करे, जिन पर कर का उद्ग्रहण किया जाना है या ऐसे माल या उन संव्यवहारों का चयन करने की शक्ति प्रत्यायोजित करे जिन पर कर का उद्ग्रहण किया जाना है। अधिनियम में, धारा 3 के अधीन विधानमण्डल सभी विक्रयों और क्रयों पर अनेक प्रक्रमों पर कर अधिरोपित करने की ईप्सा की गई है। ऐसा करने के बाद कि उसने कार्यपालिका को, जो कि एक उच्च प्राधिकरण है और जिसकी बाबत यह उपधारणा की जाती है कि विधानमण्डल में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, कतिपय प्रकार के माल में विशेष व्यवहार करने के लिए चयन की शक्ति दी है। जैसी की स्थिति है, विधानमण्डल के लिए ऐसे माल को प्रगणित करना असंभव है, जिनसे संबंधित संव्यवहार पर विक्रय कर या क्रय कर अधिरोपित किया जाना चाहिए। ऐसे माल का चयन करना विधानमण्डल के लिए असंभव है, जिन पर एकल प्रक्रम पर विक्रय

[1] [1973] 2 एस० सी० आर० 502.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर या क्रय कर लगाया जाना चाहिए। ऐसा चयन करने के पूर्व अनेक पहलुओं जैसे कि समाज पर उद्ग्रहण का प्रभाव, आर्थिक परिणाम और प्रशासनिक सुविधा पर विचार करना होगा। इन कारकों में समय-समय पर तब्दीली हो सकती है। इसलिए, जैसी कि स्थिति है, उसमें इन ब्यौरों को कार्यपालिका पर छोड़ देना होगा।"

विनिश्चित किए गए मामलों में से उद्धृत इन विचारों में जो सिद्धांत अधिकथित किए गए थे, वे प्रस्तुत मामले को स्पष्टतः लागू होते हैं और निश्चायक रूप से श्री पालकीवाला की इस दलील को अस्वीकृत करते हैं कि यदि धारा 80-ञ की उपधारा (1) का अर्थान्वयन उस रीति से किया जाता है, जिस रीति के संबंध में राजस्व विभाग की ओर से विद्वान् अटर्नी जनरल ने सुझाव दिया है, तो वह विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन के आधार पर शून्य हो जाएगी। चूंकि विधानमण्डल ने किसी ऐसे निर्धारिती को जो कि नए औद्योगिक उपक्रम या होटल का कारबार आरम्भ कर रहा है, अनुतोष देने की विधायी नीति अधिकथित की है, इसलिए उसे यह अवधारित करने के लिए कि कौन-सी रकम "लगाई गई पूंजी" होनी चाहिए, जिसकी बाबत यह अपेक्षित हो कि उसे इस धारा के अधीन अनुज्ञात अनुतोष की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर निश्चित रूप से छोड़ना पड़ा था। यह कि निर्धारिती को अनुज्ञात अनुतोष की कितनी मात्रा होनी चाहिए, इन विभिन्न बातों पर निश्चित रूप से निर्भर होगा जैसे कि, सम्पूर्ण रूप से उद्योग पर ऐसे अनुतोष का प्रभाव, अनुतोष के अनुदत्त किए जाने के प्रति उद्योग की प्रतिक्रिया, नवीन औद्योगिक उपक्रमों का विकास करने में अनुदत्त किए गए अनुतोष की पर्याप्तता या अपर्याप्तता, उस समय अभिभावी आर्थिक स्थिति, चाहे वह उन्नतिशील हो या गिरी हुई हो और प्रशासनिक सुविधा, ये बातें जिनमें समय-समय पर तब्दीलियां हो सकती हैं और उसी कारण से जैसी की स्थिति है, उसको देखते हुए अनुतोष की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए 'लगाई गई पूंजी' की संगणना करने के ढंग को निश्चित करने का कार्य आवश्यक रूप से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो कि इस बात पर विचार करना सर्वाधिक अच्छी स्थिति होगा कि कर संबंधी प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाने के लिए आवश्यक अनुतोष की मात्रा इतनी होनी चाहिए जिससे कि नवीन औद्योगिक उपक्रम और होटलों की स्थापना की जा सके और उस प्रयोजन के लिए "लगाई गई पूंजी" की कितनी रकम ऐसे अनुतोष की संगणना का आधार होनी चाहिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

26. इसके अलावा इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अधीन अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम की बाबत यह अपेक्षित है कि उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इस प्रकार रखा जाए कि संसद के दोनों सदनों को यह जानने का कि वह नियम क्या है और इस पर विचार करने का कि क्या उस नियम में कोई उपांतरण किया जाना चाहिए या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए और जारी नहीं किया जाना चाहिए, अवसर होना चाहिए और यदि दोनों सदन नियम में किए जाने वाले किसी उपांतरण के संबंध में सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात की बाबत सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या उसे जारी नहीं किया जाना चाहिए तो उसके बाद उस नियम का प्रभाव ऐसे उपांतरित रूप में होगा या उसका कोई प्रभाव होगा या कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार संसद ने नियम बनाने के प्राधिकार पर अपना नियंत्रण छोड़ा नहीं है और वह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रयुक्त नियम बनाने की शक्ति पर कड़ाई के साथ सतर्कता बरतती है और उस पर नियंत्रण रखती है। यह ऐसी जोरदार परिस्थिति है जो कि विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन पर आधारित दलील के विरुद्ध जाती है। इस विचार को **पोवैल** बनाम **अपोलो कैंडल कंपनी लिमिटेड**[1] वाले मामले में किए गए प्रिवी कौंसिल के विनिश्चय से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें जुडिशियल कमेटी ने, 1879 के कस्टम्स रेगुलेशन्स ऐक्ट की धारा 133 की सांविधानिकता को दी गई चुनौती को अस्वीकृत करते हुए, जिसने गवर्नर को आयात की कतिपय वस्तुओं पर कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदत्त की थी, निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त किया था—

> "यह बहस की गई है कि गवर्नर ने, न कि विधानमण्डल ने, जिसे कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त थी, प्रश्नगत कर अधिरोपित किया है। किन्तु सपरिषद् आदेश (आर्डर-इन-कौंसिल) के अधीन उद्गृहीत शुल्क वास्तव में अधिनियम के प्राधिकार के अधीन उद्गृहीत किए जाते हैं, जिसके अधीन वह आदेश निकाला जाता है। विधानमण्डल ने गवर्नर पर अपना पूरा नियंत्रण नहीं छोड़ा और निश्चित रूप से उसे उस शक्ति को, जो कि उन्होंने उसे सौंपी है, किसी भी समय वापस लेने या उसमें परिवर्तन करने की शक्ति है। इन परिस्थितियों में माननीय लार्ड न्यायाधीशों का यह मत है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1879 के कस्टम्स रेगुलेशन्स ऐक्ट की धारा 133 के

[1] [1885] 10 अपील केसेज 282.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बारे में यह घोषित करना गलत था कि वह विधानमण्डल की शक्ति से परे है।"

इस न्यायालय ने भी **डी० एस० ग्रेवाल** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की विधिमान्यता को कायम रखते हुए, जिसे विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन के आधार पर चुनौती दी गई थी, न्यायाधिपति वांचू ने न्यायालय की ओर से निर्णय देते हुए यह मत व्यक्त किया था—

> "इसके अलावा, धारा 3 द्वारा केन्द्रीय सरकार को भविष्य में नियम विरचित करने की शक्ति दी गई थी, जिसका प्रभाव धारा 4 के अधीन स्वीकृत नियमों में जोड़ने, उसमें तब्दीली करने या परिवर्तन करने या संशोधन करने का प्रभाव आवद्धकर हो सकता है। यह देखते हुए कि ये नियम उन अखिल भारतीय सेवाओं को लागू होंगे, जो कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए समान हैं। धारा 3 द्वारा यह उपबंध किया गया कि नियम राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही विरचित किए जाने चाहिएं। साथ ही साथ संसद ने यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती कि ये नियम प्रवृत्त होने से और उनमें उपांतरण किए जाने से, चाहे उस सत्र के दौरान किया गया हो, जिन्हें इस प्रकार रखा जाता है, संसद द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर निरसित या संशोधित किया गया हो, पूर्व चौदह दिनों तक संसद के पटल पर रखे गए थे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संसद ने किसी भी प्रकार से अपने प्राधिकार को नहीं छोड़ा है, किन्तु वह अपने प्रत्यायुक्त के संबंध में कड़ाई के साथ सतर्कता बरतती है और नियंत्रण रखती है।"

इस प्रकार यह बात देखी जाएगी कि प्रस्तुत मामले में विधायी शक्ति के आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन का कोई प्रश्न ही नहीं है और जो निर्वचन हमने किया है, उसके आधार पर भी धारा 80-ञ की उपधारा (1) पर इस आधार पर असांविधानिक कहकर आक्षेप नहीं किया जा सकता कि विधायी शक्ति का आधिक्यपूर्ण प्रत्यायोजन किया गया है। अतः हमें यह अवश्य ही अभिनिर्धारित करना होगा कि जहां तक कि नियम 19-क की उपधारा (3) में "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में उधार ली गई धनराशियों और ऋणों के विशिष्टतया दीर्घावधिक उधार को अपवर्जित करने के लिए उपबंध

[1] [1959] सप्लीमेंट *1* एस० सी० आर० 792.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया है, वहां तक उसकी बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्रदत्त नियम बनाने के प्राधिकार की परिधि के बाहर है, और वह पूरी तरह से विधिमान्य गौण विधान है।

27. पालकीवाला ने जिस दूसरे मुद्दे पर जोर दिया है, उस पर हम विचार करेंगे, जिसका संबंध "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति के बारे में समय के विस्तार से है। श्री पालकीवाला की दलील यह थी कि पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में "लगाई गई पूंजी" की संकल्पना ऐसी संकल्पना है जो कि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान, न कि संगणना की कालावधि के प्रथम दिन उपयोग में लाई गई पूंजी की वास्तविकता के प्रति ध्यान करने पर विवश करती है और इसी कारण से जहां तक कि नियम 19-क में संगणना कालावधि के प्रथम दिन "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने के लिए उपबंध किया गया था, वहां तक वह धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के नियम बनाने के अधिकारातीत थी। श्री पालकीवाला की दलील कायम रखे जाने योग्य नहीं है और उसे अवश्य ही अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। इस ओर ध्यान दिया जा सकता है कि जब धारा 80-ञ की उपधारा (1) में किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में "लगाई गई पूंजी" के संबंध में उपबंध किया जाता है, तो उसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान "लगाई गई पूंजी" के प्रति निर्देश नहीं किया जाता, किन्तु उसमें पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में "लगाई गई पूंजी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। "पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान" अभिव्यक्ति के और "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में" अभिव्यक्त के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर है। श्री पालकीवाला की दलील में बहुत बड़ा बल उस दशा में होता, यदि धारा 80-ञ की उपधारा (1) में जो निर्देश है, वह पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान "लगाई गई पूंजी" के प्रति किया गया होता। उस समय पर्याप्त तर्कसंगति के साथ यह दलील दी जा सकती थी कि "लगाई गई पूंजी" की संगणना उस रूप में नहीं की जा सकती, जिस रूप में कि वह पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम दिन थी। किन्तु उसकी बाबत यह माना जाना चाहिए कि वह पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी की औसत रकम है। किन्तु चूंकि धारा 80-ञ की उपधारा (1) में विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विहित" रीति से संगणित···"लगाई गई पूंजी", की संगणना पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में करनी होगी और उसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी की औसत रकम को हिसाब में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे वैध रूप से पूर्ववर्ती वर्ष के प्रथम दिन के रूप में ऐसे समय का प्रक्रम माना जा सकता है जिस पर "लगाई गई पूंजी" की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संगणना अवश्य ही की जानी चाहिए । इस प्रकार संगणित 'लगाई गई पूंजी" "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विहित रीति से संगणित…'लगाई गई पूंजी' " अभिव्यक्ति की परिधि के भीतर स्पष्टत: आएगी । श्री पालकीवाला ने धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अंत में आए हुए कोष्ठक के बीच वाले प्रभाग में दिए गए वर्णन का अवलम्ब लिया, जिसमें वह रकम वर्णित की गई है, जिसकी गणना "पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी" की सुसंगत रकम के रूप में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विहित रीति से संगणित "लगाई गई पूंजी" को छह प्रतिशत कानूनी दर लागू करके की गई है, किन्तु वह मात्र ऐसा वर्णन है, जो कि उस प्रकार संगणित रकम के संबंध में किया गया हो, जिसकी बाबत धारा 80-ञ की उपधारा (1) के मुख्य भाग में उपबंध किया गया है और मुख्य भाग में हमें "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में" शब्द, न कि "पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान" शब्द मिलते हैं । यह बात बताई जा सकती है कि "पूर्ववर्ती बर्ष के संबंध में" शब्द प्रथम बार उस समय पुर:स्थापित किए गए थे, जबकि धारा 80-ञ श्री भूतलिंगम् की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप अधिनियमित की गई थी, जिसमें उसने यह सिफारिश की थी कि लाभों की गणना के लिए अर्थात् प्रत्येक वर्ष के दौरान कारबार में लगाई गई पूंजी के औसत के लिए जो आधार था, वह जटिल था और साबित करना कठिन है और इसी कारण से यह वांछनीय था कि "लगाई गई पूंजी", जैसे कि वह वर्ष के प्रारम्भ में थी, किंतु वर्ष के दौरान नए सिरे से पूंजी लगाने की बात को नजरअन्दाज करते हुए, संगणना का आधार अपनाया जाए। धारा 80-ञ की उपधारा (1) में आए हुए "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में" शब्दों के पुर:स्थापन के बाद ही नियम 19-क बनाया गया था, जिसमें "लगाई गई पूंजी" की संगणना के लिए, जैसी कि वह संगणना कालावधि के प्रारंभ के दिन थी, उपबंध किया गया था । इसके अलावा, यदि हम कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 2 की उपधारा (8) और उसकी द्वितीय अनुसूची के नियम 1 में आई हुई "कानूनी कटौती" की परिभाषा के प्रति निर्देश करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधानमण्डल के मतानुसार कंपनी की पूंजी की संगणना की प्रक्रिया के अंतर्गत समय के प्रक्रम का वह विनिर्देश भी है जबकि कंपनी की पूंजी की संगणना की जाए । अत: यदि "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में" शब्द न होते, तो भी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के लिए, नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में, यह सक्षम होता कि वह "लगाई गई पूंजी" की संगणना के लिए, जैसी कि वह संगणना की कालावधि के प्रथम दिन थी, उपबंध करे, जैसा कि विधानमण्डल ने कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के मामले में किया है । "पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में" शब्दों से "लगाई गई पूंजी" की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संगणना में सुविधा हो गई, जिसने संगणना की कालावधि का प्रथम दिन विहित किया है । अतः हम श्री पालकीवाला की यह दलील स्वीकार नहीं कर सकते कि जहां तक कि नियम 19-क में "लगाई गई पूंजी" की, जैसी कि वह संगणना की कालावधि के प्रथम दिन थी, संगणना के लिए उपबंध किया गया था, वह धारा 80-ञ की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के नियम बनाने के प्राधिकार के बाहर था ।

28. अतः हमारा मत यह है कि जहां तक कि नियम 19-क "लगाई गई पूंजी" की संगणना करने में उधार ली गई धनराशियों और ऋणों को अपवर्जित करता है और उसमें "लगाई गई पूंजी" की, जैसी कि वह संगणना कालावधि के प्रथम दिन थी, संगणना के लिए उपबंध किया गया है, वहां तक वह धारा 80-ञ के अधिकारातीत नहीं था और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को प्रदत्त नियम बनाने के प्राधिकार के भीतर पूरी तरह से विधिमान्य नियम था । इसी प्रकार उन्हीं कारणों से, जहां तक कि नियम 19-क में यह उपबंध किया गया था कि किसी पोत में "लगाई गई पूंजी" की बाबत यह माना जाएगा कि वह उस पोत का ऐसा अपलिखित मूल्य है, जो उस पोत को अर्जित करने में उधार ली गई धनराशियां या उपगत ऋणों के कारण संगणना की तारीख को निर्धारिती द्वारा उधार के रूप में ली गई रकमों का योग घटा दिए जाने के बाद आता है, वहां तक यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के नियम बनाने के प्राधिकार के भीतर होने के कारण विधिमान्य है । चूंकि हमारे द्वारा अपनाए गए मत के आधार पर नियम 19-क में कोई भी कमजोरी मौजूद नहीं है और वह पूरी तरह से विधिमान्य है, इसलिए जहां तक कि 1980 के वित्त अधिनियम (सं० 2) के द्वारा 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से उस धारा में नियम 19-क को समाविष्ट करके धारा 80-ञ का संशोधन किया गया था, वहां तक उसकी प्रकृति केवल स्पष्टीकरण करने वाली थी और तद्नुसार उसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह विधिमान्य है ।

29. अतः रिट पिटीशन खारिज किए जाते हैं, किंतु रिट पिटीशनों में अंतर्ग्रस्त प्रश्नों के महत्त्व का ध्यान रखते हुए हम समझते हैं कि प्रत्येक पक्ष को यह निदेश देना उचित और न्यायोचित होगा कि वे रिट पिटीशनों में किए गए अपने-अपने खर्च वहन करें ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधिपति अमरेन्द्र नाथ सेन—

30. मुझे अपने विद्वान् बन्धु न्यायाधिपति भगवती द्वारा विरचित निर्णय का परिशीलन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत होने में असमर्थ हूं।

31. इस मामले के तात्त्विक तथ्यों का कथन मेरे विद्वान् बन्धु के निर्णय में भली-भांति कर दिया गया है। मेरे विद्वान् बन्धु ने अपने निर्णय में आय-कर अधिनियम तथा आय-कर नियम के सभी सुसंगत उपबंधों का उपवर्णन कर दिया है। उन्होंने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ के विधायी इतिवृत्त का भी प्रारंभ से वर्णन किया है और समय-समय पर उस धारा में किए गए विभिन्न संशोधनों का उल्लेख किया है। इसलिए यह आवश्यक नहीं रहता कि मैं उसे अपने निर्णय में, विस्तृत रूप से, प्रतिपादित करूं।

32. जो दो प्रश्न अवधारणार्थ उद्भूत होते हैं, वे इस प्रकार हैं—

"(1) क्या आय-कर नियमों का नियम 19-क, जहां तक कि उक्त नियम उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है और धारा 80--ञ के अधीन अनुतोष के प्रयोजनार्थ नियोजित पूंजी की संगणना के विषय में वर्ष के प्रथम दिन को नियत करता है, वह विधिमान्य है ?

(2) क्या 1980 के वित्त (सं० 2) अधिनियम द्वारा धारा 80-ञ में पुरःस्थापित संशोधन, जिसके द्वारा उक्त धारा में उधार ली गई पूंजी के अपवर्जन के संबंध में नियम के उपबंध किए गए हैं, तथा 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के लिए नियोजित पूंजी की संगणना के प्रयोजनार्थ वर्ष के प्रथम दिन का नियत किया जाना विधिमान्य है ?"

33. नियम 19-क के तात्त्विक उपबंध इस प्रकार हैं—

"(1) धारा 80-ञ के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी उपनियम (2) से उपनियम (4) तक के अनुसार संगणित की जाएगी और किसी पोत में नियोजित पूंजी उपनियम (5) के अनुसार संगणित की जाएगी।

(2) ऐसे उपक्रम या होटल के कारबार को, जिसे उक्त धारा 80-ञ लागू होती है; संगणना की अवधि के पहले दिन यथा विद्यमान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आस्तियों के मूल्यों के बराबर रकमों का योग पहले निम्नलिखित रीति से अभिनिश्चित किया जाएगा—

(i) अवक्षयण की हक़दार आस्तियों की दशा में, उनका अवलिखित मूल्य;

(ii) क्रय द्वारा अर्जित आस्तियों की दशा में, जो अवक्षयण की हकदार नहीं हैं, निर्धारिती को उनकी वास्तविक लागत;

(iii) ऐसी आस्तियों की दशा में, जो क्रय द्वारा अर्जित नहीं हैं और जो अवक्षयण की हकदार नहीं हैं, उन आस्तियों का उस समय का मूल्य जब वे कारबार की आस्तियां बनी थीं;

(iv) उन आस्तियों की दशा में, जो कारबार चलाने वाले व्यक्तियों को शोध्य ऋण हैं, उन ऋणों की अभिहित रकम;

(v) ऐसी आस्तियों की दशा में, जो हाथ में या बैंक में रोकड़ हैं, उनकी रकम।

स्पष्टीकरण 1 : इस नियम में 'संगणना की अवधि' से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए औद्योगिक उपक्रम या होटल कारबार के लाभ और अभिलाभ, धारा 28 से धारा 43-क के अधीन, संगणित किए जाते हैं।

स्पष्टीकरण 2 : धारा 80-ज की उपधारा (6) के अंत में स्पष्टीकरण के खण्ड (क) से खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी भवन, मशीनरी या संयंत्र या किसी भाग के मूल्य को औद्योगिक उपक्रम के या यथास्थिति, होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3 : जहां किसी आस्ति की कीमत नकदी से भिन्न किसी रीति से चुकाई गई है, वहां उस आस्ति के लिए वास्तव में दिए गए प्रतिफल का तत्कालिक मूल्य उस आस्ति की वास्तविक लागत समझा जाएगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन अभिनिश्चित रकमों के योग में से निर्धारिती द्वारा उधार लिए गए धन और शोध्य ऋणों को (जिनके अंतर्गत कर की बाबत किसी दायित्व के लिए शोध्य रकमें भी हैं),

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधिपति अमरेन्द्र नाथ सेन—

30. मुझे अपने विद्वान् बन्धु न्यायाधिपति भगवती द्वारा विरचित निर्णय का परिशीलन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत होने में असमर्थ हूं।

31. इस मामले के तात्त्विक तथ्यों का कथन मेरे विद्वान् बन्धु के निर्णय में भली-भांति कर दिया गया है। मेरे विद्वान् बन्धु ने अपने निर्णय में आय-कर अधिनियम तथा आय-कर नियम के सभी सुसंगत उपबंधों का उपवर्णन कर दिया है। उन्होंने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ञ के विधायी इतिवृत्त का भी प्रारंभ से वर्णन किया है और समय-समय पर उस धारा में किए गए विभिन्न संशोधनों का उल्लेख किया है। इसलिए यह आवश्यक नहीं रहता कि मैं उसे अपने निर्णय में, विस्तृत रूप से, प्रतिपादित करूं।

32. जो दो प्रश्न अवधारणार्थ उद्भूत होते हैं, वे इस प्रकार हैं—

"(1) क्या आय-कर नियमों का नियम 19-क, जहां तक कि उक्त नियम उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है और धारा 80--ञ के अधीन अनुतोष के प्रयोजनार्थ नियोजित पूंजी की संगणना के विषय में वर्ष के प्रथम दिन को नियत करता है, वह विधिमान्य है ?

(2) क्या 1980 के वित्त (सं० 2) अधिनियम द्वारा धारा 80-ञ में पुरःस्थापित संशोधन, जिसके द्वारा उक्त धारा में उधार ली गई पूंजी के अपवर्जन के संबंध में नियम के उपबंध किए गए हैं, तथा 1 अप्रैल, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव से धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के लिए नियोजित पूंजी की संगणना के प्रयोजनार्थ वर्ष के प्रथम दिन का नियत किया जाना विधिमान्य है ?"

33. नियम 19-क के तात्त्विक उपबंध इस प्रकार हैं—

"(1) धारा 80-ञ के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम में या होटल के कारबार में नियोजित पूंजी उपनियम (2) से उपनियम (4) तक के अनुसार संगणित की जाएगी और किसी पोत में नियोजित पूंजी उपनियम (5) के अनुसार संगणित की जाएगी।

(2) ऐसे उपक्रम या होटल के कारबार को, जिसे उक्त धारा 80-ञ लागू होती है; संगणना की अवधि के पहले दिन यथा विद्यमान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आस्तियों के मूल्यों के बराबर रकमों का योग पहले निम्नलिखित रीति से अभिनिश्चित किया जाएगा—

(i) अवक्षयण की हकदार आस्तियों की दशा में, उनका अवलिखित मूल्य;

(ii) क्रय द्वारा अर्जित आस्तियों की दशा में, जो अवक्षयण की हकदार नहीं हैं, निर्धारिती को उनकी वास्तविक लागत;

(iii) ऐसी आस्तियों की दशा में, जो क्रय द्वारा अर्जित नहीं हैं और जो अवक्षयण की हकदार नहीं हैं, उन आस्तियों का उस समय का मूल्य जब वे कारबार की आस्तियां बनी थीं;

(iv) उन आस्तियों की दशा में, जो कारबार चलाने वाले व्यक्तियों को शोध्य ऋण हैं, उन ऋणों की अभिहित रकम;

(v) ऐसी आस्तियों की दशा में, जो हाथ में या बैंक में रोकड़ हैं, उनकी रकम ।

स्पष्टीकरण 1 : इस नियम में 'संगणना की अवधि' से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए औद्योगिक उपक्रम या होटल कारबार के लाभ और अभिलाभ, धारा 28 से धारा 43-क के अधीन, संगणित किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण 2 : धारा 80-ञ की उपधारा (6) के अंत में स्पष्टीकरण के खण्ड (क) से खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी भवन, मशीनरी या संयंत्र या किसी भाग के मूल्य को औद्योगिक उपक्रम के या यथास्थिति, होटल के कारबार में नियोजित पूंजी की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3 : जहां किसी आस्ति की कीमत नकदी से भिन्न किसी रीति से चुकाई गई है, वहां उस आस्ति के लिए वास्तव में दिए गए प्रतिफल का तत्कालिक मूल्य उस आस्ति की वास्तविक लागत समझा जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन अभिनिश्चित रकमों के योग में से निर्धारिती द्वारा उधार लिए गए धन और शोध्य ऋणों को (जिनके अंतर्गत कर की बाबत किसी दायित्व के लिए शोध्य रकमें भी हैं),

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जैसे कि वे संगणना की अवधि के पहले दिन हैं, रकमों के योग को घटा दिया जाएगा।"

34. नियम 19-क आय-कर नियम, 1962, जो कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के अधीन प्रदत्त प्राधिकार के आधार से विरचित किए गए हैं, का भाग गठित करता है। धारा 295 निम्नलिखित रूप में अधिकथित की गई है—

"(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे—

....

...."

35. यहां यह उल्लेखनीय है कि उपधारा (2) में वर्णित विषय अधिनियम की धारा 80-ञ के प्रति निर्देश नहीं करते।

36. धारा 80-ञ, जैसी कि वह 1980 के वित्त अधिनियम सं० 2 द्वारा आक्षेपकृत संशोधन से पूर्व विद्यमान थी, के सुसंगत उपबंध, जो कि वर्तमान कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ तात्विक हैं, यहां इस प्रकार वर्णित किए जाते हैं:—

"(1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार से, जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में ऐसे लाभों और अभिलाभों में से (जैसे कि वे धारा 80-ज और धारा 80-जज के अधीन निर्धारिती के अनुज्ञेय कटौतियों के योग को यदि कोई हों, घटाकर आए) इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अध्यधीन उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की बाबत विहित रीति से संगणित, यथास्थिति उस औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार में लगाई गई पूंजी पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित रकम से अधिक नहीं होती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(पूर्वोक्त प्रकार से परिकलित रकम इसके पश्चात् इस धारा में पूर्व वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी की सुसंगत रकम के रूप में निर्दिष्ट की गई है) ।...

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती, उस पूर्व वर्ष से, जिसमें औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन या अपने शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरंभ करता है या पोत पहली बार काम में लाया जाता है या होटल का कारबार आरंभ होता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की (जिस निर्धारण वर्ष को इसके पश्चात् इस धारा में आरंभित निर्धारण वर्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा आरंभिक निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के चार निर्धारण वर्षों में से हर एक की बाबत कुल आय संगणित करने में अनुज्ञात की जाएगी ।

....

....

(4) यह धारा किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है, अर्थात्—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खण्डित या पुनर्गठित करके नहीं बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का, नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है;

(iii) वह भारत के किसी भाग में वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन करता है या एक या एक से अधिक शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन करता है और 1948 के अप्रैल के प्रथम दिन के ठीक आगामी (तैंतीस वर्ष) की कालावधि या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अंदर, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट औद्योगिक उपक्रम के प्रति निर्देश से विनिर्दिष्ट करे, वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन या ऐसे संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरंभ कर चुका है या आरंभ करता है;

(iv) उस दशा में जिसमें औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन करता है, वह उपक्रम शक्ति की सहायता से चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में दस या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिक कर्मकार नियोजित करता है अथवा शक्ति की सहायता के बिना चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है :

परन्तु खण्ड (i) की शर्त उस किसी औद्योगिक उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के कारबार के, जैसा धारा 33-ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और कालावधि के अंतर पुनःस्थापन, पुनः सन्निर्माण या पुनः चालन के फलस्वरूप बना है :

परन्तु यह और कि जहां किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त कोई भवन या उसका कोई भाग औद्योगिक उपक्रम के कारबार को अंतरित किया जाता है, वहां, इस प्रकार अंतरित भवन या भाग का मूल्य उस औद्योगिक उपक्रम में लगाई गई पूंजी संगणित करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे औद्योगिक उपक्रम की दशा में जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का विनिर्माण या उत्पादन करता है, खण्ड (iii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों 'तैंतीस वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'इकत्तीस वर्ष' शब्द रखे गए हों।"

37. पहले मैं नियम की विधिमान्यता के प्रश्न पर विचार करना चाहूंगा। मेरे विचार में यह रुख अपनाना समुचित होगा। यदि नियम के बारे में यह मान लिया जाता है कि वह विधिमान्य है तो भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन के प्रश्न पर किसी प्रकार ध्यान दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा। किंतु यदि दूसरी ओर नियम अविधिमान्य ठहराया जाता है, तो संशोधन की विधिमान्यता का प्रश्न मार्मिक महत्व धारण कर लेता है। जो दलील पेश की गई है, उसके आधार पर नियम की अविधिमान्यता भी संशोधन के विधिमान्य होने या न होने संबंधी विनिश्चय करने में प्रभावी होगी।

38. यदि नियम के बारे में यह पाया जाता है कि वह संबद्ध धारा के अनुकूल तथा उससे सुसंगत है तो सुनिश्चित रूप से नियम के विषय में यह अभिनिर्धारित करना होगा कि वह विधिमान्य है। किंतु यदि नियम के बारे में यह पाया जाता है कि वह संबद्ध धारा से विसंगत तथा उसके उपबंधों के प्रतिकूल है तो इस नियम को अविधिमान्य कहकर प्रख्यापित करना होगा।

39. उक्त नियम धारा के अनुवर्तन में है और उससे विसंगत है अथवा वह नियम धारा के उपबंधों से विसंगत तथा तत्प्रतिकूल है—इसका

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अवधारण निश्चित रूप से संबद्ध धारा के समुचित निर्वचन के आधार पर करना होगा।

40. किसी कानून अथवा किसी कानूनी उपबंध के अर्थान्वयन के सिद्धांत सुस्थिर हैं। किसी भी कानून के निर्वचन का प्रयोजन विधानमण्डल के सही आशय को समझना है। यह सुस्थिर है कि "यदि किसी कानून के शब्द स्पष्ट तथा निसंदिग्ध हैं तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात को उपदर्शित करें कि संसद का आशय किस रूप में समझा जाना चाहिए और उनके आशय अथवा अर्थ के संबंध में पता चलाने के लिए अन्यत्र दृष्टिपात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।" (देखिए हाल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ. इंग्लैण्ड, चतुर्थ संस्करण, खण्ड 44, पृष्ठ 522)। जब किसी कानून के शब्द स्पष्ट, साधारण अथवा निसंदिग्ध हों तो न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उन शब्दों का प्रतिपादन उनके नैसर्गिक साधारण अर्थों में करे क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सर्वोत्तम रूप से विधानमण्डल के आशय को घोषित करते हैं। यदि किसी धारा के उचित परिशीलन पर प्रयुक्त शब्दों के बारे में यह प्रतीत होता है कि वे साधारण तथा निसदिग्ध हैं और युक्तियुक्त रूप से उनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, तो न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे उसी अर्थ को प्रभावशील बनाएं जब तक कि ऐसा अर्थ धारा का अनर्थ कर देता है अथवा वह निरर्थकता में परिणत होता है। न्यायालय का संबंध न तो अंतर्वलित नीति से अथवा परिणामों से, चाहे वे हानिकारक हों या अन्यथा, जो कि प्रयुक्त भाषा को प्रभावोन्वित करने से उद्भूत होते हैं, नहीं है। **एम्परर** बनाम **बनवारी लाल शर्मा**[1] वाले मामले में लार्ड चांसलर विस्काउंट साइमन ने पृष्ठ 53 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया था—

> "इस बोर्ड ने इस बात पर बार-बार जोर दिया है कि अधिनियमित शब्दों का अर्थान्वयन करने में हमारा संबंध न तो अंतर्वलित नीति से है और न ही उसके परिणामों से, चाहे वे हानिकारक हों या अन्यथा, जो कि प्रयुक्त भाषा को प्रभावोन्वित करने से उद्भूत होते हैं।"

कांतिलाल सूर बनाम **परमनिधि साधूखां**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने पृष्ठ 910 पर यह अभिनिर्धारित किया था—

> "यदि प्रयुक्त शब्दों का केवल एक ही रूप में अर्थान्वयन किया

---

[1] ए० आई० आर० 1945 प्रिवी कौंसिल 48.

[2] ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 907.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जा सकता है तो न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे कि वे इस आधार पर कोई अन्य कृत्रिम अर्थान्वयन अपनाएं कि ऐसा कृत्रिम अर्थान्वयन अधिनियम के अभिकथित उद्देश्य तथा नीति से अधिक सुसंगत है ।"

किंतु यदि किसी कानून के शब्द स्पष्ट न हों और वे संदिग्ध हों, तो विधि के निर्माता के सही आशय का पता लगाने के लिए संबद्ध उपबंधों का निर्वचन करने में भिन्न-भिन्न विचार्य-विषय लागू होंगे। हाल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ इंग्लैण्ड, चतुर्थ संस्करण, खण्ड 44, पैरा 858, पृष्ठ 523 पर यह कथन किया गया है—

"यदि किसी कानून के शब्द संदिग्ध हैं तो संसद् का आशय निश्चित रूप से पहले स्वयं कानून में से ढूंढ़ निकाला जाना चाहिए और तत्पश्चात् अन्य विधायन एवं समसामायिक परिस्थितियों में से और अंततः बहुत समय पूर्व अधिकथित किए गए और प्रायः अनुमोदित सामान्य नियमों में से उनका पता निम्नलिखित को अभिनिश्चित करके चलाया जाना चाहिए : (1) अधिनियम के विरचित किए जाने से पूर्व सामान्य विधि क्या थी; (2) वह रिष्टि तथा त्रुटि कौन-सी थी जिसके कारण सामान्य विधि (कामन लॉ) में उपबंध नहीं किया गया था; (3) राष्ट्रमण्डल की त्रुटि को दूर करने के लिए संसद् ने कौन-सा उपचार अपनाने का संकल्प किया था और वास्तव में उसने कौन-सा उपचार अपनाया था; तथा (4) उपचार का सही कारण क्या था।"

चूंकि धारा 80-ञ का समुचित रूप से परिशीलन किए जाने पर मेरा समाधान हो गया है कि यह धारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह किसी संदेह से ग्रस्त नहीं है, अतः प्रस्तुत मामले में मेरे लिए यह आवश्यक नहीं बनता कि मैं विस्तृत रूप से निर्वचन के उन सिद्धांतों पर विचार करूं जो कि किसी संदिग्ध कानून का अर्थान्वयन करने में संप्रेक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित होते हैं।

41. वित्त अधिनियम, 1980 द्वारा आक्षेपकृत संशोधन से पूर्व आय-कर अधिनियम की धारा 80-ञ के तात्विक उपबंधों को पहले ही उपवर्णित कर दिया गया है। उक्त धारा के सुसंगत उपबंधों में यह कथन किया गया है कि जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार से, जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संगणित करने में ऐसे लाभों और अभिलाभों में से [जैसे कि वे धारा 80-जज (या धारा 80-जजक) के अधीन निर्धारिती को अनुज्ञेय कटौतियों, यदि कोई हों, घटाकर आए] इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अध्यधीन उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जितनी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की बाबत विहित रीति से संगणित, यथास्थिति उस औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार में लगाई गई पूंजी पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से परिकलित रकम से अधिक नहीं होती (पूर्वोक्त प्रकार से परिकलित रकम इसके पश्चात् इस धारा में पूर्व वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी की सुसंगत रकम के रूप में निर्दिष्ट की गई है)।

42. इस धारा के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित होने हेतु किसी निर्धारिती के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम अथवा पोत अथवा होटल के कारबार से, जिसे कि यह निश्चित रूप से लागू होती है, लाभों और अभिलाभों को व्युत्पन्न करे। यह विवाद्य नहीं है कि ऐसे निर्धारिती, जिन्होंने न्यायालय से संपर्क किया है, उनके द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों का व्युत्पन्न कर लिया है और वे इस धारा के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित हैं।

43. इस धारा में प्रयुक्त भाषा के प्रति निर्देश से इसके साधारण परिशीलन से स्पष्टत: यह आधारभूत तत्व सामने आता है कि इस धारा में यथा-अनुध्यात अनुतोष पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम में नियोजित पूंजी पर अनुज्ञात किया जाएगा। किसी उपक्रम के बारे में यह हो सकता है कि उसके पास ऐसी पूंजी विद्यमान हो जो ऐसे लाभों तथा अभिलाभों को, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित किए गए थे, उपार्जित करने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में नियोजित न की गई हो। ऐसी पूंजी यद्यपि वह उपक्रम की पूंजी का भाग गठित करती हो, इस धारा के अधीन अनुतोष के फायदे के लिए हकदार नहीं होगी। अनुतोष केवल ऐसी पूंजी पर अनुध्यात किया जाता है जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम में नियोजित की गई थी और जिससे कि पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों को उत्पन्न किया गया था, जिन्हें कि पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती की कुल आय में अन्तर्विष्ट किया गया था। उपक्रम के लिए इस धारा के अधीन अनुतोष स्पष्टत: ऐसे उपक्रम में नियोजित पूंजी पर आशयित है जिससे कि पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम के लाभ तथा अभिलाभ उत्पन्न हुए थे। इस आशय को सुव्यक्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया था क्योंकि अनुतोष पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम में पूंजी के नियोजित किए जाने के आधार से पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम द्वारा उपार्जित लाभों तथा अभिलाभों के आधार पर अनुदत्त किया गया था। उपक्रम में नियोजित पूंजी जो कि इस धारा के अधीन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुतोष के लिए अर्हित मानी जाती है, स्पष्टत: अभिलाभों को उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम में नियोजित पूंजी के प्रति निर्देश करती है और निश्चित रूप से ऐसा निर्देश किया जाना आवश्यक है। यदि उपक्रम में नियोजित पूंजी स्वयं अपनी पूंजी है तो ऐसी पूंजी अनुतोष के लिए अर्जित मानी जाएगी। यदि नियोजित पूंजी उधार ली गई पूंजी है तो ऐसी पूंजी समान रूप से अनुतोष के लिए अर्हित मानी जाएगी। यदि नियोजित पूंजी स्वयं निर्धारिती की पूंजी से तथा उधार ली गई पूंजी से गठित होती है तो इस प्रकार नियोजित पूंजी जिसके अन्तर्गत निर्धारिती की स्वयं अपनी पूंजी तथा उधार ली गई पूंजी दोनों ही अनुतोष के लिए अर्हित मानी जाएंगी। पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम में नियोजित पूंजी जो इस धारा के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित मानी जाती है, उसकी गणना विहित रीति में की जाएगी। इस धारा में यह सुझाव देने अथवा उपदर्शित करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि अनुतोष के प्रयोजन के लिए उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना की रीति विहित करते समय, पूंजी का कोई भाग जो लाभों तथा अभिलाभों को उत्पन्न करने के लिए उपक्रम में नियोजित किया गया था, अपवर्जित किया जा सकता है। यदि विधानमण्डल का उपक्रम के लाभों और अभिलाभों को उत्पन्न करने वाले उपक्रम में नियोजित पूंजी के किसी भाग को अपवर्जित करने का ऐसा कोई आशय था तो विधानमण्डल द्वारा समुचित रूप से इस हेतु उपबंध किए जाते और वे सुगमता से किए भी जा सकते थे। निश्चित रूप से विधानमण्डल के बारे में यह उपधारणा की जानी चाहिए कि उसे इस बात का पता था कि किसी उपक्रम में नियोजित पूंजी स्वयं निर्धारिती की पूंजी से मिलकर गठित होती है और वस्तुत: यही होता है और इसके अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा उधार ली गई पूंजी भी शामिल रहती है। यह सामान्य ज्ञान नहीं है कि अधिकतर उपक्रम उपक्रमों में नियोजित स्वयं अपनी पूंजी के अतिरिक्त उधार ली गई पूंजी से अपने कार्य-कलाप कार्यान्वित करते हैं। विधानमण्डल को हालांकि इस बात का ज्ञान था कि उपक्रम उधार ली गई पूंजी से चलाए जाते हैं, तथापि विधानमण्डल ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस धारा में स्वयं अपनी पूंजी तथा उधार ली गई पूंजी के बीच कोई प्रभेद किए बिना उपक्रम के लाभों और अभिलाभों को उपार्जित करने के लिए उपक्रम में नियोजित पूंजी को वर्णित किया था और उसने ऐसी पूंजी के नियोजित किए जाने के आधार से उपार्जित उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों के आधार पर उपक्रम में नियोजित पूंजी की बाबत अनुतोष हेतु उपबंध किया है। इस बारे में कोई विवाद नहीं किया गया और न किया ही जा सकता है कि उपक्रम के ऐसे लाभ तथा अभिलाभ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जो अन्ततः निर्धारिती की कुल आय में शामिल किए जाने होते हैं, वे पूंजी द्वारा उत्पन्न होते हैं, चाहे वह पूंजी स्वयं निर्धारिती की अपनी पूंजी हो अथवा उधार ली गई, जो सुसंगत वर्ष में उपक्रम में नियोजित की गई हो और उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों की संगणना करते समय उधार ली गई पूंजी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि स्वयं निर्धारिती की अपनी पूंजी और ये दोनों उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों को उपार्जित करने में समान भूमिका निभाते हैं। उपक्रम में नियोजित पूंजी स्वयं इस धारा के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित बनती है भले ही उपक्रम में नियोजित पूंजी की प्रकृति तथा स्रोत कैसे भी हों। तथापि, इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि इस धारा के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित होने हेतु पूंजी, चाहे वह उधार ली गई हो अथवा उपक्रम की स्वयं अपनी पूंजी हो, निश्चित रूप से लाभों और अभिलाभों को उपार्जित करने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में उपक्रम में नियोजित की जाएगी तथा उपक्रम की ऐसी कोई पूंजी चाहे वह उधार ली गई हो अथवा निर्धारिती की स्वयं अपनी पूंजी हो जो निष्प्रयोज्य पड़ी रहती है और जिसे लाभों और अभिलाभों को उपार्जित करने के लिए उपक्रम में नियोजित नहीं किया जाता, इस धारा के अधीन किसी अनुतोष के लिए अर्हित नहीं होती।

44. धारा 80-ञ की उपधारा (4) में उन शर्तों को अधिकथित किया गया है जिन्हें किसी उपक्रम द्वारा इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुतोष के लिए अर्हित होने हेतु पूरा करना होगा। इस उपधारा में भी किसी प्रकार यह उपदर्शित नहीं किया गया है कि उधार ली गई पूंजी से अथवा ऐसी पूंजी से जिसका किंचित भाग उधार लिया गया हो, स्थापित कोई उपक्रम इस धारा के फायदों के लिए हकदार नहीं होगा। कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो उपधारा (4) में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करता है, निस्सन्देह धारा 80-ञ के फायदों का हकदार होगा। कोई ऐसा उपक्रम जो उधार ली गई पूंजी से कार्य करता है, वह भी भली-भांति उपधारा (4) की शर्तों को पूरा कर सकता है और अनुतोष के लिए अर्हित हो सकता है क्योंकि इस उपधारा में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी ऐसे उपक्रम को, जो पूर्णतः अथवा भागतः उधार ली गई पूंजी से स्थापित किया गया हो, उपधारा (4) में अधिकथित शर्तों को पूरा करने से निवारित करती हो। किंतु कोई ऐसा उपक्रम जो उपधारा (4) में विद्यमान सभी शर्तों को पूरा करता है और तद्द्वारा अनुतोष के लिए अर्हित है, यदि वह उधार ली गई पूंजी से स्थापित किया गया हो तो उसे ऐसा अनुतोष प्रदान किए जाने संबंधी प्रत्याख्यान किया जाएगा जिसके लिए कि वह उपक्रम संबद्ध धारा के स्पष्ट उपबंधों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निबंधनानुसार न्यायोचित रूप से मात्र इस आधार पर हकदार है कि अनुतोष की गणना करने के लिए विहित नियम इस धारा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ नियोजित पूंजी की संगणना करने में उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो उक्त धारा में किए गए स्पष्ट तथा निसंदिग्ध उपबंधों के आधार से धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष के लिए अर्हता प्राप्त करता है, उसे संसक्त नियम के कारण अनुतोष प्रदान किए जाने से प्रत्याख्यान किया जाएगा क्योंकि उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करने वाले नियम के आधार पर संगणना किए जाने पर कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा। चूंकि यह उपधारा सुस्पष्ट शब्दों में यह उपबंध करती है कि धारा 80-ञ ऐसे उपक्रम को लागू होगी तो इस धारा के अधीन उपक्रम को दिए जाने वाले आशयित फायदे को ऐसे उपक्रम को प्रदान किए जाने से किसी भी ऐसे नियम द्वारा प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है जो कि स्पष्टतः स्पष्ट तथा निःसंदिग्ध कानूनी उपबंधों को नकारात्मक बनाने का प्रभाव रखता है।

45. श्री पालकीवाला की यह दलील कि 'नियोजित पूंजी' कला संबंधी पद है और वह प्रायिक रूप से कारबार की भाषा में और वाणिज्यिक क्षेत्रों में एवं वाणिज्यिक लेखाकरण में भी इन्हीं अर्थों में समझा जाता है, उसके अंतर्गत न केवल स्वामी की पूंजी आती है बल्कि उधार ली गई पूंजी भी उसमें शामिल है, विशेष रूप से यदि उधार दीर्घावधि के आधार पर लिया गया हो तो मेरे विचार में इसमें पर्याप्त बल विद्यमान है। यह सही हो सकता है कि किसी भिन्न संदर्भ में, और विशिष्ट रूप से पूंजी के प्रतिफल के संदर्भ में, 'नियोजित पूंजी' के अंतर्गत उधार ली गई पूंजी शामिल न हो। जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, और पूंजी के प्रतिफल की दशा के सिवाय, 'नियोजित पूंजी' पद साधारण अर्थों में इस रूप में समझा जाता है कि उसके अंतर्गत उधार ली गई पूंजी भी शामिल है। यह ऐसी पूंजी के प्रति निर्देश करता है चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, जिसका नियोजन किसी प्रक्रम में अथवा किसी उपक्रम में उस कारबार को चलाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोजन लाभों और अभिलाभों को उपार्जित करना हो।

46. प्रस्तुत मामले में 'नियोजित पूंजी' शब्दों को उस संदर्भ में समझना होगा और उसी में उसका निर्वचन करना होगा जिसमें कि धारा 80-ञ में उनका उपयोग किया गया है। यह धारा के पाठ से सर्वथा स्पष्ट है कि 'नियोजित पूंजी' शब्दों का उपयोग ऐसी पूंजी के संदर्भ में किया गया है जो उपक्रम में सुसंगत वर्ष के दौरान उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्पन्न करने हेतु नियोजित की गई है। यदि उधार ली गई पूंजी को भी उपक्रम में नियोजित किया जाता है तो नियोजित पूंजी में निश्चित रूप से तथा स्पष्टत: ऐसी उधार ली गई पूंजी अंतर्विष्ट होगी जो उपक्रम में नियोजित की गई है और इसका अभिदाय उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों के प्रति किया गया है। इसलिए मेरे विचार में समुचित निर्वचन किए जाने पर धारा 80-ञ स्पष्ट भाषा के रूप में यह आधार-तत्त्व प्रस्तुत करती है कि उपक्रम में नियोजित पूंजी में स्वयं अपनी पूंजी और सुसंगत वर्ष में उपक्रम में नियोजित उधार ली गई पूंजी भी शामिल है और यह धारा साधारण रूप से तथा सुस्पष्ट रूप से संसद् के इस आशय को सुव्यक्त रीति से स्पष्ट बनाती है।

47. चूंकि यह धारा स्पष्ट तथा निसंदिग्ध है, अत: निस्सन्देह यह समुचित तथा आवश्यक नहीं है कि इसका अर्थान्वयन करने के लिए किसी अन्य विचार्य विषय के प्रति निर्देश किया जाए। किन्तु यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि यह निर्वचन न केवल सर्वोत्तम अर्थ प्रस्तुत करता है बल्कि यह स्पष्टत: उस उद्देश्य को भी अग्रसर करता है जिसके लिए कि यह धारा समाविष्ट की गई है। मेरे विचार में, धारा 80-ञ जो कि वस्तुत: उस पूर्ववर्ती धारा 84 को प्रतिस्थापित करती है जिसके द्वारा पूर्ववर्ती इन्कम टैक्स ऐक्ट की धारा 15-ग का स्थान ग्रहण किया गया था, कर प्रोत्साहन अथवा कर अनुतोष उपलभ्य करके नवीन औद्योगिक उपक्रमों के स्थापित किए जाने को प्रबल बनाती है और उसे प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य स्पष्टत: व्यक्तियों को यह प्रोत्साहन प्रदान करना है जिससे कि वे ऐसे उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर कर संबंधी अनुतोष अनुदत्त करके इस धारा के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों की बाबत प्रोत्साहन उपलभ्य करके देश भर के द्रुत औद्योगिकीकरण के लिए नवीन औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित कर सके।

48. **टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन** बनाम **आय-कर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने धारा 15-ग में समरूप उद्देश्य के उद्देश्य पर विचार करते समय, पृष्ठ 202 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया था—

> "धारा 15-ग का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल, 1948 से 13 वर्ष की कालावधि के भीतर कर का प्रोत्साहन देकर नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। धारा 15-ग में नव-स्थापित उपक्रमों को उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट पांच वर्षों के लिए

---

[1] [1978] 1 उम० नि० प० 1039=(1977) 107 आई० टी० आर० 195.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लाभों पर कर से आंशिक छूट देने के लिए उपबंध किया गया है। यह धारा टैक्सेशन लॉज (एक्सटेन्शन टू मर्ज्ड स्टेट्स एण्ड अमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, 1949 (1949 का 67) की धारा 13 द्वारा सन् 1949 में अधिनियम में अंतःस्थापित की गई थी जिसके द्वारा पूर्वतर तारीख से अर्थात् 1 अप्रैल, 1948 से प्रारंभ वस्तुओं के वास्तविक विनिर्माण या उत्पादन को इसका लाभ विस्तारित कर दिया गया था। सन् 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् चहुं ओर से व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 15-ग के अंतःस्थापन के लिए यही पृष्ठभूमि थी।

यह भी महत्वपूर्ण है कि छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या की सीमा क्रमशः सन् 1949 में आरंभिक तीन वर्ष से सन् 1953 से 6 वर्ष तक, सन् 1954 में सात वर्ष तक, सन् 1956 में 13 वर्ष तक और सन् 1960 में 18 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। सन् 1949 में पुरःस्थापित प्रोत्साहन को तब से आगे बढ़ाया जा रहा है और उसका मात्र उद्देश्य यही है जिसका हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है।"

49. **राजपालयम मिल्स लिमिटेड** बनाम **आय-कर आयुक्त, मद्रास**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने भी पृष्ठ 783 पर यह अभिनिर्धारित किया था—

"आधुनिक समाज में आय-कर विधि का आशय विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति है। प्रायः इसका प्रयोग आर्थिक अनुवृद्धि और विकास को गति देने के साधन के रूप में किया जाता है। धारा 15-ग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 में पुरःस्थापित किया गया उपबंध है और इसका आशय देश में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है।"

50. देश के व्यापक हितों में देश की आर्थिक प्रकृति संबंधी द्रुत उद्योगीकरण इस धारा का मुख्य उद्देश्य है जो कि ऐसे नवीन औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन अथवा कर संबंधी अनुतोष प्रदान करने की ईप्सा करता है जो इस धारा की अध्यपेक्षाओं को पूरा करती है।

51. मेरे विचार में विद्वान् महा अटर्नी की यह दलील कि धारा में

---

[1] [1979] 4 उम० नि० प० 247=(1978) 115 आई० टी० आर० 777.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अंतर्विष्ट उपबंध, जिसके द्वारा यह अध्यपेक्षा की गई है कि नियोजित पूंजी की गणना विहित रीति में की जाएगी, नियम बनाने वाले प्राधिकारी को इस बारे में प्राधिकृत करती है कि वह नियमों में समुचित उपबंध करके अपने विवेकाधिकार पर उधार ली गई पूंजी को अंतर्विष्ट अथवा अपवर्जित कर सके क्योंकि उक्त धारा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी की संगणना हेतु नियोजित पूंजी के किसी भाग का अपवर्जित किया जाना स्पष्टतः अमान्य है। यह धारा मात्र यह व्यादेश करती है कि नियोजित पूंजी की संगणना विहित रीति में की जाएगी और नियोजित पूंजी की संगणना संबंधी रीति नियम बनाने वाले प्राधिकारी को केवल इस बारे से प्राधिकृत करती है कि वह धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियोजित पूंजी की संगणना की बाबत व्यौरों पर विचार करे और संगणना संबंधी रीति की बाबत उपबंध नियम बनाने वाले प्राधिकारी को इस बारे में सशक्त अथवा प्राधिकृत करती है कि वह यह अधिकथित कर सके कि नियोजित पूंजी का कौन-सा भाग अथवा उसका कितना हिस्सा अंतर्विष्ट अथवा अपवर्जित किया जाएगा और यदि उसका कोई विस्तार हो तो वह क्या होगा। यह प्रश्न कि क्या अनुतोष के अनुदत्त किए जाने पर विचार करने संबंधी विषय में ऐसा कोई अपवर्जन अथवा अंतर्वेशन होना चाहिए, आवश्यक रूप से एक ऐसी नीति है जिसका विनिश्चय विधानमण्डल द्वारा किया जाना होता है और वह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाएगा। आय-कर अधिनियम की धारा 295, जो ऐसी शक्ति प्रदत्त करती है, में अंतर्विष्ट उपबंध के निबंधनानुसार नियम बनाने वाले प्राधिकारी की शक्ति अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों के विरचित किए जाने पर्यन्त सीमित है। नियम बनाने वाला प्राधिकारी ऐसा कोई नियम विहित करने के लिए सक्षम नहीं है जो स्वयं अधिनियम के अधिष्ठायी उपबंध की प्रकृति का होगा और अधिक विशिष्ट रूप में जो स्वयं धारा के अधिष्ठायी उपबंध से मतभेद रखेगा तथा जो किसी भी रीति में उस प्रयोजन को निष्फल अथवा विफल बनाएगा जिसके लिए उस अधिनियम में विद्यमान कोई उपबंध अधिनियमित किया गया है। प्रस्तुत मामले में धारा 80-ञ के अर्थान्वयन के संबंध में मेरी यह स्पष्ट राय है कि उक्त धारा असंदिग्ध रूप से तथा स्पष्ट निबंधनों के अनुसार यह उपबंध करती है कि उपक्रम के लाभों को उपार्जित करने के लिए नियोजित पूंजी ऐसी पूंजी है जो कि अनुतोष के फायदे की हकदार है। धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष की संगणना के लिए विहित नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा इन नियमों में उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित रखा गया है जो कि कानून के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबंधों से विसंगत तथा उसके अल्पीकरण में है। उक्त नियम न केवल उक्त धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने में असफल रहता है बल्कि वह वस्तुतः उसे निष्फल बनाने की प्रवृत्ति रखता है और यह नियम स्पष्टतः कानून के उपबंधों के प्रतिकूल है। अतः, उधार ली गई पूंजी के बारे में निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाना होगा कि उसे अपवर्जित करने वाला नियम विधिविरुद्ध तथा अविधिमान्य है।

52. श्री पालकीवाला की यह दलील कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा विरचित कोई ऐसा नियम जो उपक्रम में नियोजित पूंजी के किसी भाग को अन्तर्विष्ट अथवा अपवर्जित करता हो, किसी मार्गदर्शक सिद्धान्त के अभाव में, मेरे विचार में स्पष्ट रूप से नियम बनाने वाले प्राधिकारी की शक्ति से बाहर होगा और साधार नियम है। स्वयं धारा में अथवा अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में यह प्रतीत नहीं होता है कि उसमें ऐसा कोई उपबंध किया गया है जो किसी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त को अधिकथित करता हो जिसके नियम बनाने वाले प्राधिकारी को इस बात के लिए हकदार बनाया जा सके कि वह नियोजित पूंजी के किसी भाग को अपवर्जित कर सके, चाहे वह उधार ली गई पूंजी हो अथवा स्वयं उपक्रम की पूंजी। इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत विद्यमान नहीं है। मेरे विचार में अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत संभवतः हो भी नहीं सकता था क्योंकि स्वयं धारा स्पष्ट रूप से यह उपबंध करती है कि लाभों को उपार्जित करने के लिए नियोजित पूंजी की समस्त रकम अनुतोष के लिए अर्हित होगी। यदि यह अभिनिर्धारित कर दिया जाए कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी उपक्रम में नियोजित पूंजी के किसी भाग को अपवर्जित करने की ऐसी शक्ति 'विहित रीति में नियोजित पूंजी की संगणना' करने की बाबत इस धारा में विद्यमान उपबंध के कारण, धारण करता है, तो निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाना आवश्यक है कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी धारा के उपबंध के प्रतिकूल नियम विरचित करने संबंधी शक्ति का उपभोग करता है। इसके अतिरिक्त, निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के अनुसार स्वामी की संपूर्ण पूंजी अथवा किसी भाग को अपवर्जित करने की शक्ति धारण करता है और साथ ही साथ वह उधार ली गई पूंजी की संपूर्ण रकम अथवा उसके किसी भाग को भी अपवर्जित कर सकता है। इस निर्वचन से यह अभिप्रेत होगा कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी को ऐसी असरणीबद्ध शक्ति उपलभ्य होगी जिसे कि वह प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार के अनुसार और किसी मार्गदर्शक सिद्धांत के अभाव में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियोजित पूंजी के किसी भाग अथवा उसकी संपूर्ण रकम को अपवर्जित करने का हकदार होगा, भले ही उसका विस्तार स्वयं धारा को नकारात्मक ही क्यों न बना दे। इस निर्वचन का प्रभाव ऐसी सीमा पर्यन्त नियम बनाने वाले प्राधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन को न्यायोचित ठहराने के रूप में होगा जिसे अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी किसी ऐसी शक्ति अथवा अधिकारिता को धारण नहीं करता है। अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंध तथा स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत के अभाव में ऐसी कोई शक्ति अथवा अधिकारिता नियम बनाने वाले प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती थी।

53. **विक्रय-कर अधिकारी** बनाम ए० एस० **अब्राहम**[1] वाले मामले में इस न्यायालय को केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में आई 'विहित रीति में' शब्दावली के अभिप्राय का अर्थान्वयन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सैण्ट्रल सेल्स टैक्स (केरल) रूल्स, 1967 के नियम 6 की शक्तिमत्ता पर विचार करते हुए, जहां तक कि उक्त नियम में ऐसी समय-सीमा विहित की जाना तात्पर्यित है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा घोषणा फाइल की जानी थी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था—

> "हमारी राय में, अधिनियम की धारा 8(4) में आई 'विहित रीति में' शब्दावली नियम बनाने वाले प्राधिकारी पर केवल यह शक्ति प्रदत्त करती है कि वह कोई ऐसा नियम विहित कर सके जिसमें यह कथन किया गया हो कि विहित प्ररूप में किन विशिष्टियों को वर्णित किया जाएगा, बेचे गए माल की प्रकृति तथा उसका मूल्य क्या होगा, किन पक्षकारों को वे बेचे जाएंगे तथा उक्त प्ररूप किस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु धारा 8(4) में 'विहित रीति में' शब्दावली के अंतर्गत समय संबंधी तत्व नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, यह धारा नियम बनाने वाले प्राधिकारी को इस बारे में प्राधिकृत नहीं करती है कि वह ऐसी समय सीमा विहित करे जिसके अंतर्गत घोषणा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा फाइल करनी होगी। जो दृष्टिकोण हमने अपनाया है, उसका समर्थन अधिनियम की धारा 13(4)(छ) की भाषा द्वारा किया गया है; उक्त धारा में यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार 'उस समय की बाबत

[1] [1967] 3 एस० सी० आर० 518.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिसके भीतर, उस रीति की बाबत जिसमें कि और उन प्राधिकारियों की बाबत जिनको किसी कारबार के स्वामित्व में कोई परिवर्तन अथवा किसी व्यवहारी द्वारा किए जाने वाले किसी कारबार संबंधी नाम, स्थान या प्रकृति का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा', नियम बना सकती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विधानमण्डल को इस तथ्य का भान था कि 'विहित रीति में' अभिव्यक्ति द्वारा केवल उस परिपाटी को सूचित किया जाएगा जिसमें कि कोई कार्य किया गया था और यदि उक्त कार्य के किए जाने के लिए कोई समय-सीमा विहित की जानी थी, तो 'वह समय जिसके भीतर' कार्य के किए जाने की बाबत ऐसे विनिर्दिष्ट शब्दों को कानून में अंतःस्थापित किया जाना भी आवश्यक होगा।"

उटाह कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम **पटाकी**[1] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने पृष्ठ 653-654 पर निम्नलिखित संप्रेक्षण किया था—

"माननीय न्यायाधिपति अब धारा 22(2)(जी)(iv) और (v) पर आते हैं। उप-पैरा (iv) सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह 'उत्खनन संबंधी कार्य···को कार्यान्वित करने की रीति के संबंध में' विनियम बना सके। विनियम 98 के सुसंगत प्रभाग में यह उपबंध किया गया है कि 'प्रत्येक परिवहन तथा सुरंग में पूर्णतः संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उसे उसमें नियोजित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा'। 'कार्य को कार्यान्वित करने संबंधी रीति' अभिव्यक्ति में स्पष्टतः कार्यकरण संबंधी प्रणाली की परिकल्पना की गई है और माननीय न्यायाधिपतियों के दृष्टिकोण से इसके द्वारा कोई ऐसा विनियम न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जो परिवहन तथा सुरंग के संरक्षण के लिए आत्यंतिक कर्तव्य अधिरोपित करता हो अथवा परिवहन या सुरंग में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए आत्यंतिक कर्तव्य बनता हो। विनियम 98 के सुसंगत प्रभाग में संबद्ध कार्य करने की रीति विहित नहीं की गई है, इसलिए उप-पैरा (iv) माननीय न्यायाधिपतियों की राय में विनियम 98 के सुसंगत प्रभाग के विरचित किए जाने को सशक्त नहीं बनाता है।"

---

[1] (1965) 3 आल इंग्लैण्ड लॉ रिपोर्ट्स 650.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

54. यह प्रस्थापना है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी को कानून में किसी अधिष्ठायी उपबंध का अधिक्रमण करने संबंधी कोई शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है, निर्विवाद प्रतीत होती है। आय-कर अधिनियम की धारा 295(1) के आधार से नियम बनाने वाले प्राधिकारी को इस बारे में सशक्त किया गया है कि वह अधिनियम तथा उपधारा (2) के प्रयोजनों को कार्यरूप देने के लिए जो कि विनिर्दिष्ट रूप से यह विनिर्देश करती है कि ऐसे नियमों में उक्त उपधारा में वर्णित सभी विषयों अथवा उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकता है, धारा 80-ञ के प्रति कोई निर्देश नहीं करती है। नियोजित पूंजी की संगणना संबंधी रीति विहित करते समय नियम बनाने वाला प्राधिकारी स्वयं धारा में किसी ऐसे विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में अथवा किसी कानूनी उपबंध के अभाव में, संगणना संबंधी रीति को विहित करने की प्रक्रिया के परिवेश के अधीन अपने विवेकाधिकार पर उपक्रम में नियोजित समस्त पूंजी या उसके किसी भाग को अपवर्जित नहीं कर सकता है।

55. विद्वान् महा अटर्नी की यह दलील निस्सार है कि चूंकि कोई उपक्रम, जो उधार ली गई पूंजी को नियोजित करता है, इस कारण अनुतोष ग्रहण करता है कि लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज को गणना में सम्मिलित किया जाता है, अतः नियम बनाने वाला प्राधिकारी नियोजित पूंजी की संगणना की रीति विहित करते समय उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करने का हकदार होगा ताकि उक्त उपक्रम को दोहरा अनुतोष अनुदत्त किए जाने से बचा जा सके। किसी उपक्रम द्वारा, चाहे वह धारा 80-ञ के अन्तर्गत उपक्रम हो या न हो, उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज को कारबार के खर्च के रूप में गणना में लिया जाता है, जब किसी उपक्रम के लाभों और अभिलाभों की संगणना की जाती है। यह प्रत्येक उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों की संगणना करने संबंधी विहित पद्धति है और यह किसी उपक्रम के लिए कोई विशेष फायदे का स्वरूप नहीं है और निस्सन्देह यह किसी ऐसे नवीन उपक्रम को कोई प्रोत्साहन अथवा विशेष अनुतोष प्रदत्त नहीं करता है जिसे निश्चित रूप से धारा 80-ञ की परिधि के अन्तर्गत आने वाले किसी उपक्रम को अनुदत्त किए जाने के लिए आशयित अनुतोष का हकदार बनने के लिए धारा 80-ञ में अधिकथित अपेक्षित शर्तों को पूरा करना होता है। चाहे जो भी हो, ऐसा अन्तर्वेशन अथवा अपवर्जन किसी भी विचार्य विषय के आधार पर नीति संबंधी ऐसा विषय होगा जिसका अवधारण विधानमण्डल द्वारा किया जाएगा, न कि यह कोई ऐसा विषय होगा जो नियम बनाने वाले प्राधिकारी के लिए संगणना की पद्धति विहित करते समय अधिकथित करना होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

56. **सेंचुरी एनका लिमिटेड** बनाम **आय-कर अधिकारी**[1] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का विनिश्चय, **मद्रास इण्डस्ट्रियल लाइनिंग्ज लिमिटेड बनाम आय-कर अधिकारी**[2] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का विनिश्चय, **कोटा बाक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी** बनाम **आय-कर अधिकारी**[3] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विनिश्चय (पृष्ठ 638), **गणेश स्टील इण्डस्ट्रीज** बनाम **आय-कर अधिकारी**[4] वाले मामले में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का विनिश्चय, **वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड** बनाम **आय-कर अधिकारी**[5] वाले मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का विनिश्चय, जिसके अन्तर्गत उस विस्तार पर्यन्त नियम को धारण किया गया है जहां तक कि वह धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी की संगणना करते समय उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है, अविधिमान्य होगा—ये सभी विनिश्चय सही हैं और मुझे इन विनिश्चयों को कायम रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। **आय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश-2** बनाम **आनंद बाहरी स्टील एण्ड वायर प्रोडक्टस**[6] वाले मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय-द्वारा अभिव्यक्त तत्प्रतिकूल दृष्टिकोण निश्चित रूप से त्रुटिजनक मानना होगा।

57. यहां इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया था कि उक्त नियम मुख्यतः इस आधार पर विधिमान्य है कि यह नियम पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 15-ग के अधीन जो कि तत्पश्चात् धारा 80-ञ द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई थी, लम्बे अर्से तक अस्तित्वशील रहा था और संसद् को निश्चित रूप से इस बात का भान उस समय रहा होगा जबकि वह धारा 80-ञ को अधिनियमित कर रही थी कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा विरचित नियम अस्तित्वशील था और वह कोई आक्षेप किए बिना दीर्घ-कालावधि पर्यन्त अस्तित्वशील बना रहा। इसलिए यह विनिश्चय इस आधार पर अग्रसर होता है कि संसद् ने नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्वचन को उस समय स्वीकार किया होगा जबकि संसद् धारा 80-ञ को अधिनियमित कर रही थी। यह विनिश्चय इस तथ्य को विचारगत नहीं करता कि नियम बनाने वाले

---

1 (1977) 107 आई० टी० आर० 123.
2 (1977) 110 आई० टी० आर० 256.
3 (1980) 123 आई० टी० आर० 638.
4 (1980) 126 आई० टी० आर० 258.
5 (1982) 134 आई० टी० आर० 158.
6 (1982) 133 आई० टी० आर० 365.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राधिकारी द्वारा जो निर्वचन किया गया था, वह संपूर्ण काल में समान रूप में बना रहा है और उसमें समय-समय पर परिवर्तन आते रहे हैं और नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने कतिपय वर्षों में उधार ली गई पूंजी के कतिपय वर्गों के बारे में यह अनुज्ञात किया होगा कि उन्हें अनुतोष के प्रयोजनार्थ नियोजित पूंजी की संगणना करते समय हिसाब में लिया जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का विनिश्चय भी इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देता कि क्या वह नियम जो कि किसी कानूनी उपबंध अथवा मार्गदर्शक सिद्धान्त के अभाव में नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर उधार ली गई पूंजी को अन्तर्विष्ट अथवा अपवर्जित करता है, प्राधिकार के अन्यायोचित अतिशय प्रत्यायोजन के कारण विधिविरुद्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह विनिश्चय धारा 80-ञ में स्पष्टत: अभिव्यक्त संसद् के आशय से उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करने वाला नियम क्या उससे सुसंगत है। इस प्रश्न को विनिश्चित करने से पूर्व उसने संसद् के वास्तविक आशय का सही रूप से पता लगाने के लिए धारा 80-ञ का अर्थान्वयन करने का प्रयत्न नहीं किया है।

58. मेरी राय में, किसी अविधिमान्य नियम का अस्तित्व मात्र, जिसके विरुद्ध कि पर्याप्त समय पर्यन्त कोई आक्षेप न किया गया हो, नियम की विधिमान्यता के प्रश्न को प्रभावित नहीं करता है और वह अन्यथा अविधिमान्य किसी नियम को मात्र इस आधार पर विधिमान्य नहीं बना सकता है कि उक्त नियम कई वर्षों तक किसी आक्षेप के बिना अस्तित्वशील रहा था। **प्रोप्राइटरी आर्टिकल्स ट्रेड एसोसिएशन** बनाम **अटर्नी जनरल फार कनाडा**[1] वाले मामले में न्यायिक समिति ने एक कानून अर्थात् कंबाइन्स इन्वेस्टिगेशन ऐक्ट आर० एस० कनाडा 1927, खण्ड 26 की विधिमत्ता पर विचार करते समय जो कि कनाडा की संसद् द्वारा पारित किया गया था, पृष्ठ 317 पर निम्नलिखित संप्रेक्षण किया—

> "अधिनियम तथा धारा दोनों का विधायी इतिवृत्त है जो कि इस विचार-विमर्श के लिए सुसंगत है। माननीय न्यायाधिपतियों को इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि समय मात्र किसी ऐसे अधिनियम को विधिमान्य नहीं बना देगा जिस पर कि आक्षेप किए जाने पर यह पाया जाता है कि वह अधिकारातीत है; और न ही तब तक जब तक कि सीमा-रेखा को अन्तिम रूप से पार नहीं कर लिया जाता, प्रगतियों की क्रमिक शृंखला का इतिवृत्त अन्तिम अधिक्रमण का संरक्षण प्राप्त करने के लिए लाभप्रद होगा।"

---

[1] (1931) अपील केसेज 310.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कैंपबेल कालेज बैल्फास्ट (गवर्नर्स) बनाम **कमिश्नर आफ वैल्युएशन फार नार्दर्न आयरलैंड**[1] वाले मामले में लार्ड सदन ने उत्तरी आयरलैंड में पब्लिक स्कूल को फीस का संदाय करके करों के संदाय की विधिमान्यता पर विचार करते समय, जो कि पिछले 132 वर्षों से अस्तित्वशील बना हुआ है, वैल्युएशन (आयरलैण्ड) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1954 की धारा 2 के निबंधनों के बावजूद पृष्ठ 941-942 पर यह अभिनिर्धारित किया था—

> "माननीय न्यायाधिपतियों, मेरे विचार में मैं उस सिद्धान्त को किसी कानून को लागू करने में असमर्थ हूं यद्यपि वह 100 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व पारित किया गया था, किन्तु इसकी भाषा साधारण तथा निःसंदिग्ध है और इसका अनुचित अर्थ तब तक नहीं किया गया था जब तक कि अलैग्जेंडर कालेज़ वाले मामले में 60 वर्ष पश्चात् विनिश्चय दिया गया था। यह सही है कि फीस का संदाय करने वाले विद्यालय सदैव धारा 2 के अनुसार करों का संदाय करते रहे थे किन्तु 1914 पर्यन्त इसका कारण यह नहीं था कि यह उपधारणा की गई थी कि धारा 2 संबद्ध उपबंध द्वारा नियंत्रित थी और यह कि पूर्त प्रयोजन सीमित अर्थ धारण करते थे। हो सकता है कि यह समझा गया हो कि यदि कुछेक विद्यार्थी फीस का संदाय करने वाले विद्यार्थी हैं तो 1852 वाले अधिनियम की धारा 16 की पूर्ति नहीं होती थी। वह दलील अब अमान्य हो गई है और जैसा कि लार्ड जस्टिस ब्लैक ने अपने निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में उल्लेख किया था, कैंपबेल कालेज स्पष्टतः इस प्रयोजनार्थ एक पूर्त संस्थान है। माननीय न्यायाधिपतियों, इन परिस्थितियों में मैं इस दीर्घ अप्रश्नास्पद संदाय को कोई भी महत्त्व नहीं दे सकता जबकि मैं धारा 2 का अर्थान्वयन कर रहा हूं। मेरे विचार में यह सिद्धान्त इस मामले की परिस्थितियों को कदाचित लागू नहीं होता है।"

यह भी सुस्थिर है कि यद्यपि नियम संसद् के समक्ष अधिकथित किया जा चुका है, और संसद् का एक ऐसा संकल्प है जो कि इन नियमों को अनुमोदित करता है, तथापि इन नियमों की विधिमान्यता को न्यायालय द्वारा घोषित किया जाएगा और न्यायालय किसी भी ऐसे नियम को घोषित कर सकता है जो कि संसद् के समक्ष रखा गया हो तथा संसद् द्वारा अधिनियम के अधिकारातीत तथा अविधिमान्य रूप में अनुमोदित किया गया हो। **केरल**

---

[1] (1964) 1 डब्ल्यू० एल० आर० 912.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

राज्य विद्युत बोर्ड बनाम **इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पृष्ठ 576 पर यह अभिनिर्धारित किया था—

> "भारत में संसद् और राज्य विधानमण्डलों के बहुत से कानूनों में उन कानूनों के उपबंधों के अधीन सहायक विधान बनाए जाने का उपबंध होता है और उन्हें संसद् या राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखने का उपबंध होता है और वे यथा-स्थिति संसद् या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए जाने पर उपान्तरण, संशोधन या बातिलीकरण के अधीन होते हैं। ऐसा होने पर भी हमारा यह विचार नहीं है कि जहां किसी कार्यपालक प्राधिकारी को वर्णित सीमाओं के भीतर सहायक विधान बनाने की शक्ति होती है तो यदि ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, नियम बनाने की शक्ति के व्याप्ति-क्षेत्र से परे हों, तो उन्हें केवल इस कारण ही विधिमान्य समझा जाना चाहिए कि ऐसे नियम विधानमण्डल के समक्ष रखे गए और वे विधानमण्डल द्वारा यथा-स्थिति उपांतरण, संशोधन या बातिलीकरण के अधीन समझे गए थे। ऐसे संशोधन, उपांतरण या बातिलीकरण की प्रक्रिया वैसी ही नहीं है जैसी कि विधान बनाने की प्रक्रिया है और विशेष रूप से इसमें यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की अनुमति का अभाव होता है। अतः हमारी राय है कि सही दृष्टिकोण यह है कि अधीनस्थ विधान संसद् या राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने के बावजूद और ऐसे उपांतरण, बातिलीकरण या संशोधन के अध्यधीन होते हुए भी, जैसा कि वे करना चाहें, अधीनस्थ विधान को तब तक विधिमान्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह कानून में उपबंधित नियम बनाने की शक्ति के व्याप्ति-क्षेत्र के भीतर न हो।"

59. उक्त नियम का अन्य आक्षेपकृत उपबंध जो यह विहित करता है कि नियोजित पूंजी की संगणना वर्ष के प्रथम दिन को नियोजित पूंजी के आधार पर की जानी चाहिए, निश्चित रूप से धारा का समुचित अर्थान्वयन किए जाने पर, अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया जाएगा। इस धारा में स्पष्टतः यह उपबंध किया गया है कि अनुज्ञात की जाने वाली कटौती की संगणना निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत विहित रीति में की जाएगी। अनुज्ञात की जाने वाली कटौती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत सुसंगत वर्ष में उपार्जित उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों के आधार

---

[1] [1976] 1 उम० नि० प० 1331-1378=[1976] 1 एस० सी० आर० 552.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर होगी। ऐसे लाभ तथा अभिलाभ जो कि हिसाब में लिए जाने हैं, ऐसे लाभ तथा अभिलाभ हैं जो सुसंगत वर्ष में उपार्जित किए गए हैं और उस वर्ष से निश्चित रूप से संपूर्ण वर्ष अभिप्रेत है और वह उसके अन्तर्गत आता है, न कि उस वर्ष के कुछ दिन अथवा कुछ महीने। निश्चित रूप से संपूर्ण वर्ष के दौरान लाभों और अभिलाभों को उपार्जित करने के लिए नियोजित पूंजी वह पूंजी होगी जो कि संबद्ध धारा के फायदे की हकदार है। वर्ष के प्रथम दिन को नियोजित पूंजी संपूर्ण सुसंगत वर्ष के लाभों को उत्पन्न नहीं करती जब तक कि संपूर्ण वर्ष के दौरान पूंजी की ठीक समान रकम नियोजित बनी रहती है। ऐसा प्राय: नहीं होता और चाहे जो भी हो, ऐसा कदाचित नहीं होगा। इसलिए नियोजित पूंजी की संगणना की तारीख मानी जाने के लिए वर्ष के प्रथम दिन को विहित करके संपूर्ण वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी का नियम द्वारा उस फायदे के प्रदान किए जाने की ईप्सा का प्रत्याख्यान होगा जिसके लिए कि वह इस धारा के अधीन हकदार है। इसलिए यह उपबंध स्पष्टत: कानून के विनिर्दिष्ट उपबंध के प्रतिकूल तथा उसके विसंगत है क्योंकि किसी वर्ष के लिए नियोजित पूंजी की संगणना की तारीख के रूप में वर्ष का प्रथम दिन नियत करके नियम बनाने वाला प्राधिकारी उस फायदे के प्रदत्त किए जाने से प्रत्याख्यान करने की ईप्सा कर रहा है जो कि कानून द्वारा प्रदत्त किया गया है।

60. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने **वारनर हिन्दुस्तान लिमिटेड और एक अन्य बनाम आय-कर अधिकारी और अन्य**[1] वाले मामले में इस प्रश्न पर विचार करते हुए **सेंचुरी एनका लिमिटेड** बनाम **आय-कर अधिकारी**[2] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विनिश्चय के प्रति निर्देश किया है, जो कि इसी मुद्दे की बाबत है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के विनिश्चयों के साथ सहमति प्रकट करते हुए, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पृष्ठ 195 पर यह अभिनिर्धारित किया है—

> "जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति द्वारा सेंचुरी एनका लिमिटेड **बनाम** आयकर अधिकारी (1977) 107 आई० टी० आर० 123 वाले मामले में संप्रेक्षण किया गया था, जिस मुख्य विचार्य विषय पर इस प्रश्न का समाधान किया जाना है, वह (पृष्ठ 132) यह है कि 'क्या उस प्रयोजन पर ध्यान देते हुए जिसके लिए कि अधिनियम की धारा 80-ञ के उपबंधों को

---

[1] (1982) 134 आई० टी० आर० 158.
[2] (1977) 107 आई० टी० आर० 123.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्तःस्थापित किया गया था, विधायी आशय यह था कि किसी भी रीति में नियोजित पूंजी को निर्बन्धित किया जाए ताकि उसे संगणना कालावधि के प्रथम दिन पर्यन्त सीमित रखा जा सके ।' जहां तक धारा 80-ञ का सबंध है, इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं किया गया है। इसके अलावा, किसी औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी की ऐसी संगणना उपक्रम के प्रयोजन को ही निष्फल बना देगी और उससे अनुपयुक्त तथा विषम परिणाम निकलेंगे । जबकि ऐसी निर्धारिती जिसने पहले ही दिन किसी औद्योगिक उपक्रम में पूंजी नियोजित की हो, किन्तु वर्ष के अधिकतर भाग में प्रत्याहृत कर लिया हो, पूर्ण फायदे के लिए हकदार होगा, कोई ऐसा निर्धारिती जिसने प्रथम दिन को पूंजी नियोजित न की हो, किन्तु उसे पूर्ववर्ती वर्ष के अधिकतर भाग के दौरान नियोजित रखा हो, ऐसे फायदे से वंचित रहेगा । यदि अधिनियम का आशय किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम के लिए कर से छूट देना है, जिससे कि उन्हें अपने आधारों का पता चलाने में सहायता प्रदान की जा सके, तथा व्यवसासियों को नवीन उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके एवं देश में द्रुत गति से औद्योगिक प्रगति के लिए रास्ता निकाला जा सके तो उस प्रयोजन की पूर्ति न हो पाएगी । वस्तुतः, वह ऐसी दशा में निष्फल हो जाएगा जिसमें कि नियोजित पूंजी की संगणना, संगणना कालावधि के प्रथम दिन के प्रति निर्देश से की जाती है और निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत संगणित नहीं की जाती ।"

61. कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों ने ही नियम के इस भाग को, जो कि धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए नियोजित पूंजी की संगणना करने के लिए वर्ष के प्रथम दिन को नियत किया है, अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया है। मुझे कलकत्ता उच्च न्यायालय के तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इस प्रश्न संबंधी विनिश्चय को कायम रखने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती ।

62. अब मैं 1980 के वित्त अधिनियम सं० 2 द्वारा अन्तःस्थापित धारा 80-ञ के संशोधन की विधिमान्यता के बारे में अन्य प्रश्न पर विचार प्रारंभ करूंगा । उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करने वाले नियम में अन्तर्विष्ट उपबंध का संशोधन तथा धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष के प्रयोजनार्थ नियोजित पूंजी की संगणना करने के लिए वर्ष के प्रथम दिन का नियत किया जाना स्वयं इस धारा में 1-4-1972 से लेकर भूतलक्षी प्रभाव से समाविष्ट कर लिए गए हैं ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

63. कतिपय निर्धारितियों की ओर से इसके भविष्यलक्षी तथा भूतलक्षी दोनों प्रवर्तनों संबंधी संशोधन पर आक्षेप किया गया है। डा० डी० पाल ने, जिनका समर्थन एक अन्य विद्वान् काउन्सेल द्वारा किया गया था, हमारे समक्ष मुख्य रूप से भूतलक्षी प्रवर्तन सबंधी पहलू पर विचार-विमर्श किया था जबकि वे भूतलक्षी प्रवर्तन की बाबत श्री पालकीवाला की दलीलों की अनुपूर्ति तथा समर्थन कर रहे थे। श्री पालखीवाला ने, जो कि निर्धारितियों की ओर से प्रधान अभिभाषक रहे हैं, अपने आक्षेप को संशोधन की विधिमान्यता के संबंध में मुख्य रूप से भूतलक्षी भाग पर्यन्त सीमित रखा, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भविष्यलक्षी प्रवर्तन की विधिमान्यता को स्वीकार करने नहीं जा रहे थे।

64. प्रथमतः मैं डा० पाल की दलील पर विचार करना चाहूंगा। यदि डा० पाल की यह दलील कि संपूर्ण संशोधन अविधिमान्य है, स्वीकार कर ली जाती है तो श्री पालकीवाला की यह दलील कि उक्त संशोधन, जहां तक कि उसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, भी विधि-विरुद्ध है, निश्चित रूप से सफल हो जाएगी।

65. डा० पाल ने यह बहस की है कि संबद्ध संशोधन इस धारा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने के विषय में स्वयं अपनी पूंजी तथा उधार ली गई पूंजी के बीच आपत्तिजनक प्रभेद करने की ईप्सा करता है। डा० पाल की यह दलील है कि धारा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो कि नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने से तथा प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नवीन उद्योगों में नियोजित पूंजी के आधार पर अनुतोष देने हेतु स्वयं अपनी पूंजी तथा उधार ली गई पूंजी के बीच प्रभेद करता है, सर्वथा विसंगत है और प्राप्त किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं है और अपनी पूंजी तथा उधार ली गई पूंजी के बीच यह प्रभेद अनुतोष अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए उपक्रम में नियोजित पूंजी की संगणना करने के विषय में अन्यायोचित विभेद के रूप में परिणत होता है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है। मेरे विचार में, डा० पाल की दलील में कोई सार नहीं है। यह सर्वथा संसद द्वारा विनिश्चित किया जाने वाला विषय है कि क्या प्रोत्साहन के रूप में दिए गए किसी अनुतोष को अनुज्ञात किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो वह अनुतोष किस सीमा पर्यन्त होगा और किस रीति में दिया जाएगा। नवीन उद्योगों की प्रोन्नति करने के लिए अनुतोष अनुदत्त करने हेतु कोई उपबंध करना संसद् की ओर से कोई बाध्यता उस पर अधिरोपित नहीं करता है। विधानमण्डल अपने विवेकानुसार अनुतोष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुदत्त करने का विनिश्चय कर सकता है और वह समान रूप से यह विनिश्चय भी कर सकता है कि कोई अनुतोष अनुदत्त न किया जाए। यह निश्चित रूप से विधानमण्डल के लिए विनिश्चित किया जाना होगा कि क्या देश की औद्योगिक प्रगति की प्रोन्नति करने के लिए कोई प्रोत्साहन अपेक्षित है और यदि विधानमण्डल यह महसूस करता है कि देश में प्रचलित स्थिति के अंतर्गत ऐसे प्रोत्साहन का उपबंध किया जाना चाहिए तो यह पुनः विधानमण्डल का अधिकार होगा कि वह इस बात का विनिश्चय करे कि किस प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए और वह किस रीति में किया जाना चाहिए एवं यह किस हद तक किया जाना चाहिए—इस बारे में समुचित विधान पारित करेगा। संसद् धारा 80-ञ के अधीन संपूर्ण अनुतोष को प्रत्याहृत करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो सकती थी और वह उक्त धारा का निराकरण पूरे तौर पर कर सकती थी तथा संसद् यह समझती थी कि ऐसा प्रत्याहरण आवश्यक होगा। संसद् समान रूप से इस धारा के अधीन दिए जाने के लिए आशयित अनुतोष की परिमात्रा में वृद्धि अथवा कटौती करने के लिए सक्षम है। यह उपबंध करने के लिए कि धारा 80-ञ के अधीन आशयित अनुतोष केवल स्वामी की अपनी पूंजी के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा, न कि उधार ली गई पूंजी के लिए, इससे अनुच्छेद 14 का कोई अतिलंघन नहीं होता है। कोई भी व्यवसायी अथवा कारबार करने वाला व्यक्ति अधिकारवशात् यह दावा नहीं कर सकता कि प्रोत्साहन के रूप में अनुतोष के लिए उपबंध उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले नवीन उपक्रमों के लिए किया जाना चाहिए। संसद् ऐसे अनुतोष के लिए उपबंध एक नीति विशेष के अनुसरण में करती है और ऐसी नीति समय-समय पर प्रचलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए समयानुसार परिवर्तित हो सकती है। संसद् विधिसम्मत रूप से यह महसूस कर सकती है कि किसी कारबारी व्यक्ति से उधार लिए जाने को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और व्यक्तियों को यह प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे नवीन उपक्रमों को स्थापित करने के लिए स्वयं अपना धन जुटाएं तथा संसद् किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम के स्थापित किए जाने में उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करके स्वामी की नियोजित पूंजी को प्रोत्साहन देने के लिए समुचित अनुतोष के लिए उपबंध कर सकती है। क्या ऐसा करना प्रज्ञापूर्ण है, यह आवश्यक रूप से संसद् द्वारा अपने आप विवेकपूर्ण रीति से विनिश्चित किया जाने वाला मामला है। न्यायालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह नीति के विरचित किए जाने में संसद् की बुद्धिमत्ता पर निर्णय करने के संबंध में पीठासीन हो, किसी नीति के अनुसरण में उधार ली गई पूंजी के अपवर्जित किए जाने के लिए स्वयं अपनी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूंजी को अनुतोष अनुदत्त करने के विषय में विभेद के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि यद्यपि यह दोनों पूंजी संबंधी वर्ग उपक्रम की कुल पूंजी का भाग गठित करते हैं, वे सुभिन्न हैं और भिन्न-भिन्न आधार पर स्थित हैं। नवीन औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करते समय स्वयं अपनी पूंजी के विनिधान को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी के इन दोनों वर्गों के बीच वर्गीकरण के बारे में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह युक्तियुक्त तथा न्यायोचित है। डा० पाल की यह दलील कि धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष के उपभोग में उधार ली गई पूंजी तथा स्वामी की अपनी पूंजी के बीच विभेद संबंधी संशोधन अनुच्छेद 14 का अतिलंघन करता है और इसलिए उसे निश्चित रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए। अत्यंत समुचित रूप से इस संशोधन की विधिमान्यता को आक्षेपकृत करते समय जहां तक कि ये भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन की बाबत कोई व्यथा प्रस्तुत नहीं की गई है।

66. अब मैं 1-4-1972 से लेकर भूतलक्षी प्रभाव से इस संशोधन की विधिमान्यता के प्रश्न पर आता हूं।

67. निर्धारितियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल द्वारा यह दलील दी गई है कि इस उपबंध का भूतलक्षी प्रवर्तन अयुक्तियुक्त, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करने वाला है। यह मुख्य दलील कि वर्तमान संशोधन से पूर्व कानून द्वारा अनुदत्त अनुतोष का प्रत्याहरण, जिसका उपभोग निर्धारिती द्वारा पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा है और जिसके द्वारा निर्धारिती पर अनुचित, गुणरहित तथा समेकित भारी वित्तीय उत्तरदायित्व अधिरोपित किया गया है, युक्तियुक्त नहीं समझा जा सकता है; और समेकित उत्तरदायित्व का ऐसा अधिरोपण गंभीर रूप से उपक्रमों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करेगा और इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य कठिनाइयां उत्पन्न करेगा जिन पर काबू पाना निर्धारितियों के लिए असंभवप्राय: हो जाएगा। यह दलील दी गई है कि वर्तमान संशोधन कानूनी उपबंध में किसी त्रुटि के कारण कानून के किसी उपबंध के अधिकारातीत घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप आवश्यक नहीं बन गया है और ऐसे किसी दायित्व का कोई प्रश्न नहीं है जो सरकार पर इस संबंध में अधिरोपित किया जाए कि वह किसी ऐसे कानूनी उपबंध के आधार पर जो किसी उद्ग्रहण को अविधिमान्य तथा असांविधानिक घोषित करता है, निर्धारितियों से कर के रूप में संगृहीत किसी विशाल धनराशि का प्रतिसंदाय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करे। यह दलील दी गई है कि उधार ली गई पूंजी को अनुतोष अनुदत्त करने वाले उस कानून (स्टेट्यूट) के असंदिग्ध उपबंध जिसे नकारात्मक निर्धारित करने की कोशिश की गई थी, और जिसका प्रत्याख्यान एक ऐसा अविधिमान्य नियम द्वारा किया गया था, जो अभिखंडित किया जा चुका है, निर्धारिती विधिसम्मत रूप से अनुतोष के हकदार हैं और उन्होंने सही तौर पर और न्यायोचित रूप से यथा-स्थित विधि के आधार पर अपने कार्यकलाप का प्रबंध किया है। किसी अविधिमान्य नियम का अस्तित्व तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में की गई अपीलों का लम्बित रहना, जिनके द्वारा नियम को अविधिमान्य घोषित किया गया है, सुसंगत तथ्यों के रूप में नहीं समझे जा सकते, विशेष रूप से जबकि कानूनी उपबंध स्पष्ट हो, जिससे कि उस निर्धारिती को, जिसे अपने कार्यकलाप का प्रबंध करते समय अपने प्रसामान्य व्यापारिक कार्यकलाप को कार्यान्वित करना होता है, मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। दलील यह दी गई है कि इस लम्बे अर्से के व्यपगत होने के पश्चात् निर्धारितियों द्वारा विधिपूर्वक रूप से अनुदत्त और समुचित रूप से उपयुक्त अनुतोष का प्रत्याहरण जबकि राजकोश को कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव कारित न किया गया हो अथवा उसके कारित किए जाने की अधिसंभाव्यता न हो और दूसरी ओर निर्धारिती के लिए अन्य कठिनाइयों तथा समस्याओं के उत्पन्न किए जाने सहित भारी अनपेक्षित वित्तीय भार उद्भूत होता हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह लोक हित में है और निश्चित रूप से उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 की दृष्टि से अयुक्तियुक्त, मनमाना और अतिक्रामक अभिनिर्धारित किया जाएगा।

68. विद्वान् महा-अटर्नी ने यह दलील दी है कि उक्त उपबंध का भूतलक्षी प्रवर्तन ऐसा है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है और यह न तो मनमाना और न ही अयुक्तियुक्त है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमणकारी है। उन्होंने यह दलील दी है कि किंचित अधिकरणों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा नियम 19-क पर विचार किए जाने से पूर्व, उक्त नियम अनुतोष की संगणना के विषय में उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित कर दिया था और वर्ष का प्रथम दिवस अनुतोष की संगणना के लिए सुसंगत तारीख के रूप में नियत किया जाना अनेक वर्षों से प्रवृत्त बना रहा है। उनकी दलील यह है कि जब उक्त नियम अभिखंडित कर दिया गया था, तो विनिश्चयों की विधिमान्यता पर आक्षेप किया गया और वह नियम इस न्यायालय में अपील में लम्बित था; और अपील उस समय लम्बित थी जबकि 1980 में वर्तमान संशोधन अधिनियमित किया गया। विद्वान् महा-अटर्नी ने यह दलील दी है कि चूंकि नियम 19-क पूंजी उधार लेने को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपवर्जित करता है, और अनुतोष की संगणना के लिए तारीख के रूप में वर्ष का प्रथम दिवस नियत किया जाना अनेक वर्षों से प्रवृत्त बना रहा है और चूंकि नियम को अभिखंडित करने वाला विनिश्चय अब अपील में लम्बित है, अतः निर्धारितियों के लिए उक्त नियम के अविधिमान्य होने के आधार पर उनके कार्यकलाप का प्रबंध करने में न्यायोचित नहीं था और कारबार के प्रज्ञापूर्ण व्यक्तियों के रूप में उनको चाहिए था कि वे अपने कार्यकलाप का प्रबंध इस रूप में करते कि उसके अन्तर्गत प्रत्येक आकस्मिकता आ जाती और विशेष रूप से यह आकस्मिकता जो कि इस न्यायालय द्वारा नियम की विधिमान्यता को कायम रखने के रूप में है। विद्वान् महा-अटर्नी ने यह दलील दी है कि संशोधन लम्बित अपीलों में इस न्यायालय के विनिश्चय से पूर्व अन्तःस्थापित किया गया है चूंकि संसद् सभी संबद्ध व्यक्तियों के हित में इस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहती थी और विशेष रूप से निर्धारितियों के हित में जिससे कि वे इस बारे में समर्थ हो सकें कि ऐसे उपक्रम जो धारा 80 ञ के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित थे, वे उस लाभ का उपभोग कर सकें जो कि इस धारा द्वारा प्रदत्त किए जाने के लिए आशयित है। विद्वान् महा अटर्नी की यह दलील है कि किसी ऐसे विधिमान्य नियम के अभाव में जिसके द्वारा अनुतोष की संगणना की उस रीति को विहित किया जाता है जिसके लिए कि निर्धारिती धारा 80-ञ के अधीन हकदार हो सकता है, फायदे की संगणना नहीं की जा सकती और इसलिए धारा 80-ञ के अधीन अनुध्यात किसी भी फायदे के बारे में यह हो सकता है कि वह निर्धारितियों को सर्वथा उपलभ्य न हो। उन्होंने यह दलील दी है कि यदि नियम को इन अपीलों में इस न्यायालय द्वारा विधिमान्य अभिनिर्धारित किया जाता है तो निर्धारिती की यह दलील कि निर्धारिती ने अपने कार्यकलाप का प्रबंध नियम के अविधिमान्य होने के आधार पर किया है, किसी रीति में लाभप्रद नहीं होगा; और उन्होंने आगे यह दलील दी है कि यदि अविधिमान्यता इन अपीलों में इस न्यायालय द्वारा कायम रखी जाती है तो निर्धारिती किसी ऐसे विधिमान्य नियम के अभाव में जो अनुतोष की संगणना की रीति को विहित करता हो, इस धारा के अधीन किसी अनुतोष के फायदे का हकदार नहीं होगा। उनकी यह दलील है कि इन परिस्थितियों में संसद् इस बात पर ध्यान देने के उद्देश्य से कि ऐसे निर्धारिती को जो कि धारा 80-ञ के अधीन किसी अनुतोष का हकदार है, ऐसे अनुतोष की संगणना की रीति विहित करने वाले समुचित नियम के उपबंध के अभाववश इन कई वर्षों में ऐसे अनुतोष से प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता और इससे स्वयं धारा को ही स्वयं निर्धारितियों के हित में 1972

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से लेकर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है। महा-अटर्नी की यह दलील है कि चूंकि भूतलक्षी प्रभाव से किया गया संशोधन आवश्यक रूप से निर्धारितियों के हित में इस हेतु किया गया है कि उन्हें इस बारे में समर्थ बनाया जा सके कि वे धारा 80-ञ के अधीन दिए जाने के लिए आशयित अनुतोष का लाभ उठा सके, अतः संशोधन के भूतलक्षी रूप से किए जाने वाले प्रभाव के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अयुक्तियुक्त अथवा मनमाना है और भूतलक्षी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 19 का अतिक्रमण ऐसी रीति में ही नहीं करता है जिसमें कि भूतलक्षी प्रभाव किंचित् निर्धारितियों पर कठोर रीति से लागू होता हो।

69. पक्षकारों की ओर से पेश की गई दलीलों पर विचार करने से पूर्व मैं इस प्रक्रम पर इस पहलू पर न्यायालय से किंचित् विनिश्चयों को उद्धृत करते हुए उनके प्रति निर्देश करूंगा।

70. **एपारी चिन्ना कृष्ण मूर्ति, प्रोप्राइटर एपारी चिन्ना मूर्ति एण्ड सन्स, बरहामपुर, उड़ीसा** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में पृष्ठ 191 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था—

> "श्री शास्त्री ने यह भी दलील दी है कि किसी आक्षेपकृत धारा का भूतलक्षी प्रवर्तन असांविधानिक कहकर अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन पिटीशनरों के मूल अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करता है। यह सही है कि क्या भूतलक्षी प्रभाव से किसी अधिनियम को पारित करने संबंधी विधायी शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया गया है अथवा नहीं, इस विषय में पूछताछ करना कि भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन कैसे लागू होता है, सुसंसगत है। किन्तु इस दलील को स्वीकार करना कठिन होगा कि चूंकि भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन के बारे में यह हो सकता है वह कुछ मामलों में कठोरतापूर्वक लागू हो, इसलिए स्वयं विधायन अविधिमान्य है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत मामले में भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन अत्यन्त दीर्घ कालावधि पर्यन्त भी विस्तृत नहीं होता है। आनुषंगिक रूप से, अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि पिटीशनरों ने अपने ग्राहकों से उस समय विक्रय-कर वसूल नहीं किया था जबकि उन्होंने उन्हें स्वर्ण-आभूषण बेचे थे।"

---

[1] [1964] 7 एस० सी० आर० 185.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

71. **राय राम कृष्ण और अन्य बनाम बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पृष्ठ 914-917 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया था—

"श्री सीतलवाड़ ने यह दलील दी है कि चूंकि इस बारे में कोई विवाद नहीं किया गया है कि किसी कराधान कानून (टैक्सिग स्टेट्यूट) का भूतलक्षी प्रवर्तन उसकी युक्तियुक्तता का अवधारण करने में विचार किए जाने संबंधी सुसंगत तथ्य है, यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि यदि भूतलक्षी प्रवर्तन के अन्तर्गत इतना लम्बा अर्सा समाविष्ट हो जाता है, जैसा कि 10 वर्ष की कालावधि, तो उसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह एक ऐसा निर्बन्धन अधिरोपित करता है जो कि अयुक्तियुक्त है और इस नाते उसके बारे में यह आवश्यक है कि उसे असांविधानिक कहकर अभिखंडित कर दिया जाए। इस अभिवाक् के समर्थन में श्री सीतलवाड़ ने सदरलैंड द्वारा किए गए संप्रेक्षणों के प्रति निर्देश किया। सदरलैण्ड ने यह कहा है कि 'कर कानून' (टैक्स स्टेट्यूट) ऐसी दशा में भूतलक्षी प्रभाव रखने वाला हो सकता है जिसमें कि विधानमण्डल स्पष्टत: ऐसा आशय रखता है। यदि किसी विधि का भूतलक्षी लक्षण मनमाना तथा भार डालने वाला हो तो उस कानून को कायम नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक भूतलक्षी प्रभाव वाले कर संबंधी कानून की युक्तियुक्तता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। कोई ऐसा कानून जो कि भूतलक्षी प्रभाव से किसी संशोधन करने वाले आय करों के अपनाए जाने के बीच और आय-कर अधिनियम के पारित किए जाने के बीच उपार्जित आय पर कर के अधिरोपित किए जाने को वैध बनाता है, अयुक्तियुक्त नहीं है। इसी प्रकार कोई ऐसा आय-कर जो उसके पारित किए जाने वाले वर्ष के पश्चात् भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है, वह स्पष्टत: विधिमान्य है। भूतलक्षी प्रभाविता की लम्बी से लम्बी कालावधि जो अब तक कायम रह पाई है, तीन वर्ष है। सामान्य रूप से, आय-कर विधिमान्य होते हैं, भले ही वे पूर्वव्यापी प्रतिक्रिया धारण करते हों किन्तु यदि वे पूर्ववर्ती रूप से प्रभावशील होते हैं किन्तु साथ ही साथ हाल ही के संव्यवहार हैं। इन संप्रेक्षणों को आधार बनाते हुए, श्री सीतलवाड़ ने यह दलील दी है कि चूंकि अधिनियम के भूतलक्षी प्रभाव द्वारा अन्तर्विष्ट कालावधि 1 अप्रैल, 1950 और 25 सितम्बर, 1961 के बीच की

---

[1] [1964] 1 एस० सी० आर० 897.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कालावधि है, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि ऐसे भूतलक्षी प्रभाव द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन अयुक्तियुक्त है और इसलिए उनके भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में उन्हें अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए ।

हमारे विचार में ऐसी यंत्रवत् कसौटी किसी अधिनियम के भूतलक्षी प्रवर्तन की विधिमान्यता का अवधारण करने के लिए लागू नहीं की जा सकती । यह बात विचार में लाई जा सकती है कि ऐसे मामले उद्भूत हो सकते हैं जिनमें कि किसी कराधान अथवा अन्य कानून के भूतलक्षी प्रवर्तन द्वारा अयुक्तियुक्तता का तत्व अन्तर्विष्ट हो जाए अर्थात् उसके द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन ऐसे हों कि उन पर गंभीर रूप से आक्षेप किए जाने की स्वतंत्रता हो जैसे कि उन्हें असांविधानिक करार दिया जा सके, किन्तु भूतलक्षी प्रवर्तन द्वारा अन्तर्विष्ट समय की अवधि की कसौटी अपने आपमें आवश्यक रूप से अभिनिश्चायक कसौटी नहीं हो सकती । हो सकता है कि कोई ऐसा कानून विद्यमान हो जिसके भूतलक्षी प्रवर्तन द्वारा सापेक्ष रूप से संक्षिप्त कालावधि अन्तर्विष्ट होती हो किन्तु तथापि यह संभव है कि उसके द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन ऐसी प्रकृति का निर्बन्धन हो कि उससे भूतलक्षी प्रभाव में गंभीर त्रुटि आ जाए । दूसरी ओर, हमें ऐसे मामले भी उपलब्ध हो सकते हैं जिनमें कि कानून के भूतलक्षी प्रवर्तन द्वारा अन्तर्विष्ट कालावधि, भले ही वह दीर्घ कालावधि हो, ऐसी किसी त्रुटि को अन्तर्विष्ट नहीं करेगी । यहां हम किसी विधिमान्यकरण अधिनियम के मामले को ले सकते हैं । यदि विधानमण्डल द्वारा पारित कोई कानून न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में आक्षेपकृत किया जाता है और वह आक्षेप अन्ततः कायम रखा जाता है और कानून को अभिखंडित कर दिया जाता है तो यह अनधिसंभाव्य नहीं है कि न्यायालय कार्यवाहियों में पर्याप्त दीर्घ समय लग जाए और विधानमण्डल भली प्रकार से यह अभिनिश्चय कर सकता है कि वह उक्त कार्यवाहियों में अन्तिम विनिश्चय के लिए प्रतीक्षा करे, पूर्व इसके कि वह पूर्ववर्ती अधिनियम में अभिकथित त्रुटि का उपचार करने हेतु अपनी विधायी शक्ति का उपयोग करे । यदि मामले में, अन्तिम न्यायिक अधिनिर्णय के प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् विधानमण्डल किसी विधिमान्य अधिनियम को पारित करता है तो इसमें सुचारू रूप से न्यायालय में न्यायिक कार्यवाहियों द्वारा पर्याप्त समय लग सकता है और फिर भी यह अभिनिर्धारित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना अनुचित होगा कि क्योंकि भूतलक्षी प्रवर्तन दीर्घ कालावधि को अन्तर्विष्ट करता है, इसलिए उसके द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन अयुक्तियुक्त है। यही कारण है कि हम यह समझते हैं कि भूतलक्षी प्रवर्तन द्वारा अन्तर्विष्ट समय की अवधि के बारे में अपने आपमें यह नहीं माना जा सकता कि वह विनिश्चायक कसौटी है।"

72. **जवाहर लाल** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय में पृष्ठ 905 पर यह अभिनिर्धारित किया—

"हमने पहले ही यह कह दिया है कि विधियां बनाने की शक्ति में उन्हें भविष्यलक्षी एवं भूतलक्षी प्रभाव से विरचित करने की शक्ति अन्तर्वलित है और कर विधियां इस नियम का कोई अपवाद नहीं हैं। इसलिए यह दलील देना व्यर्थ होगा कि मात्र इसलिए कि किसी कर कानून से यह तात्पर्यित है कि वह भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित होगा, भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन स्वतः अनुच्छेद 19(1)(च) या (छ) के अधीन कर से अधिरोपित नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करता है। यह सही है कि विचार्य रूप से ऐसे मामले देखने में आ सकते हैं जिनमें कि न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न पर विचार करना पड़े कि क्या किसी कर कानून द्वारा विहित अतिशय भूतलक्षी प्रवर्तन नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन के अन्तर्गत आता है; और ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह कराधान से संबंधित सभी सुसंगत तथा परिवेशी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करे।"

73. **नगर भूमि कर सहायक आयुक्त, मद्रास और अन्य** बनाम **बकिंघम एण्ड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड और अन्य**[2] वाले मामले में पृष्ठ 287 पर यह मत व्यक्त किया गया था—

"पिटीशनरों की ओर से कहा गया है कि 1 जुलाई, 1963 से विधि का भूतलक्षी प्रवर्तन उसे अयुक्तियुक्त बना देगा। पिटीशनरों की इस दलील को हम सही नहीं मान सकते हैं। सामान्य प्रस्थापना के रूप में यह कहना सही नहीं है कि भूतलक्षी प्रभाव से कर का अधिरोपण विधि को स्वतः असांविधानिक बना देता है। कर लगाने वाले कानून की जांच युक्तियुक्तता की परख के अनुसार करने में

---

[1] [1966] 1 एस० सी० आर० 890.

[2] [1970] 2 उम० नि० प० 141=[1970] 1 एस० सी० आर० 268.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह बात कि कर भूतलक्षी प्रभाव के साथ प्रवृत्त किया जा रहा है, वास्तव में सुसंगत बात है किन्तु यह अपने आपमें निश्चायक नहीं है।"

74. **मैसर्स कृष्णमूर्ति एण्ड कम्पनी और अन्य बनाम मद्रास राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पृष्ठ 61 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया था—

"ऐसी अधिनियमिति का उद्देश्य शब्दावली की किसी त्रुटि या किसी अन्य प्रकार की खामी को दूर करना और सुधारना और साथ ही कर-वसूली सहित अन्य कार्यवाहियों को विधिमान्य बनाना है, जो पूर्ववर्ती अधिनियमिति के अनुसरण में की गई थीं, और जो अधिनियमिति न्यायालय द्वारा किसी खामी के कारण दूषित ठहराई गई है, ऐसा संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम अपने स्वरूप के कारण ही भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त होता है। इसका ध्येय उस उद्देश्य को पूरा करना और क्रियान्वित करना है जिसके लिए पूर्ववर्ती मूल अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 'छोटे-मोटे सुधार' करने के लिए ऐसा संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम विधि निर्माण का एक अनुज्ञेय तरीका है और वित्तीय अधिनियमितियों में इसका सहारा अक्सर लिया जाता है।"

75. **हीरा लाल रतन लाल और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा समरूप संप्रेक्षण पृष्ठ 511 पर किए गए थे—

"यह दर्शित करने के लिए तनिक प्रयत्न किया गया था कि अधिनियम के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से किया गया उद्ग्रहण अनुच्छेद 19(1)(च) और (छ) का अतिक्रमण है। जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम का संशोधन इस कारण आवश्यक हो गया था कि विधानमण्डल स्पष्ट रूप से प्रमुख अधिनियम में धुली अथवा टुकड़े की गई दालों को साबुत अथवा न धुली हुई दालों से पृथक् करने संबंधी अपने आशय को दर्शित करने में असफल रहा था। इसके अतिरिक्त संशोधन के लिए यह आवश्यक हो गया था क्योंकि अन्यथा राज्य के पास कोई भारी धनराशि की निधि नहीं होगी।"

---

[1] [1973] 1 उम० नि० प० 17=[1973] 2 एस० सी० आर० 54.

[2] [1973] 1 नि० सा० 33=[1973] 2 एस० सी० आर० 502.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

76. **गुजरात राज्य** बनाम **रतन लाल केशव लाल सोनी**[1] वाले मामले में पृष्ठ 62 पर इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था—

> "निस्सन्देह, विधानमण्डल विद्यमान विधियों के अधीन अर्जित किसी निहित अधिकार को ले लेने के लिए या उसे कम करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए विधान विरचित करने के लिए सक्षम है किन्तु चूंकि विधियां लिखित संविधान के अधीन विरचित की गई हैं और संविधान के लागू करने या लागू न करने के लिए पुष्टि करना है। इसलिए विधियां न तो भविष्यलक्षी और न ही भूतलक्षी रूप में विरचित की जा सकती हैं जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। उस विधि द्वारा आज पक्षकारों के प्रोद्भूत या अर्जित अधिकारों पर ध्यान देते हुए आज संविधान की अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। विधि में यह नहीं कहा जा सकता कि बीस वर्ष पहले पक्षकारों को अधिकार नहीं थे। इसलिए संविधान की अपेक्षाएं तब पूरी होंगी यदि विधि बीस वर्ष पहले की है। हमारा संबंध आज के अधिकारों से है न कि भविष्य के अधिकारों से। विधानमंडल बीस वर्ष पहले की स्थिति के संदर्भ में आज विधान विरचित नहीं कर सकता और बीस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत घटनाक्रम और असंवैधानिक अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता। यह बात अवश्य ही इतिवृत्त की दृष्टि से मनमानी, अयुक्तियुक्त और खण्डनकारी होगी।"

भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानूनी उपबंध को संशोधित करने संबंधी संसद् की शक्ति तथा सक्षमता के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। किन्तु विधिमान्य समझे जाने के लिए कोई भी भूतलक्षी संशोधन निश्चित रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए, न कि मनमाना और वह आवश्यक रूप से संविधान के अधीन गारंटीकृत मूल अधिकारों में से किसी अधिकार का अतिक्रमण करने वाला नहीं होना चाहिए। यह तथ्य मात्र कि कोई कानूनी उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है, अपने आप में संशोधन को अयुक्तियुक्त नहीं बना देता है। भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे किसी संशोधन की अयुक्तियुक्तता अथवा मनमानेपन संबंधी निर्णय उन तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके अधीन ऐसा संशोधन किया गया है। इस प्रश्न पर विचार करने हेतु कि क्या भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी उपबंध को संशोधन करने संबंधी विधायी शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया गया है अथवा नहीं, यह सुसंगत हो जाता है कि इस

---

[1] [1983] 2 उम० नि० प० 1186=(1983) 2 एस० सी० सी० 33.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बात की जांच की जाए कि संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव किस रूप में प्रवर्तित होता है।

77. प्रशासन के व्यापक हित में तथा सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि हेतु और देश के कल्याण के लिए संविधान द्वारा संसद् को शक्ति प्रदत्त की गई है जिससे कि वह स्रोतों को जुटा सके और कर का उद्ग्रहण कर सके। विभिन्न तत्वों के धन संबंधी समंजन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए संसद् निश्चित रूप से धन संबंधी विधान के मामले में अत्यन्त व्यापक विवेक धारण करती है। समुचित प्रशासन, रक्षा एवं सुरक्षा को बनाए रखने, शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि करने के लिए एवं देश की सामाजिक-आर्थिक एवं संपूर्ण प्रगति के लिए विभिन्न व्यय करने के लिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पास स्रोत तथा पर्याप्त निधियां रखे। राजस्व को जुटाने के लिए और ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए समुचित रूप से संगृहीत की जाने वाली निधियों के प्रत्युद्धरण के लिए निश्चित रूप से समुचित उपबंध करने होंगे। समुचित विधान जिनके अन्तर्गत विभिन्न धन संबंधी विधियां आती हैं, इस प्रयोजनार्थ अधिनियमित किए जाते हैं। इसलिए संसद् द्वारा किसी कर के अधिरोपित किए जाने पर विचार लोक हित में किया जाना होता है। हो सकता है कि किसी उद्ग्रहण विशेष को अधिरोपित करने वाली किसी अधिनियमिति के किसी उपबंध पर न्यायालय में आक्षेप किया जाए और ऐसा आक्षेप सफलतापूर्वक संपन्न हो; और यह भी हो सकता है कि किसी कारणवश किसी उद्ग्रहण विशेष के बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाए कि वह सांविधानिक दृष्टि से अविधिमान्य है। यदि कोई कर अधिरोपित करने वाले किसी कानून का कोई उपबंध-विशेष जो (कर) संगृहीत किया गया था अथवा संगृहीत किया जा रहा है, असांविधानिक कहकर अभिखंडित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि राज्य का वित्तीय प्रबंध अस्त-व्यस्त हो जाए और वह सरकार जिसने पहले ही कर को संगृहीत कर लिया हो और उसका उपयोग किया हो, उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह इस प्रकार संगृहीत किए गए करों को प्रतिसंदत्त करे। यदि ऐसी स्थिति उद्भूत होती है तो हो सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाए और विभिन्न वचनदानों तथा बाध्यताओं की पूर्ति के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो। ऐसी परिस्थितियों के अधीन, कोई विधिमान्यकरण अधिनियम पारित किया जा सकता है और वह प्रायः इस हेतु अधिनियमित किया जाता है कि ऐसी त्रुटि को दूर किया जा सके जिनके परिणामस्वरूप उद्ग्रहण को अधिरोपित करने संबंधी उपबंध को अविधिमान्य बना दिया गया है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विधिमान्यकरण अधिनियम निश्चित रूप से भूतलक्षी प्रवर्तन सहित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

76. **गुजरात राज्य** बनाम **रतन लाल केशव लाल सोनी**[1] वाले मामले में पृष्ठ 62 पर इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था—

> "निस्सन्देह, विधानमण्डल विद्यमान विधियों के अधीन अर्जित किसी निहित अधिकार को ले लेने के लिए या उसे कम करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए विधान विरचित करने के लिए सक्षम है किन्तु चूंकि विधियां लिखित संविधान के अधीन विरचित की गई हैं और संविधान के लागू करने या लागू न करने के लिए पुष्टि करना है। इसलिए विधियां न तो भविष्यलक्षी और न ही भूतलक्षी रूप में विरचित की जा सकती हैं जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। उस विधि द्वारा आज पक्षकारों के प्रोद्भूत या अर्जित अधिकारों पर ध्यान देते हुए आज संविधान की अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। विधि में यह नहीं कहा जा सकता कि बीस वर्ष पहले पक्षकारों को अधिकार नहीं थे। इसलिए संविधान की अपेक्षाएं तब पूरी होंगी यदि विधि बीस वर्ष पहले की है। हमारा संबंध आज के अधिकारों से है न कि भविष्य के अधिकारों से। विधानमंडल बीस वर्ष पहले की स्थिति के संदर्भ में आज विधान विरचित नहीं कर सकता और बीस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत घटनाक्रम और असंवैधानिक अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता। यह बात अवश्य ही इतिवृत्त की दृष्टि से मनमानी, अयुक्तियुक्त और खण्डनकारी होगी।"

भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानूनी उपबंध को संशोधित करने संबंधी संसद् की शक्ति तथा सक्षमता के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। किन्तु विधिमान्य समझे जाने के लिए कोई भी भूतलक्षी संशोधन निश्चित रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए, न कि मनमाना और वह आवश्यक रूप से संविधान के अधीन गारंटीकृत मूल अधिकारों में से किसी अधिकार का अतिक्रमण करने वाला नहीं होना चाहिए। यह तथ्य मात्र कि कोई कानूनी उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है, अपने आप में संशोधन को अयुक्तियुक्त नहीं बना देता है। भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे किसी संशोधन की अयुक्तियुक्तता अथवा मनमानेपन संबंधी निर्णय उन तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके अधीन ऐसा संशोधन किया गया है। इस प्रश्न पर विचार करने हेतु कि क्या भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी उपबंध को संशोधन करने संबंधी विधायी शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से किया गया है अथवा नहीं, यह सुसंगत हो जाता है कि इस

[1] [1983] 2 उम० नि० प० 1186=(1983) 2 एस० सी० सी० 33.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बात की जांच की जाए कि संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव किस रूप में प्रवर्तित होता है ।

77. प्रशासन के व्यापक हित में तथा सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि हेतु और देश के कल्याण के लिए संविधान द्वारा संसद् को शक्ति प्रदत्त की गई है जिससे कि वह स्रोतों को जुटा सके और कर का उद्ग्रहण कर सके । विभिन्न तत्वों के धन संबंधी समंजन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए संसद् निश्चित रूप से धन संबंधी विधान के मामले में अत्यन्त व्यापक विवेक धारण करती है । समुचित प्रशासन, रक्षा एवं सुरक्षा को बनाए रखने, शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि करने के लिए एवं देश की सामाजिक-आर्थिक एवं संपूर्ण प्रगति के लिए विभिन्न व्यय करने के लिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पास स्रोत तथा पर्याप्त निधियां रखे । राजस्व को जुटाने के लिए और ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए समुचित रूप से संगृहीत की जाने वाली निधियों के प्रत्युद्धरण के लिए निश्चित रूप से समुचित उपबंध करने होंगे । समुचित विधान जिनके अन्तर्गत विभिन्न धन संबंधी विधियां आती हैं, इस प्रयोजनार्थ अधिनियमित किए जाते हैं । इसलिए संसद् द्वारा किसी कर के अधिरोपित किए जाने पर विचार लोक हित में किया जाना होता है । हो सकता है कि किसी उद्ग्रहण विशेष को अधिरोपित करने वाली किसी अधिनियमिति के किसी उपबंध पर न्यायालय में आक्षेप किया जाए और ऐसा आक्षेप सफलतापूर्वक संपन्न हो; और यह भी हो सकता है कि किसी कारणवश किसी उद्ग्रहण विशेष के बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाए कि वह सांविधानिक दृष्टि से अविधिमान्य है । यदि कोई कर अधिरोपित करने वाले किसी कानून का कोई उपबंध-विशेष जो (कर) संगृहीत किया गया था अथवा संगृहीत किया जा रहा है, असांविधानिक कहकर अभिखंडित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि राज्य का वित्तीय प्रबंध अस्त-व्यस्त हो जाए और वह सरकार जिसने पहले ही कर को संगृहीत कर लिया हो और उसका उपयोग किया हो, उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह इस प्रकार संगृहीत किए गए करों को प्रतिसंदत्त करे । यदि ऐसी स्थिति उद्भूत होती है तो हो सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाए और विभिन्न वचनदानों तथा बाध्यताओं की पूर्ति के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो । ऐसी परिस्थितियों के अधीन, कोई विधिमान्यकरण अधिनियम पारित किया जा सकता है और वह प्रायः इस हेतु अधिनियमित किया जाता है कि ऐसी त्रुटि को दूर किया जा सके जिनके परिणामस्वरूप उद्ग्रहण को अधिरोपित करने संबंधी उपबंध को अविधिमान्य बना दिया गया है । ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विधिमान्यकरण अधिनियम निश्चित रूप से भूतलक्षी प्रवर्तन सहित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पारित किए जाने होते हैं जिससे कि राज्य का धन संबंधी प्रबंध और उसके वित्तीय वचनदान किसी भी रीति में संकटापन्न न हों और राज्य पहले से संगृहीत किए गए किसी कर को प्रतिसंदत्त करने के दायित्व से छुटकारा पा सके। कोई विधिमान्यकरण अधिनियम जो भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी धन संबंधी उपबंध को विधिमान्य बनाता है, प्राय: उसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वह अयुक्तियुक्त अथवा मनमाना नहीं है। किसी विधिमान्यकरण अधिनियम की दशा में विधानमण्डल का आशय सामान्यत: उस धारा अथवा अधिनियम में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है जिसे किसी कमी अथवा त्रुटि लेखे अविधिमान्य घोषित किया गया हो और इस त्रुटि को दूर करना संसद् की सक्षमता के अन्तर्गत है। यह संप्रेक्षण किया जा सकता है कि ऐसे विधिमान्यकरण अधिनियम वास्तव में भूतलक्षी प्रभाव से कोई नया कर अधिरोपित करने का प्रभाव नहीं रखते और वे केवल पहले से अधिरोपित उद्ग्रहण को वैध रूप प्रदान करते हैं। प्रभावी तथा सारवान् रूप से भूतलक्षी प्रवर्तन के आधार से पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कोई नवीन कर अधिरोपित नहीं किया जाता और भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन केवल ऐसे उद्ग्रहण को विधिमान्य बनाता है जो अधिरोपित किया गया हो और संभवत: संगृहीत किया गया हो। वर्तमान संशोधन इस कारण आवश्यक नहीं हुआ है कि वह धारा 80-ञ के किसी भाग के अविधिमान्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप किया जाना था। आक्षेपकृत संशोधन से पूर्व धारा 80-ञ में कोई कमी अथवा त्रुटि नहीं थी और जो धारा भली प्रकार से विधिमान्य थी वह स्पष्ट तथा असंदिग्ध भाषा में निर्धारिती को नियोजित पूंजी की बाबत चाहे वह निर्धारिती की अपनी पूंजी हो अथवा उधार ली गई पूंजी हो, किसी ऐसे उपक्रम में, जो धारा के अधीन अनुतोष के लिए अर्हित बनता था, अनुतोष अनुदत्त करती थी। किसी अविधिमान्य नियम को विरचित करके नियम बनाने वाले प्राधिकारी निर्धारिती को धारा द्वारा विधिपूर्वक तथा विधिमान्य रूप से अनुदत्त अनुतोष के फायदे से प्रत्याख्यान करने का प्रयत्न करता था। यह नियम कानून के स्पष्ट उपबंधों के प्रतिकूल था और अविधिमान्य नियम को ठीक ही अभिखंडित किया गया है। वर्तमान संशोधन द्वारा संसद् अविधिमान्य घोषित किए गए कानून के किसी उपबंध को विधिमान्य बनाने की ईप्सा इस कारण नहीं करती कि उसमें कोई कमी अथवा त्रुटि थी, क्योंकि वस्तुत: उसमें ऐसी कोई कमी या त्रुटि थी ही नहीं, बल्कि वह एक अन्तर्वलित नियम को विधिमान्य बनाने की ईप्सा करती है जिसके द्वारा यह प्रयत्न किया गया था कि निर्धारिती को उस फायदे से वंचित किया जाए जो कि संसद् द्वारा स्पष्टत: धारा द्वारा निर्धारिती को प्रदत्त किया गया था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वयं धारा में अविधिमान्य घोषित किए गए नियम के उपबंधों को समाविष्ट करके वर्तमान संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव से उस अनुतोष को प्रत्याहृत करना है जो कि पहले संसद् द्वारा अनुदत्त किया गया था जहां तक कि उस अनुतोष का विस्तार उपक्रम में नियोजित उधार ली गई पूंजी पर है और तद्द्वारा निर्धारिती पर कर संबंधी एक भार अधिरोपित करने की ईप्सा की जाती है जो कि इन अनेक वर्षों में विद्यमान था ही नहीं। नीति के स्वरूप में संसद् को इस बात की स्वतन्त्रता हो सकती है कि वह भूतलक्षी प्रभाव से किसी संशोधन द्वारा ऐसे किसी संशोधन के परिणामस्वरूप उधार ली गई पूंजी को अनुदत्त अनुतोष को प्रत्याहृत कर सके। भूतलक्षी प्रभाव से, किसी ऐसे निर्धारिती को जिसने कि ऐसे अनुतोष के लिए अर्हता प्राप्त की थी, और जो विधिपूर्वक रूप से ऐसे अनुतोष का फायदा उठाने का हकदार था, और जिसने वास्तव में बहुत से मामलों में इन कई वर्षों में इस फायदे का उपभोग किया है, धारा द्वारा असंदिग्ध रूप से अनुदत्त अनुतोष के फायदे को प्रत्याहृत करने के बारे में मेरी राय में किसी उचित तथा विधिमान्य आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा सही है और उसे युक्तियुक्त करार नहीं दिया जा सकता। यदि किसी निर्धारिती को कोई धन संबंधी कानून अनुतोष अनुदत्त करता है और निर्धारिती उस अनुतोष का फायदा उठाता है क्योंकि निर्धारिती वैध रूप से कानून के अधीन उसके हकदार हैं तो किसी निर्धारिती द्वारा विधिमान्य रूप से तथा असंदिग्ध रूप से अनुदत्त तथा उपभुक्त किसी अनुतोष का प्रत्याहरण निश्चित रूप से समुचित आधारों के अभाव में अयुक्तियुक्त और मनमाना कहकर अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। वर्तमान संशोधन से पूर्व धारा 80-ञ के अधीन अनुदत्त अनुतोष न केवल सरकार की ओर से वचनदान था जिसका अवलम्ब लेते हुए हो सकता है कि निर्धारिती ने नवीन उपक्रम स्थापित किए हों बल्कि वह किसी ऐसे कानूनी अधिकार की प्रकृति का था जो किसी निर्धारिती को जो धारा के अधीन ऐसे अनुतोष के लिए अर्हताप्राप्त था, प्रदत्त करता था। किसी निर्धारिती को किसी विधिमान्य कानूनी उपबंध द्वारा अनुदत्त किसी अनुतोष का भूतलक्षी प्रभाव से प्रत्याहरण जो निर्धारिती को उसमें निहित अनुतोष के फायदे से वंचित करता है, ऐसे आधार पर स्थित है जो कि उस आधार से सर्वथा भिन्न है जिसके परिणामस्वरूप कोई ऐसा विधिमान्यकरण अधिनियम पारित किया जाना आवश्यक हो जाए जो असांविधानिक कहकर घोषित किए गए किसी कानूनी उपबंध को विधिमान्य बनाने की ईप्सा करता हो। जब संसद् कोई ऐसा संशोधन पारित करती है जो किसी ऐसे उपबंध को विधिमान्य बनाता है, जिसके बारे में हो सकता है कि वह किसी कमी अथवा त्रुटि के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कारण अविधिमान्य घोषित किया गया हो, संसद् अपने आशय को प्रवर्तित करने की ईप्सा करती है जो कि पहले से विद्यमान थी और तद्द्वारा वह संबद्ध त्रुटि अथवा कमी को दूर करती है। वस्तुतः संसद् के बारे में यह प्रतीत होता है कि वह ऐसी स्थिति का उपचार करती है जो कानूनी उपबंध के अविधिमान्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो। जैसा कि मैंने पहले संप्रेक्षण किया है, यह लोक हित में किया जाता है जिससे कि धन संबंधी संरचना को समुचित रूप से विनियमित किया जा सके और सरकार को वसूल किए जाने के लिए प्रत्याशित राजस्व के समुचित संग्रहण द्वारा अपने बजट को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को समर्थ बनाने के लिए संगृहीत करों का प्रतिसंदाय करके किसी भार से मुक्त किया जा सके। जब संसद् किसी धन संबंधी कानून में किसी निर्धारिती को कोई अनुतोष अनुदत्त करने की प्रस्थापना करती है तो संसद् के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह यह उपधारणा करे कि वह लोक हित में ऐसा कर रही है। प्रस्तुत मामले में धारा 80-ञ नवीन उपक्रमों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदत्त करके देश की औद्योगिक प्रगति की अभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए अनुतोष अनुदत्त करती है। पुनः नीति के रूप में संसद् ऐसे अनुतोष या उसके किसी भाग को प्रत्याहृत कर सकती है अथवा उसकी प्रकृति, विस्तार और अनुतोष की किस्म को उपांतरित कर सकती है यदि संसद् अपने विवेक में यह ठीक समझती है कि ऐसी कोई कार्यवाही की जानी आवश्यक तथा उचित है और संसद् द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के विषय में यह भी निश्चित रूप से मान लिया जाना चाहिए कि वह लोक हित में किया गया है। तथापि किसी निर्धारिती को कानून द्वारा समुचित रूप से अनुदत्त किसी अनुतोष के भूतलक्षी प्रभाव का प्रत्याहरण अथवा उपांतरण, जिसे उस निर्धारिती ने विधिपूर्वक रूप से उपभुक्त किया है अथवा वह उसका उपभोग करने का हकदार है, क्योंकि वह उसका ऐसा कानूनी अधिकार है जो कि उसमें निहित है और इस प्रकार निर्धारिती को उसमें निहित कानूनी अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो इसका प्रभाव उन वर्षों के लिए जिनकी बाबत ऐसा कोई उद्ग्रहण नहीं किया गया था, भूतलक्षी प्रभाव से उद्ग्रहण अधिरोपित करने का प्रभाव रखती है जब तक कि ऐसी प्रबल तथा असाधारण परिस्थिति विद्यमान न हो जो ऐसे प्रत्याहरण अथवा उपांतरण को न्यायोचित ठहराती हो और इस दृष्टिकोण से इसे युक्तियुक्त तथा लोक हित में माना जा सकता है। भूतलक्षी संशोधन की यह किस्म जो किसी प्रोद्भूत कानूनी अधिकार को विफल बनाने की ईप्सा करती है, उसके बारे में यह संभाव्य है कि वह किसी कानूनी उपबंध की पावनता को प्रभावित करेगी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और विभ्रमयुक्त स्थिति को उत्पन्न कर सकेगी। जिस एकमात्र परिस्थिति के बारे में यह प्रतीत होता है कि उसके परिणामस्वरूप वर्तमान भूतलक्षी संशोधन किया गया है, अविधिमान्य नियम का अस्तित्वशील होना है। किसी अविधिमान्य नियम को अस्तित्वशील होना जो किसी निर्धारिती को किसी फायदे का प्रत्याख्यान करने की ईप्सा करता है, जो विधिपूर्वक और समुचित रूप से निर्धारिती द्वारा कानून के स्पष्ट उपबंध के निबंधनानुसार उपभुक्त अथवा उपभुक्त होने वाले फायदे से जो, स्पष्टतः और असंदिग्ध रूप से विधानमण्डल द्वारा किसी निर्धारिती को अनुदत्त किया गया हो, अन्य न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अभाव में भूतलक्षी संशोधन अधिनियमित करने के लिए समुचित आधार गठित नहीं कर सकता है। 1980 में आक्षेपकृत संशोधन के किए जाने से पूर्व, धारा 80-ञ द्वारा अनुदत्त अनुतोष प्रवृत्त बना हुआ था और वह निर्धारिती को विधिसम्मत रूप से उपलभ्य था। स्वयं संसद् द्वारा कानून में किए गए स्पष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए संसद् के लिए यह आवश्यक है कि यह उपधारणा की जाए कि उसे इस बात का ज्ञान था कि धारा 80-ञ के अधीन यथा-अनुध्यात अनुतोष निर्धारिती को उपलभ्य था और निर्धारिती उसका उपभोग कर रहे थे और उक्त अनुतोष के फायदे का उपभोग करने के हकदार थे। चाहे जो भी हो, संसद् द्वारा और उसके बारे में यह उपधारणा की जानी चाहिए कि उसने इस आधार पर राज्य के वित्तीय कार्यकलाप का उपबंध किया था कि धारा 80-ञ के अधीन किसी निर्धारिती को अनुज्ञात अनुतोष का उपभोग किया जा रहा था और निर्धारिती द्वारा उसका उपभोग किया जाएगा। कानून के स्पष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाना आवश्यक है कि वह संसद् के सही आशय को सुव्यक्त करता है, यह दलील देना व्यर्थ होगा कि संसद् यह आशय रख सकती थी कि इस प्रकार अनुदत्त किया गया अनुतोष ऐसे निर्धारितियों को उपलभ्य होगा जो कि कर की अधिक रकम का संदाय करने के दायित्वाधीन होंगे। जिन वर्षों के लिए अनुतोष प्रवृत बना हुआ था वे पहले ही बीत चुके थे। यह प्रतीत नहीं होता है कि निर्धारिती द्वारा उपभुक्त अनुतोष के परिणामस्वरूप इन सभी वर्षों के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति किसी भी रीति से प्रभावित किए गए थे अथवा प्रभावित किए जा सकते थे। इन तथ्यों और परिस्थितियों से यह भी उपदर्शित होता है कि संगृहीत किए गए करों का प्रतिसंदाय करने के लिए राज्य पर अधिक भार पड़ेगा जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर मामलों में निर्धारिती सफल रहे हैं और उधार ली गई पूंजी की बाबत भी धारा 80-ञ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन अनुतोष अनुज्ञात किए जाने के पश्चात् उनका निर्धारण किया गया है।

78. दूसरी ओर यह सर्वथा स्पष्ट है कि यदि अनुदत्त अनुतोष 1972 से लेकर भूतलक्षी प्रभाव से प्रत्याहृत कर लिया जाता है तो ऐसे निर्धारिती, जिन्होंने उन सभी वर्षों में अनुतोष का उपभोग किया था, उन्हें अत्यंत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भूतलक्षी प्रवर्तन सहित अनुतोष के प्रत्याहरण का प्रभाव यह होगा कि निर्धारिती पर उसकी किसी गलती के बिना ही भारी समेकित वित्तीय भार अधिरोपित किया जाएगा और इससे यह आबद्धकर हो जाता है कि निर्धारिती के लिए एक गंभीर वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे भारी वित्तीय भार के अलावा जिसके बारे में यह अधिसंभाव्य है कि उससे उपक्रम की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है, निर्धारिती को अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस आधार पर कि अनुतोष विधिसम्मत और वैध रूप से निर्धारिती को उपलभ्य था, निर्धारिती ने अपने कार्यकलाप के बारे में कार्यवाही करना और उनका प्रबंध करना प्रारंभ किया। यदि अनुदत्त अनुतोष को अब भूतलक्षी प्रवर्तन से प्रत्याहृत करने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है तो हो सकता है कि निर्धारिती अन्य कानूनों के उपबंधों के अतिक्रमण का दोषी पाया जाए और उसे दाण्डिक परिणाम भुगतने पड़ें। इस स्थिति के बारे में विद्वान् महा-अटर्नी द्वारा न तो विवाद किया जा सकता है और न किया ही गया है किन्तु उन्होंने विचित्र तथ्यों तथा परिस्थितियों को विचारगत करने के पश्चात् यह दलील दी कि इस बारे में दाण्डिक उपबंध लागू न किए जाएं। इस दलील से हम प्रभावित नहीं हुए हैं। चाहे जो भी हो, निर्धारिती को जोखिम उठाना पड़ेगा और यद्यपि उसकी कोई त्रुटि नहीं है, उसे अपने आपको ऐसे कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के परिणामों का सामना करने के लिए प्राधिकारियों की सहानुभूति पर निर्भर करना होगा जो कि यदि भूतलक्षी संशोधन अंतःस्थापित न किया गया होता, तो निर्धारिती द्वारा उसका उल्लंघन न किया गया होता।

79. मनमानेपन अथवा अयुक्तियुक्तता को स्थापित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि निर्धारिती का उपक्रम पूर्णतः पंगु बना दिया जाएगा और उसे भूतलक्षी प्रभाव से अनुतोष के प्रत्याहृत किए जाने के परिणामस्वरूप बंद करना पड़ेगा। निर्धारिती की ओर से किसी गलती के न किए जाने पर भी उसे कारित किए जाने वाले अत्यंत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव की वास्तविक संभाव्यता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। मेरी राय में, किसी न्यायोचित आधार तथा राजस्व के हित के प्रति किसी गंभीर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रतिकूल प्रभाव के अभाव में भूतलक्षी प्रभाव से अनुतोष के प्रत्याहृत किए जाने के द्वारा निर्धारिती पर अत्यंत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जो कि भूतलक्षी संशोधन के संबंध में अयुक्तियुक्तता तथा मनमानापन स्थापित करती है। भूतलक्षी संशोधन के प्रवर्तन के बारे में यह आवश्यक है कि उसका निर्धारिती पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इस विषय में कारबार के संबंध में युक्तियुक्त संभाव्यता है कि निर्धारिती पर विरोधी प्रभाव तथा गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भूतलक्षी प्रभाव से किया गया संशोधन भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का अतिक्रमणकारी है।

80. महा-अटर्नी की यह दलील कि संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारिती के हित में करना पड़ा था क्योंकि अन्यथा निर्धारिती उस अनुतोष के फायदे का हकदार नहीं हो सकता था जो कि इस धारा के अधीन उसे प्रदान किया जाना आशयित था क्योंकि मेरे विचार में अनुतोष की संगणना करने के लिए किसी विधिमान्य नियम का अभाव स्पष्टत: अमान्य है। मुझे इस बारे में कोई कारण दिखाई नहीं देता कि भला क्यों ऐसी दशा में अनुतोष की संगणना करने में कोई कठिनाई होनी चाहिए जिसमें कि नियम के अविधिमान्य भाग को अभिखण्डित कर दिया गया हो। यह उल्लेखनीय है कि नियम, जहां तक कि वह उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है और अनुतोष की संगणना के संबंध में वर्ष के प्रथम दिवस को नियत करता है, कई वर्ष पूर्व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अभिखण्डित किया जा चुका था और निर्धारण प्राधिकारियों को उक्त अनुतोष की संगणना करने में तथा धारा 80-ञ के अधीन निर्धारिती को वैध रूप से उपलभ्य अनुतोष अनुदत्त करके निर्धारण की पूर्ति करने हेतु अग्रसर होने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है हालांकि नियम का अविधिमान्य भाग अभिखंडित कर दिए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त कार्यवाही की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि संसद् ने यह भी आवश्यक नहीं समझा था कि उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों के बावजूद इस संशोधन को पहले ही अन्त:स्थापित कर दिया जाता, हालांकि संसद् ने इस धारा में अन्य संशोधन अन्त:स्थापित किए थे।

81. इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि किसी धन संबंधी कानून द्वारा अनुदत्त अनुतोष अथवा किसी वित्तीय फायदे के संशोधन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रत्याहरण के बारे में साधारणत: यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह अयुक्तियुक्त तथा मनमाना है। ऐसा प्रत्याहरण लाभप्रद कानूनी उपबंध का उपहास करता है और उससे गड़बड़ी तथा विभ्रम उत्पन्न होते हैं। प्रभावत: ऐसे प्रत्याहरण के परिणामस्वरूप गत वर्षों के लिए भावी तारीख को उद्ग्रहण अधिरोपित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना होता है जिनके लिए कि सुसंगत वर्षों में ऐसा कोई उद्ग्रहण नहीं किया गया था। कई वर्षों पर्यन्त भूतलक्षी प्रभाव से किसी नवीन कर का अधिरोपित किया जाना जिनके लिए ऐसा कोई उद्ग्रहण किया गया था, निश्चित रूप से प्रत्येक ऐसे निर्धारिती पर सम्यक् कठोर रीति से प्रवर्तित होता है जो कि (निर्धारिती) यथा-विद्यमान विधि के आधार पर अपने वित्तीय कार्यकलाप का प्रबंध करने का हकदार है और प्रसामान्य रूप से वह ऐसा प्रबंध करता है। ऐसा भूतलक्षी कराधान निर्धारिती की ओर से की गई किसी गलती के अभाव में ही उस पर अनुचित तथा अनपेक्षित समेकित भार अधिरोपित करता है और निर्धारिती को किसी उचित कारण के बिना ही अनावश्यक रूप से अत्यन्त गंभीर वित्तीय तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन वर्षों के लिए जिनमें कि ऐसा कोई कर नहीं लगाया गया था, भूतलक्षी प्रभाव से कर के अधिरोपित किए जाने पर भी उसके बारे में यह नहीं समझा जा सकता कि वह राजस्व के दृष्टिकोण से न्यायोचित तथा युक्तियुक्त है। जिन वर्षों के लिए उद्ग्रहण भूतलक्षी प्रभाव से अधिरोपित किया जाना ईप्सित है, वे पहले ही बीत चुके थे और उन वर्षों के लिए किसी नवीन कर के अधिरोपित किए जाने के लिए कोई सही न्यायौचित्य नहीं हो सकता है। ऐसे भूतलक्षी कराधान के विषय में यह अधिसंभाव्य है कि वह स्थिर स्थिति को विक्षुब्ध तथा अव्यवस्थित बना देता है और इस कारण कि उन वर्षों के लिए जिनके लिए कि भूतलक्षी प्रभाव से उद्ग्रहण का ऐसा अधिरोपण किया गया था, उन वर्षों के लिए जिनके लिए निर्धारण पहले से पूर्ण तथा संपन्न हो चुके थे, अस्त-व्यस्त हो जाएंगे। यदि राज्य को अधिक निधियों की आवश्यकता है तो राज्य भूतलक्षी प्रभाव से किसी कर को उद्गृहीत करने की ईप्सा करने की बजाय सदैव किसी अधिक रकम को जुटाने के लिए समुचित कदम उठा सकता है, जिस रकम की अपेक्षा उच्चतर करों के अधिरोपित किए जाने से अथवा अन्य समुचित पद्धतियों से की जा सकती है। मैंने पहले ही यह मत व्यक्त कर दिया है कि ऐसे विधिमान्यकरण अधिनियम जो भूतलक्षी प्रभाव से किसी कर के उद्गृहीत किए जाने को विधिमान्य बनाने की ईप्सा करते हैं, पारिणामिक रूप से भूतलक्षी प्रभाव से किसी नए कर को अधिरोपित नहीं करते और विधिमान्यकरण अधिनियम सर्वथा भिन्न आधार पर स्थित होते हैं। इसलिए मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि आक्षेपकृत संशोधन, जहां तक कि इसके बारे में यह ईप्सा की गई है कि उसे 1 अप्रैल, 1972 से लेकर भूतलक्षी प्रभाव दे दिया जाए, अविधिमान्य तथा असांविधानिक है हालांकि संबद्ध संशोधन जहां तक कि वह भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित होता है, विधिमान्य है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

82. परिणामस्वरूप मैं उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों के विरुद्ध भारत संघ द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज करता हूं जिनमें कि नियम 19-क को अविधिमान्य घोषित किया गया है जहां तक कि उक्त नियम उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है और धारा 80-ञ के अधीन किसी निर्धारिती को अनुदत्त अनुतोष की संगणना के लिए वर्ष के प्रथम दिवस को नियत करता है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करता हूं जो नियम की विधिमान्यता को कायम रखता है तथा मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निर्धारिती की अपीलों को अनुज्ञात करता हूं। मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं तथा घोषित करता हूं कि नियम 19-क जहां तक कि वह उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित करता है तथा धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष की संगणना के लिए वर्ष के प्रथम दिवस को नियत करता है, अविधिमान्य तथा असांविधानिक है और उसे अभिखंडित करना होगा तथा उसे ठीक ही विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अभिखंडित किया गया है। मैं यह अभिनिर्धारित तथा घोषित करता हूं कि 1980 का आक्षेपकृत संशोधन जो स्वयं धारा में अविधिमान्य नियम 19-क के उपबंध को समाविष्ट करता है, जिसके द्वारा उधार ली गई पूंजी को अपवर्जित किया गया है और धारा 80-ञ के अधीन अनुतोष की संगणना के लिए वर्ष के प्रथम दिवस को नियत किया गया है, जहां तक कि उसके भूतलक्षी प्रवर्तन का प्रश्न है, संशोधन की तारीख से विधिमान्य है और जहां तक उक्त संशोधन के बारे में यह ईप्सा की गई है कि उसे 1 अप्रैल, 1972 से लेकर भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित किया जाए, असांविधानिक तथा अविधिमान्य है। तद्नुसार मैं संशोधन की विधिमान्यता पर आक्षेप करने वाले रिट पिटीशनों को मात्र इस विस्तार पर्यन्त अनुज्ञात करता हूं जहां तक कि वे भविष्यलक्षी प्रवर्तन रखते हैं और इन रिट पिटीशनों को वहां तक खारिज करता हूं जहां तक कि संपूर्ण रूप से संशोधन पर आक्षेप करने की ईप्सा की गई है। खर्चे के बारे में आदेश देने संबंधी मैं कोई प्रस्थापना नहीं करता हूं।

आदेश

बहुमत के विनिश्चय को दृष्टि में रखते हुए, सभी रिट पिटीशनों को खारिज किया जाता है और दोनों पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

रिट पिटीशन खारिज किए गए।

श्री०/भू०/सरोहा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बैंक आफ बड़ौदा

बनाम

मोती भाई और अन्य

(29 जनवरी, 1985)

(मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़ और न्यायाधिपति वी० बालकृष्ण एराडी)

राजस्थान टेनेंसी ऐक्ट, 1955 (1955 का 3)—धारा 43—किसी कृषक के बंधकित हित के बारे में सिविल न्यायालय की अधिकारिता—वाणिज्यिक बैंक द्वारा, वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में बंधक के आधार पर प्रत्यर्थी को धन उधार दिया जाना—ऋण और उस पर ब्याज की वसूली के लिए अपीलार्थी बैंक द्वारा वाद का लाया जाना—यह आक्षेप कि ऐसे वाद का विचारण राजस्व न्यायालय ही, न कि सिविल न्यायालय, कर सकता है, अस्वीकार किए जाने योग्य है—बैंक द्वारा कृषक को दिया गया ऐसा ऋण, जो वाणिज्यिक प्रकृति का है, अधिनियम की परिधि से बाहर है और उसकी बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह अधिनियम के अधीन उद्‌भूत होने वाले किसी मामले के बारे में है—अतः सिविल न्यायालय को, न कि राजस्व न्यायालय को, ऐसे वाद का निवाचरण करने की अधिकारिता है।

अपीलार्थी-बड़ौदा बैंक, प्रत्यर्थी सं० 1 के पक्ष में अपनी बांसवाड़ा शाखा की मार्फत 36,000 रुपये की राशि के लिए मांग देय ऋण की सुविधा मंजूर करने के लिए सहमत हुआ था। उसके प्रतिफलस्वरूप प्रत्यर्थी सं० 1 ने तारीख 18 जून, 1973 को बैंक के पक्ष में एक मांग देय वचन-पत्र निष्पादित किया। उसने राजस्थान में खण्डू और सुरजीपाड़ा स्थित अपनी भूमियों की खड़ी फसल का आडमान करते हुए एक बंध-पत्र भी निष्पादित किया। प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 ऋण के प्रतिसंदाय के लिए प्रत्याभूतिदाता हैं। ऋण के प्रतिसंदाय को और सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 1 ने खण्डू और सुरजीपाड़ा की भूमियों के सम्बन्ध में बैंक के पक्ष में एक साधारण बंधक विलेख भी निष्पादित किया। प्रत्यर्थी द्वारा ऋण का प्रति-संदाय करने में असफल रहने के कारण अपीलार्थी ने लगभग 52,000 रुपये से कुछ अधिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की उस राशि की, जो ऐसे ऋण के संव्यवहार पर देय हो गई थी, वसूली के लिए बांसवाड़ा के विद्वान् न्यायाधीश के न्यायालय में प्रत्यर्थियों के विरुद्ध वाद फाइल किया। प्रत्यर्थियों ने वाद के चलने योग्य होने के बारे में एक प्रारम्भिक आक्षेप इस आधार पर किया था कि वादगत दावा बैंक के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित बंधक प्रवर्तित कराने के लिए आवश्यक है और इसलिए राजस्व न्यायालय को राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1955 (1955 का 3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के कारण वाद ग्रहण करने की अनन्य अधिकारिता है। विद्वान् जिला न्यायाधीश ने वह आक्षेप नामंजूर कर दिया, किन्तु उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गये सिविल पुनरीक्षण आवेदन को कायम रखा था। उच्च न्यायालय के अनुसार प्रतिवादी सं० 1 द्वारा कृषि भूमि में अपने अभिधृति विषयक अधिकारों के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में किए गए बन्धक-विलेख का निष्पादन वादी के वाद-हेतुक के आवश्यक भाग भी गठित करता है और इसलिए वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वादी ने विशेष इजाजत लेकर की गई इस अपील में इस मत के ठीक होने की बात को चुनौती दी है। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1955 की धारा 207 एवं 256 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह प्रतीत होगा कि सिविल न्यायालयों की अधिकारिता अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के वादों और आवेदनों के संबंध में और ऐसे वाद-हेतुक पर, जिसके सम्बन्ध में कोई अनुतोष तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के वाद या आवेदन के जरिए से अभिप्राप्त किया जा सकता है, आधारित वादों या आवेदनों के सम्बन्ध में ही वर्जित है। सिविल न्यायालय को अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, परन्तु यह तब जबकि अधिनियम में वाद, आवेदन या अपील के तौर पर या अन्यथा कोई उपचार उपबन्धित हो। (पैरा 5)

ऋण की वसूली के लिए बैंक का वाद राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1955 के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में नहीं है। अधिनियम का बृहत् नाम यह दर्शाता है कि वह कृषि भूमियों के अभिधारियों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए और भूमि सुधार के कतिपय उपायों और उससे सम्बन्धित बातों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया था। किसी कृषक को बैंक द्वारा दिया गया ऐसा ऋण, जो वाणिज्यिक संव्यवहार की प्रकृति का है, अधिनियम की परिधि से बाहर है और कल्पना की किसी भी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उड़ान से उसे अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता। (पैरा 6)

अधिकारिता के प्रश्न के बारे में किसी भी व्यक्ति को सदैव मामले के सार पर, न कि वाद के प्ररूप पर, ध्यान देना चाहिए। यदि मामले पर उस दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, तो यह बात स्पष्ट होगी कि प्रारम्भिक रूप से और आधारिक रूप से बैंक ने जो वाद फाइल किया था, वह उस रकम की वसूली के लिए है जो प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा निष्पादित वचन-पत्र और प्रत्यर्थी 2 और 3 द्वारा दी गई प्रत्याभूति के आधार पर प्रत्यर्थियों से उसे देय है। बैंक द्वारा चाहा गया अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थियों से देय रकम के प्रति-संदाय के लिए वाद की डिक्री की जानी चाहिए। बैंक ने दूसरी प्रार्थना करके यह मांग की है कि डिक्रीत रकम के असंदाय की दशा में बंधकित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाना चाहिए और यदि उस विक्रय की रकम डिक्रीत दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रत्यर्थियों की अन्य जंगम और स्थावर संपत्तियों का विक्रय किया जाना चाहिए। वाद, बंधक को प्रवर्तित कराने के लिए नहीं है और तर्क के प्रयोजन के लिए यह उपधारण करने पर भी कि वह है, बंधक अधिनियम की धारा 43 के अधीन निष्पादित न किए जाने से और उस धारा से सम्बन्धित न होने से, अवशिष्टीय प्रविष्टि 35 लागू नहीं हो सकती। यदि वह प्रविष्टि असंगत है, तो अधिनियम में ऐसा कोई अन्य उपबंध नहीं है जो प्रस्तुत वाद को लागू होगा। इसलिए सिविल न्यायालय को अपीलार्थी बैंक द्वारा फाइल किया गया वाद ग्रहण करने की अधिकारिता है। (पैरा 8)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1980 की सिविल अपील सं० 1321.

1978 के एस० बी० सिविल पुनरीक्षण सं० 320 में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के तारीख 15 फरवरी, 1979 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री पी० जी० गोखले और बी० आर० अग्रवाल
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्री दलवीर भण्डारी

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़ ने दिया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मुख्य न्यायाधिपति चन्द्रचूड़—

अपीलार्थी-बड़ौदा बैंक प्रत्यर्थी सं० 1 के पक्ष में अपनी बांसवाड़ा शाखा की मार्फत 36,000 रुपये की राशि के मांगदेय ऋण की सुविधा मंजूर करने के लिए सहमत हुआ था। उसके प्रतिफलस्वरूप प्रत्यर्थी सं० 1 ने तारीख 18 जून, 1973 को बैंक के पक्ष में एक मांगदेय वचन-पत्र निष्पादित किया। उसने राजस्थान में खण्डू और सुरजीपाड़ा स्थित अपनी भूमियों की खड़ी फसल का आडमान करते हुए एक बंध-पत्र भी निष्पादित किया। प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 ऋण के प्रतिसंदाय के लिए प्रत्याभूतिदाता हैं। ऋण के प्रति-संदाय को और सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 1 ने खण्डू और सुरजीपाड़ा की भूमियों के सम्बन्ध में बैंक के पक्ष में एक साधारण बंधक-विलेख भी निष्पादित किया।

2. प्रत्यर्थियों द्वारा ऋण का प्रति-संदाय करने में असफल रहने के कारण अपीलार्थी ने लगभग 52,000 रुपये से कुछ अधिक की उस राशि की, जो ऋण के संव्यवहार पर देय हो गई थी, वसूली के लिए बांसवाड़ा के विद्वान् न्यायाधीश के न्यायालय में प्रत्यर्थियों के विरुद्ध वाद फाइल किया। प्रत्यर्थियों ने वाद के चलने योग्य होने के बारे में एक प्रारम्भिक आक्षेप इस आधार पर किया कि वादगत दावा बैंक के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित बंधक प्रवर्तित कराने के लिए आवश्यक है और इसलिए राजस्व न्यायालय को राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट, 1955 (1955 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के कारण वाद ग्रहण करने की अनन्य अधिकारिता है। विद्वान् जिला न्यायाधीश ने वह आक्षेप नामंजूर कर दिया, किन्तु उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गए सिविल पुनरीक्षण आवेदन को कायम रखा। उच्च न्यायालय के अनुसार प्रतिवादी सं० 1 द्वारा कृषि भूमि में अपने अभिधृति विषयक अधिकारों के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में किए गए बंधक-विलेख का निष्पादन वादी के वाद-हेतुक का आवश्यक भाग भी गठित करता है और इसलिए वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वादी ने इस मत के विशेष इजाजत लेकर की गई इस अपील में ठीक होने की बात को चुनौती दी है।

3. अधिनियम की धारा 207 इस प्रकार है—

*"207. **वाद और आवेदन केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय होना—**

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"207. Suit and applications cognizable by rexenue courtonly—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(1) राजस्व न्यायालय तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के सब वादों और आवेदनों की सुनवाई और अवधारण करेगा ।

(2) राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसे वाद-हेतुक पर, जिसके सम्बन्ध में कोई अनुतोष ऐसे किसी वाद या आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है, आधारित किसी वाद या आवेदन का संज्ञान नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—यदि वाद-हेतुक ऐसा है, जिसके सम्बन्ध में अनुतोष राजस्व न्यायालय मंजूर कर सकता है, तो यह बात अतात्विक है कि सिविल न्यायालय से मांगा गया अनुतोष उस अनुतोष से जो राजस्व न्यायालय मंजूर करता, अधिक है या उसके अतिरिक्त है या उसके समान नहीं है ।"

4. अधिनियम की धारा 256, जो धारा 207 की अनुपूरक है, इस प्रकार है —

*"256. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**—

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, कोई भी वाद या कार्यवाही, इस

---

(1) All suitas and applications of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.

(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application.

Explanation—It the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted."

*"256. **Bar to jurisdictioh of civil courts**—

(1) Save as otherwise provided specifically by or under this Act, no suit or proceeding shall lie in any

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन उद्भूत होने वाले ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगी जिसके लिए उसमें वाद, आवेदन, अपील के तौर पर या अन्यथा उपचार उपबंधित है।

(2) यथा-पूर्वोक्त के सिवाय, राज्य सरकार या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश सिविल न्यायालय में चुनौती दिए जाने का दायी नहीं होगा।"

5. इन दो धाराओं को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह प्रतीत होगा कि सिविल न्यायालयों की अधिकारिता अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के वादों और आवेदनों के संबंध में, और ऐसे वाद-हेतुक पर, जिसके संबंध में कोई अनुतोष तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति के वाद या आवेदन के जरिए अभिप्राप्त किया जा सकता है, आधारित वादों या आवेदनों के संबंध में ही वर्जित है। सिविल न्यायालय को अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के संबंध में वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, परन्तु यह तब जबकि अधिनियम में वाद, आवेदन या अपील के तौर पर या अन्यथा कोई उपचार उपबंधित हो।

6. अधिकारिता के प्रश्न के संबंध में उस विधिक स्थिति से, जो ऊपर उल्लिखित की गई है, तृतीय अनुसूची में की विभिन्न प्रविष्टियों की परीक्षा की जानी अपेक्षित है। वह अनुसूची 3 भागों में विभाजित है जिनमें से प्रथम भाग को 'वाद' कहा गया है दूसरे को 'आवेदन' कहा गया है और तीसरे को 'अपील' कहा गया है। इस अपील में हमारा संबंध उन 35 प्रविष्टियों से है जो प्रथम भाग में, जो वादों से संबंधित है, समाविष्ट है। यह सामान्य आधार है

---

civil court with respect to any matter arising under this Act or the Rules made thereunder, for which a remedy by way of suit, application, appeal or otherwise is provided therein.

(2) Save as aforesaid, no order passed by the State Government or by any revenue court or officer in exercise of the powers conferred by this Act or the Rules made thereunder shall be liable to be questioned in any civil court."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और उच्च न्यायालय ने इसके प्रतिकूल अभिनिर्धारित नहीं किया है तथा (1) से 34 तक की विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों में से कोई भी प्रविष्टि अपीलार्थी बैंक द्वारा फाइल किये गये वाद को लागू नहीं होती है। तर्क यह है कि अवशिष्टीय प्रविष्टि 35 वाद को लागू होगी और इसलिए अधिनियम की धारा 207 और 256 के कारण केवल राजस्व न्यायालय ही वाद ग्रहण कर सकता है। प्रविष्टि 35 'साधारण प्रविष्टि' के रूप में अर्थात् उसके रूप में, जो अधिनियम की किसी विशेष धारा से संबंधित न हो, तृतीय अनुसूची में वर्णित की गई है। 'साधारण' के रूप में प्रविष्टि का वर्णन तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 2 में दिया गया है जिसका शीर्षक "अधिनियम की धारा" है। अनुसूची के तीसरे स्तम्भ का शीर्षक "वाद, आवेदन या अपील का वर्णन" है। उस स्तम्भ में सुसंगत वर्णन इस प्रकार है—

> "इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में कोई अन्य वाद, जिसके लिए इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न हो।"

हम इस बात को ठीक-ठीक समझने में असमर्थ हैं कि किस प्रकार से बैंक द्वारा फाइल किया गया वाद इस 'साधारण' या अवशिष्टीय प्रविष्टि में आ सकता है। ऋण की वसूली के लिए बैंक का वाद अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के संबंध में नहीं है। अधिनियम का वृहत् नाम यह दर्शाता है कि वह कृषि भूमियों के अभिधारियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए और भूमि सुधार के कतिपय उपायों और उससे संबंधित बातों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया था। किसी कृषक को बैंक द्वारा दिया गया ऐसा ऋण, जो वाणिज्यिक संव्यवहार की प्रकृति का है, अधिनियम की परिधि से बाहर है और कल्पना की किसी भी उड़ान से उसे अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता।

7. उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 43 का अवलंब लिया है कि बंधक-विलेख उस धारा के अनुसार प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया था और इसलिए बंधक के प्रवर्तन द्वारा बंधकदार के अभिधृति विषयक अधिकारों के विक्रय के लिए वाद अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले मामले के सम्बन्ध में वाद है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे वाद को अवशिष्टीय प्रविष्टि लागू होगी, क्योंकि जिस मामले से वह सम्बन्धित है, उसके लिए तृतीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुसूची में अन्यत्र कहीं भी विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित नहीं है। हम सादर इस तर्क के आधार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अधिनियम की धारा 43(1), जो इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है, इस प्रकार है—

*"43. **बंधक** (1) खातेदार अभिधारी या राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की साधारण या विशेष अनुज्ञा से, गैर-खातेदार अभिधारी, राज्य सरकार या भूमि विकास बैंक से, जैसे राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1965 (1965 का अधिनियम सं० 13) में परिभाषित है, या उक्त अधिनियम के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी सहकारी सोसाइटी से या किसी अनुसूचित बैंक से या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था से ऋण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अपनी सम्पूर्ण धृति या उसके भाग में अपने हित का आडमान या बंधक कर सकेगा।"

उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करके गलती की है कि इस बारे में विवाद नहीं उठाया जा सकता कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने बंधक धारा 43 के उपबंधों के अनुसरण में निष्पादित किया था। बैंक का कारबार, जहां तक उधार देने विषयक संव्यवहारों का सम्बन्ध है, बंधकों पर धन उधार देने का नहीं है, बल्कि कारबार धन उधार देने का है। इस विशेष मामले में बैंक ने अपने वाणिज्यिक कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्रत्यर्थी सं० 1 को कतिपय धनराशि उधार दी थी और अधिनियम की परिधि में से ऐसे संव्यवहार से भिन्न कोई अन्य बात बाहर नहीं निकाली जा सकती। बैंक ने केवल सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"43. **Mortgage**—(1) Khatedar tenant, or, with the general or special permission of the State Government or any officer authorised by it in this behalf, a Ghair Khatedar tenant, may hypothecate or mortgage his interest in the whole or part of his holding for the purpose of obtaining loan from the State Government or a Land Development Bank as defined in the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Act 13 of 1965) or a Co-operative Society registered or deemed to be registered as such under the said Act or any Scheduled Bank or any other institution notified by the State Government in that behalf."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ही, प्रत्यर्थी सं० 1 से आडमान बंध-पत्र और बंधक-विलेख और प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 से प्रत्याभूति पत्र प्राप्त किया है। उच्च न्यायालय का संपूर्ण निर्णय इस उपधारणा पर आधारित है कि बंधक अधिनियम की धारा 43 के अनुसरण में निष्पादित किया गया था और इसलिए तृतीय अनुसूची की अवशिष्टीय प्रविष्टि 35 लागू होती है। एक बार इस बात को समझ लेने के पश्चात् कि प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा निष्पादित बंधक अधिनियम की परिधि से बाहर है, उच्च न्यायालय के तर्क को नामंजूर करना होगा।

8. अधिकारिता के प्रश्न के बारे में किसी भी व्यक्ति को सदैव मामले के सार पर, न कि वाद के प्ररूप पर, ध्यान देना चाहिए। यदि मामले पर उस दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, तो यह बात स्पष्ट होगी कि प्रारंभिक रूप से और आधारिक रूप से बैंक ने जो वाद फाइल किया था, वह उस रकम की वसूली के लिए है जो प्रत्यर्थी स० 1 द्वारा निष्पादित वचन-पत्र और प्रत्यर्थी 2 और 3 द्वारा दी गई प्रत्याभूति के आधार पर प्रत्यर्थियों से उसे देय है। बैंक द्वारा चाहा गया अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थियों से देय रकम के प्रति-संदाय के लिए वाद की डिक्री की जानी चाहिए। बैंक ने दूसरी प्रार्थना करके यह मांग की है कि 'डिक्रीत रकम के असंदाय की दशा में' बंधकित संपत्ति का विक्रय कर दिया जाना चाहिए और यदि उस विक्रय की रकम डिक्रीत दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रत्यर्थियों की अन्य जंगम और स्थावर संपत्तियों का विक्रय किया जाना चाहिए। वाद, बंधक को प्रवर्तित करने के लिए नहीं है और तर्क के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा करने पर भी कि वह है, बंधक अधिनियम की धारा 43 के अधीन निष्पादित न किये जाने से और उस धारा से संबंधित न होने से अवशिष्टीय प्रविष्टि 35 लागू नहीं हो सकती। यदि वह प्रविष्टि असंगत है, तो अधिनियम में ऐसा कोई अन्य उपबंध नहीं है जो प्रस्तुत वाद को लागू होगा। इसलिए सिविल न्यायालय को अपीलार्थी बैंक द्वारा फाइल किया गया वाद ग्रहण करने की अधिकारिता है।

9. इन कारणों से हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और जिला न्यायालय के निर्णय को कायम रखते हैं। वाद का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए। अपीलार्थी प्रत्यर्थियों से इस अपील में अपना खर्च प्राप्त करने का हकदार होगा।

अपील मंजूर की गई।

जैन/श्री०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योगश्वर जायसवाल

बनाम

राज्य परिवहन अपील अधिकरण और अन्य

(31 जनवरी, 1985)

(न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी)

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)—धारा 68-ग और 68-घ—सपठित धारा 68-च(1-ग)—धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम पर 68-घ के अधीन लम्बे समय तक कार्यवाही न किया जाना—धारा 68-घ(1-ग) के अधीन प्राइवेट परिवहन आपरेटरों को अस्थायी परमिट दिया जाना—चूंकि उक्त अस्थायी परमिट लोक हित को ध्यान में रखकर जारी किये गये हैं, अतः उन्हें इसलिए अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त स्कीम पर कार्यवाही करने में अयुक्तियुक्त विलंब हुआ है।

प्रशासनिक विधि—कानूनी प्राधिकारी—मोटर यान अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन यथासंभव शीघ्र आदेश पारित करने का कानूनी उपबंध—ऐसा आदेश पारित करने में राज्य सरकार की ओर से अवांछनीय विलंब—ऐसे कानूनी कर्तव्य के पालन में हुए विलंब से लोक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ता है—अतः सरकार को धारा 68-घ के अधीन अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए।

दिनांक 17 नवम्बर, 1971 की एक अधिसूचना मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 68-ग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा 27 नवम्बर, 1971 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रादेशिक राज्य प्राधिकरण, मेरठ की अधिकारिता के भीतर 13 मार्गों पर अपनी मंजिली गाड़ियों के अनन्य रूप से परिचालित करने के लिए उपबंध करने वाली प्रारूप स्कीम के बारे में आक्षेप (आपत्तियां) आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गयी थी।

अपीलार्थी उन अस्थायी परमिटों के अभिखण्डित किए जाने से व्यथित हैं जो उन्हें अधिनियम की धारा 68-च(1-ग) के अधीन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, मेरठ द्वारा 10 जनवरी, 1980 को उनके पक्ष में स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कुछ मार्गों पर मंजिली गाड़ियां चलाने के लिए, स्कीम के प्रकाशन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लगभग 9 वर्ष पश्चात् जारी किए गए थे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने यह महसूस किया था कि स्कीम के अन्तर्गत आने वाले 13 मार्गों में से 9 मार्गों पर मंजिली गाड़ियों की सेवाओं की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक था और तद्नुसार प्राधिकरण ने 17 दिसम्बर, 1979 के अपने आदेश के द्वारा अस्थायी परमिटों के लिए आवेदन आमंत्रित करने का विनिश्चय किया । यह विनिश्चय 102 गाड़ी आपरेटरों द्वारा धारित कुछ विद्यमान परमिटों के आमेलन और विस्तार के अनुज्ञात किए जाने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया गया था । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा निमंत्रण के परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों को शामिल करते हुए, बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने ऐसे आवेदन करने के लिए विहित अंतिम तारीख अर्थात् 31 दिसम्बर, 1979 से पूर्व ही अस्थायी परमिटों के लिए आवेदन किये । 10 जनवरी, 1980 को, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम ने अधिनियम की धारा 68-च(1-क) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया था, अपीलार्थियों के तथा बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों के आवेदनों पर, जिनकी संख्या लगभग 800 थी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था और अपीलार्थियों को कुल मिलाकर 10 अस्थायी परमिट मंजूर कर दिए गए थे । कुछ व्यक्तियों ने, जो प्रादेशिक राज्य परिवहन द्वारा 17 दिसम्बर, 1979 और 10 जनवरी, 1980 को पारित संकल्पों से व्यथित हुए थे, राज्य परिवहन अपील अधिकरण, लखनऊ के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए । अधिकरण ने 3 जून, 1981 के अपने आदेश के द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा 17 दिसम्बर, 1979 और 10 जनवरी, 1980 को पारित दोनों संकल्पों को अपास्त कर दिया था । 17 दिसम्बर, 1970 के संकल्प को अपास्त करने का मुख्य आधार यह था कि अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन स्कीम के प्रकाशन के पश्चात् विद्यमान परिवहन प्रचालकों के पक्ष में मंजूर किए गए परमिटों का आमेलन और विस्तार, अधिनियम के अध्याय IV के उपबंधों के प्रतिकूल था । तथापि, अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि प्रश्नगत मार्गों पर मंजिली गाड़ियों की सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की और अधिनियम की धारा 68-च के अधीन अस्थायी परमिट जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । तत्पश्चात् अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन 10 जनवरी, 1980 को उनके पक्ष में मंजूर किए गए अस्थायी परमिटों को अपास्त करने वाले आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए रिट पिटीशन फाइल किए ।

तथापि, विद्यमान परिवहन प्रचालकों ने, जिन्हें 17 दिसम्बर, 1979 को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा उनके परमिटों का आमेलन और विस्तार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मंजूर कर दिया गया था, अधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं दी यद्यपि उनके पक्ष में पारित किए गए आदेश भी अपास्त कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशनों को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया था कि चूंकि अपीलार्थियों के पक्ष में अस्थायी परमिटों का मंजूर किया जाना उस 17 दिसम्बर, 1979 के आदेश पर निर्भर करता था, अपीलार्थी जिसके पक्षकार नहीं थे, अतः 10 जनवरी, 1980 को उनके पक्ष में मंजूर किए गए अस्थायी परमिट भी अपास्त किए जाने योग्य थे। विशेष इजाजत से ये अपीलें उपर्युक्त रिट पिटीशनों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गयी हैं। अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित—मोटर यान अधिनियम, 1939 के अध्याय 4-क में अन्तर्विष्ट उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के बारे में यह घोषित किया गया है कि अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों तथा अन्य विधियों पर इनका अध्यारोही प्रभाव होगा, जिसे (अध्याय) में परिवहन यानों के नियंत्रण से संबंधित उपबंध तथा अन्य विधियां हैं। अधिनियम की धारा 68-ग यह उपबंध करती है कि जहां किसी राज्य परिवहन उपक्रम की यह राय है कि एक दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लोक हित में यह आवश्यक है कि सड़क परिवहन सेवाएं साधारणतः अथवा उसी राज्य के किसी क्षेत्र या मार्ग या उसके किसी भाग में किसी विशिष्ट प्रकार की ऐसी सेवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा, अन्य व्यक्तियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जित करके या अन्यथा, चलाई जाए और चालू रखी जाए, वहां राज्य परिवहन उपक्रम उन सेवाओं के स्वरूप की, जिनके उपलब्ध कराए जाने की प्रस्थापना है और उस क्षेत्र या उस मार्ग की, जिस पर परिवहन सेवा चलाने की प्रस्थापना है, विशिष्टियां तथा उससे संबंधित अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए एक स्कीम तैयार कर सकेगा और ऐसी प्रत्येक स्कीम राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से भी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करके, प्रकाशित कराएगी। (पैरा 3)

अधिनियम की धारा 68-ग और धारा 68-घ के उपबंध यह उपदर्शित करते हैं कि ऐसी कोई स्कीम जिसका आशय एक दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है, या तो, यथास्थिति, वैसी की वैसी ही युक्तियुक्त रूप से लघु समय के भीतर अनुमोदित कर दी जानी चाहिए अथवा उपांतरित रूप में अनुमोदित कर दी जानी चाहिए अथवा नामंजूर कर दी जानी चाहिए। क्योंकि किसी प्रकार का भी असाधारण विलंब इन सभी तत्वों या किसी एक तत्व अर्थात् दक्षता, पर्याप्तता,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मितव्ययता अथवा समन्वय को विक्षुब्ध कर देगा जो अधिनियम के अध्याय 4-क के अधीन अनुमोदित स्कीम को मुख्य रूप से लागू होते हैं। जनसंख्या में हुई वृद्धि तथा प्रश्नगत क्षेत्र में या उससे संलग्न भौगोलिक क्षेत्र में हुए विकास जैसे विभिन्न कारणों के कारण हुआ कोई भी अयुक्तियुक्त विलंब स्कीम में अन्तर्विष्ट पुरःस्थापना को अप्रचलित, पुरानी और अर्थहीन बना देगा। अतः अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन तैयार किए गए मामले को शीघ्रता से निपटाए जाने की आवश्यकता होती है। (पैरा 3)

अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-क) और (1-स) को एक साथ पढ़ने से यह उपदर्शित होता है कि उक्त धाराओं में से किसी एक के अधीन, जो मंजूर किया जा सकता है, वह मात्र एक अस्थायी परमिट है जो परमिट अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन स्कीम के प्रकाशन की तारीख तथा उस तारीख के बीच की अवधि के लिए ही प्रभावी रह सकता है जिस तारीख को अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन आदेश किया जाता है जो अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-ख) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन होता है। (पैरा 4)

अतः आवश्यक रूप से, विधि द्वारा राज्य सरकार के लिए अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन यथासंभव शीघ्र अपना आदेश पारित करना अपेक्षित है। इस कानूनी कर्तव्य के अनुपालन में किया गया विलंब विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोटि में आता है और इसका उपचार केवल न्यायालय द्वारा किया जाना होता है, विशेषकर जबकि ऐसी कार्यवाही से लोक हित कुप्रभावित होता है। अतः यदि अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन आदेश पारित करने में राज्य सरकार द्वारा अयुक्तियुक्त रूप से लम्बा और अस्पष्ट विलंब किया जाता है तो न्यायालय अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन मामले का निपटारा विहित अवधि के भीतर करने के लिए राज्य सरकार को परमादेश की रिट जारी कर सकता है या किसी समुचित मामले में स्कीम को अभिखंडित करने के लिए सरशियोरेराई के प्रकार का रिट भी जारी कर सकता है तथा अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम पर विचार करने में आगे कार्यवाही न करने का राज्य सरकार को निदेश देते हुए प्रतिषेध (प्राहिबीशन) का रिट भी जारी कर सकता है क्योंकि धारा 68-घ राज्य सरकार को मामले में उस प्रकार कार्यवाही करने का असीमित विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती जिस प्रकार राज्य सरकार चाहे। धारा 68-घ के अधीन शक्ति का प्रयोग लोक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना होता है। (पैरा 4)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वीकृत रूप से वह प्रदेश जिसमें वे मार्ग हैं जिनके बारे में स्कीम प्रकाशित की गयी है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में हाल ही के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में विकास हुआ है। विद्यमान 102 परिवहन प्रचालकों द्वारा धारित परमिटों की अवधि में वृद्धि मंजूर किया जाने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रश्नगत कुछ मार्गों के लिए उक्त अस्थायी परमिट जारी करने की आवश्यकता थी। परमिटों को रद्द कर दिए जाने के पश्चात् यात्रा सम्बन्धी और सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता और बढ़ गयी थी और इसलिए अपीलार्थियों के पक्ष में मंजूर किए गए अस्थायी परमिटों को अपास्त किए जाने का वस्तुतः कोई मामला नहीं बनता था। अपीलार्थियों के पक्ष में जारी किए गए अस्थायी परमिटों के रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप जनता पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। (पैरा 6)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1982 की सिविल अपील सं० 53, 54-57, 202-204 और 255.

(1981 के सिविल प्रकीर्ण रिट पिटीशन सं० 2915, 2888, 2914 और 2074 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 नवम्बर, 1981 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत से की गई अपीलें)

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री जे० पी० गोयल, एस० एन० कक्कड़, शांति भूषण, वी० के० वर्मा, वी० एस० फ्रांसिस, महावीर सिंह और एस० एन० मलिक

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री वी० एम० तारकुण्डे, के० के० वेणुगोपाल, पृथ्वी राज, बी० एस० चौहान, रानी छावड़ा, आर० के० जैन, राजू रामचन्द्रन और श्रीमती शोभा दीक्षित

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया।

न्यायाधिपति वेंकटरामय्या—

मोटर यान अधिनियम, 1939 (जिसे इसमें इसके आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित एक स्कीम पर अधिनियम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की धारा 68-घ के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आदेश पारित करने में हुआ लगभग 14 वर्ष का शोचनीय विलंब इलाहाबाद उच्च न्यायाल के 27 नवम्बर, 1981 के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत से फाइल की गयी इन अपीलों का मुख्य वाद-हेतुक है।

2. दिनांक 17 नवम्बर, 1971 की एक अधिसूचना अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा 27 नवम्बर, 1971 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रादेशिक राज्य प्राधिकरण, मेरठ की अधिकारिता के भीतर 13 मार्गों पर अपनी मंजिली गाड़ियों के अनन्य रूप से चलाने के लिए उपबंध करने वाली प्रारूप स्कीम के बारे में आक्षेप (आपत्तियां) आमन्त्रित करते हुए प्रकाशित की गयी थी। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन एक या दूसरे कारणवश, अभी तक कोई विनिश्चय ही नहीं किया गया है। इसी बीच जनता के लोग तथा मोटर प्रचालकों (आपरेटर्स) को ऐसी स्कीम के प्रकाशन से उद्भूत होने वाले अनेक प्रतिबंधों के अधीन हो गये हैं।

3. अधिनियम का अध्याय 4-क 1956 के अधिनियम सं० 100 द्वारा समुदाय को एक दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और सुमुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्तियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जित करके मोटर गाड़ियां चलाने के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया था। अधिनियम के अध्याय 4-क में अन्तर्विष्ट उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के बारे में यह घोषित किया गया है कि अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों तथा अन्य विधियों पर इनका अध्यारोही प्रभाव होगा, जिस (अध्याय) में परिवहन यानों के नियंत्रण से संबंधित उपबंध तथा अन्य विधियां हैं। अधिनियम की धारा 68-ग यह उपबंध करती है कि जहां किसी राज्य परिवहन उपक्रम की यह राय है कि एक दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से लोक हित में यह आवश्यक है कि सड़क परिवहन सेवाएं साधारणतः अथवा उस राज्य के किसी क्षेत्र या मार्ग या उसके किसी भाग में किसी विशिष्ट प्रकार की ऐसी सेवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा, अन्य व्यक्तियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जित करके या अन्यथा, चलाई जाए और चालू रखी जाए, वहां राज्य परिवहन उपक्रम उन सेवाओं के स्वरूप की, जिनके उपलब्ध कराए जाने की प्रस्थापना है और उस क्षेत्र या उस मार्ग की, जिस पर परिवहन सेवा चलाने की प्रस्थापना है, विशिष्टियां तथा उससे सम्बन्धित अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए एक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्कीम तैयार कर सकेगा और ऐसी प्रत्येक स्कीम राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से भी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करके, प्रकाशित कराएगा। ऐसी स्कीम के प्रकाशन के पश्चात् उस क्षेत्र या मार्ग पर या उसके आसपास, जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्थापना है, पहले से ही किन्हीं साधनों द्वारा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला कोई व्यक्ति, सड़क परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने में हितबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई संगम जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता दी हुई है और ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या पुलिस प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत उस क्षेत्र या मार्ग का कोई भाग पड़ता है, जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्थापना है, राजपत्र में ऐसी स्कीम के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, उसके बारे में आक्षेपित आपत्तियां राज्य सरकार के समक्ष फाइल कर सकेगा। राज्य सरकार ऐसे आक्षेपों पर विचार करने तथा आक्षेपकर्ता या उसके प्रतिनिधियों और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधियों को, यदि वे चाहें तो, इस विषय में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्कीम का अनुमोदन या उपांतरण कर सकेगी। अधिनियम की धारा 68-घ की उपधारा (1) और उपधारा (2) का यही सारांश है। इस धारा की उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित या उपांतरित स्कीम को राजपत्र से प्रकाशित किया जाना होता है और ऐसी स्कीम अनुमोदित स्कीम कही जाती है तथा जिस क्षेत्र या मार्ग से वह सम्बन्धित है वह क्षेत्र/मार्ग अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग कहलायेगा। अधिनियम की धारा 68-ग और धारा 68-घ के उपबंध यह स्पष्ट उपदर्शित करते हैं कि ऐसी कोई स्कीम जिसका आशय एक दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है, या तो, यथास्थिति, वैसा की वैसी ही युक्तियुक्त रूप से लघु समय के भीतर अनुमोदित कर दी जानी चाहिए अथवा उपांतरित रूप में अनुमोदित कर दी जानी चाहिए अथवा मंजूर कर दी जानी चाहिए। क्योंकि किसी प्रकार का भी असाधारण विलंब इन सभी तत्त्वों या किसी एक तत्त्व अर्थात् दक्षता, पर्याप्तता मितव्ययता अथवा समन्वय को विक्षुब्ध कर देगा जो अधिनियम के अध्याय 4-क के अधीन अनुमोदित स्कीम को मुख्य रूप से लागू होते हैं। जनसंख्या में हुई वृद्धि तथा प्रश्नगत क्षेत्र में या उससे संलग्न भौगोलिक क्षेत्र में हुए विकास जैसे विभिन्न कारणों के कारण हुआ कोई भी अयुक्तियुक्त विलंब स्कीम में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना को अप्रचलित, पुरानी और अर्थहीन बना देगा। अतः अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन तैयार किए गए मामले को शीघ्रता से निपटाए जाने की आवश्यकता होती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन स्कीम के प्रकाशन से उद्भूत होने वाली अन्य बाध्यताएं भी हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं। अधिनियम की धारा 68-च (1-घ) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ग) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी स्कीम की धारा 68-ग के अधीन प्रकाशन की तारीख तथा अनुमोदित या उपांतरित स्कीम के प्रकाशन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान ऐसे किसी क्षेत्र या मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में जो ऐसी स्कीम के अन्तर्गत आता है, किसी प्रकार की भी सड़क परिवहन सेवा के लिए किसी व्यक्ति के पक्ष में न तो कोई अनुज्ञा-पत्र (परमिट) दिया जाएगा और न उसका नवीकरण ही किया जाएगा। तथापि, अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-घ) का परन्तुक यह कहता है कि जहां धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में परमिट के प्रवर्तन की अवधि ऐसे प्रकाशन के पश्चात् समाप्त होती है, वहां ऐसे परमिट का नवीकरण सीमित अवधि के लिए किया जा सकेगा, किन्तु इस प्रकार नवीकृत परमिट धारा 68-घ की उपधारा (3) के अधीन स्कीम के प्रकाशन पर प्रभावी नहीं रहेगा। यह उपबंध अधिनियम की धारा 58 के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव रखता है जो अधिनियम के अध्याय IV के अधीन जारी किए गए मोटर यान परमिटों के नवीकरण का उपबंध करती है। जहां तक किसी ऐसे प्रश्नगत क्षेत्र या मार्ग के सम्बन्ध में, जो स्कीम में निर्दिष्ट किया गया है, स्कीम में निर्दिष्ट प्रकार के मोटर यान चलाने के लिए, स्कीम की धारा 68-ग के अधीन प्रकाशन की तारीख तथा अनुमोदित या उपांतरित स्कीम के प्रकाशन की तारीख के बीच की अवधि के बीच, नए परमिट जारी करने का सम्बन्ध है, ऐसी दशा में केवल अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-क)(1-ग) का ही अवलंब लेना होता है। धारा 68-च की उपधारा (1-क) ऐसे परमिट जारी करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम को अधिमान देती है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि जहां धारा 68-ग के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा स्कीम प्रकाशित की गई है वहां वह उपक्रम उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या मार्ग या उसके किसी भाग के बारे में स्कीम के प्रकाशन की तारीख और अनुमोदित या उपांतरित स्कीम के प्रकाशन की तारीख के बीच की अवधि के लिए अस्थायी परमिट के लिए आवेदन कर सकेगा, और जहां ऐसा आवेदन किया जाता है वहां, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र या मार्ग पर या उसके किसी भाग पर चलने वाले यानों की संख्या में लोक हित में वृद्धि करना आवश्यक है, तो वह प्राधिकरण राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रार्थित अस्थायी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परमिट जारी करेगा। ऐसा स्थायी परमिट, यदि स्कीम अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की जाती है, तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट मंजूर नहीं कर दिया जाता अथवा, यदि स्कीम तद्नुसार प्रकाशित नहीं की जाती है तो उस तारीख से एक सप्ताह समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा जिस तारीख को अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (2) के अधीन आदेश किया जाता है। यदि अस्थायी परमिट के लिए अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-क) के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-ग) के अधीन ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे, स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र या मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को अस्थायी परमिट मंजूर करेगा और इस प्रकार मंजूर किया गया परमिट उस क्षेत्र या मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट जारी कर दिए जाने पर प्रभावी रहेगा। अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-क) और (1-स) को एक साथ पढ़ने से यह उपदर्शित होता है कि उक्त धाराओं में से किसी एक के अधीन जो मंजूर किया जा सकता है वह मात्र एक **अस्थायी परिमट** है जो परमिट अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन स्कीम के प्रकाशन की तारीख तथा उस तारीख के बीच की अवधि के लिए ही प्रभावी रह सकता है जिस तारीख को अधिनियम की धारा (घ) के अधीन आदेश किया जाता है जो अधिनियम की धारा 68-च की उपधारा (1-ख) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन होता है। ऐसे अस्थायी परमिट की अवधि अयुक्तियुक्त रूप से लम्बी अवधि तक विस्तारित नहीं की जा सकती क्योंकि अधिनियम के अध्याय IV के अधीन जारी किया गया नवीकरण योग्य परमिट भी जहां तक इसके चलने की अवधि और नवीकरण का सम्बन्ध है, अधिनियम की धारा 58 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन रहता है और यह कि धारा 62 के अधीन जारी किया गया परमिट भी किसी भी दशा में 4 मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रह सकता। अतः आवश्यक रूप से, विधि द्वारा राज्य सरकार के लिए अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन यथासंभव शीघ्र अपना आदेश पारित करना अपेक्षित है। इस कानूनी कर्तव्य के अनुपालन में किया गया विलंब विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोटि में आता है और इसका उपचार केवल न्यायालय द्वारा किया जाना होता है, विशेषकर जबकि ऐसी कार्यवाही से लोक हित कुप्रभावित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होता है। अतः यदि अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन आदेश पारित करने में राज्य सरकार द्वारा अयुक्तियुक्त रूप से लम्बा और अस्पष्ट विलंब किया जाता है तो न्यायालय अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन मामले का निपटारा विहित अवधि के भीतर करने के लिए राज्य सरकार को परमादेश का रिट जारी कर सकता है या किसी समुचित मामले में स्कीम को अभिखंडित करने के लिए सरशियोरेराई के प्रकार का रिट भी जारी कर सकता है तथा अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम पर विचार करने में आगे कार्यवाही करने का राज्य सरकार को निदेश देते हुए प्रतिषेध (प्राहिबीशन) का रिट भी जारी कर सकता है क्योंकि धारा 68-घ राज्य सरकार को मामले में उस प्रकार कार्यवाही करने का असीमित विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती जिस प्रकार राज्य सरकार चाहे। धारा 68-घ के अधीन शक्ति का प्रयोग लोक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना होता है।

5. हमारे समक्ष इस मामले में अपीलार्थी उन अस्थायी परमिटों के अभिखंडित किए जाने से व्यथित हैं जो उन्हें अधिनियम की धारा 68-च(1-ग) के अधीन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, मेरठ द्वारा 10 जनवरी, 1980 को उनके पक्ष में स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कुछ मार्गों पर मंजिली गाड़ियां चलाने के लिए, स्कीम के प्रकाशन के लगभग 9 वर्ष पश्चात् जारी किए गएथे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने यह महसूस किया था कि स्कीम के अन्तर्गत आने वाले 13 मार्गों में से 9 मार्गों पर मंजिली गाड़ियों की सेवाओं की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक था और तद्नुसार प्राधिकरण ने 17 दिसम्बर, 1979 के अपने आदेश के द्वारा अस्थायी परमिटों के लिए आवेदन आमंत्रित करने का विनिश्चय किया। यह विनिश्चय 102 गाड़ी आपरेटरों द्वारा धारित कुछ विद्यमान परमिटों के आमेलन और विस्तार के अनुज्ञात किए जाने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया गया था। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा निमन्त्रण के परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों को शामिल करते हुए, बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने ऐसे आवेदन करने के लिए विहित अन्तिम तारीख अर्थात् 31 दिसम्बर, 1979 से पूर्व अस्थायी परमिटों के लिए आवेदन किये। 10 जनवरी, 1980 को, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम ने अधिनियम की धारा 68-च(1-क) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया था, अपीलार्थियों के तथा बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों के आवेदनों पर, जिनकी संख्या लगभग 800 थी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था और अपीलार्थियों को कुल मिलाकर 10 अस्थायी परमिट मंजूर किए गए थे। कुछ व्यक्तियों ने, जो प्रादेशिक राज्य

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिवहन द्वारा 17 दिसम्बर, 1979 और 10 जनवरी, 1980 को पारित संकल्पों द्वारा व्यथित हुए थे, राज्य परिवहन अपील अधिकरण, लखनऊ के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए। अधिकरण ने 3 जून, 1981 के अपने आदेश के द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा 17 दिसम्बर, 1979 और 10 जनवरी, 1980 को पारित दोनों संकल्पों को अपास्त कर दिया था। 17 दिसम्बर, 1970 के संकल्प को अपास्त करने का मुख्याधार यह था कि अधिनियम की धारा 68ग के अधीन स्कीम के प्रकाशन के पश्चात् विद्यमान परिवहन प्रचालकों के पक्ष में मंजूर किए गए परमिटों का आमेलन और विस्तार अधिनियम के अध्याय IV-क के उपबंधों के प्रतिकूल था। तथापि, अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया कि प्रश्नगत मार्गों पर मंजिली गाड़ियों की सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की और अधिनियम की धारा 68-च के अधीन अस्थायी परमिट जारी करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात् अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन 10 जनवरी, 1980 को उनके पक्ष में मंजूर किए गए अस्थायी परमिटों को अपास्त करने वाले आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए रिट पिटीशन फाइल किए। तथापि, विद्यमान परिवहन प्रचालकों ने, जिन्हें 17 दिसम्बर, 1979 को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा उनके परमिटों का आमेलन और विस्तार मंजूर कर दिया गया था, अधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं दी यद्यपि उनके पक्ष में पारित किए गए आदेश भी अपास्त कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशनों को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया था कि चूंकि अपीलार्थियों के पक्ष में अस्थायी परमिटों का मंजूर करना उस 17 दिसम्बर, 1979 के आदेश पर निर्भर करता था, अपीलार्थी जिसके पक्षकार नहीं थे, अतः 10 जनवरी, 1980 को उनके पक्ष में मंजूर किए गए अस्थायी परमिट भी अपास्त किए जाने योग्य थे। विशेष इजाजत से ये अपीलें उपर्युक्त रिट पिटीशनों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं।

6. इन अपीलों के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम यह मत व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं कि अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने ही उस लोक हित को प्रभावित करने वाले सुसंगत विवाद्यकों की अनदेखी की है, जो विवाद्यक अधिनियम के अधीन मोटर गाड़ियों के परमिट मंजूर करने से सम्बन्धित मामलों का विनिश्चय करने वाले मार्गनिर्देशक सिद्धांत होने चाहिएं थे। अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों इस बात पर ध्यान देने में असफल रहे हैं कि स्कीम सन् 1971 में प्रकाशित की गयी थी और अस्थायी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परमिट जारी करने वाला आदेश इस स्कीम के प्रकाशन के लगभग 9 वर्ष पश्चात् पारित किया गया था, जबकि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो गया था कि अस्थायी परमिट मंजूर करने की आवश्यकता थी। अधिकरण और उच्च न्यायालय ने भी अधिनियम की धारा 68घ के अधीन अपना आदेश पारित करने में राज्य सरकार द्वारा किए गए असाधारण विलंब के कारणों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न नहीं किया और यात्री जनता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर भी विचार नहीं किया। अधिकरण और उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा करने में एक बहुत ही तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है। हमारी यह राय है कि इस प्रक्रम पर उन आधारों में विस्तार से जाना अनावश्यक है जिन आधारों पर अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश इसलिए चलने योग्य नहीं थे क्योंकि स्कीम के प्रकाशन की तारीख से अब लगभग 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विद्यमान परिवहन प्रचालकों को 17 दिसम्बर, 1979 को उनके परमिटों की अवधि में किए गए विस्तार की मंजूरी की विधिमान्यता पर ध्यान दिया है जो कि उसके समक्ष बिल्कुल ही एक विवाद्यक नहीं था और अपीलार्थियों को 10 जनवरी, 1980 को मंजूर किए गए अस्थायी परमिटों को अपास्त करने में अधिकरण के आदेश की शुद्धता पर विचार नहीं किया है जिनको अपीलार्थियों ने रिट पिटीशनों द्वारा चुनौती दी थी। स्वीकृत रूप से वह प्रदेश जिसमें वे भाग हैं, जिनके बारे में स्कीम प्रकाशित की गई है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में हाल ही के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में विकास हुआ है। विद्यमान 102 परिवहन प्रचालकों द्वारा धारित परमिटों की अवधि में वृद्धि मंजूर किए जाने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने यह निकर्ष निकाला था कि प्रश्नगत कुछ मार्गों के लिए उक्त अस्थायी परमिट जारी करने की आवश्यकता थी। परमिटों को रद्द कर दिए जाने के तत्पश्चात् और यात्रा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता और बढ़ गई थी और इसलिए अपीलार्थियों के पक्ष में मंजूर किए गए अस्थायी परमिटों को अपास्त किए जाने का वस्तुत: कोई मामला ही नहीं बनता था। अपीलार्थियों के पक्ष में जारी किए गए अस्थायी परमिटों के रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप जनता पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी यह भी राय है कि अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन राज्य सरकार के समक्ष कार्यवाहियों के निपटारों में किए गए साधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप एक गम्भीर गतिरोध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैदा हो गया है जिसको जनसामान्य के लोक हित में शीघ्रता से दूर किया जाना चाहिए ।

7. अतः हम यह समझते हैं कि न्याय के हित में अधिनियम की धारा 68-घ के अधीन कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करना उचित है । इस प्रक्रम पर हम स्कीम को अभिखण्डित करने के प्रश्न पर भी सम्भवतः विचार कर सकते थे किन्तु चूंकि हमारे समक्ष ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है इसलिए हम राज्य सरकार को केवल यह निदेश जारी करना ही पर्याप्त समझते हैं कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 68-घ(2) के अधीन उपान्तरण सहित या उपांतरण रहित स्कीम को मंजूर करते हुए या इसे नामंजूर करते हुए या इस स्कीम के बारे में 31 जुलाई, 1985 को या इससे पूर्व ऐसा कोई आदेश पारित करें जो राज्य सरकार इस उपबन्ध के अधीन पारित कर सकती है । हम तद्नुसार निदेश जारी करते हैं । यदि राज्य सरकार स्कीम को किसी उपांतरण सहित या रहित अनुमोदित करती है तो ऐसी अनुमोदित स्कीम 31 अगस्त, 1985 को या इससे पूर्व अधिनियम की धारा 68-घ(3) के अधीन प्रकाशित की जाएगी । यदि राज्य सरकार इस मामले को ऊपर विहित किए गए समय के भीतर तद्नुसार निपटारे में सफल नहीं होती है तो अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन प्रकाशित स्कीम 31 अगस्त, 1985 से अभिखण्डित हो गयी समझी जाएगी । अधिकरण का आदेश और उच्च न्यायालय का आदेश, जहां तक ये आदेश अपीलार्थियों के पक्ष में जारी किए गए अस्थायी परमिटों को रद्द करते हैं, अपास्त किए जाते हैं । अधिनियम की धारा 68-च(1-ग) के अधीन 10 जनवरी, 1980 को अपीलार्थियों के पक्ष में जारी किए गए अस्थायी परमिटों के अधीन परिवहन सेवाएं चलाते रहने के लिए अनुज्ञात किए जाते हैं तथा उक्त अस्थायी परमिटों का प्रवर्तन विधि के अनुसार समाप्त होगा ।

8. तद्नुसार ये अपीलें निपटायी जाती हैं । खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं होगा ।

अपीलें तद्नुसार निपटायी गईं ।

शं०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मुसम्मात सादिका बेगम और अन्य

बनाम

राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश और अन्य

(1 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति एस० मुर्तजा फजल अली और आर० बी० मिश्र)

मध्य प्रदेश एबोलिशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स (एस्टेट्स, महाल्स एलिनिएटेड लैंड्स) ऐक्ट, 1950—धारा 6 [सपठित मध्य प्रदेश भू-राजस्वसंहिता, 1959—धारा 50]—उक्त अधिनियम के अधीन स्वत्वधारियों द्वारा 16 मार्च, 1950 के पश्चात् किए गए सभी अंतरणों को विधिमान्य घोषित करने के लिए कलक्टर के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना और कलक्टर द्वारा विधिमान्य घोषित किया जाना—अन्तरितियों द्वारा कलक्टर के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए पुनरीक्षण आदेश को और राजस्व बोर्ड द्वारा आयुक्त के मत की पुष्टि करने वाले आदेश को चुनौती दिया जाना—यदि दो समविषयक अधिनियमों के अधीन अपील और पुनरीक्षण की शक्तियां एक ही प्राधिकारी (राजस्व अधिकारी) को प्रदत्त की जाती हैं तो पुनरीक्षण या अपील की शक्ति का प्रयोग करने के बीच अन्तर कोरी औपचारिकता होगी और राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त संहिता की धारा 50 के अधीन और एबोलिशन ऐक्ट के अधीन भी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश एबोलिशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स (एस्टेट्स महाल्स, एलिनिएटेड लैंड्स) ऐक्ट, 1950 की धारा 6 के परिणामस्वरूप तारीख 16 मार्च, 1950 के पश्चात् स्वत्वधारियों द्वारा किसी भी समय किए गए सभी अंतरणों को शून्य माना गया था जब तक कि अन्तरण कलक्टर को उचित आवेदन किए जाने पर उनके द्वारा विधिमान्य घोषित न किए गए हों। उपर्युक्त उपबन्धों को देखते हुए अन्तरितियों ने सन् 1964 में कलक्टर के समक्ष आवेदन फाइल किए थे और उन्होंने तारीख 6 जून, 1964 के अपने आदेश द्वारा अन्तरण विधिमान्य कर दिए थे। कलक्टर के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हुए पुनरीक्षण किया गया था। अन्तरितियों ने आयुक्त की अधिकारिता के बारे में इस आधार पर आक्षेप किया था कि उन्हें कलक्टर के आदेश का पुनरीक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है। यह दलील आयुक्त द्वारा नामंजूर कर दी गई थी और इसलिए राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किया गया था और राजस्व बोर्ड ने आयुक्त के मत की पुष्टि कर दी थी। इसी आदेश के विरुद्ध अपीलार्थियों ने आयुक्त तथा राजस्व बोर्ड के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन फाइल किया था। प्रमाण-पत्र लेकर की गई यह अपील मध्य प्रदेश अबोलिशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स (एस्टेट्स महाल्स, एलिनिएटेड लैंड्स) ऐक्ट, 1950, जो वर्ष 1951 में किसी समय प्रवृत्त हुआ था, के उपबन्धों के अधीन राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशन को खारिज करने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई है। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—एबोलिशन ऐक्ट और मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की स्कीमों के परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि दोनों अधिनियम समविषयक थे और राजस्व अधिकारी दोनों अधिनियमों के अधीन समान शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। एबोलिशन ऐक्ट के अधीन और संहिता के अधीन कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी के बीच कोई स्पष्ट प्रभेद नहीं था। यह स्थिति होने से यह बात स्पष्ट है कि पुनरीक्षण शक्तियों का संहिता की धारा 50 के अधीन और एबोलिशन ऐक्ट के अधीन भी राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। (पैरा 3)

आयुक्त और राजस्व बोर्ड दोनों को ही अपील और पुनरीक्षण शक्तियां थीं। ये दोनों शक्तियां एक ही प्राधिकारी को प्रदत्त होने से पुनरीक्षण या अपील की शक्ति का प्रयोग करने के बीच अन्तर कोरी औपचारिकता है और इसका कोई महत्त्व नहीं है। (पैरा 6)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1971 की सिविल अपील सं० 245 (एन)।

1967 के प्रकीर्ण पिटीशन सं० 361 में जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 9 फरवरी, 1970 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रमाण-पत्र लेकर की गई अपील।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री मुकुल रोहतगी और ए० जी० रत्नपारखी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री रविन्दर बाना और ए० के० सांघी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस० मुर्तजा फजल अली ने दिया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधिपति फजल अली—

प्रमाण-पत्र लेकर की गई यह अपील मध्य प्रदेश एबोलिशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स (एस्टेट्स महाल्स, एलिनिएटेड लैंड्स) ऐक्ट, 1950 (जिसे संक्षेप में एबोलिशन ऐक्ट कहा गया है) जो वर्ष 1951 में किसी समय प्रवृत्त हुआ था, के उपबन्धों के अधीन राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा फाइल किये गये रिट पिटीशन को खारिज करने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई है। एबोलिशन ऐक्ट की धारा 6 के परिणामस्वरूप तारीख 16 मार्च, 1950 के पश्चात् किसी भी समय स्वत्वधारियों द्वारा किये गये सभी अन्तरणों को शून्य माना गया था जब तक कि अन्तरण कलक्टर को उचित आवेदन किये जाने पर उसके द्वारा विधिमान्य घोषित न किये गये हों। उपर्युक्त उपबन्धों को देखते हुए अन्तरितियों ने सन् 1964 में कलक्टर के समक्ष आवेदन फाइल किये थे जिन्होंने तारीख 6 जून, 1964 के अपने आदेश द्वारा अन्तरण विधिमान्य कर दिए थे। कलक्टर के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 50 के अधीन आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण किया गया था। अन्तरितियों ने आयुक्त की अधिकारिता के बारे में इस आधार पर आक्षेप किया था कि उन्हें कलक्टर के आदेश का पुनरीक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है। यह दलील आयुक्त द्वारा नामंजूर कर दी गई थी और इसलिए राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किया गया था और राजस्व बोर्ड ने आयुक्त के मत की पुष्टि कर दी थी। इसी आदेश के विरुद्ध अपीलार्थियों ने आयुक्त तथा राजस्व बोर्ड के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन फाइल किया था।

2. अपीलार्थियों के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी है कि एबोलिशन ऐक्ट की धारा 6 के अधीन पारित कोई भी आदेश संहिता के अधीन पुनरीक्षणीय नहीं था क्योंकि एबोलिशन ऐक्ट स्वयं में एक संहिता या पूर्ण विधि थी और वह एबोलिशन ऐक्ट से बाहर पुनरीक्षण या अपील की शक्ति प्रदत्त नहीं करता है। इसलिए यह दलील दी गई थी कि आयुक्त को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। द्वितीयतः यह दलील दी गई थी कि एबोलिशन ऐक्ट की धारा 84 के अधीन राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित सभी आदेशों के विरुद्ध अपीलों के लिए उपबन्ध था और इसलिए अधिनियम के अधीन अपील का अधिकार उपबन्धित होने से संहिता के अधीन आयुक्त या राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। उच्च

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय के समक्ष हल्के रूप से यह भी तर्क दिया गया था कि राजस्व अधिकारी एबोलिशन ऐक्ट के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राजस्व अधिकारियों के रूप में शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे थे किन्तु एबोलिशन ऐक्ट के अधीन नामोदिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। अन्य शब्दों में उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई दलील, जिसे हमारे समक्ष दोहराया गया है, यह थी कि राजस्व अधिकारियों की दोहरी हैसियत थी—(1) एबोलिशन ऐक्ट के अधीन और (2) संहिता के अधीन। तथापि, उच्च न्यायालय ने हमारी राय में सही रूप से दलील नामंजूर की थी।

3. एबोलिशन ऐक्ट और संहिता की स्कीमों के परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि दोनों अधिनियम समविषयक थे और राजस्व अधिकारी दोनों अधिनियमों के अधीन समान् शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। एबोलिशन ऐक्ट के अधीन और संहिता के अधीन कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी के बीच कोई स्पष्ट प्रभेद नहीं था। यह स्थिति होने से यह बात स्पष्ट है कि पुनरीक्षण शक्तियों का संहिता की धारा 50 के अधीन और एबोलिशन ऐक्ट के अधीन भी राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से पूर्णतः सहमत हैं और इस मुद्दे को हमारे समक्ष भी गम्भीरतापूर्वक चुनौती नहीं दी गई है।

4. हमारे समक्ष अपीलार्थियों के विद्वान् काउन्सेल की दलील का मुख्य आधार यह था कि यह धारणा करने पर भी कि दोनों कानून (एबोलिशन ऐक्ट और संहिता) समविषयक कानून थे तो भी उनमें स्पष्ट रूप से और पृथक् रूप से दो शक्तियां थीं अर्थात् स्वप्रेरणा से कोई भी पुनरीक्षण राजस्व अधिकारियों के समक्ष तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पक्षकार द्वारा आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण या अपील फाइल न की गई हो।

5. इस मामले में यह बात विवादग्रस्त नहीं है कि आयुक्त और राजस्व बोर्ड ने अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया था। तथापि यह प्रतीत होता है कि एबोलिशन ऐक्ट तथा संहिता के उपबन्धों के अधीन आयुक्त और राजस्व बोर्ड दोनों ही अपील और पुनरीक्षण प्राधिकारी थे। इस प्रकार जब एक संयुक्त हैसियत में उक्त अधिकारियों को दो शक्तियां प्रदत्त की गई थीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि केवल आयुक्त या बोर्ड के समक्ष नियमित अपील फाइल करने की औपचारिकता नहीं की गई थी इसलिए स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। इस दलील में कुछ सार हो सकता है यदि किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल किए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बिना उसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण ग्रहण करने के लिए ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के पदानुक्रम पर कोई कानूनी रोक लगी होती।

6. प्रस्तुत मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि आयुक्त और राजस्व बोर्ड दोनों को ही अपील और पुनरीक्षण शक्तियां थीं। ये दोनों शक्तियां एक ही प्राधिकारी को प्रदत्त होने से पुनरीक्षण या अपील की शक्ति का प्रयोग करने के बीच अन्तर कोरी औपचारिकता है और इसका कोई महत्त्व नहीं है।

7. परिणाम यह है कि अपीलार्थियों की ओर से दी गई सभी दलीलें असफल होती हैं और अपील खारिज की जाती है किन्तु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील खारिज की गई।

जैन/चन्द

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आर० श्रीहरि नायडू

वनाम

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य

(6 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर और वी० खालिद)

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)—धारा 134(2) सपठित धारा 57(2)—व्याप्ति—परमिट जारी करने का आधार—प्रथम प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन आमन्त्रित करने हेतु अधिसूचना जारी किया जाना—फलस्वरूप दो आवेदकों को परमिट जारी किया जाना—असफल आवेदकों द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि प्राधिकरण का गठन उचित नहीं है—तद्नुसार उचित रूप से गठित नए प्राधिकरण द्वारा नए आवेदन मांगने के बजाय पुराने आवेदनों के आधार पर परमिट जारी किया जाना—प्रश्नगत गलती या लोप को इस मामले में पारित अन्तिम आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

अप्रैल, 1960 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, चित्तूर, ने मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 47(3) के अधीन कार्रवाई करते हुए आवेदन आमन्त्रित करते हुए एक अधिसूचना धारा 57(2) के अधीन प्रकाशित की। इस अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त किए गए विभिन्न आवेदन उनसे सम्बन्धित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए धारा 57(3) के अधीन किये गये। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दो अनुज्ञा-पत्र मंजूर किये। असफल आवेदकों ने राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष अपीलें फाइल कीं, जिसने दोनों अनुज्ञा-पत्रों को मंजूर करने वाला आदेश इस आधार पर अपास्त कर दिया कि अधिनियम की धारा 44 द्वारा अपेक्षित रूप में इसमें गैर-शासकीय सदस्य न सम्मिलित होने से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समुचित रूप में गठित नहीं था। तत्पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का अधिनियम के अधीन अपेक्षित रूप में गठन किया गया। परन्तु समुचित रूप में गठन के पश्चात् प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 57(2) के अधीन नई अधिसूचना जारी नहीं की और पूर्ववर्ती अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त किए गए विभिन्न आवेदनों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया और उस मार्ग पर केवल दो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बिना उसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण ग्रहण करने के लिए ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के पदानुक्रम पर कोई कानूनी रोक लगी होती।

6. प्रस्तुत मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि आयुक्त और राजस्व बोर्ड दोनों को ही अपील और पुनरीक्षण शक्तियां थीं। ये दोनों शक्तियां एक ही प्राधिकारी को प्रदत्त होने से पुनरीक्षण या अपील की शक्ति का प्रयोग करने के बीच अन्तर कोरी औपचारिकता है और इसका कोई महत्त्व नहीं है।

7. परिणाम यह है कि अपीलार्थियों की ओर से दी गई सभी दलीलें असफल होती हैं और अपील खारिज की जाती है किन्तु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील खारिज की गई।

जैन/चन्द

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आर० श्रीहरि नायडू

बनाम

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य

(6 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर और वी० खालिद)

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)—धारा 134(2) सपठित धारा 57(2)—व्याप्ति—परमिट जारी करने का आधार —प्रथम प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन आमन्त्रित करने हेतु अधिसूचना जारी किया जाना—फलस्वरूप दो आवेदकों को परमिट जारी किया जाना—असफल आवेदकों द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि प्राधिकरण का गठन उचित नहीं है—तद्नुसार उचित रूप से गठित नए प्राधिकरण द्वारा नए आवेदन मांगने के बजाय पुराने आवेदनों के आधार पर परमिट जारी किया जाना—प्रश्नगत गलती या लोप को इस मामले में पारित अन्तिम आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

अप्रैल, 1960 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, चित्तूर, ने मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 47(3) के अधीन कार्रवाई करते हुए आवेदन आमन्त्रित करते हुए एक अधिसूचना धारा 57(2) के अधीन प्रकाशित की। इस अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त किए गए विभिन्न आवेदन उनसे सम्बन्धित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए धारा 57(3) के अधीन किये गये। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दो अनुज्ञा-पत्र मंजूर किये। असफल आवेदकों ने राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष अपीलें फाइल कीं, जिसने दोनों अनुज्ञा-पत्रों को मंजूर करने वाला आदेश इस आधार पर अपास्त कर दिया कि अधिनियम की धारा 44 द्वारा अपेक्षित रूप में इसमें गैर-शासकीय सदस्य न सम्मिलित होने से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समुचित रूप में गठित नहीं था। तत्पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का अधिनियम के अधीन अपेक्षित रूप में गठन किया गया। परन्तु समुचित रूप में गठन के पश्चात् प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 57(2) के अधीन नई अधिसूचना जारी नहीं की और पूर्ववर्ती अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त किए गए विभिन्न आवेदनों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया और उस मार्ग पर केवल दो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुज्ञा-पत्र मंजूर किए। व्यथित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों में राज्य परिवहन अपील अधिकरण ने प्रत्यर्थी सं० 5 के अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी की तो पुष्टि कर दी परन्तु अपीलार्थी को मंजूर किया गया अनुज्ञा-पत्र अपास्त कर दिया और उसके स्थान पर उसे प्रत्यर्थी सं० 4 को मंजूर कर दिया। अपीलार्थी ने अपील प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण फाइल किया जिसे राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया, अर्थात् अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी सं० 4 को अनुज्ञा पत्र मंजूर किए जाने की पुष्टि कर दी। अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक रिट पिटीशन फाइल करते हुए पुनरीक्षण से पारित राज्य सरकार के आदेश को आक्षेपित किया। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—इस पर विवाद नहीं किया गया कि मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन अधिनियम की धारा 57(2) के अधीन स्वेच्छापूर्वक और उस दिशा में जारी की गई किसी अधिसूचना के बिना फाइल किए जा सकते थे। यदि ऐसा होता तो यह प्रश्न कि क्या उचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा नए आवेदन आमन्त्रित करने वाली कोई नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी अथवा नहीं अथवा क्या समुचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सचिव द्वारा जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचना पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो सकता था, तत्त्वहीन और व्यर्थ हो जाता और अपीलार्थी को मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र नामंजूर करने के अन्तिम विनिश्चय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता था। (पैरा 3)

इस बात पर विवाद नहीं है कि अपीलार्थी को अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाला आरम्भिक आदेश उचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था और अपीलादेश भी राज्य परिवहन अपील अधिकरण द्वारा पारित किया गया था जो उचित रूप में गठित अपील प्राधिकरण था और इन दोनों ही प्राधिकरणों ने अपने आदेश अपने समक्ष प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री पर विचार करने और अपीलार्थी को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात् ही पारित किए थे और इस प्रकार उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। अतः उस गलती या लोप को, जो प्रस्तुत मामले में हुआ बताया गया है, [धारा 57(2) के अधीन अनुज्ञा-पत्रों हेतु आवेदन आमन्त्रित करने के लिए किसी उचित अधिसूचना का जारी न किया जाना] इस मामले में पारित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्तिम आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। (पैरा 4)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1971 की सिविल अपील सं० 874.

1969 के रिट पिटीशन सं० 975 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 25 फरवरी, 1971 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई अपील।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एम० के० राममूर्ति और जे० राममूर्ति
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री टी० वी० एस० एन० चारी, बी० पार्थसारथी, ए० एस० नाम्बियर, अतर सिंह और जी० एन० राव

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर ने दिया।

न्यायाधिपति तुलजापुरकर—

अप्रैल, 1960 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, चित्तूर ने मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 47(3) के अधीन कार्रवाई करते हुए तादा से तादा तक एक लम्बी दूरी का मार्ग (मुद्रिका मार्ग) चालू करने का विनिश्चय किया और यानों की संख्या नियत कर दी जिस हेतु मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र (स्टेज कैरिएज परमिट्स) उस मार्ग पर केवल दो को जारी किए गए। अगस्त, 1960 में अधिनियम, 1939 की धारा 57(2) के अधीन ऐसे दो मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन आमन्त्रित करने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई। इस अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त किए गए विभिन्न आवेदन तारीख 18 अक्तूबर, 1960 को इससे सम्बन्धित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित किए गए। दो अनुज्ञा-पत्र—एक, के० रामचन्द्र नायडू को और दूसरा, मैसर्स एसोशिएटेड ट्रांसपोर्ट्स (मद्रास) प्रा० लि० को नवम्बर, 1960 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए। असफल आवेदकों ने अपीलें अपील प्राधिकरण (राज्य परिवहन अपील अधिकरण) के समक्ष फाइल कीं जिसने दोनों अनुज्ञापत्रों को मंजूर करने वाले आदेश को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ही उचित रूप में गठित नहीं किया गया था क्योंकि इसमें अधिनियम की धारा 44 द्वारा अपेक्षित रूप में गैर-शासकीय सदस्य सम्मिलित नहीं था और मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात्, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में गैर-शासकीय सदस्य सम्मिलित करके उसका समुचित गठन किया गया। तथापि, इस प्रकार समुचित गठन किए जाने के पश्चात् प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने धारा 57(2) के अधीन नवीन आवेदन आमंत्रित करने के लिए नई अधिसूचना जारी नहीं की अपितु उन विभिन्न आवेदनों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया जो धारा 57(2) के अधीन जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचना के अनुसार प्राप्त किए गए थे और केवल उस मार्ग पर दो अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने की आवश्यकता की पुनः अभिपुष्टि करते हुए दो मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र, एक अपीलार्थी (आर० श्रीहरि नायडू) को और दूसरा, प्रत्यर्थी सं० 5 (मैसर्स नव्य आंध्र प्रदेश लेबर ट्रांसपोर्ट) को मंजूर कर दिए। व्यथित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों में अपील प्राधिकरण (राज्य परिवहन अपील अधिकरण) ने प्रत्यर्थी सं० 5 को मंजूर किए गए मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र की तो पुष्टि कर दी, किन्तु अपीलार्थी को मंजूर किया गया अनुज्ञापत्र अपास्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रत्यर्थी सं० 4 (जानकीरामी रेड्डी) को दे दिया। अपीलार्थी ने अपील प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध राज्य के समक्ष पुनरीक्षण फाइल किया किन्तु उसे राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया; दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी सं० 4 को अनुज्ञा-पत्र दिए जाने की पुष्टि कर दी गई। अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन फाइल करके पुनरीक्षण में दिनांक 18 मार्च, 1969 को पारित राज्य सरकार के आदेश को आक्षेपित किया।

2. रिट पिटीशन के समर्थन में दो आधार निवेदित किए गये: (क) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का उचित गठन किए जाने के पश्चात् उस प्राधिकरण द्वारा नए आवेदन आमन्त्रित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, अपितु प्राधिकरण ने केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जो पूर्ववर्ती निकाय के, अर्थात् धारा 44 के भंग में अविधिमान्य रूप से गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव द्वारा उस प्राधिकार के अधीन प्राप्त किए गए थे जो उसे उस निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किया गया था; दलील यह दी गयी थी कि जिस समय यह पूर्ववर्ती अधिसूचना जारी की गई थी, इस अविधिमान्य रूप से गठित प्राधिकरण द्वारा अपने सचिव को धारा 57(2) के अधीन ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने की शक्ति का प्रत्यायोजन अविधिमान्य होगा और इसीलिए, ऐसे आवेदनों पर विचार किए जाने हेतु की गई आगे की कार्यवाहियां और ऐसी विचारणा के अनुसार अनुज्ञा-पत्रों की मंजूरी अविधिमान्य थी, और (ख) गुणागुणों पर अपील प्राधिकरण को उन पांच अंकों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जो अपीलार्थी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए थे और जिनकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई थी तथा साथ ही अपील प्राधिकरण को प्रत्यर्थी सं० 4 के आवेदन को प्राथमिकता देते हुए अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उसके अभिलेख में एकमात्र प्रतिकूल प्रविष्टि का अवलम्ब नहीं लेना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने दोनों दलीलें अस्वीकार कर दीं और रिट पिटीशन खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय को अपीलार्थी ने हमारे समक्ष इस अपील में आक्षेपित किया है।

3. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के काउन्सेल ने हमारे समक्ष उन्हीं दोनों दलीलों पर बल दिया जिनका उच्च न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया था। हमारे विचार में, प्रथम दलील तीन आधारों पर अस्वीकार किए जाने योग्य है। प्रथमतः इस पर विवाद नहीं किया गया कि मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन अधिनियम की धारा 57(2) के अधीन स्वेच्छापूर्वक और उस दिशा में जारी की गई किसी अधिसूचना के बिना फाइल किए जा सकते थे। यदि ऐसा होता तो यह प्रश्न कि क्या उचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा नए आवेदन आमन्त्रित करने वाली कोई नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी अथवा नहीं अथवा क्या समुचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सचिव द्वारा जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचना पर कार्रवाई करने के लिएं अग्रसर हो सकता था, तत्त्वहीन और व्यर्थ हो जाता और अपीलार्थी को मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र नामंजूर करने के अन्तिम विनिश्चय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता था। दूसरे, हमारे विचार में, उचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा नई अधिसूचना जारी न किया जाना, बिल्कुल भी, उन व्यक्तियों द्वारा आक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता था जो इसके जारी न किए जाने के कारण आवेदन करने में असमर्थ रहे थे और न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा किया जा सकता था जिसने इस दिशा में आवेदन किया था और जिसने अपने आवेदन के आधार पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने का अपना अवसर प्राप्त किया था जिस पर, वास्तव में, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और तत्पश्चात् अपील प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था। तीसरे, अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (2) में यह उपबंधित है—

> "सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई भी आदेश कार्यवाहियों में किसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण तभी उल्टा जाएगा या परिवर्तित किया जाएगा जब, यथास्थिति विहित अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी को यह प्रतीत हो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है ।"

4. इस बात पर विवाद नहीं है कि अपीलार्थी को अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाला आरम्भिक आदेश उचित रूप में गठित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था और अपीलादेश भी राज्य परिवहन अपील अधिकरण द्वारा पारित किया गया था जो उचित रूप में गठित अपील प्राधिकरण था और इन दोनों ही प्राधिकरणों ने अपने आदेश अपने समक्ष प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री पर विचार करने और अपीलार्थी को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात् ही पारित किए थे और इस प्रकार उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था । अतः, हमारे विचार में, उस गलती या लोप को, जो प्रस्तुत मामले में हुआ बताया गया है [धारा 57(2) के अधीन अनुज्ञा-पत्रों हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए किसी उचित अधिसूचना का जारी न किया जाना] इस मामले में पारित अन्तिम आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनाया जा सकता । इन आधारों पर, प्रथम दलील अस्वीकार की जानी चाहिए ।

5. जहां तक द्वितीय दलील का सम्बन्ध है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाया है कि दलील वास्तव में अपीलार्थी के मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के दावे के गुणागुणों से संबधित थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वह इस निमित्त अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और अनुकल्पतः उच्च न्यायालय ने यह मत भी अपनाया कि जिन आधारों पर अपीलार्थी के अंक घटाए गए थे और जिन कारणों से अपीलार्थी का आवेदन अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, वे न्यायोचित थे । उच्च न्यायालय के इस मत को ध्यान में रखते हुए, हम यह महसूस नहीं करते कि हमें इस मामले में गुणागुणों पर हस्तक्षेप करना चाहिए ।

6. अतः अपील, खर्चे के किसी आदेश के बिना, खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

मदन/कृ०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ

बनाम

नगर बोर्ड, मसूरी और अन्य

और

नगर बोर्ड, मसूरी और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लखनऊ

(8 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी, ई० एस० वेंकटरामय्या और सब्यसाची मुखर्जी)

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54)—धारा 46(1) [सपठित धारा 79(ज)]—टैरिफ नियत करने के लिए विनियम—धारा 46 के अधीन टैरिफ नियत करने के लिए विनियम बनाए बिना टैरिफ नियत किया जाना—उक्त धारा 79(ज) के अधीन विनियम बनाना टैरिफ नियत करने के लिए कोई पुरोभाव्य शर्त नहीं है, अतः विनियम बनाए बिना भी टैरिफ नियत किया जा सकता है ।

नगर बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी) के रूप में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन गंगा-शारदा ग्रिड के अंतर्गत विद्युत परिषद् से विद्युत ऊर्जा का थोक प्रदाय प्राप्त कर रहा था और इसे प्राप्त कर अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इसका वितरण कर रहा था । 1982 वर्ष में, अधिनियम की धारा 46 के अधीन दिनांक 24 अप्रैल, 1962 को जारी की गई अधिसूचना के अधीन, गंगा-शारदा ग्रिड में नगर बोर्ड तथा अन्य लाइसेंसियों द्वारा संदाय किया जाने वाला टैरिफ विद्युत परिषद् द्वारा नियत किया गया । नगर बोर्ड ने दिनांक 24 अप्रैल, 1962 की अधिसूचना के अधीन नियत किए गए टैरिफ की विधिमान्यता तथा दिनांक 30 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना के अधीन की गई वृद्धि को आक्षेपित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक पिटीशन फाइल किया । तथापि, यहां यह उल्लेख

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया जा सकता है कि अंततोगत्वा दिनांक 20 अप्रैल, 1968 को नगर बोर्ड को 2 पैसा प्रति यूनिट की दर पर प्रकाश तथा पंखे के प्रभारों में जो मूल दरों का 6 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत था तथा अन्य प्रयोजनों हेतु प्रदाय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात किया गया। नगर बोर्ड ने दिनांक 24 अप्रैल, 1962 को जारी की गई अधिसूचना को इस आधार पर आक्षेपित किया कि यह अधिनियम की धारा 46 के अनुरूप नहीं थी। उसने दिनांक 30 सितम्बर, 1967 को की गई वृद्धि को भी इस आधार पर आक्षेपित किया कि उस उसके द्वारा उपभोक्ताओं को प्रभार्य दरों में तत्संबंधी रूप में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया था यद्यपि अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्युत परिषद् स्वय ही उपभोक्ताओं को बहुत ऊंची दर पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय कर रही थी। रिट पिटीशन की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई। उसने पिटीशन खारिज कर दिया। तत्पश्चात्, नगर बोर्ड ने उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष अपील की। खण्ड न्यायपीठ ने अपील भागतः मंजूर कर दी। खण्ड न्यायपीठ के निर्णय से व्यथित होकर नगर बोर्ड तथा विद्युत परिषद् ने उपरोक्त अपीलें विशेष इजाजत से फाइल की हैं। अपीलें भागतः खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—यह सत्य है कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79(ज) ग्रिड टैरिफ नियत किये जाने की व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत अधिकथित करने के लिए विद्युत परिषद् को विनियम विरचित करने के लिए प्राधिकृत करती है। परन्तु अधिनियम की धारा 46(1) यह नहीं बताती कि जब तक ऐसे विनियम विरचित नहीं किये जाते, कोई ग्रिड टैरिफ नियत नहीं किया जा सकता। इसमें केवल यह उपबंधित है कि ग्रिड-टैरिफ इस दिशा में विरचित किन्हीं विनियमों के अनुसार नियत किया जायेगा। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई विनियम थे, तो ग्रिड-टैरिफ केवल ऐसे विनियमों के अनुसार ही और किसी रूप में नहीं नियत किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 79(ज) के अधीन विनियमों का विरचन ग्रिड-टैरिफ नियत किये जाने की पुरोभाव्य शर्त नहीं हो सकता। इस निवेदन में कोई विशिष्टता भी नहीं पाई जाती कि इस मामले में नियत किया गया ग्रिड टैरिफ स्वेच्छाचारिता के कारण दोषपूर्ण था। (पैरा 7)

अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में पर्याप्त दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं और नियत दरें राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं। (पैरा 8)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अवलम्बित निर्णय

पैरा

[1968] [1968] 1 एस० सी० आर० 767 :
मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम गोपीनाथ गुण्डाचार चार; 7

[1968] [1968] 3 एस० सी० आर० :
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम कल्याण बॉरो नगरपालिका और एक अन्य; 8

निर्दिष्ट निर्णय

[1971] ए० आई० आर० 1971 इलाहाबाद 219 :
नगर बोर्ड, मसूरी बनाम राज्य विद्युत परिषद् और अन्य; 1

सिविल अपीली अधिकारिता : 1974 की सिविल अपील सं० 814 तथा 815.

1969 की विशेष अपील संख्या 34 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 13-8-1970 वाले निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध की गई अपील।

सिविल अपील सं० 814 के अपीलार्थी तथा सिविल अपील सं० 815 के प्रत्यर्थी की ओर से ... श्री एस० एन० कक्कर, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री गोपाल सुब्रह्मण्यम् तथा श्रीमती शोभा दीक्षित, अधिवक्तागण

सिविल अपील सं० 814 के प्रत्यर्थी तथा सिविल अपील सं० 815 के अपीलार्थी की ओर से ... श्री यू० आर० ललित, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री बी० एस० चौहान, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया।

न्यायाधिपति वेंकटरामय्या—

ये दोनों अपीलें विशेष इजाजत द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का सं० 54) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन गठित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विद्युत परिषद्" कहा गया है) तथा नगर बोर्ड, मसूरी, एक स्थानीय प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नगर बोर्ड" कहा गया है) द्वारा क्रमश

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

1969 की विशेष अपील सं० 34 (**नगर बोर्ड, मसूरी** बनाम **राज्य विद्युत परिषद् और अन्य**[1]) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 1970 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है।

2. नगर बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी) के रूप में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन गंगा-शारदा ग्रिड के अंतर्गत विद्युत परिषद् से विद्युत ऊर्जा का थोक प्रदाय प्राप्त कर रहा था और इसे प्राप्त कर अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इसका वितरण कर रहा था। 1962 वर्ष में, अधिनियम की धारा 46 के अधीन दिनांक 24 अप्रैल, 1962 को जारी की गई अधिसूचना के अधीन, गंगा-शारदा ग्रिड में नगर बोर्ड तथा अन्य लाइसेंसियों द्वारा संदाय किया जाने वाला टैरिफ विद्युत परिषद् द्वारा नियत किया गया। टैरिफ का सुसंगत भाग निम्न प्रकार था—

> "1 **प्रवर्तनीयता**—यह दर अनुसूची उन समस्त लाइसेंसियों पर लागू है जो गंगा-शारदा ग्रिड क्षेत्र में अवस्थित है तथा परिषद् से थोक प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं।
>
> 2. **सेवा की प्रकृति**—ए० सी० 3, फेज, 50 साइकिल, 11,000 वोल्ट, आनुकल्पिक रूप में, प्रदाय 11 के० वी० से कम वोल्टेज पर दिया जा सकता है ऐसी स्थिति में बिल की कुल रकम पर $7\frac{1}{2}$ प्र० श० की दर पर एक अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।
>
> यदि उपभोक्ता 11 के० वी० से अधिक मानक वोल्टेज पर प्रदाय प्राप्त करता है, तो के० वी० पर प्रदाय हेतु विहित दरों के अनुसार संगणित किये गए बिल की कुल रकम पर परिषद् द्वारा उसे 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
>
> 3. दर—
>
> (क) **मांग प्रभार**—

माह के दौरान प्रभार्य मांग के प्रथम 500 के० वी० ए० की दर	...	रु० 12.75 प्रति के० वी० ए०
माह के दौरान प्रभार्य से अगले 1500 के० वी० ए० की दर	...	रु० 10.00 प्रति के० वी० ए०

---
[1] ए० आई० आर० 1971 इलाहाबाद 219.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

माह के दौरान प्रभार्य मांग के 2000 के० वी० ए० से ऊपर के समस्त मामलों में दर	...	रु० 8.50 प्रति के० वी० ए०

जमा

(ख) **ऊर्जा प्रभार—**

माह के दौरान उपभुक्त प्रभार्य मांग के प्रति के० वी० ए० के अनुसार प्रथम 170 कि० वा० घंटा की दर	...	5 पै० प्रति कि० वा० घंटा
माह के दौरान उपभुक्त प्रभार्य मांग के प्रति के० वी० ए० के अनुसार अगले 170 कि० वा० घं० की दर	...	4 पै० प्रति० कि० वा० घं०
माह के दौरान उपभुक्त प्रभार्य मांग के प्रति के० वी० ए० के अनुसार शेष कि० वा० घंटे की दर	...	3 पै० प्रति कि० वा० घंटा

4. (i) **प्रभार्य मांग**—माह के दौरान प्रभार्य मांग उस मास की अवधि में की गई वास्तविक मांग के रूप में अथवा संविदागत मांग की 60 प्रतिशत अथवा उस सर्वोच्च मांग की 75 प्रतिशत, जो पूर्ववर्ती 11 माहों के दौरान की गई थी, जो भी सर्वोच्च हो, के रूप में परिभाषित की जाएगी।

(ii) **कोयला खण्ड**—उपर्युक्त दरें 0.001 पैसा प्रति कि०वा० घंटे की दर पर कोयला मूल्य के समायोजन के अध्यधीन होंगी। हरदुआगंज विद्युत उत्पादन केन्द्र में कोयला-कोठरियां (बंकर्स) में 40 रुपये प्रति टन कोयला से कम अथवा अधिक रूप में परिदान किये जाने के फेरफार के प्रत्येक एक पैसा हेतु वृद्धि अथवा कमी......

5. **मांग का अवधारण**—मांग का परिमाण परिदान बिन्दु पर उचित उपकरणों द्वारा किया जाएगा। किसी मास के लिए मांग उस मास में किसी भी 30 अनवरत मिनटों के दौरान किलो वाल्ट एम्पीयर्स में मापे गए सर्वोच्च औसत भार (लोड) के रूप में परिभाषित की जाएगी।"

3. इस प्रकार नियत किए गए टैरिफ में दिनांक 30 सितम्बर, 1967 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा बीस प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई और वर्धित दर दिनांक 1 दिसम्बर, 1967 से प्रवृत्त हुई। अधिनियम की धारा 58 के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुसार बोर्ड या जहां इस अधिनियम के अधीन कोई बोर्ड नहीं गठित किया गया है वहां राज्य सरकार को शक्ति होगी कि वह किसी अनुज्ञप्तिधारी का, जो स्थानीय प्राधिकरण है, अनुज्ञप्त उपक्रम के सम्बन्ध में परिशोधन और टैरिफ नीतियां ऐसी रीति से निर्दिष्ट करे जैसी, यथास्थिति, बोर्ड या राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समीचीन समझती है, और अनुज्ञप्तिधारी, जो स्थानीय प्राधिकरण है, किसी अन्य विधि के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या दिए गए निदेशों के उपबंधों के होते हुए भी, यथास्थिति, बोर्ड या राज्य सरकार के किन्हीं ऐसे निदेशों को प्रभावी करेगा—

"परन्तु बोर्ड इस धारा के अधीन कोई निदेश राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना नहीं देगा।"

तथापि, विद्युत परिषद् राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही अधिनियम की धारा 58 के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती थी। नगर बोर्ड ने उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा के प्रदाय की दरों में वृद्धि करने की अनुमति हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 1966 को राज्य सरकार के समक्ष आवेदन किया। दिनांक 23 मार्च. 1968 तक ऐसी किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। अतः, नगर बोर्ड ने तारीख 24 अप्रैल, 1962 की अधिसूचना के अधीन नियत किए गए टैरिफ की विधिमान्यता तथा तारीख 30 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना के अधीन की गई वृद्धि को आक्षेपित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक रिट पिटीशन फाइल किया। तथापि, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अंततोगत्वा तारीख 20 अप्रैल, 1968 को नगर बोर्ड को 2 पैसा प्रति यूनिट की दर पर प्रकाश तथा पंखे के प्रभारों में जो मूल दरों का 6 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत था तथा अन्य प्रयोजनों हेतु प्रदाय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात किया गया।

4. नगर बोर्ड ने तारीख 24 अप्रैल, 1962 को जारी की गई अधिसूचना को इस आधार पर आक्षेपित किया कि यह अधिनियम की धारा 46 के अनुरूप नहीं है। उसने तारीख 30 सितम्बर, 1967 को की गई वृद्धि को भी इस आधार पर आक्षेपित किया कि उसे उसके द्वारा उपभोक्ताओं को प्रभार्य दरों में तदनुरूप वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया था यद्यपि अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्युत परिषद् स्वयं उपभोक्ताओं को बहुत ऊंची दर पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय कर रही थी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. रिट पिटीशन की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने की। उन्होंने पिटीशन खारिज कर दिया। तत्पश्चात्, नगर बोर्ड ने उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ के समक्ष अपील की। खण्ड न्यायपीठ ने अपील भागतः मंजूर कर ली। खण्ड न्यायपीठ के निर्णय से व्यथित होकर नगर बोर्ड तथा विद्युत परिषद् ने उपरोक्त अपीलें विशेष इजाजत लेकर फाइल की हैं।

6. अधिनियम की धारा 46 के तात्त्विक भाग को निम्न प्रकार पढ़ा जा सकता है—

"46. (1) बोर्ड प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए कोई स्कीम प्रवृत्त है, ग्रिड टैरिफ नामक एक टैरिफ, इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अनुसार समय-समय पर नियत करेगा और यदि बोर्ड ठीक समझता है तो, इस धारा के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न टैरिफ नियत किए जा सकेंगे।

(2) धारा 47 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों में से किसी के अधीन अपेक्षित है वहां, ग्रिड टैरिफ, बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रयों को लागू होगा और इसके पश्चात् इसमें उपबंधित के अधीन रहते हुए, अन्य मामलों में भी बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रयों को लागू होगा :

परन्तु यदि ऐसे किसी अन्य मामले में बोर्ड को प्रतीत होता है कि अपेक्षित प्रदाय के परिमाण को देखते हुए प्रदाय करने में लगने वाला पारेषण-व्यय उससे अधिक है जो ग्रिड टैरिफ नियत करने में अनुज्ञात है तो बोर्ड ऐसे अतिरिक्त प्रभार लगा सकेगा जैसे वह समुचित समझता है।"

7. नगर बोर्ड द्वारा हमारे समक्ष निवेदित प्रथम दलील यह है कि अधिनियम की धारा 79 के अधीन विद्युत परिषद् द्वारा ग्रिड टैरिफ नियत किये जाने की व्यवस्था से सम्बन्धित सिद्धांतों की बाबत विरचित किन्हीं विनियमों के अभाव में, विद्युत परिषद् को आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी करने की छूट नहीं थी। यह दलील अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) पर आधारित है जिसमें उपबंधित है कि टैरिफ को ग्रिड टैरिफ के रूप में समझने के लिए उसे, इस दिशा में विरचित किन्हीं विनियमों के अनुसार विद्युत परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किया जायेगा। यह निवेदन किया गया है कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

टैरिफ नियत किए जाने हेतु सिद्धांत अधिकथित करने वाले किन्हीं विनियमों के अभाव में, आक्षेपित अधिसूचनाएं शून्य हैं क्योंकि वे बिना किन्हीं निदेशक सिद्धांतों के जारी की गई थीं और, इसीलिए, मनमानी थीं। यह स्वीकार किया गया है कि जिस समय आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी की गई थीं उस समय विद्युत परिषद् द्वारा कोई बिनियम विरचित नहीं किया गया था। खण्ड-न्यायपीठ ने उपर्युक्त अभिवचन को अस्वीकृत कर दिया और हमारी राय में यह ठीक ही किया गया। यह सही है कि अधिनियम की धारा 79(ज) ग्रिड टैरिफ नियत किये जाने की व्यवस्था से सम्बन्धित सिद्धांत अधिकथित करने के लिए विद्युत परिषद् को विनियम बिरचित करने के लिए प्राधिकृत करती है। परन्तु अधिनियम की धारा 46(1) यह नहीं बताती कि जब तक ऐसे विनियम विरचित नहीं किए जाते कोई ग्रिड टैरिफ नियत नहीं किया जा सकता। इसमें केवल यह उपबंधित है कि ग्रिड-टैरिफ इस दिशा में विरचित किन्हीं विनियमों के अनुसार किया जायेगा। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई विनियम थे, तो ग्रिड-टैरिफ केवल ऐसे विनियमों के अनुसार ही नियत किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं। हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 79(ज) के अधीन विनियमों का विरचन ग्रिड-टैरिफ नियत किए जाने की पुरोभाव्य शर्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार की दलील इस न्यायालय द्वारा **मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम** बनाम **गोपीनाथ गुण्डाचार चार**[1] वाले मामले में अस्वीकृत कर दी गई थी। यह सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन उद्भूत मामला था। अधिनियम की धारा 14 के अधीन सड़क परिवहन निगम अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करने का हकदार था चूंकि उसने अपने कृत्यों के सुचारू रूप से पालन हेतु यह आवश्यक समझा था। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 34(1) के अधीन, राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कर्मचारियों की भर्ती, सेवा की शर्तों तथा प्रशिक्षण की बाबत सड़क परिवहन निगम को निदेश जारी करने की शक्ति थी। अधिनियम की धारा 45(2)(ग) के अधीन, सड़क परिवहन निगम मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महाप्रबधक तथा मुख्य लेखा अधिकारी के अलावा निगम के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों तथा वेतनमान की बाबत विनियम पारित करने के लिए सशक्त था। स्वीकृत रूप में, उस अधिनियम की धारा 45(2)(ग) के अधीन किसी भी प्रकार के विनियम विरचित नहीं किये गये थे। दलील दी गई थी कि निगम इसमें निर्दिष्ट अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति अथवा उनकी सेवा-शर्तों की बाबत कोई

[1] [1968] 1 एस० सी० आर० 767.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपबंध उस समय तक नहीं कर सकती थी जब तक कि ऐसे विनियम विरचित नहीं किए जाते। न्यायालय ने पृ० 770 पर निम्न मत व्यक्त करते हुए उक्त अभिवाक् को अस्वीकार कर दिया था—

> "धारा 14(3)(ख), 34 तथा 45(2)(ग) का संयुक्त प्रभाव यह है कि अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा-शर्तें, धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा, यदि कोई निदेश दिए जाते हैं तथा धारा 45(2)(ग) के अधीन, यदि कोई विनियम विरचित किए जाते हैं, तो उनके अनुरूप होनी चाहिए। परन्तु जब तक ऐसे विनियम विरचित नहीं किए जाते अथवा निदेश नहीं दिए जाते, तब तक निगम ऐसी शर्तें और निबन्धनों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे अधिकारियों अथवा सेवकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह अपने कृत्यों के सुचारु रूप से पालन हेतु आवश्यक समझे।"

हमें इस निवेदन में भी कोई विशिष्टता दिखाई नहीं पड़ती कि इस मामले में नियत किया गया ग्रिड टैरिफ मनमाना होने के कारण दोषपूर्ण था।

8. जैसा कि उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया था कि अधिनियम के विभिन्न उपवन्धों में पर्याप्त दिशा निर्देश उपलब्ध हैं और यह कि नियत दरें राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं। उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने जो उल्लेख किया है हम केवल यह मत व्यक्त करने के सिवाय कि हम उक्त अभिवाक् को अस्वीकार किए जाने हेतु दिए गए कारणों से ससम्मान सहमत हैं, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझते। **महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड** बनाम **कल्याण बॉरो नगरपालिका और एक अन्य**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय ने इसकी धारा 49 पर दृष्टिपात करते हुए अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों की विवेचना की जो यह दर्शित करते हैं कि अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले विद्युत बोर्ड द्वारा टैरिफ अवधारण की बाबत अधिनियम में सामान्यतया पर्याप्त दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। इस निवेदन में भी कोई विशिष्टता नहीं है कि एक ग्रिड द्वारा सेवित क्षेत्र में समस्त लाइसेंसियों के लिए एक सामान्य टैरिफ नहीं हो सकता और यह कि प्रत्येक लाइसेंसी हेतु प्रभार की एक पृथक दर हो। जबकि किसी विशेष लाइसेंसी के मामले में विभेद न किये जाने के नियम की अवहेलना किये बिना युक्तियुक्त टैरिफ का नियत किया जाना आपत्तिजनक नहीं होगा, सामान्य ग्रिड टैरिफ का नियतन

---

1 [1968] 3 एस० सी० आर० 137.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम के मूल उद्देश्य के अनुरूप है। अधिनियम की उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि उसे विद्युत के उत्पादन और प्रदाय को युक्तिसंगत बनाने तथा सामान्यतया विद्युत विकास के लिए सहायक उपाय करने की व्यवस्था हेतु विरचित किया गया है। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में अवलोकन करते हुए, विद्युत बोर्ड के लिए किसी क्षेत्र हेतु सामान्य ग्रिड टैरिफ नियत करना अनुज्ञात है ताकि उसके क्षेत्र में समस्त लाइसेंसियों अथवा उपभोक्ताओं को समान दर पर ऐसे युक्तियुक्त फेरफारों सहित जो विधि में ऐसी शर्तों के अध्यधीन उनमें से किसी को कोई अनुचित अधिमान न दर्शित करते हुए अनुज्ञात किए जा सकते हैं ताकि विद्युत ऊर्जा के प्रदाय के प्रदाय द्वारा उक्त क्षेत्र का युक्तियुक्त रूप में समरूप विकास हो सके।

9. तथापि, खण्ड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि तारीख 24 अप्रैल, 1962 तथा 30 सितम्बर, 1967 की आक्षेपित अधिसूचनाओं के प्रथम खण्ड (2) के प्रथम पैरा के अधीन विद्युत परिषद् द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त प्रभार के रूप में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का अतिरिक्त उद्ग्रहण अवैध है और, इसीलिए अभिखण्डित किए जाने योग्य है चूंकि उसके अनुसार अधिनियम की धारा 46(2) के परन्तुक के अधीन $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार केवल अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ही, न कि 6600 वोल्ट के कम वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय करने हेतु, जब ग्रिड टैरिफ 11000 वाल्ट पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय करने के लिए नियत दर रखता था, अधिरोपित किया जा सकता था। तथापि, उसने अभिनिर्धारित किया कि विद्युत परिषद् को 6600 वोल्ट पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय किए जाने में उठाये गये केवल वास्तविक व्यय तक ही अतिरिक्त प्रभार अधिरोपित करने की छूट थी। उसने तारीख 20 अप्रैल, 1968 के उस शासनीय आदेश को भी अभिखंडित कर दिया जिसके द्वारा नगर बोर्ड को कुछ मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा संदाय किए जाने वाले प्रभारों में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात किया गया था तथा उपर्युक्त आधार पर पश्चात्वर्ती कार्रवाई की गयी थी। खंड न्यायपीठ ने प्रत्यर्थियों को दर के उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने के लिए निदेश दिया जिस पर विद्युत ऊर्जा का प्रदाय किया जा सकता था। हम खंड न्यायपीठ के विनिश्चय के इस भाग के औचित्य पर विचार करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे विचार में, इस मामले को भिन्न रूप में निपटाया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार के उद्ग्रहण की विधिमान्यता से संबंधित दलील भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किए जाने से पूर्व की अवधि की बाबत नहीं दी जा सकती $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का उपर्युक्त अतिरिक्त प्रभार 1962 में उद्गृहीत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया था और नगर बोर्ड ने न्यायालय के समक्ष इसे तारीख 23 मार्च, 1968 तक आक्षेपित नहीं किया जब उसने रिट पिटीशन फाइल किया था। आगे यह भी देखा गया कि 'उसने यह कथन नहीं किया कि उसने विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं से अपने द्वारा प्रदाय की गई उस दर पर प्रभार संगृहीत नहीं किए थे जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आ जाते हैं। नगर बोर्ड के विद्वान् काउन्सेल यह बताने में असमर्थ रहे कि नगर बोर्ड ने उपभोक्ताओं से प्रभार संगृहीत करके स्वयं की क्षतिपूर्ति नहीं की थी। ऐसी स्थिति में हमें यह कल्पना करनी पड़ेगी कि नगर बोर्ड ने अतिरिक्त प्रभार द्वारा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के उद्ग्रहण द्वारा कोई हानि नहीं उठाई थी। हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में जहां अन्तिम उपभोक्ता से संगृहीत अधिक रकम की उसे प्रतिदाय करने की कोई संभावना न हो अथवा बहुत कम संभावना हो तथा अनुतोष की मंजूरी से पिटीशनर अन्यायसंगत रूप में धनी बन जाएगा, वहां न्यायालय को साधारणतया संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी प्रतिदाय के लिए निदेश नहीं देना चाहिए। तथापि, इस मामले में नगर बोर्ड को प्रथम अधिसूचना जारी किए जाने के लगभग 6 वर्ष पश्चात् सुधि आई और वह भी तब जब द्वितीय अधिसूचना के अधीन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई। नगर बोर्ड की दशा में, जो कि स्थानीय प्राधिकरण है, एक अतिरिक्त कारण है। अधिनियम की धारा 58 के अधीन, जो कि उपरिनिर्दिष्ट है, स्थानीय प्राधिकरण परिशोधन और टैरिफ नीतियों की बाबत विद्युत परिषद् अथवा सरकार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, जारी किए गए निदेशों को लागू करने के लिए बाध्य है। समय-समय पर सरकार द्वारा नगर बोर्ड को उन प्रभारों के प्रकाश में जो उसे विद्युत परिषद् को संदाय करने हैं तथा उपक्रम पर उसके स्वयं के विनिधान तथा व्यय को देखते हुए उपभोक्ताओं से संगृहीत प्रभारों की बाबत निदेश दिए गए। नगर बोर्ड ठीक उसी समय उन निदेशों को आक्षेपित किए बिना, जिनका अनुसरण करते हुए वह अपने उपभोक्ताओं से प्रभार संगृहीत कर रहा है, केवल ग्रिड टैरिफ को आक्षेपित नहीं कर सकता था। यह दर्शित करने के लिए कि नगर बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से जो, प्रभार संगृहीत किए जा रहे थे, अधिक थे, न्यायालय के समक्ष कोई समाधानप्रद सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई और उन युक्तियुक्त मानदण्डों की तुष्टि नहीं की जो विद्युत परिषद् अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर नगर बोर्ड की टैरिफ नीतियों की बाबत जारी किए गए निदेशों का संचालन करते हैं। ऐसी स्थिति में, हम महसूस करते हैं कि तारीख 24 अप्रैल, 1962 की अधिसूचना की अधिकथित विधिमान्यता के आधार पर उद्भूत रिट पिटीशन फाइल किए जाने की पूर्व की अवधि के बाबत नगर बोर्ड के दावों में पुनः आंकना उचित नहीं होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिनियम के मूल उद्देश्य के अनुरूप है। अधिनियम की उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि उसे विद्युत के उत्पादन और प्रदाय को युक्तिसंगत बनाने तथा सामान्यतया विद्युत विकास के लिए सहायक उपाय करने की व्यवस्था हेतु विरचित किया गया है। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में अवलोकन करते हुए, विद्युत बोर्ड के लिए किसी क्षेत्र हेतु सामान्य ग्रिड टैरिफ नियत करना अनुज्ञात है ताकि उसके क्षेत्र में समस्त लाइसेंसियों अथवा उपभोक्ताओं को समान दर पर ऐसे युक्तियुक्त फेरफारों सहित जो विधि में ऐसी शर्तों के अध्यधीन उनमें से किसी को कोई अनुचित अधिमान न दर्शित करते हुए अनुज्ञात किए जा सकते हैं ताकि विद्युत ऊर्जा के प्रदाय के प्रदाय द्वारा उक्त क्षेत्र का युक्तियुक्त रूप में समरूप विकास हो सके।

9. तथापि, खण्ड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि तारीख 24 अप्रैल, 1962 तथा 30 सितम्बर, 1967 की आक्षेपित अधिसूचनाओं के प्रथम खण्ड (2) के प्रथम पैरा के अधीन विद्युत परिषद् द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त प्रभार के रूप में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का अतिरिक्त उद्ग्रहण अवैध है और, इसीलिए अभिखण्डित किए जाने योग्य है चूंकि उसके अनुसार अधिनियम की धारा 46(2) के परन्तुक के अधीन $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार केवल अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ही, न कि 6600 वोल्ट के कम वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय करने हेतु, जब ग्रिड टैरिफ 11000 वाल्ट पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय करने के लिए नियत दर रखता था, अधिरोपित किया जा सकता था। तथापि, उसने अभिनिर्धारित किया कि विद्युत परिषद् को 6600 वोल्ट पर विद्युत ऊर्जा प्रदाय किए जाने में उठाये गये केवल वास्तविक व्यय तक ही अतिरिक्त प्रभार अधिरोपित करने की छूट थी। उसने तारीख 20 अप्रैल, 1968 के उस शासनीय आदेश को भी अभिखंडित कर दिया जिसके द्वारा नगर बोर्ड को कुछ मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा संदाय किए जाने वाले प्रभारों में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञात किया गया था तथा उपर्युक्त आधार पर पश्चात्वर्ती कार्रवाई की गयी थी। खंड न्यायपीठ ने प्रत्यर्थियों को दर के उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने के लिए निदेश दिया जिस पर विद्युत ऊर्जा का प्रदाय किया जा सकता था। हम खंड न्यायपीठ के विनिश्चय के इस भाग के औचित्य पर विचार करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे विचार में, इस मामले को भिन्न रूप में निपटाया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार के उद्ग्रहण की विधिमान्यता से संबंधित दलील भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किए जाने से पूर्व की अवधि की बाबत नहीं दी जा सकती $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का उपर्युक्त अतिरिक्त प्रभार 1962 में उद्गृहीत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किया गया था और नगर बोर्ड ने न्यायालय के समक्ष इसे तारीख 23 मार्च, 1968 तक आक्षेपित नहीं किया जब उसने रिट पिटीशन फाइल किया था। आगे यह भी देखा गया कि 'उसने यह कथन नहीं किया कि उसने विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं से अपने द्वारा प्रदाय की गई उस दर पर प्रभार संगृहीत नहीं किए थे जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आ जाते हैं। नगर बोर्ड के विद्वान् काउन्सेल यह बताने में असमर्थ रहे कि नगर बोर्ड ने उपभोक्ताओं से प्रभार संगृहीत करके स्वयं की क्षतिपूर्ति नहीं की थी। ऐसी स्थिति में हमें यह कल्पना करनी पड़ेगी कि नगर बोर्ड ने अतिरिक्त प्रभार द्वारा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के उद्ग्रहण द्वारा कोई हानि नहीं उठाई थी। हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में जहां अन्तिम उपभोक्ता से संगृहीत अधिक रकम की उसे प्रतिदाय करने की कोई संभावना न हो अथवा बहुत कम संभावना हो तथा अनुतोष की मंजूरी से पिटीशनर अन्यायसंगत रूप में धनी बन जाएगा, वहां न्यायालय को साधारणतया संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी प्रतिदाय के लिए निदेश नहीं देना चाहिए। तथापि, इस मामले में नगर बोर्ड को प्रथम अधिसूचना जारी किए जाने के लगभग 6 वर्ष पश्चात् सुधि आई और वह भी तब जब द्वितीय अधिसूचना के अधीन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई। नगर बोर्ड की दशा में, जो कि स्थानीय प्राधिकरण है, एक अतिरिक्त कारण है। अधिनियम की धारा 58 के अधीन, जो कि उपरिनिर्दिष्ट है, स्थानीय प्राधिकरण परिशोधन और टैरिफ नीतियों की बाबत विद्युत परिषद् अथवा सरकार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, जारी किए गए निदेशों को लागू करने के लिए बाध्य है। समय-समय पर सरकार द्वारा नगर बोर्ड को उन प्रभारों के प्रकाश में जो उसे विद्युत परिषद् को संदाय करने हैं तथा उपक्रम पर उसके स्वयं के विनिधान तथा व्यय को देखते हुए उपभोक्ताओं से संगृहीत प्रभारों की बाबत निदेश दिए गए। नगर बोर्ड ठीक उसी समय उन निदेशों को आक्षेपित किए बिना, जिनका अनुसरण करते हुए वह अपने उपभोक्ताओं से प्रभार संगृहीत कर रहा है, केवल ग्रिड टैरिफ को आक्षेपित नहीं कर सकता था। यह दर्शित करने के लिए कि नगर बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से जो, प्रभार संगृहीत किए जा रहे थे, अधिक थे, न्यायालय के समक्ष कोई समाधानप्रद सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई और उन युक्तियुक्त मानदण्डों की तुष्टि नहीं की जो विद्युत परिषद् अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर नगर बोर्ड की टैरिफ नीतियों की बाबत जारी किए गए निदेशों का संचालन करते हैं। ऐसी स्थिति में, हम महसूस करते हैं कि तारीख 24 अप्रैल, 1962 की अधिसूचना की अधिकथित विधिमान्यता के आधार पर उद्भूत रिट पिटीशन फाइल किए जाने की पूर्व की अवधि के बाबत नगर बोर्ड के दावों में पुनः झांकना उचित नहीं होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अतः हम रिट पिटीशन के दिनांक की अवधि तक, अर्थात् 23 मार्च, 1968 तक नगर बोर्ड को इस बाबत कोई अनुतोष मंजूर नहीं करते। इस मामले में ग्रिड टैरिफ में दिनांक 1 जुलाई, 1968 को संशोधन किया गया। तथापि, उपर्युक्त मुद्दे पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय इसके औचित्य पर कोई राय व्यक्त किए बिना 23 मार्च, 1968 तथा 1 जुलाई, 1968 के मध्य की अवधि के लिए ही केवल यथावत बनाए रहने हेतु मंजूर किया जाता है चूंकि अवधि अल्पकालीन है और विद्युत परिषद् ने इस मामले में इस प्रश्न पर विनिश्चय हेतु बल नहीं दिया। हम इस प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ते हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 1967 से 1 जुलाई, 1968 तक 20 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार के उद्ग्रहण की बाबत मंजूर किए गए अनुतोष में भी हम इन्हीं कारणों से, उसके औचित्य पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हस्तक्षेप नहीं करते। इस निर्णय का तात्पर्य, जहां तक उपर्युक्त मुद्दों का संबंध है, उच्च न्यायालय के विनिश्चय की अभिपुष्टि नहीं होगा। मामले पर विद्युत परिषद् द्वारा, जैसा कि उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ ने निदेश दिया था, केवल उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की बाबत ही पुनर्विचार किया जाएगा।

अपीलें तद्नुसार निपटाई जाती हैं। खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपीलें भागतः खारिज की गयीं।

मदन/कु०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पेरिया नचि मुत्तु गुडर और अन्य

वनाम

राजू तेवर (मृत) और अन्य

(8 फरवरी, 1985)

(न्यायधिपति वी० डी० तुलजापुरकर और वी० ख़ालिद)

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (1908 का 9),—अनुच्छेद 134-ख—न्यास का प्रतिसंहरण—व्यवस्थापक द्वारा कुलदेवता के पक्ष में विन्यस्त सम्पत्ति के न्यास का प्रतिसंहरण करते हुए न्यास-विलेख का रद्द किया जाना—उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाना—व्यवस्थापक दोषपूर्ण रीति से रद्दकरण-विलेख निष्पादित करके व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण प्रभावी रूप से नहीं कर सकता—ऐसी स्थिति में यदि ऐसा व्यवस्थापक न्यासी है, तो वह व्यवस्थापन का न्यासी बना रहेगा—अतः जब व्यवस्थापक, सम्पत्ति से निर्निहित होने के पश्चात् विन्यस्त सम्पत्ति का कोई विक्रय या अन्य संक्रामण करता है, तो वह अप्रभावी और दोषपूर्ण होगा—ऐसे मामले में सम्पत्ति वापस लेने सम्बन्धी वाद फाइल करने के लिए परिसीमा की अवधि वह तारीख है जिसको व्यवस्थापक की मृत्यु होती है।

एक स्त्री ने, जो कि वादगत सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी थी, तारीख 17 मई, 1925 का एक व्यवस्थापन विलेख निष्पादित किया, जिसके द्वारा उसने वादगत संपत्ति का विन्यास गांव के एक मंदिर को कर दिया जिसका देवता उसका कुल देवता था। इस सम्पत्ति के संबंध में उसने एक न्यास का गठन किया और वह उसकी प्रथम न्यासी बनी। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पति और उसकी माता को न्यासी बनना था। न्यास के गठन के पांच वर्ष पश्चात्, अर्थात् 21 जनवरी, 1930 को, उसने रद्दकरण विलेख का रजिस्ट्रीकरण करवाया जिससे उसका तात्पर्य उक्त न्यास को रद्द करना और प्रतिसंहृत करना था। उसके पश्चात् उसने उक्त संपत्तियों के संबंध में कतिपय बंधक निष्पादित किए और बाद में वे संपत्तियां अपीलार्थी सं० 1 और 2 के पिता को बेच दीं। 7 अक्तूबर, 1960 को उसकी मृत्यु हो गई। वादियों ने यह दावा करते हुए, कि वे उस विन्यास के न्यासी हैं, 22 अगस्त, 1962 को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाद फाइल किया जिसमें उन्होंने अपीलार्थियों के पिता के पक्ष में किए गए उन संपत्तियों के अन्यसंक्रामणों को चुनौती देते हुए उक्त संपत्तियों के कब्जे का दावा किया। अपीलार्थियों ने प्रतिकूल कब्जे और वाद के लिमिटेशन ऐक्ट के अनुच्छेद 144 के अधीन वर्जित होने का अभिवाक् किया। उन्होंने यह भी अभिवाक् किया कि रद्दकरण विलेख का निष्पादन और सपत्ति का अन्यसंक्रामण करके व्यवस्थापक ने विन्यास के न्यासी का, यदि अभिव्यक्त रूप से नहीं तो विवक्षित रूप से, पद-त्याग कर दिया था। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वाद अनुच्छेद 144 के अधीन वर्जित है और व्यवस्थापन विलेख असली नहीं है। प्रारम्भ में पक्षकार इस प्रश्न की बाबत एकमत नहीं थे कि वाद पर लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 का अनुच्छेद 144 लागू होता है अथवा अनुच्छेद 134-ख। किन्तु दूसरी अपील के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय में वे इस बात पर एकमत थे कि वाद पर अनुच्छेद 134-ख लागू होता है। प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों, ने यह निष्कर्ष निकाला कि 17 मई, 1925 का व्यवस्थापन विलेख विधिमान्य और हर दृष्टि से पूर्ण है और रद्दकरण विलेख और अन्यसंक्रामण, दोनों, अप्रभावी और दोषपूर्ण हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थापक ने उक्त विन्यास के न्यासी का पद छोड़ दिया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में विचारार्थ उद्भूत होने वाला एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या प्रत्यर्थियों-वादियों का वाद लिमिटेशन ऐक्ट के अनुच्छेद 134-ख के अधीन परिसीमा से वर्जित है।

अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—यह बात युक्तियुक्त है कि व्यवस्थापक रद्दकरण विलेख का दोषपूर्ण रीति से निष्पादन करके व्यवस्थापन का प्रभावी रूप से प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और यदि ऐसा व्यवस्थापक न्यासी हो, तो वह उक्त व्यवस्थापन का न्यासी बना रहेगा। प्रस्तुत मामले में यह निष्कर्ष ठीक है कि 17 मई, 1925 का व्यवस्थापन-विलेख जिसके अधीन व्यवस्थापक ने उक्त मंदिर को विन्यस्त सम्पत्तियों पर अपने स्वामित्व का निर्निहितीकरण किया था, विधिमान्य और हर दृष्टि से पूर्ण था और रद्दकरण-विलेख तथा अन्यसंक्रामण, दोनों अप्रभावी और दोषपूर्ण थे और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने ये कार्य करके उक्त विन्यास के न्यासी के रूप में अपना पद-त्याग कर दिया था। यह तथ्य, कि मंदिर के कतिपय व्यय के प्रति श्रद्धालु, भक्तों या जनसाधारण ने अभिदाय किया था, इसका द्योतक नहीं होगा कि व्यवस्थापक ने प्रश्नगत विन्यस्त सम्पत्ति के न्यासी के रूप में अपने पद का त्याग कर दिया था। ऐसी ही स्थिति इस तथ्य के सम्बन्ध में होगी कि कुछ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यक्ति पूजा, जो किसी लोक धार्मिक संस्था के मामले में अस्वाभाविक नहीं होगी, कर रहे थे। (पैरा 5)

अत: इस मामले में परिसीमा अवधि व्यवस्थापक की मृत्यु की तारीख से आरम्भ हुई मानी जाएगी और प्रत्यर्थियों-वादियों का वाद समय के भीतर होगा। (पैरा 6)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1966] [1966] 3 एस० सी० आर० 120 :
श्रीनिवास बनाम रामास्वामी 4, 5

सिविल अपीली अधिकारिता : 1971 की सिविल अपील सं० 1517.

1966 की विशेष अपील सं० 887 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 8 फरवरी, 1971 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील)।

अपीलार्थियों की ओर से श्री के० रामकुमार और श्रीमती जे० रामचन्द्रन

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री के० एस० राममूर्ति और एम० के० डी० नम्बूदिरी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर ने दिया।

न्यायाधिपति तुलजापुरकर—

इस अपील में विचारार्थ जो एकमात्र प्रश्न उद्‌भूत हुआ है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी वादियों का वाद लिमिटेशन ऐक्ट के अनुच्छेद 134-ख के अधीन परिसीमा से वर्जित था ?

2. मुत्तुम्मल नामक एक स्त्री ने, जो कि वादगत सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी थी, तारीख 17 मई, 1925 का व्यवस्थापन विलेख निष्पादित किया जिसके द्वारा उसने वादगत सम्पत्ति का विन्यास गांव के एक मन्दिर को कर दिया जिसका देवता उसका कुल देवता था। इस सम्पत्ति के संबध में वह, एक न्यास का गठन करके, उसकी प्रथम आजीवन न्यासी बनी। उसके पश्चात् उसके पति और उसकी माता को न्यासी बनना था और उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी के वारिसों को न्यासी बनना था। पांच वर्ष के पश्चात्; अर्थात् 21 जनवरी, 1930 को, उसने रद्दकरण विलेख का रजिस्ट्रीकरण करवाया जिससे उसका तात्पर्य उक्त न्यास (व्यवस्थापन) को रद्द करना और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रतिसंहृत करना था। उसके पश्चात् उसने उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कतिपय बंधक निष्पादित किए और बाद में उसने सम्पत्तियां अपीलार्थी सं० 1 और 2 के पिता को बेच दीं। 17 अक्तूबर, 1960 को उसकी मृत्यु हो गई। वादियों ने यह दावा करते हुए कि वे उक्त विन्यास के न्यासी हैं, 22 अगस्त, 1962 को वाद फाइल किया जिसमें उन्होंने अपीलार्थियों के पिता के पक्ष में किए गए उक्त सम्पत्ति के अन्यसंक्रामणों को चुनौती देते हुए उक्त सम्पत्तियों के कब्जे का दावा किया। अपीलार्थियों ने प्रतिकूल कब्जे और वाद के लिमिटेशन ऐक्ट के अनुच्छेद 144 के अधीन वर्जित होने का अभिवाक् किया। विचारण न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्थापन विलेख ही असली विलेख नहीं था और यदि वह असली होता तो भी 22 अगस्त, 1962 को फाइल किया गया वाद अनुच्छेद 144 के अधीन वर्जित था। जब इस मामले की अपील में सुनवाई हुई, तो अपील न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त व्यवस्थापन विलेख विधिमान्य और असली है और इसके परिणामस्वरूप उक्त देवता के पक्ष में एक विधिक विन्यास का सर्जन हो गया था, क्योंकि मूल व्यवस्थापक ने उसका निष्पादन करके अपने स्वामित्व का पूर्ण रूप से निर्निहितीकरण कर दिया था। दूसरे शब्दों में, रद्दकरण विलेख, विधि की दृष्टि में, अप्रभावी है। वाद की बाबत यह समझा गया कि वह लिमिटेशन ऐक्ट के अनुच्छेद 134-ख के अन्तर्गत आने वाला वाद है और चूंकि वह वाद व्यवस्थापक, मुत्तुम्मल की मृत्यु से 12 वर्ष के भीतर फाइल किया गया था, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह समय के भीतर है और वादियों की डिक्री कर दी गई। अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील की और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय की डिक्री की पुष्टि कर दी। इस प्रकार अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील की है।

3. यद्यपि प्रारम्भ में पक्षकार इस प्रश्न की बाबत एकमत नहीं थे कि वाद को लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 का अनुच्छेद 144 लागू होता था या अनुच्छेद 134-ख, किन्तु उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के प्रक्रम में उनका समान आधार यह था कि वाद को अनुच्छेद 134-ख लागू होता है। दोनों पक्षकारों के काउन्सेल हमारे समक्ष भी इस बात पर सहमत हुए कि वाद को अनुच्छेद 134-ख लागू होगा किन्तु हमारे समक्ष उठाया गया प्रश्न इसके संबंध में था कि उक्त अनुच्छेद के अधीन 12 वर्ष की अवधि कब प्रारम्भ हुई थी? क्या वह व्यवस्थापक की मृत्यु की तारीख को प्रारम्भ हुई थी या न्यासी के रूप में उसके प्रकल्पित पद-त्याग की तारीख को?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. अपीलार्थी के काउन्सेल ने हमारे समक्ष यह स्वीकार करते हुए, कि यदि वाद के संबंध में उक्त अवधि मुत्तुम्मल की मृत्यु की तारीख, अर्थात् 7 अक्तूबर, 1960 को प्रारम्भ हुई मानी जाए तो वाद स्पष्ट रूप से समय के भीतर होगा किन्तु उसने यह दलील दी कि मुत्तुम्मल ने न्यासी के रूप में अपने पद का त्याग किया था और यदि उसका ऐसा पद-त्याग स्पष्ट और अभिव्यक्त नहीं है, तो उसकी बाबत यह अवश्य माना जाना चाहिए कि वह इस तथ्य के कारण किया गया था कि उसने 21 जनवरी, 1930 को स्वयं रद्दकरण विलेख (प्रदर्श बी-1) का निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण कराया था और उसके पश्चात् उसने न केवल उक्त सम्पत्तियों का अन्यसंक्रामण अपीलार्थियों के पिता के पक्ष में कर दिया था, बल्कि वह कुछ वर्षों के लिए गांव छोड़कर भी चली गई थी और चूंकि उक्त वाद ऐसे प्रकल्पित पद-त्याग से 12 वर्ष की समाप्ति के काफी समय बाद सन् 1962 में फाइल किया गया था इसलिए वह वर्जित है। काउन्सेल ने इस संबंध में **श्रीनिवास** बनाम **रामास्वामी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलम्ब लिया जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि पूर्विक प्रबन्धक का प्रकल्पित पद-त्याग या प्रकल्पित पदच्युति परिसीमा अवधि का प्रारम्भ या आरंभिक बिन्दु हो सकती है। दूसरी ओर प्रत्यर्थी वादियों के काउन्सेल ने इस बात पर जोर दिया कि इस आधार पर परिसीमा का कोई अभिवाक् विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया था, कि मुत्तुम्मल की ओर से कोई प्रकल्पित पद-त्याग किया गया था और यही कारण था कि पक्षकारों ने मामले के इस पहलू पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया और यदि इस पहलू की बाबत अस्पष्ट रूप से या आमतौर पर पक्षकारों ने कोई साक्ष्य पेश किया था, तो भी उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि उसके संबंध में कोई अभिवाक् न किए जाने की दशा में ऐसे साक्ष्य की उपेक्षा की जानी चाहिए और उससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्यर्थी वादियों के काउन्सेल ने, आनुकल्पिक रूप से, यह दलील दी कि मुत्तुम्मल द्वारा रद्दकरण विलेख के निष्पादन मात्र और अपीलार्थियों के पिता के पक्ष में उक्त सम्पत्तियों के अन्यसंक्रामण से, प्रकल्पित पद-त्याग की कोई विवक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दोषपूर्ण रद्दकरण विलेख और दोषपूर्ण अन्यसंक्रामण के कारण उसका उस व्यवस्थापन विलेख के अधीन, जो पूर्ण था और जिसके अधीन उसने उक्त सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व का सुधा रूप से निर्निहितीकरण किया था, उक्त सम्पत्तियों के न्यासी के रूप में उसका स्वरूप प्रभावित नहीं होता,

---

[1] [1966 3] एस० सी० आर० 120.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अतः वाद के सम्बन्ध में परिसीमा का आरम्भिक बिन्दु वह तारीख अभिनिर्धारित की जानी चाहिए जिसको मुत्तुम्मल की मृत्यु हुई थी।

5. इस बारे में कोई भी विवाद नहीं उठाया जा सकता कि जहां कोई न्यासी कुछ न्यास-सम्पत्ति का दोषपूर्ण रीति से अन्यसंक्रामण कर देता है और उस कारण, यदि सम्पूर्ण न्यास-संपत्ति का अन्यसंक्रामण हो जाता है, तो भी वह उसका न्यासी बना रहता है। तर्कणा के सादृश्य के आधार पर यह युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि व्यवस्थापक रद्दकरण विलेख का दोषपूर्ण रीति से निष्पादन करके व्यवस्थापन का प्रभावी रूप से प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और यदि ऐसा व्यवस्थापक न्यासी हो, तो वह उक्त व्यवस्थापन का न्यासी बना रहेगा। प्रस्तुत मामले में प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों, ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 17 मई, 1925 का व्यवस्थापन-विलेख जिसके अधीन मुत्तुम्मल ने उक्त मंदिर को विन्यस्त सम्पत्तियों पर अपने स्वामित्व का निर्निहितीकरण किया था, विधिमान्य और हर दृष्टि से पूर्ण था और रद्दकरण विलेख तथा अन्यसंक्रामण, दोनों अप्रभावी और दोषपूर्ण थे और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने ये कार्य करके उक्त विन्यास के न्यासी के रूप में अपना पद-त्याग कर दिया था। अपीलार्थियों के काउन्सेल ने मामले के इस एक और पहलू का अवलम्ब लिया कि मुत्तुम्मल ने कुछ वर्षों के लिए गांव पूर्ण रूप से छोड़ दिया था और मामले में यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य विद्यमान था कि मन्दिर के देवता की पूजा कोई अन्य व्यक्ति करता था और कुछ श्रद्धालु भक्तों ने भी मंदिर के व्यय के प्रति अभिदाय किया था। यह तथ्य, कि मुत्तुम्मल ने कुछ वर्ष के लिए गांव छोड़ दिया था, कहीं भी नहीं है और हमारी राय में दोनों अन्य पहलू वास्तव में अस्पष्ट हैं और मामले के इस मुद्दे की बाबत निश्चायक नहीं होंगे कि मुत्तुम्मल ने न्यासी का पद त्याग दिया था क्योंकि गांव का उक्त मन्दिर, केवल जिसमें मुत्तुम्मल ने संपत्तियां विन्यस्त की थीं, पहले से ही अस्तित्व में था और वह लोक धार्मिक संस्था था जिसके विन्यास का सर्जन मुत्तुम्मल ने किया था और इस प्रकार यह तथ्य कि मन्दिर के कतिपय व्यय के प्रति श्रद्धालु भक्तों या जनसाधारण ने अभिदाय किया था, इसका द्योतक नहीं होगा कि मुत्तुम्मल ने प्रश्नगत विन्यस्त सम्पत्ति के न्यासी के रूप में अपने पद का त्याग कर दिया था। ऐसी ही स्थिति इस तथ्य के संवंध में होगी कि कुछ व्यक्ति पूजा, जो किसी लोक धार्मिक संस्था के मामले में अस्वाभाविक नहीं होगी, कर रहे थे जैसी कि **श्री निवास** वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है, यह सच है कि हो सकता है इस मामले में प्रकल्पित पद-

---

[1] [1966] 3 एस० सी० आर० 120.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

त्याग हुआ हो या प्रकल्पित पदच्युति हुई हो, किन्तु उस प्रयोजन के लिए कुछ अतिरिक्त तथ्य साबित किए जाने अपेक्षित होंगे। हमारी राय में अपीलार्थियों के काउन्सेल ने जिन पूर्वोक्त तथ्यों का अवलम्ब लिया है, वे इस न्यायालय से यह निष्कर्ष निकालने की बात को न्यायोचित ठहराने के लिए अपर्याप्त हैं कि मुत्तुम्मल ने न्यासी का पद त्याग दिया था।

6. उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से हमारी राय यह है कि इस मामले में परिसीमा अवधि मुत्तुम्मल की मृत्यु की तारीख से आरम्भ हुई मानी जाएगी और प्रत्यर्थी वादियों का वाद समय के भीतर होगा।

7. अपीलार्थियों के काउन्सेल ने अपने अन्तिम प्रयत्न के रूप में दबी जुबान में यह प्रार्थना की कि यदि सामग्री अपर्याप्त हो, तो अपीलार्थियों को मामले के इस पहलू पर साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए। हम यह नहीं समझते कि हम इतने अन्तराल के पश्चात् इस प्रार्थना पर विशेष रूप से उस दशा में अनुकूल रूप से तब विचार कर सकते हैं जब अपीलार्थियों ने मामले के इस पहलू पर आधारित अपने लिखित कथन में विनिर्दिष्ट रूप से इस बाबत कोई भी अभिवाक् नहीं किया है।

8. परिणामतः हम प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय के विनिश्चयों की पुष्टि करते हैं। अपील खारिज की जाती है। खर्चे की बाबत कोई भी आदेश नहीं किया जाता।

अपील खारिज की गई।

अशोक/श्री०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड और एक अन्य

बनाम

श्रीमति संध्या मित्रा और अन्य

(11 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति पी० एन० भगवती और रंगनाथ मिश्र)

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)—धारा 13 और 14—उपदान—कुर्की से उन्मुकित—अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार विधायी आशय यह है कि उसके अधीन संदेय उपदान को न्यायालय की डिक्री की तुष्टि के लिए कुर्की से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

इस अपील में जो संक्षिप्त प्रश्न विनिश्चित किया जाना है, वह यह है कि क्या कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अधीन नियोजित कर्मकार को संदेय उपदान, न्यायालय की डिक्री की तुष्टि के लिए कुर्की योग्य है। "म" गोदी कर्मकार था और बोर्ड की वर्तमान तीन योजनाओं में से एक के अधीन उसे उपदान संदेय था। कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड ने कर्मकार की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी और पुत्र के विरुद्ध धन की राशि की वसूली की मांग करते हुए कलकत्ता के लघु वाद न्यायालय के समक्ष वाद फाइल किया और उक्त महिला को संदेय उपदान की कुर्की करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने बोर्ड से रकम का संदाय रोकने के लिए कहा, जिस पर बोर्ड ने न्यायालय को यह बताया कि उपदान कुर्की योग्य नहीं है। इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति पर, न्यायालय ने बोर्ड से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि न्यायालय के निदेश की अवहेलना करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये; आदेश किया। लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कुर्की के विरुद्ध किए गए आक्षेप की परीक्षा की और उसे नामंजूर कर दिया। आक्षेप के अस्वीकृत किए जाने के विरुद्ध अपीलार्थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में समावेदन किया तथा यह दलील दी कि कर्मकार को संदेय उपदान, कुर्की योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को ही कायम रखा। उसी निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई है। अपील मंजूर करते हुए,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिनिर्धारित--उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 14 का अध्यारोही प्रभाव है और धारा 13 उपदान को कुर्की से पूर्ण उन्मुक्ति देती है। अधिनियम की उद्देशिका में यह विधायी आशय स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया है कि अधिनियम में पत्तन में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, उपदान के संदाय की स्कीम के लिए उपबंध करने की ईप्सा की गई है और इस अधिनियम के अधीन, उपदान ऐसे ही कर्मकार को संदेय था। जो उपदान उसे संदेय था, वह पूरी तरह से इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इसलिए वह उसकी धारा 13 के अधीन उन्मुक्ति प्राप्त करने का हकदार बन गया। (पैरा 6)

उच्च न्यायालय ने यह गलत मत अपनाया है कि 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 97 का प्रभाव यह था कि उच्च न्यायालय की अधिसूचना अब प्रभावी नहीं रह गई है, जब तक कि उसे पुनः विरचित न कर दिया जाये। इस अपील के निपटारे के लिए उस पहलू की परीक्षा करनी पूर्णतया अनावश्यक है, क्योंकि अधिनिमयम की धारा 13 के अधीन उन्मुक्ति, अपील मंजूर करने के लिए पर्याप्त है और प्रत्यर्थी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि सम्बन्धित कर्मकार को संदेय उपदान कुर्की योग्य नहीं है। (पैरा 7)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1985 की सिविल अपील सं० 345.

(1983 के सिविल आदेश सं० 971 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तारीख 5 अक्तूबर, 1983 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई अपील)।

अपीलार्थियों की ओर से श्री डी० एन० मुखर्जी

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री महावीर सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति रंगनाथ मिश्र ने दिया।

न्यायाधिपति मिश्र—

विशेष इजाजत मंजूर की गई।

2. इस अपील में जो संक्षिप्त प्रश्न विनिश्चित किया जाना है, वह यह है कि क्या कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अधीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) नियोजित कर्मकार को संदेय उपदान, न्यायालय की डिक्री की तुष्टि के लिए कुर्की योग्य है। मोहम्मद शफी-उर-रहमान गोदी कर्मकार था और बोर्ड की वर्तमान तीन योजनाओं में से एक के अधीन उसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपदान संदेय था। प्रत्यर्थी 1 ने मोहम्मद शफी-उर-रहमान की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी तथा पुत्र के विरुद्ध धन की राशि की वसूली की मांग करते हुए कलकत्ता के लघुवाद न्यायालय के समक्ष वाद फाइल किया और उक्त महिला को संदेय उपदान की कुर्की करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने आदेश कर दिया और बोर्ड से रकम का संदाय रोकने के लिए कहा, जिस पर बोर्ड ने न्यायालय को यह बताया कि उपदान कुर्की योग्य नहीं है। इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति पर, न्यायालय ने बोर्ड से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि न्यायालय के निदेश की अवहेलना करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाए, आदेश किया। लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कुर्की के विरुद्ध किए गए आक्षेप की परीक्षा की और उसे नामंजूर कर दिया। आक्षेप के अस्वीकृत किए जाने के विरुद्ध अपीलार्थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में समावेदन किया तथा यह दलील दी कि कर्मकार को संदेय उपदान, कुर्की योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने इस दलील के चलने योग्य होने की बात की परीक्षा की और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला—

> "तथापि, विधिक स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, हमारा यह निष्कर्ष है कि विद्वान् मुख्य न्यायाधीश का निष्कर्ष सही है। वादी को अपने ऋणी या विधिक प्रतिनिधि को संदेय किसी ऋण की कुर्की करने का विधिक अधिकार है। तथापि, यह अधिकार सदैव किसी कानूनी उपबंध में दिए गए अपवादों के अध्यधीन है। निस्संदेह, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 13 कुर्की को वर्जित करती है, किन्तु ऐसा उस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान की बाबत ही है। उपदान, जो अब कुर्की के अधीन है, अधिनियम के अधीन संदेय नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की यथा-संशोधित धारा 60 उपदान की, जो कि अब विचाराधीन है, ऐसी कुर्की को वर्जित करती है। किन्तु जैसी कि यह धारा इस समय है, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय को लागू नहीं की गई थी। संहिता की धारा 8 के अधीन, उच्च न्यायालय ने, 1965 तक यथासंशोधित धारा 60 को सम्मिलित करते हुए, कतिपय उपबंध अपनाए तथा उन्हें प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय को लागू किया। इस प्रकार अपनाई गई धारा 6 का खण्ड (घ) निम्नलिखित रूप में है —
>
> (छ) वे वृत्तिकाएं और उपदान जो सरकार के पेंशनभोगियों को अनुज्ञात हैं या ऐसी किसी सेवा कुटुम्ब पेंशन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निधि में से जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की गई है, संदेय हैं, और राजनीतिक पेंशनें;

इस खण्ड के अंतर्गत बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत गोदी कर्मकार को संदेय उपदान नहीं आता और इस खण्ड के पश्चात्वर्ती संशोधन को उच्च न्यायालय द्वारा न अपनाए जाने और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय को उसे लागू न किए जाने के कारण विद्वान् मुख्य न्यायाधीश का यह निष्कर्ष निकालना सही है।

इसके बाद उपदान नियमों के नियम का अवलम्ब लिया गया है जिसका तात्पर्य निस्संदेह उपदान को कुर्की से छूट देना है। किन्तु चूंकि केन्द्रीय सरकार ने ये नियम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम के अधीन संसद् द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर नहीं बनाए हैं, बल्कि बोर्ड ने स्कीम के अधीन शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन के आधार पर बनाए हैं, इसलिए हमारे विचार में वह वादी के विधिक अधिकार को अध्यारोपित नहीं कर सकता।"

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होते हुए श्री मुखर्जी का कथन यह था कि लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ दोनों ही ने जो मत अपनाया है, वह विधि के विरुद्ध है और, इसलिए उसे कायम नहीं रखा जा सकता।

4. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1(3) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम का विस्तार पत्तनों पर होगा। अधिनियम की धारा 2(ढ) में "पत्तन" की परिभाषा दी गयी है। इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं हो सकता कि कलकत्ता पत्तन भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत आता है। यह सच है कि कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड द्वारा विरचित तीन स्कीमों में से एक के अधीन मोहम्मद शफी-उर-रहमान को उपदान संदेय था, किन्तु ऐसे उपदान को अधिनियम की धारा 5 के अधीन अनुध्यात किसी अधिसूचना के अभाव में, उसकी धारा 4 के अंतर्गत समझा जाना चाहिए। धारा 5 समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी ऐसे पत्तन को, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से उस दशा में छूट दे सकेगी, यदि समुचित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकार की राय में उक्त पत्तन में के कर्मचारी ऐसा उपदान और पेंशन संबंधी ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जो उस अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं। न तो मुख्य न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथा-अनुध्यात अधिसूचना निकाली गई है। प्रत्यर्थियों ने किसी भी प्रक्रम में यह दलील नहीं दी थी कि ऐसी अधिसूचना निकाली गई थी।

5. अब अधिनियम की धारा 13 और 14 के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है जो बहुत ही सुसंगत हैं।

> "13. **उपदान का संरक्षण**—इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई उपदान किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।
>
> 14. **अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों आदि पर अध्यारोही होना** – इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत अथवा संविदा में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।"

6. हम यह बता सकते हैं कि 1984 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 25 द्वारा धारा 13, 1 जुलाई, 1984 से संशोधित की गई है और संशोधित धारा इस प्रकार है—

> "इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई उपदान तथा किसी ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कंपनी या दुकान में, जो धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त है, नियोजित किसी कर्मचारी को संदेय कोई उत्पदान, किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।"

अधिनियम की धारा 5 के अर्थान्तर्गत किसी अधिसूचना के अभाव में यह संशोधन विचार के लिए सुसंगत नहीं है। धारा 14 का अध्यारोही प्रभाव है और धारा 13 उपदान को कुर्की से पूर्ण उन्मुक्ति देती है। अधिनियम की उद्देशिका में यह विधायी आशय स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया है कि अधिनियम में पत्तन में लगे हुए सभी कर्मचारियों को अन्य बातों के साथ-साथ,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उपदान के संदाय करने सम्बन्धी स्कीम के लिए उपबंध करने की ईप्सा की गई है और इस अधिनियम के अधीन, उपदान मोहम्मद शफी-उर-रहमान जैसे कर्मकारों को संदेय था। जो उपदान उसे संदेय था, वह पूरी तरह से इस अधिनियम के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वह इसलिए, उसकी धारा 13 के अधीन उन्मुक्ति प्राप्त करने का हकदार बन गया।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में कुर्की से छूट देने के लिए उपबंध किया गया है और इसकी उपधारा (1) के खण्ड (क) से (त) में विस्तृत सूची उपबंधित है। इसका खण्ड (छ) सरकार के या किसी स्थानीय अधिकारी के या किसी अन्य नियोजक के पेंशनभोगियों को अनुज्ञात वृत्तिका और उपदानों को कुर्की से छूट देता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि "स्थानीय प्राधिकारी" या "अन्य नियोजक" शब्द 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा 1 फरवरी, 1977 से कानून में अंतःस्थापित किए गए। संहिता की धारा 8 के उपबंधों का अवलम्ब लेते हुए मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी यह मत अपनाया कि जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय उसका विस्तार न कर दे, तब तक धारा 60 का संरक्षण कलकत्ता के प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाहियों की बाबत उपलभ्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 8 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए संहिता की धारा 60 के उपबंधों का विस्तार कर दिया है किन्तु उच्च न्यायालय ने यह गलत मत अपनाया प्रतीत होता है कि 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 97 का प्रभाव यह था कि उच्च न्यायालय की अधिसूचना अब प्रभावी नहीं रह गई है, जब तक कि उसे पुनः विरचित न कर दिया जाये। इस अपील के निपटारे के लिए उस पहलू की परीक्षा करनी पूर्णतया अनावश्यक है, क्योंकि हमारी राय में, अधिनियम की धारा 13 के अधीन उन्मुक्ति, अपील मंजूर करने के लिए पर्याप्त है और हम प्रत्यर्थी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालते हैं। अतः, हम अपील मंजूर करते हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने ही यह मत अपनाने में भूल की कि मोहम्मद शफी-उर-रहमान को संदेय उपदान कुर्की योग्य है। पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करें।

अपील मंजूर की गई।

मदन/श्री०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डी० आर० कोहली और अन्य

बनाम

अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड

(12 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी, ई० एस० वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)—प्रथम अनुसूची, मद 14-घ सपठित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 23 नवम्बर, 1961 वाली अधिसूचना—उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट—अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट का उपबंध केवल उसी स्थिति में किया जाना यदि ऐसे रंजक अन्य किसी रंजक से विनिर्मित किए गए हों, जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क का पहले ही संदाय किया जा चुका हो—ऐसे रंजकों पर उत्पाद-शुल्क का स्वैच्छिक संदाय, जो ऐसे संदाय के दायित्वाधीन नहीं थे, किसी छूट का हकदार नहीं बनाता ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)—धारा 115—वचन-निबंध के सिद्धांत का अवलम्ब लिया जाना—विनिर्माता ने विभाग की ओर से किसी व्यपदेशन का अवलम्ब लेकर अपने हितों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया था—विनिर्माता केवल छूट देने वाली अधिसूचना के आधार पर ही कार्यवाही कर सकता था—अतः विभाग के विरुद्ध वचन-विबंध का अभिवाक् नहीं दिया जा सकता ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक नियम, 1944 (1944 का 1)—नियम 10 और 10-क – परिसीमा-काल का लागू होना—नियम 10 केवल तभी लागू होता है जब अधिकारी की ओर से उसमें विहित कोई भूल हुई हो—चूंकि अधिकारी की ओर से उक्त कोई भूल नहीं हुई है, अतः नियम 10 के अधीन विहित परिसीमा-काल लागू नहीं होता—इस मामले में नियम 10-क, जो अवशिष्ट उपबंध है, लागू होता है ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वित्त अधिनियम, 1961 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची में मद 14-घ जोड़ी गई थी। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक नियमों के अधीन अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन रंजकों को उन पर उद्गृहीत समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट केवल उस दशा में दी गई थी यदि उनका विनिर्माण ऐसे किन्हीं अन्य रंजकों से किया गया था, जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क का पहले ही संदाय किया जा चुका है। प्रत्यर्थियों ने, जो रसायनों और रंजकों का विनिर्माता है, उत्पाद-शुल्क के अधीक्षक को एक पत्र यह सूचित करते हुए लिखा कि एक स्थानीय विनिर्माता ने रंजकों पर उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण से पूर्व उत्पादित माल देने की प्रस्थापना की है और वह उस माल को उत्पाद-शुल्क की वसूली के बिना बेचने के लिए रजामन्द है किन्तु प्रत्यर्थी उस माल पर उत्पाद-शुल्क देना चाहता है जिससे कि प्रत्यर्थी को अन्तिम उत्पाद पर उत्पाद-शुल्क का संदाय न करना पड़े। अधीक्षक ने अधिसूचना में जो स्थिति थी, वह स्पष्ट की कि यदि पक्के रंग क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय का साक्ष्य पेश कर दिया जाता है तो उनका प्रयोग करके विनिर्मित रंजक शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होंगे। विभागीय लेखा दल ने यह स्पष्ट किया कि जब क्षारक-रंजकों पर उनके विनिर्माण के समय उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया गया हो, जब उन पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित किया जाना था, तो उन्हें विनिर्मित माल पर शुल्क का संदाय करने से छूट प्राप्त थी। चूंकि प्रत्यर्थी ने शुल्क के अधिरोपण से पूर्ण क्षारक-रंजक खरीदे थे, अतः वह अन्तिम उत्पादों पर उस शुल्क के संदाय से छूट का दावा नहीं कर सकता जिसका उन पर न्यून उद्ग्रहण किया गया था। प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि उसके मामले में नियम 10 लागू होता है और चूंकि वह नोटिस परिसीमा-काल के तीन मास के पश्चात् दिया गया था, अतः शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जा सकता था। प्रत्यर्थियों द्वारा पिटीशन किए जाने पर उच्च न्यायालय ने उनका पिटीशन मंजूर कर लिया। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध विभाग ने यह अपील फाइल की है। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—अधिसूचना की भाषा से संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें कथित है कि केवल उस स्थिति में ही यदि ऐसे रंजक अन्य किसी ऐसे रंजक से विनिर्मित किए गए हों जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क का पहले ही संदाय किया जा चुका हो, तो उन्हें शुल्क से छूट प्राप्त होगी। रंजकों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय केवल तभी संभव था यदि उनका विनिर्माण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में मद 14-घ के जोड़े

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाने के पश्चात् किया गया था। स्वीकृत रूप में इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा जिन रंजकों का प्रयोग किया गया था, उनका इस तारीख से पूर्व विनिर्माण किया गया था। (पैरा 9)

इस मामले में वचन-विबंध के सिद्धान्त का अभिवाक् विभाग की दलील के विरुद्ध वर्जन के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने विभाग की ओर से किए गए किसी व्यपदेशन का अवलम्ब लेकर अपने हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया था। प्रत्यर्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि यदि विभाग ने सलाह न दी होती तो उसने रंजकों का विनिर्माण न किया होता। इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के समक्ष छूट की अधिसूचना थी जो उसकी कार्रवाइयों के लिए एकमात्र आधार हो सकती थी। इस प्रकार के मामले में विभाग से भी विधिक सलाह देने की आशा नहीं की जा सकती थी। (पैरा 12)

अधिसूचना के अधीन छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब अन्य रंजकों के विनिर्माण में प्रयुक्त रंजक उनका विनिर्माण किए जाने के समय उत्पाद-शुल्क के संदाय के दायित्वाधीन थे और ऐसे शुल्क का संदाय कर दिया गया था। ऐसे रंजकों पर उत्पाद-शुल्क के स्वेच्छापूर्वक संदाय को, जो ऐसे संदाय के योग्य नहीं थे, अधिसूचना के अधीन किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकती। (पैरा 13)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक नियमों का नियम 10 अधिकारी द्वारा की गई चार प्रकार की गलतियों के बारे में है जिससे कोई मामला इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उनमें से 'अवधानता', 'भूल' और 'गलत-अर्थान्वयन' ऐसी गलतियां हैं जो स्वयं अधिकारी की ओर से ही की जा सकती हैं। 'दुस्संधि' में सरकार को कपट वंचित करने के अभिप्राय से दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य किया गया समझौता अन्तर्वलित है। इस मामले में अकेले अधिकारी द्वारा ही की गई ऐसी कोई भी गलती अथवा उपर्युक्त रूप में वर्णित दुस्संधि अन्तर्वलित नहीं है। न ही यह ऐसा मामला है जहां स्वामी की ओर से ऐसे माल की मात्रा, विवरण अथवा मूल्य की बाबत गलत कथन देने के कारण न्यून रूप में उद्ग्रहण किया गया हो। अतः नियमों का नियम 10-क, जो अवशिष्ट उपबंध है, आवश्यकतः लागू होता है। अतः, नियमों के नियम 10 के आधार पर किए गए परिसीमा के अभिवाक् में कोई बल नहीं है। (पैरा 17)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रभेदित निर्णय

		पैरा
[1969]	[1969] 2 एस॰ सी॰ आर॰ 253 : **हंसराज गोरधन दास** बनाम **एच॰ एच॰ दवे, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क, सूरत और दो अन्य**	11
[1964]	[1964] 2 एस॰ सी॰ आर॰ 888 : **इन्नामुरी गोपालन और अन्य** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य**	10

अवलंबित निर्णय

[1972]	[1972] 3 उम॰ नि॰ प॰ निं॰ सा॰ 31 = [1973] 1 एस॰ सी॰ आर॰ 822 : **सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलकत्ता** बनाम **भारतीय राष्ट्रीय तंबाकू कंपनी लिमिटेड**	15
[1971]	[1971] 1 उम॰ नि॰ प॰ 965=[1971] 3 एस॰ सी॰ आर॰ 506 : **एन॰ बी॰ संजना, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, मुम्बई और अन्य** बनाम **एलफिंस्टन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड**	15
[1963]	[1963] 3 एस॰ सी॰ आर॰ 893 : **गुरु सहाय सहगल** बनाम **आय-कर आयुक्त, पंजाब**	15

सिविल अपीली अधिकारिता : 1970 की सिविल अपील सं॰ 2277.

1964 के विशेष सिविल आवेदन सं॰ 624 में गुजरात उच्च न्यायालय के तारीख 9/10 जुलाई, 1969 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रमाणपत्र लेकर की गई अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री डी॰ के॰ सेन, वी॰ सी॰ महाजन और आर॰ एन॰ पोद्दार
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री के॰ के॰ वेणुगोपाल, डी॰ एन॰ मिश्र, टी॰ एम॰ अंसारी और पी॰ के॰ राणा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया।

न्यायाधिपति वेंकटरामय्या—

यह अपील भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1)(क) के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करके संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत अपील के प्रत्यर्थी अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय की फाइल पर 1964 के विशेष सिविल आवेदन सं० 624 में तारीख 9/10 जुलाई, 1969 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है।

2. प्रत्यर्थी गुजरात राज्य में अतुल नामक स्थान पर एक कारखाने का स्वामी है जिसमें वह अनेक वर्षों से रंजक, रसायन तथा औषधियों के विनिर्माण का कारबार कर रहा है। 1961 के वित्त अधिनियम द्वारा "किसी रंजक प्रसंस्करण में प्रयुक्त संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य (सिंथेटिक आरगेनिक डाईस्टफ) (पिगमेंट डाईस्टफ सम्मिलित करते हुए) तथा संश्लिष्ट कार्बनिक संजात (सिंथेटिक आरगेनिक डैरीवेटिव) तारीख 1 मार्च, 1961 से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की प्रथम अनुसूची में मद 14-घ के रूप में जोड़ दिए गए और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी अधिनियम द्वारा सिबाजीन्स तथा सिबानोजीन्स के रूप में पुकारे जाने वाले अपने दो उत्पादों पर अधिरोपित उत्पाद-शुल्क के संदाय हेतु दायी बन गया और जो अधिनियम की धारा 3 के आधार पर उसके द्वारा विनिर्मित किए जा रहे थे, जिस धारा में यह उपबंधित है कि अधिनियम द्वारा विहित उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं पर उद्ग्रहण किया जाना था। सुसंगत अवधि के दौरान प्रथम अनुसूची में उल्लिखित मद 14-घ को निम्न प्रकार पढ़ा जा सकता है :—

> "14-घ. सिंथेटिक आरगेनिक डाईस्टफ (पिगमेंट डाईस्टफ मूल्यानुसार सम्मिलित करते हुए) तथा किसी रंजक प्रसंस्करण तीस प्रतिशत में प्रयुक्त सिंथेटिक आरगेनिक यौगिक।"

3. परन्तु तारीख 23 नवम्बर, 1961 को केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के नियम 8(1) के अधीन इसकी उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रंजकों को उस पर उद्ग्रहण किए जाने वाले सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की जिसे केवल उसी स्थिति में यदि ऐसे रंजक किसी ऐसे अन्य रंजक से विनिर्मित किए गए थे जिन पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क पहले ही संदत्त किया जा चुका था। अधिसूचना को निम्न प्रकार पढ़ा जा सकता है :

"भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 23 नवम्बर, 1961
द्वितीया अग्रहायण, 1883 शक संवत्

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

जी० एस० आर०—भारत में यथाप्रवृत्त तथा पांडिचेरी राज्य को लागू केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इसकी उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रंजकों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14-घ में आते हैं उन पर उद्गृहीत किए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से केवल उसी स्थिति में छूट प्रदान करती है, यदि ऐसे रंजक किसी अन्य ऐसे रंजक से विनिर्मित किए जाते हैं, जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क पहले ही संदत्त किया जा चुका है।

अनुसूची

1. सोल्यूबलाइज्ड (विलेय) वैट्स;
2. तेज पक्के रंग,
3. रेपिडोजीन्स,
4. पक्का रंग नमक (फ़ास्ट कलर साल्ट्स)

(180/61)
हस्ता० (बी० एन० बनर्जी)"

4. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी जो सिबाजीन्स और सिब्रानोजीन्स विनिर्मित करता है वे उपर्युक्त अधिसूचना की उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रंजकों की श्रेणी में आते हैं। उपर्युक्त अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, प्रत्यर्थी ने तारीख 22 दिसम्बर 1961 को उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, बुलसार प्रभाग, बुलसार को एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है :

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा तारीख 23 नवम्बर, 1961 को जारी की गई अधिसूचना सं० 180/61 के अधीन, रेपीडोजीन्स/तेज पक्के और पक्के क्षारक उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं परन्तु यह तब जबकि ऐसे रंजकों का ऐसे अन्य रंजकों से विनिर्मित किया जाता है जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क पहले ही संदत्त किया जा चुका है।

आपके तथा कलक्टर, उत्पाद-शुल्क के साथ तारीख 20 दिसम्बर, 1961 को हुई चर्चा के दौरान हमने बताया था कि हम रेपिडोजीन्स/रेपिड फास्ट (तेज पक्के) क्षारकों के उत्पादन में अपेक्षित तेज पक्के अवयवों का मुम्बई के विनिर्माताओं अथवा खुले बाजार से क्रय करते हैं। जो सामग्री स्थानीय विनिर्माता ने हमें प्रदान की उसका उत्पादन रंजकों पर उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण से पूर्व किया गया था। अतः, वह हमें उस सामग्री का उत्पाद-शुल्क की वसूली विना विक्रय करने को रजामन्द है। अब हम पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करना चाहते हैं जिनका हम स्थानीय विनिर्माता से क्रय करेंगे ताकि हमें उत्पादित अन्तिम उत्पादों अर्थात् रेपिडोजीन्स/रेपिडफास्ट्स (तेज पक्के) पर उत्पाद-शुल्क का संदाय न करना पड़े।

इसी प्रकार हम आयातित पक्के रंगों के अवयवों का कुछ मात्रा में खुले बाजार से क्रय करना चाहते हैं। हम इस प्रकार क्रय की गई सामग्री को 15 प्रतिशत की दर पर उत्पाद-शुल्क की वसूली हेतु प्रस्तुत करेंगे।

हम अब आपसे अतुल में स्थित आपके निरीक्षक को पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क स्वीकार करने के लिए सूचित करने का निवेदन करते हैं, जिनका हम या तो स्थानीय विनिर्माता से अथवा खुले बाजार से क्रय करेंगे।

सधन्यवाद, आपके ही हम,

आपका विश्वासपात्र,
कृते/द अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
हस्ता०
(एस० के० सोमन)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, बुलसार प्रभाग, बुलसार ने उपर्युक्त पत्र का उत्तर तारीख 4/6 जनवरी, 1962 को यह कथन करते हुए दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किए गए तेज पक्के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय पर कोई आपत्ति नहीं है और यह कि यदि पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो उन पक्के रंगों के क्षारकों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित रंजकों पर उपरनिर्दिष्ट अधिसूचना के अधीन शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा। उसने उप-अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को भी ऐसे पक्के रंगों के क्षारकों पर शुल्क प्राप्त करने के लिए अनुदेश दिए जो प्रत्यर्थी द्वारा सिबाजीन्स अथवा सिबानोजीन्स (प्रसंस्कृत रंजकों) के उत्पादन के लिए आवश्यक थे। तद्नुसार, प्रत्यर्थी ने शुल्क का संदाय कर दिया तथा अपने द्वारा विनिर्मित सिबाजीन्स और सिबानोजीन्स पर शुल्क संदाय करने से उसे छूट प्रदान कर दी गई। बाद में, लेखापरीक्षा दल ने अवेक्षा की कि प्रत्यर्थी को दर्शित रियायत सही नहीं थी क्योंकि केवल तब ही जब शुल्क का संदाय मूल रंजकों पर उनके विनिर्माण के समय किया जाता और जब उन पर प्रभार्य था और तत्पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा उनका क्रय किया जाता तो प्रत्यर्थी को इस प्रकार मूल रंजकों का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पादों पर संदाय किए जाने वाले शुल्क से छूट मिलती। लेखापरीक्षा दल का यह विचार था कि प्रत्यर्थी जिसने मूल रंजकों का उस समय क्रय किया था जब उन पर शुल्क उद्ग्रहणीय था, अतः वह ऐसे मूल रंजकों का प्रयोग करके अपने द्वारा विनिर्मित अन्तिम उत्पादों पर 1 मार्च, 1961 के पश्चात् मूल रंजकों पर स्वेच्छया शुल्क का संदाय करके तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुरूप उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट के लिए दावा नहीं कर सकता था। इसके आगे लेखापरीक्षा दल का यह मत था कि उपर्युक्त मूल के कारण उत्पाद-शुल्क का कम उद्ग्रहण किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी ने मूल रंजकों पर 30 प्रतिशत **मूल्यानुसार** उत्पाद-शुल्क का संदाय किया था जबकि वह अपने द्वारा विनिर्मित उत्पादों पर 30 प्रतिशत **मूल्यानुसार** शुल्क संदाय करने के लिए दायी था जो मूल रंजकों से अधिक महंगे थे। अतः सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सूरत ने तारीख 20 मई, 1964 को नियमों के नियम 10-क के अधीन प्रत्यर्थी को यह कारण दर्शित करने के लिए पांच नोटिस जारी किए कि उत्पाद-शुल्क के घाटे की रकम उक्त तारीख से पूर्व की विभिन्न अवधियों में उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं की बाबत क्यों न वसूल की जाए। हम उनमें से एक नोटिस को नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं, जिनकी अन्तर्वस्तु केवल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दावाकृत रकम तथा सुसंगत मांग नोटिस की संख्या के सिवाय न्यूनाधिक रूप में समान ही थी :

"समेकित प्रभागीय कार्यालय :
सीमा और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सूरत

सं० 6 (आर० आर०) 21-13/62/II/(4) सूरत, 20 मई, 1964

सूचना

यत: रिपोर्ट की गई है कि मैसर्स द अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अतुल ने संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक (सिंथेटिक आर्गेनिक डाइज) अर्थात् सिबाजीन्स और सिबानोजीन्स का तारीख 28 फरवरी, 1961/1मार्च, 1961 को उनके पास भण्डार में विद्यमान अथवा बाजार से क्रय किए गए मूल रंजकों से विनिर्माण किया है तथा उपरिनिर्दिष्ट रूप में भण्डार में विद्यमान बाजार से क्रय किए गए ऐसे समस्त मूल रंजकों पर स्वेच्छा से शुल्क संदाय करके तारीख 23 नवम्बर, 1961 से आगे प्रसंस्कृत रंजक (अन्तिम उत्पाद) अपने कारखाने से निकासी के समय शुल्क के संदाय बिना विनिर्मित कर निकाल दिए ।

2. उप-अक्षीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अतुल ने तारीख 6 जनवरी, 1964 को अन्तिम प्रसंस्कृत रंजकों के निर्धारण के परिणामस्वरूप शुल्क की वसूली हेतु 2,930.22 रुपए की रकम की मांग सं० 10175 की, क्योंकि प्रसंस्कृत रंजकों पर केवल इस आधार पर शुल्क से छूट प्रदान नहीं की जा सकती थी कि ऐसे मूल रंजकों पर स्वेच्छा से शुल्क का संदाय किया गया था जो तारीख 28 फरवरी, 1961 को भण्डार में विद्यमान थे, बाजार से क्रय किए गए थे जबकि तारीख 28 फरवरी, 1961 को मूल रंजकों के स्टाक पर ऐसे शुल्क के संदाय का कोई औचित्य नहीं था ।

3. मैसर्स द अतुल प्रोडक्ट्स लि० अतुल ने अपने पत्र सं० एस० एल०/437/9581, तारीख 25 मार्च, 1964 द्वारा तारीख 6 जनवरी, 1964 की मांग सं० 10175 के विरुद्ध इस विवाद का अभ्यावेदन किया ।

4. मैसर्स द अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड अतुल को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह कारण दर्शित करना चाहिए कि उप-अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अतुल द्वारा उपरि निर्दिष्ट रूप में जारी की गई मांग की क्यों न पुष्टि की जाय ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. मैसर्स द अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अतुल को यह और निदेश दिया जाता है कि कारण दर्शाने के समय वह ऐसा समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसका वे अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अवलम्ब लेने का आशय रखते हैं।

6. मैसर्स द अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अतुल को लिखित स्पष्टीकरण में यह भी उपदर्शित करना चाहिए कि क्या वे निर्धारण-विवाद के निपटाये जाने से पूर्व वैयक्तिक रूप से सुनवाई करवाना चाहते हैं।

7. यदि प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध इस नोटिस की प्राप्ति के दस दिन के भीतर कोई कारण दर्शित नहीं किया जाता अथवा वे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उस समय उपस्थित नहीं होते जब मामला सुनवाई के लिए आता है, तो मामले को एकपक्षीय रूप में विनिश्चित किया जायेगा।

हस्ता०/
एच० एच० दवे
20-5-64
सहायक कलक्टर"

6. मांग नोटिसों के विवरण तथा उक्त पांचों नोटिसों में दावा की गई रकम निम्न प्रकार थी :

मांग नोटिस सं०	दिनांक	रकम	निकासी की अवधि
1. 10163	24-10-63	18,349.21	1-1-62 से 31-5-63
2. 10166	11-11-63	8,142.06	3-8-63 से 13-11-63
3. 10174	6-1-64	1,80,593.47	30-12-61 से 30-5-62
4. 10175	6-1-64	2,930.22	10163 और 10166 की अनुपूरक
5. 10179	25-2-64	8,349.00	24-12-64
		2,18,363.96	

7. प्रत्यर्थी ने उपर्युक्त पांचों नोटिसों का तारीख 19 जून, 1964 को एक ही सामूहिक उत्तर प्रेषित किया। प्रत्यर्थी ने दलील दी कि उसने अपने द्वारा विनिर्मित उत्पादों अर्थात् सिबाजीन्स तथा सिबानोजीन्स की नियमों के अनुसार निकासी की थी। उसने यह अभिवाक् किया कि इस निष्कर्ष में कोई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायौचित्य नहीं था कि उसने उक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त पक्के रंगों के क्षारकों पर स्वेच्छा से उत्पाद-शुल्क का संदाय किया था। जैसा कि अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, बुलसार ने पुष्टि की थी कि तारीख 23 नवम्बर, 1961 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पक्के रंगों के क्षारकों पर उनके उक्त प्रसंस्कृत रंजकों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने से पूर्व उससे उत्पाद-शुल्क संदाय किया जाना अपेक्षित था और यह भी लिखा था कि उप-अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अतुल को उक्त पक्के रंगों के क्षारकों पर शुल्क की वसूली करने का अनुदेश दिया जा रहा था। प्रत्यर्थी ने यह भी निवेदन किया कि "नियमों" का नियम 10-क इस मामले को लागू नहीं होता और इसलिए कोई मांग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त नोटिसों के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, सहायक कलक्टर ने अपने तारीख 20 जुलाई, 1964 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी की आपत्तियों को उलटते हुए उसे उस रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जो समुचित मांग के नोटिस जारी करके नोटिसों में मांगी गयी थी। सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा पारित उक्त आदेशों तथा मांग के नोटिसों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष उनके औचित्य को प्रश्नगत करते हुए एक रिट पिटीशन फाइल किया जिसमें यह प्रार्थना की गयी कि उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी से नोटिसों में दावाकृत रकम की वसूली न करने का निदेश दिया जाए। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अधिसूचना के अधीन उसके द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की बाबत छूट का हकदार था क्योंकि उक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त रंजकों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जा चुका था। अतः उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन में आक्षेपित सहायक कलक्टर के आदेश तथा मांग-नोटिसों को अभिखण्डित करते हुए रिट-पिटीशन मंजूर कर लिया तथा उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों को तारीख 9/10 जुलाई, 1969 के अपने निर्णय द्वारा इसमें उल्लिखित राशि की वसूली न करने के लिए निदेश दिया। यह अपील भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गयी।

8. इस अपील में हमारे समक्ष विचारार्थ जो दो मुख्य प्रश्न उठाए गए वे इस प्रकार हैं: (1) क्या प्रत्यर्थी तारीख 23 नवम्बर, 1961 की छूट अधिसूचना के फायदे का हकदार था जब तथाकथित रूप से प्रत्यर्थी द्वारा अन्य रंजकों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए गए रंजक तब उत्पाद-शुल्क के संदाय के दायित्वाधीन नहीं थे जब वे विनिर्मित किए गए थे, अर्थात् अधिनियम की प्रथम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुसूची में मद 14-घ के जोड़े जाने से पूर्व यद्यपि उन पर शुल्क का संदाय मद 14-घ के जोड़े जाने के पश्चात् किया गया हो और (ii) क्या इस मामले में की गई मांगें नियमों के नियम 10-क के क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा नियम 10 के अधीन आती हैं।

9. इस पर विवाद नहीं है कि वे रंजक जिनकी बाबत इस मामले में शुल्क का संदाय किया गया था ऐसे समय विनिर्मित किए गए थे जब उन पर कोई शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था। वास्तव में, यह मामला उस पत्र के साथ प्रारंभ हुआ जो प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 23 नवम्बर, 1961 को छूट की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् एक माह की अवधि के भीतर तारीख 22 दिसम्बर, 1961 को लिखा गया था। उक्त पत्र में प्रत्यर्थी ने निस्सन्देह यह कथन किया कि "जो सामग्री स्थानीय विनिर्माता ने हमें प्रदान की उसका उत्पादन रंजकों पर उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण से पूर्व किया गया था।" परन्तु इसके बाद यह वाक्य है कि "हम अब पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क संदाय करना चाहते हैं......।" उस पत्र में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक के समक्ष पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क स्वीकार करने का निवेदन किया गया जिनका प्रत्यर्थी या तो स्थानीय विनिर्माता से अथवा खुले बाजार से क्रय करेगा। पत्र में ऐसे रंजकों की मात्रा अथवा मूल्य की बाबत कोई विवरण अन्तर्विष्ट नहीं था जिनका प्रत्यर्थी क्रय करना चाहता था। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ने अपने उत्तर में यह कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किए गए पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय की बाबत कोई आपत्ति नहीं है और यदि पक्के रंगों के क्षारकों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो उन पक्के रंगों के क्षारकों के प्रयोग द्वारा विनिर्मित रंग अधिसूचना के अधीन उत्पाद-शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होंगे। उपर्युक्त उत्तर का आशय वस्तुतः वह बात कहना था जो अधिसूचना में कथित है। संभवतया यह धारणा की गई कि उत्पाद-शुल्क के संदाय की आवश्यकता केवल तभी होगी जब यह विधि के अधीन संदेय हो। अधिसूचना की भाषा से संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें कथित है कि केवल उस स्थिति में ही यदि ऐसे रंजक अन्य किसी ऐसे रंजक से विनिर्मित किए गए हों जिन पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा-शुल्क का पहले ही संदाय किया जा चुका हो, तो उन्हें शुल्क से छूट प्राप्त होगी। रंजकों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय केवल तभी संभव था यदि उनका विनिर्माण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में मद 14-घ के जोड़े जाने के पश्चात् किया गया था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वीकृत रूप में इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा जिन रंजकों का प्रयोग किया गया था, उनका उस तारीख से पूर्व विनिर्माण किया गया था।

10. तथापि, अपने विनिश्चय पर पहुंचने में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के **इन्नामूरी गोपालन और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय का अवलंब लिया। उस मामले में न्यायालय को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1957 (1957 का आं० प्र० अधिनियम सं० 6) के अधीन टैक्सटाइल माल को विक्रय-कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करते की बाबत जारी की गई अधिसूचना का अर्थान्वयन करना पड़ा। किन्तु इसमें एक परन्तुक था कि ऐसे माल के किसी वर्ग की बाबत छूट, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (उद्ग्रहण और वितरण) विधेयक, 1957 के खण्ड 3 सपठित अंतंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्ग्रहण किया जाना है, उस संव्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी के समाधान पर्यन्त रूप में यह साबित करने के अध्यधीन होगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे माल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क इस प्रकार उद्गृहीत तथा संगृहीत किया गया था। उपर्युक्त मामले में कतिपय संव्यवहारियों ने, जिन्होंने ऐसे टैक्सटाइलस माल का विक्रय किया था जो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के अध्यधीन नहीं था यह दावा किया कि वह माल छूट का हकदार था भले ही उन्होंने ऐसे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का संदाय नहीं किया था। राज्य सरकार ने यह अभिवाक् किया कि संव्यवहारियों को छूट का दावा करने का केवल उस स्थिति में ही हक होगा यदि ऐसा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया गया था और चूंकि प्रश्नगत माल ऐसे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के दायित्वाधीन नहीं था, वे छूट का दावा करने के हकदार नहीं थे। इस न्यायालय ने राज्य सरकार की दलील को अस्वीकार कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि उस मामले में अवलंब ली गई अधिसूचना के सहज वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्यतया समस्त प्रकार के टैक्सटाइल माल को विक्रय-कर के संदाय से छूट प्राप्त थी किन्तु जहां किसी प्रकार के टैक्सटाइल माल की बाबत कोई अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत किया गया था तो संव्यवहारी को ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण तथा संदाय का सबूत देना था। तद्नुसार, व्यवहारियों के पक्षकथन को कायम रखा गया। हमारे समक्ष जो मामला है उसमें प्रत्यर्थी ने जिस अधिसूचना का अवलम्ब लिया है वह भिन्न भाषा में है। इसमें विनिर्दिष्टतः

---

[1] [1964] 2 एस० सी० आर० 888.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह कथित है कि केवल उसी स्थिति में ही यदि रंजक किसी अन्य ऐसे रंजक से विनिर्मित है जिस पर उत्पाद-शुल्क अथवा समतुल्य सीमा शुल्क का पहले ही संदाय किया जा चुका है, तो ऐसे रंजकों के विनिर्माता द्वारा छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अतः इस न्यायालय का उपर्युक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले से स्पष्टतया सुभिन्न है। उच्च न्यायालय के प्रति ससम्मान यह कथन किया जा सकता है कि इस (न्यायालय) ने ऊपर निर्दिष्ट प्रभेद की अवेक्षा नहीं की है।

11. **हंसराज गोरधन दास** बनाम **एच० एच० दवे, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, और सीमा-शुल्क, सूरत और दो अन्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उस मामले में न्यायालय का सरोकार प्रश्नगत अधिसूचना के अर्थ से था जिसके द्वारा तारीख 31 मार्च, 1961 से पूर्व रजिस्टर्ड सहकारी समितियों के स्वामित्वाधीन विद्युत करघों पर विनिर्मित सूती वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट प्रदान की गई थी। अपीलार्थी ने सहकारी समिति के स्वामित्वाधीन विद्युत करघों पर सूती वस्त्रों का उत्पादन संविदा के अधीन अपने भाड़े के श्रमिकों द्वारा किया था। तब भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी छूट के फायदे का हकदार था क्योंकि उसने अधिसूचना के अनुसार सहकारी समिति के स्वामित्वाधीन विद्युत करघों पर माल का विनिर्माण किया था। इन समस्त मामलों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्वलित है, यह है कि क्या मामला छूट प्रदान करने वाली विधि की परिधि के अंतर्गत आता है अथवा नहीं और उस सिद्धांत के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। समस्या केवल उस समय उत्पन्न होती है जब उक्त सिद्धांत को किसी निश्चित मामले के तथ्यों को लागू किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस मामले में प्रत्यर्थी का मामला छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना के अधीन नहीं आता क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित किए जा रहे अन्य प्रसंस्कृत रंजकों में प्रयुक्त मूल रंजक उनके विनिर्माण और निकासी के समय उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के अध्यधीन नहीं थे।

12. हम इससे सहमत नहीं हैं कि इस मामले में वचन-विबंध के सिद्धांत का अभिवाक् विभाग की दलील के विरुद्ध वर्जन के रूप में किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने विभाग की ओर से किए गए किसी अभ्यावेदन का अवलंब लेकर अपने हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया था। प्रत्यर्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि यदि विभाग ने सलाह न दी होती तो उसने रंजकों का विनिर्माण न किया होता। इसके विपरीत यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के

[1] [1969] 2 एस० सी० आर० 253.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समक्ष छूट की अधिसूचना थी जो उसकी कार्रवाइयों के लिए एकमात्र आधार हो सकती थी। इस प्रकार के मामले में विभाग से भी विधिक सलाह देने की आशा नहीं की जा सकती थी।

13. अपने समक्ष प्रस्तुत मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् हमारा विचार है कि अधिसूचना के अधीन छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब अन्य रंजकों के विनिर्माण में प्रयुक्त रंजक उनका विनिर्माण किए जाने के समय उत्पाद-शुल्क के संदाय के दायित्वाधीन थे और ऐसे शुल्क का संदाय कर दिया गया था। ऐसे रंजकों पर उत्पाद-शुल्क के स्वेच्छापूर्वक संदाय को, जो ऐसे संदाय के योग्य नहीं थे, अधिसूचना के अधीन किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकती। अतः उपर्युक्त प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अपास्त किया जाने योग्य है।

14. अगला प्रश्न विधि के समुचित उपबंध से संबंधित है जिसके अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा सकती थी। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का संदाय करने के उसके दायित्व के बारे में अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न विनिश्चित नहीं किया था। चूंकि इस मुद्दे पर हम उच्च न्यायालय के विनिश्चय से सहमत नहीं हैं, अतः हमारे लिए इस अपील में इस प्रश्न को विनिश्चित करना आवश्यक हो गया है, जबकि विभाग का प्राख्यान है कि नियमों के नियम 10-क के अधीन उसे कार्यवाही करने की छूट थी, प्रत्यर्थी की दलील यह है कि चाहे न्यून उद्ग्रहण ही क्यों न हो, उसके मामले को लागू होने वाला उचित नियम 10 ही है, न कि नियम 10-क। सुसंगत अवधि के दौरान नियमों के नियम 10 तथा 10-क निम्न प्रकार थे—

*"10. न्यून रूप में उद्गृहीत, अथवा गलत रूप में प्रतिदाय किये गये शुल्कों अथवा प्रभारों की वसूली—

जब किसी अधिकारी की अनवधानता, भूल, दुस्संधि अथवा गलत अर्थान्वयन के कारण शुल्क अथवा प्रभार न्यून रूप में उद्गृहीत

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"10. Recovery of duties or charges short-levied or erroneously refunded—

When duties or charges have been short-levied through inadvertence, error, collusion or misconstruction on the

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किए गए हैं, अथवा स्वामी की ओर से ऐसे माल की मात्रा, विवरण अथवा मूल्य की बाबत गलत कथन के कारण, अथवा ऐसा कोई शुल्क अथवा प्रभार, उद्गृहीत किए जाने के पश्चात्, ऐसे किसी कारणवश, गलत रूप में प्रतिदाय किया गया है, तो ऐसे न्यून रूप में उद्गृहीत शुल्क अथवा प्रभार से प्रभार्य व्यक्ति, अथवा वह व्यक्ति जिसे ऐसा प्रतिदाय गलत रूप में किया गया है, यथास्थिति घाटे का संदाय अथवा उसे संदत्त अधिक रकम का संदाय, समुचित अधिकारी द्वारा उस तारीख से, जिसको स्वामी के किसी चालू खाते में शुल्क अथवा प्रभार का संदाय अथवा समायोजन किया गया, अथवा प्रतिदाय किये जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर लिखित में मांग किए जाने पर करेगा।

10-क. सरकार को शोध्य राशि की वसूली हेतु अवशिष्ट शक्तियां—

जहां ये नियम किसी शुल्क के संग्रहण, अथवा शुल्क में किसी घाटे का यदि किसी कारणवश शुल्क का न्यून रूप में उद्ग्रहण किया गया है, अथवा किसी प्रकार की ऐसी कोई अन्य राशि जो अधिनियम अथवा

---

part of an officer, or through mis-statement as to the quantity, description or value of such goods on the part of the owner, or when any such duty or charge, after having been levied, has been owing to any such cause, erroneously refunded, the person chargeable with the duty or charge, so short-levied, or to whom such refund has been erroneously made, shall pay the deficiency or pay the amount paid to him in excess, as the case may be, on written demand by the proper officer being made within three months from the date on which the duty or charge was paid or adjusted in the owners account-current, if any, or from the date of making the refund.

10-A. Residuary powers for recovery of sums due to Government—

Where these Rules do not make any specific provision for the collection of any duty, or of any deficiency in duty if the duty has for any reason been short-levied, or of any

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय है, तो ऐसा शुल्क, शुल्क में घाटा अथवा राशि का उचित अधिकारी द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसाकि उचित अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, संदाय किया जायेगा ।"

15. उपर्युक्त दोनों नियमों के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर अन्तर है—(i) जबकि नियम 10 अधिकारी की ओर से की गई अनवधानता, भूल, दुस्संधि अथवा गलत अर्थान्वियन, अथवा स्वामी की ओर से उत्पाद-शुल्क योग्य माल की मात्रा, विवरण अथवा मूल्य की बावत गलत कथन के कारण न्यून रूप में उद्गृहीत मामलों को लागू होता है, नियम 10-क, जो अवशिष्टीय खण्ड है, ऐसे मामलों को लागू होता है जो नियम 10 के अन्तर्गत नहीं आते और यह कि (ii) जबकि नियम 10 के आधीन घाटे की रकम उस तारीख से तीन माह के पश्चात् जिस पर स्वामी के चालू-खाते में शुल्क अथवा प्रभार का संदाय अथवा समायोजन किया गया अथवा प्रतिदाय किये जाने के दिनांक से संगृहीत नहीं की जा सकती, नियम 10-क में ऐसी कोई परिसीमा अवधि अंतर्विष्ट नहीं है । इस न्यायालय द्वारा दो विनिश्चयों अर्थात् **एन० बी० संजना, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, मुम्बई और अन्य** बनाम **एलफिंस्टन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लिमिटेड**[1] और **सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलकत्ता** बनाम **भारतीय राष्ट्रीय तम्बाकू कं० लिमिटेड**[2] वाले मामलों में इन दोनों नियमों की परिधि पर विचार किया गया । नियमों के नियम 10 और नियम 10-क के बीच उपर्युक्त दोनों प्रभेदक मुद्दों के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने **गुरु सहाय सहगल** बनाम **आय-कर आयुक्त, पंजाब**[3] वाले मामले के विनिश्चय का अनुसरण करते हुए उपर्युक्त संजना वाले मामले में इसके आगे यह अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अवधि की गणना करते हुए, नियम 10 में प्रयुक्त 'संदत्त' शब्द का अर्थान्वियन 'वास्तव में संदत्त' रूप में अक्षरशः नहीं किया जाना चाहिए अपितु उस व्यक्ति को निवारित करने के लिये जिसने अभी तक

other sum of any kind payable to the Central Gevernment under the Act or these Rules, such duty, deficiency in duby or sum shall, on a written demand made by the proper officer, be paid to such person and at such time and place, as the proper officer may specify."

[1] [1971] 1 उम० नि० प० 965=[1971] 3 एस० सी० आर० 506.
[2] [1973] 1 एस० सी० ग्रार० 822=[1972] 3 उम० नि० प० नि० सा० 31.
[3] [1963] 3 एस० सी० ग्रार० 893.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किसी प्रकार के उत्पाद-शुल्क का संदाय नहीं किया जो उसे नियमों के नियम 10 के चंगुल से बचने के लिए संदाय नहीं करना चाहिए था, 'संदाय किया जाना चाहिए था' के अर्थ में समझा जाना चाहिए। उपर्युक्त राष्ट्रीय तम्बाकू कं० वाले मामले में इस न्यायालय ने पृष्ठ 836-37 पर निम्न मत व्यक्त किया—

"नियम 10 और 10-क का साथ-साथ अवलोकन करने पर निर्वाचन की कठिनाइयां सामने आती हैं। नियम 10 के व्यापक शब्दों में 'अधिकारी की ओर से की गई कैसी भी अनवधानता, भूल, दुस्संधि अथवा गलत अर्थान्वयन' करने के साथ-साथ न्यून उद्ग्रहण के कारणों के रूप में 'स्वामी की ओर' से ऐसे माल की मात्रा, विवरण अथवा मूल्य की बाबत किसी भी प्रकार के गलत कथन भी आते हैं। नियम 10-क के अंतर्गत 'शुल्क का ऐसा कोई भी घाटा' आयेगा 'यदि किसी कारण से शुल्क न्यून रूप में उद्गृहीत किया गया है' सिवाय इसके कि यह नियम 10-क के क्षेत्र के बाहर होगा यदि उसका संग्रहण अभिव्यक्ततः किसी नियम द्वारा उपबंधित है। दोनों नियम, जिस रूप में वे सुसंगत समय पर विद्यमान थे, संग्रहण से संबंधित हैं न कि निर्धारण से। उनमें सामंजस्य करना होगा। उपर्युक्त एन० बी० संजना वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह उपदर्शित करते हुए सामंजस्य किया कि नियम 10-क, जो अवशिष्ट स्वरूप का है, लागू नहीं होगा यदि मामला नियम 10 में उल्लिखित मामलों की विनिर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त संजना वाले मामले में यह स्पष्ट किया गया कि छोटाभाई जेठाभाई पटेल बनाम भारत संघ (ए० आई० आर० 1952 नागपुर 139) वाले मामले में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय के कारण नवीन नियम 10-क जोड़ना पड़ा ताकि विधि द्वारा किये गये परिवर्तन के आधार पर नवीन मांग की जा सके। उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों ने तब उस नियम के जोड़े जाने के पश्चात्, नियम 10-क के उपबंधों के आधीन एक नवीन मांग की जिसकी विधिमान्यता को आक्षेपित किया गया किन्तु नागपुर उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा उसकी पुष्टि की गई। उपर्युक्त छोटाभाई जेठाभाई पटेल एण्ड कं० बनाम भारत संघ [(1962) सप्ली० 2 एस० सी० आर०] वाले मामले में इस न्यायालय ने भी निर्धारिती के इस दावे को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह स्पष्ट करते हुए अस्वीकार कर दिया कि नियम 10-क लागू नहीं होता और यह कि नवीन नियम विनिर्दिष्टतः 'ऐसी मांग के प्रवर्तन हेतु' विरचित किया गया है 'जैसी कि प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों उद्भूत हुई है।'

हमारा यह विचार है कि नियम 10 ऐसे मामलों तक ही सीमित रहना चाहिए जहां मांग किसी न्यून उद्ग्रहण हेतु पूरी तरह से उस नियम में दिये गये किसी कारण द्वारा की जा रही है ताकि निर्धारण पुनः करना पड़े।"

इस न्यायालय ने आगे पृष्ठ 840 पर यह मत व्यक्त किया—

"यद्यपि नियम 52 विनिर्माता द्वारा माल हटाए जाने से पूर्व निर्धारण को आबद्धकर बनाता है, तथापि, न तो उस नियम में ही और न ही किसी अन्य नियम में, जैसा कि पहले ही ऊपर उपदर्शित किया गया है, निर्धारण हेतु विस्तृत प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है। हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले सरीखे मामले की उन परिस्थितियों में जहां कोई निर्धारण, जैसा कि विधि में समझा जाता है, बिल्कुल भी न हुआ हो किसी भी समय कहीं भी निर्धारण के विरुद्ध कोई अभिव्यक्त प्रतिषेध नहीं है। इसके विपरीत, नियम 10-क यह उपदर्शित करता है कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में जिनका अधिनियम अथवा नियमों के रचयिताओं को पूर्वाभास नहीं हुआ, मांग करने की अवशिष्ट शक्ति प्राप्त है। यदि निर्धारिती मांग के सही होने की बावत विवाद करता है, तो निर्धारिती के हितों के संरक्षण हेतु निर्धारण आवश्यक हो जाता है। हमारे समक्ष वाले मामले की भांति का मामला समुचित रूप से अकल्पित मामलों के अवशिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आता है। हमारा यह विचार है कि नियम 10-क के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों से, निर्धारण करने अथवा उसे पूर्ण करने की विवक्षित शक्ति, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं की गई है, अनुमित की जा सकती है।"

16. प्रस्तुत मामले में विनिर्मित माल का निर्धारण, जैसा कि नियमों के नियम 52 द्वारा अनुध्यात है, बिल्कुल भी नहीं किया गया और नियमों के नियम 52-क के विरुद्ध माल का परिदान हुआ है। नियम 52 और नियम 52-क, जैसे कि वे सुसंगत समय विद्यमान थे, नीचे उपवर्णित है—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

*"52. शुल्क का संदाय करने पर निकासी—

जब विनिर्माता शुल्क का संदाय करके नियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी स्थान अथवा परिसर से अथवा किसी भण्डारकक्ष से अथवा नियम 47 के अधीन कलक्टर द्वारा अनुमोदित भण्डारण के किसी अन्य स्थान से माल हटाना चाहता है, तो वह जब तक कि नियम अथवा आदेश द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, उचित अधिकारी को उचित प्ररूप में तीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा और जब माल हटाया जाना आशयित हो तो अधिकारी को इसका परिदान कम से कम बारह घंटे अथवा किसी ऐसे अन्य समय से पूर्व करेगा जैसा कि कहीं अन्यत्र विहित हो अथवा जैसा कि कलक्टर किसी विशेष मामले में अपेक्षा करे अथवा अनुज्ञात करे।

तदुपरि, अधिकारी माल पर शोध्य शुल्क की रकम का निर्धारण करेगा और यह साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर कि यह राशि खजाने में संदत्त कर दी गई है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक में कलक्टर के खाते में संदत्त कर दी गई है, अथवा खजाने में धनादेश द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, माल की निकासी अनुज्ञात करेगा।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"52. Clearance on payment duty—

When the manufacturer desires to remove goods on payment of duty, either from the place or a premises specified under rule 9 or from a store-room or other place of storage approved by the Collector under rule 47, he shall make application in triplicate unless otherwise by rule or order required to the proper officer inthe proper form and shall deliver it to the officer at least twelve hours or such other period as may be elsewhere prescribed or as the Collector may in any particular case require or allow before it is intended to remove the goods.

The officer, shall, thereupon, assess the amount of duty due on the goods and on production of evidence that this sum has been paid into the Treasury or paid in the account of the Collector in the Reserve Bank of India or the State Bank of India, or has been despatched to the Treasury by money-order shall allow the goods to be cleared.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

52-क (i). गेट-पास पर माल का परिदान किया जाना—किसी भी उत्पाद-शुल्क योग्य माल का कारखाने से तभी परिदान किया जायेगा जब उचित प्ररूप में गेट-पास हो अथवा किसी अन्य रूप में जैसा कि किसी विशिष्ट मामले में अथवा मामलों के वर्ग में कलक्टर विहित करे और कारखाने के स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित और उचित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो......"

17. इस मामले के तथ्यों से यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी ने कोई भी शुल्क दिए बिना अपने ऐसे उत्पादों की निकासी के अधिकार का फायदा उठाने के उद्देश्य से जो अपने वर्धित मूल्य के कारण उच्चतर उत्पाद-शुल्क के दायित्वाधीन था, यह सुझाव देकर कि वह कतिपय माल पर उत्पाद-शुल्क संदाय करने के लिए बहुत उत्सुक है, जो प्रत्यर्थी की जानकारी में उत्पाद-शुल्क के दायित्वाधीन नहीं है, विभाग को वास्तव में झांसे में फंसा दिया था। नियमों का नियम 10 अधिकारी द्वारा की गई चार प्रकार की गलतियों के बारे में है जिससे कोई मामला इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उनमें से 'अनवधानता', 'भूल' और 'गलत-अर्थान्वयन' ऐसी गलतियां हैं जो स्वयं अधिकारी की ओर से ही की जा सकती हैं। 'दुस्संधि' में सरकार को कपट वंचित करने के अभिप्राय से दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य किया गया समझौता अन्तर्वलित है। इस मामले में अकेले अधिकारी द्वारा ही की गई ऐसी कोई भी गलती अथवा उपर्युक्त रूप में वर्णित दुस्संधि अन्तर्वलित नहीं है। न ही यह ऐसा मामला है जहां स्वामी की ओर से ऐसे माल की मात्रा, विवरण अथवा मूल्य की बावत गलत कथन देने के कारण न्यून रूप में उद्ग्रहण किया गया हो। इसके अतिरिक्त, इस मामले में भूल निर्धारण के समय अथवा उस समय नहीं हुई है, जब निर्धारण नियम 52 के अधीन किया जाना चाहिए था। वास्तविक माल का हवाला दिए बिना निर्धारिती तथा संबंधित अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श तथा पत्राचार 20 दिसम्बर, 1961, 22 दिसम्बर, 1961 तथा 4/6 जनवरी, 1962 को हुआ था। वास्तव में तत्पश्चात् माल का विनिर्माण और निकासी की गई। तारीख 4/6 जनवरी, 1962

52-A(i). Goods to be delivered on a Gate pass—

No excisable goods shall be delivered from a factory except under a gatpass in the proper Form or in such other form as the Collector may in any particular case or class of cases prescribe signed by the owner of the factory and countersigned by the proper officer......"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक का उत्तर सलाह की प्रकृति का था और नियम 52 द्वारा यथा-अनुध्यात रूप में निर्धारण नहीं था। अतः यह मामला नियमों के नियम 10 के अधीन बिल्कुल भी नहीं आता। अतः, नियमों का नियम 10-क, जो अवशिष्टि उपबंध है, आवश्यकतः लागू होता है। अतः, नियमों के नियम 10 के आधार पर किये गये परिसीमा के अभिवाक् में कोई बल नहीं है।

18. अंततः, हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया रिट पिटीशन खारिज करते हैं। विभाग प्रत्यर्थी को जारी किये गए आक्षेपित नोटिसों के अधीन मांगी गई राशि की वसूली हेतु अब कार्यवाही कर सकता है।

19. तद्नुसार पूर्वोक्त कारणों से, अपील खर्चे सहित मंजूर की जाती है।

अपील मंजूर की गई।

मदन/श०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बालकृष्ण गुप्त और अन्य

बनाम

स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और एक अन्य

(12 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या और सव्यसाची मुखर्जी)

कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956का 1)—धारा 169 सपठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा (182-क)—शेयरधारकों का शेयरों के प्रति हक—एक (काटन मिल्स) कम्पनी द्वारा दूसरी (पोलिटेक्स) कम्पनी के शेयर अर्जित करके दूसरी कंपनी का सदस्य/शेयर धारक होना—ऐसे शेयरों के बारे में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के अधीन मात्र "रिसीवर" नियुक्त किया जाना—ऐसी नियुक्ति उस प्रथम कम्पनी को, जिसका नाम दूसरी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, दूसरी कम्पनी के अधिवेशनों में मताधिकार से अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) धारा 60 और 64 तथा आदेश 21, नियम 43 व 46 (सपठित उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 149) और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169—शेयर धारकों का नोटिस जारी करने का अधिकार—एक (काटन मिल्स) कम्पनी द्वारा दूसरी (पोलिटेक्स) कम्पनी में धारित शेयरों का उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन रिसीवर" द्वारा कुर्क किया जाना—उक्त धारा 149 के अधीन प्रथम कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी में धारित शेयरों की कुर्की से प्रथम कम्पनी अधिवेशनों में मताधिकार से और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन अधिवेशन बुलाने का नोटिस जारी करने के अधिकार से वंचित नहीं होती।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)—धारा 176 (सपठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169)—शेयरों को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गिरवी रखने का प्रभाव—एक (काटन मिल्स) कंपनी द्वारा दूसरी (पोलिटेक्स) कंपनी में धारित शेयरों का "रिसीवर" द्वारा गिरवी रखा जाना—ऐसा होने पर भी प्रथम (काटन मिल्स) कंपनी उक्त शेयरों के बारे में दूसरी (पोलिटेक्स) कंपनी का सदस्य बनी रहती है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अधिकार के प्रयोग में कोई कमी नहीं होती।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी नामक एक कम्पनी ने पोलिटेक्स कम्पनी नामक एक दूसरी कम्पनी में कुछ शेयर अर्जित कर रखे थे। दोनों कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 लागू होता है। लगभग 1975-76 में काटन मिल्स कम्पनी की वित्तीय स्थिति में गम्भीर झटका लगने के कारण यह कम्पनी अपने मजदूरों का बिल, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड की देय राशि और अपने विरुद्ध अन्य अनेक वित्तीय दावों को पूरा नहीं कर सकी। इसके कारखाने में मजदूरों की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी थी और वस्तुतः इसका सारा काम ठप्प हो गया था। इसलिए 27 अक्तूबर, 1977 को कानपुर के कलक्टर ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के अधीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भू-राजस्व अधिनियम" कहा गया है), सपठित उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (देय रकम की वसूली) अधिनियम, 1958 के अधीन 6 मास की अवधि के लिए काटन मिल्स कंपनी के बारे में एक रिसीवर नियुक्त करते हुए एक आदेश पारित किया जिसने रिसीवर को, आदेश में विनिर्दिष्ट अनेक शक्तियां दी थीं और विशेषकर पोलिटेक्स कंपनी के 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 1 लाख शेयर, जो कि काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित थे, अभिगृहीत करने और उन्हें काटन मिल्स कंपनी के कर्मचारियों को संदेय शोध्य रकम को पूरा करने के प्रयोजन के लिए ऋण के बदले में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में गिरवी रखने की शक्ति दी और उत्तर प्रदेश विद्युत उपक्रम (देय रकम की वसूली) अधिनियम, 1901 की धारा 5 सपठित भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित पोलिटेक्स कंपनी के शेष 9 लाख शेयर कुर्क करने के लिए तथा रिसीवर को वे शेयर अभिगृहीत करने के लिए सशक्त करते हुए एक और आदेश पारित किया गया।

11 फरवरी, 1984 का काटन मिल्स कंपनी तथा 4 अन्य लोगों ने पोलिटेक्स कंपनी को एक नोटिस भेजा जो नोटिस कंपनी के 15 फरवरी, 1984 को प्राप्त किया था। यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन पोलिटेक्स कंपनी के निदेशक बोर्ड से यह अपेक्षा करते हुए भेजा गया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

था कि वह पोलिटेक्स कंपनी का असामान्य साधारण अधिवेशन साधारण संकल्पों पर विचार करने के लिए और साधारण संकल्प पारित करने के लिए बुलाए ।

पोलिटेक्स कंपनी के निदेशक बोर्ड ने अधिवेशन 28 मार्च, 1984 को बुलाए जाने का विनिश्चय किया । किंतु एक शेयर धारक के सिविल वाद के कारण अधिवेशन स्थगित कर दिया गया । तत्पश्चात् अधिवेशन के अध्यपेक्षाकर्ताओं (काटन मिल्स कंपनी आदि) ने इस न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील फाइल की जिसके अनुसार अधिवेशन की तारीख 14-8-84 नियत की गई । इसी बीच अपीलार्थियों (बालकृष्ण गुप्ता आदि) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अध्यपेक्षाकर्ताओं के अधिकार को प्रश्नगत करते हुए एक आवेदन फाइल किया किंतु यह आवेदन खारिज कर दिया गया । उच्च न्यायालय के इसी विनिश्चय से विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील फाइल की गई ।

अपीलार्थियों की ओर से इस बारे में दी गयी मुख्य दलील यह है कि असामान्य साधारण अधिवेशन विधिमान्य रूप से नहीं बुलाया गया था क्योंकि काटन मिल्स कंपनी, पोलिटेक्स कंपनी में धारित 10 लाख शेयरों के बारे में कानपुर के कलक्टर द्वारा रिसीवर नियुक्त किए जाने के कारण, उक्त 10 लाख शेयरों में से 9 लाख शेयरों की कुर्की के कारण और उक्त 10 लाख शेयरों में से 3,50,000 शेयरों को उत्तर प्रदेश सरकार के पास, सरकार द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने के कारण पोलिटेक्स कम्पनी के सदस्य के रूप में विशेषाधिकारों का उपभोग करने से प्रवरित हो गई थी । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित 10 लाख शेयर विचार क्षेत्र से निकाल दिये जाते हैं तो इस प्रकार से अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए शेष अध्यपेक्षाकर्ताओं की पर्याप्त मतदाता संख्या नहीं होगी । अपीलार्थियों ने यह दलील दी है कि इसलिए कम्पनी असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए पोलिटेक्स कम्पनी को अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने में अन्य अध्यपेक्षाकर्ताओं में शामिल नहीं हो सकती थी और काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित शेयरों की सहायता के बिना अध्यपेक्षाकर्ता अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने के लिए पात्र नहीं हो सकते थे ।

इस मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन मुद्दे विचारार्थ उद्भूत होते हैं : (1) क्या काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित पोलिटेक्स कम्पनी के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शेयरों के संबंध में भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के अधीन रिसीवर की नियुक्ति के कारण, काटन मिल्स कम्पनी को, अधिनियम की धारा 169 के अधीन एक सदस्य के अधिकार नहीं रह गए थे ? (2) क्या भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन शेयरों की कुर्की के कारण, इस प्रकार कुर्क किए गए शेयरों के बारे में शेयर धारक के रूप में काटन मिल्स कम्पनी के अधिकार कम या लघु हो गए थे। (3) क्या कुछ शेयरों को गिरवी रख देने के कारण काटन मिल्स कम्पनी की हैसियत में कोई कमी या लघुता आ गई थी ? अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—कम्पनी अधिनियम, 1956 के सुसंगत उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य कम्पनी के अधिवेशन में मताधिनियम के और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार ही भाग ले सकता है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अधिनियम की धारा 41 कम्पनी के "सदस्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। कम्पनी के संगम के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे कम्पनी के सदस्य बनने के लिए सहमत हो गए हैं और इसके रजिस्ट्रीकरण पर सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में उनके नाम अंकित किए जाएंगे। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसे शेयर धारक के रूप में दायी है जिसे उसने प्रतिश्रुत करने का वचन दिया है। अन्य कोई व्यक्ति जो कम्पनी का सदस्य बनने के लिए सहमत होता है और जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित किया जाता है, वह भी कंपनी का सदस्य होगा। ऐसे सदस्य के मामले में जो दो शर्तें हैं अर्थात् यह कि सदस्य होने का एक करार है और यह कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित किया गया है, एक साथ पूरी होनी चाहिए। सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग करने में उसे सक्षम बनाने के लिए दोनों शर्तों को पूरा किया जाना होता है। अधिनियम की धारा 42 के अधीन रहते हुए, कोई कम्पनी या कोई निगमित निकाय भी सदस्य बन सकता है। जब एक बार कोई व्यक्ति सदस्य बन जाता है तो वह तब तक सदस्य के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होता है जब तक कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सदस्य नहीं रह जाता। कम्पनी के सदस्यों के मताधिकारों को अधिनियम की धारा 87 लागू होती है। अधिनियम की धारा 87 यह कहती है कि अधिनियम की धारा 89 के तथा धारा 92 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कम्पनी के ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो इसमें साधारण अंश पूंजी धारण करता है, ऐसी पूंजी के बारे में कम्पनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक संकल्प पर मत देने का अधिकार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होगा तथा मतांकन पर उसका मत देने का अधिकार कम्पनी की समादत्त साधारण पूंजी में उसके अंश के अनुपात के अनुसार होगा। (पैरा 15)

किसी संपत्ति के सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त रिसीवर उस सम्पत्ति को वास्तविक स्वामी के लाभ के लिए उन आदेशों के अधीन रहते हुए धारण करता है जो आदेश ऐसे न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाएं। किसी अधिकार के स्वामित्व से उद्भूत होने वाले स्वामित्व अधिकारों की विभिन्न किस्में स्वामित्वाधीन अधिकार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ऐसे व्यक्ति के, जो कि किसी कम्पनी में शेयर-धारक है, अधिनियम के अधीन अनेक अधिकार होते हैं। उन अधिकारों में से कुछ अधिकार इस प्रकार हैं: (1) सभी अधिवेशनों में मत देने का अधिकार (धारा 78); (2) कम्पनी के असामान्य साधारण अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने का अथवा संयुक्त अध्यपेक्षाकर्ता बनने का अधिकार (धारा 169); (3) साधारण अधिवेशन का नोटिस प्राप्त करने का अधिकार (धारा 172); (4) परोक्षी नियुक्त करने का और परोक्षी रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार (धारा 176); (5) किसी ऐसे निगमित निकाय की दशा में, जो एक सदस्य है, उसकी ओर से साधारण अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार (धारा 187); (6) कम्पनी से इसके संकल्प परिचालित करने की अपेक्षा करने का अधिकार (धारा 188); (पैरा 17)

उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के उपबंधों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि इसमें ऐसा कोई उपबध नहीं है जो यह कहता हो कि रिसीवर के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर वह सम्पत्ति, जिसके बारे में वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है, उसी प्रकार से उसमें निहित हो जाएगी जिस प्रकार से प्रांतीय नगर दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 17 के उपबंधों में दिया गया है, अथवा जैसा प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 28(2) में दिया गया है। उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 के नियम 2 से लेकर नियम 4 उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के संबंध में लागू होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 के अधीन नियुक्त रिसीवर केवल न्यायालय के आदेश के अधीन उसके नियंत्रण में सुपुर्द की गयी सम्पत्ति धारण करता है किंतु सम्पत्ति उसमें निहित नहीं होती। सदस्य के विशेषाधिकार केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। ऐसा रिसीवर जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में दर्ज नहीं है, इन अधिकारों में से किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कार्यवाही ऐसी न हो जिससे सम्बन्धित कम्पनी पक्षकार है और उस कार्यवाही में आदेश किया जाता है। अतः किसी कम्पनी के कुछ शेयरों के बारे में मात्र रिसीवर की नियुक्ति, शेयरों के ऐसे धारक को, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के अधिकार से वंचित या अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। (पैरा 20 और 29)

किसी शेयर धारक द्वारा किसी कम्पनी में धृत कतिपय शेयरों की भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन कार्यवाही में बिक्री के प्रयोजन के लिए की गयी कुर्की का परिणाम भी ऐसा ही है। कुर्की के आदेश का प्रभाव केवल ऐसा ही होता है जैसा कि भू-राजस्व अधिनियम, 1901 स्वयं की धारा 149 कहती है। ऐसी कुर्की किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन, एक जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए उस समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही की जाती है। सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 की धारा 64 के अधीन जो कुछ प्रतिषिद्ध है वह है निर्णीत-श्रेणी द्वारा कुर्की के प्रतिकूल कुर्क की गयी सम्पत्ति का कोई भी प्राइवेट अंतरण अर्थात् ऐसी डिक्री के अधीन डिक्रीदार के दावों के प्रतिकूल कोई बात, जिस डिक्री की तुष्टि के लिए कुर्की की गयी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 64 के अधीन कोई प्राइवेट अतरण नितांत शून्य नहीं है अर्थात् सारे विश्व के विरुद्ध शून्य नहीं है किन्तु केवल कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय दावों के विरुद्ध शून्य है। जब तक कि सम्पत्ति वस्तुतः बेच नहीं दी जाती तब तक निर्णीत-श्रेणी का कुर्क की गयी सम्पत्ति में हक बना रहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधिनियम 76 के अधीन निगम-शेयर, जो कुर्क किए गए हैं, किसी दलाल के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अनुकूलपतः ऐसे शेयर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 77 के अधीन लोक नीलामी में भी बेचे जा सकते हैं। नियम 77 या नियम 76 में किसी के अधीन भी ऐसी बिक्री के पश्चात् क्रेता हक अर्जित करता है। जब तक ऐसा विक्रय नहीं किया जाता तब तक निर्णीत-ऋणी के सभी अन्य अधिकार अप्रभावित रहते हैं, भले ही शेयर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 43 के अधीन न्यायालय के अधिकारी द्वारा अथवा किसी रिसीवर के द्वारा कुर्की करने के प्रयोजन के लिए अभिगृहीत कर लिए गए हों अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 46 के निबंधनों के अनुसार ऐसे आदेश के द्वारा अभिगृहीत कर लिए गए हों जिसकी तामील निर्णीत-ऋणी पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अथवा सम्बन्धित कंपनी पर की गयी हो। अतः कुर्की के आदेश का प्रभाव अपने शेयरों के हक से शेयर धारक को वंचित करना नहीं है। काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित पोलिटेक्स कंपनी के शेयरों की कुर्की ने काटन मिल्स कंपनी को अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने या अधिवेशन में वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया था। (पैरा 30 और 32)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अधीन, यदि कोई पणयमकार ऋण के संदाय में या गिरवी रखे गए माल के बारे में किए गए वचन के सम्बन्ध में निश्चित समय में कार्यपालन करने में व्यतिक्रम करता है तो पणयमदार ऋण या वचन के बारे में पणयमकार के विरुद्ध वाद ला सकता है और गिरवी रखे गए माल को साम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अपने पास रख सकता है अथवा वह पणयमकार को विक्रय का युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात्, गिरवी रखी गयी वस्तु को बेच सकता है। तथापि, गिरवी के मामले में गिरवी रखे गए माल का विधिक हक पणयमदार में निहित नहीं होगा। पणयमदार के पास केवल एक विशेष सम्प्रत्ति होती है। पणयमदार को पुरोबंध का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उसे विधि की दृष्टि से कभी भी आत्यंतिक स्वामित्व प्राप्त नहीं था और उसका साम्यापूर्ण हक उतने से कभी भी अधिक नहीं हो सकता जो कुछ विधि के द्वारा विनिर्दिष्टतः मंज़ूर किया गया है। इस भाव से गिरवी का मामला बंधक के मामले से भिन्न होता है। इस पूर्ववर्ती मत को देखते हुए प्रस्तुत मामले में पणयमदार अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार को उसके पक्ष में गिरवी रखे गए शेयरों का धारक नहीं माना जा सकता। काटन मिल्स कंपनी उक्त शेयरों के सम्बन्ध में पोलिटेक्स कंपनी का सदस्य बनी रही थी और वह अधिनियम की धारा 169 के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। (पैरा 33)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1967]	(1967) 2 एस० सी० आर० 233 पृ० 238, 239 : **लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली और अन्य;**	33
[1959]	(1959) सप्लीमेंट 2 एस० सी० आर० 448 : **मै० हावड़ा ट्रेडिंग कम्पनी लि० बनाम आय-कर आयुक्त, कलकत्ता**	21

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[1954] (1954) एस० सी० आर० 117 :
मैथालोन बनाम बाम्बे लाइफ इंशोरेंश कं० लि० 20

निर्दिष्ट निर्णय

[1981] (1981) 2 एस० सी० आर० 533 :
स्वदेशी काटन मिल्स बनाम भारत संघ; 35

[1963] (1963) सप्लीमेंट 2 एस० सी० आर० 995 :
कुरूपति वेंकट मल्लाया बनाम थोनडिपू रामास्वामी और कम्पनी और एक अन्य; 23

[1953] (1953) 1 चांसरी 83 पृ० 87 :
मोर्गन और एक अन्य बनाम ग्रे और अन्य; 25

[1921] (1921) 1 चांसरी 420 :
वाइज बनाम लैंश डेल; 25

[1907] (1907) आई० एल० आर० 34 कल० 305 :
जगत तारनी देवी बनाम नवाब गोपाल चाकी; 23

प्रभेदित निर्णय

[1951] (1951) 1 ए० ई० आर० 22 :
हाक्स बनाम मैक आर्थर और अन्य 31

सिविल अपीली अधिकारिता : 1984 की सिविल अपील सं० 4803.

(1984 के सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं० 10968 और 1982 की विशेष अपील सं० 2 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 7 अगस्त, 1984 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील)

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री वेणु गोपाल, आर० एन० करंजावाला और श्रीमती माणिक करंजावाला

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री पाराशरन, महाधिवक्ता (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से), के० एस० कूपर (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ओर से), सी० एस० श्रॉफ, एस० एस० श्रॉफ और एस० ए० श्रॉफ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रत्यर्थी सं० 1 की ओर से	सर्वश्री अशोक देसाई, अनिल दीवान, पिनाकी मिश्र और प्रवीण कुमार
प्रत्यर्थी सं० 2 की ओर से	डा० वाई० एस० चित्ताले, सर्वश्री वी० डी० मेहता, वी० ए० बोड़े, एस० स्वरूप और के० जॉन
प्रत्यर्थी सं० 6-8 की ओर से	सर्वश्री सोली जे० सोरावजी, वी० एस० मेहता, एस० स्वरूप और के० जॉन
मध्यक्षेपी की ओर से	सर्वश्री अनिल दीवान, आर० करंजावाला, अरुण जैटली और श्रीमती माणिक करंजावाला, कु० वीणा गुप्ता तथा सर्वश्री टी० एस० कृष्णा मूर्ति अय्यर और विनीत कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया।

न्यायाधिपति वेंकटरामय्या—

विशेष इजाजत के द्वारा यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फाइल में 1982 की विशेष अपील सं० 2 में किए गए 1984 के सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं० 10968 में उक्त उच्च न्यायालय द्वारा 7 अगस्त, 1984 को पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी है। इस मामले में अन्तर्वलित विवाद स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पोलिटेक्स कम्पनी" कहा गया है), जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) लागू होता है, के असामान्य साधारण अधिवेशन की विधिमान्यता के बारे में है, जो अधिवेशन इसके कुछ सदस्यों द्वारा अधिनियम की धारा 169 के अधीन जारी किए गए दिनांक 11 फरवरी, 1984 के नोटिस के परिणामस्वरूप आयोजित किया गया था।

2. स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "काटन मिल्स कम्पनी" कहा गया है) में नियंत्रक हित, जिस कम्पनी को भी उक्त अधिनियम लागू होता है, सन् 1946 में मंगतू राम जयपुरिया, और उसके कुटुम्ब ने अर्जित कर लिया था। सीता राम जयपुरिया, मंगतू राम जयपुरिया का दत्तक पुत्र है। दत्तक ग्रहण के पश्चात् मंगतू राम जयपुरिया के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यहां एक अपना पुत्र भी हो गया। सन् 1964 के आसपास सीता राम जयपुरिया काटन मिल्स कम्पनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गया। सन् 1970 में जयपुरिया कुटुम्ब ने एक और कम्पनी सम्परिवर्तित करने का विनिश्चय किया और तदनुसार पोलिटेक्स कम्पनी स्थापित की गयी थी। 1970 में राजा राम कटान मिल्स कम्पनी का प्रबंध निदेशक बन गया और सीता राम इसका अध्यक्ष बना रहा। सीता राम जयपुरिया नवीनतः स्थापित पोलिटेक्स कम्पनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गया, जिसमें काटन मिल्स कम्पनी ने 10 रु० प्रति शेयर वाले 10 लाख शेयर अर्जित कर लिए थे। लगभग 1975-76 में काटन मिल्स कम्पनी की वित्तीय स्थिति में गम्भीर झटका लगने के कारण यह कम्पनी अपने मजदूरों का बिल, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड की देय राशि और इसके विरुद्ध अन्य अनेक वित्तीय दावों को पूरा नहीं कर सकी। इसके कारखाने में मजदूरों में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी थी और वस्तुत: इसका सारा काम ठप्प हो गया था। काटन मिल कम्पनी का कुल दायित्व (देयताएं) वर्ष 1970 में 2.34 करोड़ रुपए की थी। 27 अक्तूबर, 1977 को कानपुर के कलक्टर ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के अधीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भू-राजस्व अधिनियम" कहा गया है), सपठित उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (देय रकम की वसूली) अधिनियम, 1958 के अधीन 6 मास की अवधि के लिए काटन मिल्स कम्पनी के बारे में एक रिसीवर नियुक्त करते हुए एक आदेश पारित किया जिसने रिसीवर को, आदेश में विनिर्दिष्ट अनेक शक्तियां दी थीं और विशेषकर पोलिटेक्स कम्पनी के 10 लाख रु० के अंकित मूल्य के 1 लाख शेयर, जो कि काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित थे, अभिगृहीत करने और उन्हें काटन मिल्स कम्पनी के कर्मचारियों को संदेय शोध्य रकम को पूरा करने के प्रयोजन के लिए ऋण के बदले में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में गिरवी रखने की शक्ति दी और उत्तर प्रदेश विद्युत उपक्रम (देय रकम की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 5 सपठित भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित पोलिटेक्स कम्पनी के शेष 9 लाख शेयर कुर्क करने के लिए तथा रिसीवर को वे शेयर अभिगृहीत करने के लिए सशक्त करते हुए एक और आदेश पारित किया। रिसीवर नियुक्त करने वाले और 9 लाख शेयर कुर्क करने वाले दोनों आदेश एक ही लिखत में अन्तर्विष्ट थे जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है :—

"आदेश"

"यतः मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत संबंधी देय रकम संदेय है तथा ऊपर उल्लिखित रकम की वसूली के लिए नीचे प्रगणित रकम के लिए, उक्त उपभोक्ता से प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं :—

तारीख 29-9-76, 31-12-76, 16-12-76, 29-12-76, 16-7-76, 17-8-76 और 3-10-76 के 8 वसूली प्रमाण पत्र	...	रु० 1,06,22,423.17
घटाएं-संदत्त रकम	...	रु० 19,00,000.00
शेष	...	रु० 87,22,423.17
जोड़िए एकत्रीकरण प्रभार		रु० 10,62,242.31
कुल वसूली योग्य रकम	...	रु० 97,84,665.48

और यत: उपर्युक्त बकाया देय रकम की शीघ्र वसूली के लिए, मिल के चलने पर कुप्रभाव डाले बिना, यह न्यायोचित और समुचित है कि मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की कानपुर स्थित मिलों के बारे में रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए। अत: अब, मैं, के० के० बख्शी, कलक्टर, कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत उपक्रम (देय रकम की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 5 सपठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के अधीन शक्तियों के प्रयोग में एतद्द्वारा कानपुर के ए० डी० एम० श्री एल० एन० बत्तरा को मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी के उक्त मिल का 6 मास की अवधि के लिए तुरन्त रिसीवर नियुक्त करता हूं और यह निदेश देता हूं कि रिसीवर निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा :—

1. रिसीवर उक्त मिलों के उत्पादों की बिक्री का पर्यवेक्षण करेगा और दिन-प्रतिदिन की प्राप्तियों के संवितरण का भी पर्यवेक्षण करेगा।

2. रिसीवर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त मिलों की प्राप्तियां मजदूरों को देय भुगतान तथा मिल को चलाए रखने के लिए अन्य आवश्यक भुगतान के पश्चात् मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि० की ओर से वसूलिया बकाया के साथ भू-राजस्व के रूप में विनियोजित की जाएंगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3. यह कि रिसीवर, यदि आवश्यक हो तो, उक्त मिलों के चलाने के लिए राज्य सरकार से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेगा तथा रकम के पुनः संदाय के लिए इस बारे में समुचित व्यवस्था करेगा और भू-राजस्व की बकाया के रूप में उसकी वसूली की व्यवस्था करेगा।

4. यह कि रिसीवर मैसर्स काटन मिल्स कम्पनी लि० द्वारा धारित मैसर्स स्वदेशी काटन पोलिटेक्स लिमिटेड के 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के शेयर अभिगृहीत करेगा और ऊपर निर्दिष्ट ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त शेयरों को गिरवी रखने में सक्षम होगा।

5. रिसीवर, 16 दिसम्बर, 1976 की गारन्टी के बदले में पंजाब नेशनल बैंक को संदाय करने में भी सक्षम होगा और राज्य सरकार को तद्नुसार इसके अधीन दायित्वों से उन्मोचित कराएगा।

6. यह कि पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा तारीख 16 दिसम्बर, 1976 को की गयी गारन्टी को लागू किए जाने की दशा में इससे उद्‌भूत होने वाले दायित्वों के बदले में रिसीवर राज्य सरकार को संदाय करने में सक्षम होगा।

7. यह कि रिसीवर की पहुंच सभी लेखा-बहियों, खाता, रोकड़-बहियों, स्टाक-बहियों तथा मैसर्स स्वदेशी काटन मिल कम्पनी द्वारा कारबार के क्रम में रखे गए या अपनाए गए अन्य सभी दस्तावेजों तक होगी।

8. यह कि रिसीवर अभिलिखित कारणों के लिए मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा किए गए ऐसे किसी संव्यवहार पर निर्बन्धन अधिरोपित करने में सक्षम होगा जिस संव्यवहार में मिलों का कारबार या आस्तियां अन्तर्वलित हों और जो मिलों के हित में न हो अथवा जो उसकी राय में मिलों के लिए अहितकर हो।

9. यह कि रिसीवर को ऊपर निर्दिष्ट सभी कृत्यों और शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए सभी आनुषंगिक और समानुषंगी शक्तियां होंगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

10. यह कि उपर्युक्त के अधीन रहते हुए तथा ऐसे अन्य निदेशों के अधीन रहते हुए, जो इसमें इसके पश्चात् समय-समय पर मैं जारी करूं, उक्त मिलों का वर्तमान प्रबंधमंडल मिल और इसके कारबार को चालू रखेगा ।

तथापि, अत्यावश्यकता को देखते हुए यह आदेश इस निदेश के साथ एकपक्षीय रूप में किया जा रहा है कि मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड को 15 नवम्बर, 1977 को हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी किया जाएगा ।

तथा यह और कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपक्रम (देय रकमों की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 5 सपठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में, मैं एतदद्वारा मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के द्वारा धारित मैसर्स स्वदेशी पोलिटेक्स के 90 लाख रुपए के अंकित मूल्य के शेयरों की कुर्की और विक्रय का निदेश देता हूं और एतद्द्वारा रिसीवर को इन्हें अभिगृहीत करने के लिए सशक्त करता हूं ।

तारीख : कानपुर, 27 अक्तूबर, 1977

ह०
के० के० बख्शी
कलक्टर, कानपुर ।"

3. उसी तारीख अर्थात् 27 अक्तूबर, 1977 को रिसीवर ने कलक्टर के आदेश के अनुसार एक लाख शेयर 13.5 लाख रुपए के ऋण के बदले में उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में गिरवी रख दिए । रिसीवर ने भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन किए गए आदेश के अनुसार 9 लाख शेयर भी कब्जे में ले लिए । तत्पश्चात् रिसीवर ने 9 नवम्बर, 1977 को, उपर्युक्त 9 लाख शेयरों में से एक लाख शेयर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में 15 लाख रूपए के ऋण के बदले में गिरवी रख दिए और 4 जनवरी, 1977 को 1.5 लाख रुपए के शेयर कुछ और ऋण के बदले में गिरवी रख दिए । इस प्रकार से पोलिटेक्स कम्पनी के एक करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के 10 लाख शेयरों में से, जो काटन मिल कम्पनी द्वारा धारित थे, 3.5 लाख शेयर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में गिरवी रख दिए गए थे और शेष 6.5 लाख शेयर, जिनका अंकित मूल्य 65 लाख रुपए था, रिसीवर के पास शेष रह गए थे ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. तथापि, जिन घटनाओं के कारण अपील की गयी है वे इस प्रकार हैं : सन् 1976 में काटन मिल्स कम्पनी ने अधिनियम की धारा 397 और 398 के अधीन पोलिटेक्स कम्पनी के विरुद्ध, सीता राम जयपुरिया तथा कम्पनी के अन्य निदेशकों द्वारा उक्त कम्पनी की कुव्यवस्था और दुर्व्यवस्था का अभिकथन करने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1976 का कम्पनी पिटीशन सं० 20 फाइल किया था। उच्च न्यायालय के कम्पनी न्यायाधीश द्वारा यह पिटीशन 19 अप्रैल, 1982 को खारिज कर दिया गया था। इस विनिश्चय के विरुद्ध काटन मिल्स कम्पनी ने अगस्त, 1982 में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष 1982 की विशेष अपील सं० 2 फाइल की गयी। यह अपील अभी भी लम्बित है। 11 फरवरी, 1984 को काटन मिल्स कम्पनी तथा 4 अन्य लोगों अर्थात् राजाराम जयपुरिया, महाबीर प्रसाद डालमिया, शिया राम शर्मा और के० बी० अग्रवाल ने, जो सब मिलकर 10 रुपए मूल्य के 1,10,01,950 शेयर धारण करते थे, पोलिटेक्स कम्पनी को एक नोटिस भेजा जो नोटिस कम्पनी ने 15 फरवरी, 1984 को प्राप्त किया था। यह नोटिस अधिनियम की धारा 169 के अधीन पोलिटेक्स कम्पनी के निदेशक के बोर्ड से यह अपेक्षा करते हुए भेजा गया था कि वह पोलिटेक्स कम्पनी का असामान्य साधारण अधिवेशन निम्नलिखित साधारण संकल्पों पर विचार करने के लिए और, यदि ठीक समझा जाए तो संशोधन रहित या संशोधन सहित, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करने के लिए बुलाए :—

"1. यह संकल्प किया गया कि स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में सीता राम जयपुरिया की नियुक्ति समाप्त की जाए और यह नियुक्ति कम्पनी सगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

2. यह और संकल्प किया गया कि श्री सीता राम जयपुरिया निदेशक के पद से हटाए जाएं और एतद्द्वारा हटाए जाते हैं तथा परिणामतः स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद से हटाए जाएं और एतद्द्वारा हटाए जाते हैं।

3. यह और संकल्प किया गया कि स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के 13वें साधारण अधिवेशन में उक्त (13वें वार्षिक साधारण) अधिवेशन के लिए 31 जनवरी, 1983 के नोटिस के "विशेष कार्य" नामक सातवें मद के संबंध में प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सीता राम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जयपुरिया के पारिश्रमिक के लिए पारित संकल्प एतद्द्वारा विखंडित किया जाता है।

4. यह संकल्प किया गया कि श्री अशोक जयपुरिया स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के निदेशक के पद से हटाए जाएं और एतद्द्वारा हटाए जाते हैं।

5. यह संकल्प किया गया कि श्री अशोक जयपुरिया के हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति में श्री सीताराम सिंघानिया नियुक्त किए जाएं और एतद्द्वारा पोलिटेक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और उनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ सदस्यों की ओर से श्री सीताराम सिंघानिया को कम्पनी का निदेशक नियुक्त किए जाने के उनके आशय को उपदर्शित करते हुए विशेष नोटिस भी प्राप्त हुए हैं।

6. यह संकल्प किया गया कि श्री बी० एम० कौल को स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के निदेशक के पद से हटाया जाए और एतद्द्वारा हटाया जाता है।

7. यह संकल्प किया गया कि श्री बी० एम० कौल के हटाए जाने से हुई रिक्ति में डा० राजाराम जयपुरिया को स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तथा जिनके संबंध में कुछ सदस्यों की ओर से डा० सीताराम जयपुरिया को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के उनके आशय को उपदर्शित करते हुए नोटिस प्राप्त हुए हैं।

8. यह संकल्प किया गया कि श्री पी० बी० मेनन को स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के निदेशक के पद से हटाया जाए और एतद्द्वारा हटाए जाते हैं।

9. यह संकल्प किया गया कि श्री पी० बी० मेनन के हटाए जाने से हुई रिक्ति में श्री आर० डी० थापर को स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा जिनके संबंध में कुछ सदस्यों की ओर से कम्पनी के निदेशक के रूप में श्री आर० डी० थापर को नियुक्त करने के उनके आशय को दर्शित करते हुए विशेष नोटिस प्राप्त हुए हैं।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

5. अधिवेशन के अध्यपेक्षाकर्ताओं ने पोलिटेक्स कम्पनी को उक्त नोटिस को अधिनियम की धारा 190, सपठित धारा 284(2) और (5) के अधीन सीताराम संघानिया, राजाराम जयपुरिया और आर० बी० थापर की क्रमशः अशोक जयपुरिया, बी० एम० कौल (जो कि काटन मिल्स कम्पनी के अध्यक्ष थे) और पी० वी० मेनन के स्थान में पोलिटेक्स कम्पनी के निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए एक विशेष नोटिस के रूप में माने जाने के लिए भी कहा था। उन्होंने अधिनियम की धारा 173 द्वारा यथापेक्षित नोटिस का एक स्पष्टीकरण भी संलग्न किया जिसमें पूर्वोक्त संकल्पों को प्रस्तावित करने के कारण भी दिए गए हैं। नोटिस की प्राप्ति पर पोलिटेक्स कम्पनी के निदेशकों का आपातकालीन अधिवेशन 23 फरवरी, 1984 को अधिनियम की धारा 169 के अधीन जारी किए गए, उक्त नोटिस पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था। उक्त अधिवेशन के कार्यवृत्त का सारवान् भाग निम्नलिखित है :—

"अध्यापेक्षा-नोटिस"

"बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और 4 अन्य शेयर धारकों की ओर से कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 169 के अधीन कम्पनी के असामान्य साधारण अधिवेशन की अध्यपेक्षा करते हुए 15 फरवरी, 1984 को एक नोटिस प्राप्त हुआ था। स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी की ओर से प्राप्त अध्यपेक्षा नोटिस बोर्ड के समक्ष पढ़ा गया। बोर्ड ने अध्यपेक्षा के पीछे हेतु पर विचार किया और अध्यपेक्षा के नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकरण टिप्पण में किए गए मिथ्या और निराधार अभिकथनों के बारे में चिंता व्यक्त की। सचिव ने अध्यपेक्षा के नोटिस में कतिपय तकनीकी त्रुटियों की ओर संकेत किया।

प्रारूप का नोटिस तथा स्पष्टीकरण कथन अधिवेशन के समक्ष रखा गया। उसका परिशीलन किया गया और उस पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए :—

यह संकल्प किया गया कि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य शेयर धारकों की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अधीन 15 फरवरी, 1984 को कम्पनी द्वारा प्राप्त अध्यपेक्षा के नोटिस के अनुसरण में कम्पनी का एक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

असामान्य साधारण अधिवेशन 28 मार्च, 1984 बुद्धवार को प्रातः 10.30 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में आयोजित किया जाए।

यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के समक्ष रखे गये प्रारूप के अनुसार सचिव को पूर्वोक्त अधिवेशन आयोजित करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और उसें एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जिस नोटिस पर पहचान के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा अद्याक्षर किए गए हैं तथा सचिव को ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है, जैसे इस संबंध में अपेक्षित हों।

बोर्ड का यह मत था कि इस परिस्थिति के बारे में वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाए और उन निदेशकों को भी ऐसा करने का निवेदन किया जाए जो शेयर धारकों को अपना अभ्यावेदन करना चाहें। सचिव को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने के लिए निदेश दिया गया।"

6. निदेशक बोर्ड ने शेयर धारकों को जारी किए गए नोटिस के साथ अधिनियम की धारा 173 के अनुसरण में स्पष्टीकरण कथन तैयार किया और परिचालित किया, जिस नोटिस में असामान्य साधारण अधिवेशन 28 मार्च, 1984 को बुलाए जाने की सूचना दी गयी थी। अधिवेशन के अध्यपेक्षाकर्ताओं ने खण्ड न्यायपीठ के समक्ष 1982 की विशेष अपील सं० 2 के रूप में, अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक आवेदन फाइल किया। खंड न्यायपीठ के द्वारा 23 मार्च, 1984 को एस० जगन्नाथन को, जो कि निदेशक बोर्ड का सदस्य भी था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नाम-निर्देशिती के रूप में, अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तथापि, अधिवेशन इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि एक शेयर धारक ने अलीपुर (पश्चिम बंगाल) के मुंसिफ के न्यायालय में फाइल किए गए वाद में अधिवेशन आयोजित करने को अवैध करते हुए एक अस्थायी व्यादेश का आदेश प्राप्त कर लिया था। जब अध्यपेक्षाकर्ताओं ने अधिवेशन की एक नई तारीख नियत करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आवेदन किया तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने 22 मई, 1984 के आदेश के द्वारा ऐसा करने से इन्कार कर दिया क्योंकि अस्थायी व्यादेश का आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अन्य शेयर धारक ने ग्वालियर सिविल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायाधीश के न्यायालय में व्यादेश के लिए और एक तीसरे शेयर धारक ने मद्रास नगर सिविल न्यायालय में ऐसे ही अनुदेश के लिए एक व्यादेश हेतु आवेदन कर दिया था। तत्पश्चात् अध्यपेक्षाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मई, 1984 के आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत से की गई दो अर्जियां फाइल कीं। 20 जून, 1984 को इस न्यायालय ने इन उक्त दो अर्जियों पर, जिन्हें 1984 की सिविल अपील सं० 2597, 2598 के रूप में संख्यांकित किया गया था, निम्नलिखित आदेश पारित किया :—

"विशेष इजाजत से की गयी अपील मंजूर की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कंपनी का अधिवेशन आयोजित करने के लिए निदेश देते हुए एक नया आदेश जारी करेगा और यह अधिवेशन, किसी प्रकार के व्यादेश के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या एतत्पश्चात् जारी किए जाने वाले व्यादेश के होते हुए भी आयोजित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को अधिवेशन के आयोजित किए जाने के बारे में कोई शिकायत है तो वह समुचित निदेशक के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा। यदि अध्यपेक्षाकर्ता अथवा कंपनी निर्दिष्ट समय से पूर्व अधिवेशन आयोजित करना चाहते हैं तो वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाशावधि के न्यायाधीश के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, जिसे नए आदेश करने की कंपनी न्यायाधीश की सभी शक्तियां हैं। ये अपीलें तद्नुसार निपटायी जाती हैं।"

7. इसके बाद 4 जुलाई, 1984 को इस न्यायालय द्वारा एक और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :—

"श्री सोराबजी और श्री मृदुल यह कहते हैं कि असामान्य साधारण अधिवेशन उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त, 1984 के दूसरे सप्ताह में नियत किसी दिन को बुलाया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि अधिवेशन के स्थान का अवधारण उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अध्यक्ष श्री जगन्नाथन् द्वारा किया जाएगा। पिटीशनर द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 25 जून, 1984 के आवेदन के मद संख्या (ख) और (ग) में की गयी प्रार्थना पर कोई और आदेश किए जाना आवश्यक नहीं है।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

8. तद्नुसार अधिवेशन 14 अगस्त, 1984 को आयोजित किया जाना नियत किया गया। चूंकि अधिवेशन के स्थगित किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था इसलिए इस न्यायालय के समक्ष और निदेश दिए जाने के लिए पक्षकारों द्वारा एक आवेदन फाइल किया गया था जिसका निपटारा 4 अप्रैल, 1984 को किया गया था। इसी बीच अपीलार्थी सं० 1, बालकृष्ण गुप्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 169 के अधीन असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए नोटिस जारी करने के अध्यपेक्षाकर्ताओं के अधिकार को प्रश्नगत करते हुए 1982 की विशेष अपील संख्या 2 के रूप में एक आवेदन फाइल किया। उसकी दलील यह थी कि चूंकि कलक्टर द्वारा काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित शेयरों के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया था और ये शेयर भी कुर्क कर लिए गए थे इसलिए असामान्य साधारण अधिवेशन की अध्यपेक्षा करते हुए अधिनियम की धारा 169 के अधीन निदेश जारी करने के लिए अपेक्षित अर्हता (शर्त) का अवधारण करने हेतु काटन मिल्स कंपनी द्वारा धारित शेयरों को विचार में नहीं लिया जा सकता था और यदि इन शेयरों को विचार क्षेत्र से निकाल दिया जाता है तो अन्य अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा धारित शेयर उक्त नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा यह आवेदन 7 अगस्त, 1984 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। विशेष इजाजत से यह अपील उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी है। इस अपील में इस न्यायालय ने 14 सितम्बर, 1984 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था :—

> "इस पिटीशन के सभी पक्षकारों के सभी विद्वान् काउन्सेल इस बात पर सहमत हैं कि जो अधिवेशन 24 सितम्बर, 1984 को आयोजित किए जाने के लिए स्थगित कर दिया गया है, वह उस तारीख को ही आयोजित किया जाना चाहिए तथा अधिवेशन के विचारार्थ विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन पर मतदान किया जाना चाहिए। हम तद्नुसार आदेश करते हैं। मतदान के परिणाम की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा, इसे सुनिश्चित किए जाने के पश्चात्, एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को की जाएगी। अधिवेशन में पारित संकल्प तब तक प्रवृत्त नहीं होंगे जब तक कि इस न्यायालय द्वारा और आगे आदेश नहीं किए जाते। इस मामले को अक्तूबर, 1984 से तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

9. अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट इस न्यायालय में प्राप्त होने के पश्चात् इस न्यायालय ने 12 अक्तूबर, 1984 को एक और आदेश पारित किया जो इस प्रकार है :—

> "असामान्य साधारण अधिवेशन के बारे में अध्यक्ष की रिपोर्ट, जो कि इस न्यायालय में एक मोहरबंद लिफाफे में पेश की गयी है, खोली गयी और न्यायालय ने उसका, परिशीलन किया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अधिवेशन स्थगित करने से सम्बन्धित संकल्प के सिवाय, सभी संकल्प मतदान के द्वारा पराजित हो गए है। संलग्नकों के सहित रिपोर्ट की फोटो-स्टेट प्राप्तियां पक्षकारों को उनके खर्च पर उपलब्ध करायी जाएं। यह मामला इस न्यायपीठ के समक्ष 29-10-1984 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

10. उपर्युक्त आदेश पारित किए जाने के पश्चात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, जिन्हें अधिवेशन में किए गए मतदान में मतों की गिनती के परिणाम से शिकायत थी, अधिवेशन के परिणाम के बारे में अध्यक्ष की रिपोर्ट के सही होने को प्रश्नगत करते हुए, इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि अध्यक्ष ने उनकी ओर से डाले गए मतों को गलत रूप में नामंजूर कर दिया था और यदि इन मतों को गणना में लिया जाता तो संकल्प सम्यकतः पारित हो जाते। ऐसे कुछ शेयर धारकों ने भी, जो पूर्ववर्ती निदेशकों के हटाए जाने के विरुद्ध थे, मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन फाइल किए थे। इन सब आवेदनों को 19 दिसम्बर, 1984 को मंजूर कर लिया गया था तथा सभी पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि अधिवेशन की तथा न्यायालय में अधिवेशन के प्रतिवेदित परिणाम की विधिमान्यता का इस न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाए। सुनवाई के दौरान बम्बई उच्च न्यायालय में फाइल किए गए एक रिट पिटीशन को भी इन सब मामलों के साथ सुनवाई करने के लिए इस न्यायालय में अंतरिम कर लिया गया था। उपर्युक्त मामलों की सुनवाई की समाप्ति के समय पक्षकारों ने एक समझौते के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने के लिए इस न्यायालय में निवेदन करते हुए एक समझौते का पिटीशन फाइल किया था। उक्त समझौते के आधार पर न्यायालय ने 1 फरवरी, 1985 को एक आदेश पारित किया जिसका सारवान् भाग इस प्रकार है :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"1. स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड का निदेशक बोर्ड उक्त कंपनी के अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन के आयोजन के लम्बित रहते हुए निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित किया जाएगा :—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए, वित्तीय संस्थाओं के (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चुने गए और संसूचित किए गए एक नामनिर्देशिती को शामिल करते हुए) 4 नामनिर्देशिती।

(ख) सीताराम जयपुरिया को शामिल करते हुए, श्री सीताराम जयपुरिया के 4 नामनिर्देशिती।

(ग) डा० राजाराम जयपुरिया को शामिल करते हुए, इनके 4 नामनिर्देशिती।

उपर्युक्त उपखंड (ख) और (ग) के अधीन सभी नामनिर्देशन 9 फरवरी, 1985 तक किए जाएंगे। (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक वित्त निगम के नामनिर्देशिती के सिवाय) उपर्युक्त उपखण्ड (क) के अधीन नामनिर्देशन इस आदेश की तारीख से 10 दिन के भीतर किए जाएंगे। पुनर्गठित बोर्ड 11 फरवरी, 1985 से कार्य प्रारम्भ करेगा। स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के सचिव को इस आदेश के 15 दिन के भीतर पुनर्गठित बोर्ड का अधिवेशन आयोजित करने का निदेश दिया जाता है।

2(क). श्री सीताराम जयपुरिया और राजाराम जयपुरिया, दोनों अपने-अपने नाम निर्दिष्ट निदेशकों में से एक-एक नामनिर्देशिती कार्यकारी निदेशक के रूप में अभिहित करेंगे। उक्त कार्यकारी निदेशक संयुक्त रूप से स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड का प्रबंध चलाएंगे और उन्हें प्रबंध निदेशक की तथा वित्त व्यवस्था के नियंत्रण की सभी शक्तियां होंगी। यदि कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो यह मतभेद निदेशक बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा।

2(ख). बोर्ड की सभी समितियां विघटित हो (गयी समझी) जाएंगी।

3. सीताराम जयपुरिया कंपनी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे और वे स्वेच्छा से तब तक प्रबंध निदेशक की शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं करेंगे जब तक कि स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के अगले वार्षिक अधिवेशन में वे पुनः निर्वाचित नहीं हो जाते।

4. श्री सीताराम जयपुरिया कम्पनी के अध्यक्ष बने रहेंगे और इस प्रकार से वे स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे। वे स्वेच्छा से किसी द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे और ऐसा न करने का वचन देते हैं।

5. बोर्ड के अधिवेशनों के सभी कार्यवृत्त वित्तीय संस्थाओं के नामनिर्देशिती द्वारा तैयार किए जाएंगे और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

6. स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड का अगला वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाया जाएगा और यह 15 मई, 1985 को होगा। उक्त वार्षिक साधारण अधिवेशन का अध्यक्ष इस न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

7. अनावर्ती निदेशकों अर्थात् श्री सीताराम जयपुरिया तथा/अथवा श्री एफ० आर० वेशानिया को शामिल करते हुए, उपर्युक्त खण्ड 1 के अनुसरण में नियुक्त पुनर्गठित बोर्ड के सभी सदस्य [खण्ड 1(क) में उल्लिखित नामनिर्देशितियों को अपवर्जित करते हुए] त्याग-पत्र देंगे और उक्त साधारण वार्षिक अधिवेशन में आगे नया बोर्ड निर्वाचित किया जाएगा। (सीताराम जयपुरिया और राजाराम जयपुरिया को शामिल करते हुए) स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के सभी शेयर धारक उक्त वार्षिक अधिवेशन में निदेशकों की नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति का प्रस्ताव करने के लिए हकदार होंगे। पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो उक्त वार्षिक साधारण अधिवेशन पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।

8. 1985 के अंतरण मामले सं० 1 तथा 1984 की सिविल अपील संख्या 4803 के सभी प्रकीर्ण पिटीशनों को शामिल करते हुए, इस न्यायालय के समक्ष लम्बित सभी मामले, 1984 की सिविल अपील सं० 4803 (बालकृष्ण गुप्ता और अन्य **बनाम** स्वदेशी काटन लिमिटेड और अन्य) को छोड़कर, वापस ले लिए जाएंगे तथा वापस ली गयी इन कार्यवाहियों में उठाए गए सभी प्रश्न अभिव्यक्त रूप से विवादास्पद बने रहेंगे। 1985 के अंतरण मामले सं० 1 में, 1984 की सिविल प्रकीर्ण पिटीशन सं० 39900 में और 1985 के सिविल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रकीर्ण पिटीशन सं० 340 में वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए सभी अभिकथन, वापस ले लिए समझे जाएंगे।

9. स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन में वित्तीय संस्थाओं द्वारा डाले गए मत, जो अधिवेशन 15 मई, 1985 को होगा, किसी भी आधार पर उक्त पक्षकारों द्वारा प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

10. 1984 की सिविल अपील सं० 4803 (बालकृष्ण गुप्ता और अन्य **बनाम** स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और अन्य) गुणागुण के आधार पर निपटाई जाएगी।

11. पुनर्गठित बोर्ड के सभी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशन के नोटिस अभिस्वीकृति-रसीद सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

12. निदेशक बोर्ड के लिए, यदि यह ऐसा चाहता है, शक्तियों के किसी भी प्रत्यायोजन का पुनर्विलोकन करने की स्वतन्त्रता होगी।

13. किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध बदले की भावना से कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

14. श्री सीताराम जयपुरिया निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों (वित्तीय संस्थाओं के नामनिर्देशितियों को छोड़कर) के त्यागपत्र प्राप्त कर लेंगे।

15. इस न्यायालय में आवेदन करने के लिए पक्षकार स्वतन्त्र है।

जो वचन-पत्र उपयुक्त आदेश के अनुसार फाइल किए जाने हैं वे इस न्यायालय में आज से एक सप्ताह के भीतर फाइल किए जाएंगे। अगला वार्षिक साधारण अधिवेशन, जो कि 15 मई, 1985 को होना आदिष्ट है, भारत में किसी भी अन्य न्यायालय के किसी भी आदेश, निदेश अथवा व्यादेश के होते हुए भी आयोजित किया जाएगा। अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामनिर्देशित करने के लिए पक्षकारों को इस न्यायालय में आवेदन करने की स्वतन्त्रता है।

1984 की सिविल अपील सं० 4803 का निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऊपर निर्दिष्ट अन्य सभी मामले इस आदेश के निबंधनों के अनुसार निपटाए जाएंगे ।"

11. तथापि, पक्षकारों ने न्यायालय से अधिनियम की धारा 169 के अधीन अधिवेशन के अध्यपेक्षाकर्ताओं के रूप में काटन मिल्स कम्पनी के शामिल होने के अधिकार से सम्बन्धित या कम्पनी के अधिवेशन में मत देने के अधिकार से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए निवेदन किया क्योंकि ऐसी संभावना थी कि एक या दूसरा कोई सदस्य इस विवाद्यक को अगले अधिवेशन में उठा सकता है । अतः हम इस प्रश्न का विनिश्चय इस निर्णय द्वारा करते हैं ।

12. अपीलार्थियों की ओर से इस बारे में दी गयी मुख्य दलील यह है कि असामान्य साधारण अधिवेशन विधिमान्य रूप से नहीं बुलाया गया था क्योंकि काटन मिल्स कम्पनी, पोलिटेक्स कम्पनी में धारित 10 लाख शेयरों के बारे में, कानपुर के कलक्टर द्वारा रिसीवर नियुक्त किए जाने के कारण, उक्त 10 लाख शेयरों में से 9 लाख शेयरों की कुर्की के कारण और उक्त 10 लाख शेयरों में से 3,50,000 शेयरों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास, सरकार द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने के कारण पोलिटेक्स कम्पनी के सदस्य के रूप में विशेषाधिकारों का उपभोग करने से प्रविरत हो गई थी । पोलिटेक्स कम्पनी की कुल समादत्त साधारण शेयर पंजी 3,90,00,000 रु० (10 रु० प्रति शेयर के हिसाब से 39,00,000 शेयर) है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित 10 लाख शेयर विचार क्षेत्र से निकाल दिए जाते हैं तो इस प्रकार से अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए शेष अध्यपेक्षाकर्ताओं की पर्याप्त मतदाता संख्या नहीं होगी । अपीलार्थियों ने यह दलील दी है कि इसलिए काटन मिल्स कम्पनी, असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए पोलिटेक्स कम्पनी को अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने में अन्य अध्यपेक्षाकर्ताओं में शामिल नहीं हो सकती थी और काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित शेयरों की सहायता के बिना अध्यपेक्षाकर्ता अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने के लिए पात्र नहीं हो सकते थे । अधिनियम की धारा 169 का सारवान् भाग इस प्रकार है :—

"169. **अध्यपेक्षा पर असामान्य साधारण अधिवेशन का बुलाया जाना**—(1) कम्पनी का निदेशक बोर्ड कम्पनी के इतनी संख्या में सदस्यों की अध्यपेक्षा पर, जितनी उपधारा 4 में विनिर्दिष्ट है, कम्पनी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रकीर्ण पिटीशन सं० 340 में वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए सभी अभिकथन, वापस ले लिए समझे जाएंगे।

9. स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन में वित्तीय संस्थाओं द्वारा डाले गए मत, जो अधिवेशन 15 मई, 1985 को होगा, किसी भी आधार पर उक्त पक्षकारों द्वारा प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

10. 1984 की सिविल अपील सं० 4803 (बालकृष्ण गुप्ता और अन्य **बनाम** स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड और अन्य) गुणागुण के आधार पर निपटाई जाएगी।

11. पुनर्गठित बोर्ड के सभी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशन के नोटिस अभिस्वीकृति-रसीद सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

12. निदेशक बोर्ड के लिए, यदि यह ऐसा चाहता है, शक्तियों के किसी भी प्रत्यायोजन का पुनर्विलोकन करने की स्वतन्त्रता होगी।

13. किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध बदले की भावना से कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

14. श्री सीताराम जयपुरिया निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों (वित्तीय संस्थाओं के नामनिर्देशितियों को छोड़कर) के त्यागपत्र प्राप्त कर लेंगे।

15. इस न्यायालय में आवेदन करने के लिए पक्षकार स्वतन्त्र है।

जो वचन-पत्र उपयुक्त आदेश के अनुसार फाइल किए जाने हैं वे इस न्यायालय में आज से एक सप्ताह के भीतर फाइल किए जाएंगे। अगला वार्षिक साधारण अधिवेशन, जो कि 15 मई, 1985 को होना आदिष्ट है, भारत में किसी भी अन्य न्यायालय के किसी भी आदेश, निदेश अथवा व्यादेश के होते हुए भी आयोजित किया जाएगा। अगले वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामनिर्देशित करने के लिए पक्षकारों को इस न्यायालय में आवेदन करने की स्वतन्त्रता है।

1984 की सिविल अपील सं० 4803 का निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऊपर निर्दिष्ट अन्य सभी मामले इस आदेश के निबंधनों के अनुसार निपटाए जाएंगे ।"

11. तथापि, पक्षकारों ने न्यायालय से अधिनियम की धारा 169 के अधीन अधिवेशन के अध्यपेक्षाकर्ताओं के रूप में काटन मिल्स कम्पनी के शामिल होने के अधिकार से सम्बन्धित या कम्पनी के अधिवेशन में मत देने के अधिकार से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए निवेदन किया क्योंकि ऐसी संभावना थी कि एक या दूसरा कोई सदस्य इस विवाद्यक को अगले अधिवेशन में उठा सकता है । अतः हम इस प्रश्न का विनिश्चय इस निर्णय द्वारा करते हैं ।

12. अपीलार्थियों की ओर से इस बारे में दी गयी मुख्य दलील यह है कि असामान्य साधारण अधिवेशन विधिमान्य रूप से नहीं बुलाया गया था क्योंकि काटन मिल्स कम्पनी, पोलिटेक्स कम्पनी में धारित 10 लाख शेयरों के बारे में, कानपुर के कलक्टर द्वारा रिसीवर नियुक्त किए जाने के कारण, उक्त 10 लाख शेयरों में से 9 लाख शेयरों की कुर्की के कारण और उक्त 10 लाख शेयरों में से 3,50,000 शेयरों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पास, सरकार द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखने के कारण पोलिटेक्स कम्पनी के सदस्य के रूप में विशेषाधिकारों का उपभोग करने से प्रविरत हो गई थी । पोलिटेक्स कम्पनी की कुल समादत्त साधारण शेयर पंजी 3,90,00,000 रु० (10 रु० प्रति शेयर के हिसाब से 39,00,000 शेयर) है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित 10 लाख शेयर विचार क्षेत्र से निकाल दिए जाते हैं तो इस प्रकार से अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए शेष अध्यपेक्षाकर्ताओं की पर्याप्त मतदाता संख्या नहीं होगी । अपीलार्थियों ने यह दलील दी है कि इसलिए काटन मिल्स कम्पनी, असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए पोलिटेक्स कम्पनी को अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने में अन्य अध्यपेक्षाकर्ताओं में शामिल नहीं हो सकती थी और काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित शेयरों की सहायता के बिना अध्यपेक्षाकर्ता अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने के लिए पात्र नहीं हो सकते थे । अधिनियम की धारा 169 का सारवान् भाग इस प्रकार है :—

"169. **अध्यपेक्षा पर असामान्य साधारण अधिवेशन का बुलाया जाना**—(1) कम्पनी का निदेशक बोर्ड कम्पनी के इतनी संख्या में सदस्यों की अध्यपेक्षा पर, जितनी उपधारा 4 में विनिर्दिष्ट है, कम्पनी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का असामान्य साधारण अधिवेशन सम्यकतः बुलाने के लिए तत्क्षण कार्यवाही करेगा।

(2) अध्यपेक्षा में वे बातें उपवर्णित होंगी जिन पर विचार के लिए अधिवेशन बुलाया जाना है और वह अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होगी और कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त कर दी जाएगी।

(3) अध्यपेक्षा समान प्ररूप की कई दस्तावेजों से, जिन में से प्रत्येक या अधिक अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित है, मिलकर गठित होगी।

(4) किसी मामले की बाबत अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने के हकदार सदस्यों की संख्या—

(क) ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसकी अंश (शेयर) पूंजी है, उनमें से इतनों की संख्या होगी जितने कम्पनी की ऐसी समादत्त पूंजी का, जो उस मामले की बाबत मत देने का अधिकार उस तारीख को रखती है, 1/10 से अन्यून भाग उस अध्यपेक्षा के निक्षेप की तारीख पर धारण करते हैं......।"

13. हमने प्रश्नगत शेयरों के बारे में रिसीवर नियुक्त करने वाले, उन्हें कुर्क करने वाले और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में 3,50,000 शेयर गिरवी रखने वाले कलक्टर के आदेश के प्रति पहले ही निर्देश कर दिया है।

14. अधिनियम की धारा 150 प्रत्येक कंपनी से रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा करती है जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, पता और व्यवसाय, यदि कोई है, तथा उसमें उल्लिखित अन्य विशिष्टियां दी जाती हों। अधिनियम की धारा 153 यह उपबन्ध करती है कि किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक न्यास की कोई सूचना (नोटिस) सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएगी। तथापि, अधिनियम की धारा 153-ख यह उपबंध करती है कि धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कि कम्पनी के कोई अंश (शेयर) किसी व्यक्ति द्वारा न्यास धारित हैं वहां वह (न्यासी) अधिनियम की धारा 153-ख के शेष उपबन्धों के अधीन रहते हुए और अधिनियम की धारा 153-क के अनुसार नियुक्त लोक न्यासी को उसकी घोषणा इतने समय में और ऐसे प्ररूप में करेगा जैसा विहित किया जाए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

15. अधिनियम के सुसंगत उपबंधों से स्पष्ट है, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट किया गया है, कि कोई सदस्य कम्पनी के अधिवेशन में अधिनियम के और कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार ही भाग ले सकता है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अधिनियम की धारा 41 कम्पनी के "सदस्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। कम्पनी के संगम के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे कम्पनी के सदस्य बनने के लिए सहमत हो गये हैं और इसके रजिस्ट्रीकरण पर सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में उनके नाम अंकित किए जाएंगे। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसे शेयर धारक के रूप में दायी है जिसे उसने प्रतिश्रुत करने का वचन दिया है। अन्य कोई व्यक्ति जो कम्पनी का सदस्य बनने के लिए सहमत होता है और जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित किया जाता है, वह भी कम्पनी का सदस्य होगा। ऐसे सदस्य के मामले में जो दो शर्तें हैं अर्थात् यह कि सदस्य होने का एक करार है और यह कि उसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित किया गया है, एक साथ पूरी होनी चाहिए। सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग करने में उसे सक्षम बनाने के लिए दोनों शर्तों को पूरा किया जाना होता है। अधिनियम की धारा42 के अधीन रहते हुए, कोई कम्पनी या कोई निगमित निकाय भी सदस्य बन सकती है। जब एक बार कोई व्यक्ति सदस्य बन जाता है तो वह तब तक एक सदस्य के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होता है जब तक कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सदस्य नहीं रह जाता। कम्पनी के सदस्यों के मताधिकारों को अधिनियम की धारा 87 लागू होती है। अधिनियम की धारा 87 यह कहती है कि अधिनियम की धारा 89 के तथा धारा 92 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कम्पनी के ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो इसमें साधारण अंश पूंजी धारण करता है, ऐसी पूंजी के बारे में, कम्पनी के समक्ष रखे गये प्रत्येक संकल्प पर मत देने का अधिकार होगा तथा मतांकन पर उसका मत देने का अधिकार कम्पनी की समादत्त साधारण पूंजी में उसके अंश के अनुपात के अनुसार होगा। पोलिटेक्स कम्पनी के संगम के अनुच्छेदों का विनियम 8 और 86(क) इस प्रकार है :—

*"8. यहां इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कम्पनी किसी शेयर के रजिस्ट्रीकृत धारक को उस शेयर का आत्यंतिक स्वामी मानने

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

"8. Save as herein otherwise or provided, the Company shall be entitled to treat the registerd holder of any share

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की हकदार होगी और तद्नुसार, सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा यथा आदिष्ट अथवा विधि द्वारा यथाअपेक्षित के सिवाय किसी न्यास को, बेनामी को अथवा किसी ऐसे शेयर में या ऐसे शेयर के किसी आंशिक भाग में, किसी अन्य व्यक्ति के साम्यापूर्ण अथवा अन्य किसी दावे अथवा हित को, चाहे इसके बारे में उस कम्पनी को कोई अभिव्यक्त अथवा अन्य प्रकार की सूचना है अथवा नहीं, मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

86(क). मत देने का हकदार और व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा उपस्थिति होने का हकदार, साधारण शेयरों का प्रत्येक धारक हाथ उठाकर एक मत दे सकेगा और मतांकन के समय मत देने के लिए और व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा उपस्थित होने के लिए हकदार साधारण शेयरों के प्रत्येक धारक का उसके द्वारा धारित प्रत्येक साधारण शेयर के लिए एक मत होगा।"

16. कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना शेयर अंतरित करने पर विधि के प्रवर्तन द्वारा अपने शेयर के अंतरण पर, शेयर के समपहरण पर, मृत्यु हो जाने पर अथवा विधि को ज्ञात किसी अन्य कारण से सदस्य नहीं रहेगा। अतः हमारे समक्ष इस मामले में इस प्रक्रम पर विचार के लिए तीन मुद्दे उठते हैं। ये मुद्दे इस प्रकार हैं:—

(i) क्या काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित पोलिटेक्स कम्पनी के शेयरों के संबंध में भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन

---

as the absolute owner thereof and accordingly shall not, except as ordered by a court of competent Jurisdiction or as by law required, be bound to recognise any trust, be-nami or equitable or other claim to or interest in any such share or any fractional part of snch share on the part of any other person whether or not it shall have express or other notice thereof.

86(a). On a show of hands every holder of Equity shares entitled to vote and present in person or by proxy shall have one vote and upon a poll every holder or equity shares entited to vote and present in person or by proxy shall have one vote for every Equity share held by him."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रिसीवर की नियुक्ति के कारण काटन मिल्स कम्पनी को, अधिनियम की धारा 169 के अधीन एक सदस्य के अधिकार नहीं रह गये थे ?

(ii) क्या भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन शेयरों की कुर्की के कारण, इस प्रकार कुर्क किए गए शेयरों के बारे में शेयर धारक के रूप में काटन मिल्स कम्पनी के अधिकार कम या लघु हो गए थे ?

(iii) क्या कुछ शेयरों को गिरवी रख देने के कारण काटन मिल्स कम्पनी की हैसियत में कोई कमी या लघुता आ गयी थी।

17. अधिनियम में "एक सदस्य", "एक शेयर का धारक" अभिव्यक्तियां ऐसे व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिये पर्याय के रूप में प्रयुक्त की गई है जिसे कंपनी द्वारा इसके प्रयोजनों के लिए इसका स्वामी माना जाता है। शेयर के स्वामित्व से क्या अभिप्रेत है ? विद्वान् लेखक सामंड का कथन है कि अपने अत्यन्त व्यापक महत्त्व के रूप में स्वामित्व से एक व्यक्ति और ऐसे किसी अधिकार के बीच सम्बन्ध अभिप्रेत है जो अधिकार उसमें निहित है। इस भाव से जो कुछ कोई व्यक्ति धारण करता है वह अधिकार है। अधिकार के स्वामित्व के अन्तर्गत दावे, स्वतन्त्रता, शक्तियां अभिमुक्तियां तथा विशेषाधिकार जैसे लाभ, और कर्तव्य, दायित्व, निर्योग्यता जैसे भार आते हैं। किसी अधिकार के स्वामित्व के परिणामस्वरूप जो कुछ लाभ किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वे इस अधिकार से संलग्न भारों के रूप में अलाभों के द्वारा कम किए जा सकते हैं। जैसा कि विद्वान् लेखक डायस ने मत व्यक्त किया है, किसी व्यक्ति को अधिकार से उद्भूत होने वाले दावों आदि से यहां तक निर्निहित किया जा सकता है कि उसके पास कोई भी तात्कालिक और व्यावहारिक लाभ न रहें। किन्तु फिर भी वह स्वामी तो बना ही रहता है क्योंकि स्वामित्वाधीन उस वस्तु में उसका हित अन्य व्यक्तियों के हित से अधिक समय तक बना रहेगा। स्वामी वह अधिकार रखता है जो अन्ततः उसे स्वामित्वाधीन वस्तु में उसके सभी अधिकारों का भोग करने में उसे समर्थ बनाता है और ऐसा स्वामित्वाधीन उस वस्तु में जो उस समय अन्य व्यक्तियों की है, उन अधिकारों को अपनी ओर आकृष्ट करके किया जाता है और तदनुरूपी भारों से छुटकारा पाकर किया जाता है। किसी भूमि का स्वामी उस भूमि में बंधकदार के हित से, बन्धक के मोचन द्वारा छुटकारा पा सकता है, पट्टे को समाप्त करके भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर सकता है और उस ऋण का भुगतान करके, जिसके लिए भूमि कुर्क की गई थी, कुर्की से छुटकारा पा सकता है। किसी संपत्ति के संबंध में किसी न्यायालय अथवा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राधिकरण द्वारा नियुक्त रिसीवर उस संपत्ति को वास्तविक स्वामी के लाभ के लिए उन आदेशों के अधीन रहते हुए धारण करता है जो आदेश ऐसे न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाएं। किसी अधिकार के स्वामित्व से उद्भूत होने वाले स्वामित्व अधिकारों की विभिन्न किस्में स्वामित्वाधीन अधिकार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ऐसे व्यक्ति को, जो कि किसी कम्पनी में शेयर धारक है, अधिनियम के अधीन अनेक अधिकार होते हैं। उन अधिकारों में से कुछ अधिकार, जिनके साथ मुख्य रूप से इस अपील में हमारा संबंध है, इस प्रकार हैं (i) सभी अधिवेशनों में मत देने का अधिकार (धारा 87), (ii) कम्पनी के असामान्य साधारण अधिवेशन की अध्यपेक्षा करने का अथवा संयुक्त अध्यपेक्षाकर्ता बनने का अधिकार (धारा 169); (iii) साधारण अधिवेशन का नोटिस प्राप्त करने का अधिकार (धारा 172); (iv) परोक्षी नियुक्त करने का और परोक्षी रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार (धारा 176) (v) किसी ऐसे निगमित निकाय की दशा में, जो एक सदस्य है, उसकी ओर से साधारण अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार (धारा 187);(vi) कंपनी से इसके संकल्प परिचालित करने की अपेक्षा करने का अधिकार (धारा 188)। विचार के लिए प्रश्न यह है कि कब कोई शेयर धारक इन अधिकारों में से किसी अधिकार का प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है।

18. भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क ऐसे व्यतिक्रमी की आस्तियों के बारे में रिसीवर नियुक्त करने का उपबन्ध करती है जो राजस्व की बकाया का संदाय करने का अथवा राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है। यह धारा इस प्रकार है :—

> *"182-क. **रिसीवर की नियुक्ति** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब राजस्व की कोई बकाया या राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय कोई रकम देय है तो कलक्टर, इसमें इसके

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

> **"182-A. Appointment of Receiver** (1) Notwithstanding anything in this Act, when an arrear of revenue or any other sum recoverable as an arrear of revenue is due, theCollector

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूर्व विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के अतिरिक्त या इसके स्थान पर, आदेश द्वारा—

(क) ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक समझे, व्यतिक्रमी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के लिए कोई रिसीवर नियुक्त कर सकेगा;

(ख) सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को हटा सकेगा;

(ग) उस सम्पत्ति को रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकेगा;

(घ) रिसीवर को वाद लाने और वाद की प्रतिरक्षा करने तथा सम्पत्ति के बरामद करने, प्रबन्ध, सुरक्षा, परिक्षण और सुधार से सम्बन्धित, सम्पत्ति के किराए और इसके लाभों को एकत्र करने से सम्बन्धित, ऐसे किरायों और लाभों के लागू करने और इनके निपटारे से संबंधित तथा दस्तावेजों के निष्पादन से संबंधित ऐसी सभी शक्तियां रिसीवर को प्रदान कर सकेगा, जैसी शक्तियां स्वयं व्यतिक्रमी को थीं या ऐसी अन्य शक्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी कलक्टर ठीक समझे।

---

may, in addition to or instead of any of the processes herein before specified, by order—

(a) oppoint for such period as he may deem fit, a Receiver of any moveable property of the defaulter;

(b) remove any person from the possession or ustodcy or the property;

(c) commit the same to the possession, custody or management of the Receiver;

(d) confer upon the Reciver all such powers, as to bringing and defending suits and for the realisation, management, protection, preservation and improvement of the property the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, and the execution of documents, as the defaulter himself has or such of those powers as the Collector thinks fit.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(2) इस धारा की कोई भी बात कलक्टर को सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जिसके हटाने के बारे में व्यतिक्रमी को वर्तमान में कोई अधिकार नहीं है।

(3) कलक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की अवधि बढ़ा सकेगा।

(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई भी आदेश हेतुक दर्शित करने के लिए व्यतिक्रमी को नोटिस दिए जाने के तथा ऐसे किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् के सिवाय नहीं किया जायेगा जो ऐसे नोटिस के उत्तर में कलक्टर द्वारा प्राप्त किया जाए :

परन्तु शर्त यह कि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन एक अस्थायी आदेश ऐसे नोटिस के जारी किए जाने से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे नोटिस के जारी किए जाने से पूर्व कोई अन्तरिम आदेश किया जाता है वहां ऐसा आदेश तब प्रभावोन्मुक्त हो जाएगा यदि अस्थायी आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता।

---

(2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession or custody of property any person whom the defaulter has not at present right to remove.

(3-A) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representations that may be received by the collector in response to such notice :

Provided that an interim order undeb sur-section (1) on sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice :

Provided further that where an interim order is made before the issue of such notice the order shall stand vacated if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट आदेश 40 के नियम 2 से लेकर नियम 4 तक से उपबंध इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे ये उपबन्ध संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर के संबंध में लागू होते हैं--केवल न्यायालय के प्रति किए गए निर्देशों के स्थान पर कलक्टर के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

19. भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149, जो कि व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय का उपबन्ध करती है, इस प्रकार है :—

*"149. **जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय**—चाहे व्यतिक्रमी गिरफ्तार किया गया है या नहीं, कलक्टर उसकी जंगम सम्पत्ति को कुर्क कर सकेगा और बेच सकेगा।

इस धारा के अधीन आदिष्ट प्रत्येक कुर्की और विक्रय न्यायालय की डिक्री के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय को तत्समय लागू विधि के अनुसार किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के परन्तुक के खंड (क) से लेकर खंड (ग) में उल्लिखित विशिष्टियों के अतिरिक्त धार्मिक विन्यासों के प्रयोग के लिए अनन्यतः निश्चित वस्तुएं इस धारा के अधीन कुर्की और विक्रय

---

(4) The provisions of Rules 2 to 4 of order XL, contained in the First Schedule to the Code of Civil procedure, 1908, shall apply in relation to a Receiver appointed under this seclion ar they apply in relation to a Receiver appointed under the Code witht he substitution of references to the Collector for refernces to the Court."

*"139. **Attachment and sale of moveable property**—The Collector may, whether the defaulter has been arrested or not, attach and sell his moveable property.

Every attachment and sale ordered under this section shall be made, according to the law in force for the time being for the attachment and sale of maveable property under the decree of a Civil Court. In addition to the particulers mentioned in clauses (a) to (c) of the Civil procedure, 1908 (Act V of 1908), articles set aside exclusively for the use of religious endowments shall be

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से अपवर्जित होंगी। कुर्की और विक्रय का खर्चा राजस्व की बकाया में जोड़ा जाएगा और उसी प्रक्रिया के अनुसार वसूलीय होगा।"

20. प्रश्नगत शेयरों के बारे में रिसीवर की नियुक्ति के प्रभाव पर हम सर्वप्रथम विचार करेंगे। भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क के उपबन्धों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि इसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो यह कहता हो कि रिसीवर के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्त किए जाने पर वह सम्पत्ति जिसके बारे में वह इस प्रकार नियुक्ति किया गया है, उसी प्रकार से उसमें निहित हो जाएगी जिस प्रकार से प्रान्तीय नगर दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 17 के उपबन्धों में दिया गया है, जहां कि न्याय-निर्णयन के आदेश के पश्चात् दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति, जहां कहीं भी वह स्थित हो, शासकीय समानुदेशिती में निहित हो जाएगी अथवा जैसा प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 28(2) में दिया गया है जो यह कहती है कि न्याय-निर्णयन के आदेश पर दिवालिया व्यक्ति की सम्पूर्ण संपत्ति न्यायालय में या शासकीय रिसीवर में निहित हो जाएगी। भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 182-क की उपधारा (4) यह उपबन्ध करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 के नियम 2 से लेकर नियम 4 उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के संबंध में लागू होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 के अधीन नियुक्त रिसीवर केवल न्यायालय के आदेश के अधीन उसके नियंत्रण में सुपुर्द की गयी संपत्ति धारण करता है किन्तु संपत्ति उसमें निहित नहीं होती। सदस्य के विशेषाधिकार केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। ऐसा रिसीवर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, इन अधिकारों में से किसी अधिकार का प्रयोग ऐसी कार्यवाही के सिवाय नहीं कर सकता जिसमें संबंधित कम्पनी पक्षकार है और जिस कार्यवाही में आदेश किया जाता है। **मैथालोन बनाम बाम्बे लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड**[1] के मामले में यह स्पष्ट अधिकथित किया गया है कि उन कतिपय शेयरों के संबंध में न्यायालय द्वारा

---

exempted from attachment and sale under this section. The costs of the attachment and sale shall be added to the arrear of revenue, and shall be recoverable by the same procedure."

[1] (1954) एस० सी० श्रार० 117.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियुक्त रिसीवर, जिसका नाम संबंधित कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सम्यकतः इस प्रकार प्रविष्ट नहीं किया गया था कि वे शेयर उसके हैं, नए रूप में जारी किए गए कतिपय शेयर अर्जित नहीं कर सकता जो कंपनी के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस न्यायालय ने पृष्ठ 143 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :—

> "श्री पाठक ने यह दलील दी कि वादी "क" और "ख" दोनों अनुतोषों अर्थात् अपने वाद में तथा रिसीवर के वाद के लिए हकदार और यह कि रिसीवर का वाद उच्च न्यायालय द्वारा गलत रूप में खारिज कर दिया गया था। हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं कि हमारी राय में, उच्च न्यायालय में सही रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि सर पदमपत के वाद में नियुक्त रिसीवर उसके नाम में नए रूप में जारी किए गए शेयर अर्जित नहीं कर सकता था। यह विशेषाधिकार धारा 105-ग द्वारा केवल ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया गया था जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में था। स्वीकृत रूप से, रिसीवर का नाम रजिस्टर में नहीं था और कम्पनी उस आवेदन को ग्रहण करने के लिए आबद्ध नहीं थी। श्री पाठक ने यह दलील दी कि भले ही बात ऐसी ही है किन्तु रिसीवर अपने व्यक्तिगत अधिकार के रूप में आवेदन नहीं कर रहा था अपितु उसे प्रतिवादी रेड्डी के अधिकार के रूप में आवेदन करने के लिए न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि रिसीवर ने अपने ही नाम में आवेदन किया था। भले ही श्री पाठक की दलील सही है फिर भी कम्पनी श्री रेड्डी के विरुद्ध सर पदमपत द्वारा फाइल किए गए वाद में पक्षकार नहीं थी और ऐसा होने के कारण उस वाद में कम्पनी को यह मान लेने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता था कि श्री रेड्डी के स्थान पर रिसीवर को शेयर धारक मान लिया जाए।"

21. ऐसी दशा में भी जहां कि शेयर धारक, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, सम्यकतः हस्ताक्षरित किन्तु अपूरित अन्तरण प्ररूप के साथ अपने शेयर हस्तगत कर देता है तो भी ऐसा अन्तरिती संबंधित कम्पनी के विरुद्ध सदस्यों के अधिकारों का दावा तब तक नहीं कर सकेगा जब तक उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं कर दिया जाता। इस न्यायालय ने [**मैसर्स हावड़ा ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड** बनाम **आय-कर आयुक्त, कलकत्ता**[1] के मामले में रिपोर्ट के पृष्ठ 453-454 पर यह मत व्यक्त किया है :—

[1] (1969) सप्ली० 2 एस० सी० आर० 448.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"ऐसे शेयर धारक की स्थिति, जो उस समय लाभांश प्राप्त करता है जबकि उसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में विद्यमान है, किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई कारित नहीं करती। किन्तु शेयरों का अन्तरण एक सामान्य बात है और ऐसे अन्तरण या तो पूर्णतः निष्पादित ऐसे दस्तावेज द्वारा किए जा सकते हैं जैसा कि इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 की सारिणी "क" के विनियम 18 में अनुज्ञात है, अथवा इस प्रकार से किया जा सकता है जिसे कि "ब्लैंक ट्रांसफर" कहा जाता है। ऐसे (ब्लैंक ट्रांसफर) अन्तरण में अन्तरक का नाम दर्ज किया जाता है और अन्तरक द्वारा हस्ताक्षरित अन्तरण विलेख 'शेयर सक्रिप्ट' के द्वारा अन्तरिती को हस्तगत कर दिया जाता है, जो, यदि ऐसा चाहे तो, प्ररूप में अपना नाम दर्ज करके पूरा करता है और तत्पश्चात् शेयर के पूर्ववर्ती धारक के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए कम्पनी को आवेदन करके अन्तरण को पूरा करता है। कम्पनी ऐसे व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को मान्यता नहीं देती, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है और जिसे संदत्त पूंजी के लिए मांग की सूचना भेजी जा सकती है और केवल उसे ही कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश विधितः संदेय होता है। निस्संदेह, अन्तरक और अन्तरिती के बीच भी निष्पादन करने और "ब्लैंक ट्रांसफर" हस्तगत करने पर भी कतिपय अधिकार उद्भूत होते हैं और इन अधिकारों में घोषित लाभांश तथा ऐसे अन्तरक को संदत्त घोषित और लाभांश का दावा करने का अन्तरिती का अधिकार है, जिसे अन्तरिती की ओर से न्यासी माना जाता है। तथापि, ये अधिकार कम्पनी को प्रभावित नहीं करते और ऐसे अन्तरिती द्वारा कोई भी दावा, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, उस दशा में कंपनी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, यदि अंतरिक धन अपने हाथ में रखता है और यह धन अन्तरिती को संदत्त करने में असफल रहता है।

इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 की स्कीम पर दृष्टिपात करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि "सदस्य", "शेयर धारक" और "शेयर का धारक" अभिव्यक्तियां उक्त अधिनियम में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की गयी हैं। निस्संदेह इस विषय से संबधित अधिकतर लेखकों की राय भी यही है। श्री बकले द्वारा लिखित "कंपनीज ऐक्ट", 12वां संस्करण, पृष्ठ 803 पर यह उपदर्शित किया गया है कि अन्तरिती का

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकार कम्पनी को केवल अपना नाम दर्ज कराने के लिए कहना मात्र है, और इससे अधिक कुछ नहीं। जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण नहीं हो जाता तब तक कोई अधिकार उद्भूत नहीं होता।"

22. इस मामले में न्यायालय ने **बाला वाइनेड इंडिया गोल्ड माइनिंग कम्पनी**[1] वालेमामले में न्या० चित्ती की इस उक्ति का अनुसरण किया जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि सदस्यों के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम का दर्ज किया जाना संबधित कम्पनी के अधिवेशन में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी। वकले कृत "कम्पनी एक्ट" (14वां संस्करण), जिल्द 1 पृष्ठ 972 पर यह कहा गया है कि :—

> "**कम्पनी लाभपूर्ण स्वामित्व की जांच नहीं कर सकती**-शेयर धारक और कम्पमी के बीच मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकारी व्यक्ति शेयरों का अविधित: अधिकारी व्यक्ति होता है अर्थात् वह ऐसा सदस्य होता है जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है।"

23. **कुरापति वेंकट मल्लाया और एक अन्य बनाम थोंडिपू रामास्वामी एंड कम्पनी और एक अन्य**[2] के मामले में इस न्यायालय को किसी वाद में किसी पक्षकार को देय ऋण अपने नाम में एकत्रित करने के लिए रिसीवर द्वारा संस्थित वाद की विधिमान्यता पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए वाद के चलाए जाने के बारे में रिसीवर के अधिकार को कायम रखा कि ऐसा रिसीवर जिसे ऐसी सम्पत्ति के प्रशासन करने की पूर्ण शक्तियों से विनिहित किया गया है जो सम्पत्ति कानूनी अभिरक्षा में है अथवा जिस रिसीवर को न्यायालय द्वारा ऋणों को एकत्र करने के लिए वाद संस्थित करने हेतु (न्यायालय द्वारा) अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किया गया हैं, (ऐसा रिसीवर) केवल उस दशा में अपने ही नाम में वाद संस्थित करने के लिए हकदार था जबकि उसने ऐसा वाद रिसीवर की अपनी हैसियत में किया हो। किन्तु उक्त विनिश्चय के दौरान इस न्यायालय ने **जगत तरनी दासी** बनाम **नव गोपाल चक्की**[3] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय का अनुमोदन किया था जिसमें यह कहा गया था कि "समग्र रूप से देखते हुए, हम यह मत अपनाना चाहते हैं कि यद्यपि एक रिसीवर उस सम्पत्ति का समानुदेशिती अथवा लाभ प्राप्त करने वाला स्वामी नहीं है जो सम्पत्ति उसकी अभिरक्षा में सौंपी गई है, फिर भी उस सम्पत्ति के बारे में उसके संबंध

---

[1] (1982) 21 चान्सरी डिवीजन, 849.

[2] (1953) सप्ली० 2 एस० सी० आर० 995.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के बारे में यह कहना एक अपूर्ण और गलत कथन होगा कि वह उस सम्पत्ति का मात्र एक अभिरक्षक है।" (रेखांकन महारे द्वारा किया गया है) अतः किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में कार्य करते हुए किसी रिसीवर की अन्य शक्तियां चाहे कुछ भी हों, जो सम्पत्ति उसकी अभिरक्षा में होते हुए कानूनी तौर पर अभिरक्षा में है, फिर भी उसे ऐसी सम्पत्ति का न तो समनुदेशिती समझा जा सकता है और न लाभ प्राप्त करने वाला स्वामी ही।

24. **वाइज** बनाम **लेंशडेल**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे किसी दिवालिया व्यक्ति के मामले में, जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में उस समय भी विद्यमान था, वह दिवालिया व्यक्ति जब तक कि उसका नाम रजिस्टर में रहता है, शेयरों के बारे में मत देने के लिए हकदार था, यद्यपि उसके और बंधकदार के बीच वह केवल इस प्रकार से मत दे सकता है जैसा कि उन्होंने उसे आदेश दिया हो। किन्तु मत देने के अधिकार के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह अधिकार तब तक निर्बाध बना रहता है जब तक उसका नाम रजिस्टर में रहता है।

25. एक पश्चात्वर्ती मामले अर्थात् **मोर्गन और एक अन्य** बनाम **ग्रे और एक अन्य**[2] वाले मामले में **वाइज** बनाम **लेंशडेल**[1] के मामले के प्रति निर्देश करने के पश्चात न्या० डेंकवार्ड्स ने यह मत व्यक्त किया :—

> "मुझे यह प्रतीत होता है कि जब तक कम्पनी के अनुच्छेदों में अथवा कम्पनी अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध न हो जो मुझे यह कहने के लिए सशक्त करता हो कि दिवालिया व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं रह गया है, और इसलिए अभिव्यक्तत: मत देने के लिए अयोग्य है, मुझे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि दिवालिया व्यक्ति तब तक सदस्य बना रहता है जब तक उसका नाम रजिस्टर में रहता है; इस बात के बावजूद भी समुचित उपबंधों के अधीन उचित कदम उठाकर दिवालिए का न्यासी शेयरों के स्वत्वधारी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जब एक ऐसा नहीं किया जाता, और जब तक दिवालिया व्यक्ति का नाम कम्पनी के रजिस्टर में बना रहता है, तब तब वह उन शेयरों के सम्बन्ध में सदस्य बना रहता है और, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, ऐसे मतों का प्रयोग करने का भी हकदार है जो उसकी हैसियत के कारण उसके हो सकते हैं और ऐसा इस बात के बावजूद भी कि उसका शेयरों में कोई लाभ प्राप्त करने का

[1] (1921) 1 चांसरी 420.
[2] (1953) 1 चांसरी 83 पृ० 87.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हित नहीं रहा है और यह कि कम्पनी दिवाला के न्यासी क किसी भी लाभांश का संदाय करने की हकदार है।"

26. "कर्र आन रिसीवर्स" (13वां संस्करण) के पृष्ठ 310 पर किया गया यह कथन कि "सम्पत्ति (अनियत भार के अधीन सम्पत्ति तथा नियत भार के अधीन सम्पत्ति, दोनों) के बारे में नियुक्ति अन्तर्विष्ट निदेशकों और कम्पनी की शक्ति, भार के अधीन रहने के सिवाय निष्क्रिय हो जाती है" जिसका अपीलार्थियों द्वारा अवलंब लिया गया था, उनके बहुत काम का कथन नहीं है। इसका मात्र यह अर्थ है कि रिसीवर नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सम्पत्ति के बारे में निदेश दे सकता है। इससे यह विवक्षित नहीं है कि किसी अन्य कम्पनी के शेयर धारण करने के आधार पर, ऐसी अन्य कम्पनी के अधिवेशन में, मत देने के अधिकार का प्रयोग करने का प्रथम कम्पनी का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है।

27. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 51 के अधीन डिक्रीत ऋण को वसूल करने के प्रयोजन के लिए डिक्री के निष्पादन में एक डिक्रीदार के आवेदन करने पर सिविल न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। अनुज्ञात साम्यापूर्ण अनुतोषों की सामान्यतः केवल यह एक विधि है, जबकि डिक्रीत रकम की वसूली अव्यवहार्य हो जाती है। उस धारा के आधीन नियुक्त किया गया रिसीवर एक गारनिशी से शोध्य रकम वसूल कर सकेगा और उसकी शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40, नियम 1 के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियों के समान होती है। किन्तु उसे निर्णीत-ऋणी की आस्तियों में लाभ प्राप्त करने का हित नहीं होगा। वह अपने ही ऋण के रूप में, ऋण एकत्रित नहीं करता अपितु एक न्यायालय के अधिकारी के रूप में एकत्रित करता है।

28. हम अधिनियम की धारा 137 पर आधारित अपीलार्थी की दलील में भी कोई सार नहीं पाते। अधिनियम की धारा 137 यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति कम्पनी की सम्पत्ति के रिसीवर की अथवा उस सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त कर लेता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किन्हीं शक्तियों के अधीन रिसीवर नियुक्त करता है तो वह ऐसे आदेश पारित किए जाने की या उक्त शक्तियों के अधीन नियुक्ति करने की तारीख से 30 दिन के भीतर इस तथ्य का नोटिस रजिस्ट्रार को देगा और रजिस्ट्रार विहित फीस प्राप्त करने पर अधिनियम की धारा 130 के अधीन बनाए गए प्रभारों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रजिस्टर में इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा। इस मामले में यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या, इस मामले में रिसीवर की नियुक्ति के आदेश की प्रविष्टि प्रभारों के रजिस्टर में की गयी थी अथवा नहीं। यह मान लेने पर भी कि ऐसी प्रविष्टि की गयी थी, इसका प्रभाव ऐसा नहीं हो सकता कि प्रश्नगत शेयरों के संबंध में मत देने के अधिकार का प्रयोग करने का काटन मिल्स कम्पनी का अधिकार छीन लिया गया था। हम अधिनियम की धारा 153(ख), 187(ख) और 187(ग) के आधार पर दी गयी दलील में भी कोई सार नहीं पाते। अधिनियम की धारा 153 यह उल्लेख करती है कि किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आनवयिक न्याय की कोई सूचना सदस्यों अथवा डिबेंचरधारियों के रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएगी। अधिनियम की धारा 153(ख) यह अपेक्षा करती है कि धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि कम्पनी के कोई शेयर अयवा डिबेंचर किसी व्यक्ति द्वारा न्याय में धृत हैं वहां वह (न्यासी, `क न्यासी के समक्ष एक घोषणा करेगा। अधिनियम की 187(ख) यह उपबंध करती है कि धारा 153(ख) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किन्तु इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अथवा किसी अन्य विधि या किसी संविदा, ज्ञापन या अनुदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा न्यासी के रूप में किसी कम्पनी के कोई शेयर न्यास में धारित हैं, वहां ऐसी कम्पनी के किसी अधिवेशन में या कम्पनी के सदस्यों के किसी वर्ग के किसी अधिवेशन में कम्पनी के सदस्य के रूप में न्यासी के द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार और शक्तियां (जिनके अन्तर्गत परोक्षी द्वारा मत देने का अधिकार भी आता है) ऐसे सदस्य के रूप में न्यासी के द्वारा प्रयोक्तव्य नहीं रह जाएंगे, और वे शक्तियां और अधिकार लोक न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य हो जाएंगे। अधिनियम की धारा 187(ग) ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है किन्तु जो प्रश्नगत शेयरों में लाभ प्राप्त करने का कोई हित नहीं रखता, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति का नामी तथा अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करके आवेदन करना बाध्यकारी बनाती है जो ऐसे शेयर में लाभ प्राप्त करने का हित रखता है। इस बारे में 'दि कम्पनीज (डेक्लेरेशन आफ बैनीफिशियल इंट्रेस्ट इन शेयर्स) रूल्स, 1975 विरचित किए गए हैं। उपर्युक्त उपबंधों से यह स्पष्ट है कि ऊपर निर्दिष्ट किए गए उपबंधों में से कोई भी उपबंध हमारे समक्ष प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

29. अतः किसी कम्पनी के कुछ शेयरों के बारे में मात्र रिसीवर की नियुक्ति शेयरों के ऐसे धारण को, जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, कम्पनी के अधिवेशनों में मत देने के अधिकार से या अधिनियम की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

30. किसी शेयर धारक द्वारा किसी कम्पनी में धृत कतिपय शेयरों की भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 149 के अधीन कार्यवाही में बिक्री के प्रयोजन के लिए की गयी कुर्की का परिणाम भी ऐसा ही है। कुर्की के आदेश का प्रभाव केवल ऐसा ही होता है जैसा कि भू-राजस्व अधिनियम, 1901 स्वयं की धारा 149 कहती है। ऐसी कुर्की किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन, एक जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए उस समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 यह कहती है कि इस धारा के परन्तुक में उल्लिखित सम्पत्ति के मदों के सिवाय भूमि, गृह या अन्य भवन, माल, धन, बैंक नोट, चैक, विनियम पत्र, हुण्डी, वचन-पत्र सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंध-पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम शेयर (अंश) और विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर सम्पत्ति की जो निर्णीत-ऋणी की, या जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसी व्ययन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए कर सकता हो, जैसा कि वह निर्णीत-ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो, उसके विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री की जा सकेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 64 यह कहती है कि जहां किसी सम्पत्ति की कुर्की की जाती है वहां कुर्क की गयी सम्पत्ति का या उसमें के किसी हित का प्राइवेट अंतरण या परिदान और ऐसे किसी ऋण लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णीत-ऋणी को संदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 64 के अधीन जो कुछ प्रतिषिद्ध है वह है निर्णीत ऋणी द्वारा कुर्की के प्रतिकूल कुर्क की गयी सम्पत्ति का कोई भी प्राइवेट अन्तरण अर्थात् ऐसी डिक्री के अधीन डिक्रीदार के दावों के प्रतिकूल कोई बात, जिस डिक्री की तुष्टि के लिए कुर्की की गयी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 64 के अधीन कोई प्राइवेट अन्तरण नितांत शून्य नहीं है अर्थात् सारे विश्व के विरुद्ध शून्य नहीं है किन्तु केवल कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय दावों के विरुद्ध ही शून्य है। जब तक कि सम्पत्ति वस्तुतः बेच नहीं दी जाती तब तक निर्णीत-ऋणी का कुर्क की गयी सम्पत्ति में हक बना रहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 76 के अधीन निगम-शेयर, जो कुर्क किए गए हैं, किसी दलाल के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अनुकल्पतः, ऐसे शेयर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नियम 77 के अधीन लोक नीलामी में भी बेचे जा सकते हैं। नियम 77 या नियम 76 में किसी के अधीन भी ऐसी बिक्री के पश्चात् क्रेता हक अर्जित करता है। जब तक ऐसा विक्रय नहीं किया जाता तब तक निर्णीत-ऋणी के सभी अन्य अधिकार अप्रभावित रहते हैं, भले ही शेयर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 43 के अधीन न्यायालय के अधिकारी द्वारा अथवा किसी रिसीवर के द्वारा कुर्की करने के प्रयोजन के लिए अभिगृहीत कर लिए गए हों अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 46 के निबंधनों के अनुसार ऐसे आदेश के द्वारा अभिगृहीत कर लिए गए हैं, जिसकी तामील निर्णीत ऋणी पर अथवा सम्बन्धित कम्पनी पर की गयी हो।

31. अपीलार्थियों की ओर से, **हाक्स** बनाम **मैकार्थर और अन्य**[1] के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गयी है कि शेयरों को कुर्क करने वाले कलक्टर के आदेश की प्रवृत्ति 'धारण आदेश' की है जिसने काटन मिल्स कम्पनी को इन शेयरों में अपने अधिकार से वंचित कर दिया था। उक्त विनिश्चय का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि यह इस मामले से बहुत सुसंगत नहीं है। उक्त मामले में एक कम्पनी के प्रबंधक तथा अध्यक्ष ने कंपनी के सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा धारित (कंपनी के) कुछ शेयर दो बार में कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 13 के प्रतिकूल इन शेयरों के लिए प्रतिफल प्रतिफल संदाय करने के पश्चात् खरीद लिए थे; उक्त अनुच्छेद 13 प्रश्नगत शेयरों के बारे में सभी अन्य सदस्यों को शुफा का अधिकार देता है। खरीददारी किए जाने के तुरन्त पश्चात्, कम्पनी के एक अन्य सदस्य ने शेयरों के अंतरक के विरुद्ध धन की एक डिक्री अभिप्राप्त कर ली और अंतरक के नाम में धारित शेयरों के बारे में एक 'भारण आदेश' भी प्राप्त कर लिया किंतु ये शेयर अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को पहले ही बेचे जा चुके थे। उसने यह दावा किया कि चूंकि शेयरों का अंतरण कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 13 के प्रतिकूल था, अतः यह अन्तरण शून्य था और इसीलिए वह अपनी डिक्रीत रकम वसूल करने के लिए इन शेयरों के विरुद्ध भारण आदेश को प्रवर्तित कराने का हकदार था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उसके इस दावे को नकार दिया कि शेयरों के अन्तरण से पूर्व पालन किए जाने योग्य प्रक्रिया के बारे में कम्पनी के अनुच्छेदों का पालन करने में हुई पूर्ण असफलता के बावजूद भी, चूंकि अन्तरितियों ने अन्तरक को शेयर के लिए सम्पूर्ण प्रतिफल संदाय कर दिया था और उनमें

---

1 (1951) 1 आल इण्डिया रिपोर्ट्स 22.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साम्यापूर्ण अधिकार अभिप्राप्त कर लिए थे और चूंकि उनके अधिकार भारण आदेश के अधीन वादी के साम्यापूर्ण अधिकार से पूर्व प्रोद्भूत हो गए थे इसलिए उनके अधिकार वादी के दावे पर अभिभावी होने चाहिए। हमारे समक्ष यह दलील दी गयी थी कि चूंकि कलक्टर का आदेश 'भारण आदेश' की प्रकृति का आदेश था इसलिए रिसीवर ने प्रश्नगत शेयरों में साम्यापूर्ण अधिकार अभिप्राप्त कर लिया था और ऐसा कोई अन्य विधिक अथवा साम्यापूर्ण अधिकार न होने के कारण जो इस पर अभिभावी हो सके, काटन मिल्स कम्पनी ने शेयरों के बारे में अपने अधिकार को खो दिया था। उपर्युक्त विनिश्चय के संबंधित तथ्यों के कथन से भी यह प्रकट होता है कि इसका हमारे समक्ष इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि आंगल विधि के अधीन भारण आदेश वैसा ही आदेश नहीं है जैसी कि भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन सम्पत्ति की कुर्की अथवा रिसीवर की नियुक्ति। यहां यह उल्लेख कर सकते हैं कि आंगल विधि के अधीन भारण आदेश आंगल उच्चतम न्यायालय पद्धति के आदेश 50 के अधीन किए जाते हैं, जिसके अधीन आंगल न्यायलय अपने ऐसे निर्णय या आदेश को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए, जिसके अधीन किसी ऋणी से लेनदार को धन संदाय करना अपेक्षित है, ऋणी की ऐसी किसी सम्पत्ति पर, जैसी आदेश में विहित की जाए, निर्णय या आदेश के अधीन शोध्य रकम या जो शोध्य हो जाए, के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए भार अधिरोपित करते हुए आदेश पारित कर सकता है। किसी ऋणी की सम्पत्ति या आस्तियों पर भारण आदेश लेनदार को धन का संदाय करने के लिए किसी निर्णय या आदेश को प्रवर्तित कराने की युक्तियों में से एक युक्ति है। तथापि, यह इस भाव में प्रवर्तन की ऐसी प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है कि लेनदार तुरन्त अपने पक्ष में दिए गए निर्णय का फल प्राप्त कर सके, अपितु यह इस भाव में प्रवर्तन की एक अप्रत्यक्ष युक्ति है कि यह ऋणी की सम्पूर्ण या आंशिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में लेनदार को प्रतिभूति प्रदान करता है। ऐसा आदेश ऐसे लेनदार को ऐसा प्रतिभूत लेनदार बना देता है जिसे, अपना भारण आदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् अपने निर्णय की पूर्ण या आंशिक तुष्टि के लिए अपने भार की वास्तविक रकम प्राप्त करने के लिए अपने भार को प्रवर्तित कराने हेतु ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जैसी भारित संपत्ति की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हो। विधि के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारण आदेश द्वारा अधिरोपित भार का उसी प्रकार से प्रभाव होगा और उसी न्यायालय में प्रवर्तनीय होगा जैसा कि ऋणी द्वारा अपने ही लिखित लेख के माध्यम से सृजित साम्यापूर्ण बंधक का होता है। श्री मुल्ला कृत 'सिविल प्रक्रिया संहिता' (14वां संस्करण) जिल्द 2

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के पृष्ठ 1510 का एक संक्षिप्त पद्यांश मार्गदर्शक प्रतीत होता है और यह इस प्रकार है :—

"संहिताा में भारण आदेशों के बारे में कोई उपबंध नहीं है। किंतु उच्च न्यायालयों की मूल शाखा में, जो कोर्ट आफ चांसरी की पुरानी अधिकारिता की एक विरासत है, यह पद्धति रही है कि जहां पूर्ण निष्पादन कराया जाना वांछनीय नहीं समझा जाता वहां भारण आदेश ऐसे प्ररूप में किया जाता है जैसा केवनी **बनाम** एट्रिल [(1886) 34 चांसरी डिवीजन 345] के मामले में किया गया था। जब आस्तियों को बनाए रखना अपेक्षित है तो भारण आदेश का लाभ यह होता है कि यह आदेश एक ओर तो न्यायालय को समय दिलाने में समर्थ बनाता है और दूसरी ओर डिक्री धारक की सुरक्षा करता है। यह आदेश ऐसे भ्रम से भी बचाता है जो उस दशा में उद्‌भूत हो सकता हो, जब न्यायालय उस दशा में सीधी कुर्की अनुज्ञात कर दे जबकि वह भागीदारी की आस्तियों का प्रशासन कर रहा होता है। भारण आदेश का प्रभाव डिक्री धारक को एक प्रतिभूत लेनदार बना है, यद्यपि वह भार के साथ ऐसा बर्ताव करने का वचन देता है जो न्यायालय के आगे किए जाने वाले आदेशों के अधीन होता है।"

32. अतः कुर्की के आदेश का प्रभाव अपने शेयरों के हक से शेयर धारक को वंचित करना नहीं है। हमारी यह राय है कि काटन मिल्स कम्पनी द्वारा धारित पोलिटेक्स कम्पनी के शेयरों की कुर्की ने काटन मिल्स कम्पनी को अधिनियम की धारा 169 के अधीन नोटिस जारी करने या अधिवेशन में वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया था।

33. यह तथ्य कि 3,50,000 शेयर उत्तर प्रदेश सरकार के नाम में गिरवी रख दिए गए हैं, किसी प्रकार का अंतर उत्पन्न नहीं करता। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 172 से लेकर 178-क गिरवी की संविदा के बारे में है। पणयम (पान) बिल्कुल वंधक जैसा नहीं होता। जैसा कि इस न्यायालय ने **लल्लन प्रसाद** बनाम **रहमत अली और अन्य**[1] के मामले में मत व्यक्त किया है, पणयम के दो मुख्य भाग इस प्रकार होते हैं : "(1) यह कि पणयम की संविदा के लिए यह अनिवार्य है कि गिरवी रखी गयी सम्पत्ति पणयमदार को वस्तुतः अथवा आन्वयिकतः प्रदत्त की जानी चाहिए, और (2) पणयमदार के पास एक विशेष सम्पत्ति ही गिरवी नहीं होती है किन्तु इस सम्पत्ति में की साधारण सम्पत्ति पणयमकार के पास होती है और ऋण के अनुमोचन

[1] (1967) 2 एस० सी० आर० 233 पृ० 238, 239.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर उसे पूर्णतः वापिस हो जाती है । अतः पणयम एक प्रकार की प्रतिभूति है, जहां संविदा के द्वारा किसी ऋण के लिए माल प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जाता है । सम्पत्ति का अधिकार गिरवीदार में केवल वहां तक विहित करता है जहां तक यह ऋण की प्रतिभूति के लिए आवश्यक है···तथापि पणयमकार को तब तक गिरवी रखी गयी सम्पत्ति का विमोचन कराने का अधिकार है जब तक वह सम्पत्ति बेच नहीं दी जाती ।" **बैंक आफ बिहार** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] के मामले में भी इस न्यायालय ने उपर्युक्त विधिक स्थिति को दोहराया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि पणयमदार के पास एक विशेष सम्पत्ति होती है जो गिरवी रखे गए माल की सामान्य प्रकृति की नहीं होती, और जब तक उसके दावे की तुष्टि नहीं हो जाती, पणयमकार के किसी भी लेनदार को माल या इसकी कीमत लेने का कोई अधिकार नहीं होता । इससे अधिक, उपर्युक्त विनिश्चय में पणयमदार के लिए किसी और अधिकार को नहीं माना गया था । भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अधीन, यदि कोई पणयमकार ऋण के संदाय में या गिरवी रखे गए माल के बारे में किए गए वचन के संबंध में निश्चित समय में कार्यपालन करने में व्यतिक्रम करता है तो पणयमदार ऋण या वचन के बारे में पणयमकार के विरुद्ध वाद ला सकता है और गिरवी रखे गए माल को साम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अपने पास रख सकता है, अथवा वह पणयमकार को विक्रय का युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् गिरवी रखी गयी वस्तु को बेच सकता है । तथापि, गिरवी के मामले में गिरवी रखे गए माल का विधिक हक पणयमदार में निहित नहीं होगा । पणयमदार के पास केवल एक सम्पत्ति होती है । पणयमदार को पुरोबंध का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उसे विधि की दृष्टि से कभी भी आत्यंतिक स्वामित्व प्राप्त नहीं था और उसका साम्यापूर्ण हक उतने से कभी भी अधिक नहीं हो सकता जो कुछ विधि के द्वारा विनिर्दिष्टतः मंजूर किया गया है । इस भाव से एक गिरवी का मामला बंधक के मामले से भिन्न होता है । इस पूर्ववर्ती मत को देखते हुए प्रस्तुत मामले में पणयमदार अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार को उसके पक्ष में गिरवी रखे गए शेयरों का धारक नहीं माना जा सकता । काटन मिल्स कम्पनी उक्त शेयरों के संबंध में पोलिटेक्स कम्पनी का सदस्य बनी रही थी और वह अधिनियम की धारा 169 के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती थी ।

34. यहां यह उल्लेख कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा

---

[1] (1971) सप्ली० एस० सी० आर० 299.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कलक्टर ने, जो इस अपील के पक्षकार हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता को चुनौती नहीं दी है।

35. अपीलार्थियों की ओर से जो दूसरी गौण दलील दी गयी है वह केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18-कक(1)(क) के अधीन काटन मिल्स कम्पनी के पांच अन्य औद्योगिक एककों के साथ स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी के प्रबंध को ग्रहण करते हुए 13 अप्रैल, 1978 को किए गए आदेश के बारे में है। यह पांचों एकक **स्वदेशी काटन मिल्स** बनाम **भारत संघ**[1] के मामले में विवाद का विषय थे तथा यह दलील केन्द्र सरकार द्वारा 26 नवम्बर, 1983को पारित विस्तारण के उस आदेश के बारे में है जो उस मामले में विवाद का विषय है जो मामला इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है। अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गयी है कि उपर्युक्त आदेश पारित किए जाने पर काटन मिल्स कम्पनी को प्रश्नगत शेयरों के संबंध में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं रह गया था। इस दलील में कोई सार नहीं है। उपर्युक्त आदेशों के अधीन, आदेश में निर्दिष्ट छः औद्योगिक एककों का प्रबंध ही ग्रहण किया गया था और काटन मिल्स कम्पनी के सभी अधिकार ग्रहण नहीं किए गए थे। उक्त शेयर कम्पनी के हैं तथा ऊपर निर्दिष्ट आदेशों का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी कार्य विभाग के निदेशक श्री वी० खुशालदास द्वारा काटन मिल्स कम्पनी के अध्यक्ष, श्री बी० एन० कौल को 9 अप्रैल, 1977 को लिखे गए पत्र में सही मत व्यक्त किया है अर्थात् यह कि इन शेयरों के संबंध में मत देने का अधिकार काटन मिल्स कम्पनी में बराबर निहित बना हुआ है और जिस रीति में मतदान के इन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है वह काटन मिल्स कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अवधारित की जानी होगी। अतः उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18-कक(1)(क) के अधीन पारित आदेशों का काटन मिल्स कम्पनी के मतदान के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है।

36. यह भी महत्त्वपूर्ण है कि पोलिटेक्स कम्पनी के निदेशकों ने, जिन्हें इस बात की जानकारी थी कि प्रश्नगत शेयरों के संबंध में एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था, यह कि ये शेयर कलक्टर द्वारा कुर्क कर लिए गए थे, यह कि इन शेयरों में से कुछ शेयर उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में गिरवी रख दिए गए थे और यह कि उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की

[1] (1981) 2 एस० सी० आर० 533.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धारा 18-कक(1) (क) के अधीन काटन मिल्स कम्पनी के छः औद्योगिक एककों के प्रबंध ग्रहण करने के लिए आदेश पारित कर दिए गए थे, नोटिस की विधिमान्यता को प्रश्नगत नहीं किया था। पोलिटेक्स कम्पनी ने इस मामले में इसके रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक अर्थात् काटन मिल्स कम्पनी को सही तौर पर ही प्रश्नगत शेयरों का स्वामी माना है और अधिनियम की धारा 169 के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुसार उसे अधिवेशन में बुलाया गया है। अतः अपीलार्थी ऊपर निर्दिष्ट किए गए किसी भी आधार पर अधिवेशन की विधिमान्यता के बारे में कोई विवाद नहीं उठा सकते।

37. परिणामतः अपील असफल होती है और यह खर्चे सहित खारिज की जाती है। उपर्युक्त अपील तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के पक्षकारों का खर्चा पोलिटेक्स कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

38. उपर्युक्त आदेश के अधीन रहते हुए, इस न्यायालय द्वारा 1 फरवरी, 1985 को पारित आदेश प्रवृत्त बना रहेगा।

अपील खारिज की गयी।

श०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इब्राहीम बचु बफन और एक अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

तथा

मोठू बाबा पधियार

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(12 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति एस० मुर्तजा फजल अली, ए० वरदराजन और रंगनाथ मिश्र)

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)—धारा 11(2)—निरोध आदेश की विधिमान्यता—उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन धारा 11 के अधीन किए गए निरोध आदेश का अभिखंडित किया जाना—निरोध प्राधिकारी द्वारा उन्हीं आधारों पर धारा 11(2) के अधीन नया आदेश पारित किया जाना—जहां निरोध आदेश उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित कर दिया जाता है, तो वहां निरोध प्राधिकारी धारा 11(2) के अधीन नया निरोध आदेश पारित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता ।

शब्द और पद—'प्रतिसंहरण करना' और 'प्रतिसंहरण' का अर्थ—उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन निरोध आदेश को अभिखडित करते हुए 'प्रतिसंहरण करना'—'प्रतिसंहरण' जो कुछ किया गया उसके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है जबकि 'प्रतिसंहरण करना' शब्दों से अभिप्राय उसी शक्ति द्वारा रद्द किए जाने का विचार जिसने आरम्भतः कार्रवाई की और न कि शक्ति अथवा अधिकारिता रखने वाले किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा आरंभिक अधिकारिता का अपास्त करना ।

पिटीशनर को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की धारा 3(1) के अधीन निरुद्ध किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा उसके रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुए निरोध आदेश प्रतिसंहृत किया गया था और उसी दिन एक नया निरोध आदेश पारित किया गया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

था। उच्च न्यायालय ने उस द्वितीय निरोध आदेश को अभिखंडित कर दिया था। उस पर निरोध प्राधिकारी ने उसी दिन और उन्हीं आधारों पर एक नया निरोध आदेश पारित किया और पिटीशनर को पुनः निरुद्ध किया गया। उसने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन प्रस्तुत रिट पिटीशन फाइल किया है। पिटीशनर की ओर से यह दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग वहां नहीं किया जा सकता था जहां धारा 11(1) के अधीन पूर्व आदेश का प्रतिसंहरण किया गया था और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किया गया था। पिटीशन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन प्रदत्त शक्ति वास्तव में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन मान्य शक्ति का विस्तार है और जबकि साधारण खण्ड अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने आदेश किए, अधिनियम की धारा 11(1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नामित प्राधिकारीगण भी प्रतिसंहरण की शक्ति का प्रयोग करने के हकदार हैं। जब उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है तो यह प्रतिसंहरण का आदेश नहीं करता। बन्दी प्रत्यक्षीकरण अथवा उत्प्रेषण (सरशियोरेराई) जैसी परम विशेषाधिकार रिट जारी करके यह अपने समक्ष आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करता है और उस आदेश को शून्य घोषित करके और अभिखंडित करके वह उस आदेश को अकृत करता है। प्रतिसंहरण द्वारा किसी आदेश को रद्द किए जाने और उच्च न्यायालय में निहित परम विशेषाधिकार अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसे अभिखंडित करने का अंतिम प्रभाव एक समान ही है परंतु वह रीति जिसमें स्थिति उत्पन्न हुई बिल्कुल भिन्न है और जबकि एक प्रक्रिया तो अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत आती है, दूसरी का कानून में कोई उल्लेख नहीं है और उसका प्रयोग प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के क्षेत्र के बाहर किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में जहां निरोध आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है, धारा 11 की उपधारा (2) लागू नहीं होगी और निरोध प्राधिकारी अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन्हीं आधारों पर एक अन्य आदेश पारित करने का हकदार नहीं है। (पैरा 10)

उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाया गया न्यायिक मत यह है कि निरोध के बार-बार आदेश न किए जाएं। अधिनियम की धारा 11(2) में उपबंध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करते हुए, संसद् इस विचार से अवगत थी और बार-बार आदेश करने की शक्ति प्रदत्त करते हुए, उपधारा (1) के अधीन शक्ति के प्रयोग को सीमित स्थितियों तक ही रक्षोपाय उपबंधित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में भी जहां न्यायालय ने निरोध आदेश को अकृत करने के लिए हस्तक्षेप किया है, धारा 3 के अधीन विहित प्राधिकारी को शक्ति का प्रयोग करने के अधिकार प्रदान करने से जटिल स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और धारा की स्कीम को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत है कि जहां कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किया जाता है, तो धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन नए आदेश करने की शक्ति प्रयोग किए जाने हेतु उपलब्ध नहीं होगी। (पैरा 11)

अत: 'रिवोक' (प्रतिसंहरण करना) क्रिया तथा उसकी संज्ञा का सही अर्थ इस बात का द्योतक है कि प्रतिसंहरण जो कुछ किया गया उसके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है। 'रिवोक' (प्रतिसंहरण करना) शब्द से अभिप्राय "उसी शक्ति द्वारा रद्द किए जाने का विचार जिसने आरंभत: कार्रवाई की और न कि शक्ति अथवा अधिकारिता रखने वाले किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा आरंभिक आदेश को अपास्त करना। इसका अर्थ निराकरण नहीं है"। (पैरा 9)

दाण्डिक आरम्भिक अधिकारिता : 1984 के रिट पिटीशन (दाण्डिक) सं० 1541 और 1542.

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन किए गए रिट पिटीशन।

पिटीशनरों की ओर से ... श्री राम जेठमलानी, कुमारी कामिनी जायसवाल और श्री जे० बी० पटेल

प्रत्यर्थियों की ओर से ... श्री टी० यू० मेहता, श्रीमती एच० वाही और श्री आर० एन० पोद्दार

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति रंगनाथ मिश्र ने दिया।

न्यायाधिपति रंगनाथ मिश्र—

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल किए गए इन आवेदनों में से प्रत्येक में पिटीशनर ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (काफेपोसा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) के अधीन उसके विरुद्ध पारित निरोध आदेश को चुनौती दी है। चूंकि तथ्य लगभग समान ही हैं और सामूहिक रूप में दलीलें दी गई हैं,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh
इसलिए इन दोनों आवेदनों को एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. रिट पिटीशन सं० 1541/81 में पिटीशनर को अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन तारीख 7 दिसम्बर, 1983 को किए गए आदेश के अनुसार तारीख 28 दिसम्बर, 1983 से निरुद्ध किया गया था। उस निरोध को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष तारीख 22 जनवरी, 1984 को रिट पिटीशन फाइल करके आक्षेपित किया गया था। जबकि उक्त आवेदन की सुनवाई की जा रही थी, निरोध आदेश को तारीख 5 अप्रैल, 1984 को वापस ले लिया गया, परंतु उसी दिन अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन एक अन्य आदेश उसके निरोध के लिए निदेश देते हुए पारित किया गया और उसे उसी दिन से उस आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया था। द्वितीय निरोध आदेश को एक नए रिट पिटीशन द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उस न्यायालय की खण्ड न्यायापीठ ने तारीख 8 अगस्त, 1984 के आदेश द्वारा उसे यह अभिनिर्धारित करते हुए अभिखंडित कर दिया कि निरोध आदेश से संविधान के अनुच्छेद 22(5) का अतिक्रमण होता था और पिटीशनर को छोड़ देने का निदेश दिया। तारीख 20 अगस्त, 1984 को पिटीशनर को निरुद्ध करने के लिए एक और नवीन आदेश पारित किया गया और उसी दिन से पिटीशनर को पुन: निरुद्ध कर लिया गया। निरोध की तारीख को पिटीशनर को निरोध के आधारों के साथ-साथ दस्तावेज भी प्रदान किए गए। उसी निरोध आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल किया गया है।

3. जहां तक रिट पिटीशन सं० 1542/84 में पिटीशनर का संबंध है, उसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन तारीख 2 जनवरी, 1984 के आदेश के अनुसरण में तारीख 12 जनवरी, 1984 से निरुद्ध किया गया था। उस निरोध-आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया और रिट पिटीशन की सुनवाई के अनुक्रम में निरोध-आदेश तारीख 5 अप्रैल, 1984 को वापस ले लिया गया। ठीक उसी दिन एक अन्य निरोध-आदेश पारित किया गया और पिटीशनर को उसी तारीख से निरुद्ध कर लिया गया। तारीख 10 अप्रैल, 1984 को पिटीशनर ने एक द्वितीय रिट पिटीशन फाइल करके अपने निरोध को आक्षेपित किया। तारीख 8 अगस्त, 1984 को उच्च न्यायालय ने संबंधित रिट पिटीशन में दिए गए समान आधारों पर उस निरोध-आदेश को अभिखंडित कर दिया। तारीख 20 अगस्त, 1984 को एक नया निरोध-आदेश किया गया जिसके अधीन पिटीशनर को अभिरक्षा में ले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh
लिया गया। उसके रिट पिटीशन में उस निरोध-आदेश को आक्षेपित किया गया है।

4. इस न्यायालय के समक्ष इन रिट पिटीशनों के लंबित रहने के दौरान अधिनियम में 1984 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 58 द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम को तारीख 30 अगस्त, 1984 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई परन्तु वह तारीख 31 जुलाई, 1984 से प्रभावी हुआ। 1974 के प्रधान अधिनियम की धारा 9 में इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संशोधन किया गया और संशोधित उपबंध ने केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो उस सरकार के अपर सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है, अपने समाधान के आधार पर यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया कि निरुद्ध व्यक्ति—"(क) ऐसे क्षेत्र में, जो तस्करी के लिए अधिक उपयुक्त है, माल तस्करी करके लाता है, उस क्षेत्र से बाहर ले जाता है, अथवा उस क्षेत्र से होकर ले जाता है या उसके द्वारा ऐसा करना संभाव्य है; अथवा (ख) ऐसे क्षेत्र में, जो तस्करी के लिए अधिक उपयुक्त है, माल तस्करी करके लाने के लिए, उस क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए अथवा उस क्षेत्र से होकर ले जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है या उसका दुष्प्रेरित करना संभाव्य है; अथवा (ग) ऐसे क्षेत्र में, जो तस्करी के लिए अधिक उपयुक्त है, तस्करित माल के परिवहन या छिपाने या रखने में लगा हुआ है या जिसका इस प्रकार लगा रहना संभाव्य है।" संशोधित उपबंध द्वारा यथा-अनुध्यात घोषणा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अपर सचिव द्वारा तारीख 18 सितम्बर, 1984 को प्रत्येक पिटीशनर की बाबत की गई और उस घोषणा को प्रत्यर्थियों के शपथपत्र के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की धारा 10 के अधीन निरोध की अधिकतम अवधि एक वर्ष है जहां धारा 9 का अवलंब नहीं लिया जाता, परन्तु जहां ऐसी घोषणा की जाती है, वहां अधिकतम अवधि दो वर्ष तक बढ़ा दी जाती है। जब न्यादेश जारी किया गया, तो विरोध में एक शपथ-पत्र निरोध-आदेश को न्यायसंगत ठहराते हुए फाइल किया गया और पिटीशनर ने भी एक प्रत्युत्तर फाइल किया है।

5. इन रिट पिटीशनों में से प्रत्येक में निरुद्ध व्यक्ति की ओर से उपस्थित होते हुए श्री जेठमलानी ने अनेक दलीलें दीं परन्तु अंततोगत्वा उनमें से एक पर बल दिया जो हमारी राय में प्रत्येक पिटीशनर को सफल बनाने तथा उसके निरोध-आदेश को अभिखंडित करने का हक प्रदान करती है। वह दलील यह है कि अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति वहां प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है जहां अधिनियम की धारा 11(1),

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधीन पूर्ववर्ती निरोध-आदेश को वापस नहीं लिया गया हो परन्तु उसे उच्च न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित कर दिया गया हो। काउन्सेल द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दे को व्यापक रूप में समझने के लिए अधिनियम की धारा 11 को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 11 में उपबंधित है : "(1) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि किसी भी निरोध-आदेश को, किसी भी समय—(क) इस बात के होते हुए भी कि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया था, उस राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिसंहृत या उपांतरित किया जा सकेगा; (ख) इस बात के होते हुए भी कि आदेश केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया था, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिसंहृत या उपांतरित किया जा सकेगा; (2) निरोध-आदेश के प्रतिसंहृत किए जाने से उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अन्य निरोध-आदेश का किया जाना वर्जित न होगा।"

6. निवारक निरोध की विधि को, जिसकी परिधि के अन्तर्गत यह अधिनियम आता है, हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया है। अत:, निवारक निरोध के विधानों को संविधान के अधिकारातीत होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा अनेक अवसरों पर खण्डन किया जा चुका है। विभिन्न कानूनों द्वारा निवारक निरोध से संबंधित जिन अंत:निर्मित रक्षोपायों को उपबंधित किया गया है, वे विधिसम्मत शासन को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किए गए हैं। इस बात पर न्यायिक मतैक्य है कि प्रश्नगत अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व निवारक निरोध की विधि के अधीन निरोध के पुनरुक्त आदेश पारित नहीं किए जा सकते थे। इस न्यायालय ने स्पष्टतया यह उपदर्शित किया था कि वैसे ही आधारों पर एक से अधिक उत्तरवर्ती निरोध-आदेशों का पारित किया जाना विधिमान्य नहीं होगा। पूर्वोक्त विधिक स्थिति के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 11(2) "उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अन्य निरोध-आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करती है। दोनों पक्षकारों के काउन्सेल इस बात पर सहमत हैं कि इन मामलों में किए गए समस्त तीनों निरोध-आदेश उन्हीं आधारों पर थे। प्रत्यर्थियों की ओर से श्री मेहता ने इस बात को माना है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित यथा-विद्यमान विधि और अधिनियम की धारा 11(2) के उपबंधों के कारण आक्षेपित आदेश एक क्षण भी कसौटी पर टिक नहीं पाएंगे।

7. श्री जेठमलानी का आशय इन रिट पिटीशनों में धारा 11 की उपधारा (2) की शक्तिमत्ता पर विवाद उठाना नहीं है अपितु उन्होंने यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दलील दी है कि धारा 11 की उप-धारा (2) की परिधि और क्षेत्र का उप-धारा (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रतिसंहरण के आदेशों तक विस्तार है। अन्यथा कथन करते हुए, उप-धारा (1) के अंतर्गत न आने वाली स्थितियों में उप-धारा (2) के अधीन आदेश नहीं किया जा सकता। धारा 11 का शीर्षक "निरोध-आदेश का प्रतिसंहरण" है। उप-धारा (1) दो प्रधिकारियों को प्रतिसंहरण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्, (क) यदि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो वह राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकती है; और (ख) यदि आदेश केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तो प्रतिसंहरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय है। धारा 11 की उप-धारा (1) उपदर्शित करती है कि इसके अधीन प्रदत्त शक्ति खण्ड (क) और (ख) में परिकल्पित स्थितियों में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रयोग की जा सकती है। उस धारा में यह उपबंधित है कि आदेश जारी करने की शक्ति में वह शक्ति भी सम्मिलित है जो वैसे ही रूप में प्रयोग की जा सकती है और वैसी ही मंजूरी और शर्तों के अध्यधीन हैं, जो किसी भी रूप में, ऐसे आदेशों में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा विखण्डित करने के लिए की जाती है। अतः साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन निरोध-आदेश करने वाला प्राधिकारी उसे विखण्डित करके उस आदेश को वापस लेने का हकदार होगा। हम श्री जेठमलानी के इस निवेदन से सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 11(1) में प्रयुक्त "साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्द उस विधायी आशय को अभिव्यक्त करते हैं कि उस अधिकार को प्रभावित किये बिना जिसे प्राधिकारी साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन आदेश पारित करने के लिए सशक्त है, निरोध-आदेश भी अधिनियम की धारा 11(1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा प्रतिसंहृत अथवा उपांतरित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 11(1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन नामित प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये प्राधिकारीगण, जिन्हें अधिनियम के अधीन ऐसी शक्ति प्रदत्त की गई है, उन प्राधिकारियों से भिन्न हैं जिन्होंने आदेश किये हैं। अतः, ऐसी शक्ति का प्रदान करना आवश्यक था क्योंकि संसद् ने ठीक ही यह पाया कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः, किसी भी रूप में प्रभाव

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डाले बिना और साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 21 के अधीन आरंभिक प्राधिकारी की आदेश करने की शक्ति को अभिव्यक्ततः संरक्षित करते हुए, नामित प्राधिकारियों को प्रतिसंहरण अथवा उपांतरण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

8. कानूनों के निर्वचन से संबंधित नियम इतना सुस्थापित है कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि जब तक अभिव्यक्ततः अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा कोई प्रतिकूल आशय प्रकट नहीं होता तो कानून में प्रयुक्त शब्दों को वही अर्थ दिया जाना चाहिए। यह स्थिति वहां और भी अधिक सही है जहां शब्द एक ही धारा के दो भागों में आता है। अतः, हम पिटीशनरों के काउन्सेल द्वारा दी गई इस दलील से सहमत हैं कि उप-धारा (2) में प्रयुक्त 'प्रतिसंहरण' शब्द का वही अर्थ है और उन्हीं स्थितियों तक सीमित है जो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में उपबंधित है। इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ है कि उप-धारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग उप-धारा (1) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में किया जाएगा।

9. यह हमें 'प्रतिसंहरण' शब्द के सही अर्थ की बाबत श्री जेठमलानी के निवेदन की मान्यता की परीक्षा करने के लिए अग्रसर करता है। 'प्रतिसंहरण करना' (रिवोक) क्रिया है और 'प्रतिसंहरण' (रिवोकेशन) उसकी संज्ञा है। इन शब्दों की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है और, इसलिए, इन शब्दों का सामान्य ज्ञान के आधार पर अर्थ लेना पड़ेगा। ब्लेक की लॉ डिक्शनरी में 'रिवोक' (प्रतिसंहरण करना) का अर्थ "किसी मंजूर किये गए प्राधिकार अथवा वस्तु का वापस लेना अथवा विनष्ट करना अथवा किसी ऐसे विलेख को शून्य करना जो प्रतिसंहरण कृत्य द्वारा इसके शून्य किये जाने तक विद्यमान था।" व्हारटन के लॉ लेक्सिकन में इसका अर्थ "किसी मंजूर की गई बात को बिगाड़ना अथवा किसी ऐसे विलेख को विनष्ट करना अथवा शून्य करना जो प्रतिसंहरण कृत्य द्वारा इसके शून्य किये जाने तक विद्यमान था" है। द शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'रिवोकेशन' (प्रतिसंहरण) शब्द का अर्थ "वापस लेने की कारवाई; व्यक्तियों का वापस बुलाना; बुलाने अथवा वापसी के समन; विखण्डित अथवा बातिल, प्रत्याहृत करने की कारवाई···" है। 'रिवोक' (प्रतिसंहरण करना) शब्द का अर्थ "वापस बुलाना, वापस लाना, प्रत्यावर्तन करना, मुकर जाना, प्रत्याहृत करना, पूर्वमत में परिवर्तन करना, स्वयं को वापस लेना" है। अतः 'रिवोक' (प्रतिसंहरण करना) क्रिया उसकी तथा संज्ञा का यही अर्थ इस बात का द्योतक प्रतीत होता है कि प्रतिसंहरण जो कुछ किया गया उसके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है। वेबस्टर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की थर्ड न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार, "प्रत्यावर्तन अथवा वापस बुलाना" शब्द का अर्थ "ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी पूर्वतन किये हुए को वातिल करने का अधिकार रखता है।" कॉरपस जूरिस सेकण्डम, 1952 संस्करण, खण्ड 77 के अनुसार 'रिवोक' (प्रतिसंहरण करना) शब्द से अभिप्राय "उसी शक्ति द्वारा रद्द किये जाने का विचार जिसने आरंभतः कार्रवाई की और न कि शक्ति अथवा अधिकारिता रखने वाले किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा आरंभिक आदेश को अपास्त करना। इसका अर्थ निराकरण नहीं है।"

10. धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन प्रदत्त शक्ति वास्तव में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन मान्य शक्ति का विस्तार है और जबकि साधारण खंड अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने आदेश किये, अधिनियम की धारा 11(1) के खंड (क) और (ख) के अधीन नामित प्राधिकारीगण भी प्रतिसंहरण की शक्ति का प्रयोग करने के हकदार हैं। जब उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है तो यह प्रतिसंहरण का आदेश नहीं करता। बन्दी प्रत्यक्षीकरण अथवा सर्टियोरेराई जैसी परम विशेषाधिकार रिट जारी करके यह अपने समक्ष आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करता है और उस आदेश को शून्य घोषित करके और अभिखंडित करके वह उस आदेश को अकृत करता है। प्रतिसंहरण द्वारा किसी आदेश को रद्द किये जाने और उच्च न्यायालय में निहित परम विशेषाधिकार अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उसे अभिखंडित करने का अंतिम प्रभाव एक समान ही है परंतु वह रीति जिसमें स्थिति उत्पन्न हुई, बिल्कुल भिन्न है और जबकि एक प्रक्रिया तो अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत आती है, दूसरी का कानून में कोई उल्लेख नहीं है और उसका प्रयोग प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के क्षेत्र के बाहर किया जाता है। अतः, हमारा यह स्पष्ट मत है कि ऐसी स्थिति में जहां निरोध-आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है, धारा 11 की उपधारा (2) लागू नहीं होगी और निरोध प्राधिकारी अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन्हीं आधारों पर एक अन्य आदेश पारित करने का हकदार नहीं है।

11. हमारा यह मत है कि यही विधायी स्कीम प्रतीत होती है। इस न्यायालय द्वारा सुनाया गया न्यायिक मत यह है कि निरोध के बार-बार आदेश न किये जाएं। अधिनियम की धारा 11(2) के उपबंध करते हुए संसद्

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस विचार से अवगत थी और बार-बार आदेश करने की शक्ति प्रदत्त करते हुए, उप-धारा (1) के अधीन शक्ति के प्रयोग को सीमित स्थितियों तक ही रक्षोपाय उपबंधित किये गए हैं। ऐसी स्थिति में भी जहां न्यायालय ने निरोध-आदेश को अकृत करने के लिए हस्तक्षेप किया है, धारा 3 के अधीन विहित प्राधिकारी को शक्ति का प्रयोग करने के अधिकार प्रदान करने से जटिल स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और धारा की स्कीम को ध्यान में रखते हुए हमारा यह स्पष्ट मत है कि जहां कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किया जाता है, तो धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन नए आदेश करने की शक्ति प्रयोग किये जाने हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

12. अपने इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, तारीख 20 अगस्त, 1984 को उन्हीं आधारों पर किये गए आदेश जिन पर कि निरोध के पूर्ववर्ती आदेश किये गए थे और जिन्हें उच्च न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया था, विधि में मान्य नहीं हैं। एक बार उन आदेशों के अविधिमान्य ठहराए जाने पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन की जाने वाली पश्चात्‌वर्ती घोषनाएं नहीं की जा सकतीं और उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। रिट पिटीशनों में विवाद्य अन्य समस्त प्रश्नों को, जिन पर श्री जेठमलानी ने हमारे समक्ष भागतः बहस की, उचित मामलों में परीक्षा हेतु छोड़ते हुए, हम इन रिट पिटीशनों को अपने उपरोक्त निष्कर्ष के तर्क-आधार पर मंजूर करते हैं। इन मामलों में से प्रत्येक के पिटीशनर को तत्काल छोड़ने के लिए निदेश किया जाता है।

पिटीशन मंजूर किये गए।

मदन/चन्द

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के० कमलजम्मन्निआवारु (मृत)
(अपने विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत)

बनाम

विशेष भूमि अर्जन अधिकारी

और

विशेष भूमि अर्जन अधिकारी

बनाम

के० कमलजम्मन्निआवारु (मृत)
(अपने विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत)

(14 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और सब्यसाची मुखर्जी)

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) (भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा यथा संशोधित)—धारा 23(2) और 30(2)—तोषण—अधिनिर्णय से सम्बन्धित लम्बित कार्यवाहियां—30 अप्रैल, 1982 के बाद और 24 सितम्बर, 1984 के पूर्व दिए गए अधिनिर्णयों पर तोषण को बढ़ाकर प्रतिकर का 30% कर दिया जाना—बढ़ाया गया तोषण, उक्त कालावधि के बीच किए गए अधिनिर्णयों को और उनसे उद्भूत होने वाली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलों को लागू होता है।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के अधीन तारीख 28 नवम्बर, 1957 को निकाली गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में किए गए भूमि अर्जन की बाबत, भूमि अर्जन अधिकारी ने कतिपय भूमि के लिए 5,250.00 रुपए और एक अन्य भूमि के लिए 800.00 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रतिकर अधिनिर्णीत किया। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश किए जाने पर, सिविल न्यायालय ने प्रतिकर बढ़ाकर पूर्वकथित भूमि के लिए 18,000 रुपए और पश्चात्कथित भूमि के लिए 14,250.00 रुपए कर दिये। अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने पूर्वकथित भूमि के लिए प्रतिकर बढ़ाकर 8,000.00 रुपए प्रति एकड़ और पश्चात्कथित भूमि के लिए 2,500.00 रुपए प्रति एकड़ कर दिये। दावेदार ने प्रतिकर में वृद्धि करने के लिए सिविल अपील फाइल की है और कर्नाटक राज्य ने उसे कम करने के लिए सिविल अपीलें फाइल की हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निकाला कि इन अपीलों में से किसी में भी सिद्धांत का कोई भी प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—संसद् की इच्छा स्पष्टतया, विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की तारीख से भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 की संशोधित धारा 23(2) को प्रभावी बनाने की थी। अतः संशोधित उपबंध धारा 30(2) द्वारा 30 अप्रैल, 1982 और 24 सितम्बर, 1984 के बीच कलक्टर या न्यायालय द्वारा किये गये अधिनिर्णयों को भी अभिव्यक्त रूप से लागू किया गया। स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि नवीन उपबंध ऐसे अधिनिर्णयों, अर्थात् 30 अप्रैल, 1982 तथा 24 सितम्बर, 1984 के बीच किए गए अधिनिर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों में किये गए आदेशों को लागू होना चाहिए। संसद् का यह आशय नहीं था और न ही यह हो सकता था कि अधिनिर्णय की तारीख चाहे कोई भी हो और वह कितना भी पुराना क्यों न हो, तोषण को बढ़ाकर "तीस प्रतिशत" तब कर दिया जाएगा, यदि संयोग से अथवा किसी कारणवश अपील 30 अप्रैल, 1982 को लम्बित है। निश्चय ही संसद् का यह आशय नहीं था कि उन लोगों को इनाम दिया जाए जिन्होंने अनेक वर्षों के पश्चात् भी मुकदमेबाजी को बनाए रखा। यदि संसद् का आशय संशोधित धारा 23(2) प्रतिकर से सम्बन्धित उन सब कार्यवाहियों को लागू करना था जो कि कहीं भी लम्बित हों, तो धारा 30(2) में आए हुए "30 अप्रैल, 1982 के पश्चात् (जो कि लोक सभा में भूमि अर्जन संशोधन विधेयक, 1982 के पुरःस्थापन की तारीख है)" और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व शब्द निरर्थक हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि संसद् यह चाहती थी कि संशोधित धारा 23(2) को बहुत ही सीमित भूतलक्षिता दी जाए। उसने यह उपबंध 30 अप्रैल, 1982 के पश्चात् और 24 सितम्बर, 1984 से पूर्व किए गए अधिनिर्णयों को तथा आगे ऐसे अधिनिर्णयों से उद्भूत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में की जाने वाली अपीलों को भी लागू किया था। (पैरा 3)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1970 की सिविल अपील सं० 2196 और 1972 की सिविल अपील सं० 2713-14.

1965 की एम० एफ० सं० 155 और 168 में बंगलोर-मैसूर उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रमाण-पत्र लेकर की गई अपीलें।

अपीलार्थी की ओर से (सिविल अपील सं० 2196 में) और	श्री के० एन० भट्ट और कुमारी मधु मूलचन्दानी
(सिविल अपील सं० 2713-14 में)	श्री के० राजेन्द्रन चौधरी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री के० एन० भट्ट और कुमारी
(सिविल अपील सं० 2713-14 में) और मधुमूलचन्दानी
(सिविल अपील सं० 2196 में) श्री के० राजेन्द्रन चौधरी

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ने दिया ।

न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी—

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन तारीख 28 नवम्बर, 1957 को निकाली गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में किए गए भूमि अर्जन की बाबत, भूमि अर्जन अधिकारी ने क्रम सं० 83 में दिखाई गई भूमि के लिए 5,250.00 रुपए और क्रम सं० 74 के सामने वर्णित भूमि के लिए 800.00 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रतिकर अधिनिर्णीत किया । भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश किए जाने पर, सिविल न्यायाधीश ने प्रतिकर बढ़ाकर क्रम सं० 83 में दिखाई गई भूमि के लिए 18,000 रुपए और क्रम सं० 74 में दिखाई गई भूमि के लिए 14,250.00 रुपए कर दिये । अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने क्रम सं० 83 में दिखाई गई भूमि के लिए प्रतिकर बढ़ाकर 8,000.00 रुपए प्रति एकड़ और क्रम सं० 74 में दिखाई गई भूमि के लिए 2,500.00 रुपए प्रति एकड़ कर दिये । दावेदार ने प्रतिकर में वृद्धि करने के लिए 1970 की सिविल अपील सं० 2196 फाइल की है और कर्नाटक राज्य ने उसे कम करने के लिए 1972 की सिविल अपीलें सं० 2713 और 2714 फाइल की हैं । हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि इन अपीलों में से किसी में भी सिद्धांत का कोई भी प्रश्न अंतर्वलित है और तद्नुसार हमारे लिए उन्हें खारिज करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जाता ।

2. तथापि, दावेदार द्वारा फाइल की गई अपील में, विद्वान् काउन्सेल, श्री के० एन० भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 को देखते हुए, उसका मुवक्किल प्रतिकर के 15% की बजाय उसके 30% के बराबर तोषण संदत्त किये जाने का हकदार है, जिसका हकदार निचले न्यायालय ने उसे असंशोधित अधिनियम के अधीन ठहराया है । उसने संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 15(ख) और धारा 30(2) का अवलम्ब लिया जो निम्न पदों में हैं—

*"15. मूल अधिनियम की धारा 23 में,
(क) ....

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"15. In Section 23 of the principal Act,
(a) ....

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ख) उपधारा (2) में 'पन्द्रह प्रतिशत' शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

....

....

30. (1) ....

(2) इस अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (ख) और धारा 18 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की क्रमशः धारा 23 की उपधारा (2) और धारा 28 के उपबंध कलक्टर या न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अधिनिर्णय या किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश को और उसके संबंध में लागू होंगे तथा उसको और उसके संबंध में लागू हुए समझे जाएंगे, जो 30 अप्रैल, 1982 [भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982 के लोक सभा में पुरःस्थापन की तारीख] के पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिया गया है।"

3. श्री के० एन० भट्ट का निवेदन यह कि संशोधन अधिनियम की धारा 30(2) ने धारा 23(2) जिसने तोषण को बढ़ाकर तीस प्रतिशत कर

(b) In sub-section (2) for the words 'fiifteen per centum', the words thirty per centum" shall be substituted.

....

....

"30. (1) ....

(2) The provisions of sub-section (2) of section 23 and section 28 of the principal Act as amended by clause (b) of section 15 and section 18 of this Act respectively, shall, apply, and shall be deemed to have applied, also to, and in relation to, any award made by the Collector or Court or to any order passed by the High Court or Supreme Court in appeal against any such award under the provisions of the Principal Act after the 30th day of April, 1982 [the date of introduction of the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1982, in the House of the People] and before the commencement of this Act."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दिया था, उस प्रतिकर से जो अन्तिम नहीं हुआ था, चाहे वह कलक्टर, न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हो, सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों को लागू किया था। हम श्री भट्ट के निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हैं। इस समय यह ध्यान में रखना सर्वथा उचित है कि धारा 11 के अधीन कलक्टर द्वारा तथा धारा 18 के अधीन निर्देश किए जाने पर न्यायालय द्वारा किए गए अधिनिर्णयों के बारे में भूमि अर्जन अधिनियम में वर्णन किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आगे अपीलें किए जाने का उपबंध किया गया है। वास्तव में, नवीन धारा 23(2) अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, अर्थात् 9 सितम्बर, 1984 के बाद, जो कि वह तारीख है जिसको राष्ट्रपति ने अनुमति दी, कलक्टर या न्यायालय द्वारा किए गए अधिनिर्णयों को निश्चित रूप से लागू होता है। जो विधेयक अंततोगत्वा संशोधन अधिनियम हो गया, संसद् में 30 अप्रैल, 1982 को पुरःस्थापित किया गया। संसद् की इच्छा स्पष्टतया, विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की तारीख से संशोधित धारा 23(2) को प्रभावी बनाने की थी। अतः संशोधित उपबंध धारा 30(2) द्वारा 30 अप्रैल, 1982 और 24 सितम्बर, 1984 के बीच कलक्टर या न्यायालय द्वारा किये गए अधिनिर्णयों को भी अभिव्यक्त रूप से लागू किया गया। स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि नवीन उपबंध ऐसे अधिनिर्णयों, अर्थात् 30 अप्रैल, 1982 तथा 24 सितम्बर, 1984 के बीच किये गए अधिनिर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों में किये गए आदेशों को लागू होना चाहिए। संसद् का यह आशय नहीं था और न ही यह हो सकता था कि अधिनिर्णय की तारीख चाहे जो भी हो और वह कितना भी पुराना क्यों न हो, तोषण को बढ़ाकर "तीस प्रतिशत" तब कर दिया जाएगा, यदि संयोग से अथवा किसी कारणवश अपील 30 अप्रैल, 1982 को लम्बित है। निश्चय ही संसद् का यह आशय नहीं था कि उन लोगों को इनाम दिया जाए जिन्होंने अनेक वर्ष के पश्चात् भी मुकदमेबाजी को बनाए रखा। यदि संसद् का आशय संशोधित धारा 23(2) प्रतिकर से सम्बन्धित उन सब कार्यवाहियों को लागू करना था जो कि कहीं भी लम्बित हों, तो धारा 30(2) में आए हुए "30 अप्रैल, 1982 के पश्चात् (जो कि लोक सभा में भूमि अर्जन संशोधन विधेयक, 1982 के पुरःस्थापन की तारीख है)" और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व शब्द निरर्थक हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि संसद् यह चाहती थी कि संशोधित धारा 23(2) को बहुत ही सीमित भूतलक्षिता दी जाए। उसने यह उपबन्ध 30 अप्रैल, 1982 के पश्चात् और 24 सितम्बर, 1984 से पूर्व किए गए अधिनिर्णयों को तथा आगे ऐसे अधिनिर्णयों से उद्भूत उच्च

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में की जाने वाली अपीलों को भी लागू किया था। इस दृष्टिकोण से, हमें श्री भट्ट के निवेदन में कोई भी बल दिखाई नहीं पड़ता। सब अपीलें खारिज की जाती हैं। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता।

अपीलें खारिज की गईं।

मदन/श्री०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जे० आर० वोहरा

बनाम

मसर्स इण्डिया एक्सपोर्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य

(14 फरवरी, 1985)

(न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर, रंगनाथ मिश्र और वी० खालिद)

दिल्ली रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1958 (1958 का 59)—धारा 21—कब्जा वापस लेने के बारे में नोटिस दिये जाने का विस्तार—किराया नियंत्रक द्वारा निवासीय प्रयोजनों के लिए तीन वर्ष तक की किराएदारी की सृष्टि किए जाने की अनुज्ञा दी जानी—तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर कब्जा विषयक वारन्ट का जारी किया जाना—किन्तु किराएदार को इस सम्बन्ध में किसी भी सूचना का न दिया जाना—ऐसी स्थिति में, विधि के अधीन किराएदार की बेदखली करने के लिए उस पर पूर्व-सूचना की तामील अपेक्षित नहीं है—अतः यदि किराया नियंत्रक उक्त सूचना दिए बिना कब्जा विषयक वारन्ट जारी कर देता है, तो उसे अवैध, अविधिमान्य या अनुचित नहीं माना जा सकता।

अपीलार्थी द्वारा 34, पश्चिमी मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली स्थित मकान के संबंध में, जिसका मासिक किराया पांच हजार रुपये प्रतिमास है, तारीख 1 जून, 1979 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की सीमित कालावधि के लिए किराएदारी, अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम प्रत्यर्थी कम्पनी के चेयरमैन के निवास के लिए प्रथम प्रत्यर्थी कम्पनी के पक्ष में सृजित की गई थी। किराएदारी के निबंधन और शर्तों वाला प्रस्तावित पट्टा-विलेख आवेदन के साथ संलग्न किया गया था। उसके खण्ड 2 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा परिसरों का उपयोग केवल कम्पनी के चेयरमैन (द्वितीय प्रत्यर्थी) के निवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। तारीख 10 मई, 1979 को पक्षकार किराया नियंत्रक के समक्ष हाजिर हुए थे और उनके कथन अभिलिखित किये गए। द्वितीय प्रत्यर्थी ने शपथ पर यह कहा है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा परिसर तारीख 1 जून, 1979 से तीन वर्ष के लिए पांच हजार रुपये मासिक किराए पर कम्पनी के चेयरमैन (उसके स्वयं के लिए) के निवास के लिए लिए गए थे तथा पट्टेदार उस कालावधि की समाप्ति पर परिसर खाली कर देगा। किराएदारी तारीख 31 मई, 1982 को समाप्त होनी थी। अपीलार्थी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उक्त कालावधि की समाप्ति पर मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए इच्छुक था। उसने अधिनियम की धारा 21 के अधीन कब्जे के लिए आवेदन करने से पूर्व तारीख 1 मार्च, 1982 और तारीख 5 मई, 1982 के दो रजिस्ट्रीकृत पत्रों द्वारा देय तारीख को पट्टे पर दिये गए परिसरों का खाली कब्जा सौंपने के लिए अपीलार्थियों को कहा था, चूंकि किराया नियंत्रक द्वारा मंजूर की गई कालावधि समाप्त हो रही थी और उसे स्वयं के लिए परिसरों की आवश्यकता थी। इन पत्रों का भी उत्तर नहीं दिया गया था और न ही परिसरों का कब्जा सौंपा गया था इसलिए अपीलार्थी ने तारीख 1 जुलाई, 1982 को किराया नियंत्रक के समक्ष कब्जा वापस पाने के लिए धारा 21 के अधीन आवेदन फाइल किया था। आवेदन उसी दिन रजिस्ट्रीकृत करने के लिए निदेश दिया गया था तथा अपीलार्थी को तारीख 16 जुलाई, 1982 को नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करने के लिए निदेश दिया गया था। तथापि अपीलार्थी ने तारीख 6 जुलाई, 1982 को ही नक्शे (प्लान) की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल कर दी थी। इसलिए किराया नियंत्रक ने नक्शा फाइल करने के लिए नियत तारीख 16 जुलाई, 1982 रद्द कर दी थी और नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर ग्रहण कर ली थी और अपीलार्थी के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी किया था। तारीख 9 जुलाई, 1982 को अपीलार्थी ने बेलीफ के मार्फत मकान का कब्जा ले लिया था और उसने उक्त मकान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था। तारीख 14 जुलाई, 1982 को प्रत्यर्थियों ने तारीख 6 जुलाई, 1982 को किराया नियंत्रक द्वारा जारी किये गए कब्जे के वारंट और उसके अनुसरण में की गई अतिरिक्त कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल किया था। उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन मंजूर कर लिया था और किराया नियंत्रक द्वारा जारी किया गया कब्जे का वारंट अभिखंडित कर दिया था तथा ऐसे कब्जे के वारंट के जारी किये जाने के बारे में किराएदार के आक्षेपों की सुनवाई और न्यायनिर्णयन के लिए मामला किराया नियंत्रक को वापस भेज दिया था और इस बीच यह भी निदेश दिया था कि किराएदार को कब्जा वापस दिलाया जाए। ऐसा करने में उच्च न्यायालय का यह मत था कि अधिनियम की धारा 21 के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए किराए-दार को नोटिस जारी किए बिना मकान-मालिक के पक्ष में वारंट जारी नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा इस अपील में उच्च न्यायालय के इसी मत को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। अपील में उठाया गया एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कब्जा वापस पाने के लिए वारंट, दिल्ली

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1958 की धारा 21 के अधीन किराएदार को नोटिस दिये बिना मकान-मालिक के पक्ष में जारी किया जा सकता है। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—दिल्ली रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1958 की धारा 21 का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इसमें उल्लिखित सीमित कालावधि के लिए किराएदारियों के संबंध में धारा द्वारा केवल दो आदेश अनुध्यात है: (i) केवल किसी विशेष नियत कालावधि के लिए किराएदारी की सृष्टि को मंजूर करने वाले या अनुध्यात करने वाले किराया नियंत्रक का आदेश और (ii) उस कालावधि की समाप्ति पर किराएदार को और पट्टे पर दिये गए परिसर के प्रत्येक अन्य अधिभोगी को बेदखल करके मकान-मालिक को उक्त परिसर का खाली कब्जा दिलाने वाला किराया नियंत्रक का आदेश। यह बात भी स्पष्ट है कि प्रथम आदेश पारित करने से पूर्व किराया नियंत्रक को स्वयं का यह समाधान करना आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में धारा में उल्लिखित दो शर्तों को वास्तविक रूप से पूरा किया गया है अर्थात् (क) कि मकान-मालिक को केवल विशेष कालावधि के लिए परिसरों की आवश्यकता नहीं है और (ख) किराए पर परिसर निवासीय प्रयोजनों के लिए है न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। मकान-मालिक को किसी विशेष कालावधि के लिए परिसर की आवश्यकता के होने से विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं; उदाहरण के लिए अधिकारी होने से वह किसी विशेष कालावधि के लिए किसी अन्य नियत कार्य के लिए जा रहा हो या उसके अधिभोग में शासकीय क्वार्टर होने से उसे अपनी सेवा-निवृत्ति पर उस क्वार्टर को खाली करना पड़ सकता हो अथवा मकान के सन्निर्माण के लिए ऋण लेने से वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिसर का अधिभोग लेने से पूर्व उसकी अदायगी करना चाहता हो। इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि ऐसी सीमित किराएदारी की सृष्टि के लिए किराया नियंत्रक द्वारा अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व दोनों शर्तों को वास्तविक रूप से, न कि झूठ-मूठ रूप में पूरा किया जाना चाहिए। किन्तु एक बार ऐसी सीमित किराएदारी के उचित रूप से सृष्ट किए जाने पर, नियत कालावधि की समाप्ति पर किराएदार की बेदखली करके पट्टे पर दिये गए परिसर का खाली कब्जा मकान-मालिक को दिलाने का द्वितीय आदेश मामले के सम्यक् अनुक्रम में पारित किया जाना चाहिए क्योंकि किराएदार को, धारा में अन्तर्विष्ट सर्वोपरि खण्ड को देखते हुए कब्जे में बने रहने के लिए विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अधिकार या संरक्षण नहीं है और न ही उसकी बेदखली के लिए कोई प्रतिरक्षा है तथा इस धारा के अधीन मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करने से पूर्व किराएदार के विरुद्ध बेदखली का कोई भी आदेश पारित करने की बात अनुध्यात नहीं है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि धारा द्वारा अनुध्यात द्वितीय आदेश निष्पादन में की प्रक्रिया की प्रकृति का है जिसके अधीन किराएदार की बेदखली करके पट्टे पर दिये गए परिसर का खाली कब्जा मकान-मालिक को दिलवाया जाना चाहिए तथा मकान-मालिक को कब्जा दिलवाए जाने के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व कोई भी नोटिस अनुध्यात नहीं है। (पैरा 8)

जहां तक अधिनियम की धारा 56 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित दिल्ली रेंट कंट्रोल रूल्स, 1959 का संबंध है, उसमें केवल एक ही नियम है और वह नियम 5 है जो केवल परिसीमा की कालावधि के लिए यह कह करके उपबंध करता है कि धारा 21 के अधीन मकान-मालिक द्वारा कब्जा वापस लेने के लिए प्रत्येक आवेदन किराएदारी की कालावधि की समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर किया जाना चाहिए और किराएदार को बेदखल करने के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर नोटिस की तामील की अपेक्षा करने वाला कोई भी नियम नहीं है। (पैरा 9)

अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) जो कुछ उपबंध करती है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को सम्मिलित करने का है अर्थात् किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना और प्रस्तावित आदेश के बारे में उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार किये बिना पारित नहीं किया जाएगा। किन्तु किसी आदेश के बारे में किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश केवल तभी कहा जा सकता है जब उसका कोई अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो और जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, धारा 21 में अंतर्विष्ट सर्वोपरि खण्ड को देखते हुए किराएदार को सीमित कालावधि की समाप्ति पर कब्जे में बने रहने के लिए किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अधिकार या संरक्षण नहीं है और इस प्रकार किराएदार को उसके अधिभोग वाला परिसर खाली करने का निदेश देने के लिए कब्जे के वारंट के जारी किए जाने की बात इस प्रकार नहीं मानी जा सकती कि उससे उस पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए धारा 37(1) का अर्थान्वयन यह नहीं किया जा सकता कि वह किराएदार के विरुद्ध कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर पूर्व नोटिस के तामील की अपेक्षा करती है। अन्य शब्दों में न तो धारा 21 और न ही धारा 37 और न ही अधिनियम के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधीन विरचित नियम किराएदार को बेदखल किये जाने से पूर्व उस पर किसी पूर्व-नोटिस की तामील की अपेक्षा करते हैं और सीमित किराएदारी की समाप्ति पर पट्टे पर दिये गए परिसरों का कब्जा मकान-मालिक को दिलवाने के प्रयोजन के लिए किराएदार को पूर्व नोटिस दिए बिना धारा 21 के अधीन कब्जे का वारंट जारी करने का निदेश देने वाले आदेश की बाबत यह नहीं माना जा सकता कि वह अवैध, अविधिमान्य या अनुचित है। (पैरा 10)

धारा 21 और उससे संबंधित सुसंगत उपबंधों की स्कीम पट्टे पर दिये गए परिसर का कब्जा मकान-मालिक को दिलवाने के लिए किराए-दार के विरुद्ध कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर पूर्व नोटिस की तामील की अपेक्षा नहीं करती है, क्योंकि विधि को स्वयं अपनी विश्वस-नीयता बनानी चाहिए। (पैरा 11)

मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराए-दार से आक्षेप फाइल करने के लिए उसे आमंत्रित करने सम्बन्धी नोटिस तामील करने की कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है। (पैरा 13)

उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाने में गलती की है कि धारा 21 के अधीन कब्जा वापस लेने के लिए कोई भी वारंट किराएदार को नोटिस तामील किए बिना जारी नहीं किया जा सकता। अतः उच्चतम न्यायालय के मतानुसार, अपीलार्थी मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने के लिए निदेश देने वाला किराया नियंत्रक का आदेश और उसके अनुसरण में वादगत परिसर का उसे कब्जा दिलवाने वाली कार्यवाहियां विधिमान्य और उचित हैं और उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित नहीं की जानी चाहिए थीं। (पैरा 14)

यह बात अच्छी तरह सुस्थिर है कि कपट और दुस्संधि (विशेषतः दो असमान व्यक्तियों अर्थात् बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि) इस प्रकार दी गई अनुज्ञा को पूर्ण रूप से दूषित करेगी और उसे अस्तित्वहीन बनाएगी, इसलिए मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार के ऐसे अभिवाकों की सुनवाई करना और उनका न्याय-निर्णयन करना किराया नियंत्रक का कर्त्तव्य होगा। (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1980]	[1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281 : **एस० बी० नोरोनाह बनाम प्रेम कुमारी खन्ना**	5, 6, 11, 12

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिविल अपीली अधिकारिता : 1982 की सिविल अपील सं० 3381.

1982 के सिविल प्रकीर्ण (एम०) सं० 174 में दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 18 अक्तूबर, 1982 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री वी० एम० तारकुंडे, बी० दत्ता और श्री और श्रीमती ए० मिनोचा
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री एल० एन० सिन्हा और प्रमोद दयाल

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर ने दिया।

न्यायाधिपति तुलजापुरकर—

इस अपील में उठाया गया एक मात्र प्रश्न यह है कि क्या कब्जा वापस पाने के लिए वारंट, दिल्ली रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 21 के अधीन किराएदार को नोटिस दिये बिना मकान-मालिक के पक्ष में जारी किया जा सकता है ?

2. अपीलार्थी द्वारा 34, पश्चिमी मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली स्थित मकान के संबंध में, जिसका मासिक किराया पांच हजार रुपये प्रति मास है, तारीख 1 जून, 1979 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की सीमित कालावधि के लिए किराएदारी, अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम प्रत्यर्थी कम्पनी के चेयरमैन श्री सी० एन० सचदेव के निवास के लिए प्रथम प्रत्यर्थी कम्पनी के पक्ष में सृजित की गई थी।

3. यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त मकान अपने स्वयं के उपयोग और अधिभोग के लिए निर्मित किया गया था किन्तु उक्त मकान के निर्माण के लिए ऋण लेने के कारण वह मकान को अधिभोग में लेने से पूर्व उक्त ऋण का संदाय करने के लिए इच्छुक था और इसलिए उसने प्रथम प्रत्यर्थी कम्पनी को तीन वर्ष की सीमित कालावधि के लिए लिखित में किराएदारी का प्रस्ताव किया था और चूंकि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था इसलिए ऐसी सीमित किराएदारी सृजित करने के लिए धारा 21 के अधीन किराया नियंत्रक की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए तारीख 9 मई, 1979 को पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त आवेदन किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया था कि तीन वर्ष की किराएदारी इसलिए सृजित की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जा रही है चूंकि अपीलार्थी को निर्माण ऋण का संदाय करना है। किराए-दारी के निबंधन और शर्तों वाला प्रस्तावित पट्टा-विलेख आवेदन के साथ संलग्न किया गया था। उसके खण्ड 2 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा परिसरों का उपयोग केवल कम्पनी के चेयरमैन श्री सी० एन० सचदेव (द्वितीय प्रत्यर्थी) के निवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। तारीख 10 मई, 1979 को पक्षकार किराया नियंत्रक के समक्ष हाजिर हुए थे और उनके कथन अभिलिखित किये गए थे। द्वितीय प्रत्यर्थी ने शपथ पर यह कहा है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा परिसर तारीख 1 जून, 1979 से तीन वर्ष के लिए पांच हजार रुपए मासिक किराए पर कम्पनी के चेयरमैन (उसके स्वयं के लिए) के निवास के लिए लिये गए थे तथा पट्टेदार उस कालावधि की समाप्ति पर परिसर खाली कर देगा। किराया नियंत्रक ने इस बारे में समाधान हो जाने पर कि धारा 21 की अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं, उसी दिन पारित अपने आदेश द्वारा उक्त कालावधि के लिए किराएदारी के सृजन के लिए मंजूरी दे दी थी। किराए-दारी तारीख 31 मई, 1982 को समाप्त होनी थी। अपीलार्थी उक्त कालावधि की समाप्ति पर मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए इच्छुक था। उसने अधिनियम की धारा 21 के अधीन कब्जे के लिए आवेदन करने से पूर्व तारीख 1 मार्च, 1982 और तारीख 5 मई, 1982 के दो रजिस्ट्रीकृत पत्रों द्वारा देय तारीख को पट्टे पर दिये गए परिसरों का खाली कब्जा सौंपने के लिए अपीलार्थियों को कहा था चूंकि किराया नियंत्रक द्वारा मंजूर की गई कालावधि समाप्त हो रही थी और उसे स्वयं के लिए परिसरों की आवश्यकता थी। इन पत्रों का भी उत्तर नहीं दिया गया था और न ही परिसरों का कब्जा सौंपा गया था, इसलिए अपीलार्थी ने तारीख 1 जुलाई, 1982 को किराया नियंत्रक के समक्ष कब्जा वापस पाने के लिए धारा 21 के अधीन आवेदन फाइल किया था। आवेदन उसी दिन रजिस्ट्रीकृत करने के लिए निदेश दिया गया था तथा अपीलार्थी को तारीख 16 जुलाई, 1982 को नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करने के लिए निदेश दिया गया था। तथापि अपीलार्थी ने तारीख 6 जुलाई, 1982 को ही नक्शे (प्लान) की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल कर दी थी इसलिए किराया नियंत्रक ने नक्शा फाइल करने के लिए नियत तारीख 16 जुलाई, 1982 रद्द कर दी थी और नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर ग्रहण कर ली थी और अपीलार्थी के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी किया था। तारीख 9 जुलाई, 1982 को अपीलार्थी ने बेलीफ के मार्फत मकान का कब्जा ले लिया था और उसने उक्त मकान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

4. तारीख 14 जुलाई, 1982 को प्रत्यर्थियों ने तारीख 6 जुलाई, 1982 को किराया नियंत्रक द्वारा जारी किये गए कब्जे के वारंट और उसके अनुसरण में की गई अतिरिक्त कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन [1982 का सी० एम० सं० (मुख्य) 174] इन दो आधारों पर फाइल किया था : (क) कि सीमित कालावधि सृजित करने के लिए अनुज्ञा देने वाला तारीख 10 मई, 1979 का प्रारंभिक आदेश अपीलार्थी द्वारा किये गए कपट के कारण दूषित हो गया था क्योंकि उसने इस तथ्य को छिपाया था कि ऐसी अनुज्ञा के लिए पूर्ववर्ती आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि परिसर वाणिज्यिक एवं निवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया था और इसलिए ऐसा कोई निष्पादनीय आदेश नहीं था जिसके अनुसरण में कब्जे के लिए कोई भी वारंट अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी किया जा सकता था और (ख) कि किराएदार को नोटिस के बिना तारीख 6 जुलाई, 1982 को कब्जा वापस पाने के लिए वारंट का जारी किया जाना विधि के दृष्टिकोण से गलत था और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अतिक्रमण में था और इसलिए किराया नियंत्रक की ओर से नोटिस के इस प्रकार जारी न किये जाने से किराएदार कपट का उसका पक्षकथन साबित करने के अवसर से वंचित हो गया था। इस उत्तर द्वारा अपीलार्थी ने रिट पिटीशन में किये गए सभी अभिकथनों से इन्कार किया था और विशेष रूप से इस बात से इन्कार किया था कि परिसर वाणिज्यिक एवं निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिये गए थे अथवा पूर्ववर्ती अवसर पर वह अनुज्ञा उस आधार पर नामंजूर कर दी गई थी अथवा उसके द्वारा ऐसा कोई कपट किया गया था जैसा कि उस समय अभिकथन किया गया था जब अनुज्ञा देने वाला आदेश तारीख 10 मई, 1979 को पारित किया गया था। यह प्राख्यान किया गया था कि अनुज्ञा के लिए पूर्ववर्ती आवेदन नामंजूर नहीं किया गया था, किन्तु तकनीकी त्रुटि के कारण वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी ने इस बारे में भी विवाद किया था कि किराएदार को कोई भी नोटिस अधिनियम की धारा 21 के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए वारंट जारी करने से पूर्व अनुध्यात नहीं। उसने यह भी अभिवचन किया है कि मामले के तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थियों के पास अभिकथित कपट के उनके मामले को साबित करने के लिए किराया नियंत्रक के पास जाने का पर्याप्त अवसर था चूंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों को यह जानकारी देते हुए दो रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिये थे कि वह पट्टे की कालावधि की समाप्ति पर कब्जा वापस पाने का इच्छुक था और इसलिए विधि के दृष्टिकोण से किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

थी । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का सारवान रूप से पालन किया गया था । तारीख 18 अक्तूबर, 1982 के निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन मंजूर कर लिया था और किराया नियंत्रक द्वारा जारी किया गया कब्जे का वारंट अभिखण्डित कर दिया था तथा ऐसे कब्जे के वारंट जारी किये जाने के बारे में किराएदार के आक्षेपों की सुनवाई और न्याय-निर्णयन के लिए मामला किराया नियंत्रक को वापस भेज दिया था और इस बीच यह भी निदेश दिया था कि किराएदार को कब्जा वापस दिलाया जाए । ऐसा करने में उच्च न्यायालय का यह मत था कि अधिनियम की धारा 21 के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए किराएदार को नोटिस जारी किये बिना मकान-मालिक के पक्ष में वारंट जारी नहीं किया जा सकता । अपीलार्थी द्वारा इस अपील में उच्च न्यायालय के इसी मत को हमारे समक्ष चुनौती दी गई है ।

5. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के काउन्सेल की मुख्य दलील यह है कि न तो अधिनियम की धारा 21 और न ही उसके अधीन विरचित कोई भी नियम सीमित कालावधि की, जिसके लिए किराएदारी किराया नियंत्रक के आदेश के अधीन सृजित किये जाने के लिए अनुज्ञात की गई है, समाप्ति पर पट्टे पर दिये गए परिसरों का खाली कब्जा मकान-मालिक को दिलवाने के प्रयोजन के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को नोटिस की तामील अपेक्षित या अनुध्यात नहीं करता है । काउन्सेल ने यह दलील दी है कि धारा 21 ऐसी प्रक्रिया द्वारा किराएदार की संक्षिप्त बेदखली परिकल्पित करती है जो सीमित कालावधि के लिए किराएदारी सृजित करने वाले पूर्ववर्ती आदेश निष्पादित करने की प्रकृति की है, चूंकि कोई भी नवीन बेदखली आदेश अनुध्यात् नहीं है । विस्तृत जांच के अनुसरण में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को पूर्व नोटिस देने पर बल देना उस उद्देश्य और प्रयोजन को ही विफल करना होगा जिसके लिए अधिनियम में धारा 21 अधिनियमित और सम्मिलित की गई है। इस न्यायालय द्वारा यह बात **एस० बी० नोरोनाह** बनाम **प्रेम कुमारी खन्ना**[1] के मामले में समझाई गई है । धारा 21 का एक और प्रयोजन मकान-मालिक को यह आश्वासन देने का है कि वह किराएदारी की नियत कालावधि की समाप्ति पर तुरंत ही कब्जा वापस प्राप्त करेगा किन्तु जिसके लिए मकान-मालिक अपने परिसर कभी भी किराए पर नहीं देगा और वह उन्हें खाली रखेगा यद्यपि उसे नियत कालावधि के लिए परिसर की आवश्यकता न भी हो । अपीलार्थी के काउन्सेल

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ने यह बतलाया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन भी निर्णीत ऋणी पर उस समय भी पूर्व नोटिस तामील करने की आवश्यकता नहीं है जब निष्पादन कार्यवाहियां अर्थात् उसकी संपत्तियों की कुर्की और विक्रय के लिए या उसकी संपत्तियों के व्ययन के लिए, डिक्री की तारीख से दो वर्ष के भीतर की जाती है। इसलिए अपीलार्थी के काउन्सेल ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाने में गलती की थी कि कब्जे का वारंट धारा 21 के अधीन किराएदार को पूर्व नोटिस तामील किये बिना भी मकान-मालिक के पक्ष में जारी नहीं किया जा सकता और उनके अनुसार **नोरोनाह के मामले**[1] में विनिश्चय इस मुद्दे पर नहीं है जिसका उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त अवलंब लिया गया है। अपीलार्थी के काउन्सेल ने आगे यह भी दलील दी है कि ऐसे मामले में भी जहां सीमित किराएदारी सृजित करने के लिए किराया नियंत्रक की मंजूरी प्राप्त करने में मकान-मालिक द्वारा कपट किया गया अभिकथित है वहां भी धारा किराया नियंत्रक पर मकान-मालिक द्वारा उस धारा के अधीन कब्जे की वापसी के लिए आवेदन किये जाने पर किराएदार को नोटिस जारी करके किराएदार से कपट का अभिवाक् आमंत्रित करने के लिए कोई कर्त्तव्य या बाध्यता अधिरोपित नहीं करती। इसके अतिरिक्त काउन्सेल ने यह बतलाया है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए कपट, यदि कोई था, किराएदार को ठीक उस समय से मालूम था जब किराया नियंत्रक के आदेश के अधीन किराएदारी सृजित की गई थी तथा प्रत्यर्थी तीन वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय इस विवाद्यक का विनिश्चय करवाने के लिए किराया नियंत्रक के पास जा सकते थे और किसी भी दशा में कम से कम अपीलार्थी से वे दो रजिस्ट्रीकृत पत्र प्राप्त होने के ठीक पश्चात् जा सकते थे जो अपीलार्थी द्वारा धारा 21 के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन से एक मास पहले दिये गए थे। इसलिए काउन्सेल ने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में विधि तथा तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराया नियंत्रक द्वारा किराएदार पर नोटिस की तामील अनावश्यक थी और अनापेक्षित थी और उच्च न्यायालय ने वह मत अपनाने में गलती की थी जो उसने व्यक्त किये हैं। किसी भी दशा में उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को कब्जा वापस दिलाने के लिए निदेश देने में गलती की थी जब किराएदार के आक्षेप पर उसके द्वारा मामला सुनवाई और न्याय-निर्णयन के लिए किराया नियंत्रक को प्रतिप्रेषित किया गया था और इसलिए अपीलार्थी के कब्जे में ऐसे न्याय-निर्णयन के लंबित रहने तक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

1 [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के काउन्सेल ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत का बलपूर्वक समर्थन किया है और उस निमित्त **नोरोनाह के मामले**[1] में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है। इस मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि निष्पादन के प्रक्रम पर भी किराएदार सीमित किराएदारी सृजित करने के लिए प्रारंभिक प्रक्रम पर किराया नियंत्रक की अनुज्ञा प्राप्त करके मामले में कपट का मामला पेश कर सकता है और किराया नियंत्रक जांच करने के लिए बाध्य है जब किराएदार द्वारा कपट का ऐसा अभिवाक् किया गया हो और काउन्सेल के अनुसार कपट के अभिवाक् पर ऐसी जांच तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को नोटिस तामील न किया गया हो।

7. अपील में उठाए गए प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए अधिनियम की धारा 21 को उल्लिखित करना आवश्यक है। धारा 21 इस प्रकार है—

> *"21. **सीमित कालावधि के लिए किराएदारियों के मामले में कब्जे का वापस लिया जाना**—यदि किसी मकान-मालिक को संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग की किसी विशेष कालावधि के लिए आवश्यकता न हो और मकान-मालिक विहित रीति से नियंत्रक की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग को उतनी कालावधि के लिए, जितनी मकान-मालिक और किराएदार के बीच लिखित रूप में करार पाई जाए, निवास-स्थान के रूप में किराए पर दे दे और किराएदार उक्त कालावधि की समाप्ति पर ऐसे परिसर को खाली न करे, तो धारा 14 या किसी अन्य विधि में किसी बात

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "21. **Recovery of possession in case of tenancies for limited period**—Where a landlord does not require the whole or any part of any premises for a particular period, and the landlord, after obtaining the permission of the Controller in the prescribed manner, lets the whole of the premises or part thereof as a residence for such period as may be agreed to in writing between the landlord and the tenant and the tenant does not, on the expiry of the said period, vacate such premises then, notwithstanding anything contained in section 14 or in any other law, the Controller

---

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अंतर्विष्ट होते हुए भी नियंत्रक, मकान-मालिक द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इस निमित्त उसे आवेदन किए जाने पर किराएदार को और ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, जिसके अधिभोग में वह परिसर हो, बेदखल करके मकान-मालिक को परिसर या उसके भाग का खाली कब्जा दिलवा देगा।"

8. उपर्युक्त उपबंध का विश्लेषण यह दर्शाएगा कि इसमें उल्लिखित सीमित कालावधि के लिए किराएदारियों के संबंध में धारा द्वारा केवल दो आदेश अनुध्यात हैं: (i) केवल किसी विशेष नियत कालावधि के लिए किराएदारी की सृष्टि को मंजूर करने वाला या मंजूर करने वाले किराया नियंत्रक का आदेश और (ii) उस कालावधि की समाप्ति पर किराएदार को और पट्टे पर दिये गए परिसर के प्रत्येक अन्य अधिभोगी को बेदखल करके मकान-मालिक को उक्त परिसर का खाली कब्जा दिलाने वाला किराया नियंत्रक का आदेश। यह बात भी स्पष्ट है कि प्रथम आदेश पारित करने से पूर्व किराया नियंत्रक को स्वयं का यह समाधान करना आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में धारा में उल्लिखित दो शर्तों को वास्तविक रूप से पूरा किया गया है अर्थात् (क) कि मकान-मालिक को केवल विशेष कालावधि के लिए परिसर की आवश्यकता नहीं है और (ख) किराए पर देना निवासीय प्रयोजनों के लिए है, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। मकान-मालिक को किसी विशेष कालावधि के लिए परिसर की आवश्यकता न होने से विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं; उदाहरण के लिए, अधिकारी होने से वह किसी विशेष कालावधि के लिए किसी अन्य नियत कार्य के लिए जा रहा हो, या उसके अधिभोग में शासकीय क्वार्टर होने से उसे अपनी सेवा-निवृत्ति पर उस क्वार्टर को खाली करना पड़ सकता हो अथवा मकान के सन्निर्माण के लिए ऋण लेने से, वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिसर का अधिभोग लेने से पूर्व, उसकी अदायगी करना चाहता हो। इस बारे में विवाद नहीं उठाया जा सकता कि ऐसी सीमित किराएदारी की सृष्टि के लिए किराया नियंत्रक द्वारा अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व दोनों शर्तों को वास्तविक रूप से न कि झूठ-मूठ रूप में पूरा किया जाना चाहिए, किंतु एक बार ऐसी सीमित किराएदारी

---

may, on an application made to him in this behalf by the landlord within such time as may be prescribed, place the landlord in vacant possession of the premises or part thereof by evicting the tenant and every other person who may be in occupation of such premises."

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के उचित रूप से सृष्ट किये जाने पर, नियत कालावधि की समाप्ति पर किराएदार की बेदखली करके पट्टे पर दिये गए परिसर का खाली कब्जा मकान-मालिक को दिलवाने का द्वितीय आदेश साधारण सम्यक् अनुक्रम में पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि किराएदार को, धारा में अंतर्विष्ट सर्वोपरि खण्ड को देखते हुए कब्जे में बने रहने के लिए विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अधिकार या संरक्षण नहीं है और न ही उसकी बेदखली के लिए कोई प्रतिरक्षा है तथा इस धारा के अधीन मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार के विरुद्ध बेदखली का कोई भी आदेश पारित करने की वात अनुध्यात नहीं है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि धारा द्वारा अनुध्यात द्वितीय आदेश निष्पादन में की प्रक्रिया की प्रकृति का है जिसके अधीन किराएदार की बेदखली करके पट्टे पर दिये गए परिसर का खाली कब्जा मकान-मालिक को दिलवाया जाना चाहिए तथा मकान-मालिक को कब्जा दिलवाए जाने के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व कोई भी नोटिस अनुध्यात नहीं है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 56 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित दिल्ली रेंट कंट्रोल रूल्स, 1959 का संबंध है, उसमें केवल एक ही नियम है और वह नियम 5 है, जो केवल परिसीमा की कालावधि के लिए यह उपबंध करता है कि धारा 21 के अधीन कब्जा वापस लेने के लिए प्रत्येक आवेदन मकान-मालिक द्वारा किराएदारी की कालावधि की समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर किया जाना चाहिए और किराएदार को बेदखल करने के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर नोटिस की तामील की अपेक्षा करने वाला कोई भी नियम नहीं है।

10. प्रत्यर्थियों के काउन्सेल ने यह दलील देने के लिए अधिनियम की धारा 37 का अवलंब लिया है कि किराएदार को बेदखल किये जाने से पूर्व उस पर पूर्व नोटिस की तामील आवश्यक होगी किन्तु वह धारा किराया नियंत्रक के समक्ष की कार्यवाहियों में उसके द्वारा अनुसरण किये जाने के लिए अपेक्षित पद्धति और प्रक्रिया से संबंधित है और वह मुख्य रूप से इस बात का उपबंध करती है कि किन्हीं भी नियमों के अध्यधीन, जो अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, नियंत्रक अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में जांच करते समय, जहां तक संभव हो, साक्ष्य अभिलिखित करने सहित लघुवाद न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। विशेषतः काउन्सेल ने धारा 37 की उपधारा (1) का अवलंब लिया है जिसमें यह उपबंध है कि केन्द्रीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकार द्वारा ऐसा कोई भी आदेश, जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, किये जाने वाले प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना तब तक इस अधिनियम के अधीन पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर जो वह उसके समर्थन में पेश करे, नियंत्रक द्वारा विचार नहीं किया गया हो। हमारे मत से उपधारा (1) जो कुछ उपबंध करती है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को सम्मिलित करने का है अर्थात् किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना और प्रस्तावित आदेश के बारे में उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार किये बिना पारित नहीं किया जाएगा। किन्तु किसी आदेश के बारे में किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश केवल तभी कहा जा सकता है जब उसका कोई अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो और जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, धारा 21 में अंतर्विष्ट सर्वोपरि खण्ड को देखते हुए किराएदार को सीमित कालावधि की समाप्ति पर कब्जे में बने रहने के लिए किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अधिकार या संरक्षण नहीं है और इस प्रकार, किराएदार को उसके अधिभोग वाला परिसर खाली करने का निदेश देने के लिए कब्जे के वारंट के जारी किये जाने की बात इस प्रकार नहीं मानी जा सकती कि उससे उस पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए धारा 37(1) का अर्थान्वयन यह नहीं किया जा सकता कि वह किराएदार के विरुद्ध कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर पूर्व-नोटिस की तामील की अपेक्षा करती है। अन्य शब्दों में, न तो धारा 21 और न ही धारा 37 और न ही अधिनियम के अधीन विरचित नियम किराएदार को बेदखल किये जाने से पूर्व उस पर किसी पूर्व-नोटिस की तामील की अपेक्षा करते हैं और सीमित किराएदारी की समाप्ति पर पट्टे पर दिये गए परिसर का कब्जा मकान-मालिक को दिलवाने के प्रयोजन के लिए, किराएदार को पूर्व-नोटिस दिये बिना, धारा 21 के अधीन कब्जे का वारंट जारी करने का निदेश देने वाले आदेश की बाबत यह नहीं माना जा सकता कि वह अवैध, अविधिमान्य या अनुचित है।

11. विवाद्यक प्रश्न पर उस उद्देश्य या प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है जिससे अधिनियम में धारा 21 अधिनियमित और सम्मिलित की गई है। इस बारे में भी विवाद नहीं किया जा सकता कि धारा 21 विशेष व्यवहार के लिए किराएदारियों के विशेष प्रवर्ग को उल्लिखित करती है तथा उपबंध के मुख्य प्रयोजन को इस न्यायालय द्वारा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एस० बी० नोरोनाह बनाम **प्रेम कुमारी खन्ना**[1] के मामले में निम्नलिखित शब्दों में समझाया है, जो इस प्रकार है—

"संभवतया संसद् कमी से उत्पन्न संकट का अनुभव करते हुए किराए के लिए उपलभ्य वास-सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने को उत्सुक थी। ऐसी फालतू वास-सुविधा का एक स्रोत, जो मुख्य रूप से हिचकिचाता है, ऐसे खाली भवन या उसका भाग है, जिन्हें मकान-मालिक पूर्णत: सीमित अवधि के लिए किराए पर दे सकता है परंतु यह तब, जबकि उसका यह विश्वसनीय सुनिश्चय हो जाए कि जब उसे आवश्यकता होगी यह उसे वापस मिल जाएगा। यदि कोई अधिकारी किसी विशिष्ट अवधि के लिए अन्य कार्य पर जा रहा होता है या स्वामी के पास सरकारी क्वार्टर होता है जिससे कि वह अपने मकान को उस दशा में किराए पर दे सकता है जबकि उसे यह विश्वास हो जाए कि उसके सेवा-निवृत्त होने पर वह उसका पुन: अधिभोग करने में समर्थ होगा तो ऐसी वास-सुविधा किराए पर देने योग्य मकानों की कुल मात्रा में वृद्धि कर सकती है। यह समस्या निवासीय आवास के प्रयोजनों के लिए अधिकतम अनुभव की गई है। किन्तु कोई भी अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि किराएदार कानूनी किराएदार हो जाता है और यदि सद्भावपूर्ण आवश्यकता सिद्ध कर दी जाए तो भी मुकमेबाजी के अनेक सोपान हैं और विधि के विलम्ब इतने कष्टदायक हैं कि कोई भी यथार्थवादी बुद्धिमान व्यक्ति किराएदार इस सुन्दर वायदे पर विश्वास नहीं करेगा कि वह निर्धारित अवधि के पश्चात् भवन वापस कर देगा। इसलिए विधि को विश्वास योग्य बनना होता है। कब्जा लेने के लिए कार्यवाही संस्थित किए जाने और वस्तुत: बेकब्जा किए जाने के बीच समय का अंतराल प्राय: एक दशाब्दी या उससे भी अधिक होता है जो निराशा का ऐसा तत्व है जिसे केवल विशेष प्रक्रिया द्वारा ही टाला जा सकता है।

धारा 21 इसका उत्तर है। विधि ऐसे परिसर के स्वामी को, जो विशिष्ट या सीमित अवधि के लिए किराए पर देने के लिए उपलभ्य है, यह विशेष भरोसा दिलाकर प्रेरित करने का प्रयास करती है कि उस अवधि की समाप्ति पर नियुक्त अधिकरण मकान-मालिक को खाली कब्जा दिला देगा।"

---

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि अधिनियम में धारा 21 सम्मिलित करने का उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया उपबंधित करना है जो मकान-मालिक को किराएदारी की नियत कालावधि की समाप्ति पर पट्टे पर दिये गए परिसरों का खाली कब्जा तुरंत वापस पाना सुनिश्चित करे किन्तु इसके लिए उसे अपने परिसर किराए पर नहीं देने होंगे और उन्हें खाली रखने होंगे यद्यपि उसे नियत कालावधि के लिए परिसरों की आवश्यकता न हो। इसके अतिरिक्त तुरंत ही खाली कब्जा प्राप्त करने के आश्वासन को इस उपबंध द्वारा भी बल मिलता है कि कब्जे के वारंट के अधीन न केवल किराएदार को ही किन्तु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भी बेदखल किया जाता है जिसके अधिभोग में परिसर हों। यदि विशेष प्रक्रिया विहित करने का उद्देश्य इतना पवित्र है तब कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक के आवेदन की प्राप्ति पर किराएदार को पूर्व-नोटिस की तामील और विस्तृत जांच द्वारा, जिसमें साक्ष्य अभिलिखित किया जाना चाहिए, किराएदार आक्षेप आमंत्रित करने से वह उद्देश्य वास्तविक रूप से विफल हो जाएगा। हमारे मतानुसार संक्षेप में इस कारण से धारा 21 और उससे उपबंधित सुसंगत उपबंधों की स्कीम पट्टे पर दिये गए परिसर का कब्जा मकान-मालिक को दिलवाने के लिए किराएदार के विरुद्ध कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर पूर्व-नोटिस की तामील की अपेक्षा नहीं करती है, क्योंकि विधि को स्वयं अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए।

12. **नोरोनाह के मामले**[1] में प्रत्यर्थियों के काउन्सेल ने इस न्यायालय के विनिश्चय का बलपूर्वक अवलंब लिया है जिसमें काउन्सेल के अनुसार यह मत व्यक्त किया गया है कि द्वितीय प्रक्रम पर भी जब मकान-मालिक धारा 21 के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन करता है तब किराया नियंत्रक को ऐसी जांच द्वारा अपना स्वयं का समाधान करना चाहिए जो वह उस उपबंध की अनिवार्य अपेक्षाओं के बारे में कर सके अर्थात् क्या सीमित किराएदारी के सृजन के लिए अनुज्ञा देने हेतु अपेक्षित दो शर्तों को वास्तविक रूप से पूरा किया गया है अथवा नहीं। काउन्सेल ने यह दलील दी है कि ऐसी कोई भी जांच तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक का आवेदन प्राप्त होने पर किराएदार पर नोटिस तामील न किया गया हो। नोटिस की तामील किराएदार को यह अभिवाक् पेश करने के लिए समर्थ बनायेगी कि प्रारंभिक प्रक्रम पर सीमित किराएदारी के सृजन के लिए अनुज्ञा देने वाला विवेकहीन आदेश दो शर्तों को वास्तविक

---

4 [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रूप से पूरा किये बिना किया गया था अथवा अनुज्ञा देने वाला उक्त प्रारंभिक आदेश या तो मकान-मालिक की ओर से किये गये कपट अथवा पक्षकारों के बीच दुस्संधि का परिणाम था। काउन्सेल ने यह दलील दी है कि धारा 21 के अधीन अनुज्ञा की शर्तों का केवल आनुष्ठानिक प्रवर्तन अथवा उसके अधीन यांत्रिक रूप से अनुज्ञा का दिया जाना धारा 21 के संपूर्ण प्रभाव को विफल करने की कोटि में आयेगा। यह बात अच्छी तरह से सुस्थिर है कि कपट और दुस्संधि (विशेषत: दो असमान व्यक्तियों अर्थात् बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि) इस प्रकार दी गई अनुज्ञा को पूर्ण रूप से दूषित करेगी और उसे अस्तित्वहीन बनायेगी इसलिए मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार के ऐसे अभिवाकों की सुनवाई करना और उनका न्याय-निर्णयन करना किराया नियंत्रक का कर्तव्य होगा। प्रारंभ में ही हम यह मत व्यक्त करना चाहेंगे कि **नोरोनाह के मामले**[1] में यह प्रश्न विचारार्थ उद्‌भूत नहीं हुआ था कि क्या धारा 21 के अधीन मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को पूर्व-नोटिस तामील करना आवश्यक था। वह एक ऐसा मामला था जिसमें धारा के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक का आवेदन प्राप्त होने पर किराएदार ने यह अभिवाक् किया था कि परिसर गैर-निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिये गये थे और सीमित किराएदारी के सृजन के लिए दी गई मंजूरी या अनुज्ञा कपट और दुस्संधि द्वारा दूषित हो गई थी। विचारार्थ यह प्रश्न उद्‌भूत हुआ था कि क्या उस प्रक्रम पर किराया नियंत्रक ऐसे अभिवाकों पर विचार कर सकता है। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नियंत्रक को उन अभिवाकों पर उस समय भी विचार करना चाहिए जब वे उस प्रक्रम पर भी उठाये गये हों। अन्य शब्दों में उस मामले में जिस बात का विनिश्चय किया गया है वह यह है कि यदि किराएदार द्वारा ऐसे अभिवाक् निष्पादन के प्रक्रम पर (अर्थात् द्वितीय आदेश पारित करने के प्रक्रम पर) भी उठाए गए हों तो भी किराया नियंत्रक को ऐसे अभिवाकों पर विचार करना चाहिए और उनका निर्णय करना चाहिए। किन्तु विनिश्चय इस प्रतिपादना के लिए कोई नजीर नहीं है कि कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक के आवेदन की प्राप्ति पर किराया नियंत्रक को किराएदार को कपट, दुस्संधि आदि से संबंधित अभिवाकों के बारे में आमंत्रित करते हुए नोटिस अवश्य ही जारी करना चाहिए और मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व ऐसे अभिवाकों के बारे में जांच अवश्य ही करनी

---

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहिए क्योंकि इस बारे में कोई उपधारणा नहीं हो सकती कि प्रत्येक मामले में अनुज्ञा देने वाला प्रारंभिक आदेश पारित करते समय अनुध्यात प्रक्रिया का केवल औपचारिक रूप से अनुपालन किया गया था अथवा नियंत्रक ने विवेकहीन आदेश पारित किया था अथवा अनुज्ञा देने वाला आदेश या तो मकान-मालिक की ओर से कपट का या बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि का परिणाम था । वास्तव में **नोरोनाह वाले मामले**[1] में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि मंजूरी या अनुज्ञा नियमित होने के पक्ष में उपधारणा होगी और यदि ऐसी स्थिति है तो हम इस बात का अधिमूल्यन करने में असफल हैं कि मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर नोटिस तामील करने की अपेक्षा को किराएदार की प्रेरणा पर कपट, दुस्संधि आदि के ऐसे अभिवाक् क्यों आमंत्रित करना चाहिए विशेषतः जबकि धारा 21 और संबंधित सुसंगत उपबंधों की स्कीम में उसकी आवश्यकता नहीं है ।

13. तब ऐसे मामले में किराएदार को कौन-सा उपचार उपलब्ध है जब सीमित किराएदारी के सृजन के लिए अनुज्ञा देते समय प्रक्रिया का केवल औपचारिक रूप से अनुपालन किया गया हो अथवा जहां ऐसी अनुज्ञा मकान-मालिक द्वारा किये गये कपट से प्राप्त की गई हो अथवा वह बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि का परिणाम हो ? क्या ऐसे मामले में किराएदार के अभिवाकों की जांच किये बिना उसे अनऔपचारिक रूप से बेदखल कर दिया जाना चाहिए ? स्पष्ट रूप से उत्तर नकारात्मक है । इसके साथ ही क्या उसे कपट या दुस्संधि के झूठे अभिवाक् पर मकान-मालिक को पट्टे पर दिये गये परिसरों के कब्जे का परिदान विलंबित करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए अथवा क्या अनुज्ञा का यांत्रिक रूप से दी जानी चाहिए । इससे धारा 21 में मकान-मालिक के फायदे के लिए उपबंधित विशेष प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही विफल हो जायेगा ? पुनः इसका उत्तर नकारात्मक होगा । हमारे विचार से ये दो प्रतिस्पर्धी दावे मिला दिए जाने चाहिएं तथा इसके हल के लिए किराएदार को बेदखल करने के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को पूर्व-नोटिस की तामील पर बल नहीं दिया जाना चाहिए किन्तु सीमित किराएदारी के चालू रहने के दौरान ऐसे अभिवाकों का न्याय-निर्णयन करने के लिए किराया नियंत्रक पर बल दिया जाना चाहिए । ज्यों ही वह इन तथ्यों और परिस्थितियों को मालूम करता है जो प्रारंभ में अनुज्ञा देने को आरंभ से दूषित करने की प्रवृत्ति रखती है तो या तो वह यांत्रिक रूप से

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रूप से पूरा किये बिना किया गया था अथवा अनुज्ञा देने वाला उक्त प्रारंभिक आदेश या तो मकान-मालिक की ओर से किये गये कपट अथवा पक्षकारों के बीच दुस्संधि का परिणाम था। काउन्सेल ने यह दलील दी है कि धारा 21 के अधीन अनुज्ञा की शर्तों का केवल आनुष्ठानिक प्रवर्तन अथवा उसके अधीन यांत्रिक रूप से अनुज्ञा का दिया जाना धारा 21 के संपूर्ण प्रभाव को विफल करने की कोटि में आयेगा। यह बात अच्छी तरह से सुस्थिर है कि कपट और दुस्संधि (विशेषतः दो असमान व्यक्तियों अर्थात् बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि) इस प्रकार दी गई अनुज्ञा को पूर्ण रूप से दूषित करेगी और उसे अस्तित्वहीन बनायेगी इसलिए मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार के ऐसे अभिवाकों की सुनवाई करना और उनका न्याय-निर्णयन करना किराया नियंत्रक का कर्तव्य होगा। प्रारंभ में ही हम यह मत व्यक्त करना चाहेंगे कि **नोरोनाह के मामले**[1] में यह प्रश्न विचारार्थ उद्भूत नहीं हुआ था कि क्या धारा 21 के अधीन मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को पूर्व-नोटिस तामील करना आवश्यक था। वह एक ऐसा मामला था जिसमें धारा के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक का आवेदन प्राप्त होने पर किराएदार ने यह अभिवाक् किया था कि परिसर गैर-निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिये गये थे और सीमित किराएदारी के सृजन के लिए दी गई मंजूरी या अनुज्ञा कपट और दुस्संधि द्वारा दूषित हो गई थी। विचारार्थ यह प्रश्न उद्भूत हुआ था कि क्या उस प्रक्रम पर किराया नियंत्रक ऐसे अभिवाकों पर विचार कर सकता है। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नियंत्रक को उन अभिवाकों पर उस समय भी विचार करना चाहिए जब वे उस प्रक्रम पर भी उठाये गये हों। अन्य शब्दों में उस मामले में जिस बात का विनिश्चय किया गया है वह यह है कि यदि किराएदार द्वारा ऐसे अभिवाक् निष्पादन के प्रक्रम पर (अर्थात् द्वितीय आदेश पारित करने के प्रक्रम पर) भी उठाए गए हों तो भी किराया नियंत्रक को ऐसे अभिवाकों पर विचार करना चाहिए और उनका निर्णय करना चाहिए। किन्तु विनिश्चय इस प्रतिपादना के लिए कोई नजीर नहीं है कि कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक के आवेदन की प्राप्ति पर किराया नियंत्रक को किराएदार को कपट, दुस्संधि आदि से संबंधित अभिवाकों के बारे में आमंत्रित करते हुए नोटिस अवश्य ही जारी करना चाहिए और मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व ऐसे अभिवाकों के बारे में जांच अवश्य ही करनी

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहिए क्योंकि इस बारे में कोई उपधारणा नहीं हो सकती कि प्रत्येक मामले में अनुज्ञा देने वाला प्रारंभिक आदेश पारित करते समय अनुध्यात प्रक्रिया का केवल औपचारिक रूप से अनुपालन किया गया था अथवा नियंत्रक ने विवेकहीन आदेश पारित किया था अथवा अनुज्ञा देने वाला आदेश या तो मकान-मालिक की ओर से कपट का या बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि का परिणाम था। वास्तव में **नोरोनाह वाले मामले**[1] में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि मंजूरी या अनुज्ञा नियमित होने के पक्ष में उपधारणा होगी और यदि ऐसी स्थिति है तो हम इस बात का अधिमूल्यन करने में असफल हैं कि मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार पर नोटिस तामील करने की अपेक्षा को किराएदार की प्रेरणा पर कपट, दुस्संधि आदि के ऐसे अभिवाक् क्यों आमंत्रित करना चाहिए विशेषतः जबकि धारा 21 और संबंधित सुसंगत उपबंधों की स्कीम में उसकी आवश्यकता नहीं है।

13. तब ऐसे मामले में किराएदार को कौन-सा उपचार उपलब्ध है जब सीमित किराएदारी के सृजन के लिए अनुज्ञा देते समय प्रक्रिया का केवल औपचारिक रूप से अनुपालन किया गया हो अथवा जहां ऐसी अनुज्ञा मकान-मालिक द्वारा किये गये कपट से प्राप्त की गई हो अथवा वह बलशाली और कमजोर के बीच दुस्संधि का परिणाम हो ? क्या ऐसे मामले में किराएदार के अभिवाकों की जांच किये बिना उसे अनऔपचारिक रूप से बेदखल कर दिया जाना चाहिए ? स्पष्ट रूप से उत्तर नकारात्मक है। इसके साथ ही क्या उसे कपट या दुस्संधि के झूठे अभिवाक् पर मकान-मालिक को पट्टे पर दिये गये परिसरों के कब्जे का परिदान विलंबित करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए अथवा क्या अनुज्ञा का यांत्रिक रूप से दी जानी चाहिए। इससे धारा 21 में मकान-मालिक के फायदे के लिए उपबंधित विशेष प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही विफल हो जायेगा ? पुनः इसका उत्तर नकारात्मक होगा। हमारे विचार से ये दो प्रतिस्पर्धी दावे मिला दिए जाने चाहिएं तथा इसके हल के लिए किराएदार को बेदखल करने के लिए कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार को पूर्व-नोटिस की तामील पर बल नहीं दिया जाना चाहिए किन्तु सीमित किराएदारी के चालू रहने के दौरान ऐसे अभिवाकों का न्याय-निर्णयन करने के लिए किराया नियंत्रक पर बल दिया जाना चाहिए। ज्यों ही वह इन तथ्यों और परिस्थितियों को मालूम करता है जो प्रारंभ में अनुज्ञा देने को आरंभ से दूषित करने की प्रवृत्ति रखती है तो या तो वह यांत्रिक रूप से

[1] [1980] 3 उम० नि० प० 285=[1980] 1 एस० सी० आर० 281.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुज्ञा का दिया जाना है अथवा अनुज्ञा मकान-मालिक द्वारा किये गये कपट से प्राप्त की गई है अथवा वह असमान व्यक्तियों के बीच दुस्संधि का परिणाम है। किन्तु प्रत्येक मामले में किराएदार के लिए उस समय तक इन्तजार करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि मकान-मालिक धारा 21 के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन नहीं करता। किन्तु इसके लिए हर एक कारण है कि किराएदार को अपने अभिवाकों का न्याय-निर्णयन करवाने के लिए किराया नियंत्रक के पास तुरन्त ही जाना चाहिए ज्यों ही ऐसे अभिवाकों को उद्भूत करने वाले तथ्य और परिस्थितियां उसके ज्ञान में आती हैं या उसके द्वारा सम्यक् सतर्कता से मालूम की जाती हैं। धारा 21 में मकान-मालिक के फायदे के लिए उपबंधित विशेष प्रक्रिया किराएदार की ओर से ऐसे तुरन्त सम्पर्क को आधारित करती है। यदि किराएदार को कब्जा वापस पाने के लिए मकान-मालिक के आवेदन के बारे में ज्ञान हो और वह कपट या दुस्संधि आदि के बारे में अपना अभिवाक् करे तो उस प्रक्रम पर किराया नियंत्रक को ऐसे अभिवाक् के बारे में जांच करनी चाहिए। किंतु उसमें बाद में सोची गई बात के रूप में उसके नामंजूर किये जाने की जोखिम होती है। तथापि, मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने से पूर्व किराएदार से आक्षेप फाइल करने के लिए उसे आमंत्रित करने सम्बन्धी नोटिस तामील करने की कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

14. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा यह स्पष्ट मत है कि उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाने में गलती की थी कि धारा 21 के अधीन कब्जा वापस लेने के लिए कोई भी वारंट, किराएदार को नोटिस तामील किये बिना जारी नहीं किया जा सकता। हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इसमें अपीलार्थी मकान-मालिक के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी करने के लिए निदेश देने वाला किराया नियंत्रक का आदेश और उसके अनुसरण में वादगत परिसर का उसे कब्जा दिलवाने वाली कार्यवाहियां विधिमान्य और उचित हैं और उच्च न्यायालय द्वारा अभिखण्डित नहीं की जानी चाहिए थीं। तथापि, चूंकि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी किराएदार के अभिवाक् का न्याय-निर्णयन करने के लिए मामला किराया नियंत्रक को प्रतिप्रेषित कर दिया है, इसलिए हम आदेश के उस भाग में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा प्रत्यर्थी किराएदार द्वारा किये गए आक्षेपों के न्याय-निर्णयन पर विचार किया जा सकता है और उनका विधि के अनुसार विनिश्चय किया जा सकता है। किन्तु प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए निदेश के लिए कोई औचित्य नहीं था कि ऐसे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्याय-निर्णयन के लंबित रहते हुए प्रत्यर्थी किराएदार को परिसरों का कब्जा पुन: दिलवाया जाए। स्वीकार्यत: प्रस्तुत मामले में मकान-मालिक ने बहुत पहले अधिनियम की धारा 21 के अधीन कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन किया था और अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कम्पनी को दो रजिस्ट्रीकृत नोटिस भेजे थे जिसमें उसे परिसर खाली करने के लिए कहा था। चूंकि सीमित किराएदारी की कालावधि समाप्त होने को थी और क्योंकि उसे अपने स्वयं के उपयोग और अधिभोग के लिए परिसरों की आवश्यकता थी। इस बारे में प्रत्यर्थियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और इसके पश्चात् ही कब्जे का वारंट निष्पादित किया गया था और मकान-मालिक ने विवादग्रस्त परिसर का कब्जा प्राप्त किया था और प्रत्यर्थी कम्पनी ने कब्जे का वारंट जारी किये जाने को चुनौती देते हुए रिट पिटीशन के माध्यम से उच्च न्यायालय में इस आधार पर रिट पिटीशन फाइल किया था कि उस पर कोई भी पूर्व-नोटिस तामील नहीं किया गया था तथा सीमित किराएदारी के लिए अनुज्ञा देने वाला प्रथम आदेश मकान-मालिक द्वारा किये गए कपट का परिणाम था। स्पष्टत: प्रत्यर्थी कम्पनी ने विलंब से कपट का अभिवाक् करना उचित समझा है। इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश के उस भाग को अभिखण्डित करते हैं जो किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी कम्पनी को विवादग्रस्त परिसरों का कब्जा पुन: दिलाने के लिए निदेश देता है और हम यह निदेश देते हैं कि अपीलार्थी के विवादग्रस्त परिसर के कब्जे में, जो उसने कब्जे के वारंट के अनुसरण में प्राप्त किया है, तब तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक कि प्रत्यर्थी कम्पनी के आक्षेपों और/या अभिवाकों का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं हो जाता। चूंकि अपील सारत: सफल होती है इसलिए प्रत्यर्थियों को अपीलार्थियों के अपील के खर्चे का संदाय करने का निदेश दिया जाता है।

ाल मंजूर की गई।

जैन/श्री०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh